सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

New times, same trust

नया दौर, वही विश्वास

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2020-2021

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

कॉरपोरेट विज़न, मिशन और सैद्धान्तिक कथन
CORPORATE VISION, MISSION AND VALUE STATEMENT

विज़न VISION

सबकी बैंकिंग एवं वित्तीय जरुरतों का केन्द्र बिन्दु बनना

To be CENTRAL to the banking and financial needs of all

मिशन MISSION

प्रभावी मानव संसाधन एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्राहक केन्द्रित उत्पाद एवं सेवायें उपलब्ध कराना

To provide customer centric products and services by leveraging human resources and technology

सैद्धान्तिक कथन Value statement

C – Consistency	निरंतरता
E – Ethical Standards	नैतिक मानक
N – Nurturing Potential	संभाव्य क्षमताओं का पोषण
T – Transparency	पारदर्शिता
R – Responsiveness	अनुकूल प्रतिक्रिया
A – Accountability	जवाबदेही
L – Loyalty	निष्ठा

अनुक्रमणिका

विषय सूची		पृष्ठ क्र.
1.	अनुक्रमणिका	1
2.	निदेशक मंडल, लेखापरीक्षक, आरटीए तथा निवेशक सेवाओं का ब्यौरा	3
3.	निदेशक मंडल	4
4.	कार्यात्मक प्रभारी	6
5.	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश	8
6.	सूचना	13
7.	कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य	23
8.	निदेशक रिपोर्ट	24
9.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	29
10.	सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट	34
11.	प्रबंधतंत्र विचार एवं विश्लेषण	36
12.	कॉर्पोरेट गवर्नेंस	78
13.	व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	106
14.	लाभांश वितरण नीति	117
15.	सदस्यों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	119
16.	दिनांक 31 मार्च, 2021 का तुलन पत्र	131
17.	दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता	132
18.	तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियाँ	133
19.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	139
20.	लेखों से संबंधित टिप्पणियाँ	146
21.	दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण	179
22.	दिनांक 31.03.2021 को पिलर 3 (बासल III) प्रकटीकरण	181
23.	समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखापरीक्षक रिपोर्ट	207

INDEX

Contents		Page No.
1.	Index	2
2.	Details of Board of Directors, Auditors, RTA and Investor Services	3
3.	Board of Directors	4
4.	Functional Heads	7
5.	Managing Director and Chief Executive Officer's Message	247
6.	Notice	252
7.	Performance Highlights	262
8.	Directors Report	263
9.	Secretarial Audit report	268
10.	Secretarial Compliance report	273
11.	Management Discussion & Analysis	275
12.	Corporate Governance	314
13.	Business Responsibility Report	341
14.	Dividend Distribution Policy	351
15	Auditors' Report to the Members	353
16.	Balance Sheet as at 31 March, 2021	364
17.	Profit & Loss account for the year ended 31 March, 2021	365
18.	Schedules to Balance Sheet and Profit & Loss Account	366
19.	Significant Accounting Policies	372
20.	Notes Forming part of Accounts	379
21.	Cash Flow Statement for the year ended 31 March, 2021	409
22.	Pillar 3 (BASEL III) Disclosures as on 31.03.2021	411
23.	Auditor's Report on Consolidated Financial Statements	437

निदेशक मंडल श्री तपन राय (22.05.2021 तक) श्री एम. वी. राव श्री आलोक श्रीवास्तव श्री विवेक वाही श्री राजीव पुरी डॉ. भूषण कुमार सिन्हा श्री पी. जे.थॉमस श्रीमती मिनी आईप (30.06.2021 तक) श्री दिनेश पांगती (01.07.2021 से)	**BOARD OF DIRECTORS** SHRI TAPAN RAY (Ceased to be director on 22.05.2021) SHRI M V RAO SHRI ALOK SRIVASTAVA SHRI VIVEK WAHI SHRI RAJEEV PURI DR. BHUSHAN KUMAR SINHA SHRI P J THOMAS SMT MINI IPE (Ceased to be director on 30.06.2021) SHRI DINESH PANGTEY (w.e.f. 01.07.2021)
लेखा परीक्षक मे. एएजेवी एंड एशोसिएट मे. एस जयकिशन मे. छाजेड एंड दोशी मे. अंबेकर शेलार कर्वे एंड अंबर्डेकर	**AUDITORS** M/S. AAJV And Associates M/S. S. Jaykishan M/S. Chhajed & Doshi M/S. Ambekar Shelar Karve & Ambardekar
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम) मुंबई - 400 083. टेलीफोन : 022-4918 6270 फैक्स : 022-4918 6060 ई-मेल आईडी : rnt.helpdesk@linkintime.co.in	**REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS** Link Intime India Pvt. Ltd. C-101, 247 Park LBS Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083. Tel : 022-4918 6270 Fax : 022-4918 6060 E-mail ID : rnt.helpdesk@linkintime.co.in
बैंक से पत्र व्यवहार करने का पता उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9वीं मंजिल, चंदरमुखी नरीमन पॉईंट मुंबई - 400 021 संपर्क नं. 022 - 6638 7818 / 7575 फैक्स : 022 - 2283 5198 ई-मेल आईडी : dgmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in	**ADDRESS FOR CORESSPONDENCE WITH THE BANK** DGM / Company Secretary and Compliance Officer Central Bank of India 9th Floor, Chandermukhi Nariman Point Mumbai - 400 021 Contact No. : 022 - 6638 7818 / 7575 Fax No. : 022 - 2283 5198 E-mail ID : dgmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in

दिनांक 31.03.2021 के अनुरूप निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS AS ON 31.03.2021

श्री तपन राय
Shri TAPAN RAY

अध्यक्ष (निदेशक 22.05.2021 तक)
Chairman (Ceased to be Director on 22.05.2021

श्री एम. वी. राव
Shri M V RAO

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री आलोक श्रीवास्तव
Shri ALOK SRIVASTAVA

कार्यपालक निदेशक / EXECUTIVE DIRECTOR

श्री विवेक वाही
Shri VIVEK WAHI

कार्यपालक निदेशक / EXECUTIVE DIRECTOR

श्री राजीव पुरी / Shri RAJEEV PURI

कार्यपालक निदेशक / EXECUTIVE DIRECTOR

(जारी / *Contd...*)

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
Dr. BHUSHAN KUMAR SINHA

निदेशक
Director

श्री पी. जे.थॉमस
Shri P J THOMAS

निदेशक
Director

श्रीमती मिनी आईप
Smt MINI IPE

निदेशक (30.06.2021 तक)
Director (Ceased to be Director on 30.06.2021)

श्री दिनेश पांगती
Shri DINESH PANGTEY

निदेशक (01.07.2021 से)
Director (w.e.f.01.07.2021)

कार्यात्मक प्रभारी

दि. 15.07.2021 के अनुरूप

	मुख्य सतर्कता अधिकारी	
1.	श्री परशुराम पांडा	बी.एससी. (कृषि), सीएआईआईबी, डीआईबीएफ
	महाप्रबंधक	
2.	श्री उमेश कुमार सिंह	बी.ई. (कम्प्यूटर साइंस एवं इ.) सीएआईआईबी, डीआईटीआरएम
3.	श्री ई. रतनकुमार	बी.ई., एम.टेक., फाइनें. मैनेजमेंट में मास्टर्स
4.	श्री स्मृति रंजन दाश	एम.ए., सीएआईआईबी
5.	श्री के. सत्यनारायण	एम.कॉम., सीएआईआईबी
6.	श्री विजय वसंत मुरार	बी.एससी., सीएआईआईबी, टैक्स मैनजमेंट में पीजी डिप्लोमा
7.	श्री श्रीराम दत्तात्रय माहुरकर	बी.एससी., सीएआईआईबी
8.	श्री विपन कुमार महेन्द्रु	सीएआईआईबी, डीबीएम, एमएसएमई एण्ड टी. फाई. में प्रमाणपत्र
9.	श्री मुकुल एन. दंडिगे, मुख्य वित्तीय अधिकारी	बी.एससी, सीएआईआईबी
10.	श्री मयंक दिनेश शाह	बी.कॉम., जेएआईआईबी
11.	श्री एच. एस. गरसा	बी.एससी., सीएआईआईबी
12.	श्री हरिलाल भार्गवन सुमथी	बी.एससी.(कृषि), सीएआईआईबी, डीटीआईआरएम
13	श्री मोहित कोडनानी	बी.ई. (ई एण्ड टी), एमबीए, जेएआईआईबी, सीसीएनए
14.	श्री गोपीनाथन	बी.एससी., एम.ए., सीएआईआईबी, डीटीआईआरएम
15.	श्री डी.एन. राजेन्द्र कुमार	एम.एससी. (कृषि), सीएआईआईबी, पीजीडीएफएम
16.	श्री विवेक कुमार	बी.एससी., बी.एड., एमएमएस (फाइनैंस), सीएआईआईबी
17.	श्री ए.डी. श्रीनिवास	बी.कॉम., सीएआईआईबी
18.	श्री अमृत कुमार	एम.एससी (कृषि), सीएआईआईबी
19.	सुश्री नमिता रॉय शर्मा	एम.एससी, एलएलबी, सीएआईआईबी,एमएलएलआई में डिप्लोमा
20.	श्री संदीप गुलाटी	बी.कॉम, सीएआईआईबी, डिप्लोमा इन मेनेजमेंट
21.	श्री जे एस साहनी	एम.एससी, सीएआईआईबी
22.	श्री वी वी नटराजन	बी.एससी, सीएआईआईबी, डिप्लोमा इन एचआरएम, डिप्लोमा इन ट्रेजरी एण्ड इन्वेस्टमेंट, रिस्क मेनेजमेंट
23.	श्री श्रीनिवास एस राव	बी.ए, एमबीए (फाइनैंस), सीएआईआईबी
24.	श्री एस के गुप्ता	बी.कॉम, एम.ए., सीएआईआईबी
25.	श्री वास्ती वेंकटेश	बी.एससी, एमबीए, सीएआईआईबी
26.	श्री राजेश कुमार	एम.एससी (फिजिक्स), (फाइनैंस), सीएआईआईबी
27.	श्री बी बी मुतरेजा	बी.ए, सीएआईआईबी
28.	श्री टी एस बालचंद्रन	बी.एससी (मॅथ), सीएआईआईबी, एमबीए (फाइनैंस)
29.	श्री सोहेल अहमद	बी.कॉम (ऑनर्स), सीएआईआईबी
	कंपनी सचिव	
30.	श्री आनंद कुमार दास, कंपनी सचिव	एफसीएस, एलएलबी, बी.कॉम, सीएआईआईबी, सीबीसीपी

FUNCTIONAL HEADS

As on 15.07.2021

	CVO	
1.	SHRI PARSHURAM PANDA	B.SC. (AGRI), CAIIB, DIBF
	GENERAL MANAGER	
2.	SHRI UMESH K. SINGH	BE (COMP. SC. & E) CAIIB, DITRM
3.	SHRI E. RATANKUMAR	BE, M. TECH, MAST. IN FIN. MAN.
4.	SHRI SMRUTI RANJAN DASH	M.A., CAIIB
5.	SHRI K. SATYANARAYAN	M. COM., CAIIB
6.	SHRI VIJAY VASANT MURAR	B.SC., CAIIB, PG DIP. IN TAX. MAN.
7.	SHRI SHRIRAM DATTATRAY MAHURKAR	B.SC. , CAIIB
8.	SHRI VIPAN KUMAR MAHENDRU	CAIIB, DBM, CERTIFICATION IN MSME AND T. FIN.
9.	SHRI MUKUL N. DANDIGE, (CHIEF FINANCIAL OFFICER)	B. SC., CAIIB
10.	SHRI MAYANK DINESH SHAH	BCOM, JAIIB
11.	SHRI H. S. GARSA	BSC,CAIIB
12.	SHRI HARILAL BHARGAVAN SUMATHY	B.SC (AGRI), CAIIB, DTIRM.
13	SHRI MOHIT KODNANI	BE (E&T), MBA , JAIIB, CCNA
14.	SHRI GOPINATHAN	BSC, MA, CAIIB, DTIRM
15.	SHRI D.N.RAJENDRA KUMAR	M.SC (AGRI), CAIIB, PGDFM
16.	SHRI VIVEK KUMAR	B.SC., B.ED, MMS (FINANCE), CAIIB
17.	SHRI A. D. SRINIVAS	BCOM,CAIIB
18.	SHRI AMRIT KUMAR	MSC (AGRI), CAIIB
19.	SMT. NAMITA ROY SHARMA	M SC, LLB, CAIIB, DIM, LIMITED INSOLVENCY
20.	SHRI SANDEEP GULATI	B.COM, CAIIB, DIP. IN MGMT.
21.	SHRI J S SAWHNEY	M.SC,CAIIB
22.	SHRI V V NATRAJAN	B.SC, CAIIB, DIP.IN HRM, DIP. IN TRES & INVEST. RISK MGT
23.	SHRI SRINIVASA S RAO	B.A, MBA (FINANCE), CAIIB
24.	SHRI S K GUPTA	B.COM, MA, CAIIB
25.	SHRI VASTI VENKATESH	B.SC, MBA, CAIIB
26.	SHRI RAJESH KUMAR	M.SC (PHYSICS), (FINANCE), CAIIB
27.	SHRI B. B. MUTREJA	B.A, CAIIB
28.	SHRI T. S. BALACHANDRAN	B.SC (MATH), CAIIB, MBA (FINANCE)
29.	SHRI SOHAIL AHMAD	B.COM (HONS), CAIIB
	COMPANY SECRETARY	
30.	SHRI ANAND KUMAR DAS, COMPANY SECRETARY	FCS, LLB, B COM, CAIIB, CBCP

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कलम से

प्रिय हितधारको,

आशा है, आप सकुशल होंगे. मैं इस महामारी से उत्पन्न इस कठिन समय के दौरान आपकी सुरक्षा और कुशलता हेतु प्रार्थना करता हूँ.

वर्ष 2020 इतिहास में सबसे विनाशकारी वर्षों में से एक के रूप में माना जाएगा क्योंकि नॉवेल कोविड - 19 वायरस ने दुनिया भर में व्यापक तबाही मचाकर लाखों लोगों का जीवन और आजीविका समाप्त कर दी है. लॉकडाउन के आवश्यक उपायों और परस्पर शारीरिक दूरी के प्रतिबंधों से वैश्विक अर्थव्यवस्था में गतिरोध आ गया था.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की अप्रेल वर्ष 2021 की रिपोर्ट में वर्ष 2020 में (-) 3.3% के अनुमानित संकुचन की तुलना में वर्ष 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 6.0% की वृद्धि, तत्पश्चात वर्ष 2022 में 4.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. हालांकि, वर्ष 2021 में वैश्विक विकास असमान रहने की संभावना है. कम संक्रमण और तीव्र टीकाकरण के कारण जो देश पहले खुल सकते हैं, उनके तीव्र विकास की आशा है. आईएमएफ की अप्रैल 2021 की रिपोर्ट में वर्ष 2020 में (-) 4.7% के संकुचन की तुलना में वर्ष 2021 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के 5.1% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार द्वारा उठाए गए कई उपायों के कारण वर्ष 2021 में प्रभावशाली वृद्धि का अनुमान है. वर्ष 2020 में (-) 2.2% के अनुमानित संकुचन के बाद उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वर्ष 2021 में 6.7% बढ़ने का अनुमान है. वर्ष 2022 में, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के 5.0% बढ़ने का अनुमान है.

घरेलू मोर्चे पर, अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, कृषि के लचीलेपन एवं सकारात्मक वृद्धि के पश्चात भी वर्ष 2020-21 में वास्तविक जीडीपी में (-) 7.3% का संकुचन हुआ. खनन, विनिर्माण, निर्माण और कुछ अन्य सेवा क्षेत्रों में वर्ष 2020-21 में नकारात्मक वृद्धि देखी गई. तिमाही आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे महामारी से उबर रही है. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में (+) 0.5% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में (+) 1.6% बढ़ा है. हाँलाकि, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निजी अंतिम उपभोग व्यय वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में 58.3% की तुलना में वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 55.4% रहा. दूसरी ओर, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल अचल पूंजी निर्माण वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में 33.00% की तुलना में वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 34.3% बढ़ा है.

भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर ने सुधार की प्रक्रिया को विफल कर दिया क्योंकि कई राज्यों को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लगाने पड़े. जिसके कारण हमें वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में विकास धीमा रहने की आशा है. तदापि तीव्र टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ हमें आशा है कि आर्थिक गतिविधियां शीघ्र गति पकड़ेंगी.

भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं और "आत्मनिर्भर भारत" उस दिशा में एक ऐसा ही कदम है. "आत्मनिर्भर भारत" के माध्यम से, भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए विविध प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की और कई राहत उपाय उपलब्ध करवाए. "आत्मनिर्भर भारत" में एमएसएमई, स्ट्रीट वेंडर, कृषि, बुनियादी ढांचे आदि के लिए कई उपाय किए गए थे. अभी जून 2021 में, माननीय वित्त मंत्री ने महामारी से आर्थिक राहत प्रदान करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य को दृढ़ करने और विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने हेतु कई उपायों की घोषणा की है. इस दिशा में, माननीय वित्त मंत्री ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना, सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना, 5 लाख पर्यटकों को एक महीने का निशुल्क पर्यटक वीजा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार, वृहद स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के कार्यकाल के विस्तार आदि की घोषणा की है.

आपके बैंक ने कोविड-19 प्रेरित मंदी के विरूद्ध लड़ाई लड़ने के लिए कई उपाय किए हैं. बैंक सरकारी योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है और भविष्य में भी उत्साह के साथ ऐसा करता रहेगा. आपके बैंक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह उद्योग में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक के रूप में उभरे और सर्वोत्तम ग्राहक सेवाएं प्रदान करे. ईज़ 3.0 में आपके बैंक के स्कोर और प्रदर्शन में वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के बेसलाइन स्कोर की तुलना में काफ़ी सुधार हुआ है. आपके बैंक ने अपने कुछ पोर्टफोलियो को बाहरी बेंचमार्क यानी रेपो से सहबद्ध किया है जिससे ऋण विस्तार में सुधार हुआ है. बैंक डिजिटलीकरण के लिए विभिन्न पहल कर रहा है. हम अपने मानव संसाधनों का उपयोग उन्हें प्रौद्योगिकी के युग में समकालीन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए कर रहे हैं. ग्राहक केंद्रितता सदैव आपके बैंक का मुख्य उद्देश्य रहेगा. वर्तमान समय, हम सभी की परीक्षा ले रहा है लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इससे पार पा सकते हैं और आपके बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं तथा आगे चलकर कई और उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं. मेरा दृढ़ विश्वास है कि बैंक हर बिंदु पर हितधारकों के हितों को बनाए रखेगा और उद्योग में शीर्ष पर रहने के लिए अपने मूल उद्देश्यों को और दृढ़ करेगा.

बैंक का निष्पादन

व्यवसाय

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक का व्यवसाय वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹4,86,007 करोड़ की तुलना में वार्षिक आधार पर 4.30इ की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹5,06,886 करोड़ हो गया है. वित्त वर्ष 2020-21 में 5.17% की जमा वृद्धि और 2.71% की अग्रिम वृद्धि के साथ बैंक की व्यवसाय वृद्धि मजबूत बनी हुई है. बैंक की जमा राशि दिनांक 31 मार्च, 2020 में ₹3,13,763 करोड़ के प्रति ₹16210 करोड़ बढ़कर ₹3,29,973 करोड़ हो गई है. कुल जमा के प्रतिशत के रूप में कासा का हिस्सा 49.24% हो गया है जो 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 46.83% था. कुल अग्रिम 31 मार्च, 2020 में ₹1,72,244 करोड़ की तुलना में वार्षिक आधार पर 2.71% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2021 को ₹1,76,913 करोड़ रुपये हो गए हैं.

बैंक सदैव एक संतुलित आस्ति संमिश्र बनाए रखना चाहता है, जिसमें कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्र सम्मिलित हों, साथ ही आवास, शिक्षा और वाहन वित्त सहित अन्य खुदरा आस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया हो. उल्लेखनीय है कि बैंक के वाहन ऋण पोर्टफोलियो में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.22% की वृद्धि सहित एमएसएमई पोर्टफोलियो ने 10.62% की दोहरे अंकों की वृद्धि दर्शाई है. इसके अतिरिक्त, बैंक का रैम (खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई) तथा कॉर्पोरेट अग्रिमों का मिश्रण दिनांक 31 मार्च, 2020 को 63.73% की तुलना में बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2021 को 66.72% हो गया है. क्रमश: 10.62% एवं 5.19% की वृद्धि सहित एमएसएमई को अग्रिम ₹32356 करोड़ और कृषि को अग्रिम ₹36207 करोड़ रहा है.

वित्तीय निष्पादन

बैंक का परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2019-20 के ₹4,344 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹4,630 करोड़ रहा. बेहतर कार्यनिष्पादन सहित, पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹1,121 करोड़ की शुद्ध हानि वित्तीय वर्ष 2020-21 में घटकर ₹888 करोड़ रह गई है और वर्ष दर वर्ष आधार पर ₹1,529 करोड़ की शुद्ध हानि चौथी तिमाही में घटकर ₹1349 करोड़ रह गई है.

बैंक की शुद्ध ब्याज आय 2020-21 के दौरान ₹7,629 करोड़ से बढ़कर ₹8,245 करोड़ हो गई, जबकि गैर ब्याज आय 2019-20 के दौरान ₹3,637 करोड़ से घटकर ₹3,167 करोड़ हुई है. पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान शुद्ध ब्याज मार्जिन 2.78% ही रहा है. लागत आय अनुपात भी वित्तीय वर्ष 2019-20 के 61.44% में उल्लेखनीय सुधार सहित वित्तीय वर्ष 2020-21 में 59.43% हो गया. लागत जमा अनुपात भी वित्तीय वर्ष 2019-20 के 5.11% में उल्लेखनीय सुधार सहित वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4.35% हो गया.

आस्ति गुणवत्ता

एनपीए प्रबंधन पर बैंक के लगातार प्रयास और उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां प्राप्त करने से आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है. इसलिए दिनांक 31 मार्च, 2021 तक सकल एनपीए प्रतिशत घटकर 16.55% हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2020 को 18.92% था और दिनांक 31 मार्च, 2021 को शुद्ध एनपीए प्रतिशत भी घटकर 5.77% रह गया जो दिनांक 31 मार्च, 2020 को 7.63% था. बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात दिनांक 31.03.2021 के 77.29% से बढ़कर दिनांक 31.03.2021 को 82.54% हो गया, जिसने बैलेंस शीट को मजबूत किया है. हम 2021-22 के दौरान आईबीसी के तहत एनसीएलटी और बाह्य स्तर के माध्यम से कुछ बड़े एनपीए खातों के समाधान की आशा करते हैं. हम वर्ष 2021-22 के दौरान एनपीए वसूली को अधिकतम करने, आस्ति गुणवत्ता में सुधार और शुद्ध लाभ अर्जित करने के लिए गंभीर प्रयास जारी रखेंगे.

पूंजी

पूंजी से जोखिम आस्ति अनुपात - सीआरएआर (बेसल-III) दिनांक 31 मार्च, 2020 के 11.95% से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2021 में 14.81% हो गया. यह सितंबर 2020 में योग्य संस्थानों को आबंटन के माध्यम से ₹255 करोड़ की ताजा इक्विटी जुटाने एवं तत्पश्चात मार्च 2021 में भारत के राष्ट्रपति (भारत

सरकार) द्वारा ₹4800 करोड़ की पूंजी संचरण के फलस्वरूप हुआ. इसके पश्चात दिनांक 29.05.2021 को ₹17.11 (₹7.11 के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर 280,53,76,972 इक्विटी शेयरों के आबंटन के बाद भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) की शेयरधारिता 93.08% हो गयी है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और वित्तीय समावेशन

बैंक लगातार राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दे रहा है. विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अंतर्गत, अनिवार्य लक्ष्यों को, बैंक ने निम्नानुसार सफलतापूर्वक प्राप्त किया है: -

- कुल प्राथमिकता - मानक 40% के प्रति समायोजित निवल बैंक ऋण का 51.96%
- कृषि - मानक 18% के प्रति समायोजित निवल बैंक ऋण का 21.32%
- लघु एवं सीमांत किसान - मानक 8% के प्रति समायोजित निवल बैंक ऋण का 12.72%
- पिछड़ा वर्ग - मानक 10% के प्रति समायोजित निवल बैंक ऋण का 18.86%

बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में ₹22050 करोड़ मूल्य के पीएसएलसी की बिक्री की है. ये उपलब्धियां वास्तव में एक समावेशी राष्ट्र निर्माण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं.

बैंक समुचित वित्तीय उत्पादों की पेशकश, और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वित्तीय साक्षरता के एजेंडे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है.

बैंक ने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भी अच्छा निष्पादन किया है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत क्रमश: 17.49 लाख, 51.53 लाख और 12.32 लाख नामांकन किए गए हैं.

अखिल भारतीय उपस्थिति

31 मार्च, 2021 तक, बैंक के नेटवर्क में 4,608 शाखाएं, 3,644 एटीएम, 10 सेटेलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल है. अखिल भारतीय स्तर पर सभी 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 7 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 574 जिला मुख्यालयों तथा देश के 718 जिलों में से 638 जिलों में उपस्थिति बैंक की ताकत का स्रोत है.

डिजिटल बैंकिंग और वैकल्पिक वितरण चैनल

सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में, बैंक ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को पहचानता है और देश के युवा जनसांख्यिकीय आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है. तदनुसार, बैंक डिजिटल फुटप्रिंट और वैकल्पिक वितरण चैनलों पर जोर दे रहा है. इसके परिणामस्वरूप, वैकल्पिक वितरण चैनलों के माध्यम से डिजिटल लेनदेन का भाग वित्त वर्ष 2019-20 में 66.54% से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 77.63% हो गया है.

कर्मचारियों के लिए कोविड-19 राहत

हम अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की ताकत से कोविड - 19 महामारी से लड़ रहे हैं. हमारे बैंक के कर्मचारी इस विषम परिस्थिति में ग्राहकों की संतुष्टि हेतु अपनी सेवाएं देने के लिए दृढ़ परिश्रम कर रहे हैं. बैंक उन सभी कर्मचारियों की सराहना करता है जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपनी सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा यह आश्वासन देता है कि बैंक कर्मचारियों के बलिदान के अनुरूप उनका ध्यान रखेगा. प्रबंधन ने कोविड - 19 महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्टाफ सदस्यों को निम्नलिखित सुविधाओं का विस्तार किया था :-

- ब्याज मुक्त ऋण के रूप में, अधिकतम ₹1 लाख तक, एक महीने का सकल वेतन.
- लॉकडाउन अवधि (पहली लहर) के दौरान कार्यालय / शाखा में उपस्थित होने वाले प्रत्येक छह दिनों के लिए स्टाफ सदस्यों को एक दिन का विशेष अवकाश.
- लॉकडाउन के दौरान, गर्भवती महिला स्टाफ सदस्यों / कैंसर से पीड़ित स्टाफ सदस्यों के लिए घर से काम करने की सुविधा और दृष्टिबाधित स्टाफ सदस्यों और विकलांग स्टाफ सदस्यों को वेतन की हानि के बिना विशेष अवकाश की सुविधा.
- कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण प्राण गँवाने वाले स्टाफ सदस्य के विधिक उत्तराधिकारी को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹20.00 लाख की वित्तीय सहायता.
- सभी अधिकारियों को वर्तमान महामारी की स्थिति को देखते हुए फर्नीचर मद के तहत ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने की अनुमति दी गई है.

एमएसएमई लघु व्यवसाय / कार्पोरेट के लिए कोविड-19 राहत

बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली कठिनाईयों से एमएसएमई / लघु व्यवसाय / कार्पोरेट को बचाने के लिए एवं उन्हें सहयोग देने के लिए कई योजनाओं का विस्तार किया है.

दिनांक	योजना	विवरण
23.03.2020	कोविड-19 सहायता	आरबीआई नियामक पैकेज की घोषणा से ठीक पहले, दिनांक 23.03.2021 को बैंक ने एमएसएमई सहित पात्र उधारकर्ताओं के लिए डब्ल्यूसीटीएल के रूप में एफबीडब्ल्यूसी सीमा के 10% की अनुमति देने वाली ऋण योजना की घोषणा कर चुका है.
27.03.2020 17.04.2020 23.05.2020	आरबीआई नियामक पैकेज	(टीएल/डीएल में) 6 महीने (01.03.2020 से 31.08.2020 तक) ऋण स्थगन और (सीसी / ओडी में) ब्याज स्थगन की अनुमति / पात्र उधारकर्ताओं के लिए, बैंक ने निम्नानुसार मार्जिन को कम करके आहरण शक्ति की पुनर्गणना की अनुमति दी है: - o न्यूनतम मार्जिन 10% के अधीन स्टॉक और बुकडेट में 10% की कमी o देनदारों की अवधि 60 दिनों के लिए बढ़ाई, जिसके फलस्वरूप अधिकतम अवधि 270 दिन हो गई है एलसी के रूप में स्वीकृत एफबीडब्ल्यूसी सुविधा और एनएफबीडब्ल्यूसी सुविधा के बीच दोतरफा विनिमयता
28.04.2020	उदारीकृत कार्यशील पूंजी आकलन (एलडब्ल्यूसीए)	₹ 5 करोड़ तक की कार्यशील पूंजी सीमा के लिए, उदारीकृत कार्यशील पूंजी मूल्यांकन कम वित्तीय मानकों (सीआर 1:1, आईसीआर 1.25, एसीआर 1.25, डीईआर 4. ऋण / ईबीआईडीटीए की न्यूनतम शर्त के बिना) के साथ किया जाता है. यह आकलन अनुमानित वार्षिक कारोबार के 33 % पर किया जाएगा. ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा के लिए, ऊपर दिए गए कम मापदंडों के साथ, कार्यशील पूंजी सीमा का पारंपरिक विधि या नकद बजट पद्धति पर पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा.
20.08.2020	सीजीएसएसडी	तनावग्रस्त एमएसएमई इकाई (30.04.2020 को पुनर्गठित एसएमए 2 और एनपीए) के प्रमोटरों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए एमएसएमई इकाई (इक्विटी + ऋण) में उनकी हिस्सेदारी के 15% तक अधिकतम ₹ 75 लाख तक, इक्विटी / आभासी इक्विटी (पुनर्गठन के बाद) के रूप में सुविधा की सबऑर्डिनेट ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
01.06.2020	प्रमं स्वनिधि	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि - रेहड़ी-पटरी वालों को ₹ 10000/- तक का सम्पार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण
27.05.2020	सीजीईसीएल 1.0	₹50 करोड़ तक की कुल निधि आधारित (एफबी) सीमा, 60 दिनों की डीपीडी तक का लाभ लेने वाले उधारकर्ताओं हेतु अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के रूप में 48 महीने (12 महीने अधिस्थगन 3 वर्ष पुनर्भुगतान) हेतु डब्ल्यूसीटीएल के रूप में दिनांक 29.02.2020 तक सभी उधारदाताओं को संयुक्त निधि आधारित (एफबी) बकाया के 20% तक की अनुमति दी गई है - अधिकतम ₹ 10.0 करोड़ सीजीईसीएल 1.0 के तहत उधारकर्ता खातों के मामले में, जो रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क के तहत पुनर्गठन का विकल्प चुन रहे हैं, पात्र स्थगन 24 महीने तक और तदनुसार कार्यकाल के विस्तार की अनुमति दी जा सकती है. हालाँकि, अधिस्थगन के दौरान उधारकर्ता द्वारा जब और जैसे लगने वाले ब्याज को चुकाया जाना है.
03.12.2020	सीजीईसीएल 2.0	कामथ समिति तहत केवल 26 सेक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के ₹ 50 करोड़ से अधिक एवं ₹ 500 करोड़ तक की कुल निधि आधारित (एफबी) सीमा, 60 दिन डीपीडी तक का लाभ ले रहे सभी उधारदाताओं को 60 महीने (12 महीने अधिस्थगन 4 वर्ष पुनर्भुगतान) हेतु डब्ल्यूसीटीएल के रूप में, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के रूप में संयुक्त निधि आधारित (एफबी) बकाया के 20% तक, अनुमत किया गया है - अधिकतम राशि ₹ 100 करोड़
16.04.2021	सीजीईसीएल 3.0	आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, अवकाश और खेल क्षेत्र और नागरिक उदयन में व्यावसायिक उद्यम (31.05.2021 को जोड़ा गया) के सभी उधारदाताओं को दिनांक 29.02.2020 को 72 महीने (2 वर्ष अधिस्थगन 4 वर्ष पुनर्भुगतान) हेतु डब्ल्यूसीटीएल के रूप में, संयुक्त निधि आधारित (एफबी) बकाया के 40% तक अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के रूप में 60 दिन डीपीडी तक अधिकतम ₹ 200 करोड़ तक अनुमत किया गया है.
31.05.2021	सीजीईसीएल 4.0	तरल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्माण में सहबद्ध वर्तमान अस्पतालों, नर्सिंग होमों, क्लीनिकों, मेडिकल कॉलेजों / इकाइयों जिनका बैंक ऋण बकाया है और दिनांक 31.03.2021 को 90 दिनों तक की डीपीडी है को ₹ 2 करोड़ (एफबी या एनएफबी) तक की ऋण सुविधा. अधिस्थगन 6 महीने पुनर्भुगतान.

06.08.2020 07.05.2020	आर एफ 1.0	कोविड - 19 संबंधी दबाव हेतु रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क
05.05.2021	आर एफ 2.0	रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क - 2.0 : वैयक्तिक, लघु व्यवसाय एवं एमएसएमई के दबाव संबंधी कोविड-19 का रिजोल्यूशन

नयी पहल

एक व्यवसाय अत्यधिक दृढ़ परिश्रम, समर्पण और दृढ़ता का परिणाम होता है, हालांकि, इन्हें सरल बनाना और फिर आत्मसंतुष्टता को आगे बढ़ने देना पर्याप्त नहीं होता है. संचालन को जारी रखने और उत्पाद एवं सेवाओं की ताजगी बनाए रखने हेतु नवीन विचारों के साथ आने की क्षमता, सफल व्यवसाय की कुंजी होती है. इन विचारों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ नई पहल प्रारम्भ की हैं जो इस प्रकार है :-

- 'सीपीएसी' का कार्यान्वयन – संवितरण पूर्व ऋण समीक्षा विधि - शाखाओं को पूर्व-संवितरण अनुमोदन के लिए क्रेडिट प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल सेंटर' क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार करने में सहयोग और फील्ड स्टाफ को भय रहित क्रेडिट निर्णय लेने में सहयोग करने का काम करेंगे.
- प्रबंधन दृष्टिकोण विपरीत पिरामिड के रूप में होगा, जिसके शीर्ष भाग में शाखाएं होंगी, जिन्हें आधार भाग से केंद्रीय कार्यालय / आंचलिक कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सहयोग दिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि केंद्रीय कार्यालय / आंचलिक कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय, शाखाओं के अस्तित्व एवं परिचालन का समर्थन करेंगे तथा व्यवसाय वृद्धि हेतु एक सक्षम वातावरण प्रदान करेंगे.
- कार्य निष्पादकों की पहचान हेतु शीर्ष प्रबंधन क्लब गठित करने के माध्यम से पुरस्कार योजना प्रारम्भ की जाएगी.
- प्रशिक्षण केंद्र की प्रदाता के रूप में सुव्यवस्था - "ब्रांड सेंट्रल" – अर्थात सभी श्रेणियों के कर्मचारियों हेतु एक विशिष्ट पहचान
- वर्तमान निष्ठावान ग्राहकों से संपर्क कर "सेंट्रल कनेक्ट" थीम के साथ विशेष अभियान.
- दिनांक 14.05.2021 को बैंक की वेबसाइट को पूर्णत: नये कलेवर, शीतल रंगों और नवीन विशेषताओं सहित आकर्षक बनाया गया है.

भावी पथ

पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में बैंक की बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के साथ प्रबंधन द्वारा की गई परिवर्तन पहल का प्रभाव दिखाई दे रहा है. हम प्रतिबंधों और वाणिज्यिक प्रतिबंधों में राहत सहित चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही तक पूर्ण उत्साह के साथ पुन: आरंभ कर इसके सही हो जाने की आशा कर रहे हैं.

मैं बोर्ड के सभी सदस्यों को हमारे प्रयासों में प्रबंधन को उनके बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और सूचनाओं हेतु धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को भी समय-समय पर उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं.

मैं दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता हूँ.

शुभकामनाओं सहित,

सादर,
हस्ताक्षर/-
एम वी राव

स्थान : मुंबई
दिनांक : 15 जुलाई, 2021

सूचना

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 14वीं (चौदहवीं) वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार दिनांक 10 अगस्त, 2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे, चंदरमुखी नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय (बैठक का प्रस्तावित स्थल) में विडिओ कॉन्फरंस (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम से (ओएवीएम) निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

1) दिनांक 31 मार्च 2021को बैंक का लेखापरीक्षित स्टैन्ड अलोन एवं समेकित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का स्टैन्ड अलोन एवं समेकित लाभ-हानि खाता, खातों की इस अवधि में बैंक के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन करना तथा इन्हें स्वीकार करना.

2) दिनांक 31.03.2021 के अनुरूप संचित हानि को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजन करना

निम्नलिखित पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन (नों) सहित या रहित के पारित करना:

''प्रस्तावित किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) की धारा 3 (2बीबीए), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 17(2), वित्तीय सेवा विभाग राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-23032020-218862 (एसओ 1200 ई) दिनांक 23.03.2020 के माध्यम से संशोधन के अनुरूप, किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) संशोधन योजना 2020 के रूप में संदर्भित, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकरणों जो इस संबंध में आवश्यक हों, के अनुमोदन के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति से एवं एतदद्वारा प्रदान करने से बैंक की 1,87,24,21,73,828.20 रुपये (अठारह हजार सात सौ चौबीस करोड़ इक्कीस लाख तिहत्तर हजार आठ सौ अट्ठाईस और पैसे बीस मात्र) की संचित हानि को सेट ऑफ दिनांक 31.03.2021 को बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में जमा शेष राशि का उपयोग करके और उसको चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान खाते से लेकर समायोजन:

''आगे यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों और इसके द्वारा संकल्प को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किन्हीं भी प्रश्नों, कठिनाइयों या शंकाओं का समाधान, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है.''

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्त/-

स्थान : मुम्बई
(आनंद कुमार दास)

दिनांक : 15.07.2021
उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव

नोट:

1. **व्याख्यात्मक विवरणी**

बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं.

2. **विडिओ कॉन्फरंस (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन**

i. कोविड-19, महामारी के जारी रहने के कारण, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 सहपठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के माध्यम से एम सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी या ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है. इन एमसीए परिपत्रों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, बैंक के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है.

ii. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स), विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते / सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है. चूंकि यह वार्षिक सामान्य बैठक ''एमसीए परिपत्र'' के अनुरूप विडिओ कॉन्फरंस (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से आयोजित की जा रही है, सदस्य का भौतिक रूप से उपस्थित रहना समाप्त किया गया है. तद्नुसार, सदस्यों को प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा इस वार्षिक सामान्य बैठक के लिए उपलब्ध नहीं है, अत: प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं.

iii. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की किसी बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति बैंक को investors@centralbank.co.in पर ई-मेल के माध्यम से बैठक की नियत तारीख से न्यूनतम चार दिन पूर्व अर्थात गुरुवार, दिनांक 05 अगस्त, 2021 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक न भेजी जाए.

iv. बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को किसी शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

v. **ई-मेल आईडी और बैंक खाता विवरणों का पंजीकरण :**

यदि खाताधारक का ई-मेल आईडी पहले ही बैंक / उसका पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट ''आरटीए'' / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है तो ई-वोटिंग के लॉग-इन विवरण उस पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे.

यदि खाताधारक ने अपना ई-मेल आईडी बैंक / उसका रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ''आरटीए'' / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं किया है अथवा लाभांश, यदि भविष्य में घोषित किया जाता है, की प्राप्ति के लिए बैंक खाता अधिदेश अद्यतन नहीं किया है, तो निम्न अनुदेशों का पालन करें:

(i) कृपया हमारा आरटीए, लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर इन्वेस्टर सर्विसेस ई-मेल / बैंक डिटेल रजिस्ट्रेशन पर लॉग-इन करें. विवरण भरें और आवश्यक कागज़ात अपलोड कर, सबमिट करें. **अथवा**

(ii) **यदि शेयर डीमेट स्वरूप में रखें गये हैं:**

शेयरधारक कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपंट ("डीपी") से संपर्क करें और डीपी में प्रचलित और उनके द्वारा सूचित पद्धति के अनुसार डीमेट खाते में ई-मेल आईडी और बैंक खाता विवरण पंजीकृत करें.

vi. उक्त वर्णित एमसीए परिपत्रों तथा सेबी द्वारा दिनांक 12 मई, 2020 को जारी परिपत्र (यथा संशोधित, यदि कोई हो) के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना सिर्फ इलेक्ट्रानिक पद्धति से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके -मेल आईडी बैंक / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं. सदस्य नोट करें कि वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर इन्वेस्टर रिलेशन्स लिंक के अंतर्गत, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. तथा बीएसई लिमिटेड इन स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं. सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक में सिर्फ वीसी/ ओएवीएम सुविधा से ही उपस्थिति और सहभागिता कर सकते हैं.

vii. ई-वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक से जुड़ने के लिए निम्न अनुदेश हैं:

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहने वाले शेयरधारक /सदस्यों के लिए अनुदेश:

1) शेयरधारक / सदस्य लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. द्वारा प्रदत्त वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहने हेतु निम्न प्रक्रिया करने के बाद पात्र होंगे. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक से जुड़ने की सुविधा वार्षिक सामान्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनिट पूर्व खुल जायेगी और सदस्यों को "पहले आयें, पहले पायें" के आधार पर उपलब्ध होगी.

शेयरधारक/सदस्यों से अनुरोध है कि वीसी / ओएवीएम के माध्यम से सहभागिता सीमित होने के कारण ''पहले आयें पहले पायें'' के आधार पर सहभागिता करें और यह सुविधा वार्षिक सामान्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनिट पश्चात बंद की जायेगी. 2% से अधिक शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक / सदस्य, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, केएमपी, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रामिक समिति, स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष तथा लेखापरीक्षक आदि को बैठक में ''पहले आयें, पहले पायें'' के प्रतिबंध के बिना अनुमति दी जाएगी. सदस्य बैठक के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनिट पूर्व लॉग-इन कर बैठक में जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए विन्डो निर्धारित समय के पश्चात 15 (पंद्रह) मिनिट तक खुली रहेगी. सहभागिता सिर्फ 2500 सदस्यों तक ही सीमित हैं.

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहने हेतु शेयरधारक / सदस्यों को 'इन्स्टामीट' सुविधा प्रदान की जाएगी. जिसमें शेयरधारक / सदस्यों को निम्नानुसार अपने विवरण पंजीकृत कर बैठक में उपस्थित रहना होगा:

1. इंटरनेट ब्राउज़र खोलकर, इन्स्टामीट के लिए यूआरएल <<https://instameet.linkintime.co.in>> डालें और निम्न विवरण पंजीकृत करें:

   ए. डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी अथवा लाभार्थी आईडी अथवा फोलियो नं.: आपका बैंक के साथ पंजीकृत 16 आंकड़ों वाला डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी अथवा लाभार्थी आईडी अथवा फोलियो नं. प्रविष्ट करें.

   बी. पैन : आपका 10 डिजिट का स्थायी खाता नंबर प्रविष्ट करें.

   सी. मोबाइल नंबर.

   डी. ई-मेल आईडी

2. ''गो टू मिटिंग'' पर क्लिक करें.

नोट :

बेहतर अनुभव के लिए शेयरधारकों/सदस्यों से अनुरोध है कि ब्राडबैड से जुड़े टेबलेट / लैपटॉप के माध्यम से बैठक में जुड़े.

बैठक के दौरान अवरोध टालने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों को अच्छी स्पीड (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाऊनलोड स्ट्रीम) के इंटरनेट का प्रयोग करना चाहिए.

कृपया ध्यान दें कि मोबाईल हॉट स्पॉट के जरिए मोबाईल / टेबलेट/ लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले शेयरधारकों/सदस्यों को नेटवर्क उतार-चढ़ाव के कारण दृश्य-श्रव्य में व्यवधान हो सकता है. अत: उक्त खामियों को दूर करने हेतु स्थिर वाई-फाय अथवा लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है.

यदि शेयरधारकों / सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कुछ प्रश्न या समस्या है तो आप instameet@linkintime.co.in पर ई-मेल करें अथवा टेलीफोन 022-4918 6175 पर कॉल करें.

वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान वक्ता के **रूप** में पंजीकरण **चाहने** वाले शेयरधारकों / सदस्यों के लिए अनुदेश :

बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने वाले शेयरधारक / सदस्य स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करने के लिए अपना अनुरोध ई-मेल smmbd@centralbank.co.in पर दिनांक 05.08.2021 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनांक 07.08.2021 को सायं 5.00 बजे तक अपने नाम, डीमेट खाता नंबर / फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर के साथ भेजें.

बैठक के दौरान वक्ताओं को "पहले आयें पहले पायें" के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.

बैठक के लिए उपस्थिति दर्ज करने के बाद शेयरधारकों को ''वक्ता क्रमांक'' प्राप्त होगा. अन्य शेयरधारक बैठक के दौरान सक्रिय चैट-बोर्ड के माध्यम से पैनलिस्ट से प्रश्न पूछ सकते हैं. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वक्ता क्रमांक याद रखें और डिवाइस के वीडियो मोड और ऑडियो को चालू करके पैनलिस्ट के साथ बातचीत शुरू करें. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे तभी बोलें जब बैठक / प्रबंधन का मॉडरेटर बोलने के लिए नाम और क्रमांक की घोषणा करेगा.

शेयरधारक / सदस्य, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना प्रश्न पहले ही ई-मेल investors@centralbank.co.in पर अपने नाम, डीमेट खाता नंबर / फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर के साथ भेजें. उसका जवाब बैंक द्वारा उचित प्रकार से दिया जाएगा.

नोट :

बैठक के दौरान, सिर्फ वक्ता के रूप में पंजीकृत शेयरधारकों / सदस्यों को ही अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी. बैंक वार्षिक सामान्य बैठक हेतु उपलब्ध समय के अनुसार वक्ताओं की संख्या सीमित रखने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है.

बैठक के दौरान अवरोध टालने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों को कैमेरा और अच्छी स्पीड (अधिमानतः 2 एमबीपीएस डाऊनलोड स्ट्रीम) के इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति है.

वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान इन्स्टामीट के माध्यम से वोट करने हेतु शेयरधारकों/सदस्यों को अनुदेश :

बैठक के दौरान जब संचालक द्वारा इलेक्ट्रानिक मतदान प्रक्रिया सक्रिय की जाएगी तब जिन शेयरधारकों / सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है वे निम्नानुसार अपना वोट दे सकेंगे :

1. शेयरहोल्डर्स वीसी पेज पर ई-वोटिंग के लिए ''कास्ट यूवर वोट'' लिंक पर ई-वोटिंग के लिए क्लिक करें.
2. डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या और ''इन्स्टामीट'' के पंजीकरण के दौरान (पंजीकृत मोबाइल नंबर / पंजीकृत ई-मेल आईडी पर प्राप्त) ओटीपी प्रविष्ट करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें.
3. सफल (सक्सेसफुल) लॉगिन के पश्चात आपको मतदान करने के लिए "रिजोल्युशन डिस्क्रीप्शन" और उसके सामने ''फेवर/ अगेन्स्ट'' का विकल्प दिखायी देगा.
4. अपने इच्छित विकल्प अर्थात ''फेवर/ अगेन्स्ट'' का चयन कर अपना वोट दें. नियत (कट ऑफ) तारीख पर शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाती है) ''फेवर/अगेन्स्ट'' में प्रविष्ट करें.
5. आपके निर्णय के अनुसार "फेवर/ अगेन्स्ट" में से उचित विकल्प का चयन करने पर 'सेव' क्लिक करें. तब एक ''कन्फरमेंशन बॉक्स'' प्रदर्शित होगा. अगर आप अपने वोटों की पुष्टि करना चाहते है, तो ''कन्फर्म'' पर क्लिक करें, अगर परिवर्तन करना चाहते है तो ''बैक'' पर क्लिक कर, अपने वोट में सुधार करें.
6. कन्फर्म पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात, अपने वोट में परिवर्तन अथवा सुधार करना संभव नहीं होगा.

नोट :

''इन्स्टामीट'' सुविधा के जरिए वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में जो शेयरधारक / सदस्य उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने संकल्प पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और जो अन्यथा ऐसा करने के लिए वर्जित नहीं हैं, वे बैठक के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट देने हेतु पात्र होंगे.

वार्षिक सामान्य बैठक से पूर्व जिन शेयरधारकों / सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट दिया हैं, वे वार्षिक सामान्य बैठक में इन्स्टामीट सुविधा के जरिए वीसी / ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित रहने / सहभागिता करने हेतु पात्र होंगे. तथापि, वे बैठक के दौरान पुन: वोट देने हेतु पात्र नहीं होंगे.

यदि शेयरधारकों / सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कुछ प्रश्न या समस्या है तो आप instameet@linkintime.co.in पर ई-मेल करें अथवा टेलीफोन 022-4918 6175 पर कॉल करें.

3. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (सूचीबद्ध प्रकटीकरण एवं अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 44 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 यथा संशोधित के नियम 20 तथा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुपालन में, बैंक, वैकल्पिक माध्यम के तौर पर रिमोट ई वोटिग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. बैंक द्वारा लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, दिनांक 07 अगस्त, 2021 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से सोमवार, दिनांक 09 अगस्त, 2021 को सायं 5.00 बजे तक है. इस अवधि के दौरान नियत (कट ऑफ) तारीख अर्थात मंगलवार, दिनांक 03 अगस्त, 2021 को भौतिक रूप से या डीमेट रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक अपने वोट इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकते हैं. तत्पश्चात, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की यह सुविधा बंद की जाएगी.

I. डीमैट रूप / भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और लॉगिन पद्धति के लिए प्रक्रिया और निर्देश नीचे दिए गए हैं:

❖ डीमैट रूप / भौतिक रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन नीचे दिया गया है: -

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	• यदि शेयरधारक पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत है, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट देखें. पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें. इस पर ई-सेवाओं का मुख पृष्ठ खुलने के बाद, ''लॉगिन'' के अंतर्गत ''बेनिफिशियल ओनर'' आइकन पर क्लिक करें, जो 'आइडीएएस' सेक्शन पर उपलब्ध है. तब एक नई स्क्रीन खुलेगी. तब शेयरधारक को आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा. • सफल प्रमाणीकरण के बाद, शेयरधारक ई-वोटिंग सेवाओं को देख सकेंगे. ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करने पर ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे. बैंक के नाम या लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें और शेयरधारक को ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा. • यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तब पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है. ''आईडीईएएस'' पोर्टल पर या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करके ऑनलाइन पंजीकरण करें. • एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं. पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें. इस पर ई-सेवाओं का मुख पृष्ठ खुलने के बाद, "लॉगिन" के अंतर्गत ''शेयरधारक / सदस्य'' आइकन पर क्लिक करें, तब एक नई स्क्रीन खुलेगी. तब शेयरधारक को आपकी यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड / ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा. सफल प्रमाणीकरण के बाद, शेयरधारक को एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर निर्देशित किया जाएगा, जहां वह ई-वोटिंग पेज देख सकता है. बैंक या लिंक इनटाइम के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल में सम्मिलित होने एवं बैठक के दौरान वोट करने के लिए वह ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट यानी https://instavote.linkintime.co.in पर निर्देशित किया जाएगा.
सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	• विद्यमान उपयोगकर्ता जिन्होंने ईज़ी/ईज़ीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं. बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा. ईजी / ईज़ीएस्ट में लागिन करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है और नए सिस्टम myeasi पर क्लिक करें. • ईज़ी / ईज़ीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख सकेगा. मेन्यू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी लिंक इनटाइम के लिंक होंगे. अपना वोट डालने के लिए लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें. • यदि उपयोगकर्ता ईज़ी / ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi./Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है. • वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com मुख पृष्ठ पर एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं. सिस्टम डीमैट खाते में पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा. सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई वोटिंग चल रही है.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक) और अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करें	• शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं. • लॉगिन करने के बाद, शेयरधारक ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे. एक बार जब वह ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करता है, तो उसे सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां वह ई-वोटिंग सुविधा देख सकता है. बैंक के नाम या लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए उन्हें ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर निर्देशित किया जाएगा.
भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और यूआरएल https://instavote.linkintime.co.in पर जाएँ. ► "शेयर धारक'' टैब के अंतर्गत ''साइन अप'' पर क्लिक करें और अपने निम्नलिखित विवरण के साथ पंजीकरण करें: - ए. यूजर आईडी: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक / सदस्य, कंपनी के साथ पंजीकृत इवेंट नंबर + फोलियो नंबर प्रदान करेंगे. बी. पैन: अपना 10-अंकीय स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करें (जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) / कंपनी के साथ अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, आपको प्रदान की गई अनुक्रम संख्या यदि लागू हो का उपयोग करेंगे. सी. जन्मतिथि / निगमन तिथि: जन्म तिथि / निगमन तिथि प्रविष्ट करें (जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के साथ दर्ज किया गया है - तिथि / माह / वर्ष प्रारूप में) डी. बैंक खाता संख्या: अपनी बैंक खाता संख्या (अंतिम चार अंक) प्रविष्ट करें, जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के पास प्रविष्ट है. • भौतिक रूप में शेयर रखने वाले लेकिन 'सी' और 'डी' दर्ज नहीं किए गए शेयरधारक / सदस्य, ऊपर 'डी' में अपना फोलियो नंबर प्रदान करेंगे. ► अपनी पसंद का पासवर्ड सेट करें (पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर, कम से कम एक विशेष वर्ण (@!#$&*), कम से कम एक अंक, कम से कम एक अक्षर और कम से कम एक बड़े अक्षर का होना चाहिए. ► ''पुष्टि करें'' पर क्लिक करें (आपका पासवर्ड अब तैयार हो गया है). 2. 'शेयर धारक' टैब के अंतर्गत 'लॉगिन' पर क्लिक करें. 3. अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और इमेज वेरिफिकेशन (कैप्चा) कोड दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें. 4. सफल लॉगिन के बाद आप ई-वोटिंग का नोटिफिकेशन देख पाएंगे? 'व्यू' आइकन चुनें. 5. ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा. 6. संकल्प विवरण देखें और अपने वांछित विकल्प 'पक्ष / विरुद्ध' का चयन करके अपना वोट दें (यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'रिज़ॉल्यूशन देखें' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें). 7. वांछित विकल्प यानी पक्ष / विपक्ष का चयन करने के बाद, 9सबमिट" पर क्लिक करें. एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'हां' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, 'नहीं' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.

यदि भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक पासवर्ड भूल गए हैं:

- 'शेयर होल्डर' टैब के अंतर्गत 'लॉगिन' पर क्लिक करें और आगे 'पासवर्ड भूल गए?' पर क्लिक करें.
- उपयोगकर्ता आईडी दर्ज करें, मोड चुनें और छवि सत्यापन कोड (कैप्चा) दर्ज करें. ''सबमिट'' पर क्लिक करें.

  यदि शेयरधारक के पास वैध ई-मेल पता है, तो पासवर्ड शेयरधारक के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा. अन्यथा, शेयरधारक सुरक्षा प्रश्न और उत्तर, पैन, जन्म तिथि / डीओआई, लाभांश बैंक विवरण आदि के विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करके अपनी पसंद का पासवर्ड सेट कर सकता है और पुष्टि कर सकता है. (पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर, कम से कम एक विशेष वर्ण (@!#$&*), कम से कम एक अंक, कम से कम एक अक्षर और कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए)

  नोट:

  भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर मतदान के लिए किया जा सकता है.

  यह दृढ़ अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.

  एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक पासवर्ड भूल गए हैं:

  शेयरधारक / सदस्य जो यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त डिपॉजिटरी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें.

❖ अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप में दें

1. सफल लॉग-इन के पश्चात, इन्स्टा वोट के होम पेज पर आपको ई-वोटिंग का नोटिफिकेशन दिखायी देगा. वोट देने के लिए बैंक का ''इवेन्ट नंबर'' चयन करें या देखें (सिलेक्ट/व्यू).
2. वोटिंग पेज पर आपको ''रिजोल्युशन डिस्क्रीपशन'' दिखायी देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए ''फेवर/अगेन्स्ट'' का विकल्प दिखायी देगा. उचित विकल्प अर्थात् इच्छानुसार ''फेवर/अगेन्स्ट'' का चयन कर अपना वोट दें.

   कट ऑफ तारीख पर शेयर की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाती है) ''फेवर/ अगेन्स्ट'' में प्रविष्ट करें. आप ''अलग रहना (अबस्टेन)'' के विकल्प का भी चयन कर सकते है, तो धारित शेयर्स ''फेवर/ अगेन्स्ट'' के लिए नहीं गिने जायेगें.
3. यदि आप पूरा संकल्प विवरण देखना चाहते है, तो ''व्यू रिज़ोल्यूशन'' फाइल लिंक पर क्लिक करें.
4. ''फेवर/ अगेन्स्ट'' में से उचित विकल्प का चयन करने पर आपने वोट देने का निर्णय लिया है तो 'सबमिट' पर क्लिक करें. एक ''कन्फरमेंशन बॉक्स'' दिखेगा. अगर आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते है, तो ''हां (यस)'' पर क्लिक करें, अगर परिवर्तन करना चाहते है तो ''नहीं (नो)'' पर क्लिक कर, अपने वोट में संशोधन करें.
5. एक बार संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात अपने वोट में परिवर्तन अथवा सुधार करना संभव नहीं है.
6. आप वोटिंग पृष्ठ पर ''प्रिंट'' विकल्प का चयन कर, अपने दिये गये वोट का 'प्रिंट आउट' भी ले सकते हैं.

❖ संस्थागत शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिकों के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) एवं अभिरक्षक को एलआईआईपीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में https://instavote.linkintime.co.in पर लॉगिन कर अपने आपको ''अभिरक्षक (कस्टोडियन) / म्युच्युअल फंड / कॉर्पोरेट निकाय'' के तौर पर पंजीकृत करना होगा.

  उन्हें बोर्ड का संकल्प / प्राधिकार पत्र/ मुख्तारनामा आदि की स्कैन की गयी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि, साथ ही विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर, पीडीएफ प्रारूप में ''अभिरक्षक (कस्टोडियन) / म्युच्युअल फंड / कॉर्पोरेट निकाय'' लॉग-इन में अपलोड करने होगें, ताकि जांचकर्ता (स्क्रूटिनाइज़र) उसे सत्यापित कर सकें.

❖ शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- वोटिंग अवधि के दौरान शेयरधारक उस विशिष्ट इवेंट के लिए संकल्प(ल्पों) हेतु वोट करने तक कई बार लॉगिन कर सकते हैं.
- विभिन्न फोलियों / डीमेट खाता रखनेवाले शेयरधारक, प्रत्येक फोलियो / डीमेट खाते के लिए स्वतंत्र रूप से वोटिंग प्रक्रिया को चुन सकते हैं.

- डीमैट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क:

  यदि शेयरधारकों / सदस्यों के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने के लिए डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल / सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन करने से संबंधित कोई तकनीकी समस्या है, तो वे नीचे दिए गए संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं.
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 23058738 या 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं.

- यदि शेयरधारक / सदस्य भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को धारण करते हैं / संस्थागत शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो कृपया https://instavote पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यू'') और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें. linkintime.co.in, हेल्प सेक्शन के तहत या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल लिखें या हमें कॉल करें:- दूरभाष: 022 - 49186000

II. **शेयरोंधारकों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख अर्थात् मंगलवार, दिनांक. 3 अगस्त,** 2021 **को बैंक की** चुकता **इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे. तथापि,बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम,** 1970 **की धारा** 3(2ई) **के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को** छोड़कर, **बैंक का अन्य कोई भी शेयरधारक उसके धारित शेयरों के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक, वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.**

III. ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात **मंगलवार, दिनांक. 3 अगस्त,** 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में रिकार्ड किया गया है, सिर्फ वह रिमोर्ट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा के लिए पात्र होगा.

IV. **ऐसा व्यक्ति, जो बैठक की सूचना ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने के पश्चात बैंक का सदस्य बना हो तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, दिनांक. 3 अगस्त,** 2021 **को शेयर धारण करता हो, उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार** यूजर **आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है.**

V. **इस सूचना की प्रति, बैंक की वेबसाइट एवं लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है.**

VI. **रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु, एस. एन अनंथसुब्रमनियन एंड कंपनी को जांचकर्ता के** रूप **में नियुक्त किया गया है.**

VII. जांचकर्ता ई-वोटिंग अवधि के समापन से दो (2) कार्य दिवसों की अधिकतम अवधि के भीतर कम से कम दो (2) गवाहों की उपस्थिति में वोटों को अनब्लॉक करेगा जो बैंक के रोजगार में नहीं हैं और जांचकर्ता की रिपोर्ट चाहे वह पक्ष में अथवा विरूद्ध, जैसी भी हो, तैयार कर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जायेगी.

VIII. **जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वेबसाइट** www.centralbankofindia.co.in **एवं लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में संकल्प परित करने के दो (2) दिनों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे.**

4. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 07 अगस्त, 2021 (शनिवार) से दिनांक 10 अगस्त, 2021 (मंगलवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेंगी.

5. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सदृश नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के सम्बंध में, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हक़दार नहीं होगा / होगी.

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसारकेन्द्र सरकार से भिन्न, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रुप में पंजीकृत है, अपना हाथ दिखाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा.

6. बैठक का परिणाम:

इस संकल्प को एजीएम की तारीख को बैंक के प्रधान कार्यालय में संकल्प के पक्ष में अपेक्षित संख्या में मतों की प्राप्ति के अधीन पारित माना जाएगा

7. बैठक का अभिलेख / कार्यवृत्त:

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित एजीएम का कार्यवृत्त यथाशीघ्र निवेशक संबंध अनुभाग के तहत बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध कराया जाएगा.

8. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा. अत: यदि शेयर्स संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने का हकदार होगा.

9. शेयरधारक बैठक के लिए वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट से भी देख सकते हैं.

10. भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अत: शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें. आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा, जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं. बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है. शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागज रहित लेन-देन आदि. साथ ही, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, भले ही आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों.

11. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश वारंट नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या दूसरा (डुप्लीकेट) लाभांश वारंट /मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा.

व्याख्यात्मक विवरणी

दिनांक 31.03.2021 को बैंक की संचित हानि का समायोजन शेयर प्रीमियम से करना

(i) बैंक दिनांक 31.03.2021 को रुपये 1,87,24,21,73,828.20 (अठारह हजार सात सौ चौबीस करोड़ इक्कीस लाख तिहत्तर हजार आठ सौ अट्ठाईस और पैसे बीस) बैंक की संचित हानि को सेट ऑफ की तारीख को बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में जमा शेष राशि का उपयोग करके बंद करने का प्रस्ताव करता है तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान शेयर प्रीमियम खाता शेष कम हो जाएगा.

(ii) उपरोक्त प्रस्तावित शेयर प्रीमियम कटौती का प्रभाव, यदि स्वीकृत और अंतिम रूप दिया जाता है, तो दिनांक 31.03.2021 को ₹ 1,87,24,21,73,828.20, की संचित हानियां, को तदनुसार सेट ऑफ कर दिया जाएगा.

(iii) बैंक का विचार है कि वर्तमान परिदृश्य में बैंक के लिए उपलब्ध यह सबसे व्यावहारिक और आर्थिक रूप से कुशल विकल्प है ताकि बैंक की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके.

(iv) बैंक अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होगा जिससे शेयरधारकों को लाभ होगा क्योंकि उनकी होल्डिंग से बेहतर मूल्य मिलेगा और एक उचित समय सीमा के भीतर लागू प्रावधानों के अनुसार बैंक को लाभांश भुगतान के रूप में बैंक के शेयरधारकों के लाभ के अवसरों का पता लगाने में भी सक्षम होगा. यह प्रस्ताव समयबद्ध तरीके से अपनी टर्नअराउंड योजनाओं को प्राप्त करने के लिए बैंक को बेहतर स्थिति में लाएगा.

(v) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 किसी भी चुकता पूंजी जिसकी हानि हो जाती हैं, या उपलब्ध संपत्तियों से समर्थित नहीं होती हैं को रद्द करके अपनी चुकता पूंजी को कम करने का प्रावधान करता है, और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) संशोधन योजना, 2020) के रूप में संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 एक राष्ट्रीयकृत बैंक को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के संदर्भ सहित चुकता पूंजी की कमी के लिए समान प्रक्रिया का पालन करके अपने शेयर प्रीमियम खाते से किसी भी राशि को विनियोजित करने की अनुमति देता है.

(vi) चूंकि संचित हानियों को समायोजित करने के उद्देश्य से बैंक के शेयर प्रीमियम खाते के प्रस्तावित उपयोग को पूंजी में कमी माना जाएगा, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2 बीबीए) के प्रावधानों के अनुसार एक विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जा रहा है.

(vii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(2) में यह प्रावधान है कि जहां बैंक शेयर प्रीमियम खाते से किसी राशि या राशियों का विनियोग करता है, वह इस तरह के विनियोग की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर ऐसे विनियोग से संबंधित परिस्थितियों की व्याख्या करते हुए इस तथ्य की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को करेगा. बैंक निर्धारित समयावधि के भीतर इस अपेक्षा का अनुपालन करेगा.

(viii) शेयर प्रीमियम खाते में कमी, जिसमें शेयर प्रीमियम खाते में जमा राशि को कम करके पी एंड एल खाते में डेबिट शेष को शामिल करना शामिल है, बैंक द्वारा अपने शेयरधारकों के किसी भी विचार का निर्वहन नहीं करता है. तदनुसार, शेयर प्रीमियम खाते में कमी के बाद बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न अपरिवर्तित रहेगा. शेयरों की बुक वैल्यू भी अपरिवर्तित रहेगी.

(ix) इससे शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है. निदेशक मंडल ने 15.07.2021 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में शेयर प्रीमियम खाते के उपयोग के उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

आपके निदेशकगण इस कार्यसूची की सूचना में यथा-उल्लेखित विशेष प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करते हैं.

बैंक के निदेशकगण को बैंक में उनकी वैयक्तिक क्षमता में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक इस संकल्प हेतु सम्बद्ध एवं इच्छुक माना जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ताक्षर/-

स्थान : मुम्बई
(आनंद कुमार दास)
दिनांक : 15.07.2021
उप महाप्रबंधक कंपनी सचिव

कुल व्यवसाय

(₹ करोड़ में)

मद	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 21
कुल व्यवसाय	269225	310763	346898	402272	423390	450539	456336	449679	472323	467584	4,86,007	5,06,886
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%	(1.00%)	3.94%	4.30
कुल जमा	162107	179356	196173	226038	240069	255572	266184	296671	294839	299855	3,13,763	3,29,973
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)	1.70%	4.63%	5.17
कुल ऋण एवं अग्रिम	1,07,118	1,31,407	1,50,725	176234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484	1,67,729	1,72,244	1,76,913
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%	(5.50%)	2.69%	2.71%
निवेश	52,008	54847	59577	72662	86384	95655	89895	93792	105295	129219	147,358	1,53,820
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%	22.72%	14.03%	4.39%
सीडी अनुपात	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29%	71.44%	51.57%	60.20%	55.94%	54.90%	53.61
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)	(1.70%)	(0.35%)	(0.26%)

लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

मद	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16	मार्च 17	मार्च 18	मार्च 19	मार्च 20	मार्च 21
सकल आय	13,799	16,486	20,454	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659	25,052	27.200	25,987
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)	(6.03%)	8.57%	(4.79%)
सकल व्यय	11741	13895	17730	20355	23112	24744	25183	24448	23926	21925	22.856	21,287
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)	(8.36%)	4.25%	(6.95%)
परिचालन लाभ	2058	2591	2815	3173	3238	3559	2642	3089	2733	3127	4.344	4,630
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)	14.42%	38.92%	6.58%
शुद्ध लाभ/हानि	1059	1252	533	1015	(1263)	606	(1418)	(2439)	(5105)	(5641)	(1,121)	(888)
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98%	(333.99%)	(72.00%)	(109.31%)	(10.50%)	80.13%	(20.79%)
निम (%)	1.86%	3.31%	2.78%	2.65%	2.73%	2.79%	2.78%	2.51%	2.47%	2.54%	2.78%*	2.78%
शुद्ध ब्याज आय	2545	5326	5169	5738	6493	7247	7065	6574	6517	6773	7,629	8,245
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)	3.93%	12.64%	8.07%
गैर ब्याज आय	1735	1265	1395	1667	1923	1894	1938	2876	2623	2413	3,637	3,167
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)	(8.01%)	50.73	(12.92%)

* चालू वर्ष में वर्गीकरण की पुष्टि हेतु जहां भी आवश्यक है वहां आंकडों का पुन: परिकलन/पुन: समुहन किया गया है.

निदेशक रिपोर्ट 2020-21

आपके निदेशकों को दिनांक **31** मार्च, 2021 समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद-प्रवाह विवरण के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

1. कार्य निष्पादन विशिष्टताएं

- दिनांक 31 मार्च, 2021 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 5,06,886 करोड़ रहा जो 31 मार्च, 2020 को ₹ 4,86,007 करोड़ था.
- बैंक की कुल जमाराशि ₹ 3,29,973 करोड़ हो गयी, जो 31 मार्च 2020 को ₹ 3,13,763 करोड़ थी.
- बैंक का कुल अग्रिम ₹ 1,76,913 करोड़ हो गया है, जो 31 मार्च, 2020 को ₹ 1,72,244 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कुल आय ₹ 25,897 करोड़ हुई जबकि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह ₹ 27,200 करोड़ थी.
- बैंक की गैर-ब्याज आय दिनांक 31 मार्च, 2021 को ₹ 3167 करोड़ हुई जो दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 3637 करोड़ थी.
- दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक का परिचालन लाभ 6.58 % की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 4,630 करोड़ हुआ, जो पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 4344 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में बैंक ने ₹ 888 करोड़ की निवल हानि दर्ज की है, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष के दौरान निवल हानि ₹ 1121 करोड़ थी
- दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी व्यवसाय बढ़कर ₹ 15.60 करोड़ हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष में ₹ 14.06 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल-II के अनुसार)14.27% रहा, जिसमें टीयर I - 10.73% और टीयर II - 3.54% है. दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल- III के अनुसार) 14.81 % हो गया, जिसमें टीयर I -12.82% और टीयर II - 1.99% है.
- दिनांक 31 मार्च, 2021 को बैंक की निवल मालियत ₹ 22,702.90 करोड़ रही.
- दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में नकद वसूली घटकर (एनपीए की बिक्री सहित) ₹ 2963 करोड़ हो गयी जो दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 3326 करोड़ थी.
- दिनांक 31 मार्च, 2021 को सकल एनपीए से सकल अग्रिम अनुपात बेहतरी दर्शाते हुए 16.55% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2020 को 18.92% था.
- दिनांक 31 मार्च, 2021 को निवल एनपीए से निवल अग्रिम अनुपात घटकर 5.77% हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2020 को 7.63% था.
- दिनांक 31 मार्च, 2021 को प्रावधान कवरेज अनुपात सुधरकर 82.54% हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2020 को 77.29% था.
- दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआइएम) 2.78% के स्थायी स्तर पर रही.
- दिनांक 31मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) -0.26 रहा.
- वित्तीय वर्ष. 2020-21 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण नियोजन ₹ 88222 करोड़ रहा. तथापि, प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में एएनबीसी को ऋण के आधिक्य का लाभ उठाने के लिए बैंक ने पीएसएलसी में बिक्री/खरीद लेन-देन किया है. वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत ₹ 22050 करोड़ के पीएसएलसी की बिक्री की.
- दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का कृषि ऋण ₹ 36207 करोड़ हो गया, जो दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 34419 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एमएसएमई अग्रिम पीएसएलसी और सिडबी में ₹ 355.81 करोड़ तथा मुद्रा लि. में ₹ 133.63 करोड़ के निवेश के बिना ₹ 32356 करोड़ रहा.

- दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रिटेल ऋण बढ़कर ₹ 49468 करोड़ हो गया जो दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹ 46106 करोड़ था.
- दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो ₹ 27969 करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 8.44% की वृद्धि दर्शाता है. दिनांक 31 मार्च, 2021 को कुल रिटेल पोर्टफोलियो में आवास ऋण पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 56.54% रही.
- बैंक ने देश के 9 राज्यों में यथा मध्य प्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), राजस्थान (1), ओड़ीसा (1) एवं असम (1) में 46 ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी)स्थापित किए हैं. वर्ष 2020-21 के दौरान, आरसेटी ने 573 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उनमें 15343 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है. इनमें से 12384 (अर्थात 81%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन समझौते एवं स्व-वित्त के माध्यम से नियोजित किया गया है. नियोजित अभ्यर्थियों की क्रेडिट लिंकेज उपलब्धि 6513 अर्थात 43% रही.
- बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2021 तक 2 राज्यों के 23 जिलों में 1174 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं.
- बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 6532 बीसी एजेन्ट के नियोजन द्वारा 24311 गांवों को कवर किया है. बैंक ने 155 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र खोले हैं. बैंक ने बीसी एवं शाखाओं के माध्यम से 145 लाख बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते (बीएसबीडीए) खोले हैं.
- दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंकाश्युरेंस व्यवसाय से कुल ₹ 62.37 करोड़ की आय हुई.
- दिनांक 31 मार्च, 2021 को पूरे देश में बैंक के नेटवर्क में 4608 शाखाएं हैं जिनमें से 63.69% ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में, 3644 एटीएम, 10 सेटेलाइट कार्यालय एवं 1 विस्तार पटल हैं

2. आय एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आय एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

		31.03.2021	31.03.2020	विचलन	%
1	**ब्याज आय**	22730	23563	(833)	(3.54)
	-अग्रिम	11638	12506	(868)	(6.94)
	-निवेश	10009	9916	93	0.94
	-अन्य	1083	1141	(58)	(5.08)
2	**गैर ब्याज आय**	3167	3637	(470)	(12.92)
3	**कुल आय (1+2)**	25897	27200	(1303)	(4.79)
4	**प्रदत्त ब्याज**	14485	15934	(1449)	(9.09)
	-जमाराशि	13994	15402	(1408)	(9.14)
	-अन्य	491	532	(41)	(7.71)
5	**परिचालन व्यय**	6782	6922	(140)	(2.02)
	-स्थापना	4141	4217	(76)	(1.80)
	-अन्य	2641	2705	(64)	(2.37)
6	**कुल व्यय (4+5)**	21267	22856	(1589)	(6.95)
7	**स्प्रैड (1-4)**	8245	7629	616	8.07
8	**परिचालन लाभ (3-6)**	4630	4344	286	6.58
9	**प्रावधान**	5518	5465	53	0.97
10	**कर के लिए प्रावधान**	(436)	212	(648)	(305.66)
11	**शुद्ध लाभ/(हानि) (8-9)**	(888)	(1121)	233	20.79

3. प्रावधान

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित ₹ 5518 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	31.03.2021 (वि.व.)	31.03.2020 (वि.व.)	विचलन
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	263	172	91
एनपीए के लिए प्रावधान	5129	4230	899
पुनर्संरचित खातों के लिए प्रावधान	76	(159)	235
निवेश के लिए प्रावधान	399	1065	(666)
करों के लिए प्रावधान	(436)	212	(648)
अन्य	87	(55)	142
कुल	5518	5465	53

4. लाभप्रदता अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2021 (वि.व.)	31.03.2020 (वि.व.)
जमाओं की लागत	4.35	5.11
निधियों की लागत	4.43	5.18
अग्रिमों पर आय	6.63	7.53
निवेशों पर आय	6.62	7.01
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.78	2.78*
लागत आय अनुपात	59.43	61.44

* चालू वर्ष में वर्गीकरण की पुष्टि हेतु जहां भी आवश्यक है वहां आंकडों का पुन: परिकलन / पुन: समुहन किया गया है.

5. व्यावसायिक अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2021 (वि.व.)	31.03.2020 (वि.व.)
औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ) में ब्याज आय	6.67	7.26*
औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ) में गैर ब्याज आय	0.93	1.12*
औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ) में परिचालन लाभ	1.36	1.34*
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	(0.26)	(0.35)
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ करोड़ में)	15.60	14.06
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	(2.74)	(3.27)

* चालू वर्ष में वर्गीकरण की पुष्टि हेतु जहां भी आवश्यक है वहां आंकडों का पुन: परिकलन / पुन: समुहन किया गया है.

6. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के घटक निम्नानुसार रहे:

	31.03.2021 (वि.व.)		31.03.2020 (वि.व.)	
	बासल -II	बासल-III	बासल-II	बासल-III
टियर -I	10.73	12.82	7.57	9.33
टियर -II	3.54	1.99	4.38	2.39
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	14.27	14.81	11.95	11.72

7. शुद्ध लाभ/हानि

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को ₹ 888 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयर पर किसी प्रकार का लाभांश देने की संस्तुति नहीं की है.

8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :.

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को कार्यालयीन समय की समाप्ति से श्री थॉमस मैथ्यु भा.रि. बैं. के नामित निदेशक, बैंक के निदेशक नहीं हैं.
- वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार श्री पी.जे. थॉमस दिनांक 28 सितम्बर, 2020 से भा.रि.बैं. के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए.
- दिनांक 8 अक्तूबर, 2020 को कार्यालयीन समय की समाप्ति से श्री बी.एस. शेखावत,कार्यपालक निदेशक बैंक के निदेशक नहीं हैं.
- दिनांक 26 दिसंबर, 2020 को कार्यालयीन समय की समाप्ति से प्रो.(डॉ.) आत्मानंद अंश कालिक गैर- अधिकारी निदेशक, बैंक के निदेशक नहीं हैं.
- श्री पल्लव महापात्र, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनांक 28 फरवरी, 2021 को कार्यालयीन समय की समाप्ति से बैंक के निदेशक नहीं हैं.
- वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार श्री एम.वी. राव दिनांक 01 मार्च, 2021 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए.
- वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार श्री विवेक वाही दिनांक 10 मार्च, 2021 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं.
- वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार श्री राजीव पुरी दिनांक 10 मार्च, 2021 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं.

निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के निदेशक पद से निवृत्त हुए श्री बी.एस. शेखावत, श्री थॉमस मैथ्यु, प्रो.(डॉ.) आत्मानंद, श्री पल्लव महापात्र द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उनकी सेवाओं को रेखांकित करता है.

9. व्हिसल ब्लोअर नीति

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक पर्दाफाश शिकायतों के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है. बैंक का सेन्ट ई व्हिसिल ब्लोअर नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारों की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते हैं, जो सिर्फ महाप्रबंधक - केन्द्रीय लेखापरीक्षा तथा निरीक्षण को ही ज्ञात होती है. निदेशकगण और कर्मचारी आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं. इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढाने में मदद मिलती है.

10. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

दिनांक 13 जून, 2017 को जारी अपने पत्र में भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्च शुद्ध एनपीए और आस्तियों पर नकारात्मक प्राप्तियों के आलोक में बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत रखा है. बैंक को यह विश्वास है कि पीसीए से बाहर आने के सुधारात्मक उपाय बैंक के संपूर्ण कार्यनिष्पादन को सुधारने में सहायक होंगे..

11. व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

व्यावसायिक उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट, जो कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 34 के अंतर्गत निर्धारित है, इसके साथ संलग्न है तथा बैंक की वेबसाइट (www.centralbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है.

12. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय:

- महत्त्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप में लागू किया गया है;
- समुचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ/हानि का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं;
- लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर, लेखे तैयार किए गए हैं.
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं वे प्रभावी रूप से क्रियान्वित है, और
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की गयी है जो पर्याप्त व प्रभावी रूप से क्रियान्वित हैं.

13. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है.

14. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है; निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है.

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षरित/-

स्थान: मुंबई
दिनांक: 15 जुलाई, 2021

एम वी राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

फॉर्म नंबर एमआर -3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 2015 के विनियम 24ए (सूचिकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण उपेक्षाएं विनियम) के अनुसार]

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है और पाया है कि **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (इसके पश्चात बैंक कहा गया है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट व्यवहारों का पालन किया जाता है. सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से की गई है कि इस पर कॉरपोरेट संचालन / वैधानिक अनुपालन के मूल्यांकन एवं दिए गए हमारे टिप्पणियों पर उचित आधार दिया गया है.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, प्रपत्रों और भरे गए रिटर्न एवं बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच और साथ ही सचिवीय लेखा परीक्षा करने के दौरान बैंक अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार में, बैंक ने, दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाले लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है एवं साथ ही यह भी है कि बैंक के पास एक सीमा तक उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं, इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग के तरीके और विषय निम्नानुसार हैं :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखों, कागजातों, कार्यवृत्त लेखों, प्रपत्रोंऔर बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं इसके अधीन बने नियम, जो बैंक पर प्रभावी रूप से लागू हैं.

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1957 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाये गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश एवं बाहरी वाणिज्यिक उधार हेतु इसके अधीन बने नियमों एवं विनियमों; **(समीक्षाधीन अवधि में बैंक पर लागू नहीं)**

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: -

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)) विनियम, 2018; **(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं, क्योंकि कोई पुनर्खरीद नहीं हुई.**

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के लिए लागू नहीं)

(एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के लिए लागू नहीं)

(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय और प्रतिदेय अधिमानी शेयर्स का निर्गमन एवं सूचीबद्ध करना) विनियम, 2013; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के लिए लागू नहीं)

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार निरोधक) विनियम, 2015;

(आई)बैंक के लिए लागू अन्य नियम निम्नलिखित हैं :

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना और परिपत्रों के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949

(बी) बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और इसके संशोधन

(सी) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

(डी) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और मीटिंग) विनियम, 1998

हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक

(ii) बैंक द्वारा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट्स.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने उपर्युक्त दिए गए अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

बैंक का निदेशक मंडल स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशकों सहित कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों के समुचित संतुलन सहित गठित है. निदेशक मंडल के संघटन में समीक्षा समयावधि के अंतर्गत किए गए परिवर्तन बैंकिंग विधि के प्रावधान के अनुपालन में सेबी (एलओडीआर) के साथ सामंजस्य सहित है.

कोविड 19 महामारी के प्रकोप के दृष्टिगत और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी छूट के अंतर्गत, बोर्ड की बैठकें एवं साधारण बैठकें वीडियो या दृश्य श्रव्य माध्यम से आयोजित की गईं और सभी बैठकों की सूचनाएं ई-मेल के माध्यम से भेजी गईं तथा बाद के संदर्भ हेतु उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है.

बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में परिपत्रों के द्वारा प्रस्तावों सहित निर्णयोंपर सर्वसम्मति से सहमति दी गयी. समीक्षा की अवधि के अंतर्गत निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा कोई असहमति नहीं दर्शायी गयी.

इसके अतिरिक्त हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के आकार एवं परिचालन के अनुसार इनकी देखरेख सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रचलित कानून, नियम, विनियम तथा दिशा-निर्देश हैं.

इसके अतिरिक्त हम यह भी सूचित करते हैं कि लेखा परीक्षा के दौरान:

1. बैंक ने 20 मई, 2020 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में दो संहिताओं अर्थात् अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) का उचित प्रकटीकरण संहिता और सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियमन, 2015 के संदर्भ में इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचरण संहिता में संशोधन किया.

2. बैंक ने 7 अगस्त, 2020 को आयोजित अपनी वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्ताव दस्तावेज़ / विवरणिका या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के माध्यम से भारत या विदेश में रु. 5,000/- करोड़ (केवल पांच हजार करोड़ रुपये) (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) के मूल्य तक की संख्या में इक्विटी शेयरों के सृजित करने, प्रस्ताव करने, जारी करने और (ऐसी श्रेणियों के व्यक्तियों जिन्हें प्रचलित कानून द्वारा अनुमति दी जा सकती है को इस निर्गम के कतिपय अंश के सुनिश्चित और / या प्रतिस्पर्धी आधार पर आवंटन हेतु आरक्षण के प्रावधान सहित) आवंटित करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया.

   तदनुसार, पूंजी संवर्धन समिति की बैठक में, जो दिनांक 28 सितंबर, 2020 को आयोजित की गई थी, योग्य संस्थागत खरीदारों को 15.38 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर 10 रुपये के अंकित मूल्य के 16,57,99,736 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए थे.

3. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10 नवंबर, 2020 को "हाउसिंग सेक्टर-इनोवेटिव हाउसिंग लोन प्रोडक्ट्स अप फ्रंट डिस्बर्सल ऑफ़ हाउसिंग लोन" दिनांक 03 सितंबर, 2013 के निर्देशों का पालन न करने के लिए रु.50 लाख रुपये (केवल पचास लाख रुपये) का दण्ड लगाया.

4. पूंजी संवर्धन समिति ने दिनांक 11 दिसंबर, 2020 को हुई अपनी बैठक में वचन पत्र की प्रकृति में गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय असुरक्षित बेसल III अनुपालन टियर 2 बांड जारी करने और आवंटन करने के द्वारा रु. 500 करोड़ रुपये तक की पूंजी निधि जुटाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी.

5. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत देखी गई कुछ चूकों के लिए बैंक पर वित्तीय खुफिया इकाई ने अपने आदेश संख्या 14 / डीआईआर / फ्लू-आईएनडी / 2020 दिनांक 23 दिसंबर 2020 के अंतर्गत रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) का दण्ड लगाया. दिनांक 15 जनवरी 2021 को इस दण्ड का भुगतान कर दिया गया.

6. बैंक ने सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड में अपनी 64.40% की संपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी यानी रुपये 10 प्रत्येक के 1,61,00,000 शेयरों को मेसर्स सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को बेचने के लिए एक बाध्यकारी समझौता किया.

   बैंक ने आगे सूचित किया कि उक्त शेयर खरीद समझौता 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो गया. इसलिए, उक्त समझौता 1 अप्रैल, 2021 को रद्द हो गया है.

7. बैंक ने सूचित किया कि भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक के इक्विटी शेयरों (विशेष प्रतिभूतियां/बांड) के अधिमान्य आवंटन में योगदान के लिए रुपये 4800.00 करोड़ (रुपये चार हजार आठ सौ करोड़ केवल) जारी करने की स्वीकृति दी है. उक्त निधि दिनांक 31 मार्च, 2021 को बैंक को प्राप्त हुई थी और इसे शेयर एप्लिकेशन मनी खाते में रखा गया है.

8. बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए सूचना ज्ञापन और अनुमोदन के संदर्भ में निम्नलिखित ऋण लिखतों को भुनाया है:

मोचन की तिथि	प्रलेख की प्रकृति	मोचन की राशि (₹ में)	उद्देश्य
11.06.2020	अपर टियर II बांड श्रृंखला (ISIN: INE483A09229)	1000,00,00,000	सूचना ज्ञापन के खंड के अनुसार
21.01.2021	अपर टियर II बांड श्रृंखला VI /(ISIN : INE483A08015	300,00,00,000	सूचना ज्ञापन के खंड के अनुसार

9. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता), 2015 के विनियम 57(1) के अनुसार, बैंक ने निम्नलिखित गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान किया और स्टॉक एक्सचेंज को मूल राशि या ब्याज या दोनों देय होने पर सूचित किया.

क्रमांक	विवरण	देय दिनांक	ब्याज राशि	मूल राशि
1.	कॉल ऑप्शन के प्रयोग पर अपर टियर II बॉन्ड सीरीज V (ISIN: INE483A09229)	11.06.2020	₹ 85,70,00,000/-	₹ 1000,00,00,000/-
2.	पात्र बांडधारकों को 9.40% की कूपन दर पर ₹ 139.10 करोड़ मूल्य के परपेचुअल बॉन्ड सीरीज II (ISIN: INE483A09252)	28.09.2020	₹ 13,07,54,000/-	लागू नही.
3.	पात्र बांडधारकों को 9.80% की कूपन दर पर ₹ 500 करोड़ मूल्य के बेसल III कंप्लेंट टियर II बॉन्ड सीरीज IV (ISIN: INE483A08023)	30.09.2020	₹ 49,00,00,000/-	लागू नही.
4.	पात्र बांडधारकों को 9.90% की कूपन दर पर ₹ 1000 करोड़ मूल्य के बेसल III कंप्लेंट टियर II बॉन्ड सीरीज I (ISIN: INE483A09260)	09.11.2020	₹ 99,00,00,000/-	लागू नही.
5.	पात्र बांडधारकों को 9.33% की कूपन दर पर ₹ 500 करोड़ मूल्य के लोअर टियर II बांड सीरीज XIV (ISIN: INE483A09245)	21.12.2020	₹ 46,65,00,000/-	लागू नही.
6.	कॉल ऑप्शन के प्रयोग पर अपर टियर II बॉन्ड सीरीज VI (ISIN: INE483A08015)	21.01.2021	₹ 27,60,00,000/-	₹ 300,00,00,000/-
7.	पात्र बांडधारकों को 8.62% की कूपन दर पर रु.500 करोड़ मूल्य के बेसल III कंप्लेंट टियर II बॉन्ड सीरीज II (ISIN : INE483A09278)	08.03.2021	₹ 43,21,80,822/-	लागू नही.
8.	पात्र बांडधारकों को 9.20% की कूपन दर पर ₹ 500 करोड़ मूल्य के बेसल III कंप्लेंट टियर II बॉन्ड सीरीज V (ISIN : INE483A08031)	20.03.2021	₹ 46,00,00,000/-	लागू नही.
9.	पात्र बांडधारकों को 10.80% की कूपन दर पर ₹ 500 करोड़ मूल्य के बेसल III कंप्लेंट टियर II बॉन्ड सीरीज III (ISIN : INE483A09286)	30.03.2021	₹ 54,00,00,000/-	लागू नही.

कृते आर.एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर/-
राजश्री पाडिया
एफसीएस : 6804; सीपी : 7488
यूडीआईएन :एफ 006804सी 000380683

दिनांक: 27.05.2021
स्थान: मुंबई

नोट: कोविड 19 के प्रसार को रोकने और रोकने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए जिसके परिणामस्वरूप किसी भी सरकारी विभाग/संगठन का दौरा करने की अनुमति नहीं थी.

तदनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के साथ-साथ दस्तावेजों, अभिलेखों और सूचनाओं के आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की गई है.

सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक - I

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

प्रति

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

इस तारीख की हमारी सचिव लेखा परीक्षण रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए.

1. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के लिए लागू सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधतंत्र की है. इस सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट को जारी करने के लिए हमारी जांच नमूना परीक्षण आधार पर अभिलेखों एवं प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी.
2. लागू कानूनों के सचिवीय एवं अन्य अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधतंत्र की है. हमारी जिम्मेदारी सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट जारी करना है, जो बैंक द्वारा रखे गए संबंधित अभिलेखों के लेखापरीक्षण एवं जिसे बैंक द्वारा हमें आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ उपलब्ध कराया गया, पर आधारित है.
3. सचिवीय अभिलेखों की मदों की सत्यता के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने लेखा परीक्षण की प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है. यह जांच परीक्षण आधार पर की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि सचिवीय रिपोर्ट एवं प्रदान किए गए अन्य अभिलेखों में प्रदर्शित तथ्य सत्य हो, यह जांच परीक्षण आधार पर की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमें प्रस्तुत सचिवीय एवं अन्य अभिलेखों में सही तथ्य प्रस्तुत हो. हमें विश्वास है कि जिन प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे इस सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट को जारी करने के लिए हमारे मत को यथोचित आधार प्रदान करते हैं.
4. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा बहियों की सत्यता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.
5. जहां भी आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों एवं लेखा परीक्षण अवधि के दौरान होने वाली गतिविधियों के अनुपालन हेतु प्रबंधन का प्रतिवेदन प्राप्त किया है.
6. यह सचिवीय लेखा परीक्षण रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही बैंक के कार्यों के संचालन में प्रबंध तंत्र की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है.

कृते आर.एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता/-
राजश्री पाडिया
एफसीएस: 6804: सीपी: 7488
यूडीआईएन:एफ006804सी 000380683

दिनांक: 27.05.2021
स्थान: मुंबई

नोट: कोविड 19 के प्रसार को रोकने और रोकने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए जिसके परिणामस्वरूप किसी भी सरकारी विभाग/संगठन का दौरा करने की अनुमति नहीं थी.

तदनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के साथ-साथ दस्तावेजों, अभिलेखों और सूचनाओं के आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की गई है.

निदेशकों के गैर - अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी (लिस्टिंग बाध्यताओं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) के विनियम 2015) के
विनियमन 34(3) एवं अनूसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसरण में)

प्रति

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय चंदर मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021 में है (इसके पश्चात इसे बैंक कहा गया है) के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, अभिलेखों, फॉर्म, विवरणियों एवं प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे बैंक ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताओं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10 (i) के साथ विनियम 34 (3) के अनुसार यह प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रस्तुत किए हैं

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं पोर्टल (www.mca.gov.in) पर स्थिति के आवश्यक सत्यापन निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन)), तथा बैंक एवं इसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2021को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षके लिए नीचे दिए गए बैंक के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक पद पर नियुक्त होने या पद पर बने रहने से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय / वित्त मंत्रालय / भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा विवर्जित या अयोग्य करार नहीं किया गया है.

क्र सं	निदेशक का नाम	श्रेणी	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि
1.	तपन राय	गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक	00728682	23.05.2018
2.	एम वी राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	06930826	01.03.2021
3.	आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	05123610	23.01.2019
4.	विवेक वाही	कार्यपालक निदेशक	07490023	10.03.2021
5.	राजीव पुरी	कार्यपालक निदेशक	07330989	10.03.2021
6.	भूषण कुमार सिन्हा	गैर-कार्यपालक - नामित निदेशक	08135512	14.05.2018
7.	पी जे थॉमस	गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक	-	28.09.2020
8.	मिनी आइप	गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक	07791184	01.07.2018

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापनके आधार पर इस पर राय व्यक्त करें. यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही बैंक के कार्यों के संचालन में प्रबंध तंत्र की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है.

कृते आर.एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता/-
राजश्री पाडिया
एफसीएस: 6804: सीपी: 7488
यूडीआईएन:एफ006804सी 000380848

दिनांक: 27.05.2021
स्थान: मुंबई

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

(सेबी (लिस्टिंग बाध्यताओं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएंके विनियम 2015) के विनियम 24 ए के अनुरूप परिपत्र क्रमांक सीआईआर/सीएफडी/ सीएमडी1/27/2019दिनांक 08.02.2019 के अनुसरण में)

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

1. हमने निम्न जांच की है :

(ए) पैराग्राफ़ 2 इन्फ्रा के अंतर्गत सूचीबद्ध विशिष्ट विनियमों के अनुपालन हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (''सूचीबद्ध कंपनी'') द्वारा सभी प्रलेख और अभिलेख उपलब्ध कराये गए तथा स्पष्टीकरण दिये गए.

(बी) उपरोक्त के संदर्भ में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा स्टॉक एक्स्चेंजों में जमा की गई विवरणियाँ.

(सी) सूचीबद्ध कंपनी की वेबसाईट

(डी) अन्य कोई दस्तावेज़/विवरणी, जो इस प्रमाणीकरण के आधार के तौर पर प्रासंगिक हो सकते है,

निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष (समीक्षा अवधि) के लिए

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 ("सेबी अधिनियम") और उसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र,दिशानिर्देश, एवं

(बी) प्रतिभूति संविदा (विनियमन)अधिनियम, 1956 ("एमसीआरए") के नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश एवं

2. विशिष्ट विनियम, एवं उनके अधीन प्रावधान और परिपत्र/दिशानिर्देश की जांच की गई जिसमें निम्न सम्मिलित हैं:

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन) एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना(बाय-बैक)) विनियम, 2018 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय और मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2013 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015

मुझे प्रस्तुत दस्तावेजों और अभिलेखों की मेरी जांच एवं सत्यापन पर आधारित, और बैंक द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि: -

(ए) नीचे दिये गए विनियमों को छोड़कर, सूचीबद्ध कंपनी द्वारा उपरोक्त विनियमों और परिपत्र / दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है

क्र सं	आवश्यक अनुपालन (विनियम/परिपत्र / दिशानिर्देश विशिष्ट खंड सहित)	विचलन	कंपनी सेक्रेटरी की टिप्पणियों का अभ्यास एवं अवलोकन
	निरंक	निरंक	निरंक

(बी) उन अभिलेखों का हमारे परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि सूचीबद्ध कंपनी द्वारा उपरोक्त विनियमों और परिपत्र / दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उचित अभिलेख रखा गया है

(सी) सूचीबद्ध कंपनी / उसके प्रवर्तकों / निदेशकों /महत्वपूर्ण अनुषंगियों के विरूद्ध ''सेबी'' या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, उपरोक्त अधिनियमों / विनियमों और उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों / दिशानिर्देशों के अनुसार की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई सहित)

क्रमांक	निम्न के द्वारा की गई कार्रवाई	उल्लंघन का विवरण	की गई कार्रवाई का विवरण
1.	निरंक	निरंक	निरंक

(डी) पिछली रिपोर्ट में किये गए प्रेक्षणों के लिए, कंपनी को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है.

कृते आर.एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता/-

दिनांक: 27.05.2021
स्थान: मुंबई

राजश्री पाडिया
एफसीएस: 6804: सीपी: 7488
यूडीआईएन:एफ006804सी 000380870

नोट: कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए जिसके परिणामस्वरूप किसी भी सरकारी विभागों / संगठनों का दौरा करने की अनुमति नहीं है.

तदनुसार सचिवीय लेखा परीक्षण के संचालित दस्तावेजों, रिकार्डों तथा जानकारी के आधार पर इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्राप्त किया गया एवं आवश्यकतानुसार सत्यापित किया गया.

प्रबंधन विचार- विमर्श एवं विश्लेषण

भाग अ: आर्थिक दृष्टिकोण

विश्व अर्थव्यवस्था

कोविड 19 से संबंधित संक्रमण में बढ़ोत्तरी होने से, बड़ा झटका लगने के बाद, हाल के दिनों में कई देशों में आर्थिक गतिविधियों के चरणबद्ध तरीके से शुरु होने के साथ-साथ, टीकाकरण अभियान जारी रहने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखना शुरु हो गये. परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021 में वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में बेहतर वैश्विक विकास होने की आशा है, बशर्ते वैश्विक स्तर पर कोविड19 संक्रमणों में और अधिक वृद्धि न हो. हाल ही के महीनों में ऊर्जा, कच्चे माल, कुछ धातुओं आदि वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि हुई है.

संयुक्त राज्य अमेरिका में 29 अप्रैल 2021 को जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार दिसम्बर 2020 के 4.3 % की तुलना में मार्च 2021 में वास्तविक जीडीपी में 6.4 % की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है. व्यक्तिगत उपभोग व्यय, सरकारी खरीद और निवेश, गैर-आवासीय, स्थाई निवेश मार्च 2021 में बढ़ा, वहीं दूसरी ओर मार्च 2021 में निजी घरेलू निवेश में कमी आई. अमेरिकी व्यापार घाटा मार्च 2021 में 74.4 बिलियन यूएसडी रहा. मार्च 2021 के 1.04 % की तुलना में अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन में 16.5 % की वृद्धि हुई.अप्रैल 2021 में बेरोजगारी दर 6.1 % पर आ गई. अप्रैल 2021 में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.2 % हो गई .

फ्लैश आंकलन के अनुसार, पिछली तिमाही की तुलना में ,यूरो क्षेत्र में मार्च 2021 में सीजनली समायोजित जीडीपी (-) 0.6% कम हो गई. सितम्बर 2020 में 12.5 % की मजबूत सकारात्मक वृद्धि के बाद दिसम्बर 2020 में जीडीपी में (-) 0.7% की कमी आई है. फलैश आंकलन के अनुमानों के अनुसार, मार्च 2021 माह में स्पेन, इटली, जर्मनी की जीडीपी में गिरावट आई. यूरो क्षेत्र में बेरोजगारी दर, फरवरी 2021 के 8.2 % और मार्च 2020 में 7.1 % की तुलना में मार्च 2021 में 8.1 % थी. मार्च 2021 में जर्मनी में बेरोजगारी दर 4.5 % थी और इटली के लिये यह मार्च 2021 में 10.1 % थी. मार्च 2021 में स्पेन और फ्रांस में बेरोजगारी दर क्रमश: 15.3 %और 7.9 % थी. यूरो क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर अप्रैल 2021 में 1.6 %, मार्च 2021 में 1.3 % और अप्रैल 2020 में 0.3 % रही. यूरो क्षेत्र के लिये समग्र पीएमआई में मार्च 2021 और अप्रैल 2021 में बढ़त हुई. खुदरा क्षेत्र की बिक्री, फरवरी 2021 में कम होने के बाद, मार्च 2021 में बढ़कर दोहरे अंकों में पहुंच गई.

जापान में, अनन्तिम आंकडों के अनुसार, सितम्बर 2020 और दिसम्बर 2020 की लगातार दो तिमाहियों के लिये वास्तविक जीडीपी में सकारात्मक वृद्धि होने के बाद, तिमाही दर तिमाही आधार पर मार्च 2021 में गिरावट दर्ज की गई .विगत कुछ माहों में मुद्रास्फीति ऋणात्मक बनी रही और मार्च 2021 में वर्ष दर वर्ष के आधार पर (-) 0.2% रही. मार्च 2021 में सीजनली समायोजित बेरोजगारी दर फरवरी 2021 में 2.91 % से कम हो कर 2.6 % रह गई. औद्योगिक उत्पादन फरवरी 2021 में (-) 0.2% से बढ़कर मार्च2021 में 3.4 % हो गया. निक्केई जापान विनिर्माण पीएमआई अप्रैल 2021 में 53.6 % रही जो कि गतिविधियों में विस्तार का संकेत देती है. मार्च 2021 में वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्यात और आयात व्यापार दोनों में वृद्धि हुई.

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में; मार्च 2020 में (-) 6.8% संकुचन के निम्न आधार पर मार्च 2021 में चीन ने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की. दिसंबर 2020 के लिए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर वृद्धि 6.5% थी. अप्रैल 2021 में चीन की मुद्रास्फीति 0.9% थी, जबकि मार्च 2021 में 0.4% थी. अप्रैल 2021 में उद्योग मूल्य वर्धित 9.8% वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर की वृद्धि हुई और विनिर्माण पीएमआई अप्रैल 2021 में विस्तार क्षेत्र में रहा. अप्रैल 2021 में खुदरा बिक्री में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई. कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं जैसे मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील, आदि ने हाल की तिमाहियों में धीमी उत्पादन वृद्धि दिखाई .

भारत

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 31 मई 2021 को जारी किये गये अनन्तिम आंकडों के अनुसार, 2020-2021 के लिये जीडीपी में (-) 7.3% संकुचन रहा जबकि 2019-20 में 4.0 % की वृद्धि हुई. मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में 2019-20 में 4.1 % की वृद्धि की तुलना में 2020-2021 में (-) 6.2% का संकुचन हुआ .कृषि, वानकी और मछली पकड़ने में 2020-2021 में 3.6 % की वृद्धि दर्ज की गई जबकि 2019-20 में 4.3 % की वृद्धि दर्ज की गई थी. खनन और उत्खनन में 2019-20 में (-) 2.5% की तुलना में, 2020-2021 में (-) 8.5% की गिरावट दर्ज की गई. निर्माण क्षेत्र में 2019-20 में (-) 2.4% की तुलना में, 2020-2021 में (-) 7.2% का संकुचन देखा गया. बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं में 2019-20 के 2.1 % की तुलना में 2020-2021 में 1.9 % की वृद्धि दर्ज की गई. 2019-20 में 2.1 %. व्यापार,होटल, परिवाहन,संचार और प्रसारण से संबंधित अन्य सेवाओं में 2019-20 में 6.4 % की तुलना में, 2020-2021 में (-) 18.2% की गिरावट दर्ज की गई. वित्तीय, रियल इस्टेट और पेशेवर सेवाओं में 2019-20 में 7.3 % वृद्धि की तुलना में 2020-2021 में (-) 1.5% की गिरावट दर्ज की गई. लोक प्रशासन, रक्षा, अन्य सेवाओं में 2019-20 में 8.3 % की तुलना में (-) 4.6% की गिरावट आई है.

अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 2020-2021 में कुछ महीनों के लिये नकारात्मक वृद्धि हुयी थी लेकिन मार्च 2021 में आईआईपी ने 22.4 % की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिये आईआईपी में (-) 8.7% से संकुचन हुआ. 2020-

2021 में खनन और उत्खनन घटकर (-) 7.8% रह गया. विनिर्माण उत्पादन 20-2021 में (-) 9.8% से संकुचित हुआ. 2020-2021 में बिजली उत्पादन (-) 0.5% से संकुचित हुआ. भारत के लिए निक्केई कंपोजिट पीएमआई, सितम्बर 2020 से आगे अप्रैल 2021 के जारी होने तक बढ़त में रहा. अप्रैल 2021 में विनिर्माण पीएमआई और सेवा पीएमआई दोनों में वृद्धि हुई.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 में घटकर वर्ष दर वर्ष आधार पर 4.3 % पर आ गई. मार्च 2021 में मुद्रास्फीति 5.5 % एवं अप्रैल 2020 में 7.2 % पर रही.

अप्रैल-मार्च 2020-2021 के दौरान भारत का व्यापारिक निर्यात 290.63 बिलियन यूएसडी रहा जबकि 2019-20 के लिए यह 313.36 विलियन यूएसडी था जो कि (-) 7.26% की गिरावट दर्शाता है. अप्रैल-मार्च 2020-2021 के दौरान व्यापारिक आयात 389.18 विलियन यूएसडी रहा जो कि 2019-20 में 474.71 विलियन यूएसडी था. यह (-) 18.02% की गिरावट दर्शाता है. व्यापार घाटा 2019-20 के 161.35 विलियन यूएसडी की तुलना में 2020-2021 में संकुचित होकर 98.56 विलियन यूएसडी हो गया. विदेशी पोर्ट फोलियों निवेशकों ने 2019-20 में शुद्ध निवेश (-) 3041 मिलियन यूएसडी की तुलना में 2020-2021 में 36180 मिलियन यूएसडी का शुद्ध निवेश किया.

बैंकिंग उद्योग

बैंकिंग उद्योग कोविड -19 के दौरान आर्थिक गति को बढ़ावा देने के लिए लगन से अपना कर्तव्य निभा रहा है. बैंकिंग उद्योग भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत के तहत आवश्यकतानुसार विभिन्न योजनाएं चला रहा है. अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, चयनित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने मार्च 2020 की 6.7% की तुलना में वर्ष -दर- वर्ष आधार पर मार्च 2021 में 4.9% की गैर-खाद्य ऋण वृद्धि दर्ज की है. मार्च 2021 में एस सी बी की सकल बैंक ऋण वृद्धि मार्च 2020 में 6.8% की तुलना में वर्ष -दर- वर्ष आधार पर, मार्च 2021 में 5% रही . कृषि क्षेत्र में बैंक ने ऋण वृद्धि जारी रखी और मार्च 2021 में वर्ष -दर- वर्ष आधार पर 12.3% वृद्धि हुई, जबकि मार्च 2020 में यह 4.2% थी . मार्च 2021 में एस सी बी की उद्योग क्षेत्र हेतु ऋण वृद्धि मार्च 2021 में वर्ष -दर- वर्ष आधार पर 0.4% थी, जो कि मार्च 2020 में 0.7% थी. सेवा क्षेत्र ने मार्च 2020 में 7.4% की तुलना में, वर्ष -दर- वर्ष आधार पर मार्च 2021में 1.4% की क्रेडिट वृद्धि दर्ज की. मार्च 2021 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एस सी बी की ऋण वृद्धि 4.5% वर्ष -दर- वर्ष आधार पर रही. व्यक्तिगत ऋण खंड में, वर्ष -दर- वर्ष आधार पर, मार्च 2020 में 15% की तुलना में 10.2% की क्रेडिट वृद्धि देखी गई.

भाग- बी - बैंक व्यवसाय का कार्य - निष्पादन

बैंक का कुल कारोबार, 31 मार्च, 2020 में ₹486007 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2021 को ₹ 506886 करोड़ का था. 31 मार्च, 2021 को उच्च लागत जमाएं 31 मार्च 2020 को 62 करोड़ रुपये से बढ़कर ₹ 68 करोड़ हो गई.

बैंक का परिचालन लाभ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 4,630 करोड़ रहा जबकि यह 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए यह ₹4344 करोड़ था. विस्तारित प्रावधानों के कारण 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ₹1121करोड़ की शुद्ध हानि की तुलना में, 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की शुद्ध हानि ₹888 करोड़ रही.

संसाधन संग्रहण

उच्च लागत जमा में ₹ 6 करोड़ की बढ़त सहित 31 मार्च, 2021 को कुल जमा, ₹ 3,29,973 करोड़ रही. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 11.88% की वृद्धि के साथ बचत बैंक जमायें बढ़कर ₹ 145667 करोड़ हो गयी जोकि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में ₹130200 करोड़ थी. इसी प्रकार 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में चालू जमायें 7.83% की वृद्धि के साथ साथ बढ़कर ₹ 16259 करोड़ हो गयी जोकि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में ₹15079 करोड़ थी. 31 मार्च, 2020 को कुल जमा में कासा का हिस्सा बढ़कर 49.24% हो गया जोकि 31 मार्च, 2020 में यह 46.83% था. कोर मियादी जमायें 1.23% से बढकर 31 मार्च 2021 को 1,66883 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गयी जोकि 31 मार्च, 2020 को यह ₹164858 करोड़ थी.

बैंक में इन्डास के कार्यांवयन की कार्यनीति और प्रगति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी सं. 29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से सूचित किया है कि भा. रि.बैं. द्वारा अनुशंसित विधिक संशोधन भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं. तदनुसार, भा.रि.बैं. द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अगली सूचना तक बैंकों में इन्डास के कार्यान्वयन को स्थगित किया जाता है. हालाँकि, भा.रि.बैं. की अपेक्षानुसार, बैंक जून 2018 से हर तिमाही में भा.रि.बैं. को प्रारूप इन्डास वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है. भा.रि.बैं ने अपने ई-मेल दिनांक 27.07.2020 के माध्यम से सूचित किया है कि 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही से यह प्रारूप प्रस्तुत करने की तारीख 01 अप्रैल, 2020 है.

बैंक ने इन्डास सलाहकार की सेवाएं ली एवं और एक कोर इन्डास टीम का गठन किया एवं इन्डास के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की. कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए एक कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया. निदेशक मंडल एवं बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति समय-समय पर इसकी प्रगति की समीक्षा करती रही है.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान की गई पहल

- आद्योपांत ऋण जीवन चक्र प्रबंधन प्रणाली (एलएलएमएस) शुरू की जा रही है, जिसमें ऋण हामीदारी में सुधार लाने, ऋण प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने (टीएटी) तथा त्वरित चेतावनी संकेतों सहित निगरानी हेतु ऋण सृजन, निगरानी एवं विभिन्न एपीआई इंटरफेस का प्रयोग करेंगी. एलएलएमएस के जरिए ऋण आवेदन की ऑनलाइन जानकारी की सुविधा उपलब्ध होगी.
- ऋण जीवन चक्र प्रबंधन प्रणाली, एकल डाटा रिपॉज़िटरी, उद्यमव्यापी धोखाधडी जोखिम प्रबंधन प्रणाली, जैसे तकनीकी पहल आरंभ किए गये तथा डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से व्यवसाय परिवर्तन द्वारा बैंक को व्यवसाय का खोया हुआ हिस्सा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ.
- नये व्यवसाय प्राप्त करने हेतु कार्य बल का लाभ उठाने हेतु मार्केटिंग विभाग स्थापित कर तकनीकी की सहायता से नए व्यवसाय लीड प्राप्त किए गए हैं.
- बैंकिंग प्रणाली से ₹ 250 करोड से अधिक ऋण सीमा वाले खातों की सही एवं प्रभावी स्वीकृती पश्चात निगरानी हेतु स्पेशलाइज़्ड मॉनिटरिंग एजेंसियों (एएसएम) के साथ टाय-अप.
- रिटेल तथा एमएसएमई ऋणों को बढावा देने हेतु रिटेल तथा एमएसएमई के तहत सह-उधार हेतु एनबीएफसी के साथ टाय-अप.
- दो नए ई-मेल आईडी (employeesfirst@centralbank.co.in, valuecreators@centralbank.co.in) तैयार किए गये, जो कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं. इन मेल आईडी पर उठाये गये मामलों को उच्च प्राथमिकता से सुलझाया जाता है.
- बैंक के ज्ञानार्जन एवं विकास कार्य में सुधार लाने के उद्देश्य से सभी कर्मचारियों की ज्ञानार्जन एवं विकास यात्रा को पुनर्रचना करने, नव कल्पना, नव नीति प्राप्त करने, उसे पुन: स्फूर्तिदायक बनाना प्रशस्त करने हेतु ज्ञानार्जन एवं विकास पर नवोन्मेष सर्वेक्षण का आयोजन किया गया.
- निष्पादन प्रबंधन प्रणाली में सुधार के लिए जो पारदर्शिता की ओर अग्रसर निष्पक्षता और निष्पक्षता की नींव पर बनी है और बैंक संशोधनों की प्रदर्शन संचालित संस्कृति को बढ़ाने के लिए पीएमएस में "डैश बोर्ड" की शुरूआत सहित प्रणाली में शामिल किया गया है जो अधिकारी के तिमाही प्रदर्शन को प्रदर्शित करेगा .
- इंडक्शन ट्रेनिंग एक कर्मचारी के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण कदमों में से एक है, विशेष रूप से एक लगे हुए कर्मचारी को तैयार करने में. हमारा बैंक सीधे भर्ती होने वाले परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए एक समान प्रशिक्षण कार्यक्रम लेकर आया है
- एक सफल भविष्य के लिए हमारी मानव संसाधन क्षमता का लाभ उठाने के लिए उत्तराधिकार योजना परियोजना के माध्यम से नेतृत्व पाइपलाइन बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में, बैंक ने "सेंट नर्चर" परियोजना के तहत हमारे बैंक में उत्तराधिकार योजना और मूल्यांकन केंद्र का अभ्यास शुरू किया था और जीएम और डीजीएम के लिए अभ्यास शुरू किया था. उसी के तहत पूरा किया गया
- एचआर ऑडिट व्यावसायिक लक्ष्यों और रणनीतियों के साथ संरेखित करने के प्रयास में मानव संसाधन कार्यों, नीतियों, प्रक्रियाओं, संरचनाओं और रणनीतियों का व्यापक मूल्यांकन है. परियोजना पूरी हो चुकी है और इसका विश्लेषण मौजूदा कमियों को खोजने और भविष्य की कार्रवाई के निर्धारण में महत्वपूर्ण होगा .

नई पहल

- शाखाओं को वितरण-पूर्व अनुमोदन के लिए 'सीपीएसी-पूर्व-वितरण क्रेडिट समीक्षा तंत्र-क्रेडिट प्रसंस्करण और अनुमोदन केंद्र' का कार्यान्वयन क्षेत्र के कर्मचारियों को बिना किसी डर के ऋण निर्णय लेने में मदद करने के लिए तैयार किया जाएगा .
- प्रबंधन दृष्टिकोण उल्टे पिरामिड के रूप में होगा, जहां शीर्ष भाग शाखाएं होंगी, जो केंद्रीय कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालयों और नीचे से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्थित होगी, जिसका अर्थ है कि केंद्रीय कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय अस्तित्व और कामकाज का समर्थन करेंगे. शाखाओं की संख्या और व्यवसाय के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान किया जाएगा .
- कार्यनिष्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु उच्च प्रबंधन क्लब स्थापित कर रिवार्ड प्रोग्राम प्रारंभ किए जायेंगे
- 'ब्रांड सेन्ट्रल' अर्थात सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को विशिष्ट पहचान देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र सुव्यवस्थित किए गए.
- विद्यमान निष्ठावान ग्राहकों को मिलने हेतु एक विशेष कैम्पैन का आयोजन "**सेन्ट्रल कनेक्ट**" थीम के साथ किया गया.

ऋण

- 2.71% की वृद्धि दर्शाते हुये, बैंक का सकल अग्रिम 31.03.2021 को बढ़कर ₹176913 करोड़ हो गया, जो कि 31.03.2020 को ₹172244 करोड़ था. इस तथ्य के बावजूद कि ₹4810 करोड़.सकल ऋण से तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गये थे. अतिरिक्त तकनीकी बट्टे खाते को हटाने के बावजूद सकल अग्रिमों में 5.50% की वृद्धि हुई थी.

- वित्तीय वर्ष के दौरान,कोविड से संबंधित चुनौतियों के बावजूद ₹ 12900 करोड़ से अधिक का नया कॉर्पोरेट ऋण स्वीकृत किया गया. नये कॉर्पोरेट एक्सपोजर में 98.84 % बी बी बी और उससे अधिक रेटिंग वाले थे.
- आस्ति गुणवत्ता में सुधार, ऋण जोखिम प्रबंधन, प्रणालियों एवं नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने और त्वरित निर्णय लेने के लिए ऋण नीति एवं मास्टर परिपत्रों को अद्यतन किया गया था.
- बाजार में बैंक को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाया गया.
- सभी बड़े उधार खातों को फ्रेमवर्क विनियामक सीमा के अंतर्गत लाया गया.
- बैंक के असुरक्षित ऋणों को काफी कम कर दिया गया है एवं पीसीए दिशानिर्देशों के तहत बेंचमार्क के अंदर ही रखा गया है.
- कॉरपोरेट ऋण में सीजीईसीएल उन सभी पात्र खातों को स्वीकृत किया गया जिन्होंने 31.03.2021 तक विकल्प चुना है .
- सभी पात्र कॉर्पोरेट खातों में नियामक ढांचा-ओटीआर लागू किया गया था .
- रेपो रेट योजना से ऋण उत्पाद प्रारंभ किया गया.
- बाहरी रेटिंग प्राप्त करने की सीमा को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये किया गया जिससे लघु एवं मध्यम वर्ग में प्रस्तावों का प्रवाह बढ़ा है .
- इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आई एन वी आई टी) और इसके एसओपी पर नीति लागू की गई .
- उधारकर्ता/गारंटर के टीएनडब्ल्यू के लिए एसओपी, विक्रेताओं का यथोचित परिश्रम, हामीदारी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए टीईवी अध्ययन शुरू किया गया.
- जोखिम का आंकलन करने के लिए, अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु संशोधित कार्यपालक ब्रीफ चालू किया गया.
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोविड -19 से संबंधित चिंता हेतु रिजोल्यूशन ढांचे के तहत खातों का पुनर्गठन करने के लिए एसओपी की शुरुआत और कार्यान्वयन किया गया.
- विभिन्न संस्थानों से ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से क्रेडिट अधिकारियों/ /विश्लेषकों का कौशल उन्नयन.
- सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों सहित अग्रिमों की बेहतर गुणवत्ता को कैनवास करके, 349 आधार अंक पूंजी की कम खपत को कम दर्शाते हुये, सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में जोखिम भार आस्ति 70.20% से घटकर 66.71% हो गई.

ऋण निगरानी विभाग

हमारे ऋण पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए महाप्रबंधक की अध्यक्षता में ऋण निगरानी और नीति के लिए एक अलग वर्टिकल कार्य कर रहा है. विभाग द्वारा की जा रही प्रमुख गतिविधियां नीचे दी गई हैं:

- विभिन्न नियंत्रक कार्यालयों और बड़ी शाखाओं में ऋण निगरानी समिति का गठन किया गया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करते हुये विचार-विमर्श करने के लिए समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं: -
    - माह के दौरान विभिन्न स्तरों पर प्रत्यायोजित उधार शक्तियों के प्रयोग का मूल्यांकन
    - एसएमए खातों का मूल-कारण विश्लेषण.
    - ऋण समीक्षा तंत्र के तहत कवरेज और बंद होने की स्थिति
    - उधार खातों में स्टॉक-ऑडिट के संचालन की स्थिति
    - खातों के समीक्षा नवीनीकरण की स्थिति
    - प्रतिभूतियों के आवधिक निरीक्षण की स्थिति.
    - प्रतिभूतियों के सही होने की स्थिति.
- वित्तीय चूक से पहले ही, खाते की रुग्णता/गंभीरताओं की पहचान करने हेतु, समर्पित पोर्टल से उत्पन्न उधार खातों के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) का सत्यापन किया जाना जिससे शीघ्र समाधान हो सके.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और अधिक जांच के लिए पूर्व चेतावनी संकेत पर उधार खातों की रेड-फ्लैगिंग
- बड़ी राशि के उधार खातों के संचालन एवं लेनदेन की सतत निगरानी हेतु बैंकिंग प्रणाली से 250 करोड़ से अधिक के मूल्य के सभी उधार खातों के एजेंसियों (एएसएम) को कार्यभार सौंपा गया है.

- (1 करोड़ और अधिक) की सूचीबद्ध कंपनियों और (5 करोड़ और उससे अधिक का कार्यशील पूंजी एक्सपोजर) अन्य ऋण खातों की तिमाही समीक्षा के लिए, एक प्रणाली बैंक में कार्यान्वित की गयी है जिससे कि अनुमान / प्रोजेक्शन के साथ साथ वास्तविक व्यापार प्रदर्शन की निगरानी की जा सके
- डायनेमिक रिव्यू ऑफ़ रेटिंग की प्रक्रिया के माध्यम से ऋण खातों की जोखिम रेटिंग पर पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) के प्रभाव का मूल्यांकन प्रारंभ किया गया है.
- विभाग ऋण सूचना कंपनियों एवं एनईएसएल (NeSL) (सूचना उपयोगिता) को समय-समय पर ऋण खाता विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर रहा है.
- विभाग अग्रिमों से संबंधित विभिन्न नियामक रिटर्न/एमआईएस समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित कर रहा है
- विभाग सरसाई के साथ सुरक्षा हित के पंजीकरण की निगरानी कर रहा है
- विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भा.रि.बैं., भारत सरकार, आदि की अधिसूचनाओं के अनुरूप क्रेडिट संबंधी नीतियां अपडेट की जा रही हैं.
- सीआरआईएलसी को डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट और उधार खातों की मुख्य रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- चूक खातों में उचित और समय पर कार्रवाई शुरू करने के लिए शाखाओं का मार्गदर्शन करने के लिए 5 करोड़ से अधिक और 25 करोड़ तक के एसएमए 1 और 2 खातों की टेम्पलेट समीक्षा करना
- पुनर्रचित खातों, अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर, डीसीसीओ में विस्तार, बाजार तंत्र (एएससीएल) हेतु अतिरिक्त प्रावधान की गणना, सड़क, दूरसंचार, पर्यटन और आतिथ्य और सीआरई जैसे तनावग्रस्त क्षेत्रों हेतु अतिरिक्त प्रावधान की गणना करना.

प्राथमिकता क्षेत्र

भा.रि.बैं. के निर्देशानुसार, समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 40% अथवा इतर तुलन पत्र ऋण की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी अधिक है प्राथमिकता क्षेत्र के लिए उधार दी जानी है. इस क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रदान करना बैंक का महत्वपूर्ण क्षेत्र है.

दिनांक 31.03.2021 को प्राथमिकता क्षेत्र के विभिन्न घटकों में बैंक का(लेखापरीक्षित) कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है :

₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	मार्च 2018	मार्च 2019	मार्च 2020	मार्च 2021	वृद्धि (%)
1.	प्राथमिकता प्राप्त ऋण	82835	83201	79987.91	88222.47	10.29
	एएनबीसी की उपलब्धि का %	49.74%	47.22%	45.07%	51.96%	
2.	कुल कृषि ऋण	34192	35655	34419.40	36206.99	5.19
	एएनबीसी की उपलब्धि का %	20.53%	20.24%	19.54%	21.32%	
3.	एमएसएमई	32346	31036	29250.15	32356.43	10.61
4.	शिक्षा ऋण	2773	2522	2341.42	2724.77	16.37
5.	आवास ऋण (₹25 लाख तक)	13392	13956	13939.37	16744.07	20.12
6.	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	107	20	17.51	24.77	41.46
7.	नवीकरणीय ऊर्जा	6	0	0	2.35	0.00
8.	सामाजिक मूलभूत संरचना	9	8	7.22	153.15	2021.19
9.	निर्यात ऋण	8	5	12.84	9.93	-22.66

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण नियोजन वर्ष 2020-2021 के दौरान बढ़कर ₹ 88222.47 करोड़ हो गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 8234.56 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई. हालाँकि, प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में एएनबीसी पर अत्यधिक उधार का लाभ उठाने के लिए, बैंक ने पीएससलसी में बिक्री लेनदेन किया. वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र (सामान्य पीएस के तहत 14050 करोड़ रुपये, लघु और सीमांत किसानों के तहत 8000 करोड़ रुपये) के अंतर्गत ₹ 22050करोड़ के पीएसएलसी बेचे. प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत 3316.03 करोड़ का आरआईडीएफ बकाया है, जिसमें 31.03.2021 को कृषि के अंतर्गत रु 2405.07 करोड़ है.

(राशि ₹ करोड़ में)

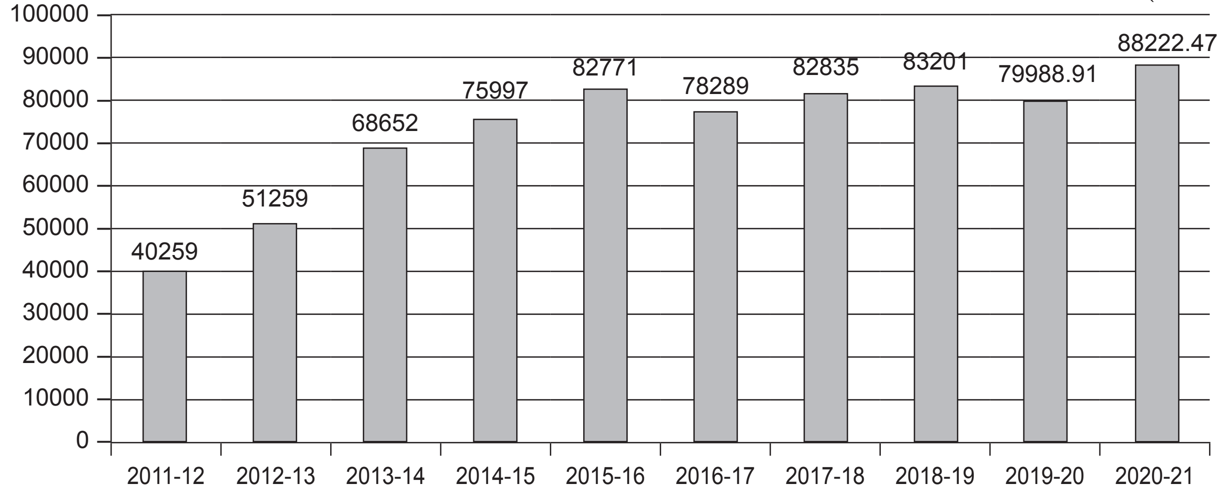

कृषि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुल कृषि ऋण दिनांक 31 मार्च 2020 तक ₹ 34419.40 करोड़ स्तर से ₹ 1787.59 करोड़ रुपये बढकर 31 मार्च 2021 को 36206.99 करोड़ हो गया. समायोजित बैंक ऋण (एएनबीसी) में कृषि ऋण का शुद्ध 18% के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 18.03% है.

(राशि ₹ करोड़ में)

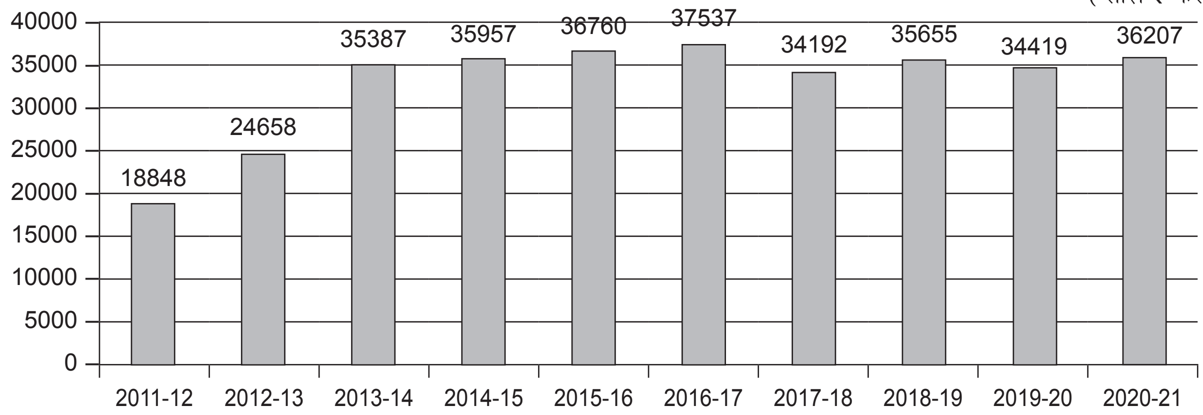

कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र में बैंक द्वारा मुहैया कराए गए मुख्य उत्पादों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	योजना का नाम	विवरण
1.	सेन्ट किसान क्रेडिट कार्ड	फसलों/फसल कटाई के बाद व्यय/उत्पादों का विपणन/उपभोग आवश्यकताएँ/कार्यशील पूँजी के अल्पावधि फसल संबंधी खर्चों के लिए, कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों हेतु कृषि/ निवेश ऋण आवश्यकता से संबंद्ध कृषि आस्तियों एवं गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूँजी एकल खिडकी ऋण.
2.	सेन्ट एग्री गोल्ड लोन	स्वर्ण आभूषणों एवं हमारे बैंक द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों की गिरवी के विरूध्द कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में फसल उत्पादन एवं निवेश में त्वरित वित्त
3.	सेन्ट एसएचजी बैंक लिंकेज	स्वयं सहायता समूहों को ऋण - चक्रिय कैश क्रेडिट /मियादी ऋण
4.	सेन्ट एसएचजी - पीआई लिंकेज	एनजीओ/ अन्य संगठनों की सहायता के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन एवं वित्तपोषण
5.	सेन्ट किसान गोल्ड कार्ड	कृषकों की दीर्घावधि ऋण जरूरतों जैसे खेती, यंत्रीकरण, भूमि विकास, एमआई, बागवानी इत्यादि के लिए एकल मियादी ऋण सीमा प्रदान करना.

क्र.सं.	योजना का नाम	विवरण
6.	सेन्ट एएमआई (कृषि विपणन संसाधन योजन)	कृषि एवं अनुषंगी क्षेत्र के विपणन योग्य आधिक्य के प्रभावी प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधा के सृजन, मानकीकरण, गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए नवीनतम तकनीकी, सुविधाओं के साथ विपणन संसाधनों के निर्माण हेतु वित्त.
7.	सेन्ट पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, शेड-नेट हाउस	उच्च गुणवत्ता वाली वाणिज्यिक बागवानी फसल के संरक्षित खेती हेतु वित्तीय सहायता.
8.	सेन्ट डेयरी	दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी इकाइयों की स्थापना.
9.	सेन्ट एग्री फार्म हाउस	कृषि फार्म हाउस के निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण एवं विस्तार करने के लिए वित्त.
10.	सेन्ट वर्मी कॉम्पोस्ट	वर्मी -कॉम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन हेतु वित्त.
11.	सेन्ट एग्री क्लिनिक / एग्री बिजनेस	एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस केन्द्रों की स्थापना के लिए, व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, जिन्होंने इस योजना के अनुसार अहर्ता एवं अनुभव प्राप्त किया है.
12.	सेन्ट फार्म मशीनरी	ट्रेक्टर ट्रालियों एवं अन्य कृषि उपकरणों को वित्तपोषण.
13.	सेन्ट किसान साथी	साहूकारों, दलालों इत्यादि को देय बकाया कर्जो को कम करने हेतु ऋणग्रस्त कृषकों को सहायता करना.
14.	सेन्ट शेड्यूल्ड ट्राइब	अनुसूचित जन-जाति के अंतर्गत कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता.
15.	दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चयनित जिलों हेतु प्रारंभ मिशन मोड के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण योजना
16.	सेन्ट पोल्ट्री	पोल्ट्री फार्म इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन हेतु वित्त.
17.	सेन्ट फिशरीज़	परंपरागत एवं वाणिज्यिक मछली पालन गतिविधि के लिए वित्त.

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान शुरू किए गए नये कृषि उत्पादों का विवरण निम्नलिखित हैं.

1.	सेन्ट किसान वाहन ऋण	कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों में लगे हुए कृषकों और व्यक्तियों को परिवहन कार्य हेतु सभी प्रकार के वाहन अर्थात दुपहिया/ चौपहिया एवं यातायात वाहनों को खरीदने हेतु ऋण प्रदान करना.
2.	सेन्ट सोलर योजना	सोलार लाईट/ सोलार पम्प सेट/ सोलार वाटर हीटर की स्थापना के लिए कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों को वित्तपोषण
3.	सेन्ट फ्लैक्सी एग्री बिजनेस लोन	कृषि व्यवसाय खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण/ कृषि संसाधन / बीज उत्पादन / बायो पेस्टीसाइड्स एवं बायो-फर्टिलाइजर्स / सेवा प्रदाताओं / अन्य कोई अनुषंगी गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों / फर्मों को ₹ 10 करोड़ तक के ऋण प्रदान करना.
4.	सेन्ट किसान कोविड-19 केयर	विद्यमान सभी केसीसी धारकों अथवा मियादी ऋण उधारकर्ताओं को कोविड-19 से बाहर निकलने के लिए फसल/मत्स्य पालन/मुर्गी पालन / डेयरी / पशुपालन के लिए ₹ 50,000/- तक का त्वरित ऋण प्रदान करना.
5.	एसएचजी - कोविड-19 केयर के लिए विशेष ऋण योजना	कोविड- 19 से बाहर निकलने के लिए, एसएचजी सदस्यों को ₹ 1 लाख तक का त्वरित ऋण प्रदान करना.
6.	सेन्ट एग्री इन्फ्रा	फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घावधि ऋण वित्त की सुविधा प्रदान करना .
7.	सेन्ट सोलर-पीएम कुसुम योजना	विकेन्द्रीकृत मैदान /स्टिल्ट माउन्टेड ग्रिड से जुड़े सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जाआधारित 500 केडब्लू से 2 एम डब्लू की क्षमता के बिजली संयंत्र की स्थापना के लिये किसान/ एफ पी ओ/ किसानों की सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करना
8.	सेन्ट विश्वास	(i) व्यक्तिगत एस सी /ओबी सी लाभार्थियों को ₹ 02 लाख तक (ii) एसएचजी के एससी/ओबीसी लाभार्थियों को ₹ 04 लाख तक का कम ब्याज दर पर वित्त प्रदान करना

9.	सेन्ट एनीमल हस्बैण्डरी इन्फ्रा	(i) डेयरी प्रसंस्मरण और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे के लिये (ii) मांस, प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे के लिए (iii) पशु खाद्य संयत्र के लिए मध्यम- दीर्घावधि ऋण प्रदान करना
10.	सेन्ट एफ पी ओ	किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) / किसान उत्पादक सहकारी समितियों (एफपीसी) को रूपये 5 करोड़ का वित्त प्रदान करना .
11.	सेन्ट एफ आई डी एफ	कैप्चर एवं कल्चर मत्स्य के बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण और आधुनीकरण एवं फसल के बाद के नुकसान को कम करने हेतु वित्त प्रदान करना .
12.	सेन्ट पी एम एफ एम ई योजना	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए वित्त प्रदान करना .

कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में तेजी लाने के लिए की गई पहल:

विशेष ऋण अभियान:

- नए कृषि ऋणों के प्रचार एवं स्वीकृति हेतु सभी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं द्वारा प्रत्येक महीने में न्यूनतम एक विशाल ऋण शिविर का आयोजन किया गया.
- एसएचजी बैंक लिंकेज के लिए सभी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं द्वारा विशेष ऋण शिविरों का आयोजन किया गया.
- बैंक ने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना (पीएमएफबीवाय) के अंतर्गत सभी पात्र ऋणी किसानों को 100% फसल बीमा कवरेज सुनिश्चित किया और गैर-ऋणी किसानों को फसल बीमा के कवरेज के लिए प्रोत्साहित किया.
- वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने कृषि के अंतर्गत निवेश ऋण पर जोर दिया.
- बैंक ने छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया.
- कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुये ऋण प्रवाह बढ़ाने के साथ साथ, किसानों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत शामिल करने के लिए किसानों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने के लिये सभी ग्रामीण /अर्द्ध-शहरी शाखाओं ने गांव स्तरीय साप्ताहिक कृषक संध्या शिविर आयोजन किये.

वित्तीय समावेशन (एफआई)

1. बैंक ने 6532 बीसी एजेंटों को तैनात कर 24311 गांवों को कवर किया है और हमने 155 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र भी खोले.
2. लेन देन की संख्या:

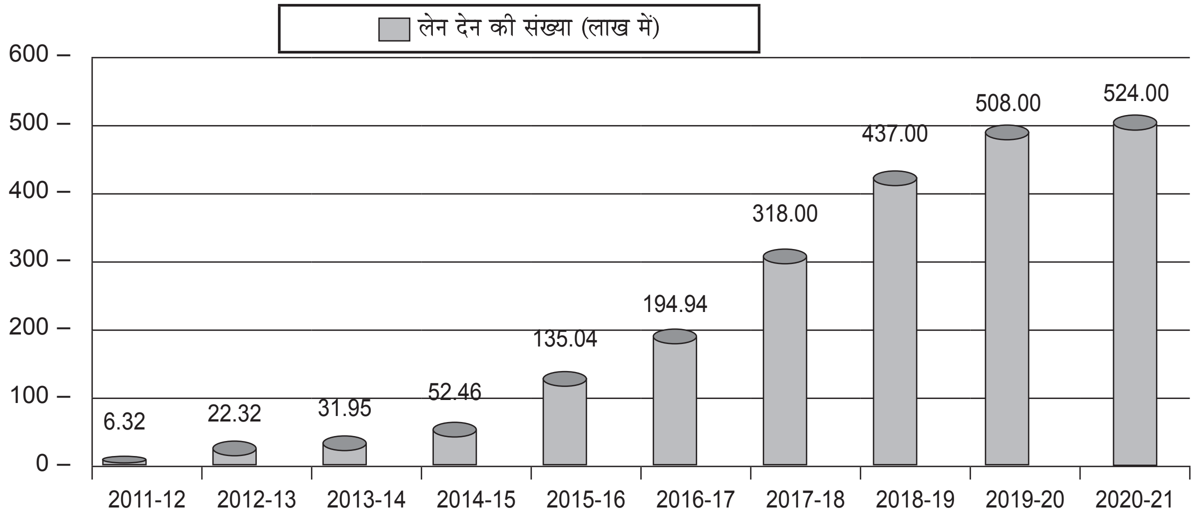

बीसी के माध्यम से खोले गए एफआई खातों में लेन देन की संख्या वित्तीय वर्ष 2019-20 में 508.00 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 524 लाख हो गयी (वर्ष दर वर्ष 3.15 %की वृद्धि)

3. बीसी के माध्यम से व्यवसाय

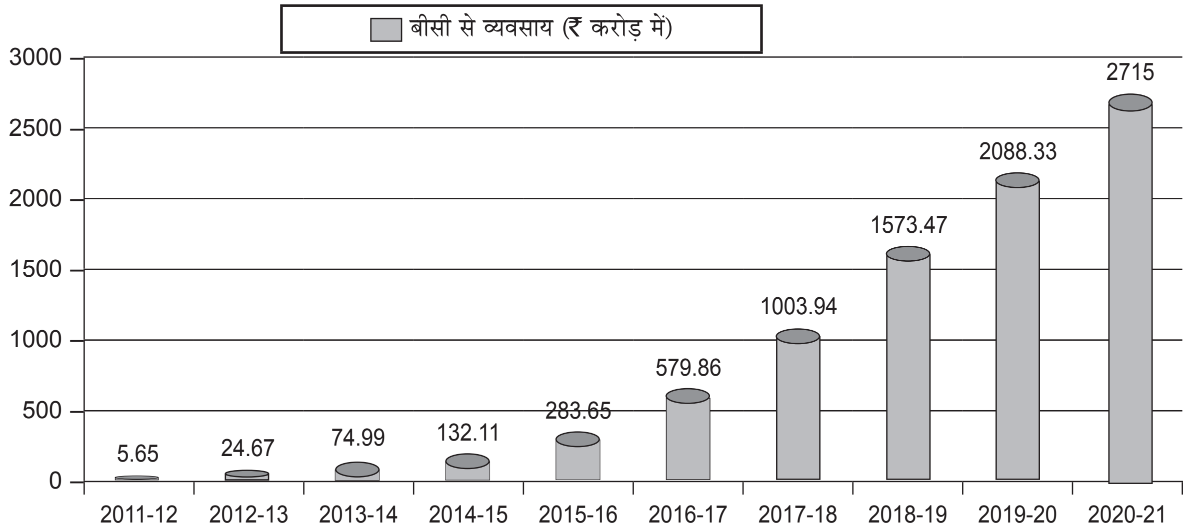

बीसी के माध्यम से 31 मार्च 2020 को हुए व्यवसाय ₹2088.33 करोड से बढ़कर 31 मार्च 202021 को ₹2715 करोड़ हो गया. (वर्ष दर वर्ष 30.01% की वृद्धि)

4. बीसी के माध्यम से खोले गए खाते:

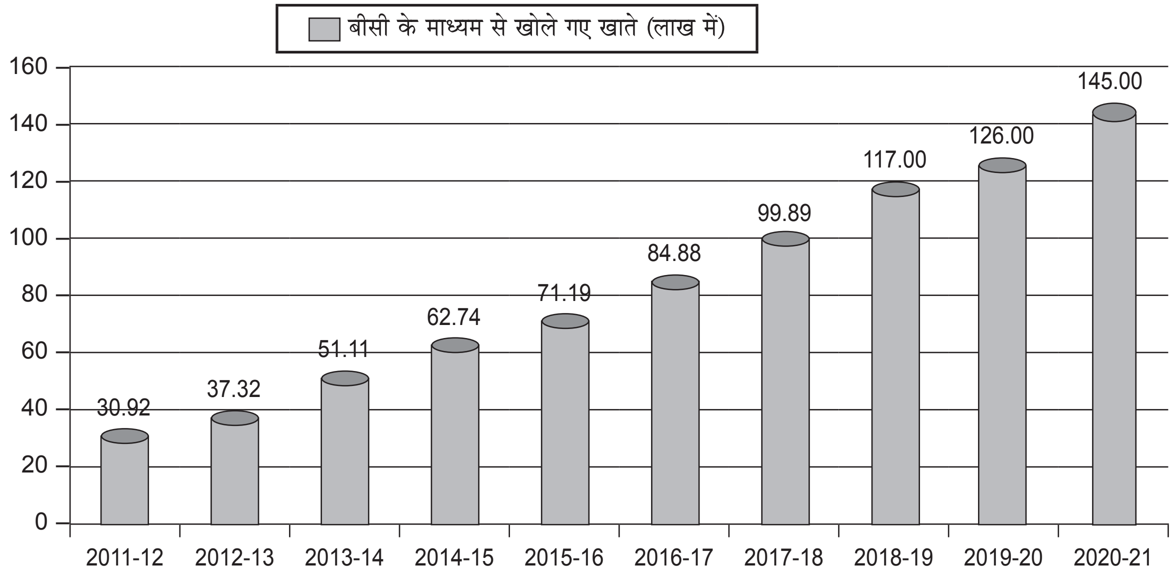

बीसी के माध्यम से खोले गए खातों की संख्या 31 मार्च 2020 को 126.00 लाख से बढ़कर दिनांक 31 मार्च 2021 को 145.00 लाख हो गयी. (वर्ष दर वर्ष की 15.08 %).वृद्धि).

वित्तीय वर्ष 2020-2021के दौरान एफआई- पीएमजेडीवाय के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

- बीसीआउटलेट के माध्यम से व्यवसाय 30.01 %, की वृद्धि सहित ₹2088.33 करोड़ से बढ़कर ₹ 2715.00 करोड़ हो गया.
- कुल एफआई व्यवसाय ₹ 4015.17 में23.41%, की वृद्धि के साथ ₹ 4955.00 करोड़ हो गया.
- पीएमजेडीवाय खातों में आधार सीडिंग का 82.25 % प्रतिशत से बढ़कर 83.97 % %हो गया एवं सभी सक्रिय कासा खातों में 88.30 % से बढ़कर 84.66 % हो गया.
- बीसीआउटलेट के माध्यम से लेन देन की संख्या 3.15 % की वृद्धि 508.00 लाख से बढ़कर 524.00 लाख हो गयी.

- ₹ 10 लाख से अधिक का व्यवसाय करने वाले बीसी की संख्या में 12.00 %की वृद्धि हुई और यह 3242 से 3631 हो गया. इसी प्रकार ₹ 1.00 करोड़ से अधिक का व्यवसाय करने वाले बीसी की संख्या में 45.12% की वृद्धि हुई एवं यह 379 से 550 हो गयी.
- सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुल पंजीकरण की मार्च 2020 की तुलना में दिनांक 31.03.2021 की वृद्धि निम्नानुसार है

सामाजिक सुरक्षा योजना	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वृद्धि%
पीएमजेजेबीवाय	15,59,877,14	17,49,860	12.18%
एसबीवाय	46,03,888	51,53,219	11.93%
एपीवाय	8,73,333	12,32,446	41.12%

पीएमजेजेबीवाई के तहत 9534 मृत्यु दावों में से 9086 दावों का निपटारा किया गया है और पीएमएसबीवाई के तहत 2801 मृत्यू दावों में से 2253 दावों का निपटारा किया गया है तथा अन्य दावों पर बीमा कंपनियों के साथ विचार किया जा रहा है.

अग्रणी बैंक के अधीन कार्यनिष्पादन.

- हमारे पास सात राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश (18), बिहार (10), महाराष्ट्र (7), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (4), राजस्थान(3) एवं छत्तीसगढ़ (4), में 51 जिलों में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व है. हमारे कुल व्यवसाय का 50% से अधिक एवं लगभग 25% शाखाएं इन राज्यों एवं अग्रणी जिलों में स्थित हैं.
- अग्रणी बैंक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए,अग्रणीजिला प्रबंधकों को समुचित स्टाफ पूरक और बुनियादी ढांचे जैसे स्वतंत्र / अच्छापरिसर, वाहन, कंप्यूटर / लैपटॉप (स्थापित के साथ) और प्रिंटर, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, ई-मेल आईडी, मोबाइल, फैक्स, वेबसाइटों की स्थापना आदि से सुसज्जित किया गया है.
- बैंक के विभिन्न उत्पादों के बारे में आम जनता / जनता को अवगत कराने के लिए, हमने अग्रणी जिला प्रबंधक को दिए गए वाहन पर ग्रामीण जनता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, केंद्रीय कारीगर क्रेडिट कार्ड, स्वाभिमान / आधार आदि से संबंधित कुछ उत्पादों को प्रदर्शित किया है.
- वित्तीय विकास / वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के पूर्ण कार्यान्वयन, आरसेटी में प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार ग्रामीण युवाओं, एसएचजी / किसान क्लब / जेएलजी का गठन, ऋणात्मक गतिविधियों को पूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए सभी विकासात्मक गतिविधियाँ कार्यान्वित की गई हैं.

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

- हमने 7 राज्यों में 48 एफएलसीसी खोले गए हैं यथा मध्यप्रदेश (18), बिहार (10), महाराष्ट्र(7), उत्तरप्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), राजस्थान (3) एवं छ्त्तीसगढ़ (2) एवं 4 एफएलसीसी केरल राज्य के ब्लाक स्तर पर और 5 एफएलसीसी ब्लाक स्तर पर बिहार के दरभंगा जिले खोले गये है. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 85 न्यु सीएफएलएस ब्लाक स्तर पर खोले गये है जिसका परिचालन 01.12.2021 से प्रारंभ होगा.
- इन सभी केन्द्रों द्वारा गांवों में 41480 आउटडोर विजिट की गई है जिसमें 542385 व्यक्तियों को साक्षरता/परामर्श प्रदान किया गया
- जन अभियान एवं व्यक्तिगत परामर्श दोनों किए जा रहे हैं.
- लोगों में जागरूकता लाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति और जीवनयापन स्तर में सुधार के अवसर प्रदान करने के लिए बैंक ने उन्हें जनसंपर्क प्रणाली युक्त गाडियां एवं बैंक द्वारा आरम्भ किये गये विभिन्न उत्पादों/योजनाओं को प्रचारित करने के लिए एलसीडी प्रदान किये है. इसके अलावा गांव के दौरे एवं परामर्श प्रदान करते समय शिक्षण सामग्री, किट, किताबें इत्यादि उपलब्ध कराई है.

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)

- देश के 9 राज्यों में 46 आरसेटी है अर्थात मध्यप्रदेश (18),बिहार (09), महाराष्ट्र (6), उत्तरप्रदेश (5), पश्चिम बंगाल(3), छ्त्तीसगढ़ (2), राजस्थान (1), उडीसा(1), एवं असाम(1)
- वर्ष 2020-21 के दौरान आरसेटी ने 573 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जिसमें 15343 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 8 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया. इनमें से 12384 यानि (81 %) प्रशिक्षार्थी बैंक ऋण,मजदूरी निपटान एवं स्व-वित्त पोषण में स्थापित किये गये.
- कुल प्रशिक्षित प्रतिभागियों में से 6513 यानि 43% क्रेडिट लिंकेज से स्थापित किए गये.

अन्य पहलें

- आरसेटी तथा एफएलसीसी के प्रचालनों तथा कार्य प्रणाली पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने के लिए हमारे बैंक द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआई-एसयूएपीसी) नाम से एक सोसयटी/ ट्रस्ट की स्थापना की गई है.
- आरसेटी तथा एफएलसीसी के मामलों तथा कार्यो पर पूर्ण नियंत्रण एवं निगरानी हेतु हमने हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संरक्षक के रूप में कार्यपालक निदेशक अध्यक्ष के रूप में एवं महाप्रबंधकगण इसके सदस्य के रूप में शीर्ष स्तर पर एक प्रशासकीय परिषद का गठन किया है.
- पीएमजेडीवाय ग्राहकॉ को ₹ 50,000/- तक के सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए सेन्टसरल बिजनेस लोन नामक एक नया सरलीकृत ऋण उत्पाद प्रारंभ किया गया.

एमएसएमई विभाग

एमएसएमई विभाग के वर्तमान में चल रहे उत्पाद निम्नवत है:

1. सेन्ट ट्रेडस् (केवल मु.मु.का के माध्यम से)
2. सेंट वेयर हाउस
3. सेन्ट कल्याणी (केवल महिला उद्यमी के लिये)
4. सेन्ट सिरेमिक (राजकोट एवं पोरबंदर जिले के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र् के लिये)
5. एसआरटीओ (लघु रोड एवं जल ट्रांसपोर्ट आपरेटर)
6. सेन्ट कॉन्ट्रैक्टर
7. सेन्ट कन्स्ट्रक्शन इक्युपमेंट वित्त
8. सेंट होजरी/ टेक्सटाईल्स
9. सेंट मुद्रा
10. सेन्ट स्टैण्डअप इंडिया
11. सेन्ट व्हिवर मुद्रा योजना
12. सेन्ट ट्रेड - कमीशन एजेंट/ आढती
13. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एन यू एल एम)
14. सेन्ट बिजनेस गोल्ड ऋण
15. सेन्ट लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड (एलयूसीसी)
16. सेन्ट कस्टम हायरिंग केंद्र (केवल भोपाल अंचल के लिए)
17. अनुसूचित जाति के लिये क्रेडिट गारंटी योजना (सीईजीएसएससी)
18 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (मध्य प्रदेश राज्य के लिए)
19 मुख्यमंत्री यूवा उद्यमी योजना (मध्य प्रदेश राज्य के लिए)
20 सेन्ट मारर्टगेज बिजनेस ऋण (टीएल)
21 सेन्ट बिजनेस ऋण

निम्नलिखित एमएमएमई उत्पादों को बंद किया गया :

1. सेन्ट- सहयोग
2. सेन्ट प्रोत्साहन
3. सेन्ट- प्रोस्पेरिटी (अल्प संख्यक समुदाय के लिए)
4. सेन्ट मत्स्य कन्या (फिशर महिलाओं के लिए)
5. सेन्ट आर्टिजन क्रेडिट कार्ड

6. सेन्ट कास्टिंग एण्ड फोर्जिंग
7. सेन्ट व्यावसायिक
8. सेन्ट गति धारा (पश्चिम बंगाल राज्य हेतु)
9. सेन्ट रिटर्न एनआरआई बिजनेस ऋण योजना - केरल राज्य में वापस आने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए वित्तपोषण
10. सेन्ट जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट
11. सेन्ट डॉक्टर
12. सेन्ट डेंटिस्ट

1. निष्पादन

(राशि करोड़ में)

विवरण	31.03.2020 (आडिटेड) पीएसएलसी रहित	31.03.2020 (आडिटेड) पीएसएलसी सहित*	31.03.2021 (आडिटेड) पीएसएलसी रहित	31.03.2021 (आडिटेड) पीएसएलसी सहित **	वर्ष-दर-वर्ष % वद्धि पीएसएलसी रहित	वर्ष-दर-वर्ष % वद्धि पीएसएलसी सहित
माइक्रो इंटरप्राइजेज	10597	13733	14109	14109	33.14%	2.73%
एमएसई	26717	29853	29963	29963	12.14%	0.36%
एमएसएमई(पीएस)	30233	33369	32845	32845	8.63%	-1.57%
कुल एमएसएमई	30233	33369	32845	32845	8.63%	-1.57%
कुल अग्रिम में एमएसएमई अग्रिम %	17.55%	19.37%	18.27%	18.56%	1.01%	-0.81%
भारतीय रिजर्व बैंक आदेशित (प्रधानमंत्री कार्यबल)	31.03.2020 (आडिटेड)		31.03.2021 (आडिटेड)		लक्ष्य मार्च -21	
माइक्रो इंटरप्राइजेज में खातों की संख्या	878407		925742		966248	
माइक्रोइंटरप्राइजेस के अधीन वर्ष-दर-वर्ष % खातों की संख्या में वृद्धि	8.04%		5.38%		10%	
भारतीय रिजर्व बैंक आदेशित (प्रधानमंत्री कार्यबल)	31.03.2020 (आडिटेड) पीएसएलसी रहित	31.03.2020 (आडिटेड) पीएसएलसी सहित	31.03.2021 (आडिटेड) पीएसएलसी रहित	31.03.2021 (आडिटेड) पीएसएलसी सहित	लक्ष्य मार्च-21	
एमएसई पोर्टफोलियो (राशि)	26717	29853	29963	29963	लागू नहीं	
एसएसई के अधीन वर्ष-दर-वर्ष % साख वृद्धि	-5.51%	-12.62%	12.14%	0.36%	20%	
एमएसई क्रेडिट में माइक्रो क्रेडिट %	37.48%	40.20%	52.80%	47.26%	60%	

(*) पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यमों के अधीन ₹ 3136/ करोड की खरीद एवं सिडबी में निवेश ₹ 740.49 करोड़ जिसमें मुद्रा लिमिटेड ₹ 243.09 करोड़ है.

(**) पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यमों के अधीन ₹0.00/- करोड़ की खरीद एवं सिडबी में निवेश ₹ 355.81 करोड जिसमें मुद्रा लिमिटेड ₹ 133.63 करोड़ है.

सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत निष्पादन :

सूक्ष्म उद्यम बकाया दिनांक 31.03.20 पीएसएलसी रहित	सूक्ष्म उद्यम बकाया दिनांक 31.03.20 पीएसएलसी सहित	सूक्ष्म उद्यम बकाया दिनांक 31.03.21 पीएसएलसी रहित	सूक्ष्म उद्यम बकाया दिनांक 31.03.21 पीएसएलसी सहित	एएनबीसी मार्च-21 तक	दिनांक 31.03.20 की स्थिति पीएसएलसी रहित	दिनांक 31.03.20 की स्थिति पीएसएलसी सहित	दिनांक 31.03.21 की स्थिति पीएसएलसी रहित	दिनांक 31.03.21 की स्थिति पीएसएलसी सहित	लक्ष्य मार्च- 21 (एएनबीसी का 7.50%)
10597	13732	14109	14109	157598	6.71%	8.70%	8.41%	8.41%	12570

संकेतक	विवरण
निष्पादन वैशिष्ट्य	❖ एमएसई के लिये माइक्रो क्रेडिट का % पीएसएलसी रहित 47.86% है. ❖ बैंक ने माइक्रो के अधीन खातों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष 5.38 % की वृद्धि दर्ज की. ❖ डीएफएस, एम.ओ.एफ., भारत सरकार द्वारा पीएमएमवाय के अधीन दिए गये लक्ष्यों में बैंक की उपलब्धि 143% रही. मार्च 2021 की नवीन स्वीकृति के अंतर्गत बैंक के लिए निर्धारित लक्ष्य ₹ 4400 करोड़ के विरूध्द ₹ 6328 करोड प्राप्त कर सका.
नवोन्मेष	❖ बैंक ने ईडल्विल्स रिटेल फायनेंस लि. और इंडिया बुल्स कंज्यूमर क्रेडीट लि. के साथ सह उधार के अधीन ऋणों के लिए टाई-अप किया है. ❖ रिजोल्युसन फ्रेमवर्क 2.0 लांच किया गया
भावी पथ	माइक्रो इंटरप्राइजेस पर जोर एएनबीसी के 7.5% के भा.रि. बैंक एवं पीएमटीएफ द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु माइक्रो इंटरप्राइजेस पर विशेष बल दिया जा रहा है. ❖ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा जोर मुद्रा योजना, स्टैण्ड अप इंडिया योजना, केवीआईसी/ पीएमईजीपी के अधीन ऋण एवं सेन्ट वीवर मुद्रा योजना के अधीन वित्त प्रदान करने पर है. ❖ एमएसएमई ऋण में सुधार के लिए सह-ऋण योजना ❖ टीआरईडीएस व्यवसाय पर फोकस ❖ फ्रेमवर्क 2.0 के अधीन स्ट्रेस्ड एमएसएमई खातों का एकमुश्त पुनर्गठन ❖ एसएमए -2 खातों के उन्नयन के साथ-साथ पुर्नसंरचना के लिए आक्रामक अनुवर्ती कार्यवाही आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र खातों का किया जा रहा है. ❖ फिनटेक गतिविधियों के डिजिटल दस्तावेजों को अपनाकर और माइक्रो क्रेडिट के लिए एंड टू एंड समाधान प्रदान करने वाले प्रौद्योगिकी सक्षम उत्पादों को पेश करके समर्थ किया जाएगा. ❖ सभी पात्र एमएसएमई खातों में जीईसीएल का विस्तार

खुदरा ऋण

दिनांक 31.03.2021 को खुदरा ऋण योजनाओं के अधीन कुल बकाया राशि ₹ 49468 करोड थी. बैंक का खुदरा संविभाग कुल ऋणों का 27.96% है.

(₹ करोड़ में)

	31-03-2020	**31 -03-2021**
खुदरा ऋण	46106	49468
कुल ऋण	172244	176913
कुल ऋणों में रिटेल (%)	26.76	27.96

	31-03-2020	31-03-21
आवास ऋण	25821	27969
खुदरा ऋण	46106	49468
कुल रिटेल क्रेडिट में आवास ऋण (%)	56.00	56.54

नोट : दिनांक 31.03.2020 तक के कुल खुदरा ऋण ₹ 1500 करोड़ आईबीपीसी में शामिल है. दिनांक 31.03.21 तक आईबीपीसी में खुदरा ऋण निरंक है. दिनांक 31.03.21 को आवास ऋण योजना में कुल बकाया राशि 27969 करोड़ थी. बैंक का आवास ऋण संविभाग कुल रिटेल अग्रिम का 56.54 % है. आवास ऋण पिछले वर्ष से 8.32% बढा है.

खुदरा ऋण में उत्पाद और सेवायें :

बैंक के पास 20 खुदरा ऋण उत्पाद है जो आम जनता के लिये संभावित ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकता को स्पष्ट विभेद के साथ पूरा करते हैं.

क्र.संख्या	योजना का नाम
1.	**सेंट होम ऋण योजना -** श्रेष्ठ होम लोन विशेषताओं एवं कमतर ब्याज दर के साथ घर/फ्लैट की खरीद/निर्माण हेतु योजना
2.	**सेंट होम डबल प्लस योजना-**है एक ऐसा होम लोन उत्पाद, जिसमें अधिक पुनर्भुगतान करना अनुमत है, ब्याज लाभ तथा जरूरत पड़ने के मामले में अधिक प्रदत्त भुगतान को आहरण करने की तरलता भी प्रदान करता है.
3.	**सेंट होम- सीआरजीएफटीएलआईएच योजना- ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना के अंतर्गत, कवरेज के साथ इडब्ल्यूएस एवं एलआईजी की योजना**
4.	**सेन्ट होम - प्रधानमंत्री आवास योजना - पीएमएवाय के अंतर्गत , अनुदान राशि के साथ होम लोन उत्पाद**
5.	**सेन्ट होम लोन लाभार्थियों को टॉप-अप मियादी ऋण सुविधा -** व्यक्तिगत जरूरत के लिए टॉप-अप ऋण
6.	**सेन्ट होम ऋण योजना - तीसरा या चौथा आवास खरीदने के लिए -** 2 घरों से अधिक के लिए आवास ऋण
7.	**सेन्ट मॉर्गेज मियादी ऋण -** आसान शर्तों पर सम्पत्तियों के विरूद्ध ऋण
8.	**सेन्ट रेन्टल -** आसान शर्तों पर प्राप्य किराये के विरूद्ध ऋण
9.	**सेंट स्वाभिमान प्लस -** वरिष्ठ नागरिकों को जीवन भर के लिए वार्षिकी भुगतान योजना
10.	**सेन्ट विद्यार्थी -** विद्यार्थियों के लिए आसान शर्तों पर शैक्षणिक ऋण योजना
11.	**सेन्ट विधार्थी - एनसीजीटीसी गारंटी-** अनुदान राशि के साथ ₹ 7.5 लाख तक शिक्षा ऋण योजना
12.	**सेन्ट स्किल लोन योजना -** दक्षता हासिल करने के लिए शिक्षा ऋण योजना
13.	**एक्सिक्यूटिव एमबीए के लिये शैक्षिणक ऋण-** अनुभव के साथ कार्यपालकों के लिए शिक्षा ऋण योजना
14.	**आईआईएम एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के विदयार्थियों के लिए शिक्षा ऋण -**आईआईएम एवं अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थाओं के लिए शिक्षा ऋण योजना
15.	**आईआईटी विद्यार्थियों के लिये सेन्ट टेक विधार्थी -** आईआईटी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण योजना
16.	**सेन्ट व्हीकल योजना -** आसान शर्तों पर दो/चार पहिया वाहन खरीदने के लिए ऋण
17.	**सेन्ट पर्सनल योजना -** व्यक्तिगत ऋण योजना
18.	**सेन्ट लिक्विड -** शेयर्स के विरूद्ध ऋण
19.	**सेन्ट पर्सनल गोल्ड लोन योजना -** स्वर्ण के विरूद्ध ऋण
20.	**पेंशन लोन योजना -** पेशंनरों को ऋण

खुदरा ऋणों के वृद्धि के लिए की गई पहल

➢ उधार देने की बढ़ी हुई शक्तियों वाली शाखाओं द्वारा ऋण स्वीकृत करने के लिये सीपीएसी माडल का कार्यान्वयन.

➢ खुदरा ऋण को बढ़ावा देने के लिए सभी खुदरा योजनाओं के लिए शाखा प्रबंधकों की उधार देने की शक्ति में वृद्धि हुई.

- खुदरा ऋणों को बढ़ावा देने के लिए डीएसए के बोर्डिंग पर
- क्षेत्रीय कार्यालय में मार्केटिंग वर्टिकल स्थापित किया गया जिससे लीड उत्पत्ती एवं लीड परिवर्तन की निगरानी की जा सकें.
- आवास, वाहन और व्यक्तिगत ऋण के लिए 59 मिनट पोर्टल और शिक्षा ऋण के लिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल (वीएलपी) में ऑनलाइन पीएसबी ऋण के साथ टाई- अप किया गया. पीएसबी59/व्हीएलपी पोर्टल का उपयोग करने के लिए शाखाओं को प्रोत्साहित किया जाता है
- विभिन्न खुदरा ऋण योजनाओं के लिए सीआईसी स्कोर का युक्तिकरण शुरू किया गया.
- ईज़ दिशा- निर्देशों की समय समय पर निगरानी की जाती है
- अभियान अवधि के दौरान वर्तमान और साथ ही नए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए ई-मेल, एसएमएस, स्थानीय मीडिया, होर्डिंग, बैनर, स्टैंडी, रेडियो सिंगल्स और पैम्फलेट के माध्यम से सामूहिक अभियान चलाया.
- रिटेल लोन पोर्टपोलियों को बढ़ाने के लिए, रिटेल मानसून और रिटेल महोत्सव सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, इस अवसर पर प्रोसेसिंग शुल्क में रियायतें दी गईं.
- सेंट कनेक्ट के कार्यक्रम के अधीन व्यवसाय का अनुकूलन.

आवास ऋणों के वृद्धि के लिए की गई कार्रवाई,

- प्राथमिक क्षेत्र के आवास ऋणों के वित्तपोषण के लिए आवास वित्त कंपनियों के साथ सह-उधार मॉडल करार
- टीएटी को कम करने और आवास ऋण में वृद्धि के लिए प्रतिष्ठित रेरा पंजीकृत अच्छे बिल्डरों के साथ करार
- अन्य बैंकों से आवास ऋण के अधिग्रहण पर फोकस करना.
- पुनर्विक्रय गृहों के ऋण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रियल एस्टेट एजेंटों को प्रोत्साहन का परिचय
- टियर- II, टियर- III और टियर- Iv शहरों पर ध्यान.
- पीएमएवाई और किफायती आवास पर फोकस करना

वाहन ऋणों में वृद्धि के लिए कृत कार्रवाई :

- नियमित रूप से भेंट करके लीड प्राप्त कर उसे व्यवसाय में बदलना .
- डीलर / उपडीलर को आकर्षक प्रोत्साहन राशि.

व्यक्तिगत ऋणों में वृद्धि के लिये कृत कार्रवाई :-

- वेतन और पेंशन खाताधारकों के साथ निरंतर संवाद.
- कॉर्पोरेटस/ सरकारी संगठनों से भेंट करके उनके कर्मचारियों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना.
- डिजिटल प्रलेखन के माध्यम से सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वेतन खाता धारकों को तत्काल व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना.
- कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे मौजूदा बंधक धारकों को विशेष और पेंशनर्स/वेतनभोगी ग्राहक जिन्हे हमारी बैंक से पेंशन/वेतन मिल रही है, व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना.

गोल्ड ऋण में वृद्धि के लिये कृत कार्रवाई :-

- संभावित शहरों/कस्बों में ऋण देने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण. मूल्यांकक और सुरक्षित लॉकर का उचित प्रावधान.
- शाखा में बैनरों, स्टैंडी, पैम्फलेट्स का वितरण करके गोल्ड लोन उपलब्ध कराना..

शिक्षा ऋण में वृद्धि के लिये कृत कार्रवाई :-

- आईआईएम, आईआईटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों के लिये शिक्षा ऋण पर ध्यान देना.
- आईआईएम छात्रों /अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों और कार्यकारी एमबीए योजनाओं को शिक्षा ऋण के तहत नया व्यवसाय प्राप्त करने के लिये आरओआई में कमी.
- विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को ऋण.

- सेंट विद्यार्थी- एनसीजीटीसी गारंटी योजना के तहत रुपये 7.50 लाख तक के ऋण स्वीकृत किए जा रहे हैं.
- लीड उत्पति के लिए चयनित किए गए शैक्षिक संस्थानों के साथ टाई-अप व्यवस्था

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

- बैंक का विदेशी विनिमय व्यवसाय देश भर में फैली 62 प्राधिकृत डीलर (बी श्रेणी) शाखाओं द्वारा संपादित किया जाता है. परिचालनीय कुशलता के लिए मुम्बई में बैंक का एक केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है ताकि निधि प्रबंधन व परिचालन सुविधा में बेहतरी हासिल की जा सके.
- दिनांक 31.03.2021 को बैंक का निर्यात पोर्टफोलियो रुपये ₹ 4446 करोड रहा जो दिनांक 31.03.2020 को रुपये 4876 करोड़ था. यह पिछ्ले वर्ष के मुकाबले 8.82 % कम रहा.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मर्चेंट ट्रेड विदेशी विनिमय का टर्नओवर रुपये 27377 करोड़ रहा जो वित्तीय वर्ष 2019 -20 में 31367 करोड़ था.
- एनआरई जमा राशि दिनांक 31.03.2020 को रूपये 5130 करोड़ बढ़कर दिनांल 31.03.2021 को रूपये 5416 करोड़ हो गई, जो गत वर्ष की तुलना में 5.58 % की वृद्धि दर्शाती है.
- एफसीएनआर जमा राशि दिनांक 31.03.2020 को यूएसडी 230.66 मिलियन से घटकर कर दिनांक 31.03.2021 को यूएसडी 230.54 मिलियन हो गई, जो गत वर्ष की तुलना में 0.05% की कमी दर्शाती है.

ट्रेजरी निधि एवं निवेश

- बैंक का निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च,2021 को बढकर 1,53,820 करोड़ हो गया (गैर-एसएलआर, गैर-अंतरणीय भारत सरकार पुन:पूंजीकरण बॉन्ड रूपये 19580 करोड़ सहित) जो दिनांक 31 मार्च, 2020 को रूपये 1,47,358 था, पिछले वर्ष की तुलना में 4.39% की वृद्धि दर्ज हुई. दस वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल दिनांक 31.03.2021 के 6.18% की तुलना में दिनांक 31.03.2020 को 6.14% पर बंद हुआ.
- वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट एक बार घटा कर प्रभावी रूप से रेट को 4.40% से 4% कर दिया. इससे बैंक दर एवं सीमांत स्थायी सुविधा दर कम होकर 4.25% हो गई.
- लघु और मध्यम आकार के कॉर्पोरेट, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित (एनबीएफसी) और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) के खाते पर कोविड-19 व्यवधान के कारण खातों पर असर पड़ा है. तरलता उपाय के भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) का संचालन किया है और बैंक ने रूपये 1764 करोड़ आगे अभिनियोजन करने के लिए प्राप्त किये हैं.
- पिछले वर्ष के ट्रेडिंग लाभ रूपये 1214.85 करोड की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ट्रेजरी ने रूपये 1380.64 करोड़ का ट्रेडिंग लाभ दर्ज किया. निवेश पर प्रतिफल (ट्रेडिंग लाभ के अलावा) वर्ष 2019-20 के दौरान 7.01% से कम होकर वर्ष 2020-21 के दौरान 6.62% हो गया.
- भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिभूतियों के स्थानांतरण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक में वर्ष 2020-21 के दौरान केन्द्र एवं राज्य सरकार को रूपये 5171 करोड़ की प्रतिभूतियां एएफएस से एचटीएम में एवं रुपये 6913 करोड़ की राशि एचटीएम से एएफएस में अंतरित की.
- दिनांक 31 मार्च, 2021 को बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का संमिश्र निम्न प्रकार है :

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं	संघटन	31.03.2021	31.03.2020
1	एसएलआर	110,414.28	109,493.35
2	गैर-एसएलआर	43405.78	37,864.51
	योग	**153820.06**	**147,357.86**

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन प्रणाली / संगठनात्मक संरचना

बैंक में अब जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुव्यवस्थित रूप से स्थापित है. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से क्रेडिट, मार्केट और परिचालन जोखिम तथा पिलर जोखिमों के तहत बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों/नीति की देखरेख करती है. समिति उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है जिससे बाजार की गतिविधियों से समन्वय सहित सापेक्ष जोखिम वाले मॉडल का आकलन करती है और नए जोखिमों की पहचान और नियंत्रण भी करती है. समिति नियमित रूप से कॉर्पोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम के अनुपालन की निगरानी करती है.

जोखिम प्रबंधन संरचना

- परिचालन स्तर पर विभिन्न समितियाँ, तथा बाजार जोखिम के लिए आस्ति देयता समिति (आल्को), ऋण जोखिम के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) तथा परिचालन जोखिम के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरसीओ) गठित की गई है जिसमें शीर्ष प्रबंधतंत्र टीम के सदस्य शामिल किए गए हैं.
- यह समितियाँ बैंक के विभिन्न परिचालनों के अंतर्गत जोखिम के स्तर के आकलन एवं निगरानी के लिए वर्ष भर नियमित बैठकें करती हैं तथा आवश्यकतानुरूप उचित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय लागू करती है.
- सभी आंचलिक कार्यालयों में बैंक ने मुख्य प्रबंधक / वरिष्ठ प्रबंधक / प्रबंधक श्रेणी के अधिकारियों को जोखिम प्रबंधक के तौर पर अभिचिन्हित किया है. यह जोखिम प्रबंधक, आंचलिक स्तर पर केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के ''विस्तारित भाग'' के तौर पर कार्य करते हैं.

बाजार जोखिम प्रबंधन

- मिड ऑफिस, बाजार की स्थिति, फंडिंग पैटर्न की समीक्षा करता है और एक्सपोजर, अवधि, काउंटर पार्टी की सीमाओं और विभिन्न संवेदनशील मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है.
- वीएआर तथा अवधि अंतर विश्लेषण जैसे उपकरणों का सतत उपयोग किया जाता है जिससे अल्पकाल में बैंक के लाभ को तथा दीर्घकाल में इक्विटी मूल्य को नापने और प्रबंध करने के लिए किया जाता है.
- ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर पूँजीगत प्रभार का सतत अनुमान लगाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है तथा बाजार जोखिम के संबंध में बेसल III के दिशानिर्देशों के अनुसार उसे लागू किया गया है.
- पोर्टफोलियो में बाजार जोखिम की निगरानी के लिए बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है. ट्रेजरी परिचालन के लिए प्रति-पक्ष पार्टियों की सीमाएँ समकक्षों की नवीनतम, जोखिम सहबद्धता की स्थिति के अनुसार निर्धारित / समीक्षित की गई है.

ऋण जोखिम प्रबंधन

- बैंक की एक सुस्पष्ट लिखित एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति है.
- विभिन्न मॉडलों जैसे लॉर्ज कॉर्पोरेट मॉडल, इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडल, एनबीएफसी इत्यादि के अंतर्गत उधारकर्ताओं की रेटिंग के लिए बैंक के पास क्रिसिल लि. से प्राप्त मॉड्यूल है.
- बैंक ने रिटेल ऋण ग्रेडिंग के लिए रेटिंग मॉडल्स (स्कोर कार्ड) विकसित किए हैं तथा इनका उपयोग किया जा रहा है.
- ऋण जोखिम प्रबंधन की गतिविधियों की रिपोर्टिंग एवं निगरानी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली ऋण जोखिम नीति समिति द्वारा की जाती है.
- बैंक ने एसएएस समाधानों का उपयोग करत हुए पूंजी गणना के उन्नत दृष्टिकोनों के कार्यान्वयन को पूरा कर लिया है. सिस्टम वर्तमान में एफआईआरबी के साथ समानांतर रूप से चल रहा है.

परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन

- बैंक में परिचानात्मक जोखिम प्रबंधन बैंक के जोखिम प्रोफाइल और जोखिम क्षमता के अनुरूप व्यापक परिचालन जोखिम प्रबंधन और माप ढांचे को विकसित करने के लिये एक अच्छी तरह से निर्धारित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति दवारा पूरी तरह से सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति के द्वारा मार्गदर्शित है.
- परिचालनात्मक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (ओआरसीओ) सुनिश्चित करती है कि उचित परिचालनात्मक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क मौजूद है और इसकी नियमित आधार पर निगरानी की जाती है. ओआरसीओ जोखिम पहचान, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग विधियों सहित परिचालन जोखिम पद्धतियों और उपकरणों के विकास और कार्यान्वियन की समीक्षा और अनुमोदन भी करता है. धोखाधड़ी का विश्लेषण, नियर मिस इवेंट, गैर-अनुपालन, उल्लंघन, प्रणालीगत सुधार आदि और परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए उपयुक्त नियंत्रण/शमन की सिफारिश भी समिति को प्रस्तुत की जाती है
- नया उत्पाद अनुमोदन नीति ढांचा मौजूद है जो नए उत्पादों/प्रक्रियाओं या गतिविधियों से जुड़े जोखिमों को कम करने में बैंक का मार्गदर्शन करता है.
- बैंक के पास व्यवसाय निरंतरता योजना है जो बैंक के लिये विघटन योजना के दौरान पूर्वनिर्धारित क्षमता पर स्वीकार्य समय सीमा के भीतर उत्पादों और सेवाओं की डिलीवरी जारी रखने हेतु बैंक के लिए ढांचा तैयार करती है और बैंक को विघटन का जवाब देने और फिर से शुरू करने के लिए भी मार्गदर्शन करती है अपने व्यापार निरंतरता उद्देश्यों के अनुरूप उत्पादों और सेवाओं के वितरण को पुनर्प्राप्त और पुनर्स्थापित करें .
- बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान (आईआरएमएस) के तहत आईएमएम मॉड्यूल (घटना प्रबंधन मॉड्यूल) में हानि इवेंट डेटा और निकट गलत घटनाओं का संग्रह शुरू कर दिया है

पूँजी आयोजना :

बैंक के पास सुदृढ आईसीएएपी (आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया) उपलब्ध है, बैंक ने जोखिम अभिलाषी ढांचा तैयार किया है एवं बासल III मापदंडों की न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूँजी अनुपात रखने का इरादा है. पूँजी के प्रति अनुमान की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है.

आस्ति एवं देयता प्रबंधन पद्धतियाँ

- एएलएम प्रमुखत: बैंक के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से तरलता एवं ब्याज दर जोखिम के मापन एवं प्रबंधन से संबंधित है, आलको (आस्ति एवं देयता समिति) ने वर्ष 2020-21 के दौरान तरलता एवं अन्य संबंधित मामलों के संबंध में बैंक की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 26 बार बैठकें की.
- विनियामक रिपोर्टिंग के अलावा, एएलएम द्वारा जमाओं पर ब्याज निर्धारण करने के साथ-साथ आधार पर, एमसीएलआर, आरबीएलआर और बीपीएलआर का निर्धारण भी किया जाता है. वर्ष 2020-21 के दौरान जमा ब्याज दरों में 9 (नौ) बार, आधार दर में 4(चार) बार एवं एमसीएलआर में 12 (बारह) बार संशोधन किया गया.
- भारिबैंक के नये दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने दिनांक 01 जनवरी, 2015 से एलसीआर (तरलता कवरेज अनुपात) की गणना मासिक आधार पर करना प्रारंभ कर दिया है एवं यह अनुपात भारिबैंक द्वारा निर्धारित प्रारंभिक सीमा (अर्थात 2020-21 के लिए 100%) पर है. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए औसत एलसीआर 386.91%.रहा है.

बासल III दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

- भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2015 में नए पूँजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया है, इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के बासल III अपनाया है तथा ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और बाजार जोखिम हेतु मानकीकरण अवधि पद्धति के आधार पर पूँजी का प्रावधान किया है.
- सभी आवश्यक नीतियाँ जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति,बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, बाजार अनुशासन तथा प्रकटीकरण नीति, आईसीएएपी इत्यादि बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है.
- ऋण जोखिम के अधीन पूँजी प्रभार की गणना हेतु बैंक आईआरबी (आंतरिक रेटिंग आधारित) दृष्टिकोण के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है.

सैम (एसएएम) एवं वसूली विभाग

अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन के लिए बैंक में विस्तृत दिशानिर्देशों से युक्त एक सुपरिभाषित वसूली नीति उपलब्ध है, इसमें एनपीए प्रबंधन के सभी क्षेत्र निगरानी, अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, स्टाफ जवाबदेही, सरफेसी अधिनियम, प्रवर्तन वसूली एजेंसियों की वसूली, स्वीस चैलेंज पद्धति केअंतर्गत एआरसी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन, चूककर्ता, एक मुश्त निपटान आदि शामिल हैं.

अर्थव्यवस्था में नवीनतम परिवर्तन/गतिविधियाँ एवं एनपीए निपटान/ प्रबंधन की प्रवृत्तियाँ इत्यादि को समाहित करने के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है. बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली अभियान चलायें.

1. वर्ष -2020-21 के दौरान, एनपीए खाते में रुपये 2963 करोड़ की नकद वसूली और रूपये 499 करोड़ का अपग्रेडशन हुआ
   - सकल एनपीए का स्तर थोडा अर्थात 3312 करोड बढकर रुपये 32589 करोड़ से 29277 करोड़ हो गया.
   - शुद्ध एनपीए रूपये 11534 करोड से 9036 करोड रहा 2498 करोड़ कम हो गया.
   - सकल एनपीए, कुल ऋणों की तुलना में 18.92% से कम होकर 16.55% हो गया (237 बीपीएस)
   - शुद्ध एनपीए, शुद्ध ऋणों की तुलना में 7.63% से कम होकर 5.77% हो गया (186 बीपीएस)
   - बट्टे खातों में नकद वसूली रूपये 332 करोड़ हो गई.

2 एनपीए समाधान के लिए निम्न एक मुश्त समझौता (ओटीएस) योजना कार्यान्वित की गई.

   ए. विवेकाधीन रहित/ भेदभाव रहित (एनडीएनडी) 2020-21 विशेष एक मुश्त समझौता योजना जिसमें 31.03.2020 के अवमानक, डीए1, डीए2, डीए3, हानि लेखा एवं पीडब्ल्यूओ/ टीडब्लूओ खाते जिसमें ग्राहक का एक्सपोजर (बकाया सीआईएफ वार) रूपये 10.00 करोड़ तक है.

   बी. सभी एनपीए खाते प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) दृष्टिकोण के अंतर्गत ओटीएस योजना

वित्तीय वर्ष 2020 -21 में इन योजनाओं में कुल लेजर अतिदेय में ₹3576 करोड़ में से ₹2338 करोड के स्वीकृत किए गये थे.

3. वर्ष के दौरान बैंक ने आस्ति वसूली कंपनियों (एआरसी) को 9 एनपीए खाते 100% नकद के अंतर्गत स्विस चुनौती पद्धति के अंतर्गत बेचे गए जिसके अंतर्गत रुपये 270 करोड़ नकद वसूली हुई, जिसके परिणामस्वरूप एनपीए में रूपये 726 करोड़ की कमी हुई.

4. भारिबैंक के परिपत्र दिनांक 07.06.2019 के दिशानिर्देश के अनुसार रूपये 1500 करोड़ या उससे अधिक बैंकिंग एक्सपोजर वाले खातों के लिए आईसीए हस्ताक्षरित किया गया.

कुल खाते	दिनांक 31.03.2021 को बकाया राशि	किया गया कुल प्रावधान
20	₹ 8808.88 करोड़	₹ 6972.30

5. समाधान योजना अनुमोदित किया गया एवं भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 07.06.2019 के अनुसार समाधान योजना को खाते के अनुपालन में कार्यान्वित किया गया.

खातों की संख्या	बकाया राशि	कुल प्रावधान
4	₹ 1880.15करोड़	839.07 करोड

6. वर्ष 2020 -21 के दौरान एनपीए खातों में वसूली एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, एनपीए के उतार चढाव की हमारे कार्यपालकों द्वारा दैनिक आधार पर सूक्ष्मता से निगरानी की जा रही है. सरफेसी के तहत कानूनी कार्यो और कार्रवाई के माध्यम से एनपीए खातों में वसूली की समीक्षा नियमित आधार पर समीक्षा बैठकों के दौरान की जाती है और मासिक आधार पर फील्ड कार्यकारिणी के साथ वीडियो कॉफ्रेंस की जाती

7. ₹10 लाख एवं इससे अधिक के गैर-निष्पादित ऋणियों से क्षेत्रीय कार्यालय के वसूली दल द्वारा व्यक्तिगत रूप से ऋण वसूली के लिए संपर्क किया जा रहा है.

बैंकएश्योरेंस

बैंकाश्योरेंस कक्ष जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के वितरण का कार्य करता है और कमीशन प्राप्त करता है.हमारे बैंक के पास बीमा व्यवसाय के लिए इरडाई तीन वर्ष की अवधि का मिश्रित कॉर्पोरेट एजेन्सी लाइसेंस है जिसकी वैधता 31.03.2022 तक है.बैंक ने इरडाई अधिनियम 2025 के तहत जिसे ''खुली संरचना'' कहा जाता है, बैंकाश्योरेंस व्यवसाय हेतु निम्न विभिन्न बीमा कंपनियों के साथ 'जीवन, गैर-जीवन और केवल स्वास्थ्य' खंड के लिए बीमा पार्टनर के रूप में टाई-अप व्यवस्था की है :

क्रम सं.	बीमा कंपनी का नाम	श्रेणी
1	भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड	जीवन बीमा
2	टाटा एआईए जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड	जीवन बीमा
3	द न्यू इंडिया एशोरेंस कंपनी लिमिटेड	साधारण बीमा
4	बजाज अलाएंज जनरल इशोरेंस कंपनी लिमिटेड	साधारण बीमा
5	एचडीएफसी इरगो हेल्थ इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड (दिनांक 01.10.2020 से समाप्त)	केवल स्वास्थ्य बीमा

दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष में कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशिष्टताएँ निम्नानुसार रही :

- जीवन बीमा व्यवसाय में, बैंक ने 69,471 पालिसियाँ एवं ₹49.66 करोड प्रीमियम संग्रहित किया है.
- साधारण बीमा व्यवसाय में, बैंक ने ₹11.59 करोड प्रीमियम सहित 2,73,976 पालिसियाँ संग्रहित की है.
- स्वास्थ्य बीमा के एकल व्यवसाय में ₹1.12 करोड प्रीमियम सहित 8914 पालिसियाँ संग्रहित की है.
- बैंकाश्यूरेंस व्यवसाय से कुल आय ₹ 62.37 करोड की हुई है.
- बैंक के पास बैंकाश्युरेंस व्यवसाय करने के लिए 1671 विनिर्दिष्ट व्यक्ति है.

डिपॉजटरी सेवाएँ

बैंक सेन्ट्रल डिपॉजटरी सर्विस लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ व्यवस्था के तहत एक डिपॉजटरी सहभागी है.सभी परिचालन केन्द्रीकृत है तथा फोर्ट मुंबई स्थित नोडल शाखा पूँजी बाजार सेवा शाखा द्वारा सेवाएँ प्रदान की जा रही है.मुख्य केन्द्रों पर स्थित शाखाएँ खाते खोलने, शेयरों का क्रय तथा विक्रय, शेयरों के बंधक तथा भौतिक प्रतिभूतियों को डीमैट करने की सेवाएँ प्रदान कर रही है.बैंक के पास करीब 29915 डी-मैट खाता धारक है.

कैपिटल मार्केट सेवा शाखा, मुंबई आस्बा, डी-मैट, समाशोधन बैंक, लाभांश वारंटों का भुगतान, ब्रोकरों को ऋण/ गारंटी जैसी पूँजी बाजार संबंधी सुविधाएँ प्रदान करती है.यह डी-मैट तथा आस्बा के लिए नियंत्रक शाखा भी है.

सूचना प्रौद्योगिकी

1. आईटी संरचना

शून्य डेटा हानि के साथ व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने अत्याधुनिक और आईएसओ प्रमाणित डेटा सेंटर के साथ एक आपदा रिकवरी सेंटर और एक नजदीकी साइट स्थापित की है. इस तरह की एक मजबूत आईटी संरचना बैंक को ग्राहक सेवाओं की परिचालन दक्षता और मुस्तैदी सुनिश्चित करने में मदद करती है. बैंक ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशन, ट्रेजरी सॉल्यूशन इत्यादि जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू किया था. बैंक ने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की थी. चालू वर्ष के दौरान, बैंक ने ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं के तेजी से प्रसंस्करण और वितरण के लिए एक उन्नत ऋण जीवनचक्र प्रबंधन समाधान भी शुरू किया है.

कोविड -19 महामारी के प्रकोप के कारण लगाए गए यात्रा और लॉकडाउन प्रतिबंधों से निपटने के लिए, बैंक ने व्यवसाय की निरंतरता के साथ-साथ कर्मचारियों और विक्रेता सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बीसीपी स्थानों की स्थापना, व्यवसाय / ग्राहक बैठकें आयोजित करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य आंतरिक बातचीत, कर्मचारियों को गृह से कार्य करने की सुविधा आदि जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकी सक्षम उपाय शुरू किए थे. इसके अलावा, एक उन्नत नेटवर्किंग सेटअप और निरंतर निगरानी की मदद से, बैंक पिछले साल देश भर में आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी शाखाओं के अलगाव और नेटवर्क आउटेज को न्यूनतम स्तर तक रोकने में सफल हो सका.

बैंक मौजूदा सिंगल डेटा रिपोजिटरी (एसडीआर), डेटा वेयरहाउस सॉल्यूशन को सर्वश्रेष्ठ एसडीआर 2.0 के साथ अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है, जो डेटा वृद्धि और बैंक की एमआईएस/विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं को संभाल सकता है.बैंक आने वाले वर्ष में कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लागू करने का भी प्रस्ताव कर रहा है.

2. सूचना सुरक्षा

बैंक ने अपनी सूचना प्रणाली और ग्राहक डेटा को साइबर खतरों से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं. साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सी-एसओसी) 24*7 आधार पर कार्य कर रहा है और खतरों की पहचान करने और यदि कोई हो तो उन्हें दूर करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना से लॉग की निरंतर आधार पर निगरानी की जाती है. विभिन्न सुरक्षा उपकरण जैसे एडवांस्ड थ्रेट प्रिवेंशन, डीडीओएस मिटिगेशन सॉल्यूशन, इंट्रूज़न प्रिवेंशन सिस्टम, डेटा लीकेज प्रिवेंशन सॉल्यूशन आदि भी मौजूद हैं और साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के साथ एकीकृत हैं. महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और अनुप्रयोगों का आंतरिक टीम के साथ-साथ तीसरे पक्ष द्वारा समय-समय पर ऑडिट किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि पहचानी गई कमजोरियों को ठीक किया जाए.

बैंक के डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर को आईएसओ 27001 और आईएसओ 22301 के लिए प्रमाणित किया गया है. नियमित ऑडिट के माध्यम से इन प्रमाणन मानकों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है.नियामक दिशानिर्देशों की अनुपालन आवश्यकताओं को भी समय पर पूरा किया जाता है और बंद किया जाता है.

कर्मचारियों/ग्राहकों के बीच साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं.

लेखा परीक्षा और निरीक्षण

बैंक की शाखाओं को आंतरिक लेखा परीक्षकों के माध्यम से जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) के अधीन किया जाता है और प्रत्येक शाखा को समग्र जोखिम मैट्रिक्स के अनुसार जोखिम रेटिंग प्रदान की जाती है.तदनुसार कुल 4584 शाखाओं में से, 4482 शाखाओं को आरबीआईए के अधीन किया गया और वित्तवर्ष 2020-21 में शाखाओं का मूल्यांकन किया गया. दिनांक 31.03.2021 को कुल मिलाकर 3450 शाखाएँ मध्यम रिस्क रेटिंग के तहत, 1091 शाखाएँ न्यून जोखिम रेटिंग के साथ, 43 शाखाएँ उच्च जोखिम रेटिंग के साथ थी. बैंक की कोई भी शाखा बहुत उच्च / अत्यंत उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आंकी गई है.

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, 31 क्षेत्रीय कार्यालय, 10 आंचलिक कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय के 14 विभाग प्रबंधन लेखा परीक्षा के अधीन थे.

31.03.2021 को 1004 सामान्य शाखाएँ / 23 एसएसबी/ 49 सीसीपीसी / केका के 5 विभाग कुल 1081 शाखाएँ / विभागों को चार्टर्ड एकाउंटंट/ बैंक अधिकारियों की फर्मों द्वारा किए जाने वाले समवर्ती लेखा परीक्षा के तहत रखा गया था. सभी 7 कॉर्पोरेट वित्त शाखाएँ और 5 एसएएम शाखाएँ बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड के अधिकारी द्वारा किए जाने वाले समवर्ती लेखा परीक्षा के अधीन है.दिनांक 31.03.2021 तक बैंक के कुल कारोबार का लगभग 57.02% और कुल अग्रिमों का 67.95% समवर्ती लेखा परीक्षा के अंतर्गत आता है. समवर्ती लेखा परीक्षा का कार्य 990 चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों को प्रदान किया गया.

जिसमें से 532 फर्म आरबीआई श्रेणी I, 294 श्रेणी II, 99 श्रेणी III और 65 आरबीआई श्रेणी IV फर्म है.

बैंक हर साल 1 मार्च से 10 मार्च तक चार्टर्ड एकाउंटेंट, आंतरिक लेखा परीक्षकों और अन्य अधिकारियों की फर्मों के माध्यम से वार्षिक राजस्व जाँच अभ्यास आयोजित करता है ताकि बैंक की पुस्तकों में वैध आय की बुकिंग सुनिश्चित की जा सके.

आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन में, 390 योग्य खातों में विधिक लेखा परीक्षण 01.04.2020 से 31.12.2021 के दौरान किया गया है और संबंधित अधिकारियों के साथ टाइटल डीड का पुन: सत्यापन किया गया.

बैंक आवधिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा के माध्यम से शाखाओं में दृढ अनुपालन संस्कृति सुनिश्चित करता है.बैंक ऑडिट शाखाओं द्वारा प्रस्तुत ऑडिट अनुपालन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक आधार पर अनुपालन ऑडिट भी करता है.वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, 803 शाखाएँ अनुपालन लेखापरीक्षा के अधीन थी.

शाखाओं के विभिन्न परिदृश्यों में निर्धारित सीमा से ऊपर के लेनदेन की निगरानी के लिए बैंक ऑफसाइट मॉनिटरिंग प्रणाली के तहत भी है. वर्तमान में 90 परिदृश्यों पर अलर्ट उत्पन्न होते हैं.

समवर्ती लेखा परीक्षकों के माध्यम से एडी शाखाओं के स्विफ्ट संदेशों का समाधान किया जा रहा है.

बैंक नियमित ऑडिट के अलावा केवाईसी अनुपालन ऑडिट भी करता है.

शाखा नेटवर्क

जनसंख्या समूह	शाखाओं की संख्या
ग्रामीण	1603
अर्ध्द शहरी	1332
शहरी	810
मेट्रो	863
कुल शाखाएं	**4608**

आकार	शाखाओं की संख्या
ईएलबी	40
वीएलबी	415
बडी	1274
मध्यम	2490
लघु	311
विशेषिकृत	78
कुल शाखाएं	**4608**

बैंक की संरचनात्मक/संगठनात्मक स्थिति :

31 मार्च, 2021 तक की स्थिति निम्नवत् है:

क्रम संख्या	विवरण	कार्यालयों की संख्या
1	केन्द्रीय कार्यालय	1
2	आंचलिक कार्यालय	10
3	क्षेत्रीय कार्यालय	90
4	अनुषंगी	2

5	संबद्ध	1
6	आरआरबी	2
7	सीआईए	13

शाखा विस्तार:

वित्तीय वर्ष 2020-21 की 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान (भारतीय रिजर्व बैंक के वर्गीकरण में परिवर्तन शाखा मास्टर के अनुसार) खोली/समामेलित/बंद शाखाओं का तिमाहीवार विवरण निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	वर्ग	31.03.2020 की स्थिति	तिमाही-I (अप्रेल'20 से जून'20)		तिमाही-II (जुलाई'20 से सितं'20)		तिमाही-III (अक्तू'20 से दिसं'20)		तिमाही-IV (जनवरी'21 से मार्च'21)		31.03.2021 की स्थिति
			खोली गई शाखाएं	समामेलित की गई शाखाएं	खोली गई शाखाएं	समामेलित की गई शाखाएं	खोली गई शाखाएं	समामेलित की गई शाखाएं	खोली गई शाखाएं	समामेलित की गई शाखाएं	
1	**ग्रामीण**	**1605**	*1	0	0	0	0	2	0	*1(शहरी से ग्रामीण में वर्गीकरण का परिवर्तन)	1603
2	**अर्द्ध-शहरी**	**1340**	0	*4	0	0	0	4	0	0	1332
3	**शहरी**	**817**	*2	0	0	1	0	7	*1(ग्रामीण से शहरी में वर्गीकरण का परिवर्तन)	2	810
4	**मैट्रो**	**889**	***1**	**2**	**0**	**2**	**0**	**16**	**0**	**7**	**863**
कुल		**4651**	***4**	***6**	**0**	**3**	**0**	**29**	**0**	**9**	**4608**

- आरबीआई-सीआईएसबीआई पोर्टल के अनुसार क्षेत्र वर्गीकरण में अदला-बदली के कारण

  जून 2020 तिमाही में 2 शाखाओं का वास्तविक समामेलन बंद है.

  जून 2020 तिमाही के दौरान कोई भी शाखा खोली नही गई.

- मार्च 2021 तिमाही में शाखा क्रमांक 2835 पटुवा-पुरब बाजार ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित हुई.

परिचालन

- बैंक का विस्तारित आधुनिकीकृत काल सेन्टर उत्पादों के प्रचार करने, ग्राहकों के ऋण खाते आदि में किश्त अतिदेय के संबंध में अनुस्मरण / कॉल सुविधा प्रदान कर रहा है. (ग्राहकों की पूछताछ / शिकायतों के हल हेतु कॉल प्राप्त करने के अतिरिक्त).
- भारत सरकार के ईज 3.0 मार्गदर्शनों के अंतर्गत 19 बेंचमार्क सेवाओं के बदले कॉल करने वालों को कुल 16 सेवाएं प्रदान करने के लिए कॉल सेंटर परिचालनों को उन्नत किया है.
- उन्नत कॉल सेंटर अब ईज 3.0 के दिशानिर्देशों के अनुसार 12 चिन्हित कार्यक्षमताओ के बदले अब 11 कार्यक्षमताओं को संभाल रहा है.
- ईज 3.0 के दिशानिर्देशों के अधीन बैंक आईव्हीआर 26 में से सभी 26 फीचर चिन्हित का पालन कर रहा है.

- कॉल सेंटर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी सेवाएं प्रदान कर रहा है.
- कॉल सेंटर के माध्यम से घर पहुंच बैंकिंग सुविधा वरिष्ठ नागरिकों, नेत्रहीन और दिव्यांग ग्राहकों को उपलब्ध है.
- ग्राहक अब कॉल सेंटर के माध्यम से 24*7 अपने खाते के डेबिट फ्रीज के लिए अनुरोध कर सकते हैं.
- चूककर्ता कृषि, खुदरा और एमएसएमई ग्राहकों को कॉल करने के लिए प्रोएक्टिव आउटबाउंड आईवीआर ब्लास्टर 12 भाषाओं में तैयार किया गया है.
- आईवीआर के माध्यम से बैंक में स्वंय के खातों तथा ऋण खातों में धनराशि स्थानांतरित करने की सेवा क्रियान्वित की गई है.
- कॉल सेंटर के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशनरों से अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है.
- भारत सरकार के बैंकिंग सुधारों के लिए रोड मैप के अनुसार, ग्राहकों की आसानी के लिए संशोधित सरलीकृत खाता खोलने के फार्म (सीआईएफ और एओएफ - नीजि/व्यक्तिगत) प्रारंभ किए गए हैं.
- समाशोधन में चेक डेबिट करने से पहले ग्राहकों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं. विवादित चेक के मामले में, ग्राहक होम-ब्रांच या कॉल सेंटर से 1800221911 पर संपर्क कर सकते हैं.
- आरबीआई द्वारा सलाह के अनुसार 01/01/2021 से सकारात्मक वेतन की शुरुआत की गई जिसके माध्यम से ग्राहक चेक क्लोनिंग/परिवर्तन द्वारा धोखाधड़ी से बचने के लिए जारी किए गए अपने चेक के कुछ बुनियादी विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं. यह ₹ 50,000/- रुपये से अधिक के चेक के लिए वैकल्पिक है और 500000/- रुपये से अधिक के लिए अनिवार्य है,
- हमने शारीरिक रूप से विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर पहुंच बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत करके एक अतिरिक्त मील का सफर तय किया है. प्रारंभिक तौर पर उचित सेवा शुल्क पर हम निम्नलिखित सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं:
  - नगद राशि तथा चैकों को उनकी पावती देकर प्राप्त करना तथा उनको खाते में क्रेडिट करना
  - खाते से निकासी हेतु नगदी राशि की सुपुर्दगी
  - मांग ड्राफ्ट की डिलीवरी
  - ऐसे ग्राहकों के परिसर/निवास से दस्तावेजों और जीवन प्रमाण पत्र का संग्रह . अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ प्रपत्रों का संग्रह .
  - फार्म 15 एच/15जी
  - अन्य आधारभूत बैंक सेवायें जैसे: चेक बुक का वितरण.
  - इन सेवाओं को नाममात्र के सेवा शुल्क पर होम शाखा के 3 किलोमीटर सेवाक्षेत्र के दायरे के भीतर प्रदान किया जाएगा.
- पीएसबी एलायंस के तहत शुरू किए गए 100 केंद्रों पर डीएसबीएस, जिसके तहत 100 केंद्रों पर स्थित ग्राहक निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं,
  - परक्राम्य लिखत प्राप्त करना (चेक / ड्राफ्ट / भुगतान आदेश, आदि)
  - खाता विवरण का अनुरोध
  - नई चेक बुक मांग पर्ची प्राप्त करना
  - गैर-व्यक्तिगत चेक बुक, ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, सावधि जमा रसीद / पावती आदि की डिलीवरी.
  - 15G, 15H फॉर्म की स्वीकृति.
  - आईटी चालान / सरकारी व्यवसाय / जीएसटी की स्वीकृति.
  - टीडीएस / फॉर्म 16 प्रमाणपत्र जारी करना.
  - स्थायी निर्देश जारी करना.
  - नकद निकासी (₹10,000/- की सीमा तक)
- ग्राहक अपनी पसंद की किसी भी शाखा में पीपीएफ/वरिष्ठ नागरिक बचत योजना/सुकन्या समृद्धि खाते जैसी छोटी बचत योजनाओं के तहत खाता खोल सकते हैं.
- ग्राहक नेट बैंकिंग के माध्यम से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए ऑनलाइन सदस्यता ले सकते हैं.
- नेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा

राजभाषा

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजभाषा विभाग की विशेष उपलब्धियों इस प्रकार है:

1. अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

हमारा बैंक प्रतिवर्ष एक अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करता है. कोविड-19 के कारण इस वर्ष यह राजभाषा सम्मेलन आभासी तरीके से आयोजित किया गया. वित्तीय वर्ष 2020-2021 में दि. 22.02.2021 को मुंबई में आयोजित अखिल भारतीय (ई) राजभाषा सम्मेलन का उदघाटन माननीय सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग डॉ सुमीथ जैरथ ने हमारे आंचलिक कार्यालय दिल्ली में उपस्थित रहकर किया था.

2. इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-2021 में हमारे बैंक द्वारा देशभर में कुल 10 अखिल भारतीय (ई) राजभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए.

दिल्ली*	22.02.2021	भोपाल	19.03.2021	इन सम्मेलनों में माननीय सचिव, राजभाषा विभाग, माननीय संयुक्त सचिव, निदेशक, राजभाषा विभाग, उपनिदेशक, राजभाषा विभाग तथा सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, प्रतिष्ठित साहित्यकार, नराकास सचिव एवं सदस्य सहित हमारे वरिष्ठतम कार्यपालक उपस्थित रहे.
अहमदाबाद	08.03.2021	मुंबई	22.03.2021	
पटना	10.03.2021	लखनऊ	23.03.2021	
चेन्नै	11.03.2021	कोलकाता	25.03.2021	
पुणे	15.03.2021	चंडीगढ़	26.03.2021	

(*केंद्रीय कार्यालय के साथ संयुक्त रूप से)

3. हमारे बैंक द्वारा देशभर में विभिन्न केन्द्रों में कुल 151 राजभाषा प्रदर्शनियां लगाई गयी.

4. वित्तीय वर्ष 2020-2021 में भारत सरकार (क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय) द्वारा घोषित पुरस्कार -

1. हमारे बैंक के संयोजन में कार्यरत गोवा बैंक नराकास को प्रथम पुरस्कार घोषित
2. हमारे बैंक के संयोजन में कार्यरत बैंक नराकास भोपाल को दवितीय पुरस्कार घोषित

5. वित्तीय वर्ष 2020-2021 में हमारे बैंक को कुल 24 नराकास पुरस्कार प्राप्त हुये हैं

क्रम	नराकास का नाम	प्राप्त पुरस्कार	क्रम	नराकास का नाम	प्राप्त पुरस्कार
1	जयपुर बैंक	प्रथम	14	चंडीगढ़ बैंक	तृतीय
2	ग्वालियर बैंक	प्रथम	15	कोलकाता बैंक	तृतीय
3	मुजफ्फरपुर	प्रथम	16	बागपत	तृतीय
4	वडोदरा बैंक	प्रथम (शाखा वीआईपी रोड)	17	रोहतक	तृतीय
5	सिलीगुडी बैंक	प्रथम	18	बरेली	तृतीय
6	पटना बैंक	द्वितीय	19	भुवनेश्वर बैंक	सांत्वना
7	नोएडा बैंक	द्वितीय	20	हैदराबाद बैंक	सांत्वना
8	धार	द्वितीय	21	कोचीन बैंक	सांत्वना
9	महासमुन्द	द्वितीय	22	करनाल	सांत्वना
10	दिल्ली बैंक	द्वितीय (गृहपत्रिका को)	23	वडोदरा बैंक	सांत्वना
11	मुंबई बैंक	द्वितीय	24	सूरत बैंक	सांत्वना
12	अहमदाबाद बैंक	द्वितीय			
13	तिरूअनंतपुरम बैंक	द्वितीय			

6. हमारे बैंक द्वारा विभिन्न बैंकिंग विषयों पर कुल 10 हिंदी पुस्तकें तैयार की गयी. इनका विमोचन माननीय सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 22.02.2021 को किया गया

7. हमारे बैंक के विभिन्न कार्यालयों द्वारा कुल 53 हिन्दी ई गृह पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है.

8. माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बैंक की वेबसाइट पर राजभाषा पोर्टल का शुभारंभ - 14.09.2020

9. दि. 11.01.2021 को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन.

10. हमारे बैंक द्वारा विभिन्न नराकासों के तत्वावधान में कुल 45 राजभाषा कार्यक्रम आयोजित किए गए:-

दिल्ली, रोहतक (हरियाणा), देहरादून (उत्तराखंड), जयपुर (राजस्थान), जबलपुर (मप्र), रतलाम (मप्र), कोटा (राजस्थान), रायपुर (छत्तीसगढ़), पटना (बिहार)- 2, मुजफ्फरपुर (बिहार)- 2, छिंदवाड़ा (मप्र)- 2, ग्वालियर (म प्र)- 3, भोपाल (म प्र)- 3, औरंगाबाद (महाराष्ट्र), सूरत (गुजरात), जालंधर (पंजाब), जलगांव (महाराष्ट्र)- 2, अकोला (महाराष्ट्र) - 2, नासिक (महाराष्ट्र) - 2, अमरावती (महाराष्ट्र) - 2, अहमदाबाद (गुजरात) - 2, नागपुर (महाराष्ट्र) - 3, पुणे (महाराष्ट्र) - 3, एर्णाकुलम (केरल), तिरुअनंतपुरम (केरल), कृष्णा नगर (पश्चिम बंगाल), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), भुबनेश्वर (उड़ीसा) और सम्बलपुर (उड़ीसा)

11. मुंबई में 30.12.2020 को आयोजित राजभाषा संगोष्ठी में उपनिदेशक, राजभाषा विभाग, कुलपति, प्रतिष्ठित शायर, नराकास सचिव एवं सदस्यों सहित हमारे वरिष्ठ कार्यपालक उपस्थित रहे.

12. अहमदाबाद में दिनांक 25.12.2020 को वर्तमान प्रतिस्पर्धा के बढ़ते दौर में "माता-पिता की बच्चों से अपेक्षा एवं बच्चों में बढ़ता तनाव" विषय पर अखिल भारतीय हिन्दी संगोष्ठी आयोजित की गई.

13. मुंबई में दिनांक 15.10.2020 को हमारे आंतरिक लेखा परीक्षकों हेतु हिन्दी संगोष्ठी आयोजित की गई.

14. दिनांक 11.12.2020 को राजभाषा अधिकारियों हेतु तकनीकी संगोष्ठी -

उपनिदेशक, राजभाषा विभाग तथा सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया

15. ग्वालियर में दि.09.03.21 को वर्तमान परिवेश में हिन्दी की दशा और दिशा विषय पर हिन्दी संगोष्ठी.

16. हमारा बैंक कुल 11 नराकासों यथा भोपाल बैंक (मप्र), ग्वालियर बैंक (मप्र), रायपुर बैंक (छत्तीसगढ़) एवं देवरिया (उप्र), अकोला (महाराष्ट्र), ठाणे (महाराष्ट्र), गोवा बैंक, मदुरै (तमिलनाडु), उदालगुडी (आसाम), गोलाघाट (आसाम), लखीमपुर नार्थ (आसाम) का समन्वयक है तथा छिंदवाड़ा (मप्र) का सदस्य सचिव है

17. अखिल भारतीय हिन्दी प्रतियोगितायें

1. फरवरी 2021 में एक माह की अवधि की अखिल भारतीय हिंदी ई मेल प्रतियोगिता
2. सितम्बर 2020 में अखिल भारतीय हिंदी गीत गायन प्रतियोगिता
3. दिसम्बर 2020 में वरिष्ठ कार्यपालकों हेतु अखिल भारतीय हिंदी टिप्पण लेखन प्रतियोगिता
4. 4थी अखिल भारतीय अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता
5. 41वीं अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता
6. अखिल भारतीय ऑनलाइन हिंदी प्रश्नमंच - 12.12.2020.

18. हमारे बैंक द्वारा विशेष प्रकाशन

1. पुरस्कार प्राप्त हिंदी निबंधों का संकलन निबंध सुरभि का प्रकाशन
   माननीय सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 22.02.2021 को विमोचन किया गया
2. हिन्दी प्रेरक पोस्टर - माननीय सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा 22.02.2021 को जारी
3. राजभाषा विभाग से प्राप्त सूक्तियाँ (7)
   माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा 14.09.2020 को जारी
4. हिन्दी टिप्पणी की डेस्क पुस्तिका
5. हिन्दी भाषा प्रचार पोस्टर
6. महापुरुषों द्वारा दिये गए प्रेरक कथन

19. हमारे बैंक द्वारा दि. 14.08.2020 से 14.09.2020 तक हिंदी माह आयोजित किया गया.

20. दि. 28.12.2021 / 25.02.2021 को कुल दो राजभाषा समीक्षा बैठकें आयोजित की गई.

21. **बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका सेंट्रल मंथन का नियमित प्रकाशन**

22. **बैंक की द्विभाषिक गृह पत्रिका सेंट्रलाइट का नियमित प्रकाशन**

विपणन विभाग

- क्षेत्रीय तथा केंद्रीय कार्यालय स्तर पर विपणन विभाग के नए कार्यक्षेत्र/वर्टीकल स्थापित किए गए हैं. केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर, विपणन कार्यक्षेत्र/वर्टीकल में निम्न समाहित हैं.

    1) विपणन विभाग

    2) कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग

    3) जनसंपर्क विभाग

    4) सोशल मीडिया

1. **विपणन विभाग :**

    - विपणन अधिकारी के उपयोग के साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा लीड्स की निगरानी करने तथा उसको पंच करने लिए मार्केटिंग पोर्टल विकसित किया गया है.
    - मार्केटिंग टीम मुख्य रूप से कासा, एमएसएमई और रिटेल ऋण पर केंद्रित है.
    - विभाग ने ₹ 2663 करोड की 19407 लीडस को मोबिलाईज किया जिनमें से 13025 लीड को मार्च 2021 में राशि ₹1351 करोड़ के व्यवसाय में बदला गया.
    - सभी क्षेत्रों के खुदरा ऋण प्रक्रिया केन्द्रों के प्रभारियों के लिए विपणन तकनीकी पर ऑन-लाईन प्रशिक्षण आयोजित किए गए.
    - हमारे बैंक द्वारा अपनाई गई विपणन गतिविधियां' आलेख सेन्ट्रलाईट पत्रिका में प्रकाशित कराया गया जिसमें कार्मिकों की सूचना और लाभ के लिए मार्केटिंग पोर्टल के प्रयोग संबंधी जानकारी शामिल की गई थी.
    - मार्केटिंग फोर्स टीम पोर्टल की कार्यक्षमता में वृद्धि कर क्षेत्रीय कार्यकताओं हेतु इसे उपयोगकर्ता के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए किया गया
    - पैन इंडिया आधार पर लीड रूपांतरण के मामले में शीर्ष 10 निष्पादकों (विपणन अधिकारियों) को प्रशंसा पत्र जारी किए गए.

कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और जनसंपर्क:

2. **कॉर्पोरेट संचार विभाग:**

इस वर्ष हमारा प्रयास जारी रहा कि कम लागत वाले विज्ञापन पर जोर देने के साथ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और अन्य जन संचार माध्यमों के माध्यम से हमारे उत्पादों और सेवाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए, गो ग्रीन को अपनाने के दौरान हमारी ब्रांड छवि को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए स्थानीय अधिकारी/कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ उपाय करना और हमारे बैंक के कारोबार को बढ़ाना. अखिल भारतीय स्तर पर बैंक कि दृश्यता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचार गतिविधियां जैसे ट्रैफिक बैरिकेड्स, नो पार्किंग बोर्ड, पुलिस बूथ, दीवार पेंटिंग, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन, लोकल केबल, एफएम रेडियो आदि पर ब्रांडिंग के अलावा क्षेत्र/स्थानिय स्तर पर आयोजनों/किसान शिविरों को प्रायोजित किया गया.

हमारे बैंक के उत्पाद और सेवाओं के व्यापक प्रचार और दृश्यता और हमारे बैंक के लिए अच्छी छवि बनाने के लिए केंद्रीय कार्यालय और आंचलिक कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं-

- हमारे प्रिय संस्थापक सर सोराबजी पोचखानावाला की 139वीं जयंती 9 अगस्त 2020 को सभी सेंट्रलाइट्स द्वारा मनाई गई और संबंधित आर्ट वर्क को शाखाओं/कार्यालयों के लिए बैंक के एफ़टीपी पर अपलोड किया गया.
- साधारण वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 को बोर्ड सचिवालय के समन्वय से मुद्रित कर अंचलों, क्षेत्रों और अन्य कार्यालयों को भेजा गया.
- स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के मार्गदर्शन में अंचलों एवं केन्द्रीय कार्यालय द्वारा किया गया.
- भोपाल अंचल के माध्यम से आईआईएम, इंदौर का वार्षिक उत्सव आईआरआईएस-2020 का बैंक ने टाइटल स्पोन्सरशीप.
- एमएमजेडओ के माध्यम से एमएसएमई पर बिजनेस लाइन-विशेष पहल में बैंक का विज्ञापन.
- गणेश उत्सव के अवसर पर दैनिक सामना में बैंक का विज्ञापन.

- बैंक का विज्ञापन एमएमजेडओ के माध्यम से इंडियन एक्सप्रेस समूह के "फीचर ऑन एमएसएमई" संस्करण में.
- 14 और 15 मई 2020 को ज़ी बिजनेस चैनल में "आत्मनिर्भर अभियान" पर एफएम भाषण के दौरान बैंक के लोगो (एस्टन और एल बैंड) के प्रदर्शन के माध्यम से बैंक का विज्ञापन.
- महाराष्ट्र टाइम्स में विशेष अंक "सलाम कोरोना योद्धा" में बैंक का विज्ञापन.
- आगामी सीआईआई वार्षिक सत्र -2020 पुन: "**प्रगति पर बढ़ना**" के लिए एक केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से भागीदार के रूप में बैंक की सहभागिता.
- अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय, से एचईटी ग्राफिक्स के माध्यम से अहमदाबाद शहर में विभिन्न स्थानों पर 5 बैक लिट बस शेल्टर पर बैंक के विज्ञापन के लिए प्रस्ताव.
- दिल्ली अंचल के माध्यम से आउटडोर होर्डिंग प्रचार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (अजमेरी गेट की ओर) में पायनियर आउटडोर के माध्यम से विज्ञापन.
- कैशरड्राइव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चार अंचलों - चेन्नई, अहमदाबाद, एमएमजेडओ और पुणे के माध्यम से हमारे बैंक के खुदरा और एमएसएमई उत्पादों के लिए एयरपोर्ट कैब्स ब्रांडिंग.
- 3 अंचलों - दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ के लिए सिटीस्केप्स के माध्यम से कैब ब्रांडिंग के लिए बैंक का विज्ञापन.
- एमएमजेडओ के माध्यम से पुलिस चौकी-मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में विज्ञापन.
- कोविड़ योद्धाओं को प्रेरित करने के लिए विशेष रूप से हमारे बैंक स्टाफ सदस्यों और उनके परिवारों और सम्मानित ग्राहकों के लिए रविवार 18 अक्टूबर, 2020 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत यू ट्यूब पर 'जीना इसी का नाम है', संगीत कार्यक्रम - बैंक प्रायोजकत्व.
- यूबीडब्ल्यूटी द्वारा उल्वे, नवी मुंबई में आयोजित दुर्गा पूजा के दौरान प्लाज्मा डोनेशन कैंप और मुफ्त स्वास्थ्य जांच के लिए बैनर के माध्यम से बैंक प्रायोजकत्व.
- कर्नाटक हिंदी अकादमी, बैंगलोर द्वारा "भाषा स्पंदन- राजभाषा विशेषांक" पत्रिका में बैंक का विज्ञापन.
- कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में मैसर्स सिटीस्केप के माध्यम से एयरपोर्ट कैब ब्रांडिंग.
- 14 नवंबर 2020 को नवभारत मुंबई संस्करण, यशोभूमि मुंबई संस्करण, जनपथ समाचार सिलीगुड़ी संस्करण, फॉरएवर न्यूज़ मुंबई संस्करण के दिवाली अंक पर बैंक का विज्ञापन.
- बोरीवली में ग्लोबल कैंसर मिशन एक्टिविटी सेंटर में बैनर के प्रदर्शन के माध्यम से बैंक का विज्ञापन.
- डिजिटल मीडिया के तहत 21 दिसंबर 2020 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (यानी यूट्यूब, फेस बुक आदि) पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 110 वां स्थापना दिवस समारोह संगीत कार्यक्रम.
- इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, लोकसत्ता, नवभारत, नवरात्र, बिजनेस लाइन - अंग्रेजी सभी संस्करण, यशोभूमि (हिंदी) और पुण्यनगरी (मराठी) -मुंबई, ठाणे और रायगढ़ संस्करण, फॉरएवर न्यूज मुंबई संस्करण, इंकलाब उत्तर उर्दू दैनिक समाचार पत्र सभी संस्करण में 21 दिसंबर 2020 को 110वां स्थापना दिवस विज्ञापन.
- मुंबई, पुणे और नासिक संस्करणों में 'हमारा महानगर' हिंदी दैनिक समाचार पत्र.
- एमएमज़ेडओ के माध्यम से एक पूर्ण उपनगरीय लोकल ट्रेन, हार्बर लाइन मुंबई के बाहरी कोच के माध्यम से विज्ञापन.
- आउटडोर मीडिया के तहत अहमदाबाद अंचल के माध्यम से हमारे बैंक के लिए विशेष दर पर 3 महीने के लिए मुंबई-अहमदाबाद डबल डेकर ट्रेन में इंटीरियर पैनल पर खुदरा उत्पाद विज्ञापन.
- बैंक के खुदरा उत्पादों के लिए इंदौर, जयपुर, कोलकाता, आगरा और हैदराबाद शहरों में 6 क्षेत्रों और 5 अंचलों में ऑटो हुड ब्रांडिंग.
- हमारे आवास ऋण और कार ऋण के व्यापक प्रचार के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन/प्लेटफ़ॉर्म, दिल्ली में प्लेटफ़ॉर्म पैनल/होर्डिंग के माध्यम से बैंक का विज्ञापन.
- बाहरी मीडिया के तहत शहरों - चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलुरू, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद में उबेर कैब पर बैंकों के विज्ञापन का प्रदर्शन.
- भारतरत्न डॉ. बी.आर. आंबेडकर कार्यक्रम की 130वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल, 2021 को आंचलिक केंद्रों पर आयोजन के लिए प्रायोजकत्व.

- आउटडोर मीडिया के तहत नई दिल्ली और गोवा में एच ओ एच ओ बसों के माध्यम से विज्ञापन.
- पटना अंचल के माध्यम से रांची कॉलेज शाखा में "ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण: जैव विविधता और मानव कल्याण पर उनका प्रभाव" पर राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रायोजकत्व.
- सलामी 2021 के लिए प्रायोजकत्व प्रस्ताव- बाहरी मीडिया के तहत बीएसएफ कर्मियों को एक संगीतमय श्रद्धांजलि
- प्रिंट मीडिया के तहत 21.03.2021 को जाम-ए-जमशेद समाचार पत्र में बैंक का विज्ञापन.
- बैंक की खुदरा योजनाओं को लोकप्रिय बनाने और कोविड़ 19 सुरक्षा उपायों का पालन करने के लिए एमएमज़ेडओ द्वारा रोड शो का आयोजन. इस रैली ने कोविड 19 से सुरक्षा उपाय के रूप में ठीक से मास्क पहनने के महत्व पर भी प्रकाश डाला. रैली चंद्रमुखी भवन से शुरू हुई और विले पार्ले तक 25 किलोमीटर की दूरी तय की. रैली के दौरान एमएमजेडओ द्वारा नागरिकों को 5000 मास्क वितरित किए गए.
- चैत्य भूमि, दादर में गतिविधि - एमएमजेडओ द्वारा भारत रत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर को श्रद्धांजलि.
- कनॉट सर्कस, साउथ एक्सटेंशन, मालवीय नगर, कालकाजी में ऑटो ब्रांडिंग, जनकपुरी में होर्डिंग, पीजीडीएवी कॉलेज में शिक्षक / छात्र सम्मान कार्यक्रम- पीजीडीएवी कॉलेज में एक वाद-विवाद और पोस्टर पेंटिंग गतिविधि का आयोजन किया गया और छात्रों को सम्मानित किया गया, मेट्रो स्टेशनों में पैनल पर मेट्रो ब्रांडिंग नेहरू प्लेस, कालकाजी और राजीव चौक, एक लोकप्रिय पत्रिका पंचायत की आवाज में प्रिंट मीडिया बैंक विज्ञापन, दिल्ली अंचल द्वारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में स्वचालित सेनेटरी पैड वेंडिंग और डिस्पोजेबल मशीनें के लिए प्रायोजकत्व.
- अंबिकापुर, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, शहडोल, सागर में शाखा / एटीएम ब्रांडिंग, भोपाल छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, रायपुर, सागर, में वॉल पेंटिंग, अंबिकापुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, शहडोल, जबलपुर, रायपुर, सागर, रतलाम, इंदौर में किसान पखवाड़ा डेंजलर्स, भोपाल ग्वालियर रायपुर में बस ब्रांडिंग, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रायपुर में एफएम रेडियो और विभिन्न प्रचार गतिविधियाँ जैसे कि आर्च गेट, ट्रैफिक बैरिकेड, बस ब्रांडिंग, होर्डिंग भोपाल अंचल द्वारा किया है.
- आगरा, अयोध्या, देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी आदि क्षेत्र में विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों को प्रायोजकत्व टैक्सी/कैब ब्रांडिंग, शाखा/ एटीएम ब्रांडिंग, लोकल केबल लखनऊ अंचल द्वारा किया गया.
- पर्यटन स्थलों द्वारका, जामनगर, बड़ौदा, में ट्रैफिक बैरिकेड्स तैनात किए गए हैं. अहमदाबाद हवाई अड्डे पर टैक्सी ब्रांडिंग, विभिन्न बैंक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रेडियो और स्थानीय केबल टीवी गतिविधि, बड़ौदा और अहमदाबाद में बस शेल्टर ब्रांडिंग, अहमदाबाद अंचल द्वारा जीएसआरटीसी बस स्टैंड अहमदाबाद पर होर्डिंग.
- कोलकाता अंचल द्वारा हमारे बैंक के खुदरा उत्पादों के प्रचार के लिए 'शिल्पा विचित्र' पत्रिका में विज्ञापन, एफएम रेडियो, ट्रैफिक साइन, आर्च गेट, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन.
- विभिन्न प्रचार गतिविधियों के अलावा पटना अंचल द्वारा आईआईएम रांची और गया कॉलेज में कार्यक्रमों/सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रायोजकत्व.
- नासिक और नागपुर में होर्डिंग्स के माध्यम से खुदरा योजनाओं का प्रचार, 15 ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटो ब्रांडिंग के माध्यम से खुदरा प्रचार योजना, बस स्टैंड के माध्यम से खुदरा योजनाओं का प्रचार, पुणे क्षेत्र द्वारा एलईडी बोर्ड के माध्यम से ऑडियो-विज्युअल डिस्प्ले.
- चंडीगढ़ अंचल द्वारा हमारे बैंक के उत्पादों के व्यापक प्रचार के लिए सांकेतिक बोर्ड-साइन बोर्ड/नो पार्किंग बोर्ड/ट्रैफिक बैरिकेड्स/ सोसायटी बोर्डों पर ब्रांडिंग.
- चेन्नई अंचल द्वारा खुदरा और एमएसएमई उत्पादों के व्यापक प्रचार के लिए अर्ध शहरी क्षेत्र मेल मारुवथुर और चेन्नई, हैदराबाद शहरों में एयरपोर्ट कैब ब्रांडिंग, मेल मारुवथुर आदि पराशक्ति में कार्यक्रम प्रायोजित किया गया.
- सीसीडी को समय-समय पर विभिन्न विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं. वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन के लिए केंद्रीय कार्यालय का, निविदा नोटिस, नियुक्ति, बैंक के परिणामों का प्रकाशन और उन्हें समय पर निष्पादित किया गया है.

  विभिन्न उत्पादों/कार्यक्रमों/अभियानों के लिए निम्नलिखित कलाकृतियां तैयार की गईं और क्षेत्र के उपयोग के लिए हमारे बैंक के एफ़टीपी पर अपलोड की गईं .
- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आर्ट वर्क.
- हमारी शाखाओं में बैनर/पोस्टर प्रदर्शित कर सेंट कोविड-19 सहायता योजना और सेंट कोविड-19 विशेष योजना के व्यापक प्रचार के लिए कला कार्य .
- सेंट गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (सीजीईसीएल) योजना के व्यापक प्रचार के लिए लिए कला कार्य .

- एमएसएमई ऋण के व्यापक प्रचार और दृश्यता के लिए शाखाओं में प्रदर्शित करने के लिए कला कार्य .
- खुदरा मानसून अभियान क्षेत्र में व्यापक प्रचार के लिए बैनर/पोस्टर/स्टैंडी प्रदर्शित करने के लिए कला कार्य ताकि इस क्षेत्र में अधिक व्यवसाय प्राप्त हो सके .
- खुदरा उत्पादों के प्रचार के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन, गृह ऋण और कार ऋण के लिए कलाकृति, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, खुदरा महोत्सव 2020, 'माई ब्रांच-माई प्राइड', सेंट कनेक्ट, कृषि ऋण के लिए क्रेडिट आउटरीच, बैंक का 110 वां स्थापना दिवस, दिवाली और नया साल 2021 ई-ग्रीटिंग कार्ड .
- बैंक के तिमाही परिणाम से संबन्धित आर्ट-वर्क
- वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय जल मिशन अभियान- कैच द रेन से संबन्धित कला कृति जिसे हमारी शाखाओं/कार्यालयों/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैनर/पोस्टर के रूप मे प्रदर्शित किया गया.
- डीएफएस, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, आयात से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के उपायों की उपलब्धता के संबंध में विज्ञापनों के प्रसार के माध्यम से एमएसएमई के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए या अन्य देश द्वारा की गई जांच के खिलाफ बचाव के लिए, हमारी शाखाओं में बैनर प्रदर्शित करने के लिए एक आर्ट-वर्क तैयार किया गया .

3. जनसंपर्क विभाग

- विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रेस विज्ञाप्तियों को जारी करना .
- तिमाही वित्तीय परिणाम की घोषणा और विभिन्न महत्वपूर्ण अवसरों के समय प्रेस मीट और विश्लेषक बैठक का आयोजन करना .
- हमारे शीर्ष प्रबंधन और मुंबई आने वाले विभिन्न सरकारी/आरबीआई अधिकारियों/निदेशकों के लिए प्रोटोकॉल कर्तव्यों का पालन एवं समन्वय स्थापित करना.
- हमारे बोर्ड सचिवालय और सुरक्षा / परिवहन विभाग के साथ बोर्ड सह प्रबंध समिति की बैठकों के लिए समन्वय .
- एमबीडी विभाग के साथ हमारे बैंक की वार्षिक आम सभा की बैठक के लिए समन्वय .

4. सोशल मीडिया

- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मार्केटिंग और ब्रांडिंग, ग्राहक जागरूकता और ग्राहकों की टिप्पणियों/प्रश्नों का जवाब देने के लिए फेसबुक और ट्विटर प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है .

सतर्कता

1. प्रणालीगत सुधार:

वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार किए गए:

ए) ऑफ साइट मॉनिटरिंग अलर्ट- असामान्य समय पर सीबीएस प्लेटफॉर्म में लॉगिन के संबंध में अलर्ट का सृजन .

बी) स्टॉक स्टेटमेंट और बुक डेट स्टेटमेंट जमा करना: एक सीमा से ऊपर स्टॉक और बुक डेब्ट स्टेटमेंट को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा तिमाही में कम से कम एक बार हस्ताक्षरित किया जाना.

सी) प्रत्येक संपार्श्विक के लिए सरसई सुरक्षा फीडिंग विकसित की गई है जो सरसेई के साथ सुरक्षा हित के पंजीकरण की निगरानी की सुविधा प्रदान करेगी

2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 :

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, "सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020" बैंक द्वारा 27.10.2020 से 02.11.2020 तक सही अर्थों में और इस वर्ष की थीम "सतर्क भारत - समृद्ध भारत" के अनुरूप मनाया गया. 27.10.2020 को केंद्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई. इसी तरह के कार्यक्रम सभी 10 आंचलिक कार्यालयों, 90 क्षत्रीय कार्यालयों और बैंक के सभी 4638 शाखाओं और बेंक द्वारा प्रायोजित 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आयोजित किए गए.

हमारे बैंक ने ग्राहकों और कर्मचारियों को ई-प्रतिज्ञा लेने में सक्षम बनाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट को 'ईमानदारी की शपथ'लेने के लिए हाइपरलिंक प्रदान किया.

आयोग ने यह भी सलाह दी थी कि देश में मौजूदा महामारी की स्थिति के कारण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी स्थानों और कार्यक्रमों के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए मौजूदा कोविड -19 रोकथाम दिशानिर्देशों का पालन करते हुए वर्च्युअल / डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी गतिविधियों को घर से आयोजित किया जाना है .

तदनुसार, आयोग की इच्छानुसार आंतरिक (हाउसकीपिंग) गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिन्हें सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में अभियान के रूप में लिया गया था .

बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर्मचारियों, रिश्तेदारों और अन्य हितधारकों के लिए संगठन की नीतियों / प्रथाओं और निवारक सतर्कता उपायों पर 391 कार्यशालाएं / संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं .

सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए 24 वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि भी आयोजित किए हैं, बैंक ने पूरे भारत में ग्राहक शिकायत निवारण पर 279 कार्यक्रम / शिविर आयोजित किए हैं. पूरे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान पांच केंद्रों पर एफएम चैनलों पर रेडियो जिंगल्स द्वारा बैंक के खुदरा उत्पादों के विज्ञापन के साथ भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर विज्ञापन प्रसारित किए गए.

बैंक ने पूरे देश में 25 अतिथि व्याख्यान आयोजित किए थे जहां पुलिस, सीबीआई आदि के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टाफ सदस्यों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था. कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर से 4 व्याख्यान भी आयोजित किए गए थे, जिसमें श्री मुत्ता अशोक जैन, आईपीएस, उप. महानिदेशक, नारकोटिस कंट्रोल ब्यूरो, मुंबई, श्री डी सी जैन, आईपीएस, अतिरिक्त निदेशक, सीबीआई, नई दिल्ली, श्री सुरेश एन पटेल, सतर्कता आयुक्त, सीवीसी, नई दिल्ली और श्री पंकज जैन, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, डीएफएस, मंत्रालय वित्त, भारत सरकार सम्मिलित हुये.

कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर से आयोजित व्याख्यान वेबिनार के माध्यम से प्रसारित किए गए, जिसमें सभी अंचल और क्षेत्रों के स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया.

मानव संसाधन विकास

मानवशक्ति

मार्च 2021 के अंत में बैंक की स्टाफ संख्या पिछले वर्ष 33481 के मुकाबले 32335 रही. कर्मचारियों का श्रेणीवार अलग-अलग विवरण इस प्रकार रहा है :

श्रेणी	**मार्च-17**	**मार्च -18**	**मार्च -19**	**मार्च -20**	**मार्च -21**
अधिकारी	16247	17166	16868	16563	16565
लिपिक	13001	12300	11766	10356	9761
अधीनस्थ	7796	7377	7041	6562	6009
कुल योग	**37044**	**36843**	**35675**	**33481**	**32335**

भर्ती एवं पदोन्नति

वर्ष 2020-21 के दौरान नयी भर्ती :-

- विशेषज्ञ अधिकारी- 63
- परिवीक्षाधीन अधिकारी - 190
- क्लर्क- आईबीपीएस द्वारा 972 आबंटन के विरुद्ध रिपोर्ट करने वाले क्लर्क-660
- अनुकम्पा आधार पर 18 अधीनस्थ एवं 17 क्लर्क की बहाली

प्रमोशनल अभ्यास को अधिक प्रेरक बनाया गया है और एक कॉर्पोरेट लक्ष्य के रूप में, जहां तक संभव हो सभी वेतनमान/ श्रेणियों के लिए, पदोन्नति प्रक्रियाओं को करने के लिए इसे हल किया गया है. तदनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान अंतर वेतनमान और अंतर संवर्ग पदोन्नति प्रक्रियाएं आयोजित की गईं और कर्मचारियों / अधिकारियों को उच्च संवर्ग / वेतनमान तक बढ़ाया गया, जिसमें से 123 अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग में पदोन्नत किया गया, 667 लिपिकों को वेतनमान-I में पदोन्नत किया गया और 2007 अधिकारियों को उच्च ग्रेड / वेतनमान में पदोन्नत किया गया. स्टाफ सदस्यों के हित में, अखिल भारतीय आधार पर 993 लिपिकों और 1049 अधिकारियों के अनुरोध स्थानान्तरण पर विचार किया गया .

कर्मचारी कल्याण	**बैंक में कर्मचारी कल्याण योजनाएँ** - सेवाकाल में मरने वाले कर्मचारियों के परिवार को राहत के लिए योजना. - हॉलिडे होम्स और ट्रांजिट होम्स - कर्मचारियों को परिसर में चिकित्सा सुविधाएं - डॉक्टरों को वेतन और दवाईयों का मूल्य. - कर्मचारियों हेतु कैंटीन सब्सिडी की सुविधा. **वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस का भुगतान-** वर्ष 2019-20 के लिए बोनस 'वेतन-मजदूरी' का @8.33% सभी पात्र कर्मचारियों को अधिकतम ₹ 7000/- तक दिया गया. **कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा कवरेज:** कर्मचारियों के लिए ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस का नवीनीकरण 01 अक्टूबर 2020 से 30 सितंबर 2021 की अवधि के लिए किया गया है. पहली बार, कर्मचारियों हेतु इसी योजना के तहत सुपर टॉप अप के चयन की सुविधा दी जा रही है. **कॉर्पोरेट बफ़र:-** बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 (01.10.2020 से 30.09.2021 तक प्रभावी) के लिए सेवारत कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा के तहत कॉर्पोरेट बफर योजना लागू की है, जो कि बड़ी बीमारियों के मामले में, मूल बीमा राशि से अधिक राशि और सुपर टॉप अप के लिए किए गए खर्च के लिए है. **सेवानिवृत्त लोगों के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी** सेवानिवृत्त समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 1 नवंबर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि के लिए नवीनीकृत की गई. **स्टाफ ऋण** - अधिकारियों/अवार्ड कर्मचारियों को आवास निर्माण ऋण में ब्याज दर में कमी और कुछ संशोधन किये गए. - ओवरड्राफ्ट में ब्याज दर में कमी - सेन्ट कन्वेनियेंट योजना **आईटी सुरक्षा प्रमाणन - प्रोत्साहन योजना: -** बैंक ने आईटी प्रमाणन के लिए बढ़ी हुई फीस की प्रतिपूर्ति को मंजूरी दे दी है और दो अतिरिक्त आईटी प्रमाणन के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति को भी मंजूरी दे दी है. **महिला कर्मचारियों का सशक्तिकरण:** महिला सशक्तिकरण पर सीवीसी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो कम से कम एक महिला सदस्य शाखा/आरओ/जेडओ स्तर पर गठित प्रत्येक समिति का हिस्सा होना चाहिए. **11वां द्विपक्षीय समझौता / 8वां संयुक्त नोट दिनांक 11.11.2020:-** 11वें द्विपक्षीय समझौता /आठवें संयुक्त नोट दिनांक 11 नवंबर 2020 के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों (अधिकारियों और पंचाट कर्मचारियों) को संशोधित वेतन, भत्ते और बकाया का भुगतान कर दिया गया है . **संयुक्त वार्ता और व्यवसाय विकास:-** - बहुसंख्यक यूनियनों के साथ व्यवसाय विकास बैठक 4 सितंबर 2020 और 19 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी . - एआईसीबीओसी के साथ संयुक्त वार्ता (बहुमत अधिकारी संघ) दिनांक 18/9/2020 आयोजित की गई थी. - एआईसीबीईएफ (बहुसंख्यक कर्मचारी संघ) के साथ संयुक्त वार्ता 4/9/2020 और 28/12/2020 को आयोजित की गई थी

<table>
<tr><td>कोविड-19 राहत हेतु कदम</td><td>

कोविड 19 - कर्मचारियों के लिये महामारी सुविधाएं और अन्य उपाय किए गए:-

प्रबंधन ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्टाफ सदस्यों के लिये निम्नलिखित सुविधाओं का विस्तार किया : -

- एक महीने का सकल वेतन, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में, अधिकतम ₹1 लाख तक .
- स्टाफ सदस्यों के लिए एक दिन का विशेष अवकाश (पीएल), प्रत्येक छह दिनों के लिए जो उन्होंने लॉकडाउन अवधि (पहली लहर) के दौरान कार्यालय / शाखा में भाग लिया है
- लॉकडाउन के दौरान, गर्भवती महिला स्टाफ सदस्यों/कैंसर से पीड़ित स्टाफ सदस्यों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा और दृष्टिबाधित स्टाफ सदस्यों और विकलांग स्टाफ सदस्यों को बिना वेतन कटौती के विशेष अवकाश की सुविधा .
- कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण मरने वाले स्टाफ सदस्य के कानूनी उत्तराधिकारी को मुआवजे के रूप में 20.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता .

पीएम केयर्स फंड में दान:-

कोविड -19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहायता करने के लिए, हमारे स्टाफ सदस्यों ने अर्जित अवकाश नकदीकरण के रूप में, पीएम केयर्स फंड के लिए 11.90 करोड़ रुपये दान किया है .

कोविड-19 टीकाकरण:-

बैंक द्वारा कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कोविड -19 टीकाकरण की लागत की प्रतिपूर्ति करने की सुविधा प्रदान की गई है .
</td></tr>
<tr><td>कर्मचारी विकास</td><td>

कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस): -

- नई व्यावसायिक इकाइयों के अलावा पीएमएस वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिपोर्टिंग, समीक्षा और स्वीकार करने वाले प्राधिकरणों के संशोधित वर्क फ्लो को मंजूरी दी गई .
- पीएमएस योजना में डैशबोर्ड के अंतर्गत अधिकारियों के तिमाही कार्यनिष्पादन देखेंगे.
- पीएमएस मॉड्यूल वर्ष 2020-21 के लिए शुरू किया गया है.

अध्ययन एवं विकास: -

अनुमोदित प्रशिक्षण योजना के अनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए प्रशिक्षण कलैण्डर तैयार किया गया था और क्रेडिट (खुदरा, एमएसएमई और कृषि), वसूली, विदेशी मुद्रा, जोखिम प्रबंधन और व्यवहार संबंधी पहलुओं पर प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी गई थी. सभी प्रशिक्षण कॉलेजों और सीएलडी ने प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है. कोविड 2019 महामारी के मद्देनजर, वर्ष के दौरान, कक्षा प्रशिक्षण की पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धति के स्थान पर ऑनलाइन प्रशिक्षण शैलियों, जैसे वेबिनार, आभासी प्रशिक्षण और ई-लर्निंग पद्धति को प्रतिस्थापित किया गया. एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच के लिए पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण, नए भर्ती किए गए लिपिकों के लिए प्रेरण कार्यक्रम, पीओ के लिए प्रेरण कार्यक्रम, विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए प्रेरण कार्यक्रम, और कुछ विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों को छोड़कर, वर्च्युअल प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम लगभग पूरे वर्ष जारी रहा. हमारे प्रशिक्षण कॉलेजों और सीएलडी के साथ-साथ बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की स्थिति (31.03.2021 तक):

<table>
<tr><th></th><th>कुल क्षमता</th><th>मार्च 2021 तक प्रशिक्षित</th><th>मार्च 2021 तक कवर किया गया %</th></tr>
<tr><td>अधिकारी</td><td>16565</td><td>24188</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>पंचाट कर्मचारी</td><td>15770</td><td>9609</td><td>60.93</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>32335</td><td>33797</td><td></td></tr>
</table>

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रारंभ किए गए विशेष प्रशिक्षण निम्नानुसार हैं-

- एनआईबीएम-पुणे द्वारा संचालित आईटी और साइबर सुरक्षा पर प्रमाणपत्र कार्यक्रम में 50 कार्यपालकों ने वर्च्युअली भाग लिया.
- बाहरी संस्थानों जैसे-आईसीएसआई, एसएचआरएम, एनएचआरडी इत्यादि द्वारा आयोजित ऑनलाइन समिट/सम्मेलन/सेमिनार कार्यक्रमों में 18 अधिकारियों ने भाग लिया.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>

एसपीबीटी कालेज द्वारा प्रबंधित ई लर्निंग पोर्टल में ई लर्निंग पर 22 रनिंग माड्यूल उपलब्ध हैं.
दिनांक 31.03.2021 तक हमारे पास 104.50 घंटे की ई-लर्निंग सामग्री उपलब्ध है, जिसमें बैंकिंग परिचालन, सरकारी व्यवसाय, एमएसएमई वित्तपोषण, रिटेल ऋण उत्पाद, वित्तीय समावेशन, कृषि ऋण उत्पाद, आधारभूत ऋण संबंधी जानकारी, आधारभूत विदेशी मुद्रा, ऋण निगरानी, वसूली, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्ट कौशल शामिल है.
कम से कम एक मॉड्यूल पूरा करने वाले कर्मचारियों की संख्या 20074 है. इस अवधि के दौरान कर्मचारियों की ई-लर्निंग के प्रति रुझान में वृद्धि देखी गई है.
वर्ष 2020-21 के दौरान, क्लास रूम, स्थानीय, विशेष प्रशिक्षण सहित 1650 कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिनमें तीन प्रशिक्षण कालेजों तथा ज्ञानार्जन एवं विकास केन्द्रों के 15 केन्द्रों द्वारा 33797 प्रतिभागियों और 58920 मानव दिवस को कवर किया गया. इसके अलावा बाह्य प्रशिक्षण एजेन्सीज जैसा कि एनआईबीएम, सीएबी, एफईडीएआई, आईआईबीएफ, सीओआरडीईएक्स एवं एफआईएमएमडीए इत्यादि द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 118 विभिन्न वेतनमान वाले अधिकारियों को नामित किया गया.
परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए एकसमान इन्डक्शन प्रशिक्षण संरचना को अपनाया और कार्यान्वित किया गया.
बैंक के अध्ययन एवं विकास प्रणाली में सुधार की दिशा में एक प्रयोग के रूप में हमारे अध्ययन एवं विकास हेतु आयोजित "नवोन्मेष" सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है.

क्षमता निर्माण

जोखिम प्रबंधन विभाग को (आरएमडी) हमारे बैंक में कर्मचारियों के क्षमता निर्माण अभ्यास में सुधार के लिए व्यवसायिक जोखिम प्रबंधक अंतर्राष्ट्रीय संगठन (पीआरएमआईए) द्वारा प्रमाणन के लिये शामिल किया गया.
मानव संसाधन पेशेवरों के क्षमता निर्माण के लिये एसएचआरएम द्वारा एचआर प्रमाणन (सीपी/एससीपी) को दो साल के लिए आगे बढ़ाया गया.

भविष्य की योजना (उत्तराधिकार योजना) :-
'सेंट नर्चर' कार्यक्रम के तहत अपने बैंक में उत्तराधिकार योजना एवं जांच केंद्र के द्वारा नेतृत्व कौशल विकास का कार्य पात्र स्केल iv और ऊपर के अधिकारियों का उतराधिकार योजना के तहत परियोजना पूरी हो गई. व्यक्तिगत विकास योजनाओं (आईडीपी) का कार्यान्वयन प्रगति पर है.
</td></tr>
<tr><td>नीतियाँ</td><td>
नीतियों की समीक्षा:-
अधिकारियों के स्थानांतरण (मुख्य धारा/विशेषज्ञ) और अधिकारियों के करियर पाथ-सह-पदोन्नति के लिए मानदंड (मुख्य धारा/विशेषज्ञ)
वेतनमान-I से III में अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए कर्मचारी के अनुकूल मानदंड (मुख्य धारा/विशेषज्ञ) अधिकारियों के लिए करियर पाथ-सह-पदोन्नति नीति को बोर्ड द्वारा समीक्षा और अनुमोदित किया गया.
भर्ती नीति :
भर्ती प्रक्रिया में सही समय पर सही क्षमताओं, कौशल और विशेषज्ञाता रखने वाले सही व्यक्तियों की भर्ती की जाने के उद्देश्य से भर्ती नीति में कुछ संशोधन/परिवर्धन के साथ बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई एवं अनुमोदित किया गया.
वर्ष 2020-21 हेतु प्रशिक्षण नीति:
वर्ष 2020-21 हेतु प्रशिक्षण नीति में वर्च्युअल मोड एवं ई-लर्निंग पर विशेष ध्यान दिया गया है, बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा की गई एवं अनुमोदित किया गया.
गैर-निष्पादक की पहचान पर एक समान दिशानिर्देश:
फील्ड में कार्यरत अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे उन्हें आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करें, ताकि अंचल के साथ-साथ बैंक समग्र रूप से अपने कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त कर सके. चूंकि इस संबंध में एक समान दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, ताकि बैंक में प्रदर्शन-संस्कृति को विकसित करने के लिए गैर-निष्पादित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने में एकरूपता बनाए रखी जा सके. तदनुसार, गैर-निष्पादकों की पहचान पर एकसमान दिशानिर्देशों पर एक नीति रखी गई और बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई.
</td></tr>
</table>

	विभागीय कार्रवाइयों के लिए समय-सीमा एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु एसओपी : दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के संदर्भ में एकरूपता लाने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए स्थायी संचालन प्रक्रिया और विभागीय कार्यों के लिए समय-सीमा पर एक नीति रखी गई थी और बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया. **आचार संहिता, व्यावसायिक आचरण और हितों के टकराव पर नीति:** हाल के दिनों में बैंकिंग उद्योग ने धोखाधड़ी, लालच, अंदरूनी दुर्व्यवहार, खराब नैतिक मूल्यों और आंतरिक नियंत्रण, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि आदि विभिन्न घटनाओं को देखा है. हालांकि, हमारे बैंक ने अधिकारी-कर्मचारी आचरण, यौन-उत्पीड़न, ड्रेस कोड दिशानिर्देश, व्हिसलब्लोअर नीति इत्यादि संबंधी नीतियों/विनियमों को परिभाषित किया है, नैतिक कोड और व्यवसाय आचरण दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई जो किसी भी प्रकार की नैतिक दुविधा की स्थिति में कर्मचारी की सहायता कर सके . तदनुसार आचार संहिता, व्यवसाय आचरण और हितों के टकराव हेतु नीति रखी गई और बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई . **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर नीति:** कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 अधिनियम के संदर्भ में यौन उत्पीड़न पर दिशानिर्देशों को लागू किया गया है. अधिनियम के अनुसार, बैंक ने सभी प्रशासनिक कार्यालयों में पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों को समिति में नामित करके आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है. तदनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक नीति बनाई गई थी और बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया. **इंटर्नशिप पर नीति :** नीति का उद्देश्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों (भविष्य के पेशेवरों) को एक संरचित तरीके से इंटर्नशिप प्रदान करना है, जिसमें उन्हें इंटर्नशिप के स्थान पर उपलब्ध एक वरिष्ठ अधिकारी की सलाह के तहत बैंकिंग कार्यों / परियोजनाओं पर प्रशिक्षित किया जाएगा. तदनुसार इंटर्नशिप पर एक नीति रखी गई जिसे बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया. **मेंटरशिप पर नीति:** बैंक मेंटरशिप प्रोग्राम का एक औपचारिक ढांचा तैयार करने के लिए काम कर रहा है जो कर्मचारी के निरंतर बृद्धि और विकास, ज्ञान के हस्तांतरण और हमारे स्टाफ (मेंटिस) और मेंटर्स में क्षमता के निर्माण में सहयोग करेगा. मेंटरिंग से बैंक के संचालन के क्षेत्रों की समझ, विस्तारित नेटवर्किंग के अवसर, स्वयं के कार्यों की बेहतर समझ और व्यक्तिगत कौशल और संतुष्टि का विकास होगा . तदनुसार मेंटरशिप पर एक नीति रखी गई जिसे बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया.
औद्योगिक संबंध	वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे.
कर्मचारी प्रशासन	**सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष-** राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में ऐसे महान उद्देश्यों में भाग लेने के लिए हमने सहभागिता की. हमने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) में दान के लिए सेंट्रलाइट की ओर से ₹ 788204.00 एकत्र किए थे. भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध विधवाओं आदि के कल्याण के लिए उक्त राशि का भुगतान सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि खाते, नई दिल्ली में किया गया था . **रुपये 20.00 लाख की वित्तीय सहायता -** मानवता के आधार पर कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए, स्टाफ सदस्यों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में प्रति कर्मचारी रुपये 20.00 लाख के मुआवजे के रूप में वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है. उक्त योजना के तहत कानूनी वारिसों के पक्ष में 34 मामलों का निपटारा किया गया है. **अनुकंपा नियुक्ति और अनुग्रह राशि का भुगतान-**

अनुकंपा नियुक्ति के बदले अनुग्रह राशि का भुगतान	
निपटाए गए मामलों की संख्या	राशि
6	₹3856164.00

अनुकंपा के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति

लिपिक	अधिनस्थ	कुल
17	18	35

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (पोश) की रोकथाम

बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित करता है. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 अधिनियम के संदर्भ में यौन उत्पीड़न पर दिशानिर्देशों को लागू किया गया है. अधिनियम के अनुसार, बैंक ने सभी प्रशासनिक कार्यालयों में पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों को समिति में नामित करके आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है.

वैधानिक और नियामक अनुपालन

आरक्षण नीति का कार्यान्वयन :

- बैंक भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण नीति का पूरी बारीकी से पालन करता है. बैंक के पास अपने कार्यबल के सभी संवर्गो में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व है. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने सीधी भर्ती में "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" के लिए 1 फरवरी 2019 से आरक्षण नीति को लागू किया है.
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ भारत सरकार की नीति और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करता है और उपायों की योजना बनाता है .
- एससी/एसटी सेल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है.
- मुख्य संपर्क अधिकारी के नियंत्रण में केंद्रीय कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित सभी शिकायतों का निवारण करता हैं.
- आरक्षण रोस्टर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए जाते हैं और उन्हें भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है.
- बैंक वेलफेयर एसोसिएशन/फेडरेशन के साथ नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित करता है.
- डीएफएस, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान के लिए आंतरिक समिति गठित है.
- श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली ने हमारे बैंक में ओबीसी के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 19.02.2021 को आंचलिक कार्यालय दिल्ली का दौरा किया.
- दिनांक 18.03.2021 को नई दिल्ली में हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति के साथ बैठक में भाग लिया.

31.03.2021 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व:-

क्र.सं.	संवर्ग	कुल	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
1	अधिकारी	16565	2990	1436	4429
2	क्लर्क	9761	1797	904	2379
3	सब-स्टाफ	6009	2056	548	1541
	कुल	**32335**	**6843**	**2888**	**8349**

डिजिटल भुगतान और ट्रांजेक्शन बैंकिंग

- बैंक के पास 31 मार्च 2021 तक कुल 4321 पीओएस/एम-पीओएस स्थापित टर्मिनल हैं.
- 31 मार्च, 2021 तक नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के लिए संचयी पंजीकृत उपयोगकर्ता क्रमश. 81.16 लाख, 32.83 लाख एवं 11.95 लाख है.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पीओएस /ई-कॉम लेनदेन प्रति दिन औसतन 1.80 लाख है,

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मोबाइल बैंकिंग लेनदेन प्रति दिन औसतन 0.28 लाख है
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान यूपीआई लेनदेन प्रति दिन औसतन 21.62 लाख है.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आईएमपीएस का लेनदेन प्रति दिन औसतन 2.38 लाख है.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन प्रति दिन औसतन 2.72 लाख हैं.

एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन:

- दिनांक 31 मार्च, 2021 तक कुल एटीएम की संख्या 3644 है.
- बैंक कर्मचारियों द्वारा कैश भराई 1851 एटीएम के लिए किया जा रहा है.
- दिनांक 31 मार्च, 2021 तक 3333 शाखाओं को एटीएम से लिंक किया गया है.
- बैंक के 63.72% एटीएम ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं.
- वर्ष के दौरान औसत एटीएम अपटाइम लगभग 89.35% है.
- दिनांक 31.03.2020 को सक्रिय डेबिट कार्ड 2.65 करोड़ है.
- एटीएम पिन की भौतिक छपाई को खत्म करने के लिए एटीएम, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ग्रीन पिन जनरेशन का कार्यान्वयन सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण के अनुकूल और तकनीक के अनुकूल कदम है.

क्रेडिट कार्ड परिचालन :

- बैंक का अपना क्रेडिट कार्ड और साथ ही एसबीआई कार्ड के साथ सह ब्रांडेड कार्ड है.
- बैंक ने हमारे ग्राहकों के लिए सुखद क्रेडिट कार्ड अनुभव के लिए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ सहयोग किया है. सह ब्रांडेड कार्ड से संबंधित विषयों का प्रबंधन और परिचालन एसबीआई कार्ड द्वारा किया जाता है. अक्टूबर 2019 से सह ब्रांड कार्ड जारी करना शुरू हो गया है और स्टैंडअलोन कार्ड जारी करना बंद कर दिया गया है.
- बैंक के पास 13463 का सेंट्रल बैंक क्रेडिट कार्ड बेस है और दिनांक 31.03.2021 को हमारे बैंक को 13463 निष्क्रिय क्रेडिट कार्डों में बकाया शेष / वसूली योग्य देय है. दिनांक 31.03.2021 को प्रीपेड कार्ड बेस 397957 है.
- 31 मार्च 2021 तक 129591 सह ब्रांडेड कार्ड जारी किए गए थे.
- अपने मौजूदा क्रेडिट कार्ड के लिए समर्पित वेब पोर्टल उपलब्ध है और साथ ही साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए वेबलिंक प्रदान की गई है.
- क्रेडिट कार्ड की कार्यात्मकता बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप पर भी उपलब्ध है.

हमारे प्रयास - अनुपालन हेतु ऐसी पहलें जो डिजिटल उपयोग को बढ़ाएंगी.

- नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड का उपयोग करके एनएसीएच प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मैंडेट कार्यान्वयन
- नेट बैंकिंग का नया स्वरूप एवं अनुभव
- मोबाइल बैंकिंग से यूटिलिटी भुगतान.
- हमारे ग्राहकों के लिए, कुछ सुप्रसिद्ध मर्चेंट आउटलेट पर डेबिट कार्ड ईएमआई सुविधा.
- सीबीडीटी, आईआरसीटीसी इत्यादि जैसे सरकारी उपक्रम/संगठन को ऑनलाइन भुगतान के लिए मौजूदा नेट बैंकिंग भुगतान विकल्प के अलावा डेबिट कार्ड भुगतान विकल्प को सक्षम करना.
- एटीएम में यूपीआई के माध्यम से इंटरओपेरबल कार्ड-रहित नगद निकासी (आईसीसीडब्ल्यू) का कार्यान्वयन
- कार्ड (क्रेडिट/डेबिट) द्वारा हमारे ग्राहकों को अपने अधिदेश के प्रबंधन (सृजन, संशोधन, परिवर्तन) के लिए स्थायी निर्देश (एसआई) हब का कार्यान्वयन.
- एमएसएमई उधारकर्ताओं हेतु यूपीआई क्यूआर कोड जारी करना.

अनुषंगियां एवं संयुक्त उद्यम

सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

- *31 मार्च, 2021 को शुद्ध स्व-निधि ₹138.35 करोड़ थी. कंपनी का कुल अग्रिम 31 मार्च, 2020 के ₹1228.19 करोड़ के समक्ष 31 मार्च, 2021 में ₹1129.93 करोड़ रहा.
- खुदरा जमा एवं संस्थागत जमा, 31मार्च, 2020 के ₹ 475.53 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2021 को ₹ 412.25 करोड़ रही.
- कपनी का शुद्ध लाभ 2020-21 के पूरे वर्ष के लिए ₹14.67 करोड़ रहा, जबकि 2019-20 के पूरे वर्ष के लिए यह ₹ 10.23 करोड था.
- प्रति शेयर आय ₹ 5.87 (₹ 10 प्रति शेयर) (गत वर्ष ₹ 4.09)
- 31 मार्च 2020 में सकल एनपीए ₹ 47.46 करोड़ था, जबकि यह 31मार्च, 2021 में ₹62.01 करोड़ हो गया.
- 31 मार्च, 2021 को शुद्ध अग्रिम की तुलना में शुद्ध एनपीए का 3.16% था..
- आस्तियों पर प्रतिफल 1.16% रहा (गत वर्ष 0.78%)
- दिनांक 31 मार्च, 2021 को सीएआर 21.93% रहा.

नोट : *पिछले वर्ष में लिए गए कुल अग्रिम अप्राप्त ब्याज सहित थे. हाँलाकि, लेखा परीक्षक के निर्देशानुसार, ऋण को यूआरआई के निव्वल होना चाहिए. इसलिए हमने चालू वर्ष के साथ साथ पिछले वर्ष के यूआरआई के निव्वल आंकडे लिए है. कृपया यह नोट करें.

पिछले वर्ष में यूआरआई सहित सकल एनपीए लिया गया है. हाँलाकि लेखापरीक्षक के निर्देशानुसार, एनपीए को यूआरआई के निव्वल होना चाहिए. इसलिए हमने चालू वर्ष के साथ साथ पिछ्ले वर्ष के यूआरआई के निव्वल आंकडे लिए है. कृपया यह नोट करें.

31 मार्च, 2021 के अनुसार तुलन पत्र

मद	नोट सं.	31 मार्च, 2021 पर आधारित ₹ लाख में	31 मार्च, 2020 पर आधारित ₹ लाख में
ए. इक्विटी एवं देयताएँ			
1 शेयरधारकों की निधि			
(ए) शेयर पूँजी	2	2,500.00	2,500.00
(बी) आरक्षित	3	11,696.72	10,229.75
		14,196.72	**12,729.75**
2 गैर चालू देयताएँ			
(ए) दीर्घ कालिक उधारियाँ	4	55,399.87	60,951.30
(बी) विलम्बित कर देयताएँ	3ए	641.48	1,047.50
(सी) दीर्घकालिक प्रावधान	5	3,045.07	2,415.25
		59,086.42	**64,414.05**
3 चालू देयताएँ			
(ए) अल्पावधिक उधारियाँ	6	30,686.98	36,906.49
(बी) अन्य चालू देयताएँ	7	14,647.48	14,840.31
(सी) अल्पावधिक प्रावधानें	8	60.37	99.52
		45,394.83	**51,846.32**
कुल		**1,18,677.97**	**1,28,990.12**

बी आस्तियाँ			
1 गैर चालू आस्तियाँ			
(ए) सम्पत्ति,संयत्र तथा उपकरण			
(i) मूर्त आस्तियाँ	9	42.29	58.07
(बी) गैर- चालू निवेशें	10	4,224.19	3,724.05
(सी) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिमें	11	1,02,723.32	1,05,086.44
(डी) अन्य गैर चालू आस्तियाँ	12	189.97	272.91
		1,07,179.77	**1,09,141.47**
2 चालू आस्तियाँ			
(ए) नगद एवं नगद समतुल्य	13	689.19	1,277.00
(बी) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिमें	14	10,464.98	18,042.51
(सी) अन्य चालू आस्तियाँ	15	344.03	529.14
		11,498.20	**19,848.65**
कुल		**1,18,677.97**	**1,28,990.12**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि का विवरण

	मद	नोट संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
			₹ लाख में	₹ लाख में
ए	**आय**			
1	परिचालन में राजस्व	16	12,734.94	14,184.58
2	अन्य आय	17	44.02	24.13
3	**कुल राजस्व (1+2)**		**12,778.96**	**14,208.71**
बी	**व्यय**			
4	(ए) कर्मचारी हितलाभ व्यय	18	809.45	839.32
5	(बी) वित्त लागत	19	8,622.67	9,896.84
6	(सी) विमूल्यन एवं प्रत्युत्सर्जन व्यय	9	19.74	20.35
7	(डी) अन्य व्यय	20	804.06	880.43
8	(इ) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान (कोविड-19 पर विशेष प्रावधान सहित - नोट सं. 5 उल्लेखित)	21	-153.45	175.26
9	(एफ) गैर-निष्पादित तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान		711.19	840.21
10	(जी) बट्टे खाते डाला गया		0.00	0.00
11	कुल व्यय (4+5+6+7+8+9+10)		**10,813.66**	**12,652.41**
सी	**कर पूर्व लाभ एवं असाधारण मदें (3-11)**		**1,965.30**	**1,556.30**
डी	**असाधारण मदें**			
	जोड़े :- असाधारण मदें	22	0.00	0.00

	घटाएँ :- पूर्व अवधि समायोजन		1.45	21.79
ई	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (सी-डी)**		**1,963.85**	**1,534.51**
एफ	**कर व्यय :**			
	(ए) वर्तमान वर्ष के कर व्यय		539.43	655.67
	(बी) विगत वर्ष के कर हेतु प्रावधान		363.47	59.55
	(सी)उपरोक्त को छोडकर वर्तमान वर्ष के विलम्बित देयताएँ/ आस्तियाँ		-84.61	-322.53
	(डी) विशेष आरक्षित पर विलम्बित कर देयताएँ		-321.41	119.15
			496.88	**511.84**
जी	**सतत परिचालन से लाभ (ई-एफ)**		**1,466.97**	**1,022.67**

ii. सेन्टबैंक फाइनेंशिल सर्विसेज लिमिटेड

- सेन्टबैंक वित्तीय सेवाएँ लिमिटेड, डिबेंचर /सुरक्षा न्यास, निष्पादक न्यास, प्रबंध चेरीटेबल ट्रास्ट इत्यादि सहित अनिवार्यता: न्यासधारिता सेवाएँ उपलब्ध करा रही है.
- कंपनी डिबेंचर न्यास गतिविधियों के अधिग्रहण के लिए सेबी के साथ पंजीकृत है.

वित्तीय अद्यतन जानकारी :

- कंपनी ने 31 मार्च 2021 के वर्ष समाप्ति में ₹ 0.91 करोड़ का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया,. जो गत वर्ष 31 मार्च 2020 के वर्ष समप्ति में ₹ 1.45 करोड़ था.
- खंडवार अर्जन :

(राशि रुपये में)

विवरण	वि.व. 2020-21	वि.व. 2019-20
निष्पादक न्यास से शुल्क	33,06,890	49,37,199
डिबेंचर एवं प्रतिभूति न्यास के शुल्क	83,52,902	1,07,89,735
अन्य आय (ब्याज, लाभांश आदि)	2,22,91,172	2,43,05,867
कुल	**3,39,50,964**	**4,00,32,801**

- ईपीएस वित्त वर्ष 2019-20 के ₹ 290.03 के प्रति वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 181.34 रहा.

31 मार्च, 2021 पर आधारित तुलन पत्र

(राशि रुपये में)

मद	नोट सं.	31 मार्च, 2021 पर आधारित ₹ लाख में	31 मार्च, 2020 पर आधारित
ए. इक्विटी एवं देयताएँ			
1 शेयरधारकों की निधि			
(ए) शेयर पूँजी	1	5,00,00,000	5,00,00,000
(बी) आरक्षित और अधिशेष	2	30,81,86,723	31,75,16,192
(2) गैर चालू देयताएँ			
(ए) अन्य दीर्घकालिक उधारियाँ	3	60,35,188	60,35,188

(बी) दीर्घकालिक प्रावधानें	4	3,16,967	3,83,250
(3) चालू देयताएँ			
(ए) अन्य चालू उधारियाँ	5	5,89,99,332	5,16,34,346
(बी) अल्पकालिक प्रावधान	6	1,22,223	1,52,679
कुल		**42,36,60,433**	**42,57,21,655**
II. आस्तियाँ			
(1) गैर-चालू आस्तियाँ			
(ए) स्थिर आस्तियाँ	7		
(i) मूर्त आस्तियाँ		1,45,826	1,64,848
(ii) अमूर्त आस्तियाँ		1,04,487	2,08,975
(iii) पूँजी कार्य प्रगति पर		1,36,800	-
(बी) गैर चालू निवेश	8	3,000	1,50,03,000
(सी) स्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	9	1,68,247	56,15,818
(डी) अन्य गैर -ख्र्ह्वाश्र आस्तियाँ	10	1,99,38,747	6,05,41,365
(2) चालू आस्तियाँ			
चालू निवेश	11	1,50,00,000	-
(ए) व्यापार प्राप्य	12	8,86,980	17,19,851
(बी) नगद एवं नगद समतुल्य	13	35,55,60,938	32,03,92,686
(सी) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	14	3,17,15,408	2,20,75,112
कुल		**42,36,60,433**	**42,57,21,655**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि का विवरण

(राशि रुपये में)

मद	नोट संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
आय:			
परिचालन से राजस्व	15	1,16,59,792	1,57,26,934
अन्य आय	16	2,22,91,172	2,43,05,867
I. कुल आय		**3,39,50,964**	**4,00,32,801**
व्यय:			
परिचालन एवं प्रशासनिक व्यय	17	75,99,989	79,75,749
कर्मचारी हितलाभ व्यय	18	1,17,64,847	1,07,91,886
मूल्यह्रास एवं प्रत्युत्सर्जन व्यय	19	1,26,913	22,460
II. कुल व्यय		**1,94,91,749**	**1,87,90,095**
III. कर पूर्व लाभा/(हानि)	**(I-II)**	**1,44,59,216**	**2,12,42,706**

IV. कर व्यय :			
(1) वर्तमान कर		-	55,04,300
(2) स्थगित कर		54,47,571	4,07,186
(3) पूर्ववर्ष कर व्यय		(55,483)	8,29,813
		53,92,088	**67,41,299**
V. अवधि हेतु लाभ (हानि)	**(III-IV)**	**90,67,128**	**1,45,01,407**
VI. प्रति शेयर आय			
प्रत्येक 1000/- मूल्य के बराबर इक्विटी शेयर			
(ए) बुनियादी		181.34	290.03
(बी) समायोजित		181.34	290.03

ii. इंडो- जाम्बिया बैंक लिमिटेड

- जाम्बिया में बैंक के संयुक्त उद्यम को जाम्बिया सरकार और संयुक्त रूप से तीन भारतीय बैंकों सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से संवर्धित है. इन तीन भारतीय बैंकों में से प्रत्येक के पास 20% इक्विटी है, जबकि औद्योगिक विकास निगम (आईडीसी) (जाम्बिया गणराज्य की सरकार के पूरी तरह से स्वामित्व वाली निवेश कंपनी), के पास जाम्बिया गणराज्य की सरकार की ओर से 40% इक्विटी शेष है.
- बैंक का वित्तीय वर्ष कैलेंडर वर्ष है.
- उक्त बैंक सभी मापदंडों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और वर्तमान में जाम्बिया में छठा सबसे बड़ा बैंक है.
- दिसम्बर 2020 के अंत तक, हमारे बैंक के पास प्रति कवच 1 के मूल्य के कुल 8,32,00,000 शेयर है.
- पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कवच बैंक की जमा राशि में 48.70% (आईएनआर में 1.35%) और कवच अग्रिम की 26.03% (आईएनआर-14.10%*) की वृद्धि हुई है.
- बैंक ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए कवच 209.72 मिलियन (₹ 71.65 करोड) का शुद्ध लाभ कमाया है.

हमें वर्ष 2020 के लिए इंडों जाम्बिया बैंक से ₹ 4.64 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ है.

*कवच मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण रुपये की वृद्धि के प्रतिशत में कमी आई है.

iii. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :

31 मार्च 2021 तक हमारे पास 2 राज्यों में 2 आरआरबी हैं जो 1174 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 23 जिलों को कवर करते हैं.

दिनांक 31 मार्च 2021 को अलेखापरीक्षित

(राशि करोड़ में)

आरआरबी का नाम प्र.का. एवं जिला सहित	जिले एवं शाखाओं की संख्या	कुल जमा	कुल अग्रिम	सकल एनपीए	शुद्ध लाभ
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुजफ्फरपुर (बिहार)	18/1032	16308.10	9474.08	2804.78	-380.01
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कूचबिहार (पश्चिम बंगाल)	5/142	3518.91	2378.37	233.99	2.08
कुल	**23/1174**	**19827.01**	**11852.45**	**3038.77**	**-377.93**

कॉर्पोरेट सामजिक उत्तरदायित्व

- कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर समुदाय और समाज के जीवन स्तर में सुधार एवं आर्थिक विकासमें योगदान हेतु सीएसआर व्यवसाय द्वारा सतत प्रतिबद्धता है.
- शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदाओं और समाजके समग्र सामाजिक कल्याण के लिए समाज के गरीब, पिछ्डे लोगोंके लिए काम करने वाले संगठन / ट्रस्ट के माध्यम से सीएसआर के तहत दान करना हमारी निरंतर प्रतिबद्धता है.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर बजट शून्य था क्योंकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक को नुकसान हुआ था.

पुरस्कार और सराहना

- महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगतसिंह कोशियारी द्वारा राजभवन मुंबई में आयोजित एक समारोह में कोविड़-19 अवधि के दौरान बैंक द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पल्लव महापात्र को सम्मानित किया. महामारी की अवधि के दौरान बैंक ने सहज बैंकिंग परिचलन सुनिश्चित किया जिससे जन सामान्य प्रभावित ना हो. बैंक कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री सहायता कोष में अपना दो दिनों का वेतन दान किया. बैंक ने कई अस्पतालों, संघटनों, एनजीओ आदि को पीपीई कीट, मास्क, फेस शिल्ड, वॉटर डिस्पेंसर, सैनिटज़र्स तथा अन्य सम्बंधित सामग्री भी दान की. बैंक ने चयनित अस्पतालों के माध्यम से अपने ग्राहकों को यथा अपेक्षित मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग दिया. कोविड 19 के सम्बंध में डिजिटल एवं बाहरी मिडिया के माध्यम से जागरुकता भी प्रदान की.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

1) बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य:

- बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचालन में नैतिक संव्यवहार से शेयरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है. बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है. कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शेयरधारकों के शेयर मूल्य में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएं हैं.
- बैंक के इक्विटी शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध है. हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित है. अत: बैंक सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों को उस सीमा तक, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970 एवं भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों, निदेश इत्यादि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा.

2) निदेशक मंडल

ए) निदेशक मंडल की संरचना

- बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है. सामान्य देखरेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाती है.
- बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के द्वारा अधिशासित होता है.
- समीक्षाधीन वर्ष अर्थात 2020-21 के दौरान, निदेशक मंडल का संयोजन निम्नवत था:

क्र. सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2021 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता		दिनांक 31.03.2021 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 07.08.2020 को अंतिम एजीएम की वैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री तपन राय	गैर-कार्यकारी स्वतंत्र व अध्यक्ष (दिनांक 22.05.2021 तक	23.05.2018 से 22.05.2021	निरंक	वित्त, अर्थशास्त्र, तकनीक, विधि, पूंजी बाजार, प्रबंधन, विदेशी व्यापार, जन नीति एवं प्रशासन	आरएमसी, एलवीएफसी एसआरसी, एचआर, पीई एनएण्डआरसी	आरएमसी, एलवीएफसी एसआरसी, एचआर, पीई	1. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी कंपनी लि. 2.गिफ्ट सेज़ लि. 3. गिफ्ट पॉवर कं. लि. 4.जीएसपीसी एलएनजी लि. 5.जीवीएफएल लि. 6.गुजरात एल्कलीस और केमिकल्स लिमिटेड - सुचीबध्द कंपनी 7.गुजरात स्टेट फर्टिलाइजरस एण्ड केमीकल लिमिटेड (गैर-कार्यकारी-स्वतंत्र निदेशक)	हां

क्र. सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2021 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता		दिनांक 31.03.2021 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 07.08.2020 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
2.	श्री एम. वी. राव	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्ण कालिक निदेशक)	01.03.2021 से	लागू नहीं	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	एमसीबी, सीएससी, वीआईजी, सीएसी, एमआरसी सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	निरंक	नहीं.
3.	श्री पल्लव महापात्र	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पूर्ण कालिक निदेशक)	21.09.2018 से 28.02.2021	-	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	एमसीबी, सीएससी, वीआईजी, सीएसी, एमआरसी सीआरसी, आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्ल्यूडी	लागू नहीं.	हां.
4.	श्री बी एस शेखावत	कार्यपालक निदेशक (पूर्ण कालिक निदेशक)	09.10.2017 से 08.10.2020	-	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	लागू नहीं.	हां
5.	श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक (पूर्ण कालिक निदेशक)	23.01.2019 से	12,000	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	हां
6.	श्री विवेक वाही	कार्यपालक निदेशक (पूर्ण कालिक निदेशक)	10.03.2021 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	निरंक	नहीं

क्र. सं.	नाम	धारित पद	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2021 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता		दिनांक 31.03.2021 को अन्य कंपनी की निदेशकता	क्या दि. 07.08.2020 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
7.	श्री राजीव पुरी	कार्यपालक निदेशक (पूर्ण कालिक निदेशक)	10.03.2021 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	निरंक	नहीं
8.	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर- कार्यकारी निदेशक)	14.05.2018 से	निरंक	वित्त एवं अर्थशास्त्र	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी आईटीएस, वीसी, एमआरसी, एचआर, पीई	निरंक	आईएफसीआई लि. - सूचीबद्ध कंपनी (गैर-कार्यकारी - नामित निदेशक)	नहीं
9.	श्री थॉमस मैथ्यू	भारिबैं द्वारा नामित निदेशक (गैर- कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)	26.04.2019 से 28.09.2020	निरंक	अर्थशास्त्र	एमसीबी, एसीबी, वीसी	निरंक	लागू नहीं	नहीं
10.	श्री पी.जे.थॉमस	भारिबैं द्वारा नामित निदेशक (गैर- कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)	28.09.2020 से	निरंक	बैंकिंग एंड फाइनेंस	एमसीबी, एसीबी, वीसी	निरंक	निरंक	नहीं
11	प्रो. (डॉ.) आत्मानन्द	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (गैर- कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)	27.12.2017 से 26.12.2020	निरंक	अर्थशास्त्र	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, एमआरसी, एनएंडआरसी आरसीएनसीबी, सीआरआईडब्लूडी	एसीबी, आईटीएस, एनएण्डआरसी	लागू नहीं	हां
12	श्रीमती मिनी आईप	शेयरधारक निदेशक (गैर- कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक)	01.07.2018 से	100	फाइनेंस	एसीबी आरएमसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, एमआरसी पीई आरसीएनसीबी एनएण्डआरसी, एनएंडआरसी सीआरआईडब्ल्यू डी	एससीबी आईटीएस एनएंडआरसी	निरंक	नहीं

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकगण बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं.

एसीबी	-	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
सीएसी	-	ऋण अनुमोदन समिति
सीआरसी	-	पूंजी उगाही समिति
सीआरआईडब्ल्यूडी	-	इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा हेतु समिति
सीएससी	-	ग्राहक सेवा समिति
एचआर	-	मानव संसाधन समिति
आईटीएस	-	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
एलवीएफसी	-	उच्च मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी हेतु बोर्ड की विशेष समिति
एमसीबी	-	बोर्ड की प्रबंधन समिति
एमआरसी	-	वसूली की निगरानी हेतु बोर्ड की समिति
एनएण्डआरसी	-	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
पीई	-	कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति
आरसीएनसीबी	-	गैर सहकारी उधारकर्ता की घोषणा हेतु समीक्षा समिति
आरएमसी	-	जोखिम प्रबंधन समिति
एसआरसी	-	स्टेकधारक सम्बंध समिति
वीआईजा	-	सतर्कता समिति

निदेशकों का संक्षिप्त परिचय (दिनांक 31.03.2021 के अनुसार)

1. श्री तपन राय, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष - (जन्म तिथि 09.09.1957)

भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 मई, 2018 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में श्री तपन राय को गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था. श्री तपन राय, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) को वित्त, अर्थशास्त्र, तकनीकी, विधि, पूँजी बाजार, प्रबंधन, विदेशी व्यापार, जन नीति एवं प्रशासन के क्षेत्र में वृहद ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त है. गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नियुक्ति प्राप्त करने के पूर्व, श्री तपन राय, भारतीय प्रशासनिक सेवा(आईएएस) के गुजरात कैडर में 35 वर्षो की सेवा के पश्चात, सचिव, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भारत सरकार के रूप में कार्य कर चुके हैं. आपने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है. आपने वुडरो विलसन स्कूल, प्रिंस्टन विश्वविद्याल,यूएसए से पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेज्युएट और मैक्सवेल स्कूल, सिराकॉस विश्वविद्यालय, यूएसए से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी हासिल की है. श्री राय ने भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, नई दिल्ली से विदेशी व्यापार में एग्जेक्यूटिव मास्टर्स भी किया है. आपने कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी डिग्री हासिल की है. आपने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयो, जैसे - रक्षा,कपड़ा, विद्युत उर्जा, विज्ञान एवं तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं योजना मंत्रालयों में अपनी सेवायें प्रदान की है. आप गुजरात राज्य में वित्तीय विभाग में मुख्य सचिव पद पर सेवा प्रदान कर चुके हैं. श्री राय गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (जीएसपीसी) एवं गुजरात राज्य पेट्रोनेट लि. (जीएसपीएल) के प्रबंध निदेशक भी थे. आप जीएसपीसी/ जीएसपीएल के अन्य समूह कम्पनियों के बोर्ड में भी रहे है. आपने सचिव (कॉर्पोरेट अफेयर्स), के रूप में सेबी के बोर्ड में भी अपनी सेवायें प्रदान की है. श्री राय पीएसयू तेल वितरण कंपनियों धरा गठित विवाद समाधान पैनल के सदस्य भी हैं. श्री तपन राय गुजरात इंटरनैशनल फारनेंस टेक सिटी कं. लि., गांधीनगर, गुजरात के प्रबंध निदेशक तथा समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं. उनका कार्यकाल दि. 22.05.2021 को समाप्त हुआ.

2. श्री एम.वी.राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जन्म तिथि 03.07.1965)

श्री एम.वी.राव ने दिनांक 01 मार्च, 2021 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण किया. इस पदस्थापना से पूर्व श्री राव ने केनरा बैंक में कार्यपलक निदेशक के पद पर तीन वर्षो से अधिक कार्य करते हुए बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया. श्री एम.वी. राव ने श्री वेंकटेश्वरा एग्रीकल्चर कांलेज, तिरुपति, आन्ध्र प्रदेश से कृषि में परास्नातक किया. वे भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एशोशिएट है. विविध बैंकिंग क्षेत्रों के अनुभवी बैंकर श्री एम.वी. राव ने वर्ष 1988 मे कृषि क्षेत्र अधिकारी के पद पर

इलाहाबाद बैंक में कार्यभार ग्रहण किया और देश भर के अनेक भौगोलिक स्थानों पर विभिन्न पदों पर कार्य किया. इलाहाबाद बैंक में महाप्रबंधक के रूप में बैंक के महत्वपूर्ण विभाग जैसे होलसेल एंड रिटेल बैंकिंग के प्रमुख की भूमिका निभाई. उन्होंने इलाहाबाद बैंक में असेट सेंट्रिक बैंकिंग पर ध्यान केन्द्रित करने की परिवर्तनकारी परियोजना प्रारंभ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

3. श्री आलोक श्रीवास्तव (जन्म तिथि 22.11.1962)

श्री आलोक श्रीवास्तव ने अर्थशास्त्र में स्नाकोत्तर एवं एमबीए (फाइनैंस) की डिग्री प्राप्त की है. वर्ष 1985 में आपने पंजाब नैशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में अपना कॅरियर शुरु किया. आपको बैंकिंग के क्षेत्र में 34 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है, जिसमें बैंकिंग के लगभग सभी मुख्य घटकों, शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों इत्यादि में आपने कार्य किया है.

4. श्री विवेक वाही (जन्म तिथि 15.09.1965)

श्री विवेक वाही ने दिनांक 10 मार्च, 2021 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया. उनके पास बैंक के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों जैसे शाखा बैंकिंग, ओवरसीज डीलिंग रूम, बड़े कार्पोरेटस क्रेडिट ब्रांच के प्रभारी, जोनल मेनेजर, ट्रेजरी हेड, फील्ड महाप्रबंधक आदि में काम करने का समृद्ध अनुभव है. उन्हें बैंक के मुम्बई दक्षिण अंचल के आंचलिक प्रबंधक के रूप में तैनात किया गया था, जो व्यापार मिश्र मानकों पर सबसे बड़ा अंचल था. उन्होंने 02 साल से अधिक समय तक मुम्बई में बैंक आफ इंडिया के ट्रेजरी का भी नेतृत्व किया है. उन्होंने बैंक के उत्तरी क्षेत्र के फील्ड महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया है. जिसमें 6 राज्य शामिल हैं तथा मुख्यालय नई दिल्ली में है. एन आई टी, कुरूक्षेत्र से बी.टेक पूरा करने के बाद, वह 1990 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंकिंग उद्योग (बैंक आफ इंडिया) में समाहित हुए.

5. श्री राजीव पुरी (जन्म तिथि 14.06.1963)

श्री राजीव पुरी वाणिज्य में परास्नातक और एमबीए (वित्त) है. उन्होने आईआईबी से ग्रामीण बैंकिंग में डिप्लोमा भी किया है. वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोशिएट हैं. वे आईआईएम-बी (बीबीबी-एलडीबी - प्रशिक्षण 9 माह) के पूर्व छात्र भी है. दिनांक 10 मार्च, 2021 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री राजीव पुरी पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक थे. वे विविध अनुभव वाले एक अनुभवी बैंकर हैं और उन्होंने देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है. पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख और आंचलिक प्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं. पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में उन्होंने एमएसएमई और मिड कॉर्पोरेट, कृषि, खुदरा ऋण और वित्तीय समावेशन प्रभाग जैसे बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों का नेतृत्व किया.

6. डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, भारत सरकार नामित निदेशक (जन्म तिथि 20.07.1964)

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, दिनांक 14.05.2018 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे. डॉ. सिन्हा वित्तीय अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से वित्तीय अर्थशास्त्र में पीएचडी एवं नेशनल ग्रेजुएट स्कुल ऑफ मैनेजमेंट (एनजीएसएम), ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी (एएनयू), केनबरा, ऑस्ट्रेलिया से एमबीए किया है. डॉ. सिन्हा भारतीय वित्तीय सेवा के 1993 बैच से हैं एवं वर्तमान में वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर है. वर्तमान के संयुक्त सचिव के कार्यभार के पूर्व, आप डीएफएस में आर्थिक सलाहकार थे. मई 2018 में डीएफएस में नियुक्त होने के पूर्व, डॉ. सिन्हा ने निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) में आर्थिक सलाहकार के रूप में तीन वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है. डॉ. सिन्हा, आईएफसीआई लि. के निदेशक मंडल में भी निदेशक के पद पर आसीन हैं.

7. श्री पी जे थॉमस (जन्मतिथि : 02.01.1959)

श्री पी जे थॉमस को भारत सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2020 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया. वह बीएससी (ऑनर्स) के साथ विज्ञान में स्नातक हैं और बैंकिंग और वित्त में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर हैं. वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं.

उन्होंने एक अधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में जाने से पहले एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में एक बैंक अधिकारी के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, बैंगलोर सहित कई जगह विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया. आरबीआई में 36 वर्षों से अधिक के अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होने केंद्रीय कार्यालय में बैंकिंग विनियमन और क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंकिंग पर्यवेक्षण का लंबा अनुभव हासिल किया. उन्होंने कुआला लंपुर, मनीला, फ्रैंकफर्ट और बेसल में अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों के अलावा न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के फेडरल रिजर्व में विनियमन और पर्यवेक्षण में विदेशी प्रशिक्षण में भाग लिया था. वह पहले एक निजी क्षेत्र के बैंक और एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में थे.

8. श्रीमती मिनी आइप (जन्मतिथि : 19.08.1963)

सुश्री मिनी आइप का सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारक निदेशक के पद पर दिनांक 01.07.2018 को चयन किया गया, आप ने वित्त, मार्केटिंग एवं मानव संसाधन के क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभव प्राप्त की है. आपने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी में कार्यपालक निदेशक (एसबीयू अंतर्राष्ट्रीय परिचालन) के पद पर भी कार्य किया है. आप एलआईसी एचएफएल हाउसिंग फाइनेंस सर्विसेस लि. में निदेशक एवं सीईओ भी थी. सुश्री मिनी आइप ने एलआईसी में क्षेत्रीय प्रबंधक, इस्टेट एवं पी एण्ड आईआर तथा सचिव, ईआर एण्ड मार्केटिंग के रूप में कार्य किया है. श्रीमती मिनी आइप दिनांक 30.06.2021 तक बैंक की निदेशक थी.

9. श्री दिनेश पांगती (जन्मतिथि : 27.02.1962): दिनांक 01.07.2021 से

श्री दिनेश पांगती का सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारक निदेशक के पद पर दिनांक 01.07.2021 को चयन किया गया, आप को वित्त के क्षेत्र में अनुभव है. आप वर्तमान में जीवन बीमा निगम म्युच्युअल फंड आस्ति प्रबंधन लिमिटेड में पूर्ण कालिक निदेशक एवं सीईओ के पद पर कार्यरत है. आपने एलआईसीएचएफएल एएमसी लिमिटेड में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है. आप को अलग-अलग पदों में जीवन बीमा व्यवसाय में 3 दशकों से अधिक का अनुभव भी है.

बी) बोर्ड बैठकों का आयोजन

वर्ष के दौरान, बोर्ड की 16 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

17.04.2020	27.07.2020	26.10.2020	09.02.2021
20.05.2020	11.08.2020	06.11.2020	24.02.2021
22.06.2020	02.09.2020	08.12.2020	10.03.2021
29.06.2020	29.09.2020	19.01.2021	26.03.2021

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि(से-तक)
श्री तपन राय	16	16	01.04.2020-31.03.2021
श्री एम वी राव	2	2	01.03.2021-31.03.2021
श्री पल्लव महापात्र	14	14	01.04.2020-28.02.2021
श्री आलोक श्रीवास्तव	16	16	01.04.2020-31.03.2021
श्री विवेक वाही	1	2	10.03.2021-31.03.2021
श्री राजीव पुरी	1	2	10.03.2021-31.03.2021
श्री बी एस शेखावत	8	8	01.04.2020-08.10.2020
डॉ. बी के सिन्हा	15	16	01.04.2020-31.03.2021
श्री थॉमस मैथ्यू	6	7	01.04.2020-28.09.2020
श्री पी जे थॉमस	8	9	28.09.2020-31.03.2021
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	11	11	01.04.2020-26.12.2020
श्रीमती मिनी आइप	8	8	01.04.2020-31.03.2021

सी) बोर्ड की समितियों का विवरण

वर्तमान में, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित नियमों/विनियमों तथा निदेशों के अंतर्गत, बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल की कुल 16 समितियां गठित की गई, इन समितियों के विवरण निम्नानुसार हैं :

i)	बोर्ड की प्रबंधन समिति
ii)	ऋण अनुमोदन समिति
iii)	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
iv)	जोखिम प्रबंधन समिति
v)	बृहत मूल्य की धोखाधडियों की मॉनिटरिंग के लिए, बोर्ड की विशेष समिति
vi)	ग्राहक सेवा समिति
vii)	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
viii)	स्टेकधारक सम्बंध प्रबंधन समिति
ix)	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
x)	सतर्कता समिति
xi)	कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति
xii)	मानव संसाधन समिति
xiii)	वसूली की निगरानी के लिए समिति
xiv)	पूंजी उगाहने सम्बंधी समिति
xv)	गैर-सहकारी उधारकर्ता की घोषणा हेतु समीक्षा समिति
xvi)	इरादतन चूककर्ताओं की पहचान की समीक्षा हेतु समिति

भारत सरकार ने दिनांक 25 जनवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में एक विशेष प्रावधान (खंड 14 ए) सम्मिलित करते हुए संशोधन किया, जो है:

जहां एक राष्ट्रीयकृत बैंक को कानून द्वारा कोई कार्य या बात करने की आवश्यकता होती है और ऐसा करने के लिए सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान अथवा किसी भी समिति द्वारा किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में सिफारिशों या निर्धारण की आवश्यकता हो, और यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति के अस्तित्व या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड वह कार्य या गतिविधि कर सकता है.

उपर्युक्त के संदर्भ में, राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मंडल को किसी भी कार्य या गतिविधि को करने के लिए, या सुरक्षा धारकों की शिकायतों के समाधान के लिए, या किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा करने के संबंध में बोर्ड की समिति की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, जिसे कानून द्वारा करना आवश्यक है, बशर्ते बोर्ड संतुष्ट हो कि ऐसी समिति की बैठक के लिए ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति के अस्तित्व या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण कोरम पूरा नहीं किया जा सकता है.

i) निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

- निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार किया गया है. यह समिति महत्वपूर्ण व्यवसाय मामतों जैसे उच्च मूल्य ऋण प्रस्तावों, समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव एवं वाद दायर/अपील इत्यादि पर विचार करती है. दिनांक 31.03.2021 को इस समिति में 5 सदस्य थे, जिनमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक शामिल हैं.
- वर्ष के दौरान, निदेशक मण्डल की प्रबंधन समिति की 23 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई :

20.04.2020	20.07.2020	01.10.2020	15.12.2020	06.02.2021
11.05.2020	24.08.2020	20.10.2020	23.12.2020	19.03.2021
01.06.2020	31.08.2020	31.10.2020	06.01.2021	31.03.2021
12.06.2020	11.09.2020	12.11.2020	18.01.2021	
30.06.2020	28.09.2020	25.11.2020	28.01.2021	

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशकों का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से-तक)
श्री एम वी राव	2	2	01.03.2021-31.03.2021
श्री पल्लव महापात्र	21	21	01.04.2020-28.02.2021
श्री आलोक श्रीवास्तव	23	23	01.04.2020-31.03.2021
श्री विवेक वाही	2	2	10.03.2021-31.03.2021
श्री राजीव पुरी	2	2	10.03.2021-31.03.2021
श्री बी एस शेखावत	11	11	01.04.2020-08.10.2020
श्री पी जे थॉमस	13	13	28.09.2020-31.03.2021
श्री थॉमस मैथ्यू	9	10	01.04.2020-28.09.2020
श्रीमती मिनी आइप	16	21	01.04.2020-31.03.2021

ii) **ऋण अनुमोदन समिति:**

- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13ए के अनुसार, दिनांक 31.01.2012 से निदेशक मण्डल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है. यह समिति वैयक्तिक उधारकर्ताओं के लिए ₹ 100 करोड़ से ₹ 400 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव तथा ग्रुप कंपनियों/उधारकर्ताओं के लिए, ₹ 200 करोड़ से ₹ 800 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव ₹ 10 करोड़ से ₹ 50 करोड़ इत्यादि तक के समझौता/बट्टे खाते इत्यादि के प्रस्ताव सम्बंधी बोर्ड में निहित शक्तियों को प्रयोग करती है. समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण एवं जोखिम प्रबंधन, ऋण, लेखे/वित्त एवं ऋण निगरानी तथा नीति के प्रभारी महाप्रबंधकगण शामिल हैं.

  वर्ष के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की 25 वैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई :

18.04.2020	30.06.2020	11.09.2020	21.11.2020	29.01.2021
29.04.2020	18.07.2020	25.09.2020	15.12.2020	16.02.2021
01.06.2020	31.07.2020	06.10.2020	24.12.2020	06.03.2021
15.06.2020	19.08.2020	19.10.2020	05.01.2021	23.03.2021
25.06.2020	01.09.2020	07.11.2020	18.01.2021	31.03.2021

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशकों का नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से-तक)
श्री एम वी राव	3	3	01.03.2021-31.03.2021
श्री पल्लव महापात्र	22	22	01.04.2020-28.02.2021
श्री आलोक श्रीवास्तव	25	25	01.04.2020-31.03.2021
श्री बी एस शेखावत	13	13	01.04.2020-08.10.2020
श्री विवेक वाही	2	2	10.03.2021-31.03.2021
श्री राजीव पुरी	2	2	10.03.2021-31.03.2021

iii) बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति(एसीबी) का गठन, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है. एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण का आयोजन, परिचालन पद्धति तथा बैंक के अंदर आंतरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित, बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है. लेखा परीक्षा समिति के कार्य संदर्भ निम्नानुसार हैं :

- अंतर-शाखा समायोजन खातों, अंतर-बैंक एवं नॉस्ट्रो खातों में लंबे समय से बकाया पुरानी प्रविष्टियों, बही संतुलन का पुराना बकाया कार्य, धोखाधड़ी एवं हाउसकीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अनुवर्ती कार्य पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा की समीक्षा;
- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार, बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उनकी समीक्षा करना;
- बोर्ड को प्रस्तुत करने के पूर्व, लेखा-परीक्षकों के अवलोकनों सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा और तिमाही, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा करना;
- तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पूर्व, सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गये समस्त मुद्दों एवं बाह्य लेखा परीक्षकों से चर्चा करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- लेखों, लेखांकन नीतियों एवं प्रकटीकरणों की नियमित समीक्षा;
- प्रबंधतंत्र के निर्णय की कार्रवाई पर आधारित, प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियों की समीक्षा एवं लेखा-परीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण समायोजनों की समीक्षा करना;
- मसौदा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में दर्शायी गयी विशिष्ट टिप्पणियां.
- लेखा परीक्षा के पश्चात, किसी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य क्षेत्र का पता लगाने के लिये लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना;
- आंतरिक लेखा-परीक्षा के कार्यक्षेत्र और बारंबारता निश्चित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- जहां तक लागू हो, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू स्टॉक एक्सचेंज की विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;
- सभी सांविधिक, अनुबंधित अथवा विनियामकों की समय-समय पर वांछित अन्य सभी मामलों से संबंधित अपेक्षाएं पूरी करने के कार्य को लेखा परीक्षा समिति देखेगी;

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में केन्द्रीय लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं दो गैर-सरकारी गैर-कार्यपालक निदेशक, जिनमें से कम-से-कम एक सनदी लेखाकार होना चाहिये, शामिल हैं. स्टाफ निदेशकगण एसीबी में शामिल नहीं किये जायेंगे. दिनांक 31.03.2021 को, एसीबी में एक पद रिक्त है, क्योंकि समिति में नामित करने के लिए कोई पात्र सदस्य नहीं है.

दिनांक 31.03.2021 को लेखा परीक्षा समिति का संयोजन निम्नानुसार है-

1	श्रीमती मिनी आइप	अध्यक्ष
2	श्री आलोक श्रीवास्तव	सदस्य
3	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य
4	श्री पी जे थॉमस	सदस्य

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 13 बैठकें निम्नांकित तारीखों को हुई:

28.05.2020	10.08.2020	25.11.2020	08.02.2021	31.03.2021
17.06.2020	23.09.2020	09.12.2020	18.03.2021	
29.06.2020	05.11.2020	10.12.2020	23.03.2021	

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि(से – तक)
श्रीमती मिनी आइप	4	4	07.02.2021-31.03.2021
श्री आलोक श्रीवास्तव	13 (8 सदस्य के रूप में एवं 5 आमंत्रित के रूप में)	13	01.04.2020-31.03.2021
डॉ. बी के सिन्हा	8	13	01.04.2020-31.03.2021
श्री पी जे थॉमस	8	8	28.09.2020-31.03.2021
प्रो. (डॉ.) आत्मानन्द	9	9	01.04.2020-26.12.2020
श्री बी एस शेखावत	5	5	01.04.2020-08.10.2020
श्री थॉमस मैथ्यू	4	5	01.04.2020-28.09.2020
श्री विवेक वाही (आमंत्रित)	3	3	10.03.2021-31.03.2021
श्री राजीव पुरी (आमंत्रित)	3	3	10.03.2021-31.03.2021

बैंक के गैर लेखा परीक्षित तिमाही परिणाम और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की समीक्षा, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई तथा निदेशक मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए.

iv) **जोखिम प्रबंधन समिति**

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं.डीबीओडी नं.डीपी(एससी)बीसी/98/21.04.103/39 दिनांक 7 अक्तूबर, 1999 एवं दिनांक 20.04.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/01/2002-03/3.2 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित डॉ. गांगुली समूह की रिपोर्ट के सुझावों के आधार पर बोर्ड द्वारा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है.

जोखिम प्रबंधन समिति का उद्देश्य :-

- यह समिति, बैंक द्वारा अनुभव की जा रही दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों प्रकार की जोखिमों को देखेगी.
- दीर्घकालीन हित एवं तत्संबंधी निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए, बैंक के जोखिम सिद्धांतों को सुस्पष्ट किया जाएगा तथा पूर्वानुमानित आधार पर उसे अद्यतन किया जाएगा.
- परिचालन को सुसंगत करने की दृष्टि से, यह बैंक की जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करेगी तथा जोखिम से बेहतर तरीके से निपटने हेतु, यथेष्ट विभागों को अनुदेश/दिशानिर्देश जारी करेगी.
- यह समिति, विभिन्न जोखिम प्रबंधन के प्रयासों को बल देने तथा नीति दिशानिर्देशों के लिए सर्वोच्च समिति होगी. यह बैंक के जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों को सुस्पष्ट करने पर बोर्ड के निर्देशन को प्रदान करने हेतु सुलभता प्रदान करेगी. यह बैंक की जोखिम को समग्रता के साथ देखेगी, जिसे बैंक उठाने के लिए तैयार रहता है तथा बैंक के ऐसी जोखिम उठाने की सीमा को दर्शाने हेतु बोर्ड को दिशा प्रदान करेगी.
- यह समिति ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि वे जोखिम सिद्धांतों तथा जोखिम प्राथमिकताओं के अनरूप है. यह संगठनात्मक व्यापक जागरूकता और जोखिम प्रबंधन नीतियों की सराहना का सृजन और निर्माण भी करेगा. बैंकों के परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ और मार्गदर्शक सिद्धांत की समय समय पर समीक्षा की जाएगी. साथ ही समिति नीति के अनुपालन के निगरानी के लिए समय-समय पर सूचना की समीक्षा करेगी.
- यह पूरे बैंक के एएलएम मुद्दों के प्रति जागरूकता तथा समझ बढाएगी. तुलन पत्र संरचना, मूल्यनिधि संरचना तथा कॉर्पोरेट आयोजना के क्षेत्र में उचित दिशानिर्देशों का उपयोग करेगी ताकि बैंकों की वांछित जोखिम प्राथमिकताएँ एवं तुलन पत्र प्रोफाइल को बनाए रखा जा सके.
- अनुदेशात्मक प्रणाली की आवधिक समीक्षा करना, जो पर्यवेक्षण आधारित और जोखिम प्रबंधन के कार्यो की समाप्ति के लिए तैयार की गई है.
- यह समिति, ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न एक्सपोजर शामिल करते हुए एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति तथा कार्यनीति तैयार करेगी.

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 5 बैठकें आयोजित की गई

20.05.2020	02.09.2020	29.09.2020	23.12.2020	26.03.2021

दिनांक 31.03.2021को जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

1	श्री तपन राय	अध्यक्ष
2	श्री एम वी राव	सदस्य
3	श्री आलोक श्रीवास्तव	सदस्य
4	श्री विवेक वाही	सदस्य
5	श्री राजीव पुरी	सदस्य
6	डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	सदस्य
7	श्रीमती मिनी आइप	सदस्य

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री तपन राय	5	5	01.04.2020-31.03.2021
श्री एम वी राव	1	1	01.03.2021-31.03.2021
श्री पल्लव महापात्र	4	4	01.04.2020-28.02.2021
श्री आलोक श्रीवास्तव	5	5	01.04.2020-31.03.2021
श्री विवेक वाही	1	1	10.03.2021-31.03.2021
श्री राजीव पुरी	1	1	10.03.2021-31.03.2021
डॉ. बी. के. सिन्हा	4	5	01.04.2020-31.03.2021
सुश्री मिनी आईप	1	5	01.04.2020-31.03.2021
श्री बी एस शेखावत	3	3	01.04.2020-08.10.2020
प्रो.(डॉ.) आत्मानंद	4	4	01.04.2020-26.12.2020

v) बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति

बड़ी राशियों की धोखाधडियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई 2004.15 डीबीएस.एफजीवी नं.1004/23.04.01ए / 2003-04 दिनांक 14 जनवरी, 2004 के माध्यम से धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्य के लिए किया गया था, जिनमें रु.1 करोड़ एवं उससे अधिक की राशि शामिल है, जबकि लेखापरीक्षा समिति सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी करना जारी रख सकती है.

समिति का प्रमुख कार्य रु. 1 करोड़ और उसके अधिक की सभी धोखाधडी की निगरानी और समीक्षा करना है, ताकि -

(1) प्रणालीगत कमी की पहचान, यदि कोई है, हो सके, जो धोखाधडी के अपराध करने की सुविधा देता है और इनको नियंत्रण करने के लिए उपाय तैयार किए जा सके.

(2) बैंक और भारिबैक के शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी होने पर, तत्संबंधी कारणों यदि कोई है. का पता लागया जा सके,

(3) सीबीआई/पुलिस जांच की प्रगति,वसूली की स्थिति पर निगरानी रखी जा सके, और

(4) सुनिश्चित हो सके कि धोखाधडी के सभी मामलों में स्टाफ की जवाबदेही की सभी स्तरों पर जांच की जाती है, यदि आवश्यक हो, तथा समय गंवाये बिना स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई पूरी की जाती है.

(5) धोखाधडी की पुनारावृत्ति को रोकने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा की जा सके, जैसे की आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना,

(6) धोखाधडी के खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करने के लिए अन्य सुसंगत उपायों पर विचार करते हुए उन्हें तैयार किया जा सके.

वर्ष के दौरान, समिति की 4 बार निम्नानुसार बैठकें आयोजित हुई :

22.06.2020	02.09.2020	23.12.2020	26.03.2021

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री तपन राय	4	4	01.04.2020-31.03.2021
श्री एम वी राव	1	1	01.03.2021-31.03.2021
श्री पल्लव महापात्र	3	3	01.04.2020-28.02.2021
श्री आलोक श्रीवास्तव	4	4	01.04.2020-31.03.2021
श्री विवेक वाही	1	1	10.03.2021-31.03.2021
श्री राजीव पुरी	1	1	10.03.2021-31.03.2021
डॉ. बी. के. सिन्हा	3	4	01.04.2020-31.03.2021
श्री बी एस शेखावत	2	2	01.04.2020-08.10.2020
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	3	3	01.04.2020-26.12.2020

vi) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति

विभिन्न बैंकिंग सेवाओं से सम्बंधित ग्राहक सेवाओं में व्यापक सुधार करने के परिप्रेक्ष्य में, भारिबैं द्वारा डॉ.एस.एस. तारापोर की अध्यक्षता में स्थापित लोक सेवाओं पर लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और निष्पादन पर समिति सहपठित भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2004 के सुझाव के अनुसार, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया.

समिति की भूमिका :

i) बैंक द्वारा प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना.

ii) बैंकों में सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रिया और निष्पादन लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करना.

iii) ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अभिनव उपायों को शुरू करना, सभी स्तरों पर ग्राहकों की सभी श्रेणियों के लिए ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार करना.

वर्ष के दौरान, समिति की 5 बार निम्नानुसार बैठकें आयोजित हुई :

11.05.2020	17.06.2020	11.09.2020	30.12.2020	23.03.2021

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री एम वी राव	1	1	01.03.2021-31.03.2021
श्री पल्लव महापात्र	4	4	01.04.2020-28.02.2021
श्री आलोक श्रीवास्तव	5	5	01.04.2020-31.03.2021
श्री विवेक वाही	1	1	10.03.2021-31.03.2021
श्री राजीव पुरी	1	1	10.03.2021-31.03.2021
श्री बी एस शेखावत	3	3	01.04.2020-08.10.2020
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	3	3	01.04.2020-26.12.2020
सुश्री मिनी आईप	3	5	01.04.2020-31.03.2021

vii) बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

आईटी गवर्नेंस की भूमिका के रूप में, आरबीआई ने निर्देश दिया कि बैंकों को एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित आईटी कार्ययोजना / योजना दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता है, और एक विशेष बोर्ड कार्ययोजना समिति का गठन भी सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें कम से कम दो सदस्य निदेशक हों जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए. आईटी कार्ययोजना समिति के सभी सदस्यों को तकनीकी रूप से सक्षम होने चाहिए, जबकि कम से कम एक सदस्य को मार्गदर्शक प्रौद्योगिकी पहल के प्रबंधन में पर्याप्त विशेषज्ञता होनी चाहिए. बाद में निदेशक मंडल द्वारा समिति का दायरा और व्यापक कर दिया गया.

भूमिकाएं और उद्देश्य

i) आईटी कार्यनीति और नीतिगत दस्तावेजों को मंजूरी देना.

ii) यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया को लागू किया है.

iii) अनुसमर्थन करना कि व्यावसायिक कार्यनीति वास्तव में आईटी कार्यनीतिक के अनुरुप है.

iv) यह सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक संरचना, व्यवसाय मॉडल और उसकी तत्संबंधी दिशा सही है.

v) यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रबंधन ने प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू किया है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आईटी, व्यवसाय को समुचित महत्व प्रदान करता है.

vi) सुनिश्चित करना कि निवेश जोखिमों और लाभों के मध्य संतुलन प्रदान करता है और यह बजट स्वीकार्य है.

vii) कार्यनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने हेतु प्रबंधन की विधि की निगरानी करना और आईटी संसाधनों की सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय दिशा प्रदान करना.

viii) बैंक के विकास को बनाए रखने के लिए, आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना.

ix) आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के एक्सपोजर के बारे में जागरूक होना और आईटी जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना.

x) आईटी कार्य नीति क्रियान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना, उच्च स्तरीय नीति मार्गदर्शन जारी करना. (जैसे जोखिम से सम्बंधित, वित्त पोषण या सोर्सिंग टास्क सम्बंधी).

xi) यह पुष्टि करना कि आईटी या व्यावसायिक संरचना को इस तरह तैयार किया जाना है, ताकि आईटी से अधिकतम व्यावसायिक उपयोगिता प्राप्त की जा सके.

xii) बैंक के स्तर पर आईटी की कुल धनराशि की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिमों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हैं या नहीं.

xiii) आईटी कार्यनिष्पादन का आकलन करना और व्यवसाय में आईटी के योगदान की समीक्षा करना (अर्थात प्रतिबद्ध सेवाओं को प्रदान करना).

वर्ष के दौरान, समिति की 5 बार निम्नानुसार बैठकें आयोजित हुई :

17.06.2020	20.07.2020	08.10.2020	10.12.2020	06.02.2021

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री पल्लव महापात्र	5	5	01.04.2020-28.02.2021
श्री आलोक श्रीवास्तव	5	5	01.04.2020-31.03.2021
श्री बी.के. सिन्हा	1	5	01.04.2020-31.03.2021
श्री बी.एस. शेखावत	2	3	01.04.2020-08.10.2020
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	4	4	01.04.2020-26.12.2020
सुश्री मिनी आईप	2	5	01.04.2020-31.03.2021
प्रो. एन. बालकृष्णन (आमंत्रित)	5	5	01.04.2020-31.03.2021

Viii) हित धारक सम्बंध समिति

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित शेयर बाजार के सूचीकरण करार के अनुपालन में, हित धारक सम्बंध समिति का गठन बैंक द्वारा विशेष तौर पर शेयरधारकों, लाभांश धारकों एवं अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों सहित शेयर्स के अंतरण संबंधित, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से संबंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण की प्रणाली को देखने के लिये किया गया है. वर्ष के दौरान, निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया

जा चुका है. सामान्यत: निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने के सात दिन के भीतर कर ली जाती है. इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं. श्री तपन राय, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, स्टेकधारकों के सम्बंध प्रबंध समिति (एसआरसी) के अध्यक्ष हैं.

वर्ष 2020-21 के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गई :

22.06.2020	27.07.2020	26.10.2020	19.01.2021

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	समिति की अवधि (से – तक)
श्री तपन राय	04	04	01.04.2020-31.03.2021
श्री पल्लव महापात्र	04	04	01.04.2020-28.02.2021
श्री आलोक श्रीवास्तव	04	04	01.04.2020-31.03.2021
श्री बी. एस. शेखावत	02	02	01.04.2020-08.10.2020
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	03	03	01.04.2020-26.12.2020
सुश्री मिनी आईप	01	03	01.04.2020-26.10.2020

वर्ष 2020-21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) के लिए, निवेशक शिकायतों का विवरण निम्न प्रकार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	निरंक
2	अप्राप्त शेयर प्रमाणपत्र/अप्राप्त शेयर के लिए पत्र	निरंक
3	अप्राप्त लाभांश वारंट	निरंक
4	अप्राप्त वार्षिक रिपोर्ट/ईजीएम सूचना	निरंक
5	अप्राप्त धनवापसी आदेश	निरंक
6	अप्राप्त अस्वीकृत डीआरएफ	निरंक
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	2
8	प्राप्त कुल शिकायतें	2
9	निपटाई/समाधान की गई कुल शिकायतें	2
10	वर्ष के अंत में लंबित कुल शिकायतें	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि हेतु कार्रवाई रहित/ लंबित नहीं रही है.

ix) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

बोर्ड कमिटी सिस्टम को सुदृढ़ करने एवं पीएसबी गर्वेनेंस सुधारों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवांए विभाग (डीएफएस) के संप्रेषण सं. एफ.नं.16/19/2019-बीओ.आई दिनांक 30.08.2019 सहपठित भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्रांक आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर दिशा-निर्देश डीबीआर.एपीपीटी सं.9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार, बैंक ने दिनांक 30.09.2019 को नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति को मिलाकर एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया, जिसमें निदेशक मंडल के न्यूनतम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं, जिनका न्यूनतम आधा भाग स्वतंत्र निदेशकों का होगा और इसमें एक सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का होगा, ताकि बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और उपक्रमों) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चयन हेतु व्यक्तियों के "सटीक और उचित" दर्जे का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त सावधानी की प्रक्रिया शुरू की जा सके. नामांकन और पारिश्रमिक समिति श्रीमती मिनी आईप अध्यक्ष, श्री तपन राय एवं प्रो. (डॉ.) आत्मानंद सदस्य के साथ गठित है. तदापि, दिनांक 31.03.2021 को एक सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण एक स्थान रिक्त है. वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई.

x) बोर्ड की सतर्कता समिति

बैंक के पास सतर्कता अनुशासनिक मामले एवं विभागीय मामलों की समीक्षा करने के लिए सतर्कता समिति है, जो तिमाही अंतराल पर बैठक करती है. इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समिति के अध्यक्ष हैं और भारत सरकार के एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकगण इस समिति के सदस्य हैं.

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों को 4 बैठकें आयोजित की गई :

28.05.2020	17.09.2020	25.11.2020	24.02.2021

समिति के सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री पल्लव महापात्र	04	04	01.04.2020-28.02.2021
श्री बी.के. सिन्हा	04	04	01.04.2020-31.03.2021
श्री थॉमस मैथ्यू	02	02	01.04.2020-28.09.2020
श्री पी.जे. थॉमस	02	02	28.09.2020-31.03.2021

xi) बोर्ड की मानव संसाधन समिति

मानव संसाधन के विभिन्न मामलों पर विचार करने के लिए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के संप्रेषण एफ नं. 9 /18/2009-आईआर, मार्च 2012 के माध्यम से दिनांक 30.10.2013 को बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन किया गया था.

समिति का कार्य-क्षेत्र

समिति के कार्य-क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे :

1. पंचवर्षीय मानव शक्ति योजना और इसकी वार्षिक समीक्षा
2. उत्तराधिकार योजना के लिए, महत्वपूर्ण और नेतृत्व पदों की त्रैमासिक समीक्षा,
3. अभिचिन्हित महत्वपूर्ण पदों के लिए, अधिकारियों को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से अभिचिन्हित संभावित उत्तराधिकारियों को तैयार करने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रणालियों के माध्यम से संभावित अभिचिन्हित उत्तराधिकारियों की तिमाही मॉनिटरिंग कार्यवाही.
4. अन्य कोई मानव संसाधन मुद्दे, जिन्हें अध्यक्ष / एमडी और सीईओ / ईडी द्वारा महत्वपूर्ण और निर्णायक माना जाता है, जो एचआर नीतियां, व्यक्तिगत मुद्दे या पंचाट कर्मचारियों के द्विपक्षीय मुद्दों से संबंधित नहीं है, उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत, पंचाट कर्मचारियों की वहुसंख्यक यूनियन के साथ, अधिकारियों से सम्बंधित द्विपक्षीय नीतिगत मुद्दे इत्यादि का निपटान करने हेतु, समिति को संदर्भित किया जाना आवश्यक होगा.

वर्ष के दौरान, समिति की निम्नलिखित तारीखों में 5 बार बैठकें आयोजित हुई :

20.05.2020	27.07.2020	07.08.2020	26.10.2020	17.02.2021

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री तपन राय	05	05	01.04.2020-31.03.2021
श्री पल्लव महापात्र	05	05	01.04.2020-28.02.2021
श्री आलोक श्रीवास्तव	05	05	01.04.2020-31.03.2021
श्री बी.के. सिन्हा	05	05	01.04.2020-31.03.2021

श्री बी.एस. शेखावत	03	03	01.04.2020-08.10.2020
प्रो. सी.पी. श्रीमाली (आमंत्रित)	05	05	01.04.2020-31.03.2021
श्री एस. सेनगुप्ता (आमंत्रित)	05	05	01.04.2020-31.03.2021

xii) वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति

बैंक की दबावग्रस्त संपत्तियों की निगरानी और एनपीए खातों में वसूली के लिए बोर्ड की एक उप-समिति के रूप में वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड की समिति का गठन किया गया था.

भूमिकाएं और उद्देश्य

1. नियमित आधार पर वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए, वसूली के सभी संभावित विकल्पों की जांच करना और उनको लागू करना.
2. विशेष उल्लिखित खातों की स्थिति का विश्लेषण करने और स्लिपेज को रोकने के लिए कार्यनीति तैयार करना.

वर्ष के दौरान, समिति की निम्नलिखित तारीखों में 4 बार बैठकें आयोजित हुईं :

28.05.2020	11.09.2020	25.11.2020	23.03.2021

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री एम.वी.राव	01	01	01.03.2021-31.03.2021
श्री पल्लव महापात्र	03	03	01.04.2020-28.02.2021
श्री आलोक श्रीवास्तव	04	04	01.04.2020-31.03.2021
श्री विवेक वाही	01	01	10.03.2021-31.03.2021
श्री राजीव पुरी	01	01	10.03.2021-31.03.2021
श्री बी.के. सिन्हा	00	04	01.04.2020-31.03.2021
श्री बी.एस. शेखावत	02	02	01.04.2020-08.10.2020
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	03	03	01.04.2020-26.12.2020
सुश्री मिनी आईप	01	04	01.04.2020-31.03.2021

xiii) पूंजी वृद्धि समिति

बैंक के पास बैंक की टियर 1 और टियर 2 दोनों प्रकार की पूंजी को तय करने और उन्हें उगाहने के लिए, बोर्ड की पूंजी उगाहने सम्बंधी समिति है और जो इससे सम्बंधित सभी परिचालित कदम उठाती है.

वर्ष के दौरान, समिति की निम्नलिखित तारीखों में 4 बार बैठकें आयोजित हुईं :

22.09.2020	25.09.2020	28.09.2020	11.12.2020

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री पल्लव महापात्र	04	04	01.04.2020 -28.02.2021
श्री आलोक श्रीवास्तव	04	04	01.04.2020-31.03.2021
श्री बी.एस. शेखावत	03	03	01.04.2020-08.10.2020

xiv) सहकारी उधारकर्ता की घोषणा हेतु समीक्षा समिति

आरबीआई के परिपत्र आरबीआई / 2014-15 / 362 डीबीआर नं.सीआईडी बीसी 54 / 20.16.064 / 2014-15 दिनांक 22 दिसंबर, 2014 के अनुसार, गैर-सहकारी उधारकर्ता की घोषणा के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया था. इस समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समिति के अध्यक्ष और दो स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं.

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में किसी खाते के गैर-सहकारी उधारकर्ता के रूप में है या नही, के वर्गीकरण के लिए, ऋण निगरानी तथा वसूली विभागों के महाप्रबंधकों के सदस्यों वाली आंतरिक समिति के आदेश की समीक्षा करने में इस समिति की भूमिका होगी.

(xv) इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हटाने के लिए समिति के आदेश की समीक्षा हेतु समिति

आरबीआई अधिसूचना आरबीआई/2015-16/100 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए, इस समीक्षा समिति का गठन किया गया था. इस समिति में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समिति के अध्यक्ष और दो स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं. कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली इस समिति की भूमिका आंतरिक समिति के आदेश की समीक्षा करना है, इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए सदस्य के रूप में ऋण निगरानी और वसूली विभागों के महाप्रबंधकगण शामिल हैं.

वर्ष के दौरान, इस समिति की निम्नलिखित तारीखों में 3 बार बैठकें आयोजित हुई :

20.07.2020	07.09.2020	08.12.2020

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख नीचे दर्शाया गया है :

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री पल्लव महापात्र	03	03	01.04.2020-28.02.2021
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद	03	03	01.04.2020-26.12.2020
सुश्री मिनी आईप	03	03	01.04.2020-31.03.2021

xvi) बोर्ड की निष्पादन मूल्यांकन समिति

वर्ष के दौरान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यकारी निदेशक और महाप्रबंधक गण (आंतरिक कार्यों के प्रभारी) के निष्पादन मूल्यांकन का कार्य करने के लिए निष्पादन मूल्यांकन समिति का गठन किया गया था. समिति के अध्यक्ष के रूप में बैंक के अध्यक्ष, और सदस्यों के रुप में, भारत सरकार के निदेशक और शेयरधारक निदेशक को नियुक्त किया गया था. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, समिति की बैठक एक बार 20.05.2020 को हुई.

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से – तक)
श्री तपन राय	1	1	01.04.2020-31.03.2021
श्री बी.के. सिन्हा	1	1	01.04.2020-31.03.2021
सुश्री मिनी आईप	1	1	01.04.2020-31.03.2021

पत्रांक एफ सं. 6/20/2019-बीओ.आई दिनांक 30 अगस्त, 2019 के अनुसार निदेशक मंडल ने एक वर्ष की प्रत्येक अवधि के पूरा होने पर गैर-आधिकारिक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन का आयोजन किया जाता है. गैर-आधिकारिक निदेशकों का यानि - श्री तपन राय, गैर-निदेशक अध्यक्ष तथा प्रो. (डॉ.) आत्मानंद का निदेशक मंडल द्वारा संचालित क्रमशः दिनांक 22.06.2020 तथा 19.01.2021 को हुई बैठक में निष्पादन मूल्यांकन किया गया था.

बोर्ड ने दोनो गैर-आधिकारिक निदेशकों के निष्पादन की सराहना की और सर्वसम्मत राय दी कि उन्होने हमेशा प्रोफेशनल और नैतिक आचरण का पालन किया है और हर समय उच्चतम मानकों को बनाए रखा. बोर्ड में यह सहमति हुई कि दोनों गैर-सरकारी निदेशकों का योगदान सराहनीय रहा है और बोर्ड को उनके समृद्ध अनुभव से लाभ हुआ है. बोर्ड ने बैंक के प्रदर्शन, शासन, जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, निवेशक संबंधों आदि में समग्र सुधार के लिए उनके द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान को अभिलेख में रखा है.

गैर-आधिकारिक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के मानदंड निम्नलिखित है :

i) प्रोफेशनल तथा नैतिक आचरण

ए) कानून, नियमों और विनियमों के प्रावधान के अनुसार कार्य करना.

बी) बैंक के सर्वोत्तम हित के लिए कार्य करना.

सी) उचित देखभाल, कौशल, परिश्रम और स्वतंत्र निर्णय का प्रयोग.

डी) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितों के टकराव से बचना.

ई) स्वंय या रिश्तेदार, भागीदारों या सहयोगियों को अनुचित लाभ या लाभ से बचना.

एफ) वाणिज्यिक गोपनीय और अप्रकाशित बाजार संवेदनशील जानकारी सहित सूचना की गोपनीयता बनाए रखना.

ii) बैंक में योगदान

ए) सभी बोर्ड तथा समिति की बैठक में भाग लेने का प्रयास.

बी) जहाँ आवश्यक हो, उचित स्पष्टिकरण या जानकारी मांगना.

सी) बैठक और टिप्पणियों में ज्ञान और जागरुकता के वांछिल स्तर बैंक और बाहरी वातावरण के बारे में का प्रदर्शन

डी) बेहतर निर्णय लेने और बैंक मामलों के प्रबंधन के लिए रचनात्मक विचारों, मार्गदर्शन और ज्ञान के संदर्भ में योगदान.

ई) बैंक द्वारा लिए जा रहे निर्णय पर फीडबैक की समय-सीमा.

3. निदेशकों को पारिश्रमिक

- गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों/गैर-कार्यपालक निदेशकों को निदेशक मण्डल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹40,000/- बैठक फीस एवं निदेशक मंडल की विभिन्न उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में शामिल होने के लिए ₹20,000/- बैठक फीस का भुगतान किया गया. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण एवं निदेशकगणों, जो भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जा रहा है. निदेशक मण्डल और समितियों के बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए, क्रमश: ₹10,000/- एवं ₹5,000/- की अतिरिक्त बैठक फीस का भुगतान किया गया.
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक की फीस के लिए ₹ 15,80,000/- (रुपये पंद्रह लाख अस्सी हजार केवल) और बोर्ड की उप समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 26,05,000/- (रुपये छ्ब्बीस लाख पाँच हजार केवल) का भुगतान किया गया.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, बैठक शुल्क के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है :

निदेशक	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रदत्त बैठक शुल्क (राशि ₹ में)
सुश्री मिनी आईप (निदेशक के निर्देशानुसार बैठक शुल्क का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को किया गया.	9,85,000
श्री तपन राय	12,75,000
प्रो. (डॉ.) आत्मानंद*	11,45,000
श्री पी जे थॉमस	7,80,000

*कार्य अवधि समाप्त होने पर समिति में नहीं है.

इसके अलावा वित्तीय वर्ष के दौरान, श्री सी.पी. श्रीमाली तथा श्री एस. सेनगुप्ता को बोर्ड की एचआर समिति की बैठक में भाग लेने हेतु तथा श्री प्रो. एन. बालकृष्णन को बोर्ड की सू. प्रौ. रणनीति समिति की बैठक में भाग लेने हेतु प्रति ₹ 1,00,000/- बैठक शुल्क का भुगतान किया गया.

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यपालक निदेशकों को कुल वेतन भत्ते एवं अनुषंगी लाभ के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया.

बैठक शुल्क के रूप में प्रदत्त राशि का विवरण निम्नानुसार है.

क्र.सं	नाम	₹ लाख में
1.	श्री एम.वी. राव (01.03.2021 से) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	2.40
2.	श्री पल्लव महापात्र, (28.02.2021 तक) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	94.44
3.	श्री बी. एस. शेखावत, (08.10.2020 तक) कार्यपालक निदेशक	129.57
4.	श्री आलोक श्रीवास्तव, (कार्यपालक निदेशक)	26.55
5.	श्री विवेक वाही (10.03.2021 से) कार्यपालक निदेशक	1.47
6.	श्री राजीव पुरी (10.03.2021 से) कार्यपालक निदेशक	1.47
7	योग	**255.90**

4. अनुपालन अधिकारी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण, बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के अनुसार, श्री आनंद कुमार दास, उप-महाप्रबंधक/कंपनी सचिव, बैंक द्वारा जारी इक्विटी शेयर और नॉन-कन्वर्टिबल डेष्ट सिक्योरिटी, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं.

5. सचिवीय लेखा परीक्षा

बैंक ने दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए, वार्षिक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट के लिए, मेसर्स आर. एस. पाडिया एण्ड एसोसिएटस् को नियुक्त किया है. वार्षिक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इसके साथ संलग्न किया गया है.

6. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, सार्वजनिक निर्गम, राईट इश्यू, अधिमानी निर्गम इत्यादि से प्राप्त राशियां

बैंक द्वारा दिनांक 28.09.2020 को क्यूआईपी के तहत ₹ 255.00 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई गई, बैंक द्वारा केन्द्र सरकार से इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन हेतु दिनांक 31.03.2021 को ₹ 4800.00 करोड इक्विटी पूंजी प्राप्त की गई. इस निधि को दिनांक 31.03.2021 को शेयर आवेदन राशि खाते में रखा गया है. इसके लिए प्रत्येक ₹ 10/- के अंकित मूल्य के ₹ 17.11 प्रति इक्विटी शेयर मूल्य पर, 280,53,76,972 इक्विटी शेयर्स जारी कर आबंटित किए गए, इसमें भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को प्रीमियम ₹ 17.11 प्रति इक्विटी शेयर के अधिमानी आधार पर दिनांक 29.05.2021 जारी इक्विटी शेयर्स शामिल हैं.

पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ करने और बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए, टियर-1 और टियर-2 पूंजी को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ धनराशि जुटाई गई है. जुटाई गई धनराशि का उपयोग, उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किया जा रहा है.

7. संप्रेषण के साधन

त्रैमासिक वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित परंतु सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा समिति समीक्षा के अधीन) एवं अंकेक्षित वार्षिक परिणाम, सामान्य रूप से अंग्रेजी, हिन्दी एवं मराठी भाषाओं में विभिन्न प्रमुख अखबारों, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तरूण भारत, जनसत्ता, लोकसत्ता इत्यादि में प्रकाशित किए गए. वित्तीय परिणामों को विश्लेषण प्रस्तुति तथा प्रेस विज्ञाप्ति के साथ बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी अपलोड किया गया.

8. आचार संहिता

- बैंक ने निदेशक मंडल के लिए एक आचार संहिता अपनाई है और वरिष्ठ प्रबंधतंत्र का अनुमोदन, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है. उसी के पाठ का मसौदा बैंक की वेबसाइट पर लिंक "निवेशक संबंध" के तहत www.centralbankofindia.co.in पर उपलब्ध है. सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षा के तहत, वर्ष के दौरान अपनी आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अनुपालन की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र, अनुलग्नक I में दिया गया है.
- बैंक ने अपने निदेशकों और नामित कर्मचारियों को बैंक की सुरक्षा में 'भेदिया व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग)' को रोकने के लिए एक आचार संहिता भी तैयार की है, उसी की प्रति "निवेशक सम्बंध" लिंक के तहत बैंक की वेबसाइट यानी www.centralbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

9. **अन्य प्रकटीकरण**

- बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहारों के अलावा, बैंक ने इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधतंत्र, उनकी सहायक कंपनियों अथवा रिश्तेदारों इत्यादि से ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है, जिससे कि बैंक के व्यापक हितों पर प्रतिकूलता संभावित हो. वर्ष के दौरान, बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशकों के बीच कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुआ है.
- बैंक में यह सुस्थापित प्रथा है कि जिन निदेशक, जिनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित जब कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता है, तब वे बोर्ड एवं बोर्ड की उप-समितियों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं. वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेन देन नहीं हुआ, जिससे बैंक के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव हो सकता था.
- बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी को लागू पूंजी बाजार से संबंधित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया है. समीक्षा वर्ष के दौरान, पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी अथवा किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है.
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कमोडिटी में कारोबार नहीं किया है और इसलिए "कमोडिटी मूल्य जोखिम तथा कमोडिटी हेजिंग गतिविधियाँ" पर जानकारी निरंक है.
- लोक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत, 'विसल ब्लोवर शिकायतों पर, बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है. "सेन्ट विजिल" नाम से बैंक का वेब आधारित पोर्टल भी है, जो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान को बिना बताए, जो कि केवल महाप्रबंधक - केन्द्रीय लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण को पता होगी, कर्मचारियों के अनाचार की रिपोर्टिंग को सुसाध्य बनाता है. जो अनाचार को नियंत्रित रखता है, धोखाधड़ी से बचाता है एवं कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है, "सेन्ट विजिल" निदेशकों के लिए भी उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त, निदेशक एवं कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी मिल सकते हैं. यह कदाचार रोकने, धोखाधड़ी रोकथाम करने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में सहायक हो सकता है. लेखापरीक्षा समिति ने किसी भी व्यक्ति को संपर्क करने से मना नहीं किया है.
- बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्त्व एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियमन 2015, सहपठित सूचीबद्ध करार, द्वारा बताई गईं शर्तों का अनुपालन इस सीमा तक किया है कि इन विनियमनों व करारों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश, प्रावधान, विनियम या निदेश, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन न हो.
- बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, कवर करने की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव - निरंक
- जहाँ बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनिवार्य रूप से आवश्यक है - निरंक
- हम सेबी सूची विनियमों की अनुसूची V के उप पैरा (2) से (10) के कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की आवश्यकता के अनुपालन की पुष्टि करते हैं.
- किसी भी निदेशक का बैंक के किसी अन्य मौजूदा निदेशक के साथ कोई भी संबंध नही है.
- निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी (दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता का सूचीकरण) विनियमन, 2015 में विशिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं.
- विनियम 32(7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमानी आबंटन या योग्य संस्थान प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए धन के उपयोग का विवरण - पूँजी पर्याप्तता अनुपात को बढाने और मजबूत करने तथा बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों को बढाने के प्राथमिक उद्देश्य से धन जुटाया जाता है. जुटाई गई धनराशि का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के लिए किया जा रहा है.
- महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति बैंक की वेबसाइट https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/policyonsubsidiary.pdf. पर उपलब्ध है.
- संबंधित पार्टी लेनदेन से निवटने की नीति बैंक की वेबसाइट https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/policyonRelatedPartyTransactions.pdf. पर उपलब्ध है.
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सूचीबद्ध ईकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क, संविधिक लेखा परीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क ईकाई में सभी संस्थाओं, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, के लिए रु. 28.44 करोड़ (जीएसटी को छोडकर) भुगतान किया गया था.

- स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रमों का विवरण लिंक https://www.centralbankofindia.co.in/en/node/1753 के अंतर्गत निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रमों के विवरण टैब के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है.
- प्रैक्टिस कर रहे एक कंपनी सचिव से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक मंडल/ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या कंपनी के निदेश के रुप में जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.
- [संबंधित वित्तीय वर्ष यानि 2020-21 के दौरान किसी भी संशोधन के साथ बैंक द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची है,] बैंक के सभी ऋण लिखतों या किसी सावधि जमा कार्यक्रम या किसी योजना या बैंक के प्रस्ताव के लिए जिसमें निधियों का संग्रहण शामिल है, चाहे वह भारत में हो या विदेश में के लिए.

रेटिंग एजेंसी	लोअर टीयर II	आईपीडीआई	बासल III अनुपालन टायर II बॉण्ड
क्रिसिल	क्रिसिल ए + स्थिर (फिर से पुष्टि की)	क्रिसिल ए/ स्थिर (फिर से पुष्टि की)	क्रिसिल ए +/स्थिर (फिर से पुष्टि की)
इक्रा	इक्रा ए+/नकारात्मक (फिर से पुष्टि की)	लागू नहीं	इक्रा ए +(एचवायबी)/ नकारात्मक (फिर से पुष्टि की)
ब्रिकवर्क	लागू नहीं	बीडब्ल्यूआर ए /स्थिर (फिर से पुष्टि की)	बीडब्ल्यूआर ए +/स्थिर (फिर से पुष्टि की)
इंडिया रेटिंग	लागू नही	लागू नही	आईएनडी एए-/स्थिर (फिर से पुष्टि की)
एक्यूट रेटिंग	लागू नही	लागू नही	एक्यूट एए -"/स्थिर (दिनांक 18.02.2021 को जारी)

- बैंक ने विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (i) और अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का उस सीमा तक अनुपालन किया है, जहाँ तक खंड की आवश्यकता से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीय कृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और भारिबैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश प्रावधानों, विनियमों या निर्देश के प्रावधानों का उल्लंघन न हो.
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण : वर्ष 2020-2021 की स्थिति

वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	1
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	3
मामलों की कुल संख्या	4
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	2
वर्ष के समाप्ति के दौरान लंबित मामलों की संख्या	2

10. विवेकाधीन आवश्यकताएँ (सेबी सूचीकरण विनियमन की अनुसूची II का भाग ई)

क्रम	**अनिवार्य नहीं**	**कार्यान्वयन की स्थिति**
1.	संस्था के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय को चलाने के लिए गैर कार्यकारी अध्यक्ष	जी हॉ, क्रियान्वित
2.	शेयरधारकों को भेजने हेतु पिछले 6 माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की छ:माही घोषणा	बैंक ने 30/09/2020 को समाप्त छ:माही एवं 31/03/2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को भेज दिए हैं एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित भी कराया है. इसके अलावा वित्तीय परिणामों को बैंक की वेबसाईट www.centralbankofindia.co.in पर भी दर्शाया गया है तथा शेयर धारकों को ई-मेल भी किया गया है.
3.	कंपनी अनर्ह वित्तीय विवरणी की पद्धति की ओर आगे बढ़ सकती है.	बैंक के पास अनर्ह वित्तीय विवरणियॉ हैं.
4.	आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग	आंतरिक लेखा परीक्षक, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के प्रति जिम्मेदार है .

11. सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की 14वीं वार्षिक साधारण बैठक :

दिन व दिनांक : चन्द्रमुखी, नरीमन पॉईंट मुम्बई - 400021 (बैठक का प्रस्तावित स्थान) में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में मंगलवार, 10 अगस्त 2021 को वीडियो कॉफ्रेंसिंग या अन्य किसी दृश्य श्रव्य माध्यम से, सुबह 11 बजे से,

1. वार्षिक साधारण बैठक वित्तीय वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित है.
2. बही बन्दी की दिनांक : 7 अगस्त 2021 से 10 अगस्त 2021 तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं)
3. वर्ष 2020-21 हेतु कोई लाभांश अनुशंसित नहीं किया गया है.

12. पिछले 3 वर्षों में आयोजित आम सभा ओं का विवरण निम्नानुसार है -

क्रम	बैठक की प्रकृति	दिनांक व समय	स्थान	व्यवसाय निष्पादन
1	तैरहवी वार्षिक साधारण बैठक	7 अगस्त, 2020 11:00 बजे	चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट मुम्बई - 400021 (बैठक का प्रस्तावित स्थान) में वीडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य किसी दृश्य श्रव्य माध्यम से	1. 31 मार्च 2020 के अनुरूप बैंक की ऑडिटेड स्टेंड अलोन एवं समेकित बैलेंस शीट, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु एकल एवं समेकित लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट व खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं खातों द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक की कार्यविधि एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया. 2. एफपीओ/राईट इश्यू/क्यूआईपी आदि के माध्यम से ₹ 5000/- करोड़ की पूंजी जुटाने को अनुमोदित किया- विशेष संकल्प
2	असाधारण सामान्य बैठक	26 नवम्बर, 2019 सुबह 11.00 बजे	9वाँ माला चन्दरमुखी नरीमन प्वाइंट मुंबई - 400 021	भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमानी आधार पर ₹ 3353/- करोड़ की कुल राशि के प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य वाले शेयर को निर्गम मूल्य ₹ 21.17 पर कुल 158,38,45,063 इक्विटी शेयर जारी करना - विशेष संकल्प
3	बारहवी वार्षिक साधारण बैठक	28 जून 2019 सुबह 11.00 बजे	9 वॉ माला, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉईंट, मुम्बई 400021	1. 31 मार्च 2019 की स्थिति में बैंक की ऑडिटेड एकल एवं समेकित बैलेंस शीट, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु स्टेंड अलोन एवं समेकित लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट व खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं खातों द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक की कार्यविधि एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया. 2. एफपीओ /निर्गम के अधिकार/ क्यूआईपी आदि के माध्यम से ₹ 5000/- करोड़ की पूंजी जुटाने को अनुमोदित किया - विशेष संकल्प
4	असाधारण सामान्य बैठक	28 मार्च, 2019 सुबह 11.00 बजे	9 वॉ माला, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉईंट, मुम्बई 400021	भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमानी आधार पर ₹ 2560/- करोड़ की कुल राशि के प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य वाले शेयर को निर्गम मूल्य ₹ 37.25 पर कुल 68,72,48,322 इक्विटी शेयर जारी करना - विशेष संकल्प

क्रम	बैठक की प्रकृति	दिनांक व समय	स्थान	व्यवसाय निष्पादन
5	असाधारण सामान्य बैठक	28 फरवरी, 2019 सुबह 11.00 बजे	9 वॉ माला, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉईंट, मुम्बई 400021	1. भारत के राष्ट्रपति को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयर ₹ 1678 करोड़ की कुल राशि के प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य वाले शेयर को निर्गम मूल्य ₹ 43.31 पर कुल 38,74,39,390 जारी करना (भारत सरकार) - विशेष संकल्प 2. बैंक के पूर्ण कालिक निदेशकों तथा कर्मचारी को ₹ 10/- के अंकित मूल्य वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करना - विशेष संकल्प
6	असाधारण सामान्य बैठक	13 नवम्बर, 2018 सुबह 11.00 बजे	9 वॉ माला, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉईंट, मुम्बई 400021	भारत के राष्ट्रपति को अधिमानी आधार पर ₹ 2354 करोड़ की कुल राशि के प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य वाले शेयर को निर्गम मूल्य ₹ 56.43 पर कुल 35,43,57,970 इक्विटी शेयर जारी करना विशेष संकल्प
7	ग्यारहवी वार्षिक साधारण बैठक	30th जून, 2018 11:00 AM	नवॉ माला, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉईंट, मुम्बई 400021	1. 31 मार्च 2018 की स्थिति में बैंक की ऑडिटेड एकल एवं समेकित बैलेंस शीट, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु स्टेंड अलोन एवं समेकित लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट व खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं खातों द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक की कार्यविधि एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया. 2. एफपीओ /निर्गम के अधिकार/क्यूआईपी आदि के माध्यम से ₹ 8000 करोड़ पूंजी जुटाने को अनुमोदित किया - विशेष संकल्प

पिछले वर्ष डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था और डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव आयोजित करने का प्रस्ताव नही है.

13 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता:

बैंक के शेयर बीएसई लिमिटेड एवं एनएसई ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं. स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं -

बी एस ई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजी भोय टॉवर्स, 25वा माला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई 400001	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व) मुम्बई 400051	CENTRALBK
आईएसआईएन नंबर	INE483A01010

दोनो स्टॉक एक्सचेंजों का 2021-22 का वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क चुका दिया गया है

बैंक ने समय-समय पर वचन पत्र (टियर-पूंजी) के रूप में असंपरिवर्तनीय बॉंड जारी किए हैं. इससे सम्बन्धी शेष विवरण निम्नानुसार है :

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टियर -2 बॉन्ड्स - 31/03/2021 को पूंजी की स्थिति

श्रंखला का ब्यौरा	निर्गम दिनांक	कुल मूल्य (राशि करोड़ में)	ISIN
निम्न टियर II- सीरीज XIV	21.12.2011	500.00	आईएनई 483ए09245
बासेल III कप्लायंट सीरीज I	08.11.2013	1000.00	आईएनई 483ए09260
बासेल III कप्लायंट सीरीज II	07.03.2017	500.00	आईएनइ 483ए09278
बासेल III कप्लायंट सीरीज III	29.03.2019	500.00	आईएनई 483ए09286
बासेल III कप्लायंट सीरीज IV	30.09.2019	500.00	आईएनई 483ए08023
बासेल III कप्लायंट सीरीज V	20.03.2020	500.00	आईएनई 483ए08031
कुल		**3500.00**	

ये सभी बॉड्स बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं. बैंक ने एक्सचेंज का 2021-22 का वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क चुका दिया है.

बाजार मूल्य आंकड़े :

मासिक उच्च व निम्न मूल्य दर एवं एनएसई (एनएसई निफ्टी व बैंक के शेयर मूल्य की तुलना के साथ) में शेयर ट्रेडिंग की मात्रा निम्नानुसार है :

एनएसई					
माह	उच्च मूल्य (₹)	निम्न मूल्य (₹)	शेयरों की संख्या	एन एस ई निफ्टी	
				उच्च	निम्न
अप्रेल 2020	18.50	12.00	22767590	9889.05	8055.80
मई 2020	15.65	13.00	11763817	9598.85	8806.75
जून 2020	21.60	13.55	75015398	10553.15	9544.35
जुलाई 2020	19.90	16.05	48802206	11341.40	10299.60
अगस्त 2020	19.00	17.15	33877800	11794.25	10882.25
सितम्बर 2020	17.85	14.20	35346662	11618.10	10790.20
अक्टूबर 2020	14.65	10.10	97932758	12025.45	11347.05
नवम्बर 2020	12.90	10.85	83738765	13145.85	11557.40
दिसम्बर 2020	16.95	12.20	204710370	14024.85	12962.80
जनवरी 2021	14.75	12.50	111349139	14753.55	13596.75
फरवरी 2021	26.40	13.65	942609219	15431.75	13661.75
मार्च 2021	20.00	15.80	251634998	15336.30	14264.40

मासिक उच्च व निम्न मूल्य दर एवं बीएसई (सेंसेक्स व बैंक के शेयर मूल्य की तुलना के साथ) में शेयर ट्रेडिंग की मात्रा निम्नानुसार है :

बीएसई					
माह	उच्च मूल्य (₹)	निम्न मूल्य (₹)	शेयरों की संख्या	सेंसेक्स	
				उच्च	निम्न
अप्रेल 2020	18.70	12.01	1647237	33887.25	27500.79
मई 2020	15.70	13.00	599313	32845.48	29968.45
जून 2020	21.60	13.55	5880773	35706.55	32348.10
जुलाई 2020	19.70	15.90	5626462	38617.03	34927.20
अगस्त 2020	19.00	17.10	3662164	40010.17	36911.23
सितम्बर 2020	17.80	14.25	319357	39359.51	36495.98
अक्टूबर 2020	14.66	10.04	18404751	41048.05	38410.20
नवम्बर 2020	12.90	10.87	18967485	44825.37	39334.92
दिसम्बर 2020	16.96	12.21	40101072	47896.97	44118.10
जनवरी 2021	14.70	12.48	16167908	50184.01	46160.46
फरवरी 2021	26.40	13.55	114583680	52516.76	46433.65
मार्च 2021	20.00	15.80	37689782	51821.84	48236.35

14 शेयर अंतरण एवं शेयर धारकों / निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं सभी अन्य निवेशकों सम्बन्धी गतिविधियों पर हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट के कार्यालय द्वारा ध्यान दिया जाता है एवं आवश्यक कार्रवाई की जाती है. उक्त दस्तावेजों में से किसी को प्रस्तुत करने हेतु एवं पूछताछ/ शिकायत हेतु शेयर धारकों/

निवेशकों से अनुरोध है कि कि वे रजिस्ट्रार से निम्न पते पर संपर्क करें :

इक्विटी शेयर के लिए रजिस्टार तथा स्थानांतरण एजेंट

लिंक इन टाईम इंडिया प्रा.लि.
सी-101, 247, पार्क,
एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)
मुम्बई - 400083
टेलि - 022- 4918 6270
फेक्स - 022- 4918 6060
ई मेल आईडी : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

सूचीबद्ध गैर परिवर्तनीय ऋणप्रतिभूतियों के लिए रजिस्टार तथा स्थानांतरण एजेंट

एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लि.
201, डी-विंग, 2रामला, गोकुल इंड्रस्ट्रीयल इस्टेट
सगबाग, मरोल को-ऑप इंडस्ट्रीयल एरिया, टाइम स्क्वेर के पिछे
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059.
टेलि - 022-28516020/023
फैक्स - 022-28516021
ई मेल आईडी - helpdeskmum@mcsregistrars.com

सूचीबद्ध परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
एशियन बिल्डिंग, तल माला, 17,
आर. खेमानी मार्ग, बेलार्ड इस्टेट
मुंबई- 400 001.
टेली- 022-4080 7000
फैक्स - 022-66311776
ई-मेल आईडी : itsl@idbitrustee.com

बैंक से पत्राचार हेतु पता :

उप.म.प्र. / कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वा माला, चंद्रमुखी,
नरीमन पॉईंट, मुम्बई 400021
फोन - 022-6638 7818 फैक्स - 022-2283 5198
ईमेल आईडी : dgmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in15.

15. शेयरधारिता का संवितरण

i) दिनांक 31.03.2021 को शेयरधारिता का संवितरण (डीपी आईडी/ ग्राहक आई डी एवं फोलियो नंबर पर आधारित)

शेयरधारिता का संवितरण (शेयर्स)				
शेयर्स की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर्स	कुल का प्रतिशत
1- 500	251732	74.5212	35828136	0.6098
501-1000	35945	10.6409	30921173	0.5263
1001-2000	19782	5.8561	31590627	0.5377
2001-3000	8749	2.5900	23349374	0.3974
3001-4000	4259	1.2608	15447531	0.2629
4001-5000	5106	1.5115	24791121	0.4219

शेयरधारिता का संवितरण (शेयर्स)				
शेयर्स की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर्स	कुल का प्रतिशत
5001-10000	8781	2.5995	63047309	1.0730
10001 और अधिक	3445	1.0198	5650587189	96.1710
कुल	**337799**	**100.00**	**5875562460**	**100.00**

ii) पब्लिक की श्रेणी में आनेवाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है

पब्लिक की श्रेणी में आनेवाले व्यक्तियों की शेयर धारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
भारतीय जीवन बीमा निगम	227021558	3.8638

iii) पब्लिक श्रेणी में आनेवाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है

पब्लिक श्रेणी में आनेवाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारिता कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है को दर्शानेवाले वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	शेयर्स की संख्या	%
निरंक	निरंक	निरंक

iv) दिनांक 31.03.2021 को शेयरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2021 को शेयरधारिता का स्वरूप						
शेयरधारकों की श्रेणी	शेयर्स की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर्स	धारिता का %
	डीमेट	भौतिक	डीमेट	भौतिक		
केंद्र सरकार (भारत के राष्ट्रपति)	5275014715	0	1	0	5275014715	89.7789
क्लियरिंग मेम्बर	7009743	0	274	0	7009743	0.1193
अन्य कॉर्पोरेट निकाय	17293825	90	650	1	17293915	0.2943
वित्तीय संस्थाएं	227021558	0	1	0	227021558	3.8638
विदेशी संस्थागत निवेशक	236758	0	1	0	236758	0.0040
सरकारी कंपनियाँ	700	0	1	0	700	0.0000
हिन्दू अविभाजित परिवार	6936548	0	4795	0	6936548	0.1181
म्यूचुअल फंड	3736955	0	6	0	3736955	0.0636
राष्ट्रीयकृत बैंक	32876	0	2	0	32876	0.0006
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	29051	0	3	0	29051	0.0005
अनिवासी भारतीय (प्रत्यावर्तनीय)	2751450	121600	1081	1	2873050	0.0489
अनिवासी भारतीय (अप्रत्यावर्तनीय)	1160628	0	620	0	1160628	0.0198
सार्वजनिक	311659595	5075	330242	90	311664670	5.3044
ट्रस्ट	102232	0	12	0	102232	0.0017
जी आई सी एवं उसकी अनुषंगियाँ	6531875	0	4	0	6531875	0.1112
बीमा कंपनियाँ	12525659	0	1	0	12525659	0.2132

दिनांक 31.03.2021 को शेयरधारिता का स्वरूप						
शेयरधारकों की श्रेणी	शेयर्स की संख्या		शेयरधारकों की संख्या		कुल शेयर्स	धारिता का %
	डीमेट	भौतिक	डीमेट	भौतिक		
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (कॉर्पोरेट)	3331793	0	10	0	3331793	0.0567
भारिबैं में पंजीकृत एन बी एफ सी	6464	0	2	0	6464	0.0001
ट्रस्ट (कर्मचारी)	53270	0	1	0	53270	0.0009
कुल	**5875435695**	**126765**	**337707**	**92**	**5875562460**	**100**

v) रूद्ध शेयर्स के ब्यौरे दर्शाता विवरण

क्र.सं.	शेयरधारकों के नाम	रुद्ध शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स के प्रतिशत के रूप में रुद्ध शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) का योग
1	भारत के राष्ट्रपति	3663297044	69.4462
2	पब्लिक	0	0
	कुल	**3663297044**	**69.4462**

vi) डिपोजीटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता विवरण

क्र.सं.	बकाया डीआर (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर आदि) के प्रकार	बकाया डीआर की संख्या	बकाया डीआर के विचाराधीन शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स (अर्थात (ए) + (बी) + (सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

vii) डिपोजीटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता विवरण, जहां विचाराधीन शेयर्स कुल शेयर्स के 1% से अधिक हैं

क्र.सं.	डीआर धारक का नाम	बकाया डीआर का प्रकार (एडीआर, जीडीआर, एसडीआर इत्यादि) के प्रकार	विचाराधीन बकाया डीआर शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स (अर्थात (ए)+(बी)+(सी) के कुल योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

viii) शेयर्स का डिमेटरियलाईज़ेशन

बैंक के शेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यत: डीमेट रूप में किया जाता है, बैंक ने पहले से ही शेयर्स के डिमेटरियलाईज़ेशन के लिए दोनों डिपोजिटरी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरीज लिमिटेड (एन एस डी एल) एवं सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी एस डी एल) के साथ करार किया था.

दिनांक 31.03.2021 को शेयर धारकों द्वारा डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में (डीपी आईडी/ ग्राहक आई डी एवं फोलियो नंबर पर आधारित) धारित शेयर्स के विवरण निम्नानुसार है :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयर्स की संख्या	धारिता का %
भौतिक स्वरूप में	92	126765	0.0022
एनएसडीएल	126306	395329499	6.7284
सीडीएसएल	211401	5480106196	93.2694
कुल	**337799**	**5875562460**	**100**

ix) भौतिक रूप से धारिता का डीमेटरियलाईज़ेशन- एक विशेष अनुरोध

हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने शेयरों को डिमैट रूप में रखें. डीमेटरियलाईज़ेशन के लिए शेयर धारक उनके संबन्धित डिपोजीटरी पार्टीसीपेंट्स से संपर्क करें जहां वे अपना डीमेट खाता रखते हैं. डीमेटरियलाईज़ेशन के लाभ निम्नानुसार हैं:

i) झंझटमुक्त अंतरण

ii) शेयर प्रमाणपत्र के नष्ट हो जाने का कोई खतरा नहीं

iii) लाभांश/ कॉर्पोरेट लाभों का सीधे और तत्काल खातों में जमा होना

iv) नामांकन सुविधा

v) असबा/ आई पी ओ के माध्यम से सीधे आवेदन इत्यादि

जिन शेयरधारकों ने अपने शेयर्स, भौतिक रूप से / डीमेट स्वरूप में रखे हैं और उन्होने अब तक बैंक के आर टी ए /उनके संबन्धित डिपोजीटरी पार्टीसीपेंट्स के पास, भारत सरकार के ग्रीन इनिशिएटिव में सहायता देने हेतु, उनके ई मेल आई डी पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि अपने ई मेल आई डी पंजीकृत करवा लें.

x) अदावाकृत उचंत खातों में शेयर्स

सूचीकरण करार के खंड 5 ए के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2020 को अदावाकृत उचंत खाता में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं:

क्र. सं.	विवरण	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(i)	वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाता में समग्र शेयरधारकों की संख्या एवं बकाया शेयर्स	233	32,853
(ii)	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की संख्या, जिन्होने अदावाकृत उचंत खातों के शेयर्स के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क किया	निरंक	निरंक
(iii)	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की संख्या जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों से शेयर अंतरित किए गए.	निरंक	निरंक
(iv)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या	233	32,853

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज सह किए गए सूचीकरण करार की शर्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से संबन्धित बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है.

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतन्त्र ने बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है.

स्थान: मुंबई
दिनांक: 15 जुलाई 2021

हस्ताक्षर
(एम.वी.राव)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2020-21

खंड ए : बैंक के बारे में सामान्य जानकारी

1.	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2.	कंपनी का नाम	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
3.	पंजीकृत पता	चंदरमुखी बिल्डिंग नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई - 400021
4.	वेबसाइट	www.centralbankofindia.co.in
5.	ई-मेल आई डी	investors@centralbank.co.in
6.	वित्तीय वर्ष जिसकी सूचना है.	2020-21
7.	कंपनी का कार्यक्षेत्र (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार)	बैंकिंग एवं वित्त
8.	कंपनी द्वारा उत्पादित/उपलब्ध कराए जाने वाले 3 प्रमुख उत्पाद/सेवाओं की सूची (तुलन पत्र के अनुसार)	ए) थोक बैंकिंग बी) रिटेल बैंकिंग सी) अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग
9.	उन स्थानों की संख्या जहां कंपनी द्वारा कार्य गतिविधियां चलाई जाती हैं i. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 के विवरण दें) ii. देश में स्थानों की संख्या	 i. निरंक ii. 15451
10	कंपनी द्वारा सेवाएं देने वाले बाजार स्थानीय / राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय

खंड बी : बैंक के वित्तीय विवरण

1.	चुकता पूंजी (आईएनआर)	₹ 5875.56 करोड़
2.	कुल कारोबार (आईएनआर) (कुल व्यवसाय अर्थात कुल जमाएं + कुल अग्रिम)	₹ 506886 करोड़
2.ए	कुल आय	₹ 25897करोड़
3.	कर पश्चात कुल लाभ/हानि (आईएनआर)	₹ 888 करोड़
4.	कर पश्चात कुल लाभ का कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय का प्रतिशत (%)	सीएसआर संस्था की सतत प्रतिबद्धता है कि अपने कार्यबल और उनके परिवारों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के साथ-साथ समाज के समुदाय के आर्थिक विकास में सीएसआर के तहत योगदान किया जाए. यह हमारी निरंतर प्रतिबद्धता है कि निर्धनों को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदाओं में राहत और समाज के पिछ्डे वर्ग की समाज कल्याण के उत्थान के लिए काम करने वाले संगठनों /ट्रस्टों के माध्यम से सीएसआर के तहत आर्थिक सहायता की जाए. बैंक को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हानि होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर बजट निरंक था.
5.	उन गतिविधियों की सूची जिसमे मद संख्या 4 के अंतर्गत व्यय किए गए.	लागू नहीं

खंड सी : अन्य विवरण

1.	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियां हैं	जी हां (बैंक की दो सहायक संस्थाएं हैं)
2.	क्या सहायक कंपनी / कंपनियां मूल कंपनी की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में सहभागी होती हैं? यदि हां, उन सहायक कंपनी / कंपनियों की संख्या सूचित करें.	नहीं
3.	क्या ऐसी कोई अन्य संस्था / संस्थाएं जिनके साथ कंपनी व्यवसाय करती है, वो कंपनी की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में सहभागिता करती हैं ? यदि हां, उन संस्था /संस्थाओं की प्रतिशत सूचित करें (30% से कम,30%-60%, 60% से अधिक)	नहीं

खंड डी : व्यावसायिक उत्तरदायित्व जानकारी

1. व्यावसायिक उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण

ए) व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति / नितियों के कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण

क्र.स.	मद	विवरण
1.	डीआईएन नंबर (यदि लागू है)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री राजीव पुरी
3.	पदनाम	कार्यपालक निदेशक

बी) व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रमुख का विवरण

क्र.स.	मद	विवरण
1.	डीआईएन नंबर (यदि लागू है)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री शीशराम तुंडवाल
3.	पदनाम	उप महाप्रबंधक (प्रभारी परिचालन विभाग)
4.	टेलीफोन नंबर	022-61648703
5.	ई-मेल आई डी	gmoper@centralbank.co.in

2. सिद्धान्त-वार (एनवीजी के अनुसार) व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति / नीतियां (हां / नहीं में जवाब दें)

क्र.स.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	क्या सिद्धांत/सिद्धान्तों के लिए क्या कोई नीति / नीतियां है	जी हां								
2.	क्या यह नीति संबंधित स्टेक धारकों की सलाह से प्रतिपादित की जा रही हैं	जी हां								
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, स्पष्ट करें (50 शब्द)	जी हां बैंक द्वारा अपनाई जा रही सभी नीतियां विभिन्न विनियामकों एवं सांविधिक निकायों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एवं भारतीय संविधान, विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं.								

4.	क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गयी है ? यदि हां, क्या यह एमडी/ स्वामी / सीईओ/ उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है ?	जी हां
5.	नीति के कार्यान्वयन को देखने के लिए क्या बैंक में बोर्ड / निदेशक /अधिकारियों की कोई विशेष समिति है ?	जी हां
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए कृपया लिंक उपलब्ध कराएं	www.centralbankofindia.co.in
7.	क्या नीति को औपचारिक तौर पर सभी आंतरिक एवं बाह्य स्टेकधारकों को संप्रेषित कर दिया गया है.	जी हां
8.	क्या बैंक में नीति / नितियाँ के कार्यान्वयन के लिए कोई इन-हाउस संरचना है ?	जी हां
9.	नीति / नितियाँ से संबंधित स्टेक धारकों की शिकायतों के निवारण के लिए क्या बैंक में नीति से संबंधित शिकायत निवारण प्रणाली है?	जी हां
10.	क्या बैंक ने आंतरिक अथवा बाह्य एजेन्सी से इस नीति के कार्य की पृथक तौर पर लेखा परीक्षा / मूल्यांकन कराया है.	जीं हां

नोट : बैंक में औपचारिक तौर पर कई नीतियां हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के विभिन्न कार्यों को शासित करती हैं. तदापि, बैंक द्वारा समय समय पर विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जिनका शाखाओं द्वारा अनुपालन किया जाता है और औपचारिक रुप से नीति तैयार की जाती है. इसी प्रकार बैंकिंग कार्य करते समय विनियामकों, संबद्धों सहयोगियों एवं अन्य संविधि द्वारा बनाई गयी नीतियों का कार्यान्वयन भी बैंक द्वारा किया जाता है.

सिद्धान्त 1, के अंतर्गत, बैंक केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता मैन्युअल में दिए गए प्राथमिक सीवीसी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है. (लिंक http://cvc.nic.in).

सिद्धान्त 2 की विभिन्न गतिविधियां बैंक की ऋण नीति से संचालित हैं जो केवल आंतरिक प्रयोग के लिए हैं एवं इसीलिए उन्हें ऑनलाइन नहीं देखा जा सकता.

2ए. यदि क्र.सं. 1 के किसी भी सिद्धान्त का जवाब नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें, क्यों : (2 विकल्पों तक टिक करें)

क्र.स.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1.	कंपनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है	लागू नहीं								
2.	कंपनी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह किसी विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों पर स्वयं नीति तैयार एवं कार्यान्वित कर सके									
3.	कंपनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय एवं मानव शक्ति उपलब्ध नहीं है									
4.	यह अगले 6 माह में करने की योजना है									
5.	यह अगले 1 वर्ष में करने की योजना है									
6.	अन्य और कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

3. व्यावसायिक उत्तरदायित्व से संबंधित शासन

1.	निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति अथवा सीईओ कंपनी की व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति की समीक्षा की बारंबारता का विवरण दें. 3 महीने के अंदर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक	वार्षिक

2.	क्या कंपनी व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट अथवा एक धारणीय रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है?	यह वार्षिक प्रकाशित होती है रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक यह है https://www.centralbankofindia.co.in/english/investor relation.aspx

खंड ई : सिद्धांतबार कार्य निष्पादन

सिद्धांत 1

1.	क्या सदाचार, रिश्वत एवं भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है ? हां / नहीं क्या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / एनजीओ / अन्य पर भी विस्तारित है.	**जी हां यह केवल बैंक को कवर करती है** बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेस के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथा के लिए अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ प्रतिबद्ध है एवं बैंक को यह विश्वास है कि कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन की अपेक्षा उत्तम कॉर्पोरेट गवर्नेंस अधिक महत्वपूर्ण है सुशासन, प्रभावी प्रबंधन के आसान बनाता है एवं बैंक को उच्च स्तरीय व्यावसायिक नीतिपरक को बनाए रखने एवं अपने सभी स्टेक धारकों के इष्टतम हितों के लिए सक्षम बनाता है. उद्धेश्यों को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है ए) शेयरधारकों के हितों को बचाना एवं उसमें वृद्धि करना है. बी) अन्य सभी शेयरधारकों जैसे ग्राहक,कर्मचारी, सरकार एवं समाज के हितों की पूरी तरह से रक्षा करना है. सी) संप्रेषण में पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना है एवं सभी संबंधितों को पूर्ण सही एवं स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है. डी) ग्राहक सेवा के लिए जवाबदेही एवं कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करना है एवं सभी स्तरों पर श्रेष्ठता प्राप्त करना है. ई) अन्यों के अनुसरण के लिए उच्च स्तरीय कॉर्पोरेट नेतृत्व उपलब्ध कराना है. बैंक ने अपने निदेशकों एवं वरिष्ट प्रबंधन के लिए एक सुपरिभाषित आचार संहिता बनाई है. जी हां निर्धारित पैरामीटरों के अनुसार.
2.	पिछले वित्तीय वर्ष में शेयरधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का निराकरण संतोषजनक रूप से किया गया ? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें	वित्तीय वर्ष 2020-21 में शेयरधारकों से 2 शिकायतें प्राप्त हुई है एवं सभी शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है.

सिद्धांत 2

1.	अपने 3 उत्पादों अथवा सेवाओं की सूची प्रस्तुत करें जिसकी रुपरेखा से सामाजिक अथवा परिवेश के सरोकारों, जोखिम एवं / अथवा अवसरों को संस्थापित किया है.	बैंक अपनी शाखाओं के विस्तारित नेटवर्क, एटीएम, मोबाइल फोन एवं इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वर्गों के ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सतत बैंकिंग उत्पाद उपलब्ध कराता है अनुकूलित उत्पादों में वैयक्तिक ऋण,आवास ऋण, आस्ति खरीद हेतु ऋण एवं बचत की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है. ग्राहक की विभिन्न जीवन शैली और अधिक सुविधाओं के लिए बैंक कई कार्डों के विकल्प भी उपलब्ध कराता है. इसके अतिरिक्त, बैंक की ग्रामीण एवं समावेशी बैंकिंग समूह, ग्रामीण एवं गरीबी रेखा के नीचे के ग्राहकों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है.

		वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी) ❖ हमने 7 राज्यों, मध्य प्रदेश(18), बिहार (10), महाराष्ट्र (7), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), राजस्थान (3) एवं छत्तीसगढ (2) में कुल 48 एफएलसीसी केन्द्र खोले हैं ❖ इन सभी केन्द्रों ने गांवों के 41480 आउटडोर दौरे किए एवं 542385 लोगों को साक्षरता / परामर्श प्रदान किया.जन अभियान एवं व्यक्ति परामर्श दोनों ही किए जा रहे हैं. ❖ बैंक ने उन्हें जन उदघोषणा उपकरण एलसीडी युक्त वाहन उपलब्ध कराए है ताकि वे बैंक द्वारा प्रारंभ किए जा रहे विभिन्न उत्पादों/योजनाओं का प्रचार प्रसार आम लोगों के बीच कर सकें एवं अपनी आर्थिक स्थिति तथा जीवन स्तर बेहतर बनाने में ऐसे अवसरों का उपयोग करनेहेतु उनमें जागरूकता उत्पन्न कर सके. इसके अलावा हम परामर्श एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दौरों के दौरान उन्हें साक्षरता सामग्री, किट्स, किताबें इत्यादि भी उपलब्ध कराते हैं. **ग्रामीण स्वं रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र (आरसेटी)** ❖ बैंक ने देश के 9 राज्यों, मध्यप्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तरप्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), राजस्थान (1), उड़ीसा (1) एवं आसाम (1) में कुल 46 आरसेटी स्थापित किए हैं. ❖ वर्ष 2020-21 के दौरान आरसेटी ने 573 प्रशिक्षण कार्यक्रम में 15343 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया. जिसमें से 12384 प्रशिक्षणार्थी (अर्थात 81%) बैंक ऋण, पारिश्रमिक निर्धारण एवं स्वं वित्त के माध्यम से स्थापित हुए. ❖ स्थापित प्रशिक्षणार्थियों की ऋण संलग्नता 6513 अर्थात 43 % है. ❖ बैंक ने आरसेटी तथा एफएलसीसी के कार्यों एवं गतिविधियों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीबीआई-एसयूएपीएस) की स्थापना की है. ❖ बैंक ने आरसेटी एवं एफएलसी के कार्यों एवं गतिविधियों के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु संरक्षक के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष के रूप में कार्यपालक निदेशक तथा सदस्यों के रूप में महाप्रबंधकों सहित शीर्ष स्तर पर प्रशासकीय परिषद गठित की है. ❖ प्रधानमंत्री जनधन योजना के ग्राहकों को ₹ 50,000/- तक के सुक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए एक नया सरलीकृत ऋण उत्पाद "सेन्ट सरल व्यवसाय ऋण" नाम से प्रारंभ किया गया है.

2.	इस प्रकार के प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति यूनिट के लिए संसाधन के उपयोग संबंधमें (उर्जा, पानी, रॉ मटेरियल आदि) निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें. i. उत्पादन/संसाधन संग्रहण/संवितरण की संपूर्ण श्रृंखला में पिछले वर्ष से आई कमी. ii. पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा (ऊर्जा, पानी) के उपयोग में कमी को प्राप्त किया गया ?	लागू नहीं
3.	क्या कंपनी को धारणीय सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएँ हैं? यदि हाँ, तो आपकी निविष्टियाँ का कितना प्रतिशत निरंतर प्राप्त किया गया था? *इसका विवरण भी लगभग 50 शब्दों में प्रस्तुत करें.*	लागू नहीं
4.	क्या कंपनी ने वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद स्थानीय और लघु उत्पादकों से करने के संबंध में कोई कदम उठाये हैं? यदि हाँ, तो स्थानीय तथा छोटे वेंडरों के योग्यता एवं क्षमता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?	लागू नहीं
5.	क्या उत्पादों एवं अवशेष का पुनर्चक्रण करने हेतु कंपनी में कोई व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उत्पादों तथा अवशेष के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है?) < 5%, 5-10%, >10% पृथक दर्शाएँ), साथ ही, लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण प्रदान करें.	लागू नहीं

सिद्धांत 3

1.	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या सूचित करें.	32335
2.	अस्थायी/संविदात्मक/अनियत आधार पर काम पर रखे कर्मचारियों की संख्या सूचित करें.	2
3.	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या सूचित करें.	7744
4.	कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या सूचित करें	798
5.	क्या आपके यहाँ है प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ है?	जी हाँ
6.	आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त संस्था के सदस्य हैं?	87.16 %

7. बाल मजदूरी / जबरन मजदूरी/ बंधुआ मजदूरी /यौन उत्पीड़न संबंधी पिछ्ले वित्तीय वर्ष में प्राप्त शिकायतों एवं वित्तवर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या का विवरण दें.

क्र.सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल मजदूरी /जबरन मजदूरी /बंधुआ मजदूरी	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	यौन उत्पीड़न	3	2
3.	भेदभावपूर्ण रोजगार	कुछ नहीं	कुछ नहीं

8.	पिछले वर्षों में आपके निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों को कितने प्रतिशत सुरक्षा और कौशल प्रशिक्षण दिए गए थे? ● स्थायी कर्मचारी ● स्थायी महिला कर्मचारी ● अनियत/अल्पकालिक/संविदात्मक कर्मचारी ● विकलांग कर्मचारी	वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमारे कुल स्टाफ सदस्यों में से 89.66 % स्टाफ सदस्यों को हमारे प्रशिक्षण महाविद्यालयों / प्रशिक्षण केन्द्रों एवं बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया है.

सिद्धांत 4

1.	क्या बैंक ने अपने आंतरिक और बाह्य स्टेकधारकों के लिए योजना बनाई है? हाँ / नही	जी हाँ
2.	उपरोक्त में, से क्या बैंक ने वंचित, कमजोर और हाशिए पर स्थित स्टेकधारकों की पहचान की है.	जी हाँ बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र, लघु और सीमांत किसानों, कमजोर वर्ग को ऋण देने, और वंचित, कमजोर और हाशिए पर स्थित स्टेकधारकों की पहुँच वित्तीय सेवाओं तक करने में सरकार द्वारा की गई पहलों, एवं उनको बीमा और पेंशन कवर देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से मार्गदर्शित है.
3.	क्या बैंक ने वंचित, कमजोर और हाशिए पर स्थित स्टेकधारकों को जोड़ने के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष प्रयास किए गए हैं? यदि हाँ, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें.	बैंक ई-मेल, वेबसाइट, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन, बैठकों इत्यादि विभिन्न प्रकार के माध्यमों से स्टेक धारकों के साथ संवाद करता है. बैंक के विभिन्न विभागों में स्टेकधारकों से जुडाव अंतर्निहित है. बैंक अपने ग्राहकोन्मुखी चैनलों के माध्यम से स्टेकधारकों से फीड्बैक लेता है और विशेष रुप से उपलब्ध चैनलों एवं अपने स्टाफ द्वारा सभी स्टेकधारकों की समस्याएँ सुनता है.

सिद्धांत 5

1.	मानवाधिकार पर कंपनी की नीति क्या सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उपक्रमों/सप्लायर्स /ठेकेदारों/एनजीओ/ अन्य लोगों को भी आवृत्त करती है?	यह नीति सिर्फ बैंक को कवर करती है.
2.	पिछ्ले वित्तीय वर्ष में कितने स्टेकधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत तक उनका संतोषप्रद हल किया गया ?	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान स्टेकधारकों से कुल 2 शिकायतें प्राप्त हुई एवं सभी शिकायतों का निराकरण किया गया है.

सिद्धांत 6

1.	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित मानवाधिकार पर कंपनी की नीति क्या सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उपक्रमों/सप्लायर्स /ठेकेदारों/एनजीओ/ अन्य लोगों को भी आवृत्त करती है?	यह नीति सिर्फ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को कवर करती है.

2.	वैश्विक पर्यावरण संबंधी मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन को हल करने के संबंध में क्या कंपनी की कोई कार्यनीति / पहल है? यदि हाँ, तो वेबपेज के लिए हाइपर लिंक दीजिए.	बैंक स्वच्छ तकनीक अपना कर पर्यावरण पर अपने परिचालन के पदचिन्हों को यथासंभव कम करने के सघन प्रयास कर रहा है, कागज की खपत को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया गया. ● आईपैड के माध्यम से बोर्ड के निदेशकों तथा समितियों की बैठकों का आयोजन करना. निदेशकों को कार्यसूची की हार्ड प्रतियाँ परिचालित नहीं की जाती है, ● अंचलों/क्षेत्रों को ई-मेल द्वारा संदेश भेजना ● बचत खातों में डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को बढावा देना. ● पीओएस मशीनों के उपयोग को बढावा देना ● एम-पास बुक के उपयोग को बढावा देना ● ई-लेनदेनों की बढती हिस्सेदारी
3.	क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान एवं निर्धारण करती हैं? हाँ/नहीं	जी हाँ क्या बैंक अपने परिसरों तथा परिचालनों के संबंध में लागू पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन करता है. बैंक परियोजना/ बुनियादी संरचना के ऋणियों पर भी पर्यावरण संरक्षण शित अन्य वैधानिक मानदंडों का लागू करना आवश्यक बनाता है.
4.	क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास प्रणाली की कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें. यदि हाँ, तो क्या पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की गई है?	बैंक ने स्वच्छ विकास व्यवस्था के लिए विभिन्न पहलें की है - कागज की खपत कम करने के लिए ई-भुगतान विधि (आईटीजीएस/एनईएफटी/एनईसीएस या लाभार्थी खाते में जमा) के माध्यम से विभिन्न विक्रेताओं को भुगतान.

5.	क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीक, उर्जा, दक्षता, नवीकरणीय उर्जा जैसी अन्य की पहलें भी की हैं? यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज इत्यादि के लिए हाइपरलिंक दें.	बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, उर्जा दक्षता, नवीकरणीय उर्जा के लिए कई पहलें की हैं. उनमें से कुछ निम्नानुसार है : ❖ संपूर्ण बैंकिंग परिचालन आधुनिक संरचनाओं से सज्ज आई टी आधारिक संरचना के जरिए किया जा रहा है. ❖ हाड्र्वेयर एवं उपकरणों को लेते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह सामग्री वैश्विक उर्जा मनकों के अनुरूप हो. ❖ अनुपयोगी हाड्र्वेयर का निपटान ई-वेस्ट निपटान विधि से किया जाता है. ❖ जहां कहीं संभव है, निविदा प्रक्रिया ई-निविदा के माध्यम से की जाती है जिससे भौतिक प्रलेखन टाला जा सके. ❖ डिजिटल मोड के माध्यम से लेन-देनों को बढावा देने के उद्देश्य से कर, युटिलिटी बिल, शुल्क, आदि के भुगतान हेतु वैकल्पिक डिलिवरी चैनल उपलब्ध कराये गये हैं. ❖ जहां भी संभव हो, बैंक के आंतरीक संप्रेषण ई-मेल के माध्यम से किए जाते हैं. ❖ ग्राहकों को खाता विवरण मेल के माध्यम से भेजेजाते हैं. इस उद्देश्य से एक मोबाइल अप्लिकेशन भी उपलब्ध कराया गया है ताकि इसकी प्रिंटिंग कम हो सके. ❖ बैंक ने इष्टतम प्रौद्योगिकी का उपयोगकिया है, जैसे सर्वर वर्च्युअलायज़ेशन, बैकअप समेकन आदि, जिससे सर्वर फूटप्रिंट, पॉवर तथा कुलिंग आवश्यकता कम हो सके.
6.	वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमा के भीतर कंपनी द्वारा उत्पन्न निस्सरण/कचरे की रिपोर्ट की जा रही है?	लागू नहीं
7.	वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ नोटिसों की संख्या जो लंबित है (अर्थात जिनका समाधान संतोषप्रद नहीं किया गया है)	लागू नहीं

सिद्धांत 7

1.	क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार तथा चेम्बर अथवा एसोशिएशन की सदस्य है? यदि हाँ, तो अपने कारोबार संबंधी कुछ प्रमुख संगठनों के नाम दीजिए.	जी हाँ 1) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) 2) भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) 3) इस्टीट्यूट ऑफ बैंकिग़ पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस) 4) नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) 5) नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) 6) इंटरनैशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी)
2.	क्या आपने जनता के हितों में सुधार अथवा उन्हें और बढाने के लिए उपरोक्त एसोशिएशनों के माध्यम से समर्थन /पैरवी की है? यदि हां, तो प्रमुख मुद्दों का उल्लेख करें (ड्राप बॉक्स : गवर्नेस और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास परक नीतियाँ, उर्जा संरक्षण, जल, खाद्य संरक्षण, टिकाऊ व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)	जी हाँ. बैंक ने जनहित में सक्रिय रुप से सहभागिता की है.

सिद्धांत 8

1.	क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 की नीति के संबंध में आपकी कंपनी ने क्या कोई निर्दिष्ट कार्यक्रम /पहलें/परियोजनाएं है यदि हाँ, तो विवरण दे.	बैंक ने सिद्धांत 8 की नीति के संबंध में कई पहलुओं/कार्यक्रम/परियोजनाएं निर्दिष्ट की हैं जैसे कि वित्तीय समावेशन. **वित्तीय समावेशन :** बैंक ने बैंक न होने वाले ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को सस्ती कीमत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय समावेशन परियोजना लागू की है और उन्हें समावेशी विकास के लिए मुख्य आर्थिक धारा में समाहित किया है. बैंक ने 24311 गाँवों को 6,532 बीसी एजेंटों के माध्यम से कवर किया है. इस वर्ग की जरूरतों पर विचार करते हुए, बैंक ने ग्रामीण जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए कम लागत के प्रीमियम पर विशेष उत्पादों का निर्माण किया है. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवायें प्रदान करने के लिए विभिन्न मॉडल लगाये गये हैं जैसे पीओएस आधारित बीसी मॉडल, कियोस्क बैंकिंग मॉडल इत्यादि . **अब तक हुई प्रगति :** ❖ बीसी आउटलेट्स के माध्यम से 30.01% की वृद्धि के साथ व्यवसाय ₹ 2088.33 करोड़ से बढ़कर ₹ 2715.00 करोड़ हो गया. ❖ वित्तीय समावेशन व्यवसाय 23.41% की वृद्धि के साथ ₹ 4015.17 करोड़ से बढ़कर ₹ 4955.00 करोड़ हो गया. ❖ पीएमजेडीवाय के सक्रिय खातों में आधार सीडिंग का प्रतिशत 82.25% से बढकर 83.97% हो गया है तथा सभी ऑपरेटिव कासा खातों में 84.66% से बढकर 88.30% हो गया. ❖ बीएसबीडी खातों की संख्या में 9.05% की वृद्धि हुई और वे 210.08 लाख से बढकर 229.10 लाख हो गए. ❖ ₹ 10 लाख से अधिक व्यवसाय वाले बीसी की संख्या में 12.00% की वृद्धि हुई और वे 3342 से बढकर 3631 हो गए. इसी प्रकर ₹ 1 करोड़ से अधिक व्यवसाय वाले बीसी की संख्या में 45.12% की वृद्धि हुई और वे 379 से बढकर 550 हो गए है. ❖ वर्ष 2020-21 के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कुल नामांकन, पीएमजेजेबीवाय – 17,49,860, पीएमएसबीवाय – 51,53,219 एवं एपीवाय -12,32,446 हैं. ❖ कुल 9534 मृत्यु दावों में से, 9086 दावे पीएमजेजेबीवाय में निपटाये गये एवं 2801 के कुल मृत्यु दावों में से 2253 दावे पीएमएसबीवाय में निपटाए गए.
2.	क्या इन-हाउस टीम/स्वंय आधार /बाहरी एनजीओ/ सरकारी संरचनाओं/ किसी अन्य संगठन के माध्यम से कार्यक्रम/ परियोजनाएँ किए गए हैं ?	वित्तीय समावेशन परियोजना इन-हाउस टीम के माध्यम से की गई है.

3.	क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का आकलन किया है?	विभिन्न परियोजनाओं पर आवधिक समीक्षा की जाती है. ग्रामीण विकास क्षेत्र में बैंक की पहल, विशेष रुप से वंचित ग्राहकों को बैंकिंग तथा वित्तीय सेवायें प्रदान करने की प्रगति के संबंध में नियमित रुप से समीक्षा की जाती है.
4.	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान कितना है? भारतीय रुपये में राशि तथा परियोजनाओं का विवरण दे.	सीएसआर संस्था की सतत प्रतिबद्धता है कि अपने कार्यबल और उनके परिवारों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के साथ-साथ समाज के समुदाय के आर्थिक विकास में सीएसआर के तहत योगदान किया जाए. यह हमारी निरंतर प्रतिबद्धता है कि निर्धनों को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदाओं में राहत और समाज के पिछ्ड़े वर्ग की समाज कल्याण के उत्थान के लिए काम करने वाले संगठनों / ट्रस्ट के माध्यम से सीएसआर के तहत आर्थिक सहायता की जाए. बैंक को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान हानि होने के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सीएसआर बजट निरंक था.
5.	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायें है कि यह समुदाया विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में समझाएँ.	बैंक द्वारा की गई सभी पहलों में सामुदायिक विकास प्रमुख है. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बैंक की पहल ग्राहकों को अपना जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए अवसर प्रदान करने पर केन्द्रीत है.

सिद्धांत 9

1.	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित ग्राहक शिकायतों//उपभोक्ता मामलों का क्या प्रतिशत है?	2.43 %
2.	क्या कंपनी स्थानीय कानून की अनिवार्यता से बढकर उत्पाद लेबल पर उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है? हाँ/नहीं/ लागू नहीं /टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3.	क्या पिछ्ले 5 वर्षों में किसी भी स्टेकधारक द्वारा कंपनी के खिलाफ गलत व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन या/अथवा प्रतिस्पर्धी विरूद्ध व्यवहर के संबंधी वाद दर्ज किए हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित हैं? यदि हाँ, तो लगभग 50 शब्दों में उसकी जानकारी दें.	निरंक
4.	क्या आपकी कंपनी उपभोक्ता सर्वे/ उपभोक्ता संतुष्टि प्रवाह को पूरा किया है?	जी हाँ,

लाभांश वितरण नीति

I. परिभाषाएँ:

(ए) **लाभांश:** लाभांश में अंतरिम लाभांश सम्मिलित होता है. साधारण बोलचाल में, लाभांश का अर्थ, बैंक का लाभ है, जो व्यवसाय में नहीं रखा जाता है और शेयरधारकों के बीच उनके द्वारा धारित शेयरों पर भुगतान की गई राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है.

(बी) **सीआरएआर:** यह बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात है.

(सी) **लाभांश भुगतान अनुपात:** 'लाभांश भुगतान अनुपात' की गणना एक वर्ष में देय लाभांश (लाभांश कर को छोड़कर) के 'वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ' के लिए प्रतिशत के रूप में की जाती है.

(डी) **बोर्ड:** बोर्ड का मतलब बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) के तहत गठित बैंक के निदेशक मंडल से है.

II. नीति:

(ए) **इस नीति को 'सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लाभांश वितरण नीति' कहा जाएगा.**

(बी) **लाभांश के वितरण के संबंध में बैंक के सामान्य सिद्धांत:**

बैंक के कॉरपोरेट गवर्नेंस का जोर अपने व्यवसाय के संचालन में नैतिक प्रथाओं का पालन करके और प्रकटीकरण और पारदर्शिता के उच्च स्तर को बनाए रखते हुए शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना है. बैंक ने सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया है, और बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा शासन के मानकों की निगरानी की जाती है. बोर्ड, कार्यपालकों और अन्य पदाधिकारियों ने कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने में भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है - बेहतर प्रदर्शन और शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि. प्रत्येक वर्ष के लिए लाभांश की संस्तुति बोर्ड द्वारा अपने विवेक से नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के वित्तीय प्रदर्शन, उसकी भविष्य की योजनाओं, आंतरिक और बाहरी कारकों, सांविधिक प्रतिबंधों आदि को ध्यान में रखते हुए की जाएगी. आम बैठक में शेयरधारक. बोर्ड अपने विवेक से अंतरिम लाभांश की घोषणा भी कर सकता है.

III. लाभांश की घोषणा के लिए पात्रता मानदंड:

i. बैंक केवल तभी लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा जब वह निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है;

बैंक के पास निम्न होना चाहिए:

- पिछले दो पूर्ण वर्षों के लिए कम से कम 9% का सीआरएआर और लेखा वर्ष जिसके लिए लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव है
- शुद्ध एनपीए 7% से कम.

यदि बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं करता है, लेकिन लेखा वर्ष, जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है, उनका सीआरएआर कम से कम 9% है, तो वह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा बशर्ते उसका शुद्ध एनपीए 5% से कम हो.

ii. बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 (जो सभी पूंजीगत खर्चों को बट्टे खाते में डाले जाने तक लाभांश के भुगतान पर रोक लगाता है) और धारा 17 (जो वैधानिक आरक्षित निधि में लाभ के निर्दिष्ट अंश के हस्तांतरण को निर्धारित करता है) के प्रावधानों का पालन करेगा.

iii. बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रचलित विनियमों / दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जिसमें परिसंपत्तियों की हानि और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए पर्याप्त प्रावधान, सांविधिक भंडार में लाभ का हस्तांतरण आदि सम्मिलित हैं.

iv. प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के शुद्ध लाभ में से देय होना चाहिए.

v. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा के लिए बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था.

IV. देय लाभांश की मात्रा:

ए. भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक अपनी इक्विटी का न्यूनतम 20% (अर्थात चुकता पूंजी) या अपने कर-पश्चात लाभ का 20%, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम लाभांश का भुगतान करेगा. यदि बैंक अंतरिम लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लेता है, तो वार्षिक परिणामों के आधार पर बैंक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए.

इसके अलावा, इन निर्देशों के प्रावधानों से किसी भी छूट के लिए भारत सरकार से विशिष्ट पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है.

बी. हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बैंक ऊपर खंड II बिंदु संख्या 3 में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो निम्नलिखित के अधीन लाभांश घोषित और भुगतान कर सकता है:

i. लाभांश भुगतान अनुपात 40% से अधिक नहीं होगा और अनुबंध में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होगा.

ii. यदि प्रासंगिक अवधि के लाभ में कोई असाधारण लाभ / आय सम्मिलित है, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन की गणना के लिए ऐसी असाधारण मदों को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी.

iii. जिस वित्तीय वर्ष के लिए बैंक लाभांश घोषित कर रहा है, उससे संबंधित वित्तीय विवरण सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी लाभ पर प्रतिकूल टिप्पणी से मुक्त होना चाहिए. यदि किसी प्रतिकूल टिप्पणी के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय शुद्ध लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए.

iv. बेसल-III अनुपालन बांडों पर ब्याज का भुगतान न करने या सीसीबी सहित बेसल-III सीआरएआर अनुपात की उपलब्धि न होने की स्थिति में, आरबीआई इस उद्देश्य के लिए जारी अपने मास्टर सर्कुलर में लाभांश पर प्रतिबंध लगाता है.

V. आंतरिक और बाहरी कारक:

बैंक का लाभांश भुगतान निर्णय कुछ बाहरी कारकों पर भी निर्भर करेगा जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, वैधानिक और नियामक प्रावधान, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के उपचार सहित कर विनियम आदि, जैसा कि लाभांश की घोषणा के समय लागू हो सकता है.

उपरोक्त बाहरी कारकों के अलावा, बोर्ड विभिन्न आंतरिक कारकों को भी ध्यान में रखेगा, जैसे व्यवसाय विकास योजनाएं, भविष्य की पूंजी की आवश्यकताएं, पूंजीगत संपत्ति का प्रतिस्थापन, आदि. लाभांश के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा.

VI. शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान:

बैंक के पास वर्तमान में शेयरों का केवल एक वर्ग है, अर्थात् इक्विटी शेयर. भविष्य में किसी अन्य वर्ग के शेयरों को जारी करने के मामले में, बैंक द्वारा उचित समय पर मानकों का निर्धारण उचित रूप से किया जाएगा. हालांकि, बैंक वरीयता शेयरों का मामला आने पर लागू दिशानिर्देशों का पालन करेगा.

VII. लाभांश के भुगतान का तरीका:

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 12 के अनुसार, लाभांश के भुगतान के लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करेगा. जहां भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करना संभव नहीं है, पात्र शेयरधारकों को 'सममूल्य पर देय' वारंट या डिमांड ड्राफ्ट जारी किए जाएंगे.

VIII प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग:

ए. इस नीति को बैंक की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब लिंक प्रदान किया जाएगा.
बी. बैंक आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट प्रोफार्मा और समयसीमा के अनुसार लेखा वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का विवरण आरबीआई को रिपोर्ट करेगा.
सी. बैंक केवल सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत निर्दिष्ट अनुसार प्रति शेयर के आधार पर लाभांश की घोषणा और उल्लेख करेगा.

IX. कार्यकाल

यह नीति तब तक लागू रहेगी जब तक कि इसे बोर्ड द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है. वर्तमान नीति के अनुमोदन के बाद किए गए नीति और नियामक परिवर्तनों के बीच किसी भी मामले में भिन्नता की स्थिति में, इन परिवर्तनों के अनुरूप नीति में संशोधन होने तक नियामक परिवर्तन प्रभावी होंगे.

अनुलग्नक

लाभांश भुगतान अनुपात की अधिकतम अनुमेय सीमा के लिए मानदंड का मैट्रिक्स (आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2004-05/451 के अनुसार; डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी. 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04 मई 2005)

वर्ग	सी आर ए आर	शुद्ध एनपीए अनुपात			
		शून्य	शून्य से अधिक किन्तु 3% से कम	3% से 5% कम	5% से 7% से कम
लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा					
ए	विगत 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए 11% या अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
बी	विगत 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए 10% या अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
सी	विगत 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए 09% या अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
डी	वर्तमान वर्ष के लिए 09% या अधिक		10 तक	5 तक	शून्य

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत प्रमाणन

प्रति,

निदेशक मंडल

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

ए. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की जांच कर ली है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

I. इन विवरणियों में तथ्यत: कोई गलत विवरण अथवा कोई अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है अथवा ऐसा कोई विवरण नहीं है, जोकि भ्रामक है.

II. ये विवरण समग्र रूप में बैंक की कार्य-पद्धति का सत्य एवं सही चित्रण करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुसार हैं.

बी. हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.

सी. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण, स्थापित एवं इसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं तथा यह कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के सम्बंध में हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को प्रक्रिया अथवा परिचालन की आंतरिक नियंत्रण की खामियां, यदि कोई हैं, जिससे हम परिचित हैं, का प्रकटन किया तथा इन कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों की जानकारी दी, जिन्हें हमने किया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति का ध्यान निम्न पर आकृष्ट किया है:

I. वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन;

II. लेखांकन नीतियों में वर्ष 2020-21 के दौरान कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए हैं तथा इनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों में भी किया गया है; एवं

III. धोखाधडियों की अहम् घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका है, की संलिप्तता, यदि कोई हो.

(मुकुल दंडिगे)
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

(एम वी राव)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 7 जून, 2021

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

प्रति

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

1. यह प्रमाणपत्र हमारे सहबद्धता पत्र दिनांक 22 दिसंबर 2020 की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है.

2. वर्ष 1 अप्रैल, 2020 से 31,मार्च 2021 के लिए 'सूचीकरण विनियम' के विनियम 15(2) में संदर्भ के अनुरूप, समय-समय पर संशोधित, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, इस रिपोर्ट में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ('बैंक') द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का विवरण है.

लिस्टिंग विनियमों की शर्तों के अनुपालन के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

3. कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट तैयार करने के साथ-साथ उसके सभी प्रासंगिक सहायक रिकॉर्ड और दस्तावेजों के रखरखाव की की जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधन की है.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

4. हमारी परीक्षा उपर्युक्त लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वियन तक सीमित थी. यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है.

5. लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक उचित आश्वासन प्रदान करें कि क्या बैंक ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है.

6. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी विशेष प्रयोजन के लिए रिपोर्ट या प्रमाणपत्रों पर मार्गदर्शन नोट डसंशोधित 2016. ('मार्गदर्शन नोट') के अनुसार अपनी परीक्षा आयोजित की. मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें.

7. हमने ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी, अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा संलिप्तता की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाले फर्मों के लिए लागू गुणवत्ता नियंत्रण पर मानक (एसक्यूसी) 1 की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं, गुणवत्ता नियंत्रण का अनुपालन किया है

राय

8. हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है.

9. हम कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है.

उपयोग पर प्रतिबंध

10. यह प्रमाण पत्र को बैंक के सदस्यों को केवल इस उद्देश्य के लिए संबोधित और प्रदान किया जाता है कि बैंक लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकता का पालन कर सके, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तदनुसार, हम किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसे यह प्रमाण पत्र दिखाया गया है या जिसके हाथ में यह हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है, किसी भी दायित्व या किसी भी कर्तव्य को स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं.

एएजेवा एण्ड एसोशिएट्स	**एस जयकिशन**	**छाजेड एंड दोशी**	**अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अम्बर्डेकर**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 007739एन	एफ आर सं. 309005ई	एफ आर सं. 101794डब्लू	एफ आर सं. 122063डब्ल्यू
(सीए जे पी बजाज)	**(सीए विवेक नेवतिया)**	**(सीए नितेश जैन)**	**(सीए सचिन अम्बेकर)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 086390	सदस्यता सं. 062636	सदस्यता सं. 136169	सदस्यता सं. 108911
UDIN: 21086390AAAACP3733	UDIN: 21062636AAAAGC2151	UDIN: 21136169AAAADL8283	UDIN: 21108911AAAADO6418

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 जून, 2021

एएजेवी एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार एलजीएफ-सी-73, लाजपत नगर - II, नई दिल्ली -110024	**एस जयकिशन** सनदी लेखाकार 12 हो-शि-मिन्ह सरणी, सूट 2डी, 2 ई, 2एफ कोलकाता - 700071
छाजेड एंड दोशी सनदी लेखाकार 101, हबटाउन सोलरिस एन एस फड़के मार्ग, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400063	**अम्बेकर शेलर कर्वे एंड अम्बर्डेकर** सनदी लेखाकार 501, मिराज आर्केड, गणेश मंदिर के सामने ऑफ फड़के रोड डोम्बीवली (पूर्व) - 421201

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
सदस्यगण
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
मुम्बई

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ("मूल बैंक") इसकी सहायक कंपनियों और उनकी सहयोगियों (सामूहिक रूप से "समूह" के रूप में संदर्भित) की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 का समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि खाते तथा समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संक्षेप सहित समेकित वित्तीय विवरणियों पर नोट्स तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) जिसमें हमारे द्वारा मूल बैंक की लेखा परीक्षित, 2 सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षित खाते एवं 3 सहयोगियों के अलेखापरीक्षित खाते की वित्तीय विवरणियां समाहित हैं.

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक और सहयोगी की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सहयोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं, इस तरह से आवश्यक हैं और में हैं भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और देते हैं

   ए. 31 मार्च 2021 को समूह के समेकित तुलन पत्र के मामले में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट करती है

   बी. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाते के मामले में शेष हानि की सही स्थिति दर्शाता है

   सी. समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही और निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है

अभिमत का आधार

3. हमने हमारी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एसए) के अनुरूप की है. उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा खंड में शामिल लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में पुन: व्याख्यायित है. नैतिकता आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता कोड के अनुरूप हम बैंक से स्वतंत्र है, जो बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता कोड के अनुरूप हमने अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है.

मामले का जोर

4. हम आपका ध्यान समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट 28 की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव भावी घटनाक्रमों पर निर्भर होगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं.

   इस सम्बंध में हमार अभिमत संशोधित नहीं है.

मूल लेखापरीक्षा मामले

5. मुख्य लेखापरीक्षा के मामले वे मामले है जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है. ये मामले, सम्पूर्ण समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रदर्शित किए जाते हैं और उनके आधार पर हम अपने अभिमत का निर्माण करते है और हम इन मामलों पर पृथक अभिमत नहीं प्रदान करते हैं. नीचे वर्णित मामलों को हमने मूल बैंक का मूल लेखापरीक्षा मामला माना है जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित होंगे.

मूल लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1. गैर निष्पादक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति श्रेणीकरण और प्रावधानों पर निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के संगत किया गया है. (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 5 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें) अग्रिम में बैंक की कुल आस्ति का पर्याप्त भाग सन्निहित है. गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान प्रवर्तमान कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित विभिन्न नियंत्रणों और तर्कों के आधार पर प्रणाली द्वारा ही की जाती है. एनपीए और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए अग्रिमों में क्षति के स्तर के निर्धारण के आधार पर किया जाता है जो समय-समय पर निर्धारित आरबीआई के दिशा-निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित और उसके तहत विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रावधान स्तरों के अधीन होता है. एनपीए पर प्रावधान उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य पर भी निर्भर होता है. पुनर्गठित खातों में प्रावधान आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है. आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान करने के लिए प्रबंधतंत्र के कडे? प्रयास, प्रावधान (एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किए गए आस्तियों के प्रावधान सहित) निर्धारित करते समय प्रबंधतंत्र का निर्णय, एनपीए की प्रतिभुतियों का मुल्यांकन और इन सभी का बैंक की वित्तीय विवरणियों पर होने वाले प्रभाव के कारण गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान और ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधानीकरण को हमारे द्वारा मूल लेखापरीक्षा के रूप में विचारित किया जाता है.	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में अग्रिमों से सम्बंधित स्वीकृति, अभिलेख, मॉनिटरिंग और आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है. विशेष रूप से : • हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से संबंधित भा.रि.बैं. के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है; • हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया और मैनुअल नियंत्रण सहित संगत नियंत्रणों के परिचालनीय प्रभाविता के लिए प्रयुक्त मूल आईटी सिस्टम/एप्लीकेशन का विश्लेषण किया है और उसे समझा है. • मूल नियंत्रणों के परिचालन की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और इस संबंध में भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में, हमने सत्यापित किया है कि क्या सीबीएस सिस्टम और प्रबंधतंत्र दोनों ने, ○ उपलब्ध प्रतिभूति की कीमत में रिक्तीकरण की समय पर पहचान की हैं; ○ इस समय-समय की गई निगरानी और आस्ति वर्गीकरण के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के कोविड-19 विनियामक पैकेज के अनुसार अस्ति वर्गिकरण का लाभ प्राप्त खाते भी शामिल हैं. • हम, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में सम्बंधित शाखा लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ साथ शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय स्तर के सभी एमओसी पर विश्वास जताते है.
2. **निवेश** समूह के निवेश पोर्टफोलियों में सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे निवेश शामिल है जो कि तीन श्रेणियों के अंतर्गत, परिपक्वता तक रखी जाने वाली, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए रखी जाने वाली के रूप में वर्गीकृत हैं. निवेश में बैंक के कुल आस्ति का एक पर्याप्त हिस्सा भी शामिल है.	निवेशों की तरफ हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में भा.रि.बैं. के परिपत्रों/आदेशों के संदर्भ के साथ अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, मूल्यांकन, वर्गीकरण, निवेशों पर प्रावधानीकरण/मूल्यह्रास से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है. विशेष रूप से:

निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) और सम्बंधित आय प्राप्त न होने की पहचान एवं उन पर प्रावधान, भा.रि.बैं. के प्रासंगिक परिपत्रों /दिशानिर्देशों/ निर्देशों के अनुसार किया जाता है. (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 3 के साथ पठित अनुसूची 8 का संदर्भ लें) उक्त प्रतिभूति के प्रत्येक प्रकार का मूल्यांकन भा.रि.बैं. द्वारा जारी परिपत्रों और आदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार करना होगा, जिनमें विभिन्न स्रोतों से संग्रहित डाटा/ सूचनाएं जैसे कि एफबिल दर, बीएसई/एनएसई पर प्रदर्शित दरों, गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की वित्तीय विवरणियां, प्रतिभूति रसीदों के मामले में एनएवी इत्यादि शामिल है. भा.रि.बैं. के आदेशों के अनुसार, कुछ निश्चित निवेश है जो बाजार मूल्य पर मूल्यांकित है तथापि कुछ निश्चित निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित है जिसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के साथ सांख्यकीय मॉडल, वित्तीय विवरणियों इत्यादि पर आधारित मूल्यांकन पर कीमत का निर्धारण आदि भी शामिल है. इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निश्चित की गई कीमत केवल निवेशों का निष्पक्ष निर्धारण है. इसलिए निवेशों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और आगे वित्तीय विवरणियों में निवेशों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उस पर हमारी लेखापरीक्षा में मूल लेखापरीक्षा मामले के रूप में विचार किया जाता है.	• अनर्जक निवेशों की पहचान मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और निवेशों पर मूल्यह्रास से संबंधित भा.रि.बैं. के प्रासंगिक दिशानिर्देशों की संगत में हमने बैंक द्वारा निर्धारित सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण का आंकलन किया है और उसे समझा है. • भारिबैं के दिशानिर्देशों की संगत में प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्मुल्यांकन द्वारा भा.रि.बैं. के मास्टर परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ निवेशों के चयनित नमूनों के लिए शुद्धता और अनुपालन की जांच की गई है. • हमने एनपीआई के पहचान की प्रक्रिया, और आय की तदनुरूप निरसन और प्रावधानों के सृजन का आंकलन एवं मूल्यांकन किया है. • हमने, स्वतंत्र रूप से पुन: परिकलन करने, प्रावधान सृजित करने और मूल्यह्रास प्रदान करने के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई है. • हमने देखा है कि यह वित्तीय विवरणों का प्रकटन प्रवर्तमान लेखा मानकों और आरबीआई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में बैंक के निवेश मुल्यांकन जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है.
3. **वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का उपयोग -** बैंक की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स (सीबीएस) और अन्य स्वचालित प्रक्रिया के साथ समन्वित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित आईटी प्रणाली पर निर्भर है और लेनदेनों की बृहद मात्रा को नियंत्रित करती है. प्रक्रिया एवं नियंत्रण, उचित उपयोगकर्ता संचालन और उपयोग में आ रहे प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए है. बैंक के पास आईटी सेवाओं के रखरखाव के लिए उच्च प्रबंधतंत्र के पर्यवेक्षण एवं विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों सहयोग के अधीन कार्यरत आंतरिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी(डीआईटी) विभाग है. तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा मूल आईटी प्रणाली और नियंत्रण के वित्तीय विवरणियों पर व्यापक प्रभाव के कारण उस पर केंद्रित की गई है.	हमने मूल्यांकन कर मूल आईटी एप्लीकेशन, डाटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की, जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक रूप से प्रासंगिक सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को चिन्हित किया. लेखापरीक्षा और वित्तीय सूचनाओं को तैयार करने में उपयोग किए जा रहे सीबीएस और ट्रेजरी परिचालन से संबंधित मूल आईटी सिस्टम के लिए हमारी लेखापरीक्षा का फोकस क्षेत्र अभिगम सुरक्षा (विशेषाधिकार प्राप्त के ऊपर नियंत्रण सहित) के साथ एप्लीकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डाटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन के लिए है. विशेष रूप से : • हमने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक की आईटी नियंत्रण स्थिति एवं मूल परिवर्तनों को समझा है जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकती है. • हमने बैंक के मूल आईटी सिस्टम के ऊपर सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभाविता की जांच की है जो वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसमें कर्तव्यों के पृथककरण मूल्यांकन और विधिवत अनुमोदित आवेदनों पर आधारित प्रावधान/संशोधित किए गए अधिकारों के संचालन, समयबद्ध तरीके में निरस्त किए गए एक्जिट मामलों के संचालन के लिए बैंक के नियंत्रण का मूल्यांकन शामिल है. • हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक प्रणाली सृजित रिपोर्टों के लिए मूल स्वचालित और मैनुअल व्यवसाय चक्रीय नियंत्रण और लॉजिक की भी जांच की है, साथ में प्रतिकारी नियंत्रणों अथवा आकलन हेतु निष्पादित वैकल्पिक प्रक्रियाओं, या जहां कोई असम्बोधित आईटी जोखिम हो जिससे वित्तीय विवरणियों, वित्तीय विवरणियों से अन्य सूचनाएं और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, की भी जांच की है.

4. **प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे:** ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों पर कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक दायित्व का आकलन (अनुसूची 17 की नोट संख्या 11 और अनुसूची 18 की नोट संख्या 11) प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह से समर्थित है, जहां भी आवश्यक समझा जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और बैलेंस शीट में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर आकस्मिक होता है। प्रबंधन के फैसले में, बैंक के खिलाफ कर मांगों सहित ऐसे दावों और मुकदमों से अंततः देयता नहीं होगी। हालांकि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित/अनिश्चित हैं। इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।	हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। हमने व्यापक रूप से प्रावधानीकरण के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की समीक्षा की लेकिन चूंकि प्रभाव की सीमा भविष्य के विकास पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, इसलिए हम मुख्य रूप से उन अनुमानों और अनुमानों पर निर्भर थे, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के विषय हैं। हमने दावों और कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट और कानूनी राय पर भरोसा किया है और इस तरह के मुकदमों और दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, स्थिरता, हाल के आदेशों की जांच और/या उनसे प्राप्त संचार की समीक्षा करने के लिए हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है। विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई और उपलब्ध रिकॉर्ड और घटनाक्रम से लेकर आज तक के अंतिम समाधान पर दावों/मुकदमों के अंतिम दायित्व में बदलने की संभावना.
5. **कोविड-19 के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में संशोधित लेखापरीक्षा पद्धतियों का उपयोग:** कोविड-19 महामारी के कारण कई राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गयी एवं राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लागू यात्रा प्रतिबंध और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को निर्देश दिए गए कि जहां भी भौतिक रूप से जाना संभव नहीं है वहां दूर से लेखा परीक्षा किए जाए जिसके कारण बैंक की कुछ शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों / आंचलिक कार्यालयों एवं केन्द्रीय कार्यालय के विभागों में जाकर लेखापरीक्षा नहीं किया जा सका. जैसा कि लेखापरीक्षक शाखाओं में व्यक्तिगत रूप से / भौतिक रूप से/ शाखाओं/विभागों के अधिकारियों से व्यक्तिगत चर्चा कर लेखापरीक्षा प्रमाण नहीं जुटा सके हैं, लेखापरीक्षकों ने इस संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मूल लेखापरीक्षा मामला माना है. तदनुसार, दूर से (रिमोट) लेखापरीक्षा करने हेतु लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संशोधित की गई है.	लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी, कुछ राज्य सरकारों द्वारा लॉक डाउन घोषित किया गया एवं लेखा अवधि के दौरान कई राज्य सरकारों / स्थानीय प्रशासन द्वारा लागू यात्रा प्रतिबंधों के कारण लेखापरीक्षक (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) बैंक की कुछ शाखाओं/ क्षेत्रीय कार्यालयों / आंचलिक कार्यालयों / विभागों में नहीं जा सके और संबंधित कार्यालयों में लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं ली गयी. जहां भी भौतिक रूप से जाना संभव नहीं था बैंक द्वारा लेखापरीक्षकों को आवश्यक दस्तावेज / रिपोर्ट / प्रमाणपत्र डिजिटल, ई-मेल और सीबीएस के रिमोट एक्सेस तथा अन्य संगत एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराएं गएं. इस प्रकार लेखापरीक्षा प्रक्रिया लेखापरीक्षकों को उपलब्ध कराए गए उन दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकार्डों के आधार पर की गई जिनके उपर इस अवधि के लिए लेखापरीक्षा तथा रिपोर्टिंग के लिए लेखापरीक्षा प्रमाण के रूप में विश्वास किया गया. तदनुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निम्नानुसार संशोधित की गई है: • मूल बैंक की कुछ शाखाओं/ विभागों, जहां भौतिक रूप से जाना संभव नहीं था, वहां आवश्यक रिकार्ड/ दस्तावेज/ फॉर्म 111/ सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्टवेअर का सत्यापन रिमोट एक्सेस/ई-मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली किया गया.

	• ई-मेल और बैंक के सुरक्षित नेट्वर्क के रिमोट एक्सेस के माध्यम से लेखापरीक्षकों को दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाणपत्रों और सम्बंधित रिकार्डों की स्कैन प्रतियों उपलब्ध करायी गयी जिसके माध्यम से सत्यापन किया गया. • विडिओ कॉन्फ्रेन्सिंग, फोन / कॉन्फ्रेन्स कॉल, ई-मेल और अन्य तत्सम संप्रेषण चैनलों के माध्यम से संवाद और चर्चा के माध्यम से जांच की गई और आवश्यक लेखापरीक्षा प्रमाण जुटाएं गए. • मूल बैंक के नामित अधिकारी के साथ आमने-सामने चर्चा के बजाय लेखापरीक्षा निरीक्षणों का समाधान फोन पर या ई-मेल के माध्यम से किया गया.

समेकित वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

6. मूल बैंक प्रबंधन एवं निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है. अन्य सूचना में अनुलग्नकों सहित कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जो हमने यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय प्राप्त की थी एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट और प्रबन्धतंत्र से चर्चा और विश्लेषण जो इसके बाद हमें प्राप्त होना अपेक्षित है, शामिल है किंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है.

समेकित वित्तीय विवराणियों पर हमारी राय में अन्य सूचना एवं नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बेसल III प्रकटीकरण) के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और नहीं करेंगे.

समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा यह उत्तरदायित्व है कि उपर्युक्त चिन्हित अन्य सूचना जब भी उपलब्ध होगी, उसे पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना समेकितवित्तीय विवरणियों के साथ अथवा लेखापरीक्षा में हमे प्राप्त जानकारी के साथ वास्तविक असंगत है अथवा वह अन्यथा विषय से अयथार्थ प्रतीत होती है.

लेखापरीक्षा रिपोर्ट से पूर्व प्राप्त अन्य सूचना पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें यह तथ्य दर्शाना होता है. हमें इस सम्बंध में कुछ नहीं कहना है.

जब हम अनुलग्नकों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधतंत्र विचार-विमर्श एवं विश्लेषण पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें उन आरोपित मामले को गवर्नेंस को सूचित करना आवश्यक है और लागू विधि एवं विनियामकों के अंतर्गत कार्यवाही निर्धारित करनी होगी.

गवर्नेंस को सूचित आरोपित मामलों और स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबन्धतंत्र की जिम्मेवारी

7. मूल बैंक प्रबंधन एवं निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुसार, तथा एवं बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 के अनुबन्ध 29 के प्रावधान एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश एवं परिपत्र के अनुसार बैंक की समेकित वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और समूह का समेकित नकद प्रवाह के मामले में सत्य एवं उचित जानकारी देता है. इस उत्तरदायित्व में सच्चा और निष्पक्ष प्रदर्शन करने वाली तथा धोखाधडी या त्रुटि के कारण गलत विवरण से मुक्त समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए समूह की आस्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव सहित धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं समाप्त करने हेतु, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा उन्हें लागू करना, निर्णय लेना तथा यह अनुमान लगाना कि वे उचित और विवेकपूर्ण है और लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता तथा परिपूर्णता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव का प्रभावी परिचालन करना भी शामिल है.

समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने कार्यशील संस्था के तौर निरंतर बने रहने के लिए बैंक की क्षमता का आंकलन करने, कार्यशील संस्थाओं को लागू मामलों संबंधी प्रकटीकरण तथा कार्यशील संस्था आधारित लेखांकन का उपयोग करने के लिए समूह के संबंधित निदेशक मंडल उत्तरदायी है तब तक समूह का संबंधित निदेशक मंडल न तो बैंक का परिसमापन करेगा या परिचालन रोकेगा जब तक ऐसा करने सिवाय कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो. समूह का संबंधित निदेशक मंडल समूह के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी है.

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य, यह तार्किक आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरणियां धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण एक समग्र रूप से विषयी अयथार्थ से मुक्त है, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना जिसमें हमारी राय शामिल है. यह तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन एक गारंटी नहीं कि समेकित वित्तीय विवरणियों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा से हमेशा विद्यमान विषयी अयथार्थ का सदैव पता लगेगा. अयथार्थ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और यदि वैयक्तिक अथवा समग्र रूप में यह विषयगत समझा जायेगा, तो इन समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्त्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकता है.

लेखापरीक्षा के एक भाग के तौर पर, हम व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया का पालन करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयशीलता बनाए रखते हैं. हम यह भी करते हैं कि

- समेकित वित्तीय विवरणियों के विषयी अयथार्थ के जोखिम की पहचान अथवा आकलन करना, चाहे वो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर निष्पादित करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणास्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड सम्मिलित हो सकता है.

- लेखापरीक्षा से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रणों को समझना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो, लेकिन समूह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना इसका उद्देश्य नहीं होता है.

- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं सम्बंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना.

- लेखांकन तथा लिए गए लेखांकन साक्ष्य पर आधार पर प्रबंधन उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह को एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है. यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है.

  हमें अपना ध्यान अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर आकर्षित करना होगा अथवा, यदि अपनी राय को संशोधित करने के लिए ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं. हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है. तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह एक कार्यशील संस्था के रूप मे जारी रहना बंद हो सकता है.

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना एवं क्या समेकित वित्तीय विवरणियां अंतरनिहित लेनदेनों एवं घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है.

  भौतिकता समेकित वित्तीय वक्तव्यों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए.

  हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में मूल बैंक के गवर्नेंस के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं.

  हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर गवर्नेंस का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा, जहां लागू हो पर उचित रूप से माना जा सकता है,

  गवर्नेंस के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं. हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनमानस लाभ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं.

अन्य मामले

9 (i) हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 2682 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 1,00,956.54 करोड़, के कुल अग्रिमों और कुल ब्याज आय ₹ 6,413.17 करोड़, को दर्शाती हैं, उस तारीख जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है.

इन शाखाओं के इन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसी शाखा के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है.

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

(ii) समेकित वित्तीय विवरणों में समूह के दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 119.15 करोड़ के शुद्ध नुकसान. का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, 3 सहयोगियों के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखा-परीक्षा नहीं की गई है. ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं. और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है. हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपर्युक्त मामले के संबंध में संशोधित नहीं है.

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :-

10) समेकित बैलेंस शीट और समेकित लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

11) ऊपर पैरा 7 से 9 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधीन और जैसा कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा आवश्यक है, और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे जानकारी एवं विश्वास के लिए जो हमारी

लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है:

बी. जो हमारे संज्ञान में आए लेन-देन समूह की शक्ति के भीतर हैं; तथा

सी. समूह के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं.

12) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. हमारी राय में, समूह द्वारा विधिक द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, हमारे द्वारा उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है.

बी. समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता, और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए समेकित कैश फ्लो विवरणियां, खाते की संबंधित पुस्तकों के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाते हैं जिनका पर हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है.

सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत समूह के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें अग्रेषित कर दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से निपटाया गया है; तथा

डी. हमारी राय में, समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं; इस हद तक कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं.

13) "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति-वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों" पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए पत्रांक डीओएस. एआरजी.स.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 सहपठित तत्पश्चात सम्प्रेषण दिनांक 19 मई 2020 बाद के संचार के साथ पढ़ें दिनांक 19 मई, 2020 के अनुसार आवश्यक हम आगे उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

ए. हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं.

बी. इसमें वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों पर कोई पर्यवेक्षण या टिप्पणी नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

सी. दिनांक 31 मार्च, 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर 31 मार्च, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार, किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

डी. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, पूर्वाग्रह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है.

ई. भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र डीओएस.एआरजी.सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) के अनुसार आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंकों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी ऑडिट रिपोर्ट अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है. हमारी रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 2021 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंकों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी अपरिवर्तित राय दर्शाती है.

एएजेवी एण्ड एसोशिएट्स	**कृते एस जयकिशन**	**छाजेड एंड दोशी**	**अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अम्बर्डेकर**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ आर नं. 007739एन	एफ आर नं. 309005 ई	एफ आर नं. 101794डब्ल्यू	एफ आर नं. 122063डब्ल्यू
जे.पी.बजाज	**विवेक नेवातिया**	**नितेश जैन**	**सचिन अंबेकर**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम नं. 086390	एम नं. 062636	एम नं136169	एम नं. 108911
यूडीआईएन: 21086390एएएएसीओ4044	यूडीआईएन: 21062636एएएएएफवी1675	यूडीआईएन: 21136169एएएएसीयू7337	यूडीआईएन: 21108911एएएएसीझेड8254

स्थान : मुंबई
दिनांक : 07 जून, 2021

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ''ए''

(इस तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 13 (ई) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक (''आरबीआई'') पत्र डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) (''आरबीआई संप्रेषण'') द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ, जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है हमने 31 मार्च, 2021 के अनुरूप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (''बैंक'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शन नोट में उल्लेख के अनुसार, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और उस आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना है जो बैंक की नीतियों के दृढ़ अनुपालन सहित व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी शामिल है.

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शन नोट में उल्लेख एवं आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग (एसएएस) पर मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपना ऑडिट किया है. उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं.

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालनात्मक प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादक प्रक्रियाएं शामिल हैं. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, विद्यमान भौतिक दुर्बलता संबंधी जोखिम का आकलन करना , और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है. चयनित प्रक्रियाएं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत सूचना के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं.

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में, प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य, अन्य मामलों संबंधी नीचे पैराग्राफ में संदर्भित हैं, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे साधारणत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को साधारणत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा (3) बैंक की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है. इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है.

राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों संबंधी पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शन नोट में उल्लेख के अनुसार, आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जो दिनांक 31 मार्च, 2021 को प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे, पर बैंक का पर्याप्त नियंत्रण है.

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहां तक यह 60 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों / सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे परीक्षण के दौरान और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हमारे द्वारा कुछ मामलों पर ध्यान दिया गया. बैंक को मौजूदा जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) में बदलाव और कुछ और आरसीएम डिजाइन करने सहित प्रक्रिया को और मजबूत करने की जरूरत है. इस संबंध में हमारे सुझाव बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए प्रबंधन को प्रस्तुत किए गए हैं.

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कृते एएजेवी एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 007739एन

(जे पी बजाज)
भागीदार
सदस्यता सं. 086390
यूडीआईएन: 21086390एएएएसीओ 4044

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 309005ई

(विवेक नेवतिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 062636
यूडीआईएन: 21062636एएएएएफवी 1675

कृते छाजेड एंड दोशी
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 101794डब्लू

(नितेश जैन)
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 21136169एएएएसीयू7337

कृते अम्बेकर शेलार कर्वे एण्ड अम्बर्डेकर
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 122063 डब्ल्यू

(सचिन अम्बेकर)
भागीदार
सदस्यता सं. 108911
यूडीआईएन: 21108911एएएएसीज़ेड8254

स्थान: मुंबई
दिनांक: 7 जून, 2021

दिनांक 31 मार्च, 2021 का तुलन-पत्र

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूचित संख्या	31.03.2021 को लेखापरीक्षित	31.03.2020 को लेखापरीक्षित
पूँजी एवं देयताएँ			
पूँजी	1	5,87,55,625	5,70,97,627
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित	1ए	4,80,00,000	-
प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	2	15,82,9,276	15,71,97,102
जमा राशियां	3	3,29,97,29,496	3,13,76,31,641
उधार राशियां	4	5,46,86,391	5,78,71,971
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	7,26,83,150	15,26,92,632
कुल		**3,69,21,49,938**	**3,56,24,90,973**
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	32,18,78,420	30,05,98,189
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	6,76,34,665	6,01,72,948
निवेश	8	1,48,58,24,347	1,42,51,75,354
अग्रिम	9	1,56,57,86,472	1,51,10,08,778
अचल आस्तियां	10	5,13,24,206	4,33,61,846
अन्य आस्तियां	11	19,97,01,828	22,21,73,858
कुल		**3,69,21,49,938**	**3,56,24,90,973**
आकस्मिक देयताएं	12	92,13,90,013	56,18,46,938
वसुली के लिए बिल	-	11,89,87,673	14,27,67,407
महत्वपूर्ण लेखांकन नितियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची समेकित तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

जहां आवश्यक हो आंकडों की पुनर्गणना / फिर से एकजुट किया गया है ताकि वर्तमान वर्ज के वर्गीकरण की पुष्टि की जा सके.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यकारी निदेशक

विवेक वाही
कार्यकारी निदेशक

राजीव पुरी
कार्यकारी निदेशक

मटम वेंकट राव
प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

श्री पी. जे. थॉमस
निदेशक

श्रीमती मिनी आइप
निदेशक

कृते एएजेवी एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 007739एन

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 309005ई

कृते छाजेड एंड दोशी
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 101794डब्लू

कृते अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अम्बर्डेकर
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 122063 डब्ल्यू

(सीए जे पी बजाज)
भागीदार
सदस्यता सं. 086390
यूडीआईएन: 21086390एएएसीओ 4044

(सीए विवेक नेवतिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 062636
यूडीआईएन: 21062636एएएएफवी 1675

(सीए नितेश जैन)
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 21136169एएएसीयू7337

(सीए सचिन अम्बेकर)
भागीदार
सदस्यता सं. 108911
यूडीआईएन: 21108911एएएसीज़ेड8254

स्थान: मुंबई
दिनांक: 7 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(000 को छोड़कर)

	विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	**22,73,02,329**	23,56,24,655
	अन्य आय	14	**3,16,72,142**	3,63,68,216
	कुल		**25,89,74,471**	**27,19,92,871**
II.	**व्यय**			
	व्यय ब्याज	15	**14,48,51,898**	15,93,36,197
	परिचालन खर्चे	16	**6,78,22,330**	6,92,15,209
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		**5,51,76,089**	5,46,54,988
	कुल		**26,78,50,317**	**28,32,06,394**
III.	**पूर्वावधि की मदों के पूर्व वर्ष का लाभ / (हानि)**		**(88,75,846)**	**(1,12,13,523)**
	घटाएं: पूर्वावधि मदें		-	-
	पूर्वावधि की मदों के पश्चात वर्ष का शुद्ध लाभ / (हानि)		**(88,75,846)**	(1,12,13,523)
	लाभ/(हानि) आगे ले जाया गया		**(17,52,93,938)**	(16,25,10,138)
	कुल		**(18,41,69,784)**	**(17,37,23,661)**
IV.	**विनियोजन**			
	को अंतरित :			
	सांविधिक आरक्षित		-	-
	निवेश आरक्षित		**30,72,389**	15,70,277
	विशेष आरक्षित 36(1)(viii) के अंतर्गत		-	-
	स्टाफ कल्याण निधि		-	-
	राजस्व आरक्षित		-	-
	बीमा के बदले में निधि			
	प्रस्तावित लाभांश -अधिमानी पूंजी		-	-
	प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी		-	-
	लाभांश कर		-	-
	तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष		**(18,72,42,173)**	**(17,52,93,938)**
	कुल		**(18,41,69,784)**	**(17,37,23,661)**
	ईपीएस (प्राथमिक एंड अकुशल) रुपयों में (प्रति शेयर ₹10/- नाममात्र की कीमत पर)		**(1.53)**	(2.40)
	प्रधान लेखांकन नीतियां	17		
	लेखों पर टिप्पणियां	18		

उक्त फॉर्म की निर्देशित सूची लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यकारी निदेशक

विवेक वाही
कार्यकारी निदेशक

राजीव पुरी
कार्यकारी निदेशक

मटम वेंकट राव
प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

श्री पी. जे. थॉमस
निदेशक

श्रीमती मिनी आइप
निदेशक

कृते एएजेवी एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 007739एन

(सीए जे पी बजाज)
भागीदार
सदस्यता सं. 086390
यूडीआईएन: 21086390एएएएसीओ 4044

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 309005ई

(सीए विवेक नेवतिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 062636
यूडीआईएन: 21062636एएएएफवी 1675

कृते छाजेड़ एंड दोशी
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 101794डब्लू

(सीए नितेश जैन)
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 21136169एएएएसीयू7337

कृते अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अम्बर्डेकर
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 122063 डब्ल्यू

(सीए सचिन अम्बेकर)
भागीदार
सदस्यता सं. 108911
यूडीआईएन: 21108911एएएएसीज़ेड8254

स्थान: मुंबई
दिनांक: 7 जून, 2021

दिनांक 31 मार्च 2021 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2021 को		31/03/2020 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		**10,00,00,000**		10,00,00,000
प्रत्येक ₹ 10/- के 1000,00,00,000 शेयर				
प्रत्येक ₹ 10/- के (गत वर्ष 1000,00,00,000 शेयर)				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :				
इक्विटी शेयर	5,87,55,625		5,70,97,627	
इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/- के 5875562460 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5709762724 इक्विटी शेयर) सहित केद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के 5275014715 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5275014715 इक्विटी शेयर)				
कुल		**5,87,55,625**		**5,70,97,627**
1. ए. शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित		**4,80,00,000**		
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**2,06,35,979**		2,06,35,979	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
		2,06,35,979		**2,06,35,979**
II. प्रारक्षित निधि				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**2,96,25,988**		3,07,45,958	
जोड़े: वर्ष के दौरान समायोजन के दौरान	88,19,556		-	
घटाएं: राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	**5,09,495.**		5,68,075	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	**13,235**		5,51,895	
		3,79,22,814		**2,96,25,988**
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	1,32,25,424		1,16,55,147	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	30,72,389		15,70,277	
		1,62,97,813		1,32,25,424
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	24,10,70,269		22,15,38,334	
वर्ष के दौरान परिवर्धन /समायोजन	8,92,002		1,95,31,935	
		24,19,62,271		24,10,70,269
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
i) राजस्व प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	2,69,33,380		2,58,11,273	
जोड़े: पूंजी राजस्व से अंतरण	5,09,495		5,68,075	
वर्ष के दौरान परिवर्धन /समायोजन (अनुसूची 8 के नोट 2ए का संदर्भ ले)	2,75,697		5,51,895	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-		2,137	
		2,77,18,572		2,69,33,380
V. विशेष प्रारक्षित निधियां आयकर अधिनियम के यू/एस 36 (1)(viii) के अंतर्गत		**10,00,000**		10,00,000
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		**(18,72,42,173)**		(17,52,93,938)
कुल		**15,82,95,276**		15,71,97,102

चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, आंकड़ो को पुर्नगणता / पुनर्समूहित किया गया है.

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2021 को		31/03/2020 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंक से	65,67,481		33,48,395	
ii) अन्य से	16,25,93,515		15,07,96,890	
		16,91,60,996		15,41,45,285
II. बचत बैंक जमाराशियां		**1,45,66,70,191**		1,30,19,99,950
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	43,92,999		3,22,89,481	
ii) अन्य से	1,66,95,05,310		1,64,91,96,925	
		1,67,38,98,309		**1,68,14,86,406**
कुल		**3,29,97,29,496**		**3,13,76,31,641**
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**3,29,97,29,496**		**3,13,76,31,641**
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		–		–

अनुसूची 4 : उधार राशियां				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	1,76,40,000		66,90,000	
ii) अन्य बैंक	20,042		17,964	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	6,35,349		17,73,007	
iv) अनारक्षित पुर्नमोचनीय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	50,00,000		50,00,000	
V) अपर टियर II बॉन्ड्स	-		1,30,00,000	
vi) नवान्मेष बेमियादी ऋण लिखत	13,91,000		13,91,000	
vii) असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल III बॉण्डस (टीयर II)	3,00,00,000		3,00,00,000	
		5,46,86,391		**5,78,71,971**
II. भारत के बाहर उधारराशियां		**-**		-
कुल		**5,46,86,391**		**5,78,71,971**
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधारराशियां		**निरंक**		निरंक

अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल		78,43,261		62,03,584
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		1,02,978		8,77,45,538
III. उपचित ब्याज		74,69,906		80,63,393
IV. आस्थगित कर देयता		-		-
V. अन्य (प्रावधान सहित)		5,72,67,005		5,06,80,117
कुल		**7,26,83,150**		**15,26,92,632**

चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, आंकड़ो को पुर्नगणता / पुनर्समूहित किया गया है.

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2021 को		31/03/2020 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा रुपये सहित)		**1,47,51,586**		**1,66,73,282**
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	14,71,26,834		17,99,24,907	
अन्य खातों में	16,00,00,000		10,40,00,000	
		30,71,26,834		**28,39,24,907**
कुल		**32,18,78,420**		**30,05,98,189**
अनुसूची 7 : बेंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	5,07,341		7,92,279	
बी) अन्य जमा खातों में	13,815		1,278	
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	20,00,000		1,93,50,000	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	-		-	
		25,21,156		**2,01,43,557**
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	6,51,13,509		4,00,29,391	
बी) अन्य जमा खातों में	-		-	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
		6,51,13,509		**4,00,29,391**
कुल		**6,76,34,665**		**6,01,72,948**
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश*				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	1,10,35,84,201		1,09,49,33,558	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर्स	79,19,176		54,38,140	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	35,39,72,427		27,66,12,442	
v) अनुषंगियां एवं प्रायोजित संस्थान	25,79,832		21,77,632	
vi) अन्य (वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि)	1,72,93,826		4,55,38,697	
		1,48,53,49,462		**1,42,47,00,469**
II. भारत के बाहर निवेश**				
विदेशों में अनुषंगियां एवं असोशिएट्स		**4,74,885**		**4,74,885**
कुल		**1,48,58,24,347**		**1,42,51,75,354**
* भारत में निवेश				
सकल मूल्य	1,53,77,25,730		1,47,31,03,771	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	5,23,76,268		4,84,03,302	
शुद्ध मूल्य		**1,48,53,49,462**		**1,42,47,00,469**
** भारत के बाहर निवेश				
सकल मूल्य	4,74,885		4,74,885	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध मूल्य		**4,74,885**		**4,74,885**

चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, आंकड़ो को पुर्नगणता / पुनर्समूहित किया गया है.

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2021 को		31/03/2020 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गऐ बिल	89,00,535		87,07,602	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	70,35,42,501		71,56,97,210	
iii) मीयादी ऋण	85,33,43,436		78,66,03,966	
कुल		**1,56,57,86,472**		**1,51,10,08,778**
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,52,34,13,189		1,46,01,38,716	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	3,66,01,365		24,80,671	
iii) अरक्षित	57,71,918		4,83,89,391	
कुल		**1,56,57,86,472**		**1,51,10,08,778**
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	80,84,25,818		73,49,15,379	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	5,09,87,479		3,52,55,809	
iii) बैंक	4,926		4,684	
iv) अन्य	70,63,68,249		74,08,32,906	
कुल		**1,56,57,86,472**		**1,51,10,08,778**
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-

अनसूची 10 :अचल आस्तियां				
I. **परिसर**				
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	4,02,25,174		4,02,29,395	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	88,89,449		44,780	
कुल	**4,91,14,623**		**4,02,74,175**	
वर्ष के दौरान कमी / समायोजन	13,354		49,009	
इस दिनांक को मूल्यह्रास	85,28,592		79,40,090	
कुल		**4,05,72,677**		**3,22,85,076**
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एव जुडनार सहित)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	3,41,66,836		3,12,10,539	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	31,41,004		37,42,293	
कुल	**3,73,07,840**		**3,49,52,832**	
वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	20,01,861		7,85,996	
कुल	**3,53,05,979**		**3,41,66,836**	
इस दिनांक को मूल्यहास	2,45,54,450		2,30,90,066	
कुल		**1,07,51,529**		**1,10,76,770**
कुल (I और II)		**5,13,24,206**		**4,33,61,846**

चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, आंकड़ो को पुर्नगणता / पुनर्समूहित किया गया है.

(000 को छोड़कर)

विवरण	31/03/2021 को		31/03/2020 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	2,25,48,629		1,99,12,752	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्त्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	4,23,72,140		5,37,20,014	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	2,05,552		2,09,837	
IV. दावों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	-		-	
V. आस्थगित कर आस्तियां	7,54,56,800		7,61,68,000	
VI. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-		-	
VII. अन्य	5,91,18,707		7,21,63,255	
कुल		**19,97,01,828**		**22,21,73,858**
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. (ए) बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.		**13,83,689**		**10,14,448**
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		**1,77,15,073**		**1,73,50,729**
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		**35,59,282**		**40,10,248**
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		**73,37,62,848**		**35,02,01,250**
IV. ग्राहकों की आरे से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	10,69,33,332		11,88,38,461	
बी) भारत के बाहर	63,28,682		74,99,916	
		11,32,62,014		**12,63,38,377**
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		**2,64,31,675**		**4,27,13,097**
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		**2,52,75,432**		**2,02,18,789**
कुल		**92,13,90,013**		**56,18,46,938**

चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, आंकड़ो को पुर्नगणता / पुनर्समूहित किया गया है.

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते के भाग की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	11,63,83,361	12,50,54,586
II. निवेशों पर आय	10,00,89,617	9,91,56,372
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों शेष राशि पर ब्याज	67,60,466	48,08,903
IV. अन्य को	40,68,885	66,04,794
कुल	**22,73,02,329**	**23,56,24,655**
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	1,11,47,850	1,13,62,724
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	1,38,05,508	1,21,49,423
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि)	-	-
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि)	(2,09,975)	(2,24,145)
V. विनमय लेन देनों पर लाभ (शुद्ध)	8,66,918	23,03,830
VI. भारत/विदेशों में अनुषंगियों एवं एसोशिएट्स से लाभांश इत्यादि के रूप में अर्जित आय	64,778	1,76,364
VII. विविध आय	59,97,063	1,06,00,020
कुल	**3,16,72,142**	**3,63,68,216**
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	13,99,40,735	15,40,18,417
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	32,564	87,769
III. अन्य	48,78,599	52,30,011
कुल	**14,48,51,898**	**15,93,36,197**
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	4,14,13,063	4,21,67,195
II. किराया, कर एवं बिजली	49,40,807	49,36,401
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	2,65,400	3,09,282
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	47,864	1,08,755
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	29,23,187	28,52,754
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	5,379	12,886
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	2,84,431	2,81,709
VIII. विधि प्रभार	1,52,867	3,35,104
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	9,69,949	9,05,745
X. मरम्मत एवं रखरखाव	11,66,162	10,44,343
XI. बीमा	43,80,795	37,86,167
XII. अन्य व्यय	1,12,72,426	1,24,74,868
कुल	**6,78,22,330**	**6,92,15,209**

अनुसूची 17 - महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. ए) तैयार करने का आधार :

वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के लिए परिसर के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में और सभी भौतिक पहलुओं के अनुरूप, ऐतिहासिक लागत के आधार पर चल रहे चिंता अवधारणा का पालन करके तैयार किए गए हैं, जिसमें लागू वैधानिक प्रावधान शामिल हैं, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, लेखा मानक (एएस) द्वारा निर्धारित और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी घोषणाएं और भारत में बैंकिंग उद्योग के भीतर प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं. .

बी) प्राक्कलनों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं. आकस्मिकताओं को तब दर्ज किया जाता है जब यह संभव हो कि एक दायित्व वहन किया जाएगा और राशियों का यथोचित अनुमान लगाया जा सकता है. वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है. वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस वर्ष में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक होते हैं.

2. विदेशी विनिमय वाले लेनदेन

2.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर विदेशी मुद्रा राशि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर पर लागू करके दर्ज किया जाता है

2.2 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों का अनुवाद वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है जैसा कि फेडाई द्वारा अधिसूचित किया गया है और परिणामी लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी गई है.

2.3 मौद्रिक मदों के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर उन दरों से भिन्न होते हैं जिन पर उन्हें शुरू में दर्ज किया गया था, उन्हें आय के रूप में या उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

2.4. विदेशी मुद्राओं में गारंटी, साख पत्र, स्वीकृति, अनुमोदन, और अन्य दायित्वों का अनुवाद वर्ष के अंत की दरों पर किया जाता है जैसा कि फेडाई द्वारा अधिसूचित किया गया है.

2.5 बकाया वायदा संविदाओं को एफआईबीआईएल द्वारा अधिसूचित वर्ष के अंत की दरों पर अनुवादित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है.

2.6 ट्रेडिंग के लिए धारित बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और वायदा अनुबंधों को निर्दिष्ट परिपक्वताओं के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है.

3. निवेश :

निवेश सभी प्रतिभूतियों में लेनदेन ''निपटान तिथि'' पर दर्ज किए जाते हैं.

3.1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निवेशों को ''परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)'', ''ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)'' और ''बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)'' में वर्गीकृत किया गया है. हालांकि, तुलनपत्र में प्रकटीकरण के लिए, निवेश को तुलनपत्र में अनुसूची 8 में निम्नलिखित शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है:

i. सरकारी प्रतिभूतियां

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

iii. शेयर्स

iv. डिबेंचर्स एवं बॉण्डस्

v. अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं

vi. अन्य (वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स इत्यादि).

3.2 **वर्गीकरण का आधार :**

नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

i) परिपक्वता तक धारित : बैंक जो निवेश परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है उसे ''परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया गया है.

ii) व्यापार के लिए धारित : निवेश जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय के लिए रखे जाते हैं, उन्हें ''ट्रेडिंग के लिए आयोजित (एचएफटी)'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

iii) विक्रय के लिए उपलब्ध : वे निवेश, जिन्हें उपरोक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, को ''बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

iv) आरबीआई द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों और ''वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड'' के आधार पर निवेश को प्रदर्शन और गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

3.3 i) श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण

निवेश की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के हस्तांतरण/स्थानांतरण को हस्तांतरण की तिथि पर अधिग्रहण लागत/बुक वैल्यू या बाजार मूल्य के निचले स्तर पर हिसाब में लिया जाता है. इस तरह के हस्तांतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है.

ii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, सिवाय उन निवेशों के, जो उसके बाद के निपटान के लिए विशेष रूप से अर्जित और रखे जाते हैं. इन निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

3.4 **मूल्यनिर्धारण :**

ए) **परिपक्वता तक धारित :**

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन अधिग्रहण लागत पर किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत / बही मूल्य की परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधन किया जाता है. अनुषंगियों और सहयोगियों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से अस्थायी प्रकृति के अलावा, लागत कम ह्रास को वहन करने पर किया जाता है.

बी) **विक्रय के लिए उपलब्ध :**

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को बाजार के हिसाब से, स्क्रिपवार निम्नवत चिन्हित किया गया है :

i) स्टॉक एक्सचेंज / एफआईबीआईएल द्वारा दिए गए उद्धरण के अनुसार बाजार मूल्य पर केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां.

ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, परिपक्वता के आधार पर उपयुक्त प्रतिफल पर केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां.

iii) वहन लागत पर ट्रेजरी बिल/जमा प्रमाणपत्र/वाणिज्यिक पेपर.

iv) **इक्विटी शेयर**

ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर

बी) अनुद्धृत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) तुलनपत्र उपलब्ध हो, या ₹ 1.00 प्रति कंपनी, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो

v) **अधिमानी शेयर :**

ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर

बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय

vi) **डिबेंचर एवं बॉण्ड**

ए) उद्धृत: (पिछले 15 दिनों में कारोबार किया गया) अंतिम व्यापार मूल्य पर.

बी) अनुद्धृत: परिपक्वता के लिए उपयुक्त उपज पर.

vii) **म्युच्युअल फंड**

ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर

बी) अनुद्धृत : पुन: क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुन: क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)

viii) **वेंचर पूंजी निधि (वीसीएफ)**

घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के ब्रेक-अप आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजी निधि (वीसीएफ) के लिए ₹1/-

ix) प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर) एसबी /एआरसी द्वारा सूचित आस्ति मूल्य पर

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर, प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि को गणना में नहीं लिया गया है.

सी) **व्यापार के लिए धारित :**

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा फाइनैंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (फिबिल) द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है.

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि है, यदि कोई है, को गणना में नहीं लिया गया है.

3.5 **लागत निर्धारण :**

i) निवेश की लागत का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है.

ii) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त ब्रोकरेज, प्रोत्साहन, प्रारम्भिक शुल्क इत्यादि को निवेश की लागत में से घटाया जाता है.

iii) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर होने वाले खर्च यथा ब्रोकरेज, शुल्क, कमीशन अथवा करों को राजस्व पर प्रभारित किया जाता है.

3.6 **आय निर्धारण :**

i) निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में लिया गया है. तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ, पूंजीगत आरक्षित खाते में विनियोजित किया जाता है लागू करों का शुद्ध और सांविधिक रिजर्व खाते में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक राशि.

ii) निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा अवमानक/ संदिग्ध / हानि जैसा लागू हो के अनुसार वर्गीकृत किया गया है एवं गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों अथवा समय-समय पर जारी भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा अपेक्षित के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यह्रास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है. अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं.

iii) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण को अवमानक/संदिग्ध/हानि, जैसा भी मामला हो, के साथ में वर्गीकृत किया जाता है यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूलधन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हों अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हों.

iv) प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद पर खंडित अवधि के ब्याज को राजस्व मद के रूप में माना जाता है.

v) बाजार पुनर्खरीद और रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत आरबीआई के साथ लेनदेन को आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उधार और उधार लेनदेन के रूप में माना जाता है.

vi) रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखांकन (आरबीआई के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत लेनदेन के अलावा)

ए) रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेन के रूप में हिसाब किया जाता है.

बी) तथापि प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेन के मामले में स्थानांतरित किया जाता है और प्रतिभूतियों का ऐसा संचलन रेपो / रिवर्स रेपो खातों और कॉन्ट्रा प्रविष्टियों का उपयोग करके परिलक्षित होता है.

सी) उपरोक्त प्रविष्टियां परिपक्वता की तारीख को उलट दी जाती हैं. लागत और राजस्व को ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में हिसाब में लिया जाता है. रेपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत किया गया है और रिवर्स रेपो खाते में शेष को अनुसूची 7 (बैंकों के साथ शेष और कॉल और शॉर्ट नोटिस पर धन) के तहत वर्गीकृत किया गया है.

डी) भारतीय रिजर्व बैंक के पास एलएएफ के तहत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों पर व्यय/अर्जित ब्याज को व्यय/राजस्व के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

vii) अंकित मूल्य पर छूट पर प्राप्त ''परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)'' श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अलावा) को निम्नानुसार लिया जाता है:

ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, इसे केवल बिक्री/मोचन के समय ही लिया जाता है.

बी) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे निरंतर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि से अधिक के लिए हिसाब में लिया जाता है.

viii) एलसी/बीजी पर कमीशन, आस्थगित भुगतान गारंटी, अवधि के दौरान प्रोद्भवन आधार पर आनुपातिक रूप से मान्यता प्राप्त है. अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी वसूली पर मान्यता दी जाती है.

4. डेरिवेटिव्ज :

बैंक तुलन पत्र/बैलेंस शीट से इतर आस्तियों और देनदारियों को हेज करने के लिए या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप और क्रॉस करेंसी स्वैप जैसे डेरिवेटिव अनुबंधों में प्रवेश करता है.

4.1 हेजिंग के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्ज को निम्नानुसार लेखांकित किया गया है :

i) ऐसे मामलों में, जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार को चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

ii) जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य को चिन्हित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.

iii) स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

4.2 व्यापार के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्ज का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है:

i) एमसीएक्स - एसएक्स, एनएसई और यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के विनिमय दिशानिर्देशानुसार करेंसी फ्यूचर और ब्याज दर फ्यूचर को दैनिक आधार पर बजार हेतु चिन्हित किया जाता है.

ii) एमटीएम लाभ/हानि मार्जिन खाते में दैनिक आधार पर जमा/नामे द्वारा लेखांकित किया जाता है और वही अंतिम निपटान के समय बैंक के लाभ और हानि खाते में लेखांकित होना चाहिए.

iii) बाजार के लिए ट्रेडिंग स्वैप नियमित अंतराल पर चिन्हित किए जाते है. किसी भी तरह की एमटीएम हानि दर्ज की जाती है और किसी प्रकार के लाभ, यदि हो तो उनकी उपेक्षा की जाती है.

iv) स्वैप की समाप्ति पर प्राप्ति अथवा हानि को उपरोक्त हेड के अंतर्गत तत्काल आय/व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है.

5. अग्रिम :

5.1 अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रि. जर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हो.

5.2 गैर-निष्पादक आस्तियों में आंशिक वसूली, सर्वप्रथम मूल राशि के साथ और उसके पश्चात ब्याज राशि में विनियोजित की जाती है.

तथापि, किसी भी उधार खाते को पूर्व की तारीख से गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है तो, उस समय खाते में की गई कोई भी वसूली को सर्वप्रथम ऋण एवं अग्रिम के ब्याज डअर्थात दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना (एस4ए), कर्ज की रणनीतिक संरचना, दीर्घावधि परियोजना ऋण की लचीली संरचना (5/25), उधार ईकाइयों के स्वामित्व का परिवर्तन (बाह्य रणनीतिक कर्ज पुनर्संरचना योजना) में जमा किया जायेगा जब तक खाता मानक के रूप में वर्गीकृत था.

5.3 अग्रिम प्रावधानों, (एनपीए के मामलों में) अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) / निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं.

5.4 मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य में शामिल हैं.

5.5 पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के विरुद्ध वसूल की गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है.

5.6 बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

5.6.1 यदि प्रतिभूतिकरण कम्पनी (एससी) / आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एआरसी) को की गयी बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी या तो लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है अथवा दिनांक 26.02.2014 को अथवा उसके पश्चात की गयी आस्तियों की बिक्री पर इस प्रकार की कमी को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो / एक वर्ष की अवधि में समय विस्तारित किया गया है, जो आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन है.

5.6.2 एनपीए की बिक्री आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होती है:

i) जब बैंक अपनी वित्तीय संपत्ति प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेचता है, तो उसे बहियों से हटा दिया जाता है.

ii) यदि बिक्री नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर होती है, तो अधिशेष को लाभ और हानि खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है.

iii) एससी/एआरसी को बिक्री के मामले में एनबीवी से अधिक मूल्य के लिए नकद वसूली की सीमा तक अतिरिक्त प्रावधान लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है और शेष अतिरिक्त प्रावधान को कम/हानि को पूरा करने के लिए उपयोग करने के लिए बनाए रखा जाता है एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री का लेखा.

iv) यदि बिक्री नेट बुक वैल्यू (एनबीवी) से कम कीमत पर है (यानी बुक वैल्यू कम प्रावधान है), तो बिक्री के वर्ष में कमी को लाभ और हानि खाते में डेबिट कर दिया जाता है.

6. **देश एक्सपोजर के लिए प्रावधान:** परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार आयोजित विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, अलग-अलग देश एक्सपोजर (स्वदेश के अलावा) के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, महत्वहीन, निम्न, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च, प्रतिबंधित और ऑफ-क्रेडिट और मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान. यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का कंट्री एक्सपोजर (नेट) कुल फंडेड एसेट्स के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे कंट्री एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. यह प्रावधान बैलेंस शीट की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के तहत परिलक्षित होता है.

7. **अचल आस्तियां/मूल्यह्रास :**

7.1 अचल संपत्तियों को संचित मूल्यह्रास/परिशोधन को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है.
लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे साइट की तैयारी, स्थापना लागत, कर और संपत्ति के उपयोग से पहले पेशेवर शुल्क शामिल हैं.

7.2 उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों पर किए गए बाद के व्यय (व्यय) का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभों को बढ़ाता है.

7.3 अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास 'राइट डाउन वैल्यू मेथड' के तहत निम्नलिखित दरों पर किया जाता है (सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास किए गए कंप्यूटरों के अलावा):

i. परिसर - अनुमानित जीवन काल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii. फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष - 10%
iii. वाहन, प्लांट एवं मशिनरी - 20%
iv. वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि - 15%
v. सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर - 33.33%

7.4 अन्य अचल संपत्तियां सीधी रेखा विधि संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर.

7.5 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गयी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि माना जाता है तथा 99 वर्ष या उससे कम वर्षों वाली भूमि को पट्टे पर ली गई भूमि माना जाता है. पट्टेवाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

7.6 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां मूल्यह्रास सम्मिश्र लागत पर किया गया है.

7.7 ये आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनका मूल्यह्रास / परिशोधन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है, जिसे लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि को निरूपण योग्य वृद्धिशील मूल्यह्रास / परिशोधन को "पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि" से अंतरित कर ''राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां'' में जमा किया गया है.

7.8 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है.

30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों पर अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है.

7.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल संपत्तियों पर विचार करता है. पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है. इसके बाद हर तीन साल में पुनर्मूल्यांकन की गई संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है.

7.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्ति के शुद्ध बही मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है.
पुनर्मूल्यांकन संपत्ति पर अतिरिक्तमूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते में बदल दिया जाता है और पुनर्मूल्यांकन भंडार से अन्य राजस्व आरक्षित में विनियोजित किया जाता है

7.11 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर पुनर्मूल्यांकन संपत्ति का मूल्यह्रास किया जाता है.

8. **कर्मचारी लाभ :**

- कर्मचारी द्वारा वर्ष के दौरान दी गयी सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभों को उपचित किया गया है.
- अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, वे होते हैं जो उस वर्ष प्रदान की गयी सेवाओं के लिए संबंधित वर्ष के लाभ हानि के खाते में व्यय के रूप में माना गया है.
- परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेच्युटि में अंशदान, पेंशन निधि एवं अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देयताओं का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से प्राप्त वर्तमान मूल्य के आधारपर वर्ष के अंत में किया गया है. बीमांकित लाभ / हानि की गणना उनके उत्पन्न होने वाले वर्ष में ही की जाती है.
- भविष्य निधि एक निर्धारित योगदान है जिसके तहत बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर एक निर्धारित योगदान का भुगतान करता है.
- बैंक का कर्तव्य इस निर्धारित योगदान तक सीमित है.
- यह योगदान लाभ-हानि खाते से प्रभारित की जाती है.
- राष्ट्रीय पेंशन योजना, जो उन कर्मचारियों पर लागू है जिन्होंने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके बाद बैंक में नियुक्ति पाई है, एक निर्धारित योगदान योजना है. बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित योगदान का भुगतान करती है. बैंक का कर्तव्य इस निर्धारित योगदान तक सीमित है. यह योगदान लाभ-हानि खाते से प्रभारित की जाती है.

अल्पकालिक कर्मचारी लाभः

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

9. **आय एवं व्यय की पहचान :**

9.1 विनियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर, आय/ व्यय की मदों को सामान्यत: उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.

9.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई मद कुल आय / कुल व्यय के 1% से अधिक हो तो उसके संबंध में पूर्व की अवधि का प्रकटीकरण किया गया है.

9.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान किया जाता हैं.

10. **आय पर करों के लिए लेखांकनः**

वर्ष के लिए कर के प्रावधान में आयकर अधिनियम, 1961 और लेखा मानक 22 के अनुसार गणना की गई वर्तमान कर देयता शामिल है - "आय पर करों के लिए लेखांकन".

आस्थगित कर जो पहचान करता है, कर योग्य आय और एक अवधि में उत्पन्न होने वाली लेखांकन आय के बीच समय के अंतर को पहचानता है और एक या अधिक बाद की अवधि में उत्क्रमण करने में सक्षम है.

आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जाएगी.

आस्थगित कर आस्तियों को अनवशोषित मूल्यह्रास और कर हानियों को आगे ले जाने पर तभी मान्यता दी जाती है, जब इस बात के पुख्ता सबूत हों कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के खिलाफ वसूल किया जा सकता है.

आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है ताकि इसकी वसूली का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके.

विवादित कर देनदारियों का हिसाब निर्धारण/अपीलीय कार्यवाही के अंतिम वर्ष में किया जाता है और ऐसे समय तक उन्हें आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया जाता है.

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है

11. **प्रावधान, आकस्मिकता एवं अनुषंगी आस्तियां**

11.1 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस 29, "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति" के अनुरूप, बैंक केवल प्रावधानों को मान्यता देता है, जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप इसकी वर्तमान बाध्यता होती है, और इसके परिणामस्वरूप एक दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

11.2 **निम्न के लिए कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं है:**

i) कोई भी संभावित दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं; या

ii) कोई भी वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि:

ए. यह संभव नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या

बी. दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है. इनका नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है और दायित्व के केवल उस हिस्से के लिए प्रदान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है.

11.3 बीमांकिक अनुमानों के आधार पर बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवॉर्ड प्वॉइंट का प्रावधान किया जा रहा है.

11.4 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही प्रकट किया जाता है.

12. खंड रिपोर्टिंग

बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है.

13. प्रति शेयर आय:

बैंक आईसीएआई द्वारा जारी एएस 20 - "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और पतला आय की रिपोर्ट करता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है. प्रति शेयर पतला आय संभावित कमजोर पड़ने को दर्शाता है जो तब हो सकता है जब इक्विटी शेयर जारी करने के अनुबंधों का प्रयोग किया गया या वर्ष के दौरान परिवर्तित किया गया. प्रति इक्विटी शेयर पतला आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यकारी निदेशक

विवेक वाही
कार्यकारी निदेशक

राजीव पुरी
कार्यकारी निदेशक

मटम वेंकट राव
प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

श्री पी. जे. थॉमस
निदेशक

श्रीमती मिनी आइप
निदेशक

कृते एएजेवी एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 007739एन

(सीए जे पी बजाज)
भागीदार
सदस्यता सं. 086390
यूडीआईएन: 21086390एएएएसीओ 4044

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 309005ई

(सीए विवेक नेवतिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 062636
यूडीआईएन: 21062636एएएएएफवी 1675

कृते छाजेड एंड दोशी
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 101794डब्लू

(सीए नितेश जैन)
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 21136169एएएएसीयू7337

कृते अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अम्बर्डेकर
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 122063 डब्ल्यू

(सीए सचिन अम्बेकर)
भागीदार
सदस्यता सं. 108911
यूडीआईएन: 21108911एएएएसीज़ेड8254

स्थान: मुंबई
दिनांक: 7 जून, 2021

अनुसूची 18 : लेखों से संबंधित टिप्पणियाँ

1. पूँजी :

दिनांक 31.03.2021 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी बढ़कर ₹ 5,875.56 करोड़ हो गई, जो पिछ्ले वर्ष ₹ 5709.76 करोड़ थी. यह वृद्धि एक आबंटन में ₹ 10/- के प्रत्येक के 16,57,99,736 नए इक्विटी शेयर्स जारी करने से हुई है.

ए. दिनांक 28.09.2020 को पात्र संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) प्रक्रिया के तहत ₹ 5.38 प्रति इक्विटी शेयर की प्रीमियम सहित ₹ 15.38 प्रति शेयर निर्गम मूल्य से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पात्र संस्थागत निवेशकों को प्रति ₹ 10/- के 16,5799736 इक्विटी शेयर्स आबंटित किए गए.

बी. भारत सरकार ने दिनांक 31 मार्च, 2021 को इक्विटी शेयर के अधिमानी आबंटन ₹ 4800 करोड का निवेश किया. इसे शेयर एप्लीकेशन मनी खाते में लंबित आबंटन में रखा गया है और इसे भारिबैं संप्रेषण संदर्भ सं. डीओआर.सीएपी.583/21/01/002/2021-22 दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के अनुसार सीईटी 1 पूंजी के भाग के रूप में माना गया है. दिनांक 29 मई, 2021 को भारत सरकार को ₹ 7.11 प्रीमियम सहित ₹ 17.11 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को प्रति ₹ 10/- के 280,53,76,972 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए.

2. बहियों का समतुलन/ मिलान

ए) बैंक अंतर कार्यालय समायोजन (आईबीआर) खाते सहित विभिन्न खातों में बकाया शेष/प्रविष्टियों के मिलान की प्रक्रिया में है. वर्ष के दौरान, बैंक ने पिछले वर्षो से सम्बंधित 'राजस्व एवं अन्य आरक्षित खाता' के समक्ष ₹ 27.57 करोड को अभिचिन्हित किया है और उसे अंतरित किया है.

दिनांक 31 मार्च, 2021 को आईबीआर खाते का शेष ₹ 10.30 करोड (निवल जमा) है और दिनांक 31 मार्च, 2020 को यह ₹ 8774.55 करोड़ (निवल जमा) है.

बी) निम्नलिखित मदों का मिलान प्रगति पर है :

- अंतर शाखा / कार्यालय शेष
- अंतर बैंक खाते
- उचंत खाते
- समशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते
- एटीएम विभाग से संबंधित शेष
- सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए प्रतिरूप खाते एवं अन्य शेष
- कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र ऋणों का डाटा/सिस्टम अद्यतन
- जीएसटी
- अन्य आस्तियां
- अन्य देयताएं

प्रबंधतंत्र का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा.

3. आय कर :

3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.

3.2 बैंक द्वारा भुगतान किए गए अथवा आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर संबंधी अन्य आस्तियां {अनुसूची 11 (ii) में ₹ 1771.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1735.07 करोड़) शामिल है. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यातिक उद्घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में पक्ष में हुए निर्णयों के आधार पर कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया है.

3.3 भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 ('अधिनियम') में धारा 115बीएए शामिल की है, जो कतिपय शर्तों के अधीन, घरेलू कंपनियों को दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी घटी दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने के लिए गैर-प्रत्यावर्तनीय विकल्प प्रदान करता है. बैंक ने इस अधिनियम की प्रयोज्यता का मूल्यांकन किया है और दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए विद्यमान कर दर (अर्थात 34.944%) जारी रखने को चुना है.

4. परिसरः

4.1 बैंक द्वारा पट्टे पर लिए गए परिसरों में ₹ 1.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.75 करोड़) की सम्पत्ति शामिल है, जिसके पंजीकरण की औपचारिकाएँ अभी भी प्रक्रियाधीन हैं.

4.2 दिनांक 31.03.2021 को बैंक के परिसर को बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों की मूल्यांकन रिपोर्टो के आधार पर इनके बाजार मूल्य को पुनर्मूल्यांकित किया गया है और इसे निदेशक मंडल ने अनुमोदित किया है तथा इसके मूल्य में ₹ 881.96 करोड़ की वृद्धि हुई है और इसे पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया गया है.

4.3 ऐसी आस्तियां, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनमें मूल्यह्रास का प्रावधान पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है एवं लाभ/हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि ₹ 58.85 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 112.00 करोड़) पर आरोप्य वृद्धिशील मूल्यह्रास की राशि को ''पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि'' से अंतरित कर ''राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि'' में जमा किया गया है.

5. अग्रिम / प्रावधान

5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पतियों /आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना गया है.

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना के लिए सकल एनपीए में से फ्लोटिंग प्रावधान ₹ 100.56 करोड़ (गत वर्ष ₹ 100.56 करोड़) एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान की राशि ₹ 47.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 47.34 करोड़) का समायोजन किया गया है.

6. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सूचनाएँ प्रकट की गई हैं :

ए. पूँजी अनुपात (बासल III के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मदें	31.03.2021	31.03.2020
1	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	**12.82%**	9.33%
2	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	**12.82%**	9.33%
3	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	**1.99%**	2.39%
4	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	**14.81%**	11.72%
5	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	**89.78%**	92.39%
6	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि	**5055***	3565.54
7	उगाही गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि; *जिसमें से शाश्वत गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) :* *शाश्वत ऋण लिखत (पीडीआई)*	**निरंक**	निरंक
8	उगाही गयी टियर 2 पूंजी की राशि;		
	जिसमें से	**निरंक**	निरंक
	- ऋण पूंजी लिखत :	**निरंक**	निरंक
	- अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : *इशाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान शेयर(आरएनसीपीएस) /प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस) .*	**निरंक**	1000.00
	- वर्ष के दौरान उठाए गए गौण ऋण की राशि		

दिनांक 28.09.2020 को बैंक ने पात्र संस्थागत क्रेताओं को प्रति ₹ 10 की अंकित मूल्य के, ₹ 5.38 प्रति शेयर प्रीमियम सहित ₹ 15.38 निर्गम मूल्य पर 16,57,99,736 इक्विटी शेयर्स आबंटित किए हैं.

भारत सरकार ने दिनांक 31 मार्च, 2021 को इक्विटी शेयर के अधिमानी आबंटन ₹ 4800 करोड का निवेश किया. इसे शेयर एप्लीकेशन मनी खाते में लंबित आबंटन में रखा गया है और इसे भारिबैं संप्रेषण संदर्भ सं. डीओआर.सीएपी.583/21/01/002/2021-22 दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के अनुसार सीईटी 1 पूंजी के भाग के रूप में माना गया है. दिनांक 29 मई, 2021 को भारत सरकार को ₹ 7.11 प्रीमियम सहित ₹ 17.11 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को प्रति ₹ 10/- के 280,53,76,972 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए. इस आबंटन के साथ बैंक में भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) की शेयरधारिता 89.78% से बढ़कर 93.08% हो गई है.

बी. (i) निवेश :

(₹ करोड में)

मदें			31.03.2021	31.03.2020
1)	**निवेश मूल्य**			
	i)	**सकल निवेश मूल्य**	**153820.06**	147357.87
		ए) भारत में	**153772.57**	147310.38
		बी) भारत के बाहर	**47.49**	47.49
	ii)	**मूल्यह्रास हेतु प्रावधान**	**5237.63**	**4840.32**
		ए) भारत में	**5237.63**	4840.32
		वर्तमान मूल्यांकन से मूल्यह्रास (अंतरण के समय धारित) के लिए अतिरिक्त प्रावधान	**0.00**	0.00
		बी) भारत के बाहर	**0.00**	0.00
	iii)	**निवेश का शुद्ध मूल्य**	**148582.44**	142517.55
		ए) भारत में	**148534.95**	142470.06
		बी) भारत के बाहर	**47.49**	47.49
2)	**निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी**			
	i)	प्रारंभिक शेष	**4840.33**	3921.24
	ii)	जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**1314.43**	1413.82
	iii)	घटाएँ : वर्ष के दौरान बट्टे खाता/ प्रतिलेखन प्रावधान	**917.13**	494.73
	iv)	अंतिम शेष	**5237.63**	**4840.33**

नोट: उपर्युक्त राशि में दिनांक 31 मार्च, 2021 को सीसीआईएल के साथ संपार्श्विक के रूप में ₹ 8550 करोड अंकित मूल्य की कुल प्रतिभूतियां शामिल हैं. सीसीआईएल के साथ मार्जिन एवं चूक निधि के रूप में ₹ 1665 करोड की प्रतिभूतियाँ शामिल हैं. रेपो एवं आरटीजीएस प्रतिभूतियों के लिए भारिबैंक के साथ ₹ 6360 करोड की प्रतिभूतियाँ शामिल हैं तथा एनएसई क्लियरिंग एवं एमसीएक्स क्लियरिंग के साथ ₹ 71 करोड़ तथा ₹ 40 करोड़ प्रतिभूतियाँ.

(ii) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रेपो करार के तहत खरीदी/बेची प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दिनांक 31 मार्च, 2021 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
I. सरकारी प्रतिभूतियां	669.00 (0.00)	2683.00 (1499.00)	2241.31 (73.08)	1764.00 (669.00)
II. कॉर्पोरेट उधारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
I. सरकारी प्रतिभूतियां	9050.00 (0.00)	24933.14 (26186.19)	16997.56 (7685.78)	16000.00 (10399.00)
II. कॉर्पोरेट उधारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

(पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिखाए गए हैं)

(iii) **गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलिओ:**

गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता-वार समिश्र : 31 मार्च, 2021

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन सीमा	'निवेश श्रेणी से कम' सीमा तक प्रतिभूतियां	'गैर-श्रेणीकृत' प्रतिभूतियां	'गैर-सूचीबद्ध' प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	केन्द्र सरकार रिकैप बॉन्ड	19580 (14780)	0 (0)	0 (0)	19580 (14780)	19580 (14780)
ii)	राज्य सरकार विशेष बॉन्ड	2011 (2259)	0 (0)	0 (0)	2011 (2259)	0 (0)
iii)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	5534 (5977)	300 (3130)	22 (762)	22 (22)	1769 (1777)
iv)	वित्तीय संस्थाएं	2072 (1834)	0 (135)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
v)	बैंक	261 (276)	5 (1)	69 (64)	69 (69)	69 (69)
vi)	निजी कॉर्पोरेट	6925 (3180)	2970 (964)	870 (410)	27 (624)	801 (673)
vii)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम/ क्षेग्राबैं/ इंडो-जाम्बिया	305 (265)	305 (265)	0 (0)	305 (265)	305 (265)
viii)	अन्य	6717 (9293)	2324 (3296)	5757 (648)	5434 (4976)	3633 (6924)
	कुल	**43406 (37864)**	**5904 (7791)**	**6718 (1884)**	**27448 (22995)**	**26157 (24488)**
	घटायें: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	5182 (4840)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	शुद्ध	**38224 (33024)**	**5904 (7791)**	**6718 (1884)**	**27448 (22995)**	**26157 (24488)**

पिछ्ले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिखाए गए हैं.

नोट : उपर्युक्त कॉलम संख्या 4, 5, 6 एवं 7 के अधीन सूचित राशियां पारस्परिक विशिष्ट नहीं हैं.

(iv) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
प्रारंभिक शेष	**2153.39**	1546.86
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**401.08**	939.67
वर्ष के दौरान कमी	**617.96**	333.14
अंतिम शेष	**1936.51**	2153.39
धारित कुल प्रावधान	**1887.01**	**1932.84**

सी. डेरिवेटिव

(i) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2021	31.03.2020
i)	स्वैप करारों का काल्पनिक मूलधन	1305.00	1125.00
ii)	करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	0.00	11.57
iii)	स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	निरंक	निरंक
iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रीकरण	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	3.78	-1.15

(ii) मुद्रा दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2021	31.3.2020
i)	स्वैप करारों का काल्पनिक मूलधन	351.48	360.74
ii)	करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	3.78	19.39
iii)	स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	निरंक	निरंक
iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रीकरण	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	निरंक	निरंक

(iii) विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव :

(₹ करोड़ में)

क्र	मदें	31.3.2021	31.3.2020
	ब्याज दर वायदा		
i)	वर्ष के दौरान विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव की काल्पनिक मूल राशि	निरंक	निरंक
ii)	बकाया विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव की काल्पनिक मूल राशि	निरंक	निरंक
iii)	बकाया एवं ''उच्च प्रभावी नहीं'' विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव की काल्पनिक मूल राशि	निरंक	निरंक
iv)	बकाया एवं "उच्च प्रभावी नहीं" विनिमय सौदे वाले ब्याज दर डेरिवेटिव का दैनिक बाजार मूल्य	निरंक	निरंक

(iv) विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
i)	वर्ष के दौरान, विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव का काल्पनिक मूलधन		
	ए) मुद्रा वायदा	8992.53	8259.04
	बी) मुद्रा विकल्प	0.00	0.00

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
ii)	बकाया विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव की काल्पनिक मूल राशि		
	ए) मुद्रा वायदा	65.80	1255.03
	बी) मुद्रा विकल्प	0.00	0.00
iii)	बकाया एवं ''उच्च प्रभावी नहीं'' विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव की काल्पनिक मूल राशि		
	ए) मुद्रा वायदा	0.00	0.00
	बी) मुद्रा विकल्प	0.00	0.00
iv)	बकाया एवं ''उच्च प्रभावी नहीं'' विनिमय सौदे वाले मुद्रा डेरिवेटिव का दैनिक बाजार मूल्य		
	ए) मुद्रा वायदा	2.15	2.66
	बी) मुद्रा विकल्प	0.00	0.00

डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

v) गुणात्मक प्रकटीकरण

- वायदा बाजार में बचाव / व्यापार में डेरिवेटिव लिखतों के प्रयोग के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति बनी हुई है.
- निवेश पोर्टफोलियों में ब्याज दर की जोखिम से बचाव तथा बाजार निर्मिति के लिए वायदा दर करार, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा -वायदे तथा ब्याज दर वायदों की नीति मौजूद है.
- निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, जोखिम प्रबंधन नीतियां तथा प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे हानि-रोध सीमाएं, काउन्टर पार्टी एक्सपोजर सीमाएं इत्यादि मौजूद हैं.

बचाव स्थितियां

- आईआरएस पर ब्याज खर्च/आय के कारण उपचय को लेखागत किया जाता है तथा आय/व्यय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है.
- यदि स्वैप को परिपक्वता के पूर्व समाप्त किया जाता है, तो दैनिक एमटीएम हानि/लाभ तथा उस तारीख तक उपचित को ब्याज दर स्वैप पर प्रदत्त/प्राप्त ब्याज के तहत व्यय/आय के रूप में लेखा-जोखा किया जाता है.

व्यापारिक स्थितियां

- एमसीएक्स-एसएक्स, एनएसई तथा यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेज के विनियम दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा वायदे तथा ब्याज दर वायदे दैनदिन आधार पर बाजार मूल्य की स्थिति पर अंकित किए जाते है.
- मार्जिन खाते को दैनिक आधार पर जमा/नामे करते हुए एमटीएम लाभ/हानि का लेखा किया जाता है तथा उसे बैंक के लाभ एवं हानि खाते में लेखागत किया जाता है.
- व्यापारिक स्वैप को थोड़े-थोड़े अंतरालों में बाजार मूल्य की स्थिति के अनुसार अंकित किया जाता है. एमटीएम की सभी हानियां लेखागत की जाती है जबकि लाभ को यदि कोई हो, छोड़ दिया जाता है.
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ अथवा हानि को उपर्युक्त शीर्ष में तत्काल आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है.

दिनांक 31.03.2021 को मर्चेंट एवं अंतर बैंक के बायदे संविदा का बकाया

(₹ करोड़ में)

दिनांक 31.03.2021 को बकाया	**71135.50**
बचाव व्यवस्था स्थिति	**6596.27**
व्यापार स्थिति	**64539.23**

गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021		31.3.2020	
		मुद्रा डेरिवेटिव्ज	ब्याज दर डेरिवेटिव्ज	मुद्रा डेरिवेटिव्ज	ब्याज दर डेरिवेटिव्ज
i)	डेरिवेटिव्ज (आनुमानिक मूल धन राशि)				
	ए) बचाव व्यवस्था के लिए	6596.27	0.00	10537.69	0.00
	बी) व्यापार के लिए	64539.23	1305.00	22436.66	1125.00
ii)	बाजार की स्थिति हेतु चिन्हित				
	ए) आस्ति (+)	557.52	8.87	569.19	11.57
	बी) देयता (-)	483.80	12.66	642.84	12.72
iii)	क्रेडिट एक्सपोजर (1)				
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)	-	0.01	-	0.01
	ए) बचाव व्यवस्था पर डेरिवेटिव्ज	-	-	-	-
	बी) व्यापार पर डेरिवेटिव्ज	-	0.01	-	0.01
v)	वर्ष के दौरान नोट किए गए अधिकतम एवं न्यूनतम (100*पीवी01)				
	ए) बचाव व्यवस्था पर	-	अधिकतम -0.00 न्यूनतम -0.00	-	अधिकतम -0.00 न्यूनतम-0.00
	बी) व्यापार पर	-	अधिकतम - 0.04 न्यूनतम - 0.01	-	अधिकतम - 0.04 न्यूनतम - 0.01

डी. आस्ति गुणवत्ता

(ए) अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2021	31.3.2020
i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	5.77	7.63
ii)	एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी (सकल)		
	ए) प्रारंभिक शेष	32589.08	32356.04
	बी) वर्ष के दौरान परिवर्धनड(ग)	6448.53	8150.61
	सी) वर्ष के दौरान कमी	(9760.65)	(7917.57)
	डी) अंतिम शेष	29276.96	32589.08
iii)	शुद्ध एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी		
	ए) प्रारंभिक शेष	11534.46	11333.24
	बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1883.82	3579.11
	सी) वर्ष के दौरान कमी	4381.83	(3377.89)
	डी) अंतिम शेष	9036.45	11534.46
iv)	शुद्ध एनपीए हेतु प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
	ए) प्रारंभिक शेष	18872.08	19933.58
	बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	5656.01	4571.50
	सी) बट्टे खाते डाले गए/प्रतिलेखन/अंतरण	6378.60	(4633.00)
	डी) अंतिम शेष	19149.48	19872.08

एनपीए के लिए उपर्युक्त प्रावधानों के अतिरिक्त, बैंक के पास में ईसीजीसी/सीजीटीएमएसई से प्राप्त दावा राशि के रूप में ₹ 213.30 करोड

की राशि है. इसमें एनपीए खातों के लिए एफआईटीएल के रूप में ₹ 730.11 करोड, काउंटर साइक्लिकल प्रावधान के लिए ₹ 47.34 करोड एवं फ्लोटिंग प्रावधान के लिए ₹ 100.55 करोड है, जिन्हें शुद्ध एनपीए की गणना के लिए लिया जाता है.

(बी) पुनर्गठित खातों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर मेकॅनिज़म के तहत					एसएमई ऋण पुनर्गठन मेकॅनिज़म के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
1.	वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (प्रारंभिक आंकडें)ङक्ष	उधारकर्ताओं की संख्या	2	0	10	0	12	19405	954	552	130	21041	9411	1091	3909	91	14502	28818	2045	4471	221	35555
		बकाया शेष	173.14	0.00	608 31	0.00	781,.45	860.23	75.74	239.85	23.92	1199.74	1387.71	145.80	5442.07	1266.54	8242.12	2421.08	221.54	6290.23	1290.46	10223.31
		उसके लिए प्रावधान	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	31.40	3.05	0.62	0.00	35.07	56.84	1.69	30.03	0.00	88.56	88.25	4.74	30.65	0.00	1234.64
2.	वर्ष के दौरान नये पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	11032	1003	34	95	12164	1058	155	31	5	1249	12090	1158	65	100	13413
		बकाया शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1014.28	59.70	15.23	3.09	1092.30	467.28	9.77	168.55	1.49	647.09	1481.56	69.47	183.78	4.58	1739.39
		उसके लिए प्रावधान	0.00	0.00		0.00	0.00	29.03	2.52	0.24	0.00	31.79	3.87	0.49	0.07	0	4.43	32.90	3.01	0.31	0.00	36.22
3.	वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में कोटि-उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	308	-283	-11	-14	0	108	-57	-48	-3	0	416	-340	-59	-17	0
		बकाया शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66	-35.07	-18.40	-0.19	0.00	10.11	-5.93	-4.14	-0.04	0.00	63.77	-41.00	-22.54	-0.23	-0.00
		उसके लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	-1.65	-0.11	- 0.01	- 0.01	0.51	-0.30	-0.21	0.00	0.00	2.27	-1.95	-0.32	-0.01	-0.01
4.	वर्ष के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिम, जिनके लिए उच्च प्रावधान और अतिरिक्त जोखिम भारिता बंद कर दिया है,अत: अगले वर्ष के प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है.	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	0				0	0				0	0				0
		बकाया शेष	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00
		उसके लिए प्रावधान	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00
5.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों में श्रेणी अवनति	उधारकर्ताओं की संख्या	-1	0	0	0	0	-2144	1409	441	294	0	-734	-26	726	34	0	-2879	1383	1167	329	0
		बकाया शेष	-186.26	0.00	29.41	156.85	0.00	-110.92	57.70	36.73	16.49	0.00	-30.60	-100.35	-812.41	943.36	0.00	-327.78	-42.65	-746.27	1116.70	0.00
		उसके लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.97	1.90	1.07	0.00	0.00	-1.48	0.49	0.99	0.00	0.00	-4.45	2.39	2.06	0.00	0.00
6.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों में राइट ऑफ	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-2	0	-2	-3433	-117	-75	-34	-3659	-1569	-333	-573	-20	-2495	-5002	-450.00	-650.00	-54.00	-6156
		बकाया शेष	0.00	0.00	-157.97	0.00	-157.97	-104.32	-3.86	-43.20	-0.60	-151.98	-63.21	-5.70	-220.06	-0.38	-289.35	-167.53	-9.56	-421.23	-0.98	-599.30
7.	31.03.2020 को पुनर्गठित खातें (अंतिम आंकडें)	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	0	1	10	24569	2968	965	441	28943	8873	834	4079	73	13859	33443	3802	5052	515	42812
		बकाया शेष	1.09	0.00	465.29	156.85	623.23	1722.76	150.80	277.06	41.06	2191.68	1753.84	38.86	4474.00	2068.64	8335.34	3477.69	189.66	5216.35	2266.55	11150.25
		उसके लिए प्रावधान	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	53.78	5.52	1.68	0.00	60.98	40.03	1.95	8.28	0.00	50.26	93.82	7.47	9.96	0.00	111.25

* उन मानक पुनर्गठित ऋणों के आकड़ों को छोड़कर जिनमें उच्च प्रावधान अथवा जोखिम भारिता (यदि लागू हो) नहीं है.

** धारित प्रावधान में अधित्याग किए गए प्रावधान के आकंड़े है.

$ वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्गठित खातों में बंद खाते तथा वसूली शामिल है.

वित्तीय वर्ष के दौरान, बढ़ोत्तरी/वसूली के पश्चात दिनांक 31.09.2021 को अंतिम बकाया शेष है.

(सी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निमाण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

ए. बिक्रियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.03.2021	31.03.2020
i)	खातों की संख्या	9	11
ii)	एससी/आरसी को बिक्रीत खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	153.90	335.42
iii)	कुल प्रतिफल	270.11	387.74
iv)	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के लिए आगत अतिरिक्त प्रतिफल	8.97	87.23
v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	114.68	112.86

बी. प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2021	31.3.2020
(i)	बैंक द्वारा अंतर्निहित तौर बिक्रीत एनपीए समर्थित	2633.26	2689.51
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीयसंस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा अंतर्निहित के तौर पर बिक्रीत एनपीए समर्थित	1.88	2.28
	कुल	**2635.14**	**2691.79**

सी. प्रतिभूति रसीदों में निवेश के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	पिछ्ले 5 वर्षों में जारी प्रतिभूति रसीदें	5 वर्षो से 8 वर्षो के दौरान जारी प्रतिभूति रसीदें	8 वर्षो से अधिक के दौरान जारी प्रतिभूति रसीदें
(i)	बैंक द्वारा विक्रय किए गए एनपीए की एवज में जारी प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य निम्नानुसार है.	185.84	2367.71	79.71
	(i) के प्रति किया गया प्रावधान	9.64	-1563.36	-79.71
(ii)	बैंक / वित्तीय संस्थानों / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए गए एनपीए की एवज में जारी प्रतिभूति रसीदों का बही मूल्य निम्नानुसार है.	0.00	0.12	1.76
	(ii) के विरूध्द किया गया प्रावधान	0.00	0.49	-1.76
	कुल बही मूल्य (i)+(ii)	**185.84**	**2367.83**	**81.47**

(डी) अन्य बैंकों से खरीदी/को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

		विवरण	31.3.2021	31.3.2020
1	ए	वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी	कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2	ए	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी	कुल बकाया	निरंक	निरंक

बी. विक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2021	31.3.2020
1	खातों की संख्या	निरंक	निरंक
2	कुल बकाया	निरंक	निरंक
3	प्राप्त कुल प्रतिफल	निरंक	निरंक

(ई) मानक अस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

मदें	31.3.2021	31.3.2020
धारित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	491.65	611.95

(एफ) व्यावसायिक अनुपात

क्र. सं.	मदें	31.3.2021	31.3.2020
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय*	6.67	7.26
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय*	0.93	1.12
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ*	1.36	1.34
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल **	(0.26)	(0.35)
(v)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय *** (जमाएँ+अग्रिम) (₹ लाख में)	1559.94	1405.98
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	(2.74)	(3.27)

* कार्यशील निधि में वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है. चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए जहां भी जरूरत हुई है, आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है.

** कार्यशील निधियों में कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर)

*** सकल जमाओं (अंतर-बैंक जमाओं को छोड़कर) एवं अग्रिमों के आधार पर

जी. आस्ति देयता प्रबंधन

प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विविध परिपक्वता अवधि समूह के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2021 को कुल जमाओं, उधार, अग्रिमों एवं कुल निवेश का परिपक्वता पैटर्न निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल जमाएं	कुल अग्रिम	कुल निवेश	कुल घरेलू उधारियां*	विदेशी मुद्रा	
					आस्ति	देयताएं
एक दिन	1,599.43	2,812.60	52,935.56	2.00	677.03	460.92
2 दिन से 7 दिन	2,454.36	1,150.90	998.40	23.85	1,786.09	1,425.51
8 दिन से 14 दिन	2,328.78	169.09	440.23	-	681.24	260.94
15 दिन से 30 दिन	4,728.05	7,826.81	1,407.93	-	8,734.59	9,071.23
31 दिन से 2 माह	8,787.27	3,182.06	254.64	-	-	-
2 माह से अधिक व 3 माह तक	8,518.92	2,147.99	325.38	3.13	5,009.09	4,725.16
3 माह से अधिक व 6 माह तक	12,736.01	5,151.38	13,305.25	-	5,277.50	5,097.07
6 माह से अधिक व 12 माह तक	23,448.78	9,316.97	3,907.15	6.10	17,991.43	18,079.70
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	1,48,915.41	77,022.20	16,994.69	1,783.90	97.53	853.22
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	61,274.65	16,027.09	17,285.53	9.82	-	290.91
5 वर्ष से अधिक	55,181.28	31,771.56	40,727.67	0.73	0.07	1.42
कुल	**3,29,972.95**	**1,56,578.64**	**1,48,582.43**	**1,829.54**	**40,254.58**	**40,266.10**

नोट: -

*** टियर-II पूंजी में सम्मिलित किए गए के अलावा**

उपर्युक्त आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं प्रबंधन के प्रमुख अनुमानों के आधार पर संकलित किए गए हैं तथा लेखा-परीक्षकों द्वारा इन पर विश्वास व्यक्त किया गया है.

एच. एक्सपोजर

(i) रियल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

	श्रेणी	31.3.2021	31.3.2020
ए)	**प्रत्यक्ष निवेश**		
	(i) आवासीय मार्गेज - आवासीय सम्पत्ति पर बंधक के द्वारा ऋण पूरी तरह से रक्षित है, अर्थात या तो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में है अथवा किराये पर है :	30440.75	27903.39
	(उपर्युक्त में शामिल व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने के लिए पात्र हैं)	(17974.42)	(16822.40)
	(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदा के मॉर्गेज से प्रत्याभूत ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा वेयर हाउस स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, निर्माण एवं विकास इत्यादि.)	3197.55	2619.51
	एक्स्पोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सीमाएं भी शामिल होंगी :		
	(iii) मॉर्गेज आधारित प्रतिभूतियां (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश		
	- आवासीय,	0.00	0.00
	- वाणिज्यिक स्थावर संपदा.	112.83	68.18
बी)	**अप्रत्यक्ष निवेश**		
	(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश.	2644.62	2133.67
	रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्स्पोजर	**18421.33**	**15902.35**

(ii) पूँजी बाजार एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2021	31.3.2020
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई हो.	444.81	446.55
ii)	वैयक्तिकों को शेयर/बॉण्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा गैर-प्रतिभूति आधार पर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं म्यूच्युअल फंड की इक्विटी उन्मुख इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम	1.63	2.18
iii)	किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु अग्रिम जिनमें शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	0.00	50.23
(iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की सीमा तक रक्षित अग्रिम अर्थात जहां पर शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिट अग्रिमों को पूरी तरह रक्षित नहीं करती हैं.	0.00	0.00

	मदें	31.3.2021	31.3.2020
(v)	स्टॉक-ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक-ब्रोकरों एवं गौण बाजार के प्रमुख की ओर से जारी गारंटियां.	218.02	77.15
vi)	कॉर्पोरेट को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा बेजमानती आधार पर प्रवर्तकों के भावी संसाधनों की प्रत्याशा के तहत उनके इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण.	0.00	0.00
vii)	इक्विटी प्रवाह/निर्गम की प्रत्याशा के समक्ष कंपनियों को पूरक वित्त.	0.00	0.00
viii)	शेयरों के प्राथमिक निर्गम अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों के सम्बंध में बैंकों द्वारा लिए गए हामीदारी वायदे.	0.00	0.00
ix)	स्टॉक-ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण	0.00	0.00
x)	जोखिम पूंजी निधि (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) सम्बंधित सभी एक्सपोजर.	490.17	496.65
	पूंजी बाजार का कुल एक्सपोजर	**1154.63**	**1072.76**

(iii) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	दिनांक 31.03.2021 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31.03.2021 को धारित प्रावधान	दिनांक 31.03.2020 को एक्सपोजर (शुद्ध)	दिनांक 31.03.2020 को धारित प्रावधान
अप्रयोज्य	550.74	निरंक	671.99	निरंक
निम्न	725.76	निरंक	627.47	निरंक
मध्यम	178.83	निरंक	27.36	निरंक
उच्च	3.40	निरंक	7.68	निरंक
अत्यधिक	1.61	निरंक	1.09	निरंक
सीमित	0.00	निरंक	0.00	निरंक
ऋणेतर	0.00	निरंक	0.00	निरंक
योग	**1460.34**	**निरंक**	**1335.59**	**निरंक**

चूंकि वर्ष हेतु बैंक का निवल निधि निवेश, विदेशी विनिमय लेनदेन के सम्बंध में बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम है, अत: प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है.

(iv) खातों के विवरण, जिनमें बैंक ने टियर-1 पूंजी पर आधारित किसी भी वैयक्तिक एवं समूह खाता के सम्बंध में बृहद एक्सपोजर (एलई) फ्रेमवर्क के अनुसार विवेकसम्मत एकसपोजर उच्चतम सीमा को पार किया है.

काउंटरपार्टियों के समक्ष बृहद एक्सपोजर (सम्बद्ध काउंटरपार्टियों का एकल एवं समूह) बैंक का पात्र पूंजी आधार (दिनांक 31.03.2020 को टियर-I पूंजी ₹ 14021.20 करोड़)

(₹ राशि करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता/ग्राहक का नाम	एकल (एस) अथवा समूह (जी)	एक्सपोजर राशि	टियर I पूँजी ₹ 14021.20 करोड़ का एक्सपोजर %
निरंक				

(v) ऋण एवं अग्रिमों का विवरण, जो कि अमूर्त आस्तियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन आदि द्वारा रक्षित है, जो कि अनुसूची-9 में आरक्षित किया गया है.

प्रभारित अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन इत्यादि के समक्ष अग्रिम राशि ₹ निरंक (गत वर्ष निरंक), उन्हें अनारक्षित माना गया है.

अमूर्त प्रतिभूतियों का मूल्य ₹ निरंक करोड़ (गत वर्ष ₹ निरंक) है.

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 के अनुसार ₹ निरंक (पिछ्ले वर्ष ₹ 1500 करोड़) है. वर्ष के दौरान, ब्याज आय ₹ 45.48 करोड़ अभिचिन्हित की गई है.

(vii) दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, एचटीएम श्रेणी में बिक्री की लागत, प्रतिभूतियों का आवक जावक अंतरण (लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंक द्वारा निदेशक मंडल की अनुमति से एचटीएम प्रतिभूतियों का आवक जावक एक-बारगी अंतरण, पूर्व घोषित खुला बाजार परिचालनिक निलामी के तहत भारिबैंक को बिक्री और भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद को छोडकर) वर्ष की शुरुआत में एचटीएम श्रेणी में रखे निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है.

दिनांक 31 मार्च, 2021 को एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों का बाजार मूल्य ₹ 96250 करोड़ था, जिसका बही मूल्य ₹ 93417 करोड़ रहा, जिसमें अनुषंगियों/ लागत पर किए गए संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश शामिल है. इन निवेशों का बही मूल्य बाजार मूल्य से कम होने के कारण प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

(viii) पुराने नोस्ट्रो से सम्बंधित ब्लॉक्ड खातों में रखी गई राशि जमा प्रविष्टियों को क्रिस्टलाइजेशन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए परंपरागत लागत में लाया गया है.

आई. **एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री एवं अंतरण**

वर्ष की शुरूआत में एचटीएम श्रेणी में आयोजित निवेश का बही मूल्य एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री एवं अंतरण 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए.

जे. **निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित**

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा हानि दर्शाने के कारण बैंक ने निवेश विचलन आरक्षित (आईएफआर) सृजित नहीं किया है.

7. अर्थदंड का प्रकटीकरण

7.1 भारिबैं द्वारा लगाया गया अर्थदंड

भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ आवास ऋण खातों में भरिबैं परिपत्र दिनांक 03.09.2013 के गैर-अनुपालन के कारण हमारे बैंक पर ₹ 0.50 करोड (गत वर्ष ₹ निरंक करोड) का अर्थदंड लगाया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके मानदंडों की अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (ए) के अंतर्गत बैंक को ₹ 0.31 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.27 करोड़) का दण्ड लगाया.

*जैसा कि प्रबंधतंत्र द्वारा निर्धारित किया गया और लेखापरीक्षकों द्वारा उस पर विश्वास किया गया.

7.2 फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट - भारत द्वारा लगाया गया अर्थदंड

एफआईयू-इंडिया ने एफआईयू-इंडिया ऑर्डर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार, अलर्ट नं.5, आम चुनाव (लोकसभी)-2019 के अंतर्गत रिपोर्ट-1 प्रस्तुत करने में देरी एवं रिपोर्ट-2 गैर-प्रस्तुतिकरण के लिए ₹ 0.02 करोड़ का अर्थदंड लगाया है. बैंक ने कथित अर्थदंड का भुगतान दिनांक 15 जनवरी, 2021 को किया है.

8. I. जमाओं, अग्रिम, एक्सपोजर एवं एनपीए के संकेन्द्रण से संबंधी प्रकटीकरण :

8.1 जमाओं का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
(ए) बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	9631.66	14136.35
(बी) बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का बैंक की कुल जमा में प्रतिशत	2.92%	4.51%

8.2 अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण*

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
(ए) कुल अग्रिम (ऋण एक्सपोजर) 20 बड़े उधारकर्ता	26799.69	28127.76
(बी) कुल अग्रिम (ऋण एक्सपोजर)	239395.06	236554.33
(सी) बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम का बैंक के कुल अग्रिम में प्रतिशत	11.19%	11.89%

* भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार अग्रिमों के ऋण एक्सपोजर दर्शाते हैं.

8.3 एक्सपोजर का संकेन्द्रीकरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	29346.87	30096.58
(बी) कुल एक्सपोजर	261162.02	257390.02
(सी) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोजर का बैंक के कुल एक्सपोजर में प्रतिशत	11.24%	11.69%

** ऋण और निवेश एक्सपोजर दर्शाते हैं.

8.4 एनपीए का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	6355.65	6355.09

II. क्षेत्रवार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	31.03.2021			31.03.2020		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए का प्रतिशत
ए	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	36206.99	5349.43	14.77	34419.40	5054.21	14.68
2	प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने हेतु पात्र उद्यम क्षेत्र को अग्रिम	11748.97	2551.80	21.72	10672.00	2449.27	22.95
3	सेवाएं	20797.66	3138.39	15.09	18578.16	2952.44	15.89
4	व्यक्तिगत ऋण	19468.85	1369.77	7.04	16318.38	1197.93	7.34
	उप-योग (ए)	**88222.47**	**12409.39**	**14.07**	**79987.94**	**11653.85**	**14.57**
बी	**गैर प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	19304.03	8379.49	43.41	52952.66	18930.02	35.75
3	सेवाएं	39309.32	7315.77	18.61	14964.92	1193.37	7.97
4	व्यक्तिगत ऋण	30077.15	1172.31	3.90	24338.23	811.84	3.34
	उप-योग (बी)	**88690.50**	**16867.57**	**19.02**	**92255.81**	**20935.23**	**22.69**
	कुल (ए+बी)	**176912.97**	**29276.96**	**16.55**	**172243.75**	**32589.08**	**18.92**

III. ए. एनपीए में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021		31.03.2020	
दिनांक 1 अप्रैल को सकल एनपीए* (प्रारंभिक शेष)	32589.08		32356.04	
वर्ष के दौरान जुड़ा (नया एनपीए)	6142.34		8150.61	
उप-योग (ए)		**38731.42**		**40506.65**
घटाएं:-				
(i) अपग्रेडेशन	498.63		422.53	
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)* एनपीए की बिक्री	2963.39		3325.85	
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	4809.62		3388.95	
(iv) उपर्युक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे-खाते	1182.82		780.24	
उप-योग (बी)		**9454.46**		**7917.57**
31 मार्च को सकल एनपीए (इति शेष) (ए-बी)		**29276.96**		**32589.08**

बी. तकनीकी बट्टे-खाते तथा वसूली :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों का प्रारंभिक शेष	18204.84	16077.80
जुड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खाते	4809.62	3388.95
उप-योग (ए)	**23014.46**	**19466.75**
घटाएं : वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे-खातों में की गई वसूली (बी)*	536.10	1261.91
दिनांक 31 मार्च को इति शेष (ए-बी)	**22478.36**	**18204.84**

* नियमित बट्टे-खाते में ₹ 128.70 करोड़ (गत वर्ष ₹ 602.27 करोड़) का परिवर्तन शामिल है. ईसीजीसी दावा की ₹ **35.53** करोड की राशि समायोजित की गई एवं अर्जक आस्ति में ₹ 103.58 करोड़ का उन्नयन हुआ है.

IV. ओवरसीज आस्तियाँ, एनपीए तथा राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
कुल आस्तियां	निरंक	निरंक
कुल एनपीए	निरंक	निरंक
कुल आय	निरंक	निरंक

V. इतर तुलन-पत्र प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुरूप समेकित करना आवश्यक है.)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	विदेशी
निरंक	निरंक

VI. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की सं.*	निरंक	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक
3.	तुलनपत्र की तारीख को एमआरआर के अनुपालन में रोके गए एक्सपोजर की राशि	निरंक	निरंक
	ए) इतर तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	फर्स्ट लॉस	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक
	बी) तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	फर्स्ट लॉस	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के लिए एक्सपोजर की राशि	निरंक	निरंक
	ए) इतर तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	i) स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	फर्स्ट लॉस	निरंक	निरंक
	हानि	निरंक	निरंक
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	फर्स्ट लॉस	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक
	बी) तुलनपत्र एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	i) स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	फर्स्ट लॉस	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक
	ii) तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	निरंक	निरंक
	फर्स्ट लॉस	निरंक	निरंक
	अन्य	निरंक	निरंक

*बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेनों से संबंधित एसपीवी को ही रिपोर्ट किया जाय.

VII. इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
(ए)	इंट्राग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	761.28	785.34
(बी)	शीर्ष 20 इंट्राग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि (इस श्रेणी में केवल 5 कम्पनियां हैं)	761.28	785.34
(सी)	उधारकर्ताओं/ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर एवं अंतर्समूह - एक्सपोजन का प्रतिशत	0.29%	0.30%
(डी)	इंट्राग्रुप एक्सपोजर की सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं उस पर विनियामक कार्रवाई, कोई हो	निरंक	निरंक

VIII. जमाकर्ता शिक्षण /जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
डीईएएफ में अंतरण का प्रारम्भिक शेष	536.14	251.15
जोड़े - वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरण	304.16	289.93
घटाएं - दावों के लिए डीईएएफ द्वारा पुनर्भुगतान की राशि	2.95	4.94
डीईएएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	837.35	536.14

अंतर शाखा समामेलन एवं अन्य मिलान के लंबित मिलान, कतिपय कमी/अधिक राशि को अंतरित किया गया है और कतिपय पात्र त्रण बकाया राशि को अभी तक नहीं भेजा गया है.

9. तरलता कवर

एलसीआर प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

		31.03.2021		31.03.2020	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)		127723		105871.78
नकद बहिर्वाह					
2	रिटेल जमाएं एवं लघु व्यवसायी ग्राहको से जमाएं जिनमें:				
(i)	स्थिर जमाएं	155504.74	7775.24	75907.10	3795.46
(ii)	कम स्थिर जमाएं	136269.59	13626.96	193480.79	19348.25
3	अराक्षित थोक निधियाँ जिनमें:				
(i)	परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर परिचालनात्मक जमाएं (सभी प्रतिपक्ष)	29448.04	12746.65	32079.03	15371.13
(iii)	अरक्षित कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00
4	रक्षित थोक निधियन		0.00		0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिनमें				
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर एवं अन्य सम्पार्श्विक एक्सपोजर सम्बन्धी बहिर्वाह	4560.93	4560.93	5365.36	5413.51
(ii)	कर्ज उत्पादों के निधियन पर हानि सम्बन्धी बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएँ	14381.12	2095.55	18715.68	2137.63
6	अन्य अनुबन्धीय निधियन दायित्व	2422.70	2422.70	1803.78	1822.30
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	45067.76	1361.37	19589.34	655.41
8	**कुल नकद बहिर्वाह**		**44589.39**		**48553.68**
नकद अंतर्वाह					
9	रक्षित उधारियां (अर्थात रिवर्स रेपो)	16428.28	0.00	7653.67	0.00
10	पूर्णत: कार्यनिष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह	2470.64	2470.64	2287.16	2287.16
11	अन्य नकद अंतर्वाह	10973.25	9107.67	17853.64	13450.31
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**29872.17**	**11578.30**	**27794.46**	**15737.46**
			कुल समयोजित मूल्य		**कुल समायोजित मूल्य**
13	**कुल एचक्यूएलए**		**127723.11**		**105871.78**
14	**कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह**		**33011.09**		**32816.22**
15	**तरलता कवरेज अनुपात (%)**		**386.91**		**322.62**

एलसीआर गुणात्मक प्रकटीकरण

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक लचीला करने के लिए बासल समिति के प्रमुख सुधारों में से एक है. एलसीआर से अपेक्षित है कि वित्तीय एवं आर्थिक दबाब से उत्पन्न झटकों का सामना करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता बढ़ेगी. इसपकार वित्तीय क्षेत्र से वास्तविक अर्थव्यवस्था की जोखित इससे कम होगी. बैंक की तरलता जोखिम प्रबंधन, निदेशक मंडल द्वारा आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति के अनुमोद होने से यह अधिशासित होती है. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ लागू किया गया है कि कोई भी बैंक भारग्रस्त रहित उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) के पर्याप्त स्तर को बनाए रखेगा, जो महत्वपूर्ण गंभीर तरलता दबाब परिदृश्य के अंतर्गत 30 कैलेन्डर दिवस की अवधि के लिए तरलता जरूरतों को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तन कर सकता है.

चलनिधि कवरेज अनुपात की गणना बैंक में उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) के स्टॉक की 30 दिन की दबाबग्रस्त अवधि के कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह द्वारा की जाती है.

<table>
<tr><th colspan="3">चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) गुणात्मक प्रकटीकरण</th></tr>
<tr><th colspan="2">एलसीआर के लिए आवश्यक प्रमुख मदें</th><th>व्याख्यात्मक टिप्पणियां</th></tr>
<tr><td>ए</td><td>एलसीआर परिणामों के प्रमुख संचालक एवं एलसीआर की गणना की निविष्टियों के योगदान का मूल्यांकन</td><td>एलसीआर परिणामों के मुख्य संचालक है
1. एलसीआर के संचालकों में उच्च गुणवत्ता तरल परिसम्पत्ति एक प्रमुख संचालक है. एचक्यूएलए का एक बड़ा घटक है- सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) एवं एलसीआर के अंतर्गत तरलता की सुविधा का उपयोग करना. एचक्यूएलए को प्रभावित करने वाले अन्य घटक है - सरकारी प्रतिभूतियों / सरकार द्वारा गारंटीकृत में निवेश करना.
2. एलसीआर संचालक का एक अन्य प्रमुख घटक नकदी बहिर्वाह भी है. नकदी बहिर्वाह के प्रमुख घटकों में, कम स्थाई रिटेल जमा अन्य विधिक इकाईयों से निधियन एवं शुद्ध डेरिवेटिव नकद बहिर्वाह.
3. एलसीआर संचालन का एक अन्य प्रमुख घटक नकद अंतर्वाह भी है. नकद अंतर्वाह के मुख्य घटक है - अन्य पक्ष द्वारा अंतर्वाह तथा शुद्ध डेरिवेटिव नकद अंतर्वाह.</td></tr>
<tr><td>बी.</td><td>अंतरावधि परिवर्तन एवं समयान्तराल में परिवर्तन</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>सी.</td><td>एचक्यूएलए की संरचना</td><td>एचक्यूएलए में निम्नलिखित होते है -
1. स्तर 1 परिसम्पत्तियां जिनमें एसएलआर निवेशों (रेपो, सीबीएलओ, एमएसएफ, सीआरओएमएस के विरुद्ध ऋणग्रस्त, आरटीजीएस, एसजीएफ, एमसीएक्स, एनएससीसीएल इत्यादि के लिए रेहन रखी अन्य प्रतिभूतियां) का आधिक्य, एमएसएफ के लिए लागू एनडीटीएल (एफएएलएलसीआर) का 2% एवं भारिबैं के दिशानिर्देशानुसार एनडीटीएल का 15.00% भारिबैंक के परिपत्र सं. भारिबैंक/2018-19/164 डीबीआर.बीपी.बीसी. सं. 34/21.04.098/ 2018-19 दिनांक 04.04.2019 होता है.
2. स्तर 2ए परिसम्पत्तियां जिनमें राज्य सरकारों द्वारा जारी विशेष (डिस्कॉम) बॉंडस, राज्य उर्जा संवितरण कंपनियों द्वारा जारी बॉंड्स, वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम.
3. स्तर 2बी परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर बीबीबी से ए+ की रेटिंग वाले बॉंड्स होते है.
4. स्तर 2बी परिसम्पत्तियों में वित्तीय कम्पनियों को छोड़कर निफ्टी /सेंसेक्स शेयर भी शामिल होते है.</td></tr>
<tr><td>डी.</td><td>निधियन स्रोतों का संकेन्द्रीकरण</td><td>बैंक द्वारा अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी के निधियन, प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्पाद / लिखत, प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर सतत निगरानी रखकर निधियन संकेन्द्रीकरण किया जाता है (''महत्वपूर्ण'' से तात्पर्य बैंक की देयताओं की 1% से अधिक राशि से है)</td></tr>
</table>

ई.	डेरिवेटिव एक्सपोजर्स एवं सम्भाव्य सम्पार्श्विक कॉल्स	बैंक के डेरिवेटिव एक्सपोजर में निम्नलिखित होते है - 1. ओटीसी डेरिवेटिव्स ए) फॉरवर्ड्स बी) करेंसी स्वैप्स सी) ब्याज दर स्वैप्स 2. एक्सचेंज ट्रेडेड डेरीवेटिव्ज ए) करेंसी फ्यूचर बी) ब्याज दर फ्यूचर सम्भाव्य सम्पार्श्विक कॉल्स तब सक्रिय होते है जब लेनदेन एक्सचेंज में होता है अथवा उनका निपटान केन्द्रीय प्रतिपक्ष द्वारा किया जाता है और ये गारंटीकृत होने के साथ साथ प्रतिपक्षी पार्टियों में आईएसडीए मास्टर एग्रीमेंट का अनुलग्नक क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स (सीएसए) हस्ताक्षरित किया होता है. करेंसी फ्यूचर्स एवं ब्याज दर फ्यूचर के अंतर्गत बैंक, व्यापार के एक्सपोजर के लिए सम्पार्श्विक (जी-सेक) के रूप में मार्जिन रखते है जो एक्सपोजर की राशि एवं बाजार की उथलपुथल पर आधारित होता है. हमारे सभी अंतर बैंक यूएसडी /आईएनआर स्वैप्स एवं फॉरवर्ड्स का निपटान सीसीआईएल के माध्यम से किया जाता है जो एक केन्द्रीय काउंटर पार्टी (सीसीपी) है. बैंक, अंतर बैंक यूएसडी / आईएनआर स्वैप्स एवं फॉरवर्ड्स के गारंटीशुदा निपटान के लिए सीसीआईएल में सम्पार्श्विक (जी-सेक) के रूप में मार्जिन रखता है. मार्जिन राशि, एक्सपोजर राशि एवं संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है. अतिरिक्त मार्जिन, एक्सचेंज/ सीसीपी के साथ, जैसे और जब इसकी माँग की जाती है, इसे किया जाता है. वर्तमान में बैंक का किसी अन्य पार्टी के साथ क्रेडिट सपोर्ट एनेक्स नहीं है इसलिए किसी संभाव्य संपार्श्विक की मांग नहीं होगी.
एफ.	एलसीआर में मुद्रा का बेमेल होना	सम्भाव्य मुद्रा के बेमेल को रोकने के लिए एलसीआर में प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्रा पर नजर रखी जाती है. कोई मुद्रा "महत्वपूर्ण तब कहलाती है जब उस मुद्रा में धारित कुल देयताएं बैंक की कुल देयताओं के 5% या उससे अधिक हो जाती है. बैंक में फिलहाल मुद्रा का कोई बेमेल नहीं है क्योंकि हमारा ''महत्वपूर्ण'' में एक्सपोजर नहीं है.
जी.	तरलता प्रबंधन केन्द्रीकरण की मात्रा एवं ग्रुप की ईकाइयों के बीच संबंध	बैंक का तरलता प्रबंधन केन्द्रीकृत है जिस पर एएलएम एवं ट्रेजरी टीम द्वारा निगरानी रखी जाती है. ट्रेजरी, सीबीएस, एएलएम टीम एवं अन्य कार्यमूलक ईकाइयों में सुचारु संबंध है.
एच.	एलसीआर की गणना में अन्य अंतर्वाह एवं बहिर्वाह जो साधारणतया एलसीआर की पकड़ में नहीं आते है परंतु संस्था द्वारा इन्हें अपनी तरलता प्रोफाइल के संबंध में संगत समझा जाता है.	कोई नहीं.
आई.	अन्य सूचना	कोई नहीं.

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए औसत एलसीआर 417.10% रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही में यह 312.43% था और यह 100% की वर्तमान निर्धारित न्यूनतम अपेक्षा से ऊपर रहा. दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए औसत एचक्यूएलए 129693 करोड था, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए यह 110509 करोड था.

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए औसत एलसीआर 386.91% रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए यह 322.62% था.

10. अन्य प्रकटीकरण

बीमा व्यवसाय :

वर्तमान वर्ष के दौरान बैंकएश्युरेंस व्यवसाय के संबंध में शुल्क/परिलब्धियाँ निम्नानुसार रहीं:

विवरण	31.03.2021		31.03.2020	
	पॉलिसियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पॉलिसियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
जीवन बीमा	78385	50.78	74447	31.22
गैर-जीवन बीमा	273976	11.59	223167	8.32
योग	**352361**	**62.37**	**297614**	**39.54**

11. दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंस ऑफ इंडिया के द्वारा जारी लेखा मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रकट की गई है:

ए) लेखांकन मानक- 9

नई लेखांकन नीति क्र. 8 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की की गई है. तथापि, कथित आय को महत्त्वपूर्ण नहीं माना गया है.

बी) लेखांकन मानक - 15 ''कर्मचारी लाभ''

i. सुपरिभाषित अंशदान योजना

प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत की गई और लेखापरीक्षकों द्वारा उस पर विश्वास व्यक्त किया गया.

कर्मचारी पेंशन योजना एवं ग्रेच्युइटी योजना

बैंक द्वारा नियुक्त किए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपचित मूल्यांकन के अनुसार सुपरिभाषित लाभ योजनाओं और ग्रेच्युइटी योजना की स्थिति निम्नलिखित सारिणी में दी गई है.

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युइटी योजना	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
सुपरिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	वि.व. (20-21)	वि.व. (19- 20)	वि.व. (20-21)	वि.व. (19- 20)
1 अप्रैल 2020 को सुपरिभाषित लाभ दायित्व का प्रारंभ शेष	**15,421.82**	**14,245.10**	**1,623.23**	**1,648.13**
चालू सेवा लागत	78.11	71.81	82.84	64.61
ब्याज लागत	1,000.65	1,108.27	101.61	128.39
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
उपचित हानियां (लाभ)	598.99	1,187.72	244.23	82.98
प्रदत्त लाभ	(1,541.90)	(1,191.08)	(325.24)	(300.88)
बैंक द्वारा सीधे भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च 2021 को सुपरिभाषित लाभ दायित्व का अंतिम शेष	**15,557.68**	**15,421.82**	**1,726.67**	**1,623.23**

(₹ करोड़ में)

योजना आस्तियों में परिवर्तन	चालू वर्ष वि.व. (20-21)	पूर्व वर्ष वि.व. (19- 20)	चालू वर्ष वि.व. (20-21)	पूर्व वर्ष वि.व. (19- 20)
1 अप्रैल 2020 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का प्रारंभ शेष	**14,939.64**	**14,645.14**	**1,720.32**	**1,878.26**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1,037.01	1,139.39	106.55	146.32
नियोक्ता द्वारा अंशदान	487.00	0.00	0.00	0.00
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(1,541.90)	(1,191.08)	(325.24)	(300.88)
योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि)	276.30	346.19	32.99	(3.38)
31 मार्च 2021 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का अंतिम शेष	**15,198.05**	**14,939.64**	**1,534.62**	**1,720.32**

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	चालू वर्ष वि.व. (20-21)	पूर्व वर्ष वि.व. (19- 20)	चालू वर्ष वि.व. (20-21)	पूर्व वर्ष वि.व. (19- 20)
31 मार्च 2021 को निधिबद्ध दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,557.68	15,421.82	1,726.67	1,623.23
31 मार्च, 2021 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	(15,198.05)	(14,939.64)	(1,534.62)	(1,720.32)
कमी/(आधिक्य)	359.63	482.18	192.05	(97.09)
शुद्ध देयता/(आस्ति)	359.63	482.18	**192.05**	**(97.09)**

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि खाते में अभिचिन्हित शुद्ध लागत	चालू वर्ष वि.व. (20-21)	पूर्व वर्ष वि.व. (19- 20)	चालू वर्ष वि.व. (20-21)	पूर्व वर्ष वि.व. (19- 20)
चालू सेवा लागत	78.11	71.81	82.84	64.61
ब्याज लागत	1,000.65	1,108.27	101.61	128.39
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(1,037.01)	(1,139.39)	(106.55)	(146.32)
वर्ष के दौरान अभिचिन्हित शुद्ध उपचित हानियां/(लाभ)	322.69	841.53	211.24	86.36
अनुसूची 16 ''कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान'' में शामिल सुपरिभाषित लाभ योजनाओं की कुल लागत	**364.45**	**882.22**	**289.14**	**133.04**

(₹ करोड़ में)

योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल एवं वास्तविक प्रतिफल का मिलान	चालू वर्ष वि.व. (20-21)	पूर्व वर्ष वि.व. (19- 20)	चालू वर्ष वि.व. (20-21)	पूर्व वर्ष वि.व. (19- 20)
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1,037.01	1,139.39	106.55	146.32
योजना आस्तियों पर उपचित लाभ/(हानि)	276.30	346.19	32.99	(3.38)
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	**1,313.31**	**1,485.58**	**139.54**	**142.94**

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में अभिचिन्हित शुद्ध देयता/(आस्ति) का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान	चालू वर्ष वि.व. (20-21)	पूर्व वर्ष वि.व. (19- 20)	चालू वर्ष वि.व. (20-21)	पूर्व वर्ष वि.व. (19- 20)
1 अप्रैल 2020 को शुद्ध देयता/(आस्ति) का प्रारंभिक शेष	482.18	(400.04)	(97.09)	(230.13)
लाभ एवं हानि खाते में अभिचिन्हित व्यय	364.45	882.22	289.14	133.04
कर्मचारियों का अंशदान	(487.00)	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में अभिचिन्हित शुद्ध देयता/(आस्ति)	**359.63**	**482.18**	**192.05**	**(97.09)**

दिनांक 31 मार्च, 2021 को पेंशन निधियों एवं ग्रेच्युइटी निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं -

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि योजना आस्तियों का %	ग्रेच्युइटी निधि योजना आस्तियों का %
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	0.83	2.81
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	17.75	31.23
ऋण प्रतिभूतियां, मनी मार्केट प्रतिभूतियां एवं बैंक जमाराशियां	23.31	42.90
म्युचुअल निधियां	2.30	4.43
बीमित प्रबंधित निधियां	55.81	18.63
अन्य	0	0
कुल	**100**	**100**

प्रमुख बीमांकिक अनुमान	पेंशन योजनाएं	
	चालू वर्ष वि.व.(20-21)	पूर्व वर्ष वि.व.(19- 20)
बट्टाकृत दर	6.85	6.83
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अपेक्षित दर	6.85	6.83
वेतन बढोत्तरी दर	5.00	5.00
पेंशन बढोत्तरी दर	4.00	0.00
संघर्षण दर	2.50	0.50
मृत्यु दर	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2006-08)

प्रमुख बीमांकिक अनुमान	ग्रेच्युइटी योजनाएं	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
विवरण	वि.व.(20-21)	वि.व.(19- 20)
बट्टाकृत दर	6.55	6.84
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अपेक्षित दर	6.55	6.84
वेतन बढोत्तरी दर	5.00	5.00
संघर्षण दर	2.50	0.50
मृत्यु दर	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2006-08)

योजना में आधिक्य/कमी

(₹ करोड़ में)

ग्रेच्युइटी योजना	**वर्ष समाप्ति पर**				
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2021**
वर्ष के अंत में देयता	1,847.13	1,741.56	1,648.13	1,623.23	1,726.66
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,656.73	2,124.94	1,878.26	1,720.32	1,534.62
अंतर	190.40	(383.38)	(230.13)	(97.09)	192.04
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	**190.40**	**(383.38)**	**(230.13)**	**(97.09)**	**192.04**

(₹ करोड़ में)

अनुभव समायोजन	**वर्ष समाप्ति पर**				
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2021**
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	318.59	(511.99)	(29.08)	(6.34)	249.60
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	9.91	14.57	(42.56)	(3.38)	32.99

योजना में आधिक्य/कमी

(₹ करोड़ में)

पेंशन योजना	**वर्ष समाप्ति पर**				
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2021**
वर्ष के अंत में देयता	12,484.08	13,821.17	14,245.10	15,421.82	15,557.67
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	12,420.00	13,515.58	14,645.14	14,939.64	15,198.04
अंतर	64.08	305.59	(400.04)	482.18	359.63
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	**64.08**	**305.59**	**(400.04)**	**482.18**	**359.63**

(₹ करोड़ में)

अनुभव समायोजन	**वर्ष समाप्ति पर**				
तुलन पत्र में अभिचिन्हित राशि	**31.03.2017**	**31.03.2018**	**31.03.2019**	**31.03.2020**	**31.03.2021**
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	1,053.22	1,029.93	422.24	12.65	2,279.00
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	25.11	263.51	(72.66)	346.19	276.30

अगले वर्ष के लिए पेंशन एवं गेच्युटी निधि में अपेक्षित अंशदान क्रमशः ₹ 359.63 करोड तथा ₹ 105.80 करोड है.

ii) <u>**सुपरिभाषित अंशदान योजना :**</u>

बैंक के पास ऐसे सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू सुपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है, जिन्होंने बैंक में दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण किया है. यह योजना एनपीएस द्वारा पेंशन फंड रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट ॲथारिटी के तत्वावधान के अंतर्गत आती है. नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को एनपीएस हेतु सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी नियुक्त किया गया है. वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने ₹ 103.67 करोड़ का अंशदान दिया है. (विगत वर्ष ₹ 91.85 करोड़).

iii) दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अवित्तीय दायित्व)

वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 131.20 करोड (गत वर्ष ₹ 99.27 करोड़) के अवकाश नकदीकरण खर्चों का उपचित आधार पर मूल्यांकन किया है.

सी) लेखांकन मानक 17 - खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के संशोशित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में

ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/संपूर्ण बैंकिंग रिटेल बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय निर्धारण किया है.

द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.

व्यवसाय खंड

(₹ करोड में)

व्यवसाय खंड	कोषालय		कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
राजस्व	12601.19	12252.52	6596.13	7212.85	6700.12	7733.92	-‘	-	25897.44	27199.29
परिणाम	4004.01	2380.29	(3825.59)	(2802.95)	(1295.31)	(333.55)			(1116.89)	(756.22)
अनाबंटित खर्चे									206.72	153.27
परिचालन लाभ									(1323.61)	(909.40)
आयकर									(436.03)	211.86
असाधारण लाभ/हानि										
शुद्ध लाभ									(887.58)	(1121.34
अन्य सूचना										
खंडवार आस्तियां	192414.73	176075.99	80425.43	82540.75	80102.83	82542.57			352942.98	341159.31
अनाबंटित आस्तियां									16272.00	15276.55
कुल आस्तियां									369214.99	356435.86
खंडवार देयताएं	197847.44	181122.41	72576.79	77633.98	72285.67	76250.00			342709.90	335006.39
अनाबंटित देयताएं										
कुल देयताएं									342709.90	335006.39
पूंजी विनियोजित	(5432.71)	(5046.42)	7848.64	4906.78	7817.16	6292.56			10233.09	6152.92
अनाबंटित									16272.00	15276.55
कुल विनियांजित पूंजी									26505.09	21429.47

* जहाँ प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, वहाँ खंडवार आस्तियों के आधार पर खंडवार राजस्व एवं खर्चों का विनियोजन किया गया है. वर्तमान वर्ष के वर्गेकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है.

ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं.

iii) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश सहित) की सीमा तक के सभी निवेश शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, विवरण मानदंड तथा वैयक्तिक निवेश के अधीन है.

iv) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं.

v) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं.

vi) रिटेल बैंकिंग सेगमेंट प्राइमरी संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियो के लिए रिटेल बैंकिंग सेगमेंट के पूरक का कार्य करता है.

डी. लेखा मानक 18 के अनुसार सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण - सम्बद्ध पार्टी

1. सम्बद्ध पार्टियों की सूची :

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	पदनाम
i)	श्री एम. वी. राव (दिनांक 01.03.2021 से)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ii)	श्री पल्लव महापात्र (दिनांक 28.02.2021 तक)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
iii)	श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री विवेक वाही (दिनांक 10.03.2021 से)	कार्यपालक निदेशक
v)	श्री राजीव पुरी (दिनांक 10.03.2021 से)	कार्यपालक निदेशक
vi)	श्री बी.एस. शेखावत (दिनांक 08.10.2020 तक)	कार्यपालक निदेशक

(बी) अनुषंगियाँ

i)	सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
ii)	सेन्ट बैंक फाइनैंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड

(सी) सहयोगी

(i)	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**
i)	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)
ii)	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (पश्चिम बंगाल)
(ii)	**इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड, जाम्बिया**

2. सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन

प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रदत्त पारिश्रमिक :

(₹ करोड में)

नाम	पदनाम	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	
		31.03.2021	**31.03.2020**
श्री एम. वी. राव (दिनांक 01.03.2021 से)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	0.02	-
श्री पल्लव महापात्र (दिनांक 28.02.2021 तक)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	0.94	0.32
श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	0.27	0.26
श्री विवेक वाही (दिनांक 10.03.2021 से)	कार्यपालक निदेशक	0.01	-
श्री राजीव पुरी (दिनांक 10.03.2021 से)	कार्यपालक निदेशक	0.01	-
श्री बी. एस. शेखावत (दिनांक 08.10.2020 तक)	कार्यपालक निदेशक	1.30	0.28
श्री पी. आर. मूर्ती (दिनांक 16.02.2020 तक)	कार्यपालक निदेशक	-	0.83
कुल		**2.55**	**1.69**

नोट: आईसीएआई द्वारा जारी एएस-18 के पैरा 9 के अनुरूप, 'सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण' के अनुसार अनुषंगियों एवं सहायक उद्यमों के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि यह राज्य नियंत्रित उद्यम द्वारा किसी अन्य सम्बद्ध राज्य नियंत्रित उद्यम से सम्बंधित लेनदेन के प्रकटीकरण न करने की छूट देता है.

साथ ही, केएमपी एवं केएमपी के रिश्तेदारों को एएस-18 के पैरा 5 के अनुसार प्रकटीकरण नहीं किया गया है, के सहित बैंकर-ग्राहक सम्बंध की प्रकृति के अनुरूप लेनदेन हैं.

ई) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना निम्नानुसार हुई है :

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	(887.58)	(1121.35)
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	5793798207	4666040090
प्रति शेयर मूल आय (₹)*	(1.53)	(2.40)
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)*	(1.53)	(2.40)
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10	10

* चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, आंकड़ों को फिर से परिभाषित किया गया है.

एफ) लेखांकन मानक 22-आय पर करों के लिए लेखांकन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीईटी1 की परिगणना में आस्थागित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन एवं प्रावधानीकरण की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समयांतरण के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा अनुमानित संभाव्य कर लाभ के आधार पर की गई समीक्षा से दिनांक 31 मार्च, 2021 को ₹ 7545.68 करोड़ आस्थागित कर आस्तियों के रूप में अभिचिन्हित किए गए हैं. दिनांक 31 मार्च, 2021 को आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड में)

विवरण	आस्थागित कर आस्तियाँ		आस्थागित कर देयताएँ	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
व्यवसाय हानि	2278.67	1591.74	0.00	0.00
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	331.41	285.56	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	5810.18	6579.73	0.00	0.00
सेवांत लाभ	0.00	0.00	0.00	33.93
उपचित ब्याज, लेकिन निवेश पर देय नहीं	0.00	0.00	787.93	695.83
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि	0.00	0.00	34.94	34.94
अचल संपत्तियों पर ह्रास	0.00	0.00	51.71	75.53
योग	**8420.26**	**8457.03**	**874.58**	**840.23**
शुद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ देयताएं	**7545.68**	**7616.80**		

लाभ-हानि खाते में वर्ष 2020-21 के लिए आस्थागित कर आस्तियों में शुद्ध बढ़ोत्तरी ₹ 71.12 करोड़ (पिछ्ले वर्ष ₹ 277.21 करोड़) अभिचिन्हित की गई है.

जी) लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियाँ है, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक-28 लागू नहीं है. प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2021 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है. जिसे मानक आस्तियों के अनुसार मान्य करने की आवश्यकता है.

एच) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर- लेखांकन मानक 29

(i) प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

(₹ करोड़ में)

लाभ-हानि खाते के शीर्ष 'व्यय" के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का विश्लेषण	31.03.2021	31.03.2020
निवेश पर प्रावधान/मूल्यह्रास (शुद्ध)	398.66	1065.54
एनपीए हेतु प्रावधान	5128.99	4229.40
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	263.16	172.35
कर हेतु किए गए प्रावधान	(436.03)	211.86
पुनर्गठित ऋणों पर प्रावधान	76.49	(158.82)
अन्य प्रावधान	86.33	(54.83)
कुल	**5517.61**	**5465.50**

(ii) अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	100.56	100.56
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की प्रमात्रा	-	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	-
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	100.56	100.56

(iii) **प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर :**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
ए	प्रतिचक्रीय प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	47.34	47.34
बी	लेखा वर्ष में किए गए प्रतिचक्रीय प्रावधानों की प्रमात्रा	-	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	-
डी	प्रतिचक्रीय प्रावधान खाते में अंतिम शेष	47.34	47.34

12. शिकायतों के विवरण :

प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुति पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास अभिव्यक्त किया गया.

बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त की गई शिकायतें (एटीएम एवं सेन्ट्रल कार्ड को छोड़कर)

	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित शिकायतों की संख्या	425	321
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	23812	15208
3	वर्ष के दौरान निवारण शिकायतों की संख्या	24075	15104
3.1	इनमें से, बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	-	-
4	वर्ष के अंत में लम्बित शिकायतों की संख्या	162	425

एटीएम लेनदेनों से सम्बंधित बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित शिकायतों की संख्या	9865	2656
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	190146	288818
3	वर्ष के दौरान निवारण शिकायतों की संख्या	195792	281609
3.1	इनमें से, बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	21442	13934
4	वर्ष के अंत में लम्बित शिकायतों की संख्या	4219	9865

सेन्ट्रल कार्ड लेनदेनों से सम्बंधित बैंक को प्राप्त शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित शिकायतों की संख्या	0	0
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2354	2166
3	वर्ष के दौरान निवारण शिकायतों की संख्या	2354	2166
4	वर्ष के अंत में लम्बित शिकायतों की संख्या	0	0

निवेशकों की शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	0	0
2	वर्ष के दौरान प्राप्त	2	65
3	वर्ष के दौरान निवारण	2	65
4	वर्ष के अंत में लम्बित शिकायतों की संख्या	0	0

ओबीओ से बैंक को प्राप्त पोषणीय शिकायतें

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1	ओबीओ से बैंक को प्राप्त पोषणीय शिकायतें	5383	3460
1.1	1 में से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में प्राप्त शिकायतों की संख्या	4017	2687
1.2	1 में से, बीओ द्वारा समझौते/चर्चा/सलाह के माध्यम से निवारण की गई शिकायतों की संख्या	1021	560
1.3	1 में से, बैंक के विरुद्ध बीओ द्वारा पारित निर्णय के बाद निवारण शिकायतों की संख्या	2	2
2	निर्धारित समयसीमा के भीतर पारित निर्णयों का क्रियान्वयन न किए जाने की संख्या (अपील को छोड़कर)	0	0

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शीर्ष पांच शिकायतों का आधार : वर्तमान वर्ष (2020-21)

शिकायतों का आधार (अर्थात शिकायतों का विषय)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	गत वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी का %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिन से अधिक की शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
एटीएम लेनदेन	9865	190146	(-) 34.16%	4219	0
इंटरनेट/मोबाइल/ई-बैंकिंग	25	2485	(+) 113.85%	3	0
शाखा आदि में ग्राहकों के लिए विजिट की सुविधा	17	2145	(+) 64.49%	3	0
खाता खोलने/ खाता के परिचालन में कठिनाई-सामान्य बैंकिंग	17	1769	(+) 94.61%	2	0
ऋण एवं अग्रिम	8	551	(+) 89.34%	2	0
अन्य	358	16862	(+) 46.09%	152	0

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शीर्ष पांच शिकायतों का आधार : गत वर्ष (2019-20)

शिकायतों का आधार (अर्थात शिकायतों का विषय)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	गत वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/ कमी का %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिन से अधिक की शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
एटीएम लेनदेन	2656	288818	(-)7.00%	9865	0
इंटरनेट/मोबाइल/ई-बैंकिंग	16	1162	(+)10.46%	25	0
शाखा आदि में ग्राहकों के लिए विजिट की सुविधा	19	1304	(+)9.30%	17	0
खाता खोलने/ खाता के परिचालन में कठिनाई-सामान्य बैंकिंग	21	909	(+)21.36%	17	0
ऋण एवं अग्रिम	2	291	(+)40.57%	8	0
अन्य	263	11542	(+)45.54%	358	0

13. दिनांक 31.03.2021 को बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र एवं बकाया राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र	0.00	0.00
वर्ष के दौरान परिपक्व /निरस्त चुकौती आश्वासन पत्र	0.00	0.00
समाप्त वर्ष पर बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	0.00	0.00

उपर्युक्त उल्लेखित चुकौती आश्वासन पत्र स्वीकृत व्यापार साख सीमा के तहत जारी किए गए हैं.

14. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

तकनीकी अपलिखित करने के साथ पीसीआर (प्रावधान-सकल एनपीए अनुपात) 82.54% (गत वर्ष 77.29%)

बगैर तकनीकी अपलिखित के साथ पीसीआर (प्रावधान-सकल एनपीए अनुपात) 69.13% (गत वर्ष 64.61%)

15. प्रबंधतंत्र द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वे वेंडर्स, जिनकी सेवाएँ बैंक द्वारा ली गई, का चयन वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत किया गया हैं. इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

16. **अरक्षित विदेशी मुद्रा का एक्सपोजर**

दिनांक 31.03.2021 को आरक्षित विदेशी मुद्रा का एक्सपोजर ₹ 9340.99 करोड़ हुआ था. (दिनांक 31.03.2020 को यह ₹ 6736.39 करोड़ था)

बैंक ने फॉरेक्स बाजार की अस्थिरता के कारण होने वाले विनियम जोखिम पर भी विचार किया है एवं तदनुसार जोखिम कम करने के लिए उचित प्रावधान किए हैं. बैंक ने अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से होने वाले ऋण जोखिम पर भी विचार किया है एवं तदनुसार जोखिम न्यूनीकरण उपाय किए हैं. यूएफसीई के साथ संस्थाओं को एक्सपोज़र के लिए दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल ₹ 3.53 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.99 करोड़) का प्रावधान किया है.

17. **धोखाधड़ी हेतु प्रावधान :**

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2015-16/376/डीबीआर सं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2016-16 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार धोखाधड़ी एवं प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है -

वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए 1026 मामलों में ₹ 4518.31 करोड़ (गत वर्ष 900 मामलों में ₹ 3993.76 करोड) की कुल धोखधड़ी में से, 131 मामलों में ₹ 4495.19 करोड़ की राशि धोखाधड़ी के रूप में अग्रिमों से सम्बंधित है. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की कई धोखाधड़ी के संबंध में 31 मार्च, 2021 तक बकाया राशि के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है.

18. **ऋण चूक स्वैप**

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट स्वैप पर स्थिति तय नहीं की है. (पिछले वर्ष - निरंक)

19. **सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन**

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ. आईटीसी.बीसी.सं.6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार नीतियां तैयार की हैं. इन नीतियों की प्रबंधतंत्र द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है. इन नीतियों की पिछ्ली समीक्षा दिनांक 26.03.2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा की गई थी.

20. **एनसीएलटी प्रावधानों से संबंधित प्रकटीकरण :-**

भारिबैं के परिपत्र सं. क्रमश: डीबीआर सं. बीपी.15199/21.04.048/ 2016-17 तथा डीबीआर सं. बीपी.1906/21.04.048/2017-18 दिनांक 23.06.2017 और दिनांक 28.08.2017 के अनुसार दिवाला तथा दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए खातों के लिए बैंक ने दिनांक 31.03.2021 को कुल ₹ 6317.12 करोड़ (₹ 127.90 करोड का एफआईटीएल सहित, निवेश सहित कुल बकाया राशि का 97.67% की दर से) का प्रावधान किया है.

21. **दबावग्रस्त आस्तियों का संकल्प**

संकल्प योजना के कार्यान्वयन के लिए दबाबग्रस्त आस्ति के संकल्प हेतु जारी दिशनिर्देश के लिए विवेकसम्मत संरचना पर भारिबैं परिपत्र के पेरा 17 के अनुसार, अतिरिक्त प्रावधान की अपेक्षाओं में भी, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/ 21.04.2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के अनुसार, अपने 4 उधारकर्ताओं के लिए दिनांक 31 मार्च, 2021 तक ₹ 1880.15 करोड़ का एक्सपोजर प्लान लागू किया है. अतिरिक्त प्रावधान करने के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2021 को इस तरह के मामले में बकाया राशि ₹ 2753.53 करोड है और उपर्युक्त भारिबैं परिपत्र के अनुसरण में, बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 406.39 करोड का अतिरिक्त प्रावधान किया है तथा दिनांक 31 मार्च, 2021 को ₹ 1923.16 करोड का कुल प्रावधान किया है.

22. **आस्ति वर्गीकरण में विचलन एवं एनपीए के लिए प्रावधान पर प्रकटीकरण**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारिबैं द्वारा आंकलित आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान के लिए, प्रावधान एवं आकस्मिकता के पूर्व दर्ज लाभ की प्रारंभिक सीमा से 10% अधिक है, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानों में विचलन के संबंध में भारिबैं के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी सं. 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 01.04.2019 निम्नानुसार प्रकटीकरण किया गया है.

क्र सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
1.	दिनांक 31.03.2020 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए सकल एनपीए	32589.08
2.	दिनांक 31.03.2020 को भा.रि.बैं. द्वारा आंकलित सकल एनपीए	32678.08
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	89.00
4.	दिनांक 31.03.2020 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए शुद्ध एनपीए	11534.46
5.	दिनांक 31.03.2020 को भा.रि.बै. द्वारा आंकलित शुद्ध एनपीए	11104.46
6.	शुद्ध एनपीए में विचलन (5-4)	(430.00)
7.	दिनांक 31.03.2020 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए एनपीए के लिए प्रावधान	19872.08
8.	दिनांक 31.03.2020 को भारिबैं द्वारा आंकलित एनपीए के लिए प्रावधान	20391.08
9.	प्रावधान में विचलन (8-7)	519.00
10.	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी)	(1121.35)
11.	प्रावधान में विचलन को शामिल करते हुए दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात समायोजित (काल्पनिक) शुद्ध लाभ (पीएटी)	(1640.35)

दिनांक 31 मार्च, 2021 को बैंक ने इन परिवर्तनों के प्रति आवश्यक प्रावधान किए हैं.

23. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत छूट प्राप्त या पंजीकृत एमएसएमई उधासुत्री से राहत पर, भारिबैं परिपत्र सं. डीबीआर.सं. बीपी. बीसी.18/21.04.048/ 2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019, डीओआर. सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 एवं भारिबैं/2020-21/17 डीओआर सं. बीपी.बीसी.14/21.04.048/ 2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2021 को पुनर्गठित एमएसएमई खातों के विवरण निम्नानुसार हैं.

पुनर्रचित खातों की संख्या	राशि करोड़ में
24569	1722.76

24. कोविड-19 विनियामक पैकेज के संबंध में प्रकटीकरण-भारिबैं परिपत्र दिनांक 17.04.2020 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान

भारिबैंक ने अपने अधिसूचना संख्या भारिबैंक/2019-20/186 डीओआर सं.बीपी.बीसी.47/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 27 मार्च, 2020 के माध्यम से कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अवरोधों से बने ऋण भार को कम करने और उद्योगों की निरंतरता को सुनिश्चित करने हेतु उपाय घोषित किए हैं. इन उपायों में भुगतानों को पुनर्निधारित करना-मियादी ऋण तथा कार्यशील पूँजी सुविधाएँ, कार्यशील पूँजी वित्तीयन को सुलभ बनाने, विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) और गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) आदि का वर्गीकरण शामिल है.

कोविड-19 से संबंधित, भारिबैं ने अपने परिपत्र सं. डीओआर सं. बीपी.बीसी.63/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 17.04.2020 एवं डीओआर सं. बीपी. बीसी.71/21.04.048/ 2019-20 दिनांक 23.05.2020 द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने सभी मानक के रूप में वर्गीकृत पात्र उधारकर्ताओं के दिनांक 01 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक देय सभी किस्तों और/अथवा ब्याज, जो भी लागू हो, ऐसे खाते भी, जो 29 फरवरी, 2020 को अतिदेय हो गए हैं, के भुगतान के लिए अधिस्थगन अवधि प्रदान की है. इन सभी खातों के लिए जहाँ यह अधिस्थगन अवधि प्रदान की गई है, आस्ति वर्गीकरण अधीस्थगन अवधि (अर्थात आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंडों के तहत आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए अधीस्थगन अवधि में पिछ्ले देय दिनों की संख्या शामिल नहीं की जाए) के दौरान यथा स्थिति रहेगी. भारिबैं द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2020 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण को नीचे दिया गया है.

क्र सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
1.	एसएमए/अतिदेय श्रेणी से संबंधित राशि, जहाँ अधीस्थगन अवधि/मोहलत बढाई गई है (दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति).	33577.18
2.	संबंधित राशि, जहाँ आस्ति वर्गीकरण लाभ बढाए गए हैं.	3030.94
3.	वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान	143.25
4.	वित्तीय वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान	161.75
5.	स्लिपेज के समक्ष समायोजित प्रावधान (उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 के अनुसार (एनपीए एवं पुनर्गठित)	305.00
6.	उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 के अनुसार दिनांक 31.03.2021 को रखे अवशिष्ट प्रावधान	निरंक

25. ''कोविड-19 नियामक पैकेज की समाप्ति के बाद परिसंपत्ति वर्गीकरण और आय मान्यता'' पर आरबीआई के परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देश के अनुसार, बैंक उन सभी उधारकर्ताओं सहित सभी उधारकर्ताओं को वसूल किए गए "ब्याज पर ब्याज" को वापस/समायोजित करेगा जो अधिस्थगन अवधि अर्थात दिनांक 01.03.2020 से 31.08.2020 के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाओं की, भले ही अधिस्थगन का पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ उठाया गया हो या नहीं लिया गया हो. इन निर्देशों के अनुसरण में, विभिन्न सुविधाओं के लिए वापस की जाने वाली/समायोजित की जाने वाली राशि की गणना की पद्धति को इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा अन्य उद्योग प्रतिभागियों/ निकायों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसे सभी ऋणदाता संस्थान द्वारा अपनाया जाएगा. तदनुसार, आईबीए ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार धन वापसी/समायोजन के लिए अंतिम रूप दी गई कार्यप्रणाली को सूचित किया है.

तदनुसार, बैंक ने इसके प्रति ₹ 50.34 करोड़ की अनुमानित देनदारी बनाई है और इसे दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए ब्याज आय से घटा दिया है.

26. वर्ष के दौरान बेचे गए/खरीदे गए पीएसएलसी एवं सृजित आय/व्यय के विवरण निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	कृषि		सामान्य		सूक्ष्म		छोटे एवं मझले कृषक		कुल मात्रा (₹ करोड़ में)	कुल लाभ/ हानि
माह	मात्रा (₹ करोड़ में)	लाभ /हानि	मात्रा (₹ करोड़ में)	लाभ /हानि	मात्रा (₹ करोड़ में)	लाभ/हानि	मात्रा (₹ करोड़ में)	लाभ/ हानि		
मई 20			(5,050.00)	22.69	-	-	(350.00)	6.34	(350.00)	6.34
जून 20			(9,000.00)	14.90	-	-	(4,650.00)	83.06	(9,700,.00)	105.74
मार्च 21					-	-	(3,000.00)	39.35	(12,000.00)	54.25
कुल योग			**(14050.00)**	**37.58**	-	-	**8000.00**	**128.75**	**(22,050.00)**	**166.33**

नोट : (-) ऋण पीएसएलसी की बिक्री का संकेत तथा (+) पीएसएलसी की खरीद का संकेत देता है.

उपरोक्त श्रेणियों के पीएसएलसी की कमिशन दर 0.43% से 1.98% है.

27. दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कोविड-19 से सम्बंधित दबावग्रस्त आस्ति के लिए संकल्प फ्रेमवर्क 1.0 के अंतर्गत, पुनर्गठित खातों के विषय में प्रकटीकरण

प्रारूप - ए

उधारकर्ता का प्रकार	(ए) खातों की संख्या, जिनमें इस व्यवस्था के तहत संकल्प योजना क्रियान्वित की गई है	(बी) योजना (ए) के कार्यान्वयन से पूर्व उल्लिखित खातों का एक्सपोजर	(सी) (बी) में से, ऋण की समेकित राशि, जो अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित हुई	(डी) इस योजना और कार्यान्वयन को वापस लेने सहित, अतिरिक्त निधि स्वीकृत, यदि कोई है,	(ई) संकल्प योजना के कार्यान्वयन वाले खातों पर प्रावधान में वृद्धि
वैयक्तिक ऋण	872	99.85	निरंक	निरंक	9.18
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	1	100.00	निरंक	निरंक	10.00
इनमें से एमएसएमई	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
अन्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
कुल	**873**	**199.85**	**निरंक**	**निरंक**	**19.18**

*दिवाला और शोधन अक्षमता कोड 2016 की धारा 3(7) में यथापरिभाषित

28. कोरोना विषाणू (कोविड-19) महामारी के भारत सहित वैश्विक प्रकोप के परिणामस्वरुप वित्तीय बाजारों में अस्थिरता तथा आर्थिक गतिविधियों में मंदी आयी है. कोविड-19 महामारी का प्रभाब बैंक के वित्तीय परिणामों पर किस हद तक होगा; यह भावी घटना क्रमों पर निर्भर है, जो अत्याधिक अनिश्चित है. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न इस अनिश्चितता के होते हुए समूह भावी वित्तीय स्थितियों में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन पर निरंतर निगरानी कर रहा है, जिसका प्रभाव समूह के परिचालन और उसके वित्तीय परिणामों पर भविष्य में घटनाक्रमों के अनुसार होगा, जो कि इसके वित्तीय

विवरणियों के अनुमोदन की तारीख पर इसके प्राक्कलनों से भिन्न हो सकता है. वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए और कोविड-19 की स्थिति से, बैंक एकबारगी उपाय के रूप में है, इसके लिए विवेकसम्मत उपाय के रूप में अभिचिन्हित एनपीए खातों में ₹ 1049.84 करोड का प्रावधान किया है.

29. आरक्षित में आहरण द्वारा कमी

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आरक्षित में से आहरण द्वारा कोई कमी नहीं हुई (पिछले वर्ष निरंक).

30. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 13 जून, 2017 के माध्यम से बैंक को उच्च शुद्ध एनपीए के परिप्रेक्ष्य में एवं आस्तियों पर नकारात्मक प्रतिफल के कारण त्वरित सुधारक उपाय (पीसीए) के अंतर्गत रखा है. बैंक अतिसावधानीपूर्वक पीसीए फ्रेमवर्क मानदंडों का अनुपालन कर रहा है. बैंक ने कार्य योजना तैयार की है और एनपीए को कम करने के लिए विभिन्न कदम भी उठाए हैं तथा लाभप्रदता में बढोत्तरी की है.

31. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/ पुन:वर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यकारी निदेशक

विवेक वाही
कार्यकारी निदेशक

राजीव पुरी
कार्यकारी निदेशक

मटम वेंकट राव
प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

श्री पी. जे. थॉमस
निदेशक

श्रीमती मिनी आइप
निदेशक

कृते एएजेवी एण्ड एसोशिएट्स	**कृते एस जयकिशन**	**कृते छाजेड एंड दोशी**	**कृते अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अम्बर्डेकर**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 007739एन	एफ आर सं. 309005ई	एफ आर सं. 101794डब्लू	एफ आर सं. 122063 डब्ल्यू
(सीए जे पी बजाज)	**(सीए विवेक नेवतिया)**	**(सीए नितेश जैन)**	**(सीए सचिन अम्बेकर)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 086390	सदस्यता सं. 062636	सदस्यता सं. 136169	सदस्यता सं. 108911
यूडीआईएन: 21086390एएएएसीओ 4044	यूडीआईएन: 21062636एएएएफवी 1675	यूडीआईएन: 21136169एएएएसीयू7337	यूडीआईएन: 21108911एएएएसीज़ेड8254

स्थान: मुंबई
दिनांक: 7 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2021	31- 03- 2020
ए	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	करों पूर्व लाभ/ (हानि)	**(1,323.61)**	**(909.49)**
I	**समायोजन हेतु :**		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	292.32	285.28
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	398.67	1,065.54
	अशोध्य अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	5,205.48	4,070.58
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	263.15	172.35
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	86.34	(54.83)
	अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) हानि (शुद्ध)	21.00	22.41
	अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	(6.48)	(17.64)
	उप योग	**4,936.87**	**4,634.20**
II	समायोजन हेतु :		
	जमाओं में वृद्धि/(कमी)	16,209.78	13,907.72
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	(318.57)	548.14
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(8,264.10)	8,826.87
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(10,683.25)	(8,646.10)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(6,464.03)	(18,285.01)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	954.48	928.02
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की राशि इत्यादि सहित)	1,641.94	(143.20)
	उप योग	**(6,923.76)**	**(2,863.56)**
	परिचालनात्मक गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	**(1,986.89)**	**1,770.64**
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	2.71	7.18
	अचल आस्तियों की खरीद	(203.11)	(321.51)
	सहयोगी/अनुषंगी से प्राप्त लाभांश	6.48	17.64
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	**(193.92)**	**(296.69)**
सी	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	255.00	3,403.22
	शेयर आवेदन राशि	4,800.00	-
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर्स	-	-
	लाभांश कर	-	-
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	**5,055.00**	**3,403.22**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31- 03- 2021	31- 03- 2020
डी	**नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एफ-ई) में शुद्ध वृद्धि**	2,874.19	4,877.17
ई	**वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य**		
	भारिबै में जमा और जमा शेष	30,059.82	20,779.09
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	6,017.29	10,420.85
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (ई)	**36,077.11**	**31,199.94**
एफ	**अर्द्ध वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष**		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	32,187.84	30,059.82
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	6,763.46	6,017.29
	छमाही के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष (एफ)	**38,951.30**	**36,077.11**

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

मटम वेंकट राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

श्री पी. जे. थॉमस
निदेशक

श्रीमती मिनी आइप
निदेशक

कृते एएजेवी एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 007739एन

(सीए जे पी बजाज)
भागीदार
सदस्यता सं. 086390
यूडीआईएन: 21086390एएएएसीओ 4044

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 309005ई

(सीए विवेक नेवतिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 062636
यूडीआईएन: 21062636एएएएफवी 1675

कृते छाजेड एंड दोशी
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 101794डब्लू

(सीए नितेश जैन)
भागीदार
सदस्यता सं. 136169
यूडीआईएन: 21136169एएएएसीयू7337

कृते अम्बेकर शेलार कर्वे
सनदी लेखाकार
एफ आर सं. 122063डब्ल्यू

(सीए सचिन अम्बेकर)
भागीदार
सदस्यता सं. 108911
यूडीआईएन: 21108911एएएएसीज़ेड8254

स्थान: मुंबई
दिनांक: 7 जून, 2021

दिनांक 31.03.2021 को पिलर 3 (बासल III) प्रकटीकरण

तालिका डीएफ-1 : प्रयोज्य क्षेत्र

(i) **गुणात्मक प्रकटीकरण :**

इस शीट में प्रकटीकरण केवल सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सम्बंधित हैं.

समेकित खातों (वार्षिकत: प्रकट) में, बैंक की अनुषंगी/ सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार है:

ए. समेकन में शामिल समूह निकायों की सूची

संस्था का नाम/ निगमन का देश	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है. (हां/नहीं)	समेकन की विधि बताएं	क्या संस्था समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन की विधि बताएं	समेकन की विधियों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	कारण बताएं यदि समेकन के क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत समेकन किया गया है.
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सेन्ट बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -21 के अनुसार समेकन	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	एशोसिएट : नियामक समेकन के दायरे में नहीं
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	एशोसिएट : नियामक समेकन के दायरे में नहीं
इन्डो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड/ जाम्बिया	हां	अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियों का ए एस -23 के अनुसार समेकन	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम : नियामक समेकन के दायरे में नहीं

बी. समेकन की लेखांकन एवं विनियामक दोनों ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकन हेतु स्वीकार न किए गए समूह निकायों की सूची

संस्था का नाम/ निगमन का देश	संस्था की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	संस्था के पूंजी साधनों में बैंक के निवेशों का नियमन	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार)
ऐसी कोई संस्था नहीं					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी. समेकन हेतु स्वीकार की गई समूह इकाइयों की सूची

संस्था का नाम/ निगमन का देश (उक्त (i) ए.में दर्शाए अनुसार)	संस्था की मूल गतिविधि	तुलनपत्र की कुल इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹ करोड़ में	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार) ₹ करोड़ में
सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि./भारत	कंपनी का प्रमुख उद्देश्य आवास ऋण तथा मॉर्गेज ऋण प्रदान करना है.	25	1187
सेन्ट बैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लि. / भारत	कॉर्पोरेट ग्राहकों को निवेश बैंकिंग उत्पाद/सेवाएं प्रदान करना है.	5	42
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर/ भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	569	18049
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार/ भारत	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	91	4017

डी. सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं है अर्थात् जो घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम : निरंक

ई. बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है: निरंक

एफ. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतर या नियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध या रूकावट: निरंक

तालिका डीएफ-2: पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश:

पूंजी जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय-समय पर पूंजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रख कर पूंजी आयोजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है.

बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया.

बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है जो बैंक को उसके व्यवसाय प्रक्षेपण के संबंध में आने वाली पूंजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है उन जोखिमों की पहचान तथा निर्धारण करना जो पिलर I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से पकड़ में न आएं, ऐसे जोखिम जो पिलर के तहत बिल्कुल ध्यान में न ली गई तथा जो बैंक के बाहरी घटक हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूंजी का प्रावधान करना तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी के उपयुक्त स्तर को मापना. बैंक ने पिलर II के अंतर्गत अपने सीआरएआर पर प्रतिकूल दबाव के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रैस परीक्षण नीति लागू की है.

बैंक आईसीएएपी की समीक्षा तिमाही आधार पर कर रहा है.

बैंक ने पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए नवीनतम दृष्टिकोण की ओर जाने हेतु पहल की है और अग्रिम दृष्टिकोन के तहत जोखिम भारिता की गणना के लिए एसएएस समाधान स्थापित किया है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं :	
• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो @9%	₹ 10622 करोड़
• प्रतिभूति एक्सपोजर	निरंक
(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
• मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण:	
– ब्याज दर जोखिम –	₹ 1147 करोड़
– विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) –	₹ 4 करोड़
– इक्विटी जोखिम –	₹ 357 करोड़
(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
• मूल संकेतक दृष्टिकोण –	₹ 964 करोड़
(ई) सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूंजी अनुपात:	
• सामान्य इक्विटी टियर 1	12.82%
• टियर 1	12.82%
• कुल पूंजी अनुपात	14.81%

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिमों के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/ कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि, बैंक ने शीर्ष प्रबंधतंत्र की जिसमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यपालक निदेशक गणों की समिति निदेशक को टीम में शामिल करते हुए अलग समिति का गठन किया है, जैसे आस्तियां देयता प्रबंधन, ऋण प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन. इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते है.

केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रभारी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध कराना है तथा समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन कराते है. महाप्रबंधक को उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबधंक, मुख्य प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक एवं प्रबधंकों की टीम द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है.

सभी आंचलिक कार्यालयों 7 में जोखिम प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं जो केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में कार्य करेंगे. क्षेत्रीय कार्यालयों में भी जोखिम प्रबंधकों की पदस्थापना की गई है.

बैंक में विस्तृत नीतियां है जैसे ऋण जोखिम नीति, मॉडल जोखिम नीति, क्रेडिट रेटिंग नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, एएलएम नीति तथा बाजार जोखिम प्रबंधन नीति आदि .

इसके अलावा, ऋण नीति में ऋण स्त्रोतों के बृहद मापदंड, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन पर दिशानिर्देश, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाओं को निर्धारित किया है.

ऋण मॉनिटरिंग विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक हैं, जो ऋण पोर्टफोलियो, विशेष उल्लिखित खातों की पहचान एवं उनके सुधारक उपायों को मॉनिटर करते हैं. सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत खातों के प्रबंधन के अलावा ऋण प्रस्ताव की समीक्षा भी विभाग द्वारा की जाती है.

₹ 300 करोड़ से अधिक ऋणासीमा के सभी खातों की गतिशील समीक्षा भी विशिष्ट अंतराल पर की जाती है. जब भी कोई ट्रिगर/घटना होती है तो ₹ 25 करोड़ से अधिक की ऋण सीमा वाले खातों की भी गतिशील समीक्षा की जाती है. ऋण निगरानी नीति ऋण पोर्टफोलियो की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु कार्य प्रणाली निर्धारित करती है.

बैंक ने खुदरा ऋण प्रणाली सहित विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए रेटिंग मॉडल की शुरूआत की है, जो कि प्रस्तावित ग्राहक के साथ जोखिम की जांच करती है तथा उधार देने एवं मूल्य निर्धारण में मदद करती है. बड़े ऋणी के मामले में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल प्रस्तावित ग्राहक के वित्तीय जोखिम, उद्योग जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा व्यवसाय जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा सभी प्रस्तावित ग्राहक की समग्र रेटिंग करने के लिए खाते के संचालन का भी विचार करना जरूरी है. जहां मूल संस्था कॉर्पोरेट गारंटी के रूप में से समर्थन उपलब्ध है वहां उस पर भी विचार करना होगा. जोखिम वापसी व्यापार बंद का मूल्यांकन करने के लिए आरएआरओसी की गणना की जाते है और निर्णय लेने में उसका उपयोग किया जाता है.

तालिका डीएफ - 3 : ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

बिगडे हुए खाते :

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की संरचना पर विद्यमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा करने वाले कार्यरत समूह ने दिनांक 20.07.2012 की अपने रिपोर्ट में यह बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार सामान्यतया पुनर्संरचित खाते को बिगडा हुआ माना जाता है, और यह अनुशंसा की है कि यही समान प्रक्रिया भारत में भी अपनायी जाए. भारतीय लेखांकन मानक 109 वित्तीय लिखतों की पहचान, गैर-पहचान, वर्गीकरण और वित्तीय लिखतों के माप के ह्रास और बचाव लेखांकन भी शामिल है.

अनर्जक आस्तियां वह है जहां ऋण या अग्रिम-

(i) मियादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे;

(ii) 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे,

(iii) खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,

(iv) कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में

ए) अल्पावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,

बी) दीर्घावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज एक फसल मौसल तक अतिदेय रहती हो.

(v) दिनांक 1 फरवरी 2006 के प्रतिभूतिकरण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए बकाया रहती हो.

(vi) डेरिइवेटिव परिचालन के संबंध में अतिदेय प्राप्तियां डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक दैनिक बाजार मूल्य को व्यक्त कर रही है यदि ये भुगतान की निर्धारित तय तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अदत्त रहती है.

अनियमित:

कोई खाता तब ''अनियमित'' दर्शाया जाता है, जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से अधिक हो, यदि मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से कम हो, परंतु तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं हो या इस अवधि में नामे ब्याज को कवर करने योग्य पर्याप्त जमा न हो.

अतिदेय:

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय कहलाएगी, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है:

- ऋण जोखिम - निर्धारण, नीति एवं कार्यनीति
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा समेकीकरण,
- ऋण जोखिम रेटिंग, रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- न्यूनीकरण तकनीक,
- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,
- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी,
- देश एवं मुद्रा ऋण
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर,

- अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू,
- तुलनपत्र इतर एक्सपोजर में ऋण जोखिम,
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रियाएं
- अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन,
- देश जोखिम तथा परिचालन सम्बंधी अन्य मामले.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	**(₹ करोड़ में)**
(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:	
निधि आधारित*:	316862
गैर-निधि आधारित:	32482
* नकदी, बैंक शेष, निवेश आदि सहित	
बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:	
• विदेशी	6511
• घरेलू	342833

	₹ करोड़ में	**₹ करोड़ में**	**₹ करोड़ में**
सी) उद्योग का नाम	**निधि**	**गैर-निधि**	**निवेश**
ए. खनन एवं उत्खनन (ए.1 + ए.2)	518	633	49
ए.1 कोयला	231	302	0
ए.2 अन्य	287	332	49
बी. खाद्य प्रसंस्करण (बी.1 से बी.5 तक)	6731	1116	495
बी.1 चीनी	1824	22	434
बी.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	965	871	0
बी.3 चाय	14	2	0
बी.4 कॉफी	26	0	0
बी.5 अन्य	3902	222	61
सी. पेय (चाय एवं कॉफी के अतिरिक्त) एवं तम्बाकू	184	16	0
सी.1 तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	48	0	0
सी.2 अन्य	137	15	0
डी. टेक्सटाईल	6067	366	336
डी.1 सूती	2215	264	184
डी.2 जूट	240	23	0
डी.3 मानव-निर्मित	532	8	0
डी.4. अन्य	3080	72	152
डी में से (अर्थात, कुल कपड़ा) कताई मिल को	547	12	0
ई चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	206	6	0
एफ लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	212	44	0
जी कागज एवं कागज के उत्पाद	795	94	45
एच पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) एवं न्यूक्लियर ईधन	2548	108	1012
आई रसायन एवं रसायन उत्पाद (डाई, पेंट इत्यादि) (आई1 से आई4 तक)	2879	829	12
आई.1 उर्वरक	583	53	0
आई.2 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटीकलस	1107	683	10

	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
सी) उद्योग का नाम	निधि	गैर-निधि	निवेश
आई.3 पेट्रो कैमीकल्स (बुनियादी संरचना के अंतर्गत)	296	58	0
आई.4 अन्य	893	34	2
जे रबर प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	1280	149	0
के कांच एवं कांच के सामान	86	6	0
एल सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	1645	127	0
एम मूल धातु एवं धातु के उत्पाद (एम.1 + एम.2)	6932	1721	233
एम.1 लोहा एवं स्टील	4337	549	53
एम.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	2595	1171	180
एन सभी अभियात्रिंकी (एन.1 + एन.2)	6354	2791	64
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	3371	253	20
एन.2 अन्य	2983	2538	44
ओ वाहन, वाहन पार्ट एवं परिवहन उपस्कर	1332	428	274
पी रत्न एवं आभूषण	3366	66	0
क्यू निर्माण	2517	2315	294
आर बुनियादी संरचना (ए से डी तक)	25313	6986	7613
आर.ए. परिवहन (ए.1 से ए.6 तक)	7236	1452	1083
आर. ए.1 रोड एवं ब्रिज	5973	691	1083
आर ए.2 बंदरगाह	69	0	0
आर ए.3 अंतर्देशीय जलमार्ग	0	0	0
आर ए.4 एयरपोर्ट	78	8	0
आर ए.5 रेलवे ट्रैक, सुरंग, सेतु, ब्रिज	646	48	0
आर.ए.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी रोड यातायात के मामलों में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)	433	698	0
आर ए 7 शिपयार्ड	26	0	0
आर.ए. 4 लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्क्चर	12	8	0
बी. ऊर्जा(बी1 से बी6 तक)	8587	1332	5882
बी.1 विद्युत (उत्पादन)	6386	434	5882
बी.1.1 केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2182	4	1000
बी.1.2 राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (एसईबी सहित)	971	82	3861
बी.1.3 निजी क्षेत्र	3234	348	1021
बी.2 विद्युत (संप्रेषण)	301	176	0
बी.2.1 केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0	0	0
बी.2.2 राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (एसईबी सहित)	104	124	0
बी.2.3 निजी क्षेत्र	197	51	0
बी.3 विद्युत (वितरण)	1409	709	0
बी.3.1 केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0	0	0
बी.3.2 राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (एसईबी सहित)	1403	372	0
बी.3.3 निजी क्षेत्र	6	337	0
आर.बी.4 तेल पाइप लाईन	116	0	0
आर.बी.5 तेल/गैस/द्रवरूप प्राकृतिक गैस (एलएनजी) संग्रहण सुविधा	374	10	0
आर.बी.6 गैस पाइप लाइन	0	3	0

	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
सी) उद्योग का नाम	**निधि**	**गैर-निधि**	**निवेश**
आर.सी. जल एवं स्वच्छता (सी.1 से सी.7)	320	8	0
आर.सी.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	10	0	0
आर.सी.2 जल आपूर्ति पाइप लाइन	1	0	0
आर.सी.3 जल शुद्धिकरण संयंत्रों	8	4	0
आर.सी.4 सीवेज संग्रहण, शुद्धिकरण और निपटान प्रणाली	19	1	0
आर.सी.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध)	282	3	0
आर.सी.6 तूफानी जल निकासी व्यवस्था	0	0	0
आर.सी.7 पिच्छल पाइप लाइन	0	0	0
आर.डी. सम्प्रेषण (डी.1 से डी.3)	832	2208	39
आर.डी.1 दूर-संचार (फिक्सड नेटवर्क)	335	3	0
आर.डी.2 दूर-संचार टॉवर	1	0	0
आर.डी.3 दूर-संचार एवं टेलीकॉम सेवाएं	496	2205	39
आर.ई. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी संरचना (ई.1 से ई.12)	2256	116	0
आर.ई.1 शैक्षणिक संस्थान (कैपिटल स्टॉक)	642	14	0
आर.ई.2 हॉस्पिटल (कैपिटल स्टॉक)	523	75	0
आर.ई.3 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के बाहर स्थित तीन-स्टार अथवा उच्च श्रेणी में वर्गीकृत होटल	313	18	0
आर.ई.4 औद्योगिक पार्क, सेज, पर्यटन सुविधाओं एवं कृषि बाजार के लिए समान बुनियादी संरचना	272	4	0
आर.ई.5 उर्वरक (पूंजी निवेश)	0	0	0
आर.ई.6 कोल्ड स्टोरेज सहित कृषि एवं बागवानी उत्पादों के लिए कटाई पश्चात स्टोरेज हेतु बुनियादी संरचना	253	6	0
आर.ई.7 टर्मिनल मार्केट	3	0	0
आर.ई.8 मिट्टी परिक्षण प्रयोगशाला	0	0	0
आर.ई. 9 कोल्ड श्रृंखला	0	0	0
आर ई. 10 खेल संरचना	200	0	0
आर ई.11 पर्यटन – रोप वे एवं केबल कार	46	0	0
आर.ई.12 वहन योग्य आवास	3	0	0
आर.एफ. अन्य,यदि कोई हो, कृपया उल्लेख करें	6083	1870	610
एस. अन्य उद्योग, कृपया उल्लेख करें	16847	2450	38
सभी उद्योग (ए से एस तक)	85813	20249	10465
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (कुल अग्रिम से मिलान के लिए)	132496	837	11302
कुल	**218309**	**21087**	**21767**
कुल एक्सपोजर के 5% से अधिक वाले एक्सपोजर			
	निधि	गैर-निधि	निवेश
बुनियादी संरचना (उर्जा सहित)	25313	6986	7613
उर्जा	8587	1332	5882

(डी) कार्यनिष्पादन आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता संबंधी विश्लेषण :	**(₹ करोड़ में)**
1 दिन	55748
02 दिनों से 07 दिनों तक:	2149
08 दिनों से 14 दिनों तक:	609
15 दिनों से 30 दिनों तक:	9235
31 दिनों से 2 महीनों तक:	3437
2 महीनों से अधिक, परंतु 3 महीनों तक:	2473
3 महीनों से अधिक, परंतु 6 महीनों तक:	18457
6 महीनों से अधिक, परंतु 12 महीनों तक:	13224
1 वर्ष से अधिक, परंतु 3 वर्ष तक:	94017
3 वर्ष से अधिक, परंतु 5 वर्ष तक:	28889
5 वर्ष से अधिक :	67836
कुल	**296075**
(ई) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) – (₹ करोड़ में)	
• अवमानक	5275
• संदिग्ध 1	3540
• संदिग्ध 2	10795
• संदिग्ध 3	6131
• हानि	3536
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां (₹ करोड़ में)	**9036**
(जी) अनर्जक आस्तियों का अनुपात	
• सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	16.55%
• निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	5.77 %
(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल) में संचलन (₹ करोड़ में)	
• प्रारम्भिक शेष	29486
• वृद्धि	5919
• कमियां	6128
• अनर्जक आस्तियां (सकल)	29277
(आई) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों में परिवर्तन (₹ करोड़ में)	
• प्रारम्भिक शेष	19872
• अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	5656
• बट्टा खाता / अवलिखत अतिरिक्त प्रावधान	6379
• इति शेष	19149
(जे) अनर्जक निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	1937
(के) अनर्जक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)	1887
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यह्रास में परिवर्तन: (₹ करोड़ में)	
• प्रारम्भिक शेष	5234
• इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	558
• बट्टा खाता	निरंक
• अतिरिक्त प्रावधान की वापसी	554
• इति शेष	5238

(एन)5 प्रमुख उद्योगों द्वारा एनपीए की राशि (₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम	सकल एनपीए
संरचना	4,182
सभी इंजिनियरिंग	3,378
मूल धातु एवं धातु उत्पाद	1,663
टेक्सटाइल्स	1,108
अन्न प्रक्रिया	1,012

(ओ) भौगोलिक क्षेत्र द्वारा एनपीए की राशि (₹ करोड़ में)

विदेश में	घरेलू
0	29,277

तालिका डीएफ - 4 ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण जोखिम के लिये पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिये अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है.

(बी) बैंक ने सात बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों यथा, क्रिसिल रेटिंग लि., केयर रेटिंग, इक्रा लि., इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्रा.लि. एक्यूटी (समेरा)रेटिंग, ब्रिकवर्क उवं इन्फोमेरिक्स को अपने उधारकर्ताओं के ऋणों को रेटिंग हेतु अभिचिन्हित किया है.

सी) ये एजेन्सियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं, इन एजेन्सियों द्वारा बैंक के उधारकर्ताओं को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम भारिता निर्धारित करने के लिये स्वीकार की जाती हैं.

(डी) कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की निर्गम विशिष्ट रेटिंग को जोखिम भारिता की गणना में लिया जाएगा.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	₹ करोड़ में
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर	
• 100 % जोखिम भारिता से कम :	284745
• 100 % जोखिम भारिता	43955
• 100 % जोखिम भारिता से अधिक	20644
• घटाई गई राशि - सीआरएम	14713

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

- **संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिये नीतियां एवं प्रक्रियायें;**

  बैंक के पास सुपरिभाषित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक हैं.

- **बैंक द्वारा ली जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक का विवरण;**

  बैंक द्वारा, व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा शासन एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियां स्वीकार की जाती हैं. नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है.

  भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार वित्तीय संपार्श्विक का अभिनिर्धारण करते हैं, साथ ही, ये दिशानिर्देश गारंटी को एक ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं इस प्रकार के तत्वों का पता लगाने के लिये बैंक ने उचित नीतिगत उपाय किये हैं.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	**₹ करोड़ में**
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम पोर्टफोलिया के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिये, कुल एक्सपोजर कवर किया गया है:	
• **पात्र वित्तीय संपार्श्विक-**	
• निधि आधारित	13365
• गैर-निधि आधारित	1349

तालिका डीएफ -6 : प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:	**निरंक**
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	**₹ करोड़ में**
बैंकिंग बही	
(डी) बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.	निरंक
(ई) एक्सपोजर प्रकृति द्वारा विखंडित वर्तमान अवधि, (अर्थात् क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादित अंतर्निहित प्रतिभूति) में चिह्नित एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियां	निरंक
(एफ) एक वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूतित किए जाने की मंशा.	निरंक
(जी) उपर्युक्त (एफ), में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर सृजित की गई आस्तियों की राशि	निरंक
(एच) प्रतिभूतित एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिह्नित लाभ या हानियां	निरंक
(आई) निम्न की समेकित राशि :	
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं-	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(जे) रोकी गई अथवा क्रया की गई तथा सहायक पूंजी प्रभारों के बीच विभाजित और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भारिता समूहों में विभाजित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.	निरंक
ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णत: घटाया गया है, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार)	निरंक
गुणात्मक प्रकटीकरण:	
ट्रेडींग बही:	
(के) बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजर टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं,	निरंक
(एल) निम्न की समग्र राशि :	
- रोके गए अथवा खंडित स्वरूप में क्रय किए प्रकार के, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एम) निम्न के लिए पृथक से रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की कुल राशि :	
- विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, तथा :	निरंक
- विभिन्न जोखिमों के विभिन्न भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एन) निम्न की समग्र राशि :	
- विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी	निरंक
- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णत: घटाया गया हैं, कुल पूंजी से वृद्धिगत ऋण आई /ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों से घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक

तालिका डीएफ -7 : ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के पास सुस्पष्ट निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है. जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है.

बैंक, बाजार जोखिम को व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों को विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन से तुलन पत्र तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में हानि होने की जोखिम के रूप में परिभाषित करता है.

बाजार जोखिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी की आवश्यकता के मापन हेतु बैंक ने मानक अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है.

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

बैंक ने बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है जो बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है. आस्ति-देयता प्रबंधन नीति एवं विदेशी विनिमय परिचालन नीति, ऐसी अन्य नीतियां है जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित है.

नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है.

आस्ति-देयताएं प्रबंधन :

एएलएम नीति, एएलएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है. बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है. बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके से किया गया, जिससे बैंक को जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना न करना पड़े, जो अन्ततोगतवा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं. यह नीति, जोखिम सीमा के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो विशेष रूप से बैंक की एकमेव शेषराशि –जटिलता, नीतिगत दिशा तथा जोखिम प्रवत्ति के समायोजन के लिए बनाई गई है.

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का प्रबंध आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता /स्थिति पर आधारित अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है. बैंक के पास अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना प्रणाली मौजूद है. बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारण अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई है. इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी बैंक की तरलता प्रोफाइल की जांच की जाती है.

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम का प्रबंध दर-संवेदी आस्तियों एवं देयताओं के अंतर विश्लेषण से किया जाता है एवं विवेकसम्मत सीमाओं के द्वारा इनकी निगरानी की जाती है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरित परिवर्तन के सापेक्ष भी बैंक जोखिम का आवधिक प्राक्कलन करता है

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	पूंजी प्रभार (₹ करोड़ में)
ब्याज दर का जोखिम	₹1147
इक्विटी का स्थिति- जोखिम	₹357
विदेशी मुद्रा का जोखिम	₹4
योग	**₹1508**

तालिका डीएफ -8 : परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम, हानियों से संबंधित जोखिम है, जो बाहरी घटनाओं से अथवा आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणालियों की विफलता अथवा अपर्याप्तता से प्रकट होती है. परिचालन जोखिम में विधि जोखिम शामिल होता है, परंतु इसमें नीतिगत एवं प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं होते. बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है. बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा हानि आंकड़ा प्रबंधन, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) एवं परिस्थियों के विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है. बैंक बाह्य हानि डाटा आधार के लिए हानि डाटा कंसोर्टियम "कोरडेक्स"का सदस्य भी है.

बैंक ने एडवांस मेजरमेंट एप्रोच अपनाने के लिए एसएएस पद्धति स्थापित की है.

बैंक ने मूल संकेतक संकल्पना के अनुसार परिचालन जोखिम हेतु पूंजी उपलब्ध कराई है. तदनुसार, दिनांक 31.03.2021 को परिचालन जोखिम के लिए रु.964 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता है.

तालिका डीएफ -9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करने की दो पद्धतियां हैं :

1. जोखिम पर आय (परम्परागत अंतर विश्लेषण)

   इस पद्धति के अंतर्गत शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यील्ड कर्व पद्धति से इसकी गणना की जाती है. इस पद्धति के अंतर्गत 1% का समानान्तर अंतरण, आस्तिओं एवं देयताओं दोनों में ही मान लिया जाता है.

2. इक्विटी का आर्थिक मूल्य:

   इक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि का अलग से परिकलन किया जाता है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य की गणना के लिए यील्ड कर्व में 200 बेसिस पाइंट का समानान्तर अंतरण मान लिया जाता है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

परिवर्तन के पैरामीटर	₹ करोड़ में
1. समग्र आस्ति एवं देयता की ब्याज दर में 100 बीपीएस की वृद्धि पर आय पर प्रभाव	401
2. इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बीपीएस का परिवर्तन	2422

तालिका डीएफ-10 : प्रतिपक्षीय साख जोखिम से संबंधित ऋण के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ए) बैंक प्रतिपक्षीय ऋणों के लिए पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, आय उपार्जन, तरलता एवं प्रबंधन गुणवत्ता के आधार पर ऋणी सीमा का निर्धारण करता है.

बैंक की निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति अच्छी तरह से परिभाषित है.

बैंक विविध डेरिवेटिव उत्पादों एवं ब्याज दर स्वाप में व्यवहार करता है. बैंक अपनी तुलन-पत्र मदों, साथ ही व्यवसाय उद्देश्य से बचाव-व्यवस्था हेतु डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करता है.

मात्रात्मक प्रकटीकरण	**₹ करोड़ में**
विवरण	**राशि**
(बी) संविदा का सकल सकारात्मक मूल्य	93
शुद्ध लाभ	0
शुद्ध चालू साख ऋण	93
संपार्श्विक प्रतिभूति	0
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्पोजर	**260**

(सी) **₹ करोड़ में**

मद	**काल्पनिक राशि**	**वर्तमान ऋण एक्सपोजर**
फारवर्ड विदेशी विनिमय संविदा	5882	187
क्रास करेंसी ब्याज दर स्वाप सहित क्रास करेंसी स्वाप	417	51
ब्याज दर संविदाएं	1305	22

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संयोजन

दिनांक 31 मार्च, 2021 से बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान	₹ करोड़ में	संदर्भ सं.
1	प्रत्यक्ष निर्गमित अर्हक सामान्य शेयर पूंजी एवं संबंधित स्टाक अधिशेष (शेयर प्रिमियम)	5876	
2	प्रतिधारित उपार्जन	-18417	
3	संचित अन्य व्यापक उपार्जन (एवं अन्य प्रारक्षित निधि)	36939	
4	प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी जो सीईटी 1 से बाहर की गई (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों 1 हेतु लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	0	
6	**विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी**	**24398**	
	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	
9	अमूर्त (संबंधित शुद्ध कर देयता)	0	
10	आस्थगित कर आस्ति (व्यवसाय हानि)	1956	
11	नकद-प्रवाह बचाव प्रारक्षित	0	
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी	0	
13	विक्रय पर प्रतिभूति वृद्धि	0	
14	शुद्ध मूल्यांकित देयताओं पर अधिलाभ एवं हानि स्वयं के साख जोखिम में परिवर्तन के कारण	0	
15	परिभाषित – लाभ पेंशन निधि शुद्ध आस्तियां	0	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन-पत्र पर चुकता पूंजी से पहले ही कम न की गई हो)	0	
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिता	0	
18	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	
19	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिवक्रय की स्थिति (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0	
20	मॉरगेज सर्विसिंग राइट्स (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0	
21	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर देयताएं (10% की सीमा से अधिक की राशि, संबंधित शुद्ध कर देयता)	3345	
22	15% सीमा से अधिक की राशि	0	
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0	
24	जिसमें से: मॉरगेज सर्विसिंग राइट	0	
25	जिसमें से: अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0	
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	0	

सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		₹ करोड़ में	संदर्भ सं.
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर वित्तीय की इक्विटी पूंजी में निवेश	0	
26सी	जिसमें से: बहुसंख्यक मालिकाना वित्तीय निकायों की इक्विटी पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित न की गई हो.	0	
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0	
27	कटौती को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 1 एवं टीयर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टीयर 1 को लागू विनियामक समायोजन	0	
28	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 हेतु विनियामक समायोजन**	**5301**	
29	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1)**	**19097**	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखत			
30	टीयर 1 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखत एवं संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	0	
31	जिसमें से लागू लेखांकन मानकों के अधीन इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थाई गैर-संचयी अधिमानी शेयर)		
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अधीन देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थाई उधार लिखत)	0	
33	अतिरिक्त टीयर 1 से बाहर किए गए प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखत	0	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (एवं सीईटी 1 लिखत जो रो 5 में शामिल नहीं है) (समूह एटी 1 में अनुमत राशि)		
35	जिसमें से: बाहर किए जाने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0	
36	विनायामक समायोजनो के पहले अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	0	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश	0	
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति धारिता	0	
39	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10% के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	
40	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शुद्ध अधिवक्रय की स्थिति)	0	
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0	
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में निवेश	0	
41बी	बहुसंख्य मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है, की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी	0	
42	कटौती कवर करने हेतु अपर्याप्त टीयर 2 के कारण अतिरिक्त टीयर 1 हेतु लागू विनियामक समायोजन		
43	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन**	**0**	
44	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी1)**	**0**	
45	**टीयर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)**	**19097**	

	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान	₹ करोड़ में	संदर्भ सं.
	टीयर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान		
46	टीयर 2 हेतु अर्हक प्रत्यक्ष निर्गमित लिखतें एवं संबंधित स्टाक अधिशेष	2400	
47	टीयर 2 से बाहर किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष निर्गमित पूंजी लिखते	50	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित टीयर 2 लिखते (एवं सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखते, जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) (टीयर 2 समूह में अनुमत राशि)	0	
49	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा बाहर किए जाने के अधीन जारी लिखते	0	
50	प्रावधान (मूल्यांकन प्रारक्षित, मानक आस्तियों पर प्रावधान, अनर्जक आस्तियों की बिक्री आदि)	516	
51	**विनियामक समायोजनों से पूर्व टीयर 2 पूंजी**	**2966**	
52	स्वयं की टीयर 2 लिखतों में निवेश	0	
53	टीयर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारिता	0	
54	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूंजी में निवेश शुद्ध पात्र अधिविक्रय की स्थिति, जहां निर्गमित शेयर पूंजी के 10इ के अधिक तक बैंक के पास न हो (10% सीमा से अधिक की राशि)	0	
55	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर वाले बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र शुद्ध अधिवक्रय की स्थिति (पात्र लघु स्थिति का शुद्ध)	0	
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0	
56ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में निवेश	0	
56बी	बहुसंख्यांक मालिकाना वित्तीय निकायों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है, की अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में कमी	**0**	
57	**टीयर 2 पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन**	**0**	
58ए	**टीयर 2 पूंजी**	**2966**	
58बी	**टीयर 2 पूँजी (टी2) विनियामक पूँजी उद्देश्यों हेतु समायोजन**	**2966**	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)**	**22063**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	**148917**	
60ए	**जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां**	**118019**	
60बी	**जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां**	**18852**	
60सी	**जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां**	12045	
	पूंजी अनुपात		
61	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)**	**12.82%**	
62	**टीयर 1 (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)**	**12.82%**	
63	**कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)**	**14.81%**	

	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान	₹ करोड़ में	संदर्भ सं.
64	**संस्था विशेष बफर आवश्यकताएं (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकताओं के साथ पूंजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं)**	7.375%	
65	**जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता**	1.875%	
66	**जिसमें से: बैंक विशेष प्रतिचक्री बफर आवश्यकता**	0.00%	
67	**जिसमें से: जी-एस.आई.बी. बफर आवश्यकता**	0.00%	
68	**बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**	0.00%	
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासल III से अलग हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	7.375%	
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	8.875%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से अलग हो)	10.875%	
	कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारिता से पहले)		
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	लागू नहीं	
73	वित्तीय निकायों की सामान्य पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश	लागू नहीं	
74	मॉरगेज सर्विसिंग राइट (संबंधित शुद्ध कर देयता)	लागू नहीं	
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित शुद्ध कर देयता)	लागू नहीं	
	टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि पर लागू सीमाएं		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा	लागू नहीं	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में प्रविष्टि के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में प्रावधानों की प्रविष्टि की सीमा.	लागू नहीं	
	फेस-आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखते (केवल दि.31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2022 के मध्य लागू)		
80	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन सीईटी लिखतों पर वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	लागू नहीं	
82	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन एटी1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
83	सीमा के कारण एटी1 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	लागू नहीं	
84	चरणबद्ध व्यवस्था के अधीन टी2 लिखतों पर वर्तमान सीमा	500	
85	सीमा के कारण टी2 से छोड़ी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वता के पश्चात सीमा पर आधिक्य)	450	

तालिका डीएफ-12: पूंजी का संघटन- समायोजन अपेक्षाएं

(राशि करोड़ में)

		वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन-पत्र	संदर्भ
		दिनांक 31.03.2021	
ए	**पूंजी एवं देयताएं**		
i	चुकता पूंजी	5876	
	जिसमे से: सीइटी 1 हेतु पात्र राशि	5876	
	जिसमे से: एटी 1 हेतु पात्र राशि	0	
	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	15830	
	आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि	4800	
	अल्पसंख्यक हित	0	
	कुल पूंजी	**26506**	
ii	**जमाराशियां**	**329973**	
	जिसमे से: बैंकों से जमा	1096	
	जिसमे से: ग्राहकों से जमा	328877	
	जिसमे से: अन्य जमाएं (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	
iii	**उधारराशियां**	**5469**	
	जिसमे से: आरबीआई से	1764	
	जिसमे से: बैंकों से	2	
	जिसमे से: अन्य संस्थाओं एव संस्थानों से	64	
	जिसमे से: अन्य (भारत से बाहर)	0	
	जिसमे से: गौण ऋण	500	
	जिसमे से:अपर टीयर 2	0	
	जिसमे से: असुरक्षित मोचनीय एनसी बासल III बाण्ड्स (टीयर2)	3000	
	जिसमे से: नवोन्मेष स्थायी उधार लिखत	139	
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	**7268**	
	कुल	**369215**	
बी	**आस्तियां**		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	32188	
	बैंकों में जमा एवं भाग व अल्प सूचना पर राशि	6763	
ii	निवेश:	148582	
iii	ऋण एवं अग्रिम	156579	
	जिसमे से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	0	
	जिसमे से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	156579	
iv	अचल आस्तियां	5132	
v	अन्य आस्तियां	19970	
	जिसमे से: गुडविल एवं अमूर्त आस्तियां	0	
	जिसमे से: आस्थगित कर देयताएं	7546	
vi	समेकन पर गुडविल	0	
vii	लाभ-हानि खाते में नामे शेष	0	
	कुल आस्तियां	**369215**	

तालिका डीएफ-13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

टीयर-1 पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

विवरण	इक्विटी
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता	INE483A01010
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
परिवर्तन पश्चात III नियम	सामान्य इक्विटी टीयर 1
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	सामान्य शेयर
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि करोड़ में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	₹ 5876
लिखत की सममूल्य राशि	₹10 प्रति शेयर
लेखांकन वर्गीकरण	शेयरधारक की इक्विटी
जारीकरण की मूल तिथि	विविध
स्थायी या दिनांकित	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	लागू नहीं
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	अस्थायी
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	लागू नहीं
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूरी तरह से विवेकाधीन
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	लागू नहीं
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	लागू नहीं
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ताओं एवं अन्य लेनदार, बॉण्डस एवं पीएनसीपीएस
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं
यदि हां, तो गैर- कम्प्लायंट विशेषाएं बताएं	लागू नहीं

सबऑर्डिनेटेड डेब्ट पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार है

श्रृंखला वर्णन	श्रृंखला. II पीडीआई
जारीकर्ता	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09252
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	अपात्र
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	स्थायी उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (रु. करोड़ में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	0
लिखत की सममूल्य राशि	₹ 10 लाख
लेखांकन वर्गीकरण	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	28.09.2012
स्थायी या दिनांकित	स्थायी
मूल परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	28.09.2022
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.40% प्र.व.
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	लागू नहीं
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	पूर्णत: अमान्य, बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

गौण उधार पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

श्रृंखला विवरण	निम्न टीयर II श्रृंखला XIV
जारीकर्ता	
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09245
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार	
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	अपात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत
विनियामक पूंजी में मान्य राशि (राशि करोड़ में, रिपोर्टिंग की नवीनतम तिथि पर)	50
लिखत की सममूल्य राशि	₹ 10 लाख
लेखांकन वर्गीकरण	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	21.12.2011
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	21.12.2026
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	हाँ
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	21.12.2021
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	लागू नहीं
कूपन/लाभांश	
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.33%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
अवलेखन विशेषता	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	लागू नहीं
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	लागू नहीं
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	हाँ
यदि हां, तो गैर परिवर्तनीय विशेषाएं बताएं	बासल III हानि अवशोषण विशेषता नहीं

बासल III अनुपालन टीयर 2 बाण्ड की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है:

	बासल III कम्प्लायंट टीयर II बाण्ड्स				
	श्रृंखला I	श्रृंखला II	श्रृंखला III	श्रृंखला IV	श्रृंखला V
जारीकर्ता					
विशिष्ट पहचानकर्ता (अर्थात् निजी अभिदान हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE483A09260	INE483A09278	INE483A09286	INE483A08023	INE483A08031
लिखतों के शासी कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून	भारतीय कानून
विनियामक उपचार					
परिवर्ती बासल III नियम	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2	टीयर 2
परिवर्तन पश्चात III नियम	पात्र	पात्र	पात्र	पात्र	पात्र
एकल/समूह/समूह एवं एकल हेतु पात्र	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह	एकल एवं समूह
लिखत प्रकार	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत	टीयर 2 उधार लिखत
विनियामक पूँजी में मान्य की गई राशि (₹ करोड़ में, अधिकांश, नवीन रिपोर्टिंग दिनांक के अनुसार)	400	500	500	500	500
लिखत की सममूल्य राशि	₹10 लाख	₹ .10 लाख	₹ .10 लाख	₹ .10 लाख	₹ .10 लाख
लेखांकन वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
जारीकरण की मूल तिथि	08.11.2013	07.03.2017	29.03.2019	30.09.2019	20.03.2020
स्थायी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
मूल परिपक्वता तिथि	08.11.2023	07.05.2027	29.05.2029	30.11.2029	20.05.2030
पर्यवेक्षकीय अनुमोदन के पहले जारीकर्ता मांग	नहीं	हां	हां	हां	हां
वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियां एवं मोचन राशि	लागू नहीं	07.05.2022	29.05.2024	31.11.2024	20.05.2025
अनुवर्ती मांग तिथियां, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कूपन/लाभांश					
स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
कूपन दर एवं अन्य संबंधित इन्डेक्स	9.90%	8.62%	10.80%	9.80%	9.20%
लाभांश रोक की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
पूर्णत: विवेकाधिकार, अंशत: विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
मोचन हेतु वर्धन या अन्य प्रोत्साहन की विद्यमानता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी

	बासल III कम्प्लायंट टीयर II बाण्ड्स				
	श्रृंखला I	श्रृंखला II	श्रृंखला III	श्रृंखला IV	श्रृंखला V
परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो पूर्णत: या अंशत:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है उस का प्रकार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
यदि परिवर्तनीय है, तो जिस लिखत में परिवर्तन किया गया है, उसका जारीकर्ता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अवलेखन विशेषता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
यदि अवलेखित हो, तो अवलेखन उत्प्रेरक	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉ न वायबिलिटी ट्रिगर ("पीओएनवी ट्रिगर") कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉ न वायबिलिटी ट्रिगर ("पीओएनवी ट्रिगर") कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉ न वायबिलिटी ट्रिगर ("पीओएनवी ट्रिगर") कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉ न वायबिलिटी ट्रिगर ("पीओएनवी ट्रिगर") कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.	भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर इन बाण्डों को उत्प्रेरण की स्थिति में, जिसे पाइंट ऑफ नॉ न वायबिलिटी ट्रिगर ("पीओएनवी ट्रिगर") कहा जाता है, अस्थायी रूप से अवलेखित या स्थायी रूप से आलेखित किया जा सकता है.
यदि अवलेखित हो, तो पूर्ण या अंशत:	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक	आंशिक
यदि अवलेखित हो, तो स्थायी या अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी	अस्थायी
यदि अस्थायी अवलेखन हो, तो आलेखन प्रक्रिया का वर्णन	पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाना चाहिए.	पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाना चाहिए.	पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाना चाहिए.	पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाना चाहिए.	पूर्व निर्धारित ट्रिगर पर पहुंचने के उपरांत बैंक द्वारा अपने सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के प्रथम भुगतान किए जाने के लगभग एक वर्ष पश्चात किया जाना चाहिए.

	बासल III कम्प्लायंट टीयर II बाण्ड्स				
	श्रृंखला I	श्रृंखला II	श्रृंखला III	श्रृंखला IV	श्रृंखला V
	एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित होना चाहिए. यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है. एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.	एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित होना चाहिए., यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है. एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.	एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित होना चाहिए. यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है. एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.	एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित होना चाहिए. यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है. एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.	एक वर्ष में सकल आलेखन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के प्रतिशत तक प्रतिबंधित होना चाहिए., यह अवलेखित बांड द्वारा सृजित इक्विटी से कुल इक्विटी में से अवलेखित बाण्ड से सृजित इक्विटी घटाकर प्राप्त का प्रतिशत है. एक वर्ष में सकल आलेखन उस वर्ष विशेष में सामान्य शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान राशि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए.
परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत की वरिष्ठता के आधार पर तत्काल लिखत का प्रकार बताएं)	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार	सभी जमाकर्ता एवं अन्य लेनदार
गैर-कम्प्लायंट परिवर्तनीय विशेषताएं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
यदि हां, तो गैर कम्पायंट विशेषाएं बताएं	-	-	-	-	-

तालिका डीएफ-14: विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम एवं शर्तें

क्र.सं.	पूंजी का प्रकार	लिखत	पूर्ण नियम एवं शर्तें
1.	इक्विटी	इक्विटी	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
2.	टीयर 1	पीडीआई	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
3.	टीयर 2	गौण बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है
4.	टीयर 2	बासल III कम्प्लाएंट बाण्ड	जैसा मुख्य विशेषता भाग में प्रकट है

टेबल डीएफ-16: इक्विटीज़ - बैंकिंग बही हेतु प्रकटीकरण संबंधी दिनांक 31.03.2020 की स्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण		
1	निम्नलिखित सहित इक्विटी जोखिम के मामले में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकताएं (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1): ● जिन पर पूंजीगत लाभ अपेक्षित है उस धारित राशि तथा पारस्परिक संबंध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित जिन्हें व्याप्तियों के अंतर्गत लिया गया है, उनमें भिन्नता; एवं ● बैंकिंग बहियों में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन एवं लेखांकन को समाहित करते हुए महत्त्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा. इनमें मूल्यांकन के साथ साथ इनकी प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों सहित प्रमुख मान्यताओं एवं प्रथाओं सहित प्रयुक्त लेखांकन तकनीकी एवं मूल्यांकन प्रविधि शामिल है.	● भरिबैं के दिशानिर्देशानुसार अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों का इक्विटी में निवेश (संयुक्त उद्यम वह होता है जिसमें बैंक अपनी अनुषंगियों के साथ 25% से अधिक इक्विटी धारण करता है) एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए. यह कार्यनीतिक संबंधों को बनाये रखने अथवा कार्यनीतिक व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए कार्यनीतिक लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं. ● निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश की खरीद की तिथि पर ही "व्यापार हेतु रखा गया" (एचटीएफ), "बिक्री हेतु उपलब्ध" (एएफएस) और "परिपक्व होने तक रखा गया" (एचटीएम) श्रेणियों में (इसके पश्चात "श्रेणीयां" कहा जायेगा) वर्गीकृत किया गया है. उन निवेशों को जिनको बैंक परिपक्वता तक रखना चाहती है, को एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं. भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखे गये इक्विटी निवेश की पूँजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं. एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्ग़ीकृत निवेश उनके अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं और बाजार में चिन्हित नहीं किया जाता हैं. अस्थायी के अलावा, कोई भी कमी, इक्विटी निवेश के मूल्य में प्रदान की जाती है. एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर कोई भी हानि, लाभ और हानि विवरणी में चिन्हित किया जाता है. भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी लाभ "आरक्षित पूंजी" के लिए शुद्ध करों और सांविधिक आरक्षित निधियों के साथ विनियोजित किया जाता है.

गुणात्मक प्रकटीकरण		₹ करोड़ में	
		बही मूल्य 31.03.2021	उचित मूल्य 31.03.2021
1	तुलनपत्र में निवेश का प्रदर्शित मूल्य और उन निवेशों का उचित मूल्य.	313	313
	शेयर की कीमत और उसके उचित मूल्य में काफी अंतर हो तो सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों से तुलना.	-	-
2	निवेशों का प्रकार एवं प्रकृति, ऐसी राशि सहित, जिसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:	-	-
	सार्वजनिक रूप से व्यापारित	-	-
	निजीतौर पर धारित	313	313
	भारत में संयुक्त उद्यम (सेन्ट बैंक होम फाइनैंस)	22	22
	भारत के बाहर, असोसिएट (इंडो जाम्बिया बैंक लि. में संयुक्त उद्यम)	47	47
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	231	231
	अनुषंगियां (सेन्ट बैंक फाइनैन्शियल सर्विसेज लि.)	5	5
	कार्यनीतिक निवेश – सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन	2	2
	कार्यनीतिक निवेश – आईएफसीआई	3	3
	कार्यनीतिक निवेश – अन्य वित्तीय संस्थान (जीएसएफसी, जेकेएफसी, डब्ल्यूबीएफसी)	2	2
3	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न प्राप्त संचयी लाभ (हानियां)	निरंक	निरंक
4	कुल अप्राप्त लाभ (हानियां)	-	-
5	कुल अप्रकट पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियां)	निरंक	निरंक
6	टियर I एवं/अथवा टियर II पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त की कोई राशि	-	-
7	नियामक पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में पर्यवेक्षी संक्रमण अथवा ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन बैंक की क्रियाविधि के साथ साथ इक्विटी निवेशों के प्रकार एवं उनकी कुल राशि के संगत इक्विटी समूहन द्वारा विक्षत पूंजीगत आवश्यकताएं.	लागू नहीं	लागू नहीं

दिनांक 31.03.2021 को लीवरेज अनुपात प्रकटीकरण

लीवरेज अनुपात

बासल III के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम जोखिम आधारित पूंजी गैर-जोखिम आधारित टियर 1 लेवरेज अनुपात द्वारा संपूरक होगी.

टेबल डीएफ 17 : लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय की संक्षिप्त तुलना

	मद	(₹ करोड़ में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार, कुल समेकित आस्तियां	369974
2	घटाएं: बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेशों के लिए समायोजन, जिनका लेखांकन प्रयोजनार्थ समेकन किया जाता है, परंतु जो विनियामक समेकन के क्षेत्र के बाहर हैं	0
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र में प्रत्ययी आस्तियों के समायोजन को दर्शाया गया है, किंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय से बाहर हैं	0
4	व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	1193
5	प्रतिभूतियां वित्तपोषित लेनदेनों (अर्थात रेपो एवं इसी तरह की रक्षित उधारी) के लिए समायोजन	391
6	तुलनपत्र इतर मदों के लिए (अर्थात तुलनपत्र इतर एक्सपोजर के ऋण समतुल्य राशि में परिवर्तन) समायोजन	15941
7	अन्य समायोजन	(5303)
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	382196

डीएफ-18 : लीवरेज अनुपात कॉमन प्रकटीकरण टेम्पलेट

		(₹ करोड़ में)
	तुलनपत्र एक्सपोजर	
1	तुलनपत्र मदें (व्युत्पन्नी एवं एसएफटी को छोड़कर, परंतु संपार्श्विक शामिल है)	353974
2	(बेसल III टियर I पूंजी सुनिश्चित करने में आस्ति राशि को घटाया)	(5303)
3	**कुल तुलनपत्र एक्सपोजर (व्युत्पन्नी एवं एसएफटी को छोड़कर) (मद 1 से 2 तक की राशि)**	**348671**
	व्युत्पन्नी एक्सपोजर	
4	सभी व्युत्पन्नी लेनदेन (अर्थात पात्र नकदी विचलन मार्जिन घटाकर) के साथ सम्बद्ध स्थानापन्न राशियां	202
5	सभी व्युत्पन्नी लेनदेनों के साथ सम्बद्ध पीएफई के लिए वर्धित राशियां	991
6	प्रदत्त व्युत्पन्नी संपार्श्विक के लिए ग्रॉस-अप जहाँ परिचालनात्मक लेखागत संरचना के अनुसार तुलन-पत्र से घटाया गया है.	0
7	(व्युत्पन्नी लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0
8	(क्लाइंट-क्लियरड ट्रेड एक्सपोजर का छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण व्युत्पन्न की समायोजित प्रभावी आनुमानिक राशि	0
10	(लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी आनुमानिक प्रतितुलन तथा वर्धित कटौतियां)	0
11	**कुल व्युत्पन्नी एक्सपोजर (मद 4 से 10 तक की राशि)**	**1193**
	प्रतिभूतियां वित्तपोषित लेनदेन एक्सपोजर	
12	सकल एसएफटी आस्तियां (निवल राशि ज्ञात किए बगैर), बिक्री लेखांकन लेनदेन के लिए समायोजन के पश्चात	16320
13	(सकल एसएफटी आस्तियों का देय नकदी और प्राप्य नकदी की शुद्ध राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	71
15	एजेन्ट लेनदेन एक्सपोजर	0
16	**कुल प्रतिभूतियां वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (मद 12 से 15 की राशि)**	**16391**

	अन्य तुलनपत्र इतर एक्सपोजर	
17	सकल आनुमानिक राशि पर तुलनपत्र इतर एक्सपोजर	51618
18	(ऋण समतुल्य राशियों में परिवर्तन के लिए समायोजन)	(35677)
19	**तुलनपत्र इतर मदें (मद 17 और 18 की राशि)**	**15941**
	पूंजी एवं कुल एक्सपोजर	
20	टियर 1 पूंजी	19117
21	कुल एक्सपोजर (मद 3,11,16 एवं 19 की राशि)	382196
	लीवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लीवरेज अनुपात (प्रतिशत)**	5.00%

राज कोकिल सिंह
सहायक महाप्रबंधक - आरएमडी

अश्विनी कुमार शुक्ला
मुख्य जोखिम अधिकारी

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

एम. वी. राव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

एएजेवी एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार एलजीएफ-सी-73, लाजपत नगर - II, **नई दिल्ली -110024**	**एस जयकिशन** सनदी लेखाकार 12 हो-शि-मिन्ह सरणी, सूट 2डी, 2 ई, 2एफ **कोलकाता - 700071**
छाजेड एंड दोशी सनदी लेखाकार 101, हबटाउन सोलरिस एन एस फड़के मार्ग, अंधेरी (पूर्व) **मुम्बई - 400063**	**अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अम्बार्डेकर** सनदी लेखाकार 501, मिराज आर्केड, गणेश मंदिर के सामने ऑफ फड़के रोड **डोम्बीवली (पूर्व) - 421201**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

सदस्यगण सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** ("मूल बैंक") इसकी सहायक कंपनियों और उनकी सहयोगियों (सामूहिक रूप से "समूह" के रूप में संदर्भित) की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2021 का समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि खाते तथा समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के संक्षेप सहित समेकित वित्तीय विवरणियों पर नोट्स तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) जिसमें हमारे द्वारा मूल बैंक की लेखा परीक्षित, 2 सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षित खाते एवं 3 सहयोगियों के अलेखापरीक्षित खाते की वित्तीय विवरणियां समाहित हैं.

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक और सहयोगी की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सहयोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं, इस तरह से आवश्यक हैं और में हैं भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और देते हैं

   ए. 31 मार्च 2021 को समूह के समेकित तुलन पत्र के मामले में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट करती है

   बी. उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाते के मामले में शेष हानि की सही स्थिति दर्शाता है

   सी. समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही और निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है

अभिमत का आधार

3. हमने हमारी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एसए) के अनुरूप की है. उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा खंड में शामिल लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में पुनः व्याख्यायित है. नैतिकता आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता कोड के अनुरूप हम बैंक से स्वतंत्र है, जो बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इन आवश्यकताओं तथा नैतिकता कोड के अनुरूप हमने अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है.

मामले का जोर

4. हम आपका ध्यान समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट 5.14 की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव भावी घटनाक्रमों पर निर्भर होगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं.

   इस सम्बंध में हमारा अभिमत संशोधित नहीं है.

मूल लेखापरीक्षा मामले

5. मुख्य लेखापरीक्षा के मामले वे मामले है जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है. ये मामले, सम्पूर्ण समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रदर्शित किए जाते हैं और उनके आधार पर हम अपने अभिमत का निर्माण करते है और हम इन मामलों पर पृथक अभिमत नहीं प्रदान करते हैं. नीचे वर्णित मामलों को हमने मूल बैंक का मूल लेखापरीक्षा मामला माना है जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित होंगे.

मूल लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
1. गैर निष्पादक अग्रिमों की पहचान और प्रावधान को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति श्रेणीकरण और प्रावधानों पर निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के संगत किया गया है. (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 6 के साथ पठित अनुसूची 9 का संदर्भ लें) अग्रिम में बैंक की कुल आस्ति का पर्याप्त भाग सन्निहित है. गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान प्रवर्तमान कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित विभिन्न नियंत्रणों और तर्कों के आधार पर प्रणाली द्वारा ही की जाती है. एनपीए और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए अग्रिमों में क्षति के स्तर के निर्धारण के आधार पर किया जाता है जो समय-समय पर निर्धारित आरबीआई के दिशा-निर्देशों द्वारा मार्गदर्शित और उसके तहत विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रावधान स्तरों के अधीन होता है. एनपीए पर प्रावधान उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य पर भी निर्भर होता है. पुनर्गठित खातों में प्रावधान आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है. आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान करने के लिए प्रबंधतंत्र के कडे प्रयास, प्रावधान (एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किए गए आस्तियों के प्रावधान सहित) निर्धारित करते समय प्रबंधतंत्र का निर्णय, एनपीए की प्रतिभुतियों का मुल्यांकन और इन सभी का बैंक की वित्तीय विवरणियों पर होने वाले प्रभाव के कारण गैर निष्पादक अग्रिमों (एनपीए) की पहचान और ऋण एवं अग्रिमों के प्रावधानीकरण को हमारे द्वारा मूल लेखापरीक्षा के रूप में विचारित किया जाता है.	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में अग्रिमों से सम्बंधित स्वीकृति, अभिलेख, मॉनिटरिंग और आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है. विशेष रूप से : ● हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से संबंधित भा.रि.बैं. के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम का मूल्यांकन किया है और उसे समझा है; ● हमने अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया और मैनुअल नियंत्रण सहित संगत नियंत्रणों के परिचालनीय प्रभाविता के लिए प्रयुक्त मूल आईटी सिस्टम/एप्लीकेशन का विश्लेषण किया है और उसे समझा है. ● मूल नियंत्रणों के परिचालन की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और इस संबंध में भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुपालन के क्रम में, हमने सत्यापित किया है कि क्या सीबीएस सिस्टम और प्रबंधतंत्र दोनों ने, ○ उपलब्ध प्रतिभूति की कीमत में रिक्तीकरण की समय पर पहचान की हैं; ○ इस समय-समय की गई निगरानी और आस्ति वर्गीकरण के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किया है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के कोविड-19 विनियामक पैकेज के अनुसार आस्ति वर्गीकरण का लाभ प्राप्त खाते भी शामिल हैं. ● हम, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में सम्बंधित शाखा लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ साथ शाखाओं तथा प्रधान कार्यालय स्तर के सभी एमओसी पर विश्वास जताते है.
2 निवेश समूह के निवेश पोर्टफोलियों में सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे निवेश शामिल है जो कि तीन श्रेणियों के अंतर्गत, परिपक्वता तक रखी जाने वाली, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए रखी जाने वाली के रूप में वर्गीकृत हैं. निवेश में बैंक के कुल आस्ति का एक पर्याप्त हिस्सा भी शामिल है.	निवेशों की तरफ हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में भा.रि.बैं. के परिपत्रों/ आदेशों के संदर्भ के साथ अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, मूल्यांकन, वर्गीकरण, निवेशों पर प्रावधानीकरण/मूल्यह्रास से सम्बंधित मूल लेखा प्रक्रियाओं पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता और मुख्य आंतरिक नियंत्रकों की डिजाइन तथा परिचालनीय प्रभाविता का निर्धारण शामिल है. विशेष रूप से,

मूल लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) और सम्बंधित आय प्राप्त न होने की पहचान एवं उन पर प्रावधान, भा.रि.बैं. के प्रासंगिक परिपत्रों /दिशानिर्देशों/ निर्देशों के अनुसार किया जाता है. (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 17 के नोट 4 के साथ पठित अनुसूची 8 का संदर्भ लें) उक्त प्रतिभूति के प्रत्येक प्रकार का मूल्यांकन भा.रि.बैं. द्वारा जारी परिपत्रों और आदेशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार करना होगा, जिनमें विभिन्न स्रोतों से संग्रहित डाटा/ सूचनाएं जैसे कि एफबिल दर, बीएसई/एनएसई पर प्रदर्शित दरों, गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की वित्तीय विवरणियां, प्रतिभूति रसीदों के मामले में एनएवी इत्यादि शामिल है. भा.रि.बैं. के आदेशों के अनुसार, कुछ निश्चित निवेश है जो बाजार मूल्य पर मूल्यांकित है तथापि कुछ निश्चित निवेश मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित है जिसमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के साथ सांख्यकीय मॉडल, वित्तीय विवरणियों इत्यादि पर आधारित मूल्यांकन पर कीमत का निर्धारण आदि भी शामिल है. इन निवेशों के मूल्यांकन के लिए निश्चित की गई कीमत केवल निवेशों का निष्पक्ष निर्धारण है. इसलिए निवेशों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और आगे वित्तीय विवरणियों में निवेशों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उस पर हमारी लेखापरीक्षा में मूल लेखापरीक्षा मामले के रूप में विचार किया जाता है.	• अनर्जक निवेशों की पहचान मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और निवेशों पर मूल्यह्रास से संबंधित भा.रि.बैं. के प्रासंगिक दिशानिर्देशों की संगत में हमने बैंक द्वारा निर्धारित सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण का आंकलन किया है और उसे समझा है. • भारिबैं के दिशानिर्देशों की संगत में प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्मुल्यांकन द्वारा भा.रि.बैं. के मास्टर परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ निवेशों के चयनित नमूनों के लिए शुद्धता और अनुपालन की जांच की गई है. • हमने एनपीआई के पहचान की प्रक्रिया, और आय की तदनुरूप निरसन और प्रावधानों के सृजन का आंकलन एवं मूल्यांकन किया है. • हमने, स्वतंत्र रूप से पुन: परिकलन करने, प्रावधान सृजित करने और मूल्यह्रास प्रदान करने के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई है. • हमने देखा है कि यह वित्तीय विवरणों का प्रकटन प्रवर्तमान लेखा मानकों और आरबीआई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में बैंक के निवेश मुल्यांकन जोखिम को पर्याप्त रूप से दर्शाता है.
3. **वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का उपयोग -** बैंक की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स (सीबीएस) और अन्य स्वचालित प्रक्रिया के साथ समन्वित सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित आईटी प्रणाली पर निर्भर है और लेनदेनों की बृहद मात्रा को नियंत्रित करती है. प्रक्रिया एवं नियंत्रण, उचित उपयोगकर्ता संचालन और उपयोग में आ रहे प्रबंधकीय प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए है. बैंक के पास आईटी सेवाओं के रखरखाव के लिए उच्च प्रबंधतंत्र के पर्यवेक्षण एवं विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों सहयोग के अधीन कार्यरत आंतरिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी(डीआईटी) विभाग है. तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा मूल आईटी प्रणाली और नियंत्रण के वित्तीय विवरणियों पर व्यापक प्रभाव के कारण उस पर केंद्रित की गई है.	हमने मूल्यांकन कर मूल आईटी एप्लीकेशन, डाटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की, जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक रूप से प्रासंगिक सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को चिन्हित किया. लेखापरीक्षा और वित्तीय सूचनाओं को तैयार करने में उपयोग किए जा रहे सीबीएस और ट्रेजरी परिचालन से संबंधित मूल आईटी सिस्टम के लिए हमारी लेखापरीक्षा का फोकस क्षेत्र अभिगम सुरक्षा (विशेषाधिकार प्राप्त के ऊपर नियंत्रण सहित) के साथ एप्लीकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डाटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन के लिए है. विशेष रूप से : • हमने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक की आईटी नियंत्रण स्थिति एवं मूल परिवर्तनों को समझा है जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकती है. • हमने बैंक के मूल आईटी सिस्टम के ऊपर सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वियन और परिचालन प्रभाविता की जांच की है जो वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसमें कर्तव्यों के पृथककरण मूल्यांकन और विधिवत अनुमोदित आवेदनों पर आधारित प्रावधान/संशोधित किए गए अधिकारों के संचालन, समयबद्ध तरीके में निरस्त किए गए एक्जिट मामलों के संचालन के लिए बैंक के नियंत्रण का मूल्यांकन शामिल है. • हमने लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक प्रणाली सृजित रिपोर्टों के लिए मूल स्वचालित और मैनुअल व्यवसाय चक्रीय नियंत्रण और लॉजिक की भी जांच की है, साथ में प्रतिकारी नियंत्रणों अथवा आकलन हेतु निष्पादित वैकल्पिक प्रक्रियाओं, या जहां कोई असम्बोधित आईटी जोखिम हो जिससे वित्तीय विवरणियों, वित्तीय विवरणियों से अन्य सूचनाएं और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो, की भी जांच की है.

मूल लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
4. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे: ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों पर कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक दायित्व का आकलन (अनुसूची 17 की नोट संख्या 12 और अनुसूची 18 की नोट संख्या 4.8) प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह से समर्थित है, जहां भी आवश्यक समझा जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और बैलेंस शीट में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर आकस्मिक होता है। प्रबंधन के फैसले में, बैंक के खिलाफ कर मांगों सहित ऐसे दावों और मुकदमों से अंतत: देयता नहीं होगी। हालांकि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित/अनिश्चित हैं। इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।	हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। हमने व्यापक रूप से प्रावधानीकरण के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की समीक्षा की लेकिन चूंकि प्रभाव की सीमा भविष्य के विकास पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, इसलिए हम मुख्य रूप से उन अनुमानों और अनुमानों पर निर्भर थे, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के विषय हैं। हमने दावों और कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट और कानूनी राय पर भरोसा किया है और इस तरह के मुकदमों और दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, स्थिरता, हाल के आदेशों की जांच और/या विभिन्न कर प्राधिकरणों/न्यायिक मंचों और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई और उपलब्ध रिकॉर्ड और घटनाक्रम से लेकर आज तक के अंतिम समाधान पर दावों/मुकदमों के अंतिम दायित्व में बदलने की संभावना. उनसे प्राप्त संप्रेषण की समीक्षा करने के लिए हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है.
5. कोविड-19 के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में संशोधित लेखापरीक्षा पद्धतियों का उपयोग: कोविड-19 महामारी के कारण कई राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गयी एवं राज्य सरकारों/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लागू यात्रा प्रतिबंध और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को निर्देश दिए गए कि जहां भी भौतिक रूप से जाना संभव नहीं है वहां दूर से लेखा परीक्षा किए जाए जिसके कारण बैंक की कुछ शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों / आंचलिक कार्यालयों एवं केन्द्रीय कार्यालय के विभागों में जाकर लेखापरीक्षा नहीं किया जा सका. जैसा कि लेखापरीक्षक शाखाओं में व्यक्तिगत रूप से / भौतिक रूप से/ शाखाओं/विभागों के अधिकारियों से व्यक्तिगत चर्चा कर लेखापरीक्षा प्रमाण नहीं जुटा सके हैं, लेखापरीक्षकों ने इस संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मूल लेखापरीक्षा मामला माना है. तदनुसार, दूरस्थ (रिमोट) लेखापरीक्षा करने हेतु लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संशोधित की गई है.	लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी, कुछ राज्य सरकारों द्वारा लॉक डाउन घोषित किया गया एवं लेखा अवधि के दौरान कई राज्य सरकारों / स्थानीय प्रशासन द्वारा लागू यात्रा प्रतिबंधों के कारण लेखापरीक्षक (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) बैंक की कुछ शाखाओं/ क्षेत्रीय कार्यालयों / आंचलिक कार्यालयों / विभागों में नहीं जा सके और संबंधित कार्यालयों में लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं ली गयी. जहां भी भौतिक रूप से जाना संभव नहीं था बैंक द्वारा लेखापरीक्षकों को आवश्यक दस्तावेज / रिपोर्ट / प्रमाणपत्र डिजिटल, ई-मेल और सीबीएस के रिमोट एक्सेस तथा अन्य संगत एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराएं गएं. इस प्रकार लेखापरीक्षा प्रक्रिया लेखापरीक्षकों को उपलब्ध कराए गए उन दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकार्डों के आधार पर की गई जिनके उपर इस अवधि के लिए लेखापरीक्षा तथा रिपोर्टिंग के लिए लेखापरीक्षा प्रमाण के रूप में विश्वास किया गया. तदनुसार लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निम्नानुसार संशोधित की गई है: ● मूल बैंक की कुछ शाखाओं/ विभागों, जहां भौतिक रूप से जाना संभव नहीं था, वहां आवश्यक रिकार्ड/ दस्तावेज/ फॉर्म 111/ सीबीएस और अन्य एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेअर का सत्यापन रिमोट एक्सेस/ई-मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली किया गया.

मूल लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
	● ई-मेल और बैंक के सुरक्षित नेटवर्क के रिमोट एक्सेस के माध्यम से लेखापरीक्षकों को दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाणपत्रों और सम्बंधित रिकार्डों की स्कैन प्रतियों उपलब्ध करायी गयी जिसके माध्यम से सत्यापन किया गया. ● विडिओ कॉन्फ्रेन्सिंग, फोन / कॉन्फ्रेन्स कॉल, ई-मेल और अन्य तत्सम संप्रेषण चैनलों के माध्यम से संवाद और चर्चा के माध्यम से जांच की गई और आवश्यक लेखापरीक्षा प्रमाण जुटाएं गए. ● मूल बैंक के नामित अधिकारी के साथ आमने-सामने चर्चा के बजाय लेखापरीक्षा निरीक्षणों का समाधान फोन पर या ई-मेल के माध्यम से किया गया.

समेकित वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

6. मूल बैंक प्रबंधन एवं निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है. अन्य सूचना में अनुलग्नकों सहित कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जो हमने यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय प्राप्त की थी एवं निदेशक मंडल की रिपोर्ट और प्रबन्धतंत्र से चर्चा और विश्लेषण जो इसके बाद हमें प्राप्त होना अपेक्षित है, शामिल है किंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल न ही है.

समेकित वित्तीय विवराणियों पर हमारी राय में अन्य सूचना एवं नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बेसल III प्रकटीकरण) के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है और हम इस पर कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे.

समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा यह उत्तरदायित्व है कि उपर्युक्त चिन्हित अन्य सूचना जब भी उपलब्ध होगी, उसे पढ़ना है और ऐसा करते हुए इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणियों के साथ अथवा लेखापरीक्षा में हमे प्राप्त जानकारी के साथ वास्तविक असंगत है अथवा वह अन्यथा विषय से अयथार्थ प्रतीत होती है.

लेखापरीक्षा रिपोर्ट से पूर्व प्राप्त अन्य सूचना पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें यह तथ्य दर्शाना होता है. हमें इस सम्बंध में कुछ नहीं कहना है.

जब हम अनुलग्नकों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधतंत्र विचार-विमर्श एवं विश्लेषण पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह अयथार्थ प्रतीत होती है तो हमें उन आरोपित मामले को गवर्नेंस को सूचित करना आवश्यक है और लागू विधि एवं विनियामकों के अंतर्गत कार्यवाही निर्धारित करनी होगी.

गवर्नेंस को सूचित आरोपित मामलों और समेकित वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबन्धतंत्र की जिम्मेवारी

7. मूल बैंक प्रबंधन एवं निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुसार, तथा एवं बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 के अनुबन्ध 29 के प्रावधान एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश एवं परिपत्र के अनुसार बैंक की समेकित वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और समूह का समेकित नकद प्रवाह के मामले में सत्य एवं उचित जानकारी देता है. इस उत्तरदायित्व में सच्चा और निष्पक्ष प्रदर्शन करने वाली तथा धोखाधडी या त्रुटि के कारण गलत विवरण से मुक्त समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए समूह की आस्तियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव सहित धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं समाप्त करने हेतु, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा उन्हें लागू करना, निर्णय लेना तथा यह अनुमान लगाना कि वे उचित और विवेकपूर्ण है और लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता तथा परिपूर्णता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रकों की डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव का प्रभावी परिचालन करना भी शामिल है.

समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने कार्यशील संस्था के तौर निरंतर बने रहने के लिए बैंक की क्षमता का आंकलन करने, कार्यशील संस्थाओं को लागू मामलों संबंधी प्रकटीकरण तथा कार्यशील संस्था आधारित लेखांकन का उपयोग करने के लिए समूह के संबंधित निदेशक मंडल उत्तरदायी है तब तक समूह का संबंधित निदेशक मंडल न तो बैंक का परिसमापन करेगा या परिचालन रोकेगा जब तक ऐसा करने सिवाय कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो. समूह का संबंधित निदेशक मंडल समूह के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी है.

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य, यह तार्किक आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरणियां धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण एक समग्र रूप से विषयी अयथार्थ से मुक्त है, और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना जिसमें हमारी राय शामिल है. यह तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन एक गारंटी नहीं कि समेकित वित्तीय विवरणियों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा से हमेशा विद्यमान विषयी अयथार्थ का सदैव पता लगेगा. अयथार्थ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और यदि वैयक्तिक अथवा समग्र रूप में यह विषयगत समझा जायेगा, तो इन समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्त्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को तर्कसंगत रूप से प्रभावित कर सकता है.

लेखापरीक्षा के एक भाग के तौर पर, हम व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया का पालन करते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशयशीलता बनाए रखते हैं. हम यह भी करते हैं कि

- समेकित वित्तीय विवरणियों के विषयी अयथार्थ के जोखिम की पहचान अथवा आकलन करना, चाहे वो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर निष्पादित करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणास्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड सम्मिलित हो सकता है.
- लेखापरीक्षा से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रणों को समझना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो, लेकिन समूह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करना इसका उद्देश्य नहीं होता है.
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं सम्बंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना.
- लेखांकन तथा लिए गए लेखांकन साक्ष्य पर आधार पर प्रबंधन उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह को एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है. यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है,

  हमें अपना ध्यान अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर आकर्षित करना होगा अथवा, यदि अपनी राय को संशोधित करने के लिए ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं. हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है. तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह एक कार्यशील संस्था के रूप मे जारी रहना बंद हो सकता है.
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करना एवं क्या समेकित वित्तीय विवरणियां अंतरनिहित लेनदेनों एवं घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है.

  भौतिकता समेकित वित्तीय वक्तव्यों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए.

  हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में मूल बैंक के गवर्नेंस के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं.

  हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर गवर्नेंस का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा, जहां लागू हो पर उचित रूप से माना जा सकता है,

  गवर्नेंस के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं. हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनमानस लाभ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं.

अन्य मामले

9 (i) हमने 2 सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा नहीं किया, जिनके 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण ₹ 1229.14 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति, कुल राजस्व रु.131.18 करोड़, ₹ 2.64 करोड़ का शुद्ध नकदी प्रवाह परिलक्षित करता है जैसाकि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है. इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और सहयोगी के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, वह केवल केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

(ii) समेकित वित्तीय विवरणों में समूह के दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 119.15 करोड़ के शुद्ध नुकसान. का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, 3 सहयोगियों के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखा-परीक्षा नहीं की गई है. ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं. और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहयोगियों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है. हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपर्युक्त मामले के संबंध में संशोधित नहीं है.

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :-

10) समेकित बैलेंस शीट और समेकित लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

11) ऊपर पैरा 7 से 9 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधीन और जैसा कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा आवश्यक है, और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे जानकारी एवं विश्वास के लिए जो हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है:

बी. जो हमारे संज्ञान में आए लेन-देन समूह की शक्ति के भीतर हैं; तथा

सी. समूह के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं.

12) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए. हमारी राय में, समूह द्वारा विधिक द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, हमारे द्वारा उन पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका हमने दौरा नहीं किया है.

बी. समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता, और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए समेकित कैश फ्लो विवरणियां, खाते की संबंधित पुस्तकों के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाते हैं जिनका पर हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है.

सी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत समूह के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें अग्रेषित कर दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से निपटाया गया है; तथा

डी. हमारी राय में, समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं; इस हद तक कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं.

एएजेवी एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ आर नं. 007739एन

जे.पी.बजाज
भागीदार
एम नं. 086390
यूडीआईएन : 21086390एएएएसीई3901

कृते छाजेड एंड दोशी
सनदी लेखाकार
एफ आर नं. 101794डब्ल्यू

नितेश जैन
भागीदार
एम नं. 136169
यूडीआईएन: 21136169एएएएसीवी1662

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ आर नं. 309005 ई

विवेक नेवातिया
भागीदार
एम नं. 062636
यूडीआईएन : 21062636एएएएफडब्ल्यू4855

कृते अम्बेकर शेलर कर्वे एंड अम्बार्डेकर
सनदी लेखाकार

सचिन अंबेकर
भागीदार
एम नं. 108911
यूडीआईएन: 21108911एएएएडीए9312

स्थान : मुंबई
दिनांक : 07 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समेकित तुलन पत्र

(000 को छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2021 को ₹	31 मार्च 2020 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	**5,87,55,625**	5,70,97,627
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	**15,82,12,804**	15,82,67,393
अल्पांश हित	2A	**5,05,403**	4,53,179
आबंटन लंबित होने तक शेयर आवेदन राशि		**4,80,00,000**	–
जमा राशियां	3	**3,30,32,83,137**	3,14,20,11,415
उधार राशियां	4	**5,75,96,647**	6,07,60,328
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	**7,33,91,205**	15,29,16,925
कुल		**3,69,97,44,821**	**3,57,15,06,867**
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	**32,18,81,038**	30,05,99,916
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	**6,76,56,661**	6,04,45,599
निवेश	8	**1,48,51,80,075**	1,42,52,56,688
ऋण एवं अग्रिम	9	**1,57,38,90,795**	1,51,95,23,754
अचल आस्तियां	10	**5,13,28,977**	4,33,68,183
अन्य आस्तियां	11	**19,97,18,379**	22,22,23,831
समेकन पर गुडविल		**88,896**	88,896
कुल		**3,69,97,44,821**	**3,57,15,06,867**
आकस्मिक देयताएं	12	**92,13,92,979**	56,18,70,308
संग्रहण हेतु बिल		**11,89,87,674**	14,27,67,407
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन के नोट	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची समेकित तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

जहां आवश्यक हो आंकडों की पुनर्गणना / फिर से एकजुट किया गया है ताकि वर्तमान वर्ज के वर्गीकरण की पुष्टि की जा सके.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

राजीव पुरी
कार्यपालक निदेशक

मटम वेंकट राव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

पी. जे. थॉमस
निदेशक

श्रीमती मिनी आइप
निदेशक

एएजेवी एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ आर नं. 007739एन

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ आर नं. 309005 ई

कृते छाजड एंड दोशी
सनदी लेखाकार
एफ आर नं. 101794डब्ल्यू

अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अम्बार्डेकर
सनदी लेखाकार
एफ आर नं. 122063डब्ल्यू

सीए जे.पी.बजाज
भागीदार
एम नं. 086390
यूडीआईएन:21086390एएएसीई3901

सीए विवेक नेवातिया
भागीदार
एम नं. 062636
यूडीआईएन:21062636एएएएफडब्ल्यु4855

सीए नितेश जैन
भागीदार
एम नं. 136169
यूडीआईएन:21136169एएएसीवी1662

सीए सचिन अंबेकर
भागीदार
एम नं. 108911
यूडीआईएन:21108911एएए9312

स्थान : मुंबई
दिनांक : 07 जून, 2021

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

(000 को छोड़कर)

	विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज एवं लाभांश	13	**22,82,95,277**	23,67,55,902
	अन्य आय	14	**3,16,23,085**	3,62,23,979
	कुल		**25,99,18,362**	**27,29,79,881**
II.	**व्यय**			
	प्रदत्त ब्याज	15	**14,54,29,610**	16,00,45,607
	परिचालन व्यय	16	**6,79,86,091**	6,93,89,948
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		**5,52,87,517**	5,48,17,444
	कुल		**26,87,03,218**	**28,42,52,999**
III.	**लाभ/(हानि)**			
	ब्याज के पूर्व वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ/(हानि		**(87,84,856)**	(1,12,73,118)
	घटाएं: पूर्व अवधि मद		**-**	-
	घटाएं: अल्पांश ब्याज		**52,225**	36,407
	घटाएं: सीबीएचएफ में अतिरिक्त शेयरों का अधिग्रहण पूर्व लाभ		**-**	-
	अल्पांश ब्याज कटौती के बाद वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ/(हानि)		**(88,37,081)**	(1,13,09,525)
	जोड़े: एसोशिएट्स की आय/(हानि) में हिस्सेदारी		**(11,64,019)**	**(12,47,709)**
	वर्ष के लिए समूह का स्रोतजन्य समेकित लाभ/(हानि)		**(1,00,01,100)**	(1,25,57,234)
	जोड़े: समूह के लिए स्रोतजन्य वर्ष का आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)		**(17,42,86,952)**	(16,01,01,106)
	विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**(18,42,88,052)**	**(17,26,58,340)**
IV.	**विनियोजन**			
	को अंतरित :			
	सांवधिक आरक्षित		**-**	-
	निवेश आरक्षित		**30,72,389**	15,70,277
	राजस्व आरक्षित		**12,521**	13,304
	लाभांश पर कर		**-**	4,111
	विशेष आरक्षित 36(1)(viii) के अंतर्गत		**36,113**	40,920
	तुलन पत्र में लाया गया शेष		**(18,74,09,075)**	**(17,42,86,952)**
	कुल		**(18,42,88,052)**	**(17,26,58,340)**
	प्रति शेयर आय (₹ में)- मूल (सामान्य मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर)		**(1.73)**	**(2.69)**
प्रति शेयर आय (₹ में)- डाइल्यूटेड (सामान्य मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर)			**(1.73)**	**(2.69)**
विशेष लेखांकन नीतियां		17		
लेखा की टिप्पणियां		18		

उपर्युक्त संदर्भित समेकित लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग है.

आलोक श्रीवास्तव कार्यपालक निदेशक	**विवेक वाही** कार्यपालक निदेशक	**राजीव पुरी** कार्यपालक निदेशक	**मटम वेंकट राव** प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा **निदेशक**	**पी. जे. थॉमस** निदेशक	**श्रीमती मिनी आइप** निदेशक

एएजेवी एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ आर नं. 007739एन	**कृते एस जयकिशन** सनदी लेखाकार एफ आर नं. 309005 ई	**कृते छाजड एंड दोशी** सनदी लेखाकार एफ आर नं. 101794डब्ल्यू	**अम्बेकर शेलार कर्वे एंड अम्बार्डेकर** सनदी लेखाकार एफ आर नं. 122063डब्ल्यू
सीए जे.पी.बजाज भागीदार एम नं. 086390 यूडीआईएन:21086390एएएएसीई3901	**सीए विवेक नेवातिया** भागीदार एम नं. 062636 यूडीआईएन:21062636एएएएफडब्ल्यु4855	**सीए नितेश जैन** भागीदार एम नं. 136169 यूडीआईएन:21136169एएएएसीवी1662	**सीए सचिन अंबेकर** भागीदार एम नं. 108911 यूडीआईएन:21108911एएएए9312

स्थान : मुंबई

दिनांक : 07 जून, 2021

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समेकित तुलनपत्र की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2021 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूँजी		**10,00,00,000**		10,000,00,000
प्रत्येक ₹ 10/- के 10,00,00,00,000 शेयर				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी	**5,87,55,625**		5,70,97,627	
इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/- के 5875562460 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5709762724 इक्विटी शेयर) सहित केद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के 5275014715 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 5275014715 इक्विटी शेयर)				
कुल		**5,87,55,625**		**5,70,97,627**
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**2,07,59,131**		2,07,59,131	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–		–	
		2,07,59,131		**2,07,59,131**
II. प्रारक्षित निधि				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**2,96,25,988**		3,07,45,958	
जोड़े: वर्ष के दौरान समायोजन	**88,19,556**		-	
घटाएं: राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण	**5,09,945**		5,68,075	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	**(13,235)**		-5,51,895	
		3,79,22,814		**2,96,25,989**
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**1,32,25,422**		1,16,55,145	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**30,72,389**		15,70,277	
		1,62,97,811		1,32,25,422
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**24,10,70,269**		22,15,38,334	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	**8,92,002**		1,95,31,935	
		24,19,62,271		24,10,70,269
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	**2,65,48,101**		2,54,80,952	
जोड़े: पूंजी राजस्व से अंतरण	**5,09,495**		5,68,075	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**2,88,218**		11,64,129	
(*) जोड़े: प्रारंभिक शेष समायोजन	-		(6,67,192)	
जोडे/घटाए : वर्ष के दौरान समायोजन	-		2,137	
		2,73,18,305		2,65,48,101
V विशेष प्रारक्षित निधियाँ धारा 36 (1) (viii)		**13,61,546**		13,25,433
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		**(18,74,09,075)**		(17,42,86,952)
कुल		**15,82,12,804**		**15,82,67,393**

(*) लेखापरीक्षा पश्चात समायोजन आरआरबी के परिणामों में बदल के कारण है. ऐसे आरआरबी के अनऑडिटेड वित्तीय विवरणों के आधार पर पिछले वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपालन किया गया.

जहां आवश्यक हो आंकडों की पुनर्गणना / फिर से एकजुट किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि की जा सके.

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 2ए: अल्पसंख्यक ब्याज				
माता-पिता/सहायक संबंध अस्तित्व में आने की तिथि पर अल्पसंख्यक ब्याज	24,500		24,500	
बाद में वृद्धि / कमी	4,80,903		4,28,679	
तुलन-पत्र की तिथि पर अल्पसंख्यक ब्याज		5,05,403		4,53,179
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंक से	**65,67,481**		33,48,395	
ii) अन्य से	**16,25,14,897**		15,07,26,625	
		16,90,82,378		15,40,75,020
II. बचत बैंक जमाराशियां		**1,45,66,70,191**		1,30,19,99,950
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	**54,32,722**		3,69,89,420	
ii) अन्य से	**1,67,20,97,846**		1,64,91,96,925	
		1,67,75,30,568		**1,68,59,36,445**
कुल		**3,30,32,83,137**		**3,14,20,11,415**
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**3,30,32,83,137**		**3,14,20,11,415**
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		–		–
अनुसूची 4 : उधार राशियाँ				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	**1,76,40,000**		66,90,000.00	
ii) अन्य बैंक	**26,30,298**		26,06,321	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	**6,35,349**		17,73,007	
iv) अनारक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	**53,00,000**		53,00,000	
v) अपर टियर II बॉन्ड्स	-		1,30,00,000	
vi) नवान्मेष बेमियादी ऋण लिखत	**13,91,000**		13,91,000	
vi) असुरक्षित पुर्नमोचनीय एनसी बासल III बॉण्डस (टीयर II)	**3,00,00,000**		3,00,00,000	
		5,75,96,647		**6,07,60,328**
II. भारत के बाहर उधारराशियां		**-**		-
कुल		**5,75,96,647**		**6,07,60,328**
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल	**78,43,261**		62,03,584	
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	**1,02,978**		8,77,45,538.00	
III. उपचित ब्याज	**74,43,934**		80,63,393	
IV. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	-		-	
V. अन्य (प्रावधान सहित)	**5,80,01,032**	**7,33,91,205**	5,09,04,410	15,29,16,925
कुल		**7,33,91,205**		**15,29,16,925**

जहां आवश्यक हो आंकडों की पुनर्गणना / फिर से एकजुट किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि की जा सके.

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)		**1,47,54,204**		1,66,75,009
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	14,71,26,834		17,99,24,907	
अन्य खातों में	16,00,00,000		10,40,00,000	
		30,71,26,834		28,39,24,907
कुल		**32,18,81,038**		**30,05,99,916**
अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	5,10,385		8,05,530	
बी) अन्य जमा खातों में	32,767		2,60,678	
		5,43,152		**10,66,208**
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	20,00,000		1,93,50,000	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	-		-	
कुल. I		**20,00,000**		**1,93,50,000**
		25,43,152		**2,04,16,208**
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	6,51,13,509		4,00,29,391	
बी) अन्य जमा खातों में	-			
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
कुल. II		**6,51,13,509**		4,00,29,391
कुल..... (I + II)		**6,76,56,661**		**6,04,45,599**
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश : *				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	**1,10,38,56,620**		1,09,52,05,963	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
iii) शेयर्स	**79,19,176**		54,38,140	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	**35,39,72,427**		27,66,12,442	
v) असोसिएट्स में निवेश	**4,82,119**		9,17,892	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यिक पेपर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि)	**1,73,08,826**		4,55,53,697	
		1,48,35,39,168		**1,42,37,28,134**
II. भारत के बाहर निवेश **				
i) सरकारी प्रतिभूतियों	-		-	4,74,885
ii) असोसिएट्स	**16,40,907**		15,28,554	
कुल		**16,40,907**		**15,28,554**
		1,48,51,80,075		**1,42,52,56,688**
* भारत में निवेश :				
निवेश का सकल मूल्य	**1,53,59,15,436**		1,47,21,31,436	
घटाएं: मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**5,23,76,268**		4,84,03,302	
शुद्ध निवेश		**1,48,35,39,168**		**1,42,37,28,134**
** भारत के बाहर निवेश :				
निवेश का कुल मूल्य	**16,40,907**		15,28,554	
घटाएं: मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध निवेश		**16,40,907**		**15,28,554**
कुल		**1,48,51,80,075**		**1,42,52,56,688**

जहां आवश्यक हो आंकडों की पुनर्गणना / फिर से एकजुट किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि की जा सके.

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 9 : ऋण एवं अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गऐ बिल	**89,00,535**		87,07,602	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	**70,45,31,176**		71,74,91,219	
iii) मीयादी ऋण	**86,04,59,084**	**1,57,38,90,795**	79,33,24,933	1,51,95,23,754
कुल		**1,57,38,90,795**		**1,51,95,23,754**
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	**1,53,15,17,512**		1,46,86,53,692	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	**3,66,01,365**		24,80,671	
iii) अरक्षित	**57,71,918**	**1,57,38,90,795**	4,83,89,391	1,51,95,23,754
कुल		**1,57,38,90,795**		**1,51,95,23,754**
सी. अग्रिमों का खंडवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**80,54,49,608**		73,90,82,594	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	**5,09,87,479**		3,52,55,809	
iii) बैंक	**4,926**		4,684	
iv) अन्य	**70,63,68,249**	**1,56,28,10,262**	74,51,80,667	1,51,95,23,754
कुल		**1,56,28,10,262**		**1,51,95,23,754**
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
अनुसूची 10 : अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	**4,02,25,174**		4,02,29,395	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**88,89,449**		44,780	
कुल	**4,91,14,623**		**4,02,74,175**	
वर्ष के दौरान कमी / समायोजन	**13,354**		49,009	
कुल	**4,91,01,269**		4,02,25,166	
आज तक का मूल्य-हास	**85,28,592**		**79,40,090**	
कुल I		**4,05,72,677**		**3,22,85,076**
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एव जुडनार सहित)				
पिछले वर्ष 31 मार्च को शेष राशि	**3,42,01,799**		3,12,44,089	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	**31,41,536**		37,43,980	
कुल	**3,73,43,335**		**3,49,88,069**	
वर्ष के दौरान कमी / समायोजन	**20,01,934**		7,86,270	
कुल	**3,53,41,401**		**3,42,01,799**	
इस दिनांक को मूल्यह्रास	**2,45,85,101**		2,31,18,692	
कुल II		**1,07,56,300**		**1,10,83,107**
कुल.... (I + II)		**5,13,28,977**		**4,33,68,183**

जहां आवश्यक हो आंकडों की पुनर्गणना / फिर से एकजुट किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि की जा सके.

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	**2,25,54,880**		1,99,53,120	
II. अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	**4,23,83,268**		5,37,37,981	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	**2,05,553**		2,09,837	
IV. आस्थगित कर आस्तियां	**7,53,92,820**		**7,60,68,866**	
V. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध).	**-**		-	
VI. अन्य	**5,91,81,858**		**7,22,54,027**	
कुल		**19,97,18,379**		**22,22,23,831**

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. (ए) बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है		**13,83,689**		10,14,448
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		**1,77,15,073**		1,73,71,599
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		**35,59,281**		40,10,248
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		**73,37,62,848**		35,02,01,250
IV. ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	**10,69,33,332**		11,88,38,461	
बी) भारत के बाहर	**63,28,682**		74,99,916	
		11,32,62,014		12,63,38,377
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		**2,64,31,675**		4,27,13,097
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		**2,52,78,399**		2,02,21,289
कुल		**92,13,92,979**		**56,18,70,308**

जहां आवश्यक हो आंकडों की पुनर्गणना / फिर से एकजुट किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि की जा सके.

दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष ₹	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	**11,73,26,965**	12,60,92,661
II. निवेशों पर आय	**10,01,38,785**	9,92,49,408
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज	**67,60,466**	48,08,903
IV. अन्य	**40,69,061**	66,04,930
कुल	**22,82,95,277**	**23,67,55,902**
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	**1,11,59,510**	1,13,78,451
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	**1,38,05,508**	1,21,49,423
III. विनिमय लेनदेनों पर लाभ / (हानि) (शुद्ध)	**8,66,918**	23,03,830
IV. भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ /(हानि)	**(2,09,964)**	(2,24,129)
V. भारत/विदेशों में स्थित अनुषंगियों एवं सहयोगियों से लाभांश के रूप में अर्जित आय	–	–
VI. विविध आय	**60,01,113**	1,06,16,404
कुल	**3,16,23,085**	**3,62,23,979**
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाओं पर ब्याज	**13,99,17,399**	15,40,00,683
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज	**6,20,931**	8,04,915
III. अन्य	**48,91,280**	52,40,009
कुल	**14,54,29,610**	**16,00,45,607**
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	**4,15,02,341**	4,22,58,653
II. किराया, कर एवं बिजली	**49,54,177**	49,53,346
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	**2,66,222**	3,10,361
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	**48,055**	1,09,291
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	**29,25,288**	28,54,811
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	**9,952**	17,073
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	**3,87,069**	2,82,930
VIII. विधि प्रभार	**1,63,217**	3,46,065
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	**9,71,751**	9,07,565
X. मरम्मत एवं रखरखाव	**11,67,395**	10,45,430
XI. बट्टाकृत अशोध्य ऋण	–	-
XII. बीमा	**43,80,824**	37,86,203
XIII. अन्य व्यय	**1,12,09,800**	1,25,18,220
कुल	**6,79,86,091**	**6,93,89,948**

अनुसूची 17 - महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

1. ए) तैयार करने का आधार :

इसके साथ संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां के साथ लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए, परिसरों के पूनर्मूल्यन के मामलों को छोड़ कर परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं एवं सभी तात्विक पहलुओं के संबंध में वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987, आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निदेशन 2010, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंटस् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उदघोषणाएं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं समाविष्ट हैं.

बी) प्राक्कलनों का उपयोग :

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान सूचित आय एवं व्यय पर विचार करते हुए प्रबंधतंत्र के प्राक्कलनों और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है. प्रबंधतंत्र को यह विश्वास होता है कि समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं. आकस्मिकताएं तब दर्ज की जाती हैं जब किसी देयता के उत्पन्न होने की संभावना हो तथा उसकी राशि का तर्कसंगत आकलन किया जा सकता हो. वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच अंतर उस वर्ष में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/कार्यान्वित होते हैं.

2. समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह (2अनुषंगियों एवं 3 असोशिएट [2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित] के साथ समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है:

ए. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां

बी. इंस्टीटयूट ऑफ चाटर्ड एकाउंटेटंस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक-21 "समेकित वित्तीय विवरणों" के अनुसार, सभी महत्त्वपूर्ण अंत:समूह शेषों/लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानियों को समाप्त करने के पश्चात एवं इन अनुषंगियों से उनके सम्बंधित लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर मूल बैंक की समरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक रहा है, का समायोजन करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की संगत मदों के साथ पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है.

सी. अनुषंगियों में निवेश, जहां समूह के पास 20% अथवा उससे अधिक का मतदान अधिकार प्राप्त है, इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-23 "समेकित वित्तीय विवरणों" में असोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार इक्विटी प्रणाली का उपयोग करने के लिए हिसाब में लिया गया है तथा इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, एक असोशिएट्स, की वित्तीय विवरणियां, स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं/ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप तैयार की गई हैं. इन असोशिएट्स से प्राप्त वित्तीय विवरणियां ही उनके इन समेकित विवरणियों में समावेशन का संपूर्ण आधार तैयार करती हैं.

डी. असोशिएट्स अर्थात इंडो जांबिया बैंक का लेखांकन वर्ष कैलेन्डर वर्ष है. ऐसे मामले जिनमें असोशिएट्स का लेखांकन वर्ष, मूल बैंक से भिन्न है तो, लेखापरीक्षित अवधि के लिए लाभ/ हानि आनुपातिक हिस्सा लिया गया एवं गैर लेखापरीक्षित अवधि के लिए, गैर लेखापरीक्षित आंकड़ों का आनुपातिक लाभ का हिस्सा लिया गया.

ई. यह समेकित वित्तीय विवरणी, लेनदेन एवं समान तथ्यों के अन्य मामलों के लिए उपयोग की जा रही एकल लेखांकन नीतियों पर तैयार की गई हैं तथा अन्य विवरणों को छोड़कर कम्पनी के अलग वित्तीय विवरणों के अनुसार समान रीति में यथासम्भव प्रस्तुत की गई है.

2.2 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्प शेयरों में निम्न शामिल हैं:

i. अनुषंगी में किए गए निवेश की तारीख को अल्प शेयरों के कारण इक्विटी की राशि, जिस दिन अनुषंगी में निवेश किया गया, एवं

ii. मूल बैंक एवं अनुषंगी के सम्बंध अस्तित्व में आने की तिथि से इक्विटी में अल्प शेयरों के हिस्से में संचलन

3. विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन-देन

3.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर विदेशी मुद्रा राशि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर पर लागू करके दर्ज किया जाता है.

3.2 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण फेडाई द्वारा वर्ष के समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

3.3 मौद्रिक मदों के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर उन दरों से भिन्न होते हैं जिन पर उन्हें शुरू में दर्ज किया गया था, उन्हें उस अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे दिखाई देते हैं.

3.4 विदेशी मुद्रा में गारंटियाँ, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित किए जाते हैं.

3.5 बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा संसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

3.6 ट्रेडिंग के लिए धारित बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन निर्दिष्ट परिपक्वताओं के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर किया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है.

4. निवेश :

निवेश सभी प्रतिभूतियों में लेनदेन "निपटान तिथि" पर दर्ज किए जाते हैं.

(ए) मूल बैंक

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को परिपक्वता तक धारित(एचटीएम), व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) तथा विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को तुलन पत्र में अनुसूची 8 के निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है :

i. सरकारी प्रतिभूतियां

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

iii. शेयर्स

iv. डिबेंचर्स एवं बॉण्डस्

v. अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों

vi. अन्य (वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड के यूनिट्स)

4.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण समय नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्न वर्गों में किया जाता है:

i) परिपक्वता तक धारित : इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है. अनुषंगी एवं सहयोगी में निवेश को भी परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

ii) व्यापार के लिए धारित : खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुन: बिक्री के लिए रखे गए निवेशों को व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

iii) विक्रय के लिए उपलब्ध: वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं. उन्हें विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) में वर्गीकृत किया जाता है.

iv) निवेशों का वर्गीकरण आईआरएसी मानदंडों तथा आरबीआई द्वारा जारी बैंकों के निवेश पोर्टफ़ोलिओ के वर्गीकरण, मूल्यनिर्धारण तथा परिचालन हेतु प्रुडेंशियल मानदंडों के आधार पर निष्पादक तथा गैर-निष्पादक आस्तियों में किया गया है.

4.3

i) श्रेणियों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण : निवेश की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण/स्थानांतरण, अंतरण की तारीख को न्यूनतम अधिग्रहण लागत/बही मूल्य अथवा बाजार मूल्य पर लेखांकित की जाती है. इस अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि है, का पूर्ण प्रावधान किया जाता है.

ii) अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, सिवाय उन निवेशों के, जिन्हें विशेष रूप से इसके बाद के निपटान की दृष्टि से अर्जित किया जाता है. इन निवेशों को एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

4.4 मूल्यनिर्धारण :

ए) परिपक्वता तक धारित:

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है. अनुषंगी एवं सहयोगी में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक वैयक्तिक निवेश के लिए, जो अपने स्वरूप में अस्थाई से अलग है, के धारित लागत में ह्रास को घटाकर किया जाता है

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार बाजार के लिए निम्नवत चिन्हित किया जाता है :

i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां स्टॉक एक्सचेंज/एफआईबीआईएल द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर.

ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, परिपक्वता आय पर विनियोजन के आधार पर

iii) ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/वाणिज्यिक पेपर धारित लागत पर

iv) इक्विटी शेयर्स

ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर

बी) अनुद्धृत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) तुलनपत्र उपलब्ध हो, या रु. 1/- प्रति कंपनी, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो.

v) अधिमानी शेयर्स

ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर

बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय

vi) डिबेंचर एवं बॉण्ड्स

ए) उद्धृत : (पिछले 15 दिनों में व्यापार किए गए) अंतिम व्यापार मूल्य पर

बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय

vii) म्युच्युअल फंड

ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर

बी) अनुद्धृत : पुन: क्रय मूल्य पर या शुद्धआस्ति मूल्य (जहां पुन: क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)

viii) वेंचर पूंजी निधि (वीसीएफ)

घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के ब्रेक-अप आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजी निधि (वीसीए) के लिए रु.1/-.

ix) प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर) एससी /एआरसी द्वारा सूचित आस्ति मूल्य पर

प्रतिभूतियों के बही मूल्य को समायोजित किए बिना प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को नजरअंदाज किया जाता है.

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईबीआईएल द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रत्येक श्रेणी में शुध्द मूल्यन्हास पर, प्रतिभूतियों के पुस्त मूल्य को एवं शुध्द अभिमूल्यन, यदि कोई हो, को अनदेखा किया गया है, प्रावधान किया गया है.

4.5 लागत निर्धारण :

i) निवेश की लागत का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है.

ii) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त ब्रोकरेज, प्रोत्साहन, प्रारम्भिक शुल्क इत्यादि को निवेश की लागत में से घटाया जाता है.

iii) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर होने वाले खर्च यथा ब्रोकरेज, शुल्क, कमीशन अथवा करों को लाभ हानि खाते के राजस्व पर प्रभारित किया जाता है.

4.6 आय निर्धारण :

ए. मूल बैंक

i) निवेशों की बिक्री पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान (शुद्ध लागू करों और "वैधानिक आरक्षित" खाते में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक राशि) पर लाभ "पूँजी आरक्षित खाते" में विनियोजित की गयी है.

ii) निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा जैसा भी मामला हो, अवमानक/ संदिग्ध/ हाँनि के रूप में वर्गीकृत किया गया है और निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान किया गया है, समय-समय पर जारी किए गए आरबीआई के निर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक है. अग्रिमों के रुप में डिबेंचर /बॉड पर लागू होने वाले अग्रिम सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होते है.

iii) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण को अवमानक/संदिग्ध/हानि, जैसा भी मामला हो, के साथ में वर्गीकृत किया जाता है यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो विवेक सम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हों अथवा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हों.

iv) प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि के ब्याज को आय मद माना गया है

v) बाजार खरीद और रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन के साथ-साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत आरबीआई के साथ लेनदेन को आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उधार और उधार लेनदेन के रूप में माना जाता है.

vi) रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखांकन (भारिबैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत लेनदेन के अलावा)

ए) रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची तथा खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार तथा उधार लेनदेन में लेखांकन किया जाता है.

बी) हाँलाकि, प्रतिभूतियों को सामान्य प्रत्यक्ष बिक्री/खरीद लेनदेन के मामले में स्थानांतरित किया जाता है और प्रतिप्रविष्टि तथा रेपो/ रिवर्स रेपो का उपयोग करके प्रतिभूतियों का ऐसा संचलन परिलक्षित होता है.

सी) उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख को रिवर्स की जाती है. लागत और राजस्व को ब्याज व्यय आय, जैसा भी मामला हो, के रुप में लेखांकन किया जाता है. रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची 4(उधार)के तहत वर्गीकृत किया गया है तथा रेपो रिवर्स की शेष राशि को अनुसूची 7 (मांग और अल्प नोटिस पर बैंकों और राशि के साथ शेष राशि) के तहत वर्गीकृत किया गया है.

डी) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एलएएफ के अंतर्गत बिक्री/क्रय की गई प्रतिभूतियों पर व्यय / अर्जित ब्याज को व्यय /राजस्व के लिए लेखांकन.

vii) अंकित मूल्य पर छूट के अर्जित परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अलावा) को निम्नानुसार मान्यता दी जाती है:

ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल बिक्री/प्रतिदान के समय ही मान्यता दी जाती है.

बी) शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर, यह एक स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि से अधिक के लिए लेखांकन जाता है.

viii) एलसी/बीजी पर कमीशन, आस्थगित भुगतान गारंटी को अवधि के दौरान प्रोद्भवन आधार पर आनुपातिक रूप से मान्यता दी जाती है. अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी वसूली पर मान्यता दी जाती है.

(बी) अनुषंगियाँ :

i. अनुषंगियों के मामलों में, निवेशों को चालू एवं गैर चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेश निम्न लागत अथवा बाजार मूल्य पर किए जाते हैं एवं गैर चालू निवेश लागत पर किए जाते है. यदि मूल्य में ह्रास स्थायी प्रकृति की है तो ह्रास के लिए प्रावधान, यदि है तो गैर चालू निवेश के मूल्य पर ही किया जाता है.

5. डेरिवेटिव्ज :

बैंक तुलन पत्र/ऑफ बैलेंस शीट से इतर आस्तियों और देनदारियों को रोकने के लिए या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप और क्रॉस करेंसी स्वैप जैसे डेरिवेटिव अनुबंध में प्रवेश करता है.

5.1 वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्ज का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है.

i. ऐसे मामलों में, जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार को चिन्हित हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

ii. जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य को चिन्हित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है

iii. स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

5.2 व्यापार के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्ज का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है :

i) एमसीएक्स - एसएक्स, एनएसई और यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज के विनिमय दिशानिर्देशानुसार करेंसी फ्यूचर और ब्याज दर फ्यूचर को दैनिक आधार पर बाजार हेतु चिन्हित किया जाता है.

ii) एमटीएम लाभ/हानि मार्जिन खाते में दैनिक आधार पर जमा/ नामे द्वारा लेखांकित किया जाता है और वही अंतिम निपटान के समय बैंक के लाभ और हानि खाते में लेखांकित होना चाहिए.

iii) बाजार के लिए ट्रेडिंग स्वैप नियमित अंतराल पर चिन्हित किए जाते है. किसी भी तरह की एमटीएम हानि दर्ज की जाती है और किसी प्रकार के लाभ, यदि हो तो उनकी उपेक्षा की जाती है.

iv) स्वैप की समाप्ति पर प्राप्ति अथवा हानि को उपरोक्त हेड के अंतर्गत तत्काल आय/व्यय के रूप में अभिलेखित किया जाता है.

6. अग्रिम :

ए. मूल बैंक

i) अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं अथवा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा आवश्यक हो.

ii) गैर-निष्पादित आस्तियों में आंशिक वसूली पहले मूलधन और उसके बाद ब्याज के लिए विनियोजित की जाती है.

हाँलाकि, जहां किसी भी उधारकर्ता खाते को पिछली तारीख से गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, खाते को मानक के रूप में वर्गीकृत किए जाने तक किसी भी वसूली को पहले ऋण और अग्रिम पर ब्याज में जमा किया जाता है. ढअर्थात दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) की संरचना, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन, दीर्घकालिक परियोजना ऋण की लचीली संरचना (5/25) , उधार लेने वाली संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना से बाहर) के लिए योजना.

iii) अग्रिम प्रावधानों, (एनपीए के मामलों में) अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडीट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएसआई/ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीजीसी) से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाए गये है.

iv) मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - अन्य में शामिल हैं.

v) पिछ्ले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के विरुद्ध वसूल की गई राशि को वसूली के वर्ष में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है.

vi) बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :

ए) यदि प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/आस्ति पुनर्निमाण कंपनी (एआरसी) को की गयी बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी या तो लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है अथवा दिनांक 26.02.2014 को अथवा उसके पश्चात की गयी आस्तियों की बिक्री पर इस प्रकार की कमी को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो/एक वर्ष की अवधि में समय विस्तारित किया गया है, जो आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन है.

बी) एनपीए की बिक्री का लेखांकन आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है:

i) जब बैंक अपनी वित्तीय संपत्ति प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्निमाण कंपनी (आरसी) को बेचता है, तो उसे बही से हटा दिया जाता है.

ii) यदि नकद आधार पर एनबीवी से अधिक कीमत पर बिक्री हुई हो तो उस आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है.

iii) यदि एससी/एआरसी को एनबीवी के मूल्य से अधिक पर बिक्री हुई हो तो नकद वसूली के समान प्रावधान आधिक्य को लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है एवं शेष बचे प्रावधान आधिक्य को एससी/एआरसी को बेचे जाने वाली वितीय आस्तियों की कमी/हानि के लिए उपयोग करने हेतु रखा जाता है.

iv) यदि बिक्री शुद्ध अंकित मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है,(अर्थात अंकित मूल्य कम प्रावधान धारित) तो बिक्री के वर्ष में कमी को लाभ और हानि खाते में डेबिट कर दिया जाता है.

बी. अनुषंगियाँ

i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रावधान, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जाता है.

ii) सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लिमिटेड के मामले में, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) जहां ब्याज की गणना वसूली होने पर की जाती है, ऐसे मामले को छोड़कर ब्याज आय उपचय आधार पर मानी जाती है. ऋणों में, मूलधन एवं ब्याज सहित चुकौती समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के माध्यम से प्राप्त की जाती है. ब्याज की गणना माह के आरम्भ में बकाया शेष के आधार पर की जाती है. संपूर्ण ऋण संवितरित होने के पश्चात ईएमआई शुरू होती है. ईएमआई का आरम्भ होना लम्बित रहने पर, प्री-ईएमआई मासिक ब्याज वसूल किया जाता है. एनपीए के मामले में वसूली होने पर पहले बकाया ईएमआई के ब्याज अंश को वसूल किया जाता है एवं इसके पश्चात बकाया ईएमआई के मूलधन अंश को वसूल किया जाता है.

7. देश एक्सपोजर के लिए प्रावधान: आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार धारित विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, व्यक्तिगत देश के एक्सपोजर (स्वदेश के अलावा) के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, महत्वहीन, निम्न, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च, प्रतिबंधित और ऑफ-क्रेडिट तथा मौजुदा भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किए गए है. यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का देश एक्सपोजर (शुद्ध) कुल वित्त पोषित संपत्ति के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे देश एक्सपोजरपर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. प्रावधान अन्य देयताएँ तथा प्रावधान - अन्य शीर्षके तहत तुलन पत्र की अनुसूची 5 में परिलक्षित होता है.

8. अचल आस्तियाँ/ मूल्यह्रास

ए. मूल बैंक

8.1 अचल संपत्तियों को संचित मूल्यह्रास/परिशोधन घटाकर लागत पर ले जाया जाता है.

लागत में खरीद की लागत और सभी व्यय जैसे कार्यस्थल की तैयारी, स्थापना लागत, कर और उपयोग से पूर्व संपत्ति पर व्यय किया गया प्रोफेशनल शुल्क शामिल हैं.

8.2 उपयोग में लाई गई परिसम्पत्ति में किए गए बाद के व्यय का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियो या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभों को बढ़ाता है.

8.3 अचल आस्तियों का मूल्यह्रास मूल्यह्रासित मूल्य प्रणाली के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है. (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यह्रास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है.)

i) अनुमानित जीवन काल के आधार पर परिवर्तनीय दरों पर परिसर
ii) फर्नीचर, लिफ्ट, सेफ वाल्ट 10%
iii) वाहन, प्लांट तथा मशीनरी 20%
iv) वातानूकूलन यंत्र, कूलर, टाईपराईटर आदि 15%
v) सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर 33.33%

(अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है)

8.4 आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर अन्य अचल आस्तियाँ सीधी रेखा विधि.

8.5 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ली गयी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि माना जाता है तथा 99 वर्ष या उससे कम वर्षो वाली भूमि को पट्टे पर ली गई भूमि माना जाता है. पट्टेवाली भूमि का मूल्य पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

8.6 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां मूल्यह्रास सम्मिश्र लागत पर किया गया है.

8.7 ये आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनका मूल्यह्रास / परिशोधन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है, जिसे लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि को निरूपण योग्य वृद्धिशील मूल्यह्रास / परिशोधन को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधी से अंतरित कर राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां में जमा किया गया है.

8.8 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है.

30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है.

8.9 बैंक पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल अचल आस्तियों पर विचार करता है. पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है.

इसके बाद हर तीन साल में पुनर्मूल्यांकन की गई आस्तियों का मूल्यांकन किया जाता है.

8.10 पुनर्मूल्यांकन के कारण परिसंपत्तियों के शुद्ध अंकित मूल्य में वृद्धि को लाभ और हानि खाते के माध्यम से क्रम किए बिना पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है.

पुनर्मूल्यांकन की गई आस्तियों पर अतिरिक्त मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और पुनर्मूल्यांकन भंडार से अन्य राजस्व भंडार में विनियोजित किया जाता है.

8.11 पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन की गई आस्तियों का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर किया जाता है.

बी. अनुषंगियाँ

i) अचल संपत्तियों में अधिग्रहण की लागत उपचित मूल्यह्रास को कम करके बताई गई है. लागत में अंचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए खर्चों के आकस्मिक सभी खर्च शामिल है.

ii) सेन्टबैंक फाइनैंसशियल सर्विसेज लिमिटेड के मामले को छोड़ कर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास कम्पनी, 2013 के अनुसूची II में निर्धारित दरों के आधार पर सरल रेखा पद्धति पर किया जाता है, अमूर्त आस्तियों पर प्रबंधन एवं परिशोधन के अनुसार निर्धारित 5 वर्ष की आस्तियों की उपयोगिता काल परिशोधित है.

9. कर्मचारी लाभ:

ए. मूल बैंक

i) कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान दी गयी सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभों को उपचित किया गया है.

ii) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, वे होते हैं जो उस वर्ष प्रदान की गयी सेवाओं के लिए संबंधित वर्ष के लाभ हानि के खाते में व्यय के रूप में माने गए है.

iii) परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेच्युटी में अंशदान, पेंशन निधि एवं अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के लिए देयताओं का निर्धारण बीमांकित मूल्यांकन तकनीक के उपयोग से प्राप्त वर्तमान मूल्य के आधार पर वर्ष के अंत में किया गया है. बीमांकित लाभ / हानि की गणना उनके उत्पन्न होने वाले वर्ष में ही की जाती है.

iv) बीमांकित लाभ/हानि को उस वर्ष में पहचाना जाता है जब दिखाई देते हैं. भविष्य निधि एक निर्धारित योगदान है जिसके तहत बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर एक निर्धारित योगदान का भुगतान करता है.

v) बैंक का कर्तव्य इस निर्धारित योगदान तक सीमित है.

vi) यह योगदान लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

vii) राष्ट्रीय पेंशन योजना, जो उन कर्मचारियों पर लागू है जिनकी बैंक में नियुक्ति दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके बाद हुई है, एक निर्धारित योगदान योजना है. बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित योगदान का भुगतान करता है. बैंक का कर्तव्य इस निर्धारित योगदान तक सीमित है. यह योगदान लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया जाता है.

अल्प अवधि कर्मचारी लाभ :

viii) कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

बी. अनुषंगियाँ

i) सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लि., एक अनुषंगी के मामले में ग्रेज्युटी राशि का प्रावधान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम के समूह परिपक्वता योजना में निवेश किया गया है. कर्मचारी भविष्य निधि के मामले में कम्पनी का योगदान सरकारी भविष्य निधि द्वारा किया जाता है एवं लाभ-हानि के विवरणियों में प्रभारित किया जाता है. अवकाश नकदीकरण देयता का प्रावधान वर्ष के अंत में कर्मचारियों के शेष अर्जित अवकाश के आधार पर गणना की जाती है.

10. आय एवं व्यय की पहचान :

ए . मूल बैंक

10.1 विनियामक प्रावधानों के अनुसार नकद आधार पर लेखांकित आय को छोड़कर, आय/ व्यय की मदों को सामान्यत: उपचित आधार पर लेखांकित किया गया है.

10.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यदि कोई मद कुल आय / कुल व्यय के एक प्रतिशत से अधिक हो तो उसके संबंध में पूर्व की अवधि का प्रकटीकरण किया गया है.

10.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान किया जाता हैं.

बी. अनुषंगियाँ

i) सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि. के मामले में, ऋणों एवं अग्रिमों पर आय का निर्धारण राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जाता है.

ii) सेन्ट बैंक होम फायनेंस लि. के मामले में, फीस एवं अन्य प्रभारों जैसे लॉगिन फीस, अतिदेय पर दंडस्वरूप ब्याज, पूर्वभुगतान प्रभार आयकर रिफंड पर ब्याज इत्यादि से प्राप्त आय को प्राप्ति आधार पर लिया जाता है.

iii) सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के मामले में, निर्वाहक ट्रस्टी व्यवसाय के संबंधों में आय, ट्रस्ट खाते से संबंधित लेनदेन होने पर प्राप्त की जाती है. डिबेंचर एवं प्रतिभूति ट्रस्टीशिप सेवाओं से प्राप्त राजस्व, आवधिक आधार पर निर्धारित किया जाता है एवं दाखिल किए गए वाद और/अथवा बीआईएफआर कम्पनियों के डिवेंचर ट्रस्टीशिप व्यवसाय से होने वाली आय जिसमें प्राप्य आधार पर गणना की जाती है, को छोड़कर उपचय आधार पर गणना की जाती है.

11. आय पर करों के लिए लेखांकन :

वर्ष के लिए कर के प्रावधान में आयकर अधिनियम, 1961 और लेखांकन मानक 22- आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार गणना की गई वर्तमान कर देयता शामिल है. आस्थगित कर को उतना ही माना जायेगा, कर योग्य आय और एक अवधि में उत्पन्न होने वाली लेखांकन आय के बीच समय के अंतर को पहचानता है और एक या अधिक बाद की अवधि में परिवर्तन होने में सक्षम है.

आस्थगित कर आस्तियों को उतना ही माना जाएगा जितने के लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियों के समक्ष पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होने की तर्कसंगत सुनिश्चितता हो.

आगे लाए गए अनवशोषित मूल्यह्रास एवं कर हानि के मामलों में, आस्थगित कर आस्तियों को तभी माना जाएगा जब ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को भावी कर योग्य आय से हासिल किया जा सकेगा.

आस्थगित कर आस्तियों की धारित राशि की वसूली के पुर्नआकलन के कारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है.

विवादित कर देयताओं का लेखांकन उस वर्ष में किया जाता है जिसमें कर निर्धारण/अपील कार्रवाई पूर्ण होती है, तब तक इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दिखाया जाता है.

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है.

12. प्रावधान, आकस्मिकता एवं अनुषंगी आस्तियां :

12.1 भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी एएस29, प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्ति के अनुरूप, बैंक केवल प्रावधानों को मान्यता देता है, जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप इसकी वर्तमान दायित्व होती है, और इसके परिणामस्वरूप संभावित दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

12.2 निम्न के लिए कोई प्रावधान मान्य नहीं किया गया है

i) कोई भी संभावित दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी, न कि पूरी तरह से बैंक के नियंत्रण में होगी, या

ii) कोई भी वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि :

ए. यह संभव नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या

बी. दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है. इनका नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है और दायित्व

के केवल उस हिस्से के लिए प्रदान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है, केवल अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है.

12.3 बीमांकिक अनुमानों पर बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवॉर्ड प्वॉइंट का प्रावधान किया जा रहा है.

12.4 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही प्रकट किया जाता है.

13. खंड रिपोर्टिंग :

बैंक व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड के रूप में और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में मान्यता देता है.

14. प्रति शेयर आय :

बैंक, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए एएस20- ठप्रति शेयर आयठ के अनुसार प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड आय की रिपोर्ट करता है. बेसिक प्रति शेयर की गणना ईक्विटि शेयरधारक को पात्र अवधि के लिए आरोप्य शुद्ध लाभ/हानि को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बकाया शेष शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है. प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय संभावित कमजोर पड़ने को दर्शाता है जो तब हो सकता है जब इक्विटी शेयर जारी करने के लिए अनुबंधों का प्रयोग किया गया या वर्ष के दौरान परिवर्तित किया गया. प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटिंग आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत के रूप में बकाया संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है.

15. विविध अनाबंटित आय एवं प्राप्त राशियां

सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि., एक अनुषंगी के मामले में, जिन लाभार्थियों का विवरण प्राप्त न किया जा सके उन लाभार्थी की प्राप्त राशियों को सांकेतिक खाते के विविध लेनदार, अदावाकृत लाभांश/ब्याज एवं अनाबंटित मोचन पर अदावाकृत प्राप्त राशि में जमा की जाती है.

भुगतानकर्ता से जैसे ही लाभार्थी के बारे में विवरण प्राप्त होते हैं उस राशि को लाभार्थी के संबंधित खाते में अंतरित कर दिया जाता है.

16. प्रावधान, आकस्मिकता एवं आकस्मिक आस्तियां :

पिछले कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न अनिश्चित समय अथवा राशि के ऐसे वर्तमान दायित्वों जिनका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो एवं उन दायित्वों के समाधान के लिए आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों का बहिर्गमन संभव हो, के वर्तमान दायित्वों के लिए प्रावधान मान्य किए जाते हैं जब आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता संभावित न हो अथवा राशि का विश्वस्त आकलन नहीं किया जा सकता हो तो आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के अत्यन्त क्षीण रहने तक ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है.

वित्तीय विवरणियों में अनुषंगी आस्तियों को न तो मान्य किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

आलोक श्रीवास्तव	**विवेक वाही**	**राजीव पुरी**
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक

मटम वेंकट राव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	**थॉमस मैथ्यु**	**श्रीमती मिनी आइप**
निदेशक	निदेशक	निदेशक

कृते एएजेवी एंड असोशिएट्स	**कृते एस. जयकिशन**	**कृते छाजेड एंड जोशी**	कृते अंबेकर शेलार कर्वे एंड अंबार्डेकर
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ.आर. सं. 007739एन	एफ.आर. सं. 309005ई	एफ.आर. सं. 101794 ड्ब्ल्यू	एफ.आर. सं. 309005ई
(सीए के.पी. बजाज)	**(सीए विवेक नेवाटिया)**	**(सीए नितेश जैन)**	**(सीए सचिन अंबेकर)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एम.नं. 086390	एम. नं. 062636	एम.नं. 136169	एम.नं. 108911

स्थान : मुम्बई
तारीख: 07 जून, 2021

अनुसूची 18 : समेकित वित्तीय लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणियों को बनाने में शामिल अनुषंगियाँ एवं एसोशिएट्स

1.1 समेकित वित्तीय विवरणियों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक), इसकी दो अनुषंगियाँ (जिन्हें सम्मिलित रूप से "दि ग्रुप" के संदर्भित किया गया है) एवं 4 एसोशिएट, जिनमें मूल बैंक द्वारा प्रायोजित 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड शामिल है, के लाभ/हानि शेयर का विवरण निम्नानुसार है :

अनुषंगी/एसोशिएट का नाम	निगमन-देश	दिनांक 31 मार्च, 2019 को स्वामित्व हित	दिनांक 31 मार्च 2020 को स्वामित्व हित
सेन्टबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	64.40%	64.40%
सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	100.00%	100.00%
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (एसोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (एसोशिएट)	जाम्बिया	20.00%	20.00%

1.2 अनुषंगियां तथा एसोसिएट में जिन वित्तीय विवरणियों का समेकन के लिए उपयोग किया गया हैं, उनको उसी तारीख को तैयार किया गया है, जिस तारीख को मूल बैंक की विवरणियां तैयार की गई हैं अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2021 को सिवाय इंडो जाम्बिया बैंक लि. के, जिसकी रिर्पोटिंग अवधि कैलेन्डर वर्ष है. तदापि लाभ की राशि दिनांक 31.03.2021 को समाप्त के लिए लेखापरीक्षित वित्तीत विवरणियों के आधार पर ली गई है. इंडो झाम्बिया बैंक की वित्तीय विवरणी स्थानीय नियमों के अंतर्गत अपनाए गए लेखांकन नीतियों के अनुसार तैयार की गई है. प्रबंधन के अभिमत में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है.

1.3 एसोशिएट्स में मूल बैंक के लाभ / हानि का संचित शेयर, समूह के संचित आरक्षित निधियों में सदृश समायोजन के साथ निवेश के रखरखाव लागत सहित जोड़ा/ घटाया गया है.

1.4 अनुषंगी, अन्य आवास वित्त संस्थानों की तरह सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लिमिटेड लम्बी अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है, जबकि प्राप्त जमाएं/ देयताएं लघु अवधि के लिए प्राप्त की जाती है, जिससे असंगतता उत्पन्न होती है. आस्ति एवं देयता मे इन्हें पर्याप्त ऋण सुविधा की उपलब्धता कराई जा रही है.

1.5 अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा अनुषंगियों और एसोशिएट की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की जा चुकी है, एशोसिएट के वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा अलेखापरीक्षित तथा प्रमाणित है.

2. समेकित वित्तीय विवरणी बनाने में, जहाँ कहीं अनुषंगियों तथा एसोशिएट द्वारा एक ही प्रकार के लेन देन के लिए अलग लेखांकन नीतियां अपनाई गयी हैं, प्रबंधन के विचार से यह कोई विशेष बात नहीं है, हेतु समायोजन नहीं किए गए.

3. मूल बैंक

3.1 पूंजी

3.1.1 दिनांक 31.03.2021 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी बढ़कर ₹ 5875.56 करोड़ हो गयी जो पिछले वर्ष ₹ 5709.76 करोड़ थी. यह वृद्धि दो आबंटनों में ₹ 10/- प्रत्येक के 165799736 नए इक्विटी शेयर जारी करने से हुई है.

दिनांक 28.09.2020 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ₹ 10/- के 165799736 इक्विटी शेयर पात्र संस्थागत निवेशकों को योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के तहत ₹ 15.38 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर आबंटित किए गए हैं जिसमें ₹ 5.38 प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम शामिल है, जो कुल मिलाकर ₹ 255 करोड़ है.

भारत सरकार ने 31 मार्च, 2021 को इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटनों के लिए ₹ 4800 करोड़ निवेश किए हैं. इसे शेयर मनी एप्लीकेशन खाते में रखा गया है, लंबित आवंटन और भा.रि.बैंक चल संदर्भ संख्या डीओआर.सीएपी.एस83/21/01/002/2021-22 दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के संदर्भ में सीईटी 1 पूँजी के भाग के रूप में माना जाता है. परिणामी स्वरूप दिनांक 29 मई, 2021 को ₹ 10/- प्रति के 280,53,76,972 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को ₹ 17.11 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर ₹ 7.11 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित आबंटित किए गए थे.

3.2 बहियों का संतुलन / मिलान :

3.2.1 मूल बैंक अंतर कार्यालय समायोजन (आईबीआर) खाते में शामिल खातों के विभिन्न शीर्षों में बकाया शेष/प्रविष्टियों का मिलान करने की प्रक्रिया में

है. वर्ष के दौरान, बैंक ने पिछ्ले साल से संबंधित 'राजस्व और अन्य आरक्षित खाते' में ₹ 27.57 करोड़ की पहचान की और उन्हें स्थानांतरित कर दिया.

दिनांक 31 मार्च 2021 को आईबीआर खाते का शेष ₹ 10.30 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) है और दिनांक 31 मार्च, 2020 को ₹ 8774.55 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) था.

3.2.2 निम्नलिखित मदों का समतुलन नियमित रूप से किया जा रहा है:

– अंतर शाखा कार्यालय शेष
– अंतर बैंक खाते
– उचंत खाते
– समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
– नॉमिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
– नोस्ट्रो खाते
– एटीएम से संबंधित शेष
– सेन्ट्रल कार्ड विभाग द्वारा रखे गए प्रतिरुप खाते
– कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का डाटा/सिस्टम अद्यतन
– जीएसटी
– अन्य आस्तियाँ
– अन्य देयताएँ

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होगा.

3.3 आय कर:

3.3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.

3.3.2 अन्य आस्तियां अनुसूची 11 (ii). में ₹ 1771.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1735.07 करोड़) शामिल हैं, जो मूल बैंक द्वारा भुगतान किए गए या आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक उद्‌घोषणाओं एवं बैंक के अपने मामलों में पक्ष में हुए निर्णयो के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया.

3.3.3 भारत सरकार ने कराधान कानून अध्यादेश (संशोधन) 2019 दिनांक 20 सितंबर, 2019 के तहत आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) में धारा 115बीबीए सम्मिलित किया है जो घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तो के अधीन 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने के लिए एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है. बैंक ने अधिनियम की प्रयोज्यता का आकलन किया है और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मौजूदा कर दर (अर्थात 34.944%) को जारी रखने का विकल्प चुना है.

3.4 परिसर :

बैंक द्वारा लीज पर प्राप्त परिसरों की परिसम्पत्तियों की लागत ₹ 1.45 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.75 करोड़) है, जिसके पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी भी प्रक्रियाधीन है.

बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर 31.03.2021 को बाजार मूल्य को दर्शाने के लिए बैंक के परिसर का पुनर्मूल्यांकन किया गया था तथा उसके मूल्य में ₹ 881.96 करोड़ की वृद्धि करके पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया गया है.

ऐसी आस्तियां जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, उनमें मूल्यह्रास का प्रावधान पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है एवं लाभ/हानि खाते को प्रभारित किया गया है. पुनर्मूल्यांकित राशि ₹ 58.85 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 112.00 करोड़) पर आरोप्य वृद्धिशील मूल्यह्रास की राशि को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि से अंतरित कर राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि में जमा किया गया है.

3.5 अग्रिम / प्रावधान :

3.5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, मूल बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पतियों /आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा.

3.5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल बैंक ने शुद्ध एनपीए की गणना के लिए सकल एनपीए में से फ्लोटिंग प्रावधान ₹ 100.56 करोड़ (गत वर्ष ₹ 100.56 करोड़) एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान की राशि ₹ 47.34 करोड़ (गत वर्ष ₹ 47.34 करोड़) की शुद्धि की गई है.

3.5.3 अनार्जक आस्तियों के लिए अस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानों में विचलन का प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारिबैं द्वारा अनुमानित अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताएं प्रावधानों एवं आकस्मिक व्यय के पूर्व दर्ज लाभ के 10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक है, यह निम्नलिखित प्रकटीकरण आस्ति वर्गीकरण एवं एनपीए हेतु प्रावधान में विचलन से संबंधी भारिबैं की परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.63/21.04.018/2018-19 दिनांक 01.04.2019 के अनुसार बनाई गई है.

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	मूल बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 को सकल एनपीए	32589.08
2.	भारिबैं के निर्धारण अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 को सकल एनपीए	32678.08
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	89.00
4.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 को शुद्ध एनपीए	11534.46
5.	भारिबैं के निर्धारण अनुसार 31 मार्च, 2020 को शुद्ध एनपीए	11104.46
6.	शुद्ध एनपीए में विचलन (5-4)	(430.00)
7.	बैंक के रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को एनपीए हेतु प्रावधान	19872.08
8.	भारिबैंक के निर्धारण के अनुसार 31 मार्च, 2020 को एनपीए हेतु प्रावधान	20391.08
9.	प्रावधानों में विचलन (8-7)	519.00
10.	दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट की गई कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी)	(1121.35)
11.	प्रावधानों में विचलन की गणना करने के पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ (पीएटी) समायोजित (काल्पनिक)	(1640.35)

मूल बैंक ने 31 मार्च, 2021 तक उक्त विचलन के प्रति आवश्यक प्रावधान किया है.

3.6 भा.रि.बैं. द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

कुछ आवास ऋण खातों पर भारिबैंक के परिपत्र दिनांक 30.09.2013 के मानदंडों का अनुपालन न करने पर हमारे बैंक को ₹ 0.50 करोड़ (पिछले वर्ष निरंक) से दण्डित किया हैं.

करेंसी चेस्ट परिचालन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों का अनुपालन न करने के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47 ए (1) (ए) सह पठित धारा 46(4) (i) के अंतर्गत बैंक को ₹ 0.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.27 करोड) से दण्डित किया हैं.

*जैसा कि प्रबंधन द्वारा अनुपालन किया गया है और लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

बी. वित्तीय अंवेषण इकाई- भारत द्वारा लगाया गया दंड

आम चुनाव (लोक सभा) -2019 एफयूआई- भारत के आदेश दिनांक 23.12.220, अलर्ट नं. 5 के तहत रिपोर्ट-1 तथा रिपोर्ट-2 प्रस्तुत करने के देरी के कारण एफयूआई- भारत को ₹ 0.02 करोड़ से दण्डित किया है, उक्त दण्ड बैंक द्वारा 15 जनवरी, 2021 को दिया गया.

4. लेखांकन मानकों का अनुपालन

इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण किया जाता है :

4.1 लेखांकन मानक - 9 राजस्व पहचान

मूल लेखांकन नीति संख्या 8 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की गई है. तथापि, कथित आय को महत्वपूर्ण नहीं माना गया है.

4.2.1लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

i) सुपरिभाषित लाभ योजना :

जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया और लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

कर्मचारी पेंशन योजना तथा उपदान (ग्रेच्युटी) प्लान

निम्नलिखित तालिकाएं मूल बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित पेंशन योजनाओं और उपदान योजना की स्थिति निर्धारित करती हैं.

(₹ करोड़ में)

मद	पेंशन योजना		उपदान योजना	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**वि.व.(20-21)**	**वि.व.(19-20)**	**वि.व.(20-21)**	**वि.व.(19-20)**
1 अप्रैल 2020 परिभाषित लाभ दयित्व खोलना	15,421.82	14,245.10	1,623.23	1,648.13
वर्तमान सेवा लागत	78.11	71.81	82.84	64.61
ब्याज लागत	1,000.65	1,108.27	101.61	128.39
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00
वास्तविक हाँनियाँ (लाभ)	598.99	1,187.72	244.23	82.98
प्रदत्त लाभ	(1,541.90)	(1,191.08)	(325.24)	(300.88)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च,2021 को परिभाषित लाभ दायित्व को बंद करना	15,557.68	15,421.82	1,726.67	1,623.23

(₹ करोड़ में)

योजना आस्तियों में परिवर्तन	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
	वि.व.(20-21)	वि.व.(19-20)	वि.व.(20-21)	वि.व.(19-20)
1 अप्रैल, 2020 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियों को खोलना	14,939.64	14,645.14	1,720.32	1,878.26
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1,037.01	1,139.39	106.55	146.32
नियोक्ता द्वारा अंशदान	487.00	0.00	0.00	0.00
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(1,541.90)	(1,191.08)	(325.24)	(300.88)
योजना आस्तियों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	276.30	346.19	32.99	(3.38)
31 मार्च,2021 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियों को बंद करना	15,198.05	14,939.64	1,534.62	1,720.32

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में मान्य राशि	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
	वि.व.(20-21)	वि.व.(19-20)	वि.व.(20-21)	वि.व.(19-20)
31 मार्च, 2021 को वित्त पोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,557.68	15,421.82	1,726.67	1,623.23
31 मार्च,2021 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियाँ	(15,198.05)	(14,939.64)	(1,534.62)	(1,720.32)
कमी/ (अतिरिक्त)	359.63	482.18	192.05	(97.09)
शुद्ध देयताएँ / (आस्ति)	359.63	482.18	192.05	(97.09)

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि खाते में मान्य मूल लागत	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
	वि.व.(20-21)	वि.व.(19-20)	वि.व.(20-21)	वि.व.(19-20)
वर्तमान सेवा लागत	78.11	71.81	82.84	64.61
ब्याज लागत	1,000.65	1,108.27	101.61	128.39
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(1,037.01)	(1,139.39)	(106.55)	(146.32)
वर्ष के दौरान स्वीकृत शुद्ध वास्तविक हानियाँ/(लाभ)	322.69	841.53	211.24	86.36
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान" में परिभाषित लाभ योजनाओं की कुल लागत शामिल है	364.45	882.22	289.14	133.04

(₹ करोड़ में)

योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल तथा वस्तविक प्रतिफल का समयोजन	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
	वि.व.(20-21)	वि.व.(19-20)	वि.व.(20-21)	वि.व.(19-20)
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	1,037.01	1,139.39	106.55	146.32
योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि)	276.30	346.19	32.99	(3.38)
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	1,313.31	1,485.58	139.54	142.94

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में स्वीकृत शुद्ध देयता / (आस्ति) खोलने तथा बंद का समायोजन	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
	वि.व.(20-21)	वि.व.(19-20)	वि.व.(20-21)	वि.व.(19-20)
1 अप्रैल, 2020 को शुद्ध देयता/ (आस्ति) खोलना	482.18	(400.04)	(97.09)	(230.13)
लाभ एवं हानि खाते में स्वीकृत व्यय	364.45	882.22	289.14	133.04
नियोक्ता अंशदान	(487.00)	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में स्वीकृत शुद्ध देयताएँ/(आस्तियाँ)	359.63	482.18	192.05	(97.09)

दिनांक 31 मार्च, 2021 को पेंशन फंड तथा उपदान फंड के योजना आस्तियों के तहत निवेश निम्नानुसार है -

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन फंड	उपदान फंड
	योजना अस्तियों का %	योजना अस्तियों का %
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	0.83	2.81
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	17.75	31.23
ऋण प्रतिभूतियाँ, मनी मार्केट प्रतिभूतियाँ तथा बैंक जमा	23.31	42.90
म्युच्युअल फंड	2.30	4.43

बीमाकर्ता प्रबंधित निधि	55.81	18.63
अन्य	0	0
कुल	100	100

मूल वास्तविक अनुमान	पेंशन योजना	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
मद	वि.व.(20-21)	वि.व.(19-20)
छूट दर	6.85	6.83
योजना आस्तियों पर प्रतिफल का अपेक्षित दर	6.85	6.83
वेतन वृद्धि दर	5.00	5.00
पेंशन वृद्धि दर	4.00	0.00
संघर्षण दर	2.50	0.50
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम(2012-14)	आईएएलएम (2006-08)

मूल वास्तविक अनुमान	उपदान योजना	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
छूट दर	6.55	6.84
योजना आस्तियों पर प्रतिफल का अपेक्षित दर	6.55	6.84
वेतन वृद्धि दर	5.00	5.00
संघर्षण दर	2.50	0.50
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम (2012-14)	आईएएलएम (2006-08)

योजना में अधिशेष / कमी

(रु. करोड़ मे)

उपदान योजना					
	वर्ष समाप्ति				
तुलन पत्र में मान्य राशि	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
बर्ष के समाप्ति पर देयताएँ	1,847.13	1,741.56	1,648.13	1,623.23	1,726.66
वर्ष समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,656.73	2,124.94	1,878.26	1,720.32	1,534.62
अंतर	190.40	(383.38)	(230.13)	(97.09)	192.04
तुलन पत्र में मान्य राशि	190.40	(383.38)	(230.13)	(97.09)	192.04

(रु. करोड़ मे)

अनुभव समायोजन	वर्ष समाप्ति				
तुलन पत्र में मान्य राशि	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
योजना देयताएँ(लाभ)/हानि पर	318.59	(511.99)	(29.08)	(6.34)	249.60
योजना आस्ति(हानि)/लाभ पर	9.91	14.57	(42.56)	(3.38)	32.99

योजना में अधिशेष / कमी

(रु. करोड़ मे)

पेंशन योजना					
	वर्ष समाप्ति				
तुलन पत्र में मान्य राशि	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
बर्ष के समाप्ति पर देयताएँ	12,484.08	13,821.17	14,245.10	15,421.82	15,557.67

वर्ष समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	12,420.00	13,515.58	14,645.14	14,939.64	15,198.04
अंतर	64.08	305.59	(400.04)	482.18	359.63
तुलन पत्र में मान्य राशि	64.08	305.59	(400.04)	482.18	359.63

अनुभव समायोजन	वर्ष समाप्ति				
तुलन पत्र में मान्य राशि	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021
योजना देयताएँ(लाभ)/हानि पर	1,053.22	1,029.93	422.24	12.65	2,279.00
योजना आस्ति(हानि)/लाभ पर	25.11	263.51	(72.66)	346.19	276.30

अगले वर्ष के लिए पेंशन और उपदान फंड में अपेक्षित योगदान क्रमशः ₹ 359.63 करोड़ तथा ₹ 105.80 करोड़ रुपये है.

परिभाषित योगदान योजना :

बैंक की एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती हुए सभी श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होती है. इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड नियमितता और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है. 2020-21 के दौरान, बैंक ने ₹ 103.67 का योगदान दिया है. (पिछ्ले वर्ष ₹ 91.85 था)

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (अवित्तीय दायित्व):

वर्ष के दौरान बैंक वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित अवकाश नकदीकरण व्यय के समक्ष ₹ 131.20 करोड़ (पिछ्ले वर्ष ₹ 99.27 करोड़) का व्यय माना है.

4.2.2 सेन्ट बैंक होम फाइनांस लि., अनुषंगी, पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युइटी कवर प्रदान करती है. अपने देयता की निधियों के लिए, कम्पनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से एक पॉलिसी ले रखी है, अपने कर्मचारियों की संचित ग्रेच्युइटी देयता का कवर एवं इस पॉलिसी की प्रीमियम का भुगतान लाभ एवं हानि खाते से किया जाता है. अवकाश नकदीकरण देयता हेतु प्रावधान की गणना, दिनांक 31 मार्च, 2021 को कर्मचारियों की की सावधि अवकाश के शेष पर की जाती है. दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए यही दिया गया है.

4.3 लेखांकन मानक 17 – समूह का खंडवार रिपोर्ट

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित खंडवार रिपोर्ट

₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी		कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		योग	
विवरण	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
राजस्व	12,601.19	12,252.52	6,596.13	7,212.85	6,792.99	7,830.39	1.53	2.23	25,991.84	27,297.99
परिणाम	4,004.01	2,380.29	-3,825.59	-2,802.95	-1,397.14	-459.30	0.03	0.80	-1,218.69	-881.16
अनाबंटित व्यय									211.95	156.91
परिचालन लाभ									-1,430.64	-1,038.07
आयकर									-430.53	217.65
असाधारण लाभ/हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	-	-
निवल लाभ									-1,000.10	-1,255.72
अन्य सूचना :										
खंडवार आस्तियां	1,92,414.73	1,76,075.99	80,425.43	82,540.75	80,861.29	83,441.22	6.31	11.05	3,53,707.76	3,42,069.01
अनाबंटित आस्तियां									16,266.72	15,268.43
कुल आस्तियां									3,69,974.48	3,57,337.45
खंडवार दायित्व	1,97,847.44	1,81,122.41	72,576.79	77,633.98	73,046.86	77,038.73	6.55	5.82	3,43,477.64	3,35,800.94
अनाबंटित दायित्व										
कुल दायित्व									3,43,477.64	3,35,800.94
विनियोजित पूंजी	-5,432.71	-5,046.42	7,848.64	4,906.77	7,814.43	6,402.49	(0.23)	5.23	10,230.12	6,268.07
अनाबंटित									16,266.72	15,268.43
कुल विनियोजित पूंजी									26,496.48	21,536.49

*जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, वहां खंडवार आस्तियों के आधार पर खंडवार राजस्व एवं खर्चों का विनियोजन किया गया है. चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक समझा गया, वहां आंकड़ों का पुनर्समूहीकरण किया गया है.

i) जहाँ प्रत्यक्ष आबंटन सम्भव नहीं है, वहाँ खंडवार आस्तियों के आधार पर खंडवार राजस्व एवं खर्चों का विनियोजन किया गया है.

ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है. द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.

iii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं.

iv) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में '5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर सहित) की सीमा तक के सभी एक्सपोजर शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, स्तरीय मानदंड तथा वैयक्तिक एक्सपोजर के अधीन है.

v) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं.

vi) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं.

vii) रिटेल बैंकिग खंड प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, इनके द्वारा लिए गए निधियों हेतु रिटेल बैंकिंग खंड की क्षतिपूर्ति करती है, जिसे इनके द्वारा अर्जित जमाओं की औसत लागत माना गया है.

नग) लागत का आबंटन :

ए एक विशिष्ट खंड से संबंधित खर्चे सीधे उस खंड को आबंटित किए जाते हैं.

बी किसी विशिष्ट खंड से सीधे सम्बंध न किए जा सकने वाले खर्चों को विवेकपूर्ण आधार आबंटित किया गया है.

4.4 लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण - संबद्ध पार्टी (मूल बैंक की)

1 संबद्ध पार्टियों की सूची :

(ए) दिनांक 31.03.2021 को प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	**पदनाम**
i)	श्री एम वी राव (दिनांक 01.03.2021 से)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ii)	श्री पल्लव महापात्र (दिनांक 28.02.2021 तक)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
iii)	श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री विवेक वाही (दिनांक 10.03.2021 से)	कार्यपालक निदेशक
	श्री राजीव पुरी (दिनांक 10.03.2021 से)	कार्यपालक निदेशक
	श्री बी.एस. शेखावत (08.10.2020 तक)	कार्यपालक निदेशक
	अनुषंगियाँ	
	सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि.	
i)	श्री शीशराम तुंडवाल	प्रबंध निदेशक
ii)	श्री मनीष सिंह पायल	कंपनी सचिव
iii)	श्री आशीष मित्तल	पूर्व- मुख्य वित्त अधिकारी
iv)	श्री विजय कुमार सिंह	पूर्व- मुख्य वित्तअधिकारी

2. संबद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन:

प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी को भुगतान किया गया पारिश्रमिक :

(रु. करोड़ में)

नाम	**पदनाम**	**प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति**	
मूल बैंक		**31.03.2021**	**31.03.2020**
श्री एम वी राव (दिनांक 01.03.2021 से)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	0.02	-

श्री पल्लव महापात्र (दिनांक 28.02.2021 तक)	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	0.94	0.32
श्री आलोक श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	0.27	0.26
श्री विवेक वाही (दिनांक 10.03.2021 से)	कार्यपालक निदेशक	0.01	-
श्री राजीव पुरी (दिनांक 10.03.2021 से)	कार्यपालक निदेशक	0.01	-
श्री बी.एस. शेखावत (दिनांक 08.10.2020 तक)	कार्यपालक निदेशक	1.30	0.28
श्री पी.आर. मूर्ति (दिनांक 16.02.2020 तक)	कार्यपालक निदेशक	-	0.83
कुल		**2.55**	**1.69**
सीबीएचएफएल			
श्री शीशराम तुंडवाल	प्रबंध निदेशक	0.20	0.19
श्री मनीष सिंह पायल	कंपनी सचिव	0.14	0.08
श्री आशीष मित्तल	पूर्व-मुख्य वित्तीय अधिकारी	0.10	-
श्री विजय कुमार सिंह	पूर्व-मुख्य वित्तीय अधिकारी	-	0.28

नोट: आईसीएआई द्वारा जारी एएस-18, के पैरा 9 सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण के अनुसार अनुषंगियों एवं सहायक उद्यमों के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है क्योंकि यह राज्य नियंत्रित उद्यम द्वारा किसी अन्य सम्बद्ध राज्य नियंत्रित उद्यम से सम्बंधित लेनदेन के प्रकटीकरण न करने की छूट देता है.

आगे, एएस-18 के पैरा 5 के संदर्भ में केएमपी और केएमपी के रिश्तेदारों सहित बैंकर-ग्राहक संबंधों की रूप में लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है

4.5 लेखांकन मानक 20 - समूह की प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक एएस 20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना निम्नानुसार की गई है :

	31.3.2021	31.3.2020
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में)	(1000.11)	(1255.72)
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	5793798207	4666040090
प्रति शेयर मूल आय (₹)	(1.73)	(2.69)
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	(1.73)	(2.69)
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10.00	10.00

4.6 लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

आरबीआई द्वारा सीईटी1 की परिगणना में आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के दिशानिर्देशों में संशोधन एवं प्रावधानीकरण की महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, समयांतरण के सापेक्ष प्रबंधन द्वारा अनुमानित संभाव्य कर लाभ के आधार पर की गई समीक्षा से दिनांक 31 मार्च, 2021 को रु.7539.27 करोड़ आस्थगित कर आस्तियों के रूप में अभिचिन्हित किए गए हैं.

दिनांक 31 मार्च, 2021 को आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
मूल बैंक				
व्यावसायिक हानि	2278.67	1591.74	0.00	0.00
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	331.41	285.56	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	5810.18	6579.73	0.00	0.00
सेवानिवृत्ति लाभ	0.00	0.00	0.00	33.93
उपचित ब्याज; परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं	0.00	0.00	787.93	695.83
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि	0.00	0.00	34.94	34.94
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.00	0.00	51.71	75.53
सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि.				
अग्रिमों पर प्रावधान	7.57	7.14	0.00	0.00
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.02	0.02	0.00	0.00
अन्य	0.05	0.10	0.91	1.37
आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत का विशेष आरक्षित निधि	0.00	0.00	13.16	16.37
सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (शुद्ध)	**0.02**	**0.56**	**0.00**	**0.00**
योग	**8427.92**	**8464.85**	**888.65**	**857.97**
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	**7539.27**	**7606.88**		

लाभ-हानि खाते में वर्ष 2020-21 के लिए आस्थगित कर आस्तियों में शुद्ध कमी ₹ 67.61 करोड़ (पिछले वर्ष बढ़ोत्तरी ₹ 275.23 करोड़) मानी गई.

4.7 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियाँ है, जिन आस्तियों पर लेखाकंन मानक-28 लागू नहीं है. प्रबंधन तंत्र के मत में, दिनांका 31 मार्च, 2021 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है. जिसे मानक आधार पर मान्य करने की आवश्यकता है.

4.8 प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर - लेखांकन मानक 29 (मूल बैंक)

(i) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ-हानि खाते के शीर्ष 'व्यय' के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का ब्रेक-अप	31.03.2021	31.03.2020
निवेश पर प्रावधान/ह्रास (शुद्ध)	398.67	1065.54
एनपीए हेतु प्रावधान	5128.99	4229.40
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	263.15	172.34
कर हेतु किए गए प्रावधान	(436.03)	211.86
पुनर्गठित ऋणों पर प्रावधान	76.49	(158.82)
अन्य प्रावधान	86.34	(54.83)
कुल	**5517.61**	**5465.49**

(ii) अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	100.56	100.56
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	-
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	100.56	100.56

(iii) प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
ए	प्रतिचक्रीय प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	47.34	47.34
बी	लेखा वर्ष में किए गए प्रतिचक्रीय प्रावधानों की राशि	-	-
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	-	-
डी	प्रतिचक्रीय प्रावधान खाते में अंतिम शेष	47.34	47.34

5. अन्य प्रकटीकरण

5.1 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व :

वर्ष के दौरान सेन्ट बैंक होम फायनेन्स, अनुषंगी ने कंपनी अधिनियम 2013 एवं इसके नियमों के अंतर्गत धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए ₹ 0.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.42 करोड़) खर्च किए.

5.2 प्रोवीजनिंग कवरेज रेशो (पीसीआर)

पीसीआर (टैक्नीकल राइट ऑफ सहित) 82.54% (गत वर्ष 77.29%) रहा - मूल बैंक.

पीसीआर (टैक्नीकल राइट ऑफ सहित) 69.13% (गत वर्ष 64.61%) रहा - मूल बैंक.

5.3 सेन्ट बैंक फायनेन्शियल सर्विसिस लि., अनुषंगी, शेयर्स, प्रतिभूतियों एवं अचल संपत्तियों की प्रकृति में अपने ग्राहक के पक्ष में न्यासी लाभार्थी संबंध में प्रत्ययी के रूप में निवेश करता है, जोकि निदेशक मंडल की दृष्टि में पर्याप्त सुरक्षित है एवं उचित अभिलेखित है एवं इस प्रत्ययी संबंध से संबंधित सभी उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूप से निवर्हन किया जाता है.

5.4 एक समयावधि में विभिन्न कंपनियों / उपक्रमों से प्राप्त लाभांश, ब्याज एवं अन्य कॉर्पोरेट लाभ ₹ 1.66 करोड़ की राशि सेन्ट बैंक फायनेन्शियल सर्विसिस लि., अनुषंगी ने न्यास / लाभार्थियों को अंतरित/ आबंटित नहीं की हैं, जिनके निवेश पोर्टफोलियो न्यासधारिता सेवाओं के अंतर्गत उनके पक्ष में है. उक्त राशि दिनांक 31.03.2020 को ₹ 1.59 करोड़ थी एवं दिनांक 31 मार्च 2021 को यह बढ़कर ₹ 1.66 करोड़ हो गयी. इसी प्रकार, ₹ 0.16 करोड़ की बिक्री / शेयर्स के मोचन की आगम राशि / लाभांश की राशि संबंधित न्यास / लाभार्थी को अंतरित / आबंटित नहीं की गयी है. यह वर्ष 2005-06 से बकाया शेष है. इसने यह राशि अपने बैंक के चालू खाता में रखी है.

5.5 भारिबैं के दिशानिर्देश डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.57/62-88 दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 के अनुसार, अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईबीपीसी) निरंक है. (पिछले वर्ष ₹ 1500 करोड़). वर्ष के दौरान 45.48 करोड़ रुपये की ब्याज आय को मान्यता दी गई है.

5.6 एमएसएमई क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन में जिस विक्रेता की सेवाओं का उपयोग किया गया है उसका चयन किया जाता है. यह लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया जाता है.

5.7 सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन.

मूल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ. आईटीसी.बीसी.सं. 6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार नीतियां तैयार की हैं. इन नीतियों की प्रबंधतंत्र द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है. इन नीतियों की पिछ्ली समीक्षा दिनांक 26.03.2021 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा की गई थी.

5.8 मूल एवं अनुषंगियों की एकल वित्तीय विवरणीयों में प्रकट के गई अतिरिक्त सांविधिक जानकारी समेकित वित्तीय विवरणियों के सत्य एवं उचित अभिमत को प्रभावित नहीं करती है एवं आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण के परिपेक्ष्य में उन मदों जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, से संबंधी समेकित वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

5.9 एनसीएलटी प्रावधानों से संबंधित प्रकटीकरण :

भारिबैं के परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी.15199/21.04.048/2016-17 तथा डीबीआर सं. बीपी.1906/21.04.048/2017-18 क्रमश: दिनांक 23.06.2017 और दिनांक 28.08.2017 के अनुसार दिवाला तथा दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किए गए खातों के संबंध में मूल बैंक ने दिनांक 31.03.2021 को ₹ 6317.12 करोड़ का कुल प्रावधान (₹ 127.90 करोड़ की एफआईटीएल सहित)@(निवेश सहित 97.67% का कुल बकाया) रखा है.

5.10 माल और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत या तो छूट दी गई या पंजीकृत किए गए एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत पर आरबीआई के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01, जनवरी, 2019 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 एवं आरबीआई/2020-21/ डीओआर सं. बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 के अनुसार 31.03.2021 को एमएसएमई पुनर्रचित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

पुनर्रचित खातों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
24569	1722.76

5.11 कोविड 19 विनियामक पैकेज के संबंध में प्रकटीकरण - भारिबैं परिपत्र दिनांक 17.04.2020 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान

भारिबैं ने अधिसूचना सं. भारिबैं/2019-20/186 डीओआर सं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 दिनांक 27 मार्च, 2020 के माध्यम से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न व्यवधान के कारण ऋण सेवा के भार को कम करने एवं व्यवहार्य व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने एवं व्यवहार्य व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए घोषणा की है. इन उपायों में भुगतान पुनर्निधारण, सावधि ऋण एवं कार्यशील पूँजी सुविधा, कार्यशील पूँजी सुविधा का सरलीकरण, विशेष उल्लेखित खाते (एसएमए) एवं गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण सम्मिलित है.

कोविड-19 के संबंध में भारिबैं के दिशानिर्देश दि.17 अप्रैल, 2020 के अनुसार, उनके परिपत्र सं. डीओआर सं. बीपी. बीसी.63/21.04.048/2019-20 दिनांक 17.04.2020 तथा डीओआर सं. बीपी. बीसी.71/21.04.048/2019-10 दिनांक 23.05.2020 से अवगत कराया, बैंक मानक के रूप में वर्गीकृत यदि वे 29 फरवरी, 2020 को अतिदेय है, तब भी सभी पात्र उधारकर्ताओं को सभी किश्तों और/अथवा ब्याज के भुगतान जो 1 मार्च, 2020 तथा 31 अगस्त,2020 के बीच आता है, का एक मोरेटोरियम प्रदान करेगा. ऐसे सभी खाते जिनमें मोरेटोरियम प्रदान किया गया है. आस्ति वर्गीकरण, मोरेटोरियम अवधि में यथावत रहेगा (अर्थात् देय दिनों की संख्या को, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान नियमों के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से मोरेटोरियम अवधि से घटा दिया जाएगा) भारिबैंक के परिपत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2020 द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण आवश्यकता निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	एसएमएम/अतिदेय वर्ग, जहां मोरेटोरियम दिया गया है, में संबंधित राशि (31 मार्च, 2020 की स्थिति)	33577.18
2.	संबंधित राशि जहां आस्ति वर्गीकरण का लाभ दिया गया है.	3030.94
3.	पहली तिमाही क्यू 1वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान कृत प्रावधान	161.75
4.	चौथी तिमाही क्य4 वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान कृत प्रावधान	143.25
5.	उपरोक्त परिपत्र के संदर्भ में स्लिपेज के प्रति समायोजित किए गए प्रावधान	305.00
6.	उपरोक्त परिपत्र के संदर्भ में दिनांक 31.03.2021 को अवशिष्ट प्रावधान आयोजित किए गए.	निरंक

5.12 "कोविड 19 नियामक पैकेज की समाप्ति के बाद संपत्ति वर्गीकरण और आय मान्यता" पर आरबीआई परिपत्र दिनांक 07.04.2021 के निर्देशों के अनुसार, बैंक उन सभी उधारकर्ताओं से लिए गए 'ब्याज पर ब्याज' को वापस / समायोजित करेगा, जिनमें अधिस्थगन अवधि यानी 01.03.2020 से 31.08.2020 के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाया गया था, भले ही अधिस्थगन का पूर्ण या आंशिक रूप से लाभ उठाया गया हो या नहीं लिया गया हो. इन निर्देशों के अनुसरण में, विभिन्न सुविधाओं के लिए वापसी/समायोजित की जाने वाली राशि की गणना के लिए पद्धति को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अन्य उद्योग सहभागियों/निकायों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसे सभी ऋणदाता संस्थान द्वारा अपनाया जाएगा. तदनुसार, आईबीए ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2021 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार रिफंड / समायोजन के लिए तैयार की गई कार्यप्रणाली की जानकारी दी है.

तदनुसार, मूल बैंक ने इसके प्रति ₹ 50.34 करोड़ के अनुमानित दायित्व का सृजन किया है और इसे दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु ब्याज आय से घटा दिया है.

5.13 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने 13 जून 2017 के पत्र के माध्यम से उच्च शुद्ध एनपीए और परिसंपत्तियों पर नकारात्मक रिटर्न को देखते हुए मूल बैंक को शीघ्र (पीसीए) सुधारात्मक कार्रवाई के तहत रखा है. बैंक पीसीए ढांचे के मानदंडों का सावधानीपूर्वक पालन कर रहा है. बैंक ने एक कार्य योजना तैयार की है और एनपीए को कम करने और लाभप्रदता में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं.

5.14 भारत सहित विश्व स्तर पर कोरोना वायरस (कोविड -19) महामारी के प्रकोप के कारण आर्थिक गतिविधियों में मंदी आई है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है. कोविड -19 महामारी समूह के वित्तीय परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं. इस अनिश्चितता को देखते हुए, कोविड -19 महामारी के कारण, समूह भविष्य की आर्थिक स्थिति में किसी भी भौतिक परिवर्तन की लगातार निगरानी कर रहा है जो परिस्थिति के अनुसार भविष्य में समूह के संचालन और उसके वित्तीय परिणामों को प्रभावित कर सकता है, तथा जो कि वित्तीय विवरणों की स्वीकृति की तारीख के अनुमान से भिन्न हो सकता है. वर्तमान परिदृश्य और कोविड -19 स्थिति को देखते हुए, एक बार के उपाय के रूप में, बैंक ने विवेक के मामले में कुछ एनपीए खातों में ₹ 1049.84 करोड़ का प्रावधान किया है.

5.15 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए आवश्यक समझे जाने पर पुनः समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है.

(आलोक श्रीवास्तव) कार्यपालक निदेशक	**(विवेक वाही)** कार्यपालक निदेशक	**(राजीव पुरी)** कार्यपालक निदेशक	**(मटम वेंकट राव)** कार्यपालक निदेशक एवं सीईओ

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा निदेशक	**श्री पी.जे. थॉमस** निदेशक	**श्रीमती मिनी आइप** निदेशक

कृते एएजेवी एंड असोशिएट्स सनदी लेखाकार एफ.आर.सं. 007739 एन	**कृते एस. जयकिशन** सनदी लेखाकार एफ.आर.सं. 309005ई	**कृते छाजेड एवं दोशी** सनदी लेखाकार एफ.आर. सं. 101794डब्ल्यू	**कृते अंबेकर शेलार कर्वे** सनदी लेखाकार एफ.आर.सं. 122063डब्ल्यू
(सीए जे.पी. बजाज) भागीदार एम.नं.086390 यूडीआईएन: 21086390एएएएसीई3901	**(सीए विवेक नेवाटिया)** भागीदार एम.नं.062636 यूडीआईएन: 21062636एएएएएफडब्ल्यू4855	**(सीए नीतेश जैन)** भागीदार एम.नं.136169 यूडीआईएन : 21136169एएएएसीवी1662	**(सीए सचिन अंबेकर)** भागीदार एम.नं.108911 यूडीआईएन : 21108911एएएएडीए9312

स्थान : मुंबई
दिनांक : 07 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31- 03- 2021	31- 03- 2020
ए	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	टैक्स एवं माइनारिटी इंटरेस्ट पूर्व निवल लाभ/(हानि)	**(1,425.41)**	**(1,034.43)**
I	**समायोजन हेतुः**		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	**292.53**	285.48
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	**399.68**	1,065.54
	अनर्जक आस्तियों के संबंध में डूबत ऋण अपलिखित / प्रावधान	**5,212.63**	4,079.06
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**261.62**	174.10
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	**85.35**	(54.61)
	अचल आस्तियों (शुद्ध) की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**21.00**	22.41
	उप योग	**4,847.39**	**4,537.56**
II	**समायोजन हेतुः**		
	जमा में वृद्धि / (कमी)	**16,127.17**	13,889.76
	उधारों में वृद्धि /(कमी)	**(316.37)**	436.37
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**(8,215.90)**	8,827.95
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	**(10,649.33)**	(8,605.96)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**(6,392.02)**	(18,138.47)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	**962.13**	927.96
	प्रत्यक्ष प्रदत्त कर का भुगतान (वापसी की शुद्ध राशि आदि)	**1,633.60**	(149.18)
	उप योग	**(6,850.72)**	**(2,811.59)**
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	**(2,003.33)**	**1,725.97**
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	**2.72**	7.18
	अचल आस्तियों की खरीद	**(205.17)**	(321.96)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (बी)	**(202.45)**	**(314.78)**
सी	**वित्तपोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित)	**255.00**	3,403.22
	शेयर आवेदन राशि	4,800.00	-
	लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	-	(7.00)
	लाभांश कर	-	(0.44)
	वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (सी)	**5,055.00**	**3,395.78**
डी	**नकद एवं नकद तुल्य (ए + बी + सी) या (एफ - ई) में शुद्ध वृद्धि**	**2,849.22**	**4,806.97**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31-03-2021	31-03-2020
ई	**वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य**		
	नकद एवं भारिबै में जमा शेष	**30,059.99**	20,779.45
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**6,044.56**	10,518.14
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समतुल्य (ई)	**36,104.55**	**31,297.59**
एफ	**वर्ष की समाप्ति पर नकद तथा नकद समतुल्य**		
	भारिबै में नकद एवं जमा शेष	**32,188.10**	30,059.99
	बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**6,765.67**	6,044.56
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समतुल्य (एफ)	**38,953.77**	36,104.55

नोट:

1) उक्त समेकित नकद प्रवाह विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी पर लेखांकन मानक - 3 में निर्धारण अनुसार "अप्रत्यक्ष माध्यम" के अंतर्गत तैयार किए गए हैं.

2) पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष में सुनिश्चित करने के लिए पुनर्समाहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

(विवेक वाही)
कार्यपालक निदेशक

(राजीव पुरी)
कार्यपालक निदेशक

मटम वेंकट राव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा
निदेशक

श्री पी. जे. थॉमस
निदेशक

श्रीमती मिनी आइप
निदेशक

एएजेवी एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ आर नं. 007739एन

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
एफ आर नं. 309005 ई

छाजड एंड दोशी
सनदी लेखाकार
एफ आर नं. 101794डब्ल्यू

अम्बेकर शेलार कर्वे
सनदी लेखाकार
एफ आर नं. 122063डब्ल्यू

सीए जे.पी.बजाज
भागीदार
एम नं. 086390

सीए विवेक नेवातिया
भागीदार
एम नं. 062636

सीए नितेश जैन
भागीदार
एम नं136169

सीए सचिन अंबेकर
भागीदार
एम नं. 108911

स्थान : मुंबई
दिनांक : 07 जून, 2021

नोट्स / Notes

MESSAGE FROM THE DESK OF MANAGING DIRECTOR AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Dear Stakeholders,

I hope you are well. I pray for your safety and wellbeing during these difficult times precipitated by the pandemic.

The year 2020 will go down in history as one of the most calamitous years as the novel Covid-19 virus caused widespread devastation by taking lives and livelihoods of millions across the world. The global economy was brought to a standstill by the necessary measures of lockdowns and physical distancing restrictions.

The April 2021 Report of the International Monetary Fund (IMF) projects the growth of the global economy by 6.0% in 2021 from an estimated contraction of (-) 3.3% in 2020 and further projects a growth of 4.4% in 2022. However, the global growth in 2021 is likely to be uneven. The countries that can open up earlier due to ebbing infections and faster inoculation are expected to grow faster. The April 2021 Report of the IMF estimates advanced economies to grow by 5.1% in 2021 from a contraction of (-) 4.7% in 2020. Among the advanced economies, the USA is projected to have an impressive growth in 2021 due to several measures taken by the government. The emerging markets and developing economies are projected to grow by 6.7% in 2021 after an estimated contraction of (-) 2.2% in 2020. In 2022, the emerging markets and developing economies are projected to grow by 5.0%.

On the domestic front, as per the provisional figures, real GDP contracted by (-) 7.3% in 2020-21 despite agriculture showing resilience and registering positive growth. Sectors like mining, manufacturing, construction, and some other service sectors have witnessed negative growth in 2020-21. The quarterly data shows that the domestic economy slowly started to recover from the pandemic. The Q4 2020-21 real GDP grew by (+) 1.6% vis-à-vis (+) 0.5% in Q3 2020-21. However, private final consumption expenditure as percentage of real GDP softened to 55.4% in Q4 2020-21 as compared to 58.3% in Q3 2020-21. On the other hand, gross fixed capital formation as percentage of real GDP inched up to 34.3% in Q4 2020-21 vis-à-vis 33.0% in Q3 2020-21.

The second wave of Covid-19 infections in India thwarted the recovery process as several states had to impose different restrictions to curb the spread of the virus. Due to which we expect growth to remain muted in Q1 2021-22. Nonetheless, with the rapid vaccination drive and scaling up of healthcare facilities we expect the economic activities to gain traction.

The Government of India has proactively undertaken various policy measures to boost the economy and the "Atmanirbhar Bharat" is one such step towards that. Through the "Atmanirbhar Bharat", the Government of India announced different stimulus measures to boost various sectors of Indian economy and provided several relief measures. There were a host of measures for the MSMEs, street vendors, agriculture infrastructure, etc. in the "Atmanirbhar Bharat". Recently in June 2021, the Hon'ble Finance Minister further announced a slew of measures to provide economic relief from pandemic, strengthening public health and impetus for growth and employment. Towards this end, the Hon'ble Finance Minister announced ₹1.10 lakh crore loan guarantee scheme for Covid affected sectors, credit guarantee scheme for micro finance institutions, free one month tourist visa to 5 lakh tourists, extension of Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana, extension of tenure of PLI scheme for large scale electronic manufacturing, etc.

Your Bank has undertaken many measures to fight the battle against Covid-19 induced slowdown. The Bank has been actively participating in the Government schemes and will continue to do so in the future with enthusiasm. The objective of your Bank is to ensure that it emerges as one of the top performers in the industry and provide the best customer services. Your Bank's score and performance in EASE 3.0 has improved significantly in Q4 2020-21 vis-à-vis baseline score in Q4 2019-20. Your Bank has linked some of its portfolios with external benchmarks i.e. repo which has improved transmission. The Bank has been taking various initiatives for digitization. We have been harnessing our human resources to enable them to meet the contemporary challenges in the era of technologies. Customer centricity would always remain the core value of your Bank. The current time has been testing for all of us but I am sure that together we can overcome it and take your Bank to new heights and achieve many more milestones going forward. I strongly believe that the Bank will uphold stakeholders' interest at every point and will further strengthen its core values to stand tall in the industry.

Performance of the Bank

Business

During the Financial Year 2020-21, Business of the Bank stood at ₹ 5,06,886 crore as compared to ₹ 4,86,007 crore in the Financial Year 2019-20 with 4.30% growth on YoY basis. Bank's business growth has remained robust in FY 2020-21, with deposit growth of 5.17% and advances growth of 2.71%. The Deposit of the Bank stood at ₹ 3,29,973 crore as against ₹ 3,13,763 crore on March 31, 2020 with a growth of ₹ 16210 crore. The CASA share as a percentage of Total Deposits stood at 49.24% as against 46.83% in the Financial Year ended March 31, 2020. Total Advances stood at ₹ 1,76,913 crore in March 31, 2021 as against ₹ 1,72,244 crore in March 31, 2020 registering growth of 2.71% on YoY basis.

The Bank is always keen to maintain a well balanced assets mix, encompassing sectors such as Agriculture and Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) as well as keeping a focus on other retail assets, including Housing, Education and Vehicle finance. Notable, Bank's MSME portfolio has shown double digit growth of 10.62% with vehicle loan portfolio growth by 12.22% on YoY basis. Also, the Bank has improved RAM (Retails, Agriculture and MSME) and corporate advances mix to 66.72% as on March 31, 2021 from 63.73% as on March 31, 2020. Advances to MSMEs stood at ₹ 32356 crore and Agriculture at ₹ 36207 crore with a growth of 10.62% and 5.19%, respectively.

Financial Performance

The Operating Profit of the Bank stood at ₹ 4,630 crore in financial year 2020-21 as against ₹ 4,344 crore in financial year 2019-20. With improved performance, the net loss reduced from ₹ 1121 crore to ₹ 888 crore for financial year 2020-21 over financial year 2019-20 and from ₹ 1,529 crore to ₹ 1,349 crore during fourth quarter on YoY basis.

Net Interest Income of the Bank increased to ₹ 8,245 crore from ₹ 7,629 crore during 2020-21 whereas Non Interest Income decreased to ₹ 3,167 crore from ₹ 3,637 crore during 2019-20. Net Interest Margin (NIM) remained at 2.78% during financial year 2020-21 in comparison to previous financial year. The Cost to Income ratio also improved significantly from 61.44% for financial year 2019-20 to 59.43% for financial year 2020-21. The Bank's Cost of Deposits reduced to 4.35% during the financial year 2020-21 as against 5.11% during the financial year 2019-20.

Asset Quality

The consistent effort of the Bank on NPA management and garnering high quality assets improved the asset quality. Thus, gross NPA reduced to 16.55% as of March 31, 2021 compared to 18.92% as of March 31, 2020 and also Net NPA percentage was brought down to 5.77% as on March 31, 2021 from 7.63% as of March 31, 2020. The Bank's Provision Coverage Ratio improved to 82.54% as on 31.03.2021 from 77.29% as on 31.03.2020 which has strengthened the Balance Sheet. We are expecting resolution of certain big NPA accounts through NCLT under IBC and outside during 2021-22. We shall continue to have focused efforts to maximize NPA recovery, improve asset quality and earn net profit during the year 2021-22.

Capital

The Capital to Risk Asset Ratio CRAR (Basel-III) improved from 11.72 % as on March 31, 2020 to 14.81% as on March 31, 2021. This was on account of fresh equity raise of ₹ 255 crore through qualified institutions placement in Sept. 2020 and further President of India (Government of India) capital infusion of ₹ 4800 crore in March 2021. After allotment of

280,53,76,972 equity shares at issue price of ₹ 17.11 (including premium of ₹ 7.11) on 29.05.2021, shareholding of the President of India (Government of India) stands at 93.08%.

Priority Sector and Financial Inclusion

Bank is continuously emphasizing on meeting various goals under national priorities. Under various national priorities, Bank has credibly achieved the mandated targets as follows :-

- Total Priority - 51.96% of adjusted net bank credit against norm of 40%
- Agriculture - 21.32 % of adjusted net bank credit against norm of 18%
- Small and Marginal Farmers - 12.72% of adjusted net bank credit against norm of 8%
- Weaker Section - 18.86 % of adjusted net bank credit against norm of 10%

The Bank has sold PSLC to the tune of ₹ 22050 crore in FY 2020-21. These achievements indeed speak of the Bank's commitment to inclusive nation building.

Bank has been actively pursuing the agenda of Financial Inclusion with key interventions in offering appropriate financial products, making use of technology and enhancing financial literacy.

Bank also performed well under social security schemes launched by the Government of India. 17.49 Lakhs, 51.53 Lakhs and 12.32 Lakhs enrolments have been done under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana and Atal Pension Yojana, respectively.

Pan India Presence

As on 31st March, 2021, Bank has a network of 4,608 branches, 3,644 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter. The pan India presence covering all 28 States, 7 out of 8 Union Territories and NCT Delhi, 574 District Head Quarters and 638 Districts out of 718 districts in the country, is the source of strength to the Bank.

Digital Banking & Alternate Delivery Channels

In the age of information and technology, the Bank recognizes the changing needs of the customers and caters to the needs of the young demographic base of the country. Accordingly, the Bank gives thrust on digital footprints and alternate delivery channels. As a result of this, the share of digital transactions through alternate delivery channels increased from 66.54% for FY 2019-20 to 77.63% for FY 2020-21.

Covid-19 Relief for employees

We are fighting the Covid-19 pandemic with the strength of our customers, employees and other stakeholders. Our Bank employees are working hard in this extreme situation to deliver their services to the satisfaction of the customers. Bank appreciates all employees who are working hard and rendering their best services and assures that the Bank will take care of the employees befitting of their sacrifices. Management had extended the under mentioned facilities to staff members to face the challenges of the COVID-19 Pandemic :-

- One month Gross Salary, as interest free loan, subject to Maximum ₹1 lakh.
- One day Special Leave (PL) to staff members, for every six days that they have attended office/ branch during the Lockdown period (1st Wave).
- During lockdown, Work from home facility to pregnant women staff members/ staff members suffering from cancer and Special leave without loss of pay to staff members who are visually impaired and staff members with disabilities.
- Financial Assistance in the form of compensation to the tune of ₹ 20.00 lakhs to the legal heir of the staff member who expired due to CoronaVirus (COVID-19).
- All officers have been allowed to purchase Oxygen Concentrator under Furniture item looking at the current pandemic situation.

Covid-19 Relief for MSMEs/Small Businesses/Corporates

Bank has extended its support to MSMEs/Small Businesses/Corporates through several schemes to protect them from hardships caused due to the Covid-19 pandemic:-

Date	Scheme	Details
23.03.2020	COVID 19 Sahayata	Well before announcement of RBI Regulatory Package, on 23.03.2021 Bank has announced a loan scheme allowing 10 % of FBWC limit as WCTL to eligible borrowers including MSME.
27.03.2020 17.04.2020 23.05.2020	RBI Regulatory Package	Allowing 6 months (01/03/2020 to 31/08/2020) moratorium (in TL/DL) and deferment of interest (in CC/OD) For eligible borrowers, bank has allowed recalculation of drawing power by reducing the margin as follows:- • 10% reduction in stock and book debts subject to mini margin 10% • Debtors period has been extended by 60 days with resultant maximum period of 270 days Two way interchangeability between FBWC facility and NFBWC facility sanctioned in the form of LC.
28.04.2020	Liberalised Working Capital Assessment (LWCA)	For working capital limit up to ₹ 5 crore, Liberalised Working Capital assessment is made with reduced financial parameters (CR 1:1, ICR 1.25, ACR 1.25, DER 4. With no minimum stipulation of Debt/ EBIDTA). The assessment will be made at 33% of projected annual turnover. For working capital limit of above ₹ 5 crore, with reduced parameters as above, the working capital limit will be reassessed at Traditional Method or Cash Budget method.
20.08.2020	CGSSD	Credit Guarantee Scheme for Sub Ordinate Debt to provide personal loan to the Promoters of stressed MSME unit (Restructured SMA 2 & NPA as on 30.04.2020) as equity/quasi equity (post restructuring) facility upto 15% of his stake in the MSME entity (equity plus debt) up to a maximum of ₹ 75 lakh.
01.06.2020	PMSVANidhi	Prime Ministers Street Vender Atma Nirbhar Nidhi- Collateral Free Loan upto ₹ 10000/- to street vendors
27.05.2020	CGECL 1.0	Up to 20% of combined FB outstanding of all lenders as on 29.02.2020 allowed as WCTL for 48 months (12 month moratorium 3 year repayment) as additional working capital for borrowers enjoying total FB limit upto ₹ 50 crore, 60 days DPD - Maximum ₹ 10.0 crore In case of borrowers accounts under CGECL 1.0 who are opting for Restructuring under Resolution Framework, the eligible moratorium up to 24 months and extension of tenure accordingly can be allowed. However, the interest during the moratorium has to be repaid by the borrower as and when charged.
03.12.2020	CGECL 2.0	Up to 20% of combined FB outstanding of all lenders as on 29.02.2020 allowed as WCTL for 60 months (12 month moratorium 4 year repayment) as additional working capital for borrowers enjoying FB limit above ₹ 50 crore and upto ₹ 500 crore, DPD 60 days, Only to 26 sectors under Kamath Committee and and Health Care sector – Maximum amount ₹ 100 crore.
16.04.2021	CGECL 3.0	Up to 40 % of combined FB outstanding of all lenders as on 29.02.2020 allowed as WCTL, subject to a cap of ₹ 200 crore, for 72 months (2 year moratorium 4 year repayment) as additional working capital, 60 DPD, Business Enterprises in Hospitality, Travel & Tourism, Leisure and sporting sector and Civil Aviation (added on 31.05.2021).
31.05.2021	CGECL 4.0	Credit facility upto ₹ 2 crore (FB or NFB) to existing hospitals nursing homes, clinics, medical colleges/units engaged in manufacturing of liquid oxygen, oxygen cylinders who have a loan outstanding with the Bank and DPD as on 31.03.2021 up to 90 days. Moratorium 6 months Repayment.
06.08.2020 07.09.2020	RF 1.0	Resolution Framework for Covid-19 related stress.
05.05.2021	RF 2.0	Resolution Framework – 2.0 : Resolution of Covid-19 related stress of Individuals, Small Businesses & MSME's.

New Initiatives

A business is the result of immense hard work, dedication and perseverance, however, it is not enough to simplify these and then let complacency move in. The key to successful business is the ability to come up with fresh ideas to keep the operation running and the product and services fresh. Considering the thoughts in mind, we started some new initiatives mentioned as follows:-

- Implementation of 'CPAC - Pre-disbursal Credit Review Mechanism- Credit Processing & Approval Centre' for pre-disbursement approval to branches shall help to improve credit quality and also help the field staff for undertaking credit decisions without fear.
- Management approach shall be in the form of Inverted Pyramid, where the top portion shall be the Branches, supported by Central Office/Zonal Offices and Regional Offices from the bottom, which means Central Office/ Zonal Offices and Regional Offices shall be supporting the existence and functioning of Branches and an enabling environment will be provided for business growth.
- Reward programs by way of forming of Top Management Clubs shall be introduced to recognize the performers.
- Training Centre equipped to deliver -"BRAND CENTRAL"- i.e., an unique identity for the staff under all categories.
- Special campaigns with the theme- "CENTRAL CONNECT" by visiting existing loyal customers.
- Bank website was revamped on 14.05.2021 with a complete new look, sober colour and added features.

Way Forward

The impact of the transformation initiatives taken by the management are visible with the Bank's better asset quality and profitability in comparison to previous financial years. We are hopeful of recovery by the second half of the current fiscal with easing restrictions and commercial restriction resuming to full swing.

I would like to acknowledge and thank all the members of the Board for their valuable support, guidance and inputs to the management in our endeavors. I also thank the Department of Financial services, Ministry of Finance and the Reserve Bank of India for their support and guidance from time to time.

I am happy to present the Annual Report of the Bank for the year ended on March 31, 2021.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-

M V Rao

Place: Mumbai

Date: July 15, 2021

NOTICE

Notice is hereby given that the 14th (Fourteenth) Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Tuesday, 10th August, 2021 at 11.00 A.M. at head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the following business :

1) To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2021, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2021, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.

2) To appropriate accumulated losses as on 31.03.2021 from Share Premium account.

   To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following as special resolution:

   "**RESOLVED THAT** pursuant to Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), Section 17(2) of The Banking Regulation Act, 1949 (BR Act), Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 as amended vide the Department of Financial Services Gazette notification no. CG-DL-E-23032020-218862 (S.O. 1200 E) dated 23.03.2020 referred to as Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020, including any statutory amendments or re-enactments thereof and subject to the approvals of Reserve Bank of India, Government of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to set off the Bank's accumulated losses of ₹ 1,87,24,21,73,828.20 (Eighteen Thousand Seven Hundred Twenty Four Crore Twenty One Lakh Seventy Three Thousand Eight Hundred Twenty Eight and Paise Twenty only) as at 31.03.2021 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial Year 2021-22.

   "**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit."

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
Anand Kumar Das
Deputy General Manager /
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 15.07.2021

NOTES:

1. **EXPLANATORY STATEMENT**

   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect the business of the meeting is annexed hereto.

2. **HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)**

   i. In view of the continuing Covid-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 permitted holding of Annual General Meeting through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual General Meeting of the Members of the Bank is being held through VC/OAVM.

   ii. Pursuant to the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, a Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the Annual General Meeting and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to the Notice.

   iii. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

   No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been sent to the Bank through e-mail at investors@centralbank.co.in not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Thursday, 5th August, 2021.

   iv. **No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.**

   v. **Registration of email ID and Bank Account details:**

   In case the shareholder's email ID is already registered with the Bank/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

   In case the shareholder has not registered his/her/their email address with the Bank/its RTA/Depositories or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend if declared in future, the following instructions are to be followed:

   (i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/Bank detail Registration - fill in the details and upload the required documents and submit. OR

   (ii) In the case of Shares held in Demat mode:

   The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

   vi. The Notice of the Annual General Meeting is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Bank/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circular issued by SEBI dated May 12, 2020 (as amended, if any). Members may note that the Notice of Annual General Meeting will also be available on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in under the link investor relations; websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only.

   vii. Instructions for e-voting and joining the Annual General Meeting are as follows:

Instructions for Shareholders/Members to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM:

1) Shareholders/Members are entitled to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM provided by Link Intime India Pvt. Limited by following the below mentioned process. Facility for joining the Annual General Meeting through VC/OAVM shall open 15 minutes before the time scheduled for the Annual General Meeting and will be available to the Members on first come first serve basis.

   Shareholders/Members are requested to participate on first come first serve basis as participation through VC/ OAVM is limited and will be closed on expiry of 15 (fifteen) minutes from the scheduled time of the Annual General Meeting. Shareholders/Members with >2% shareholding, Promoters, Institutional Investors, Directors, KMPs, Chair Persons of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee and Auditors etc. may be allowed to the meeting without restrictions of first-come-first serve basis. Members can log in and join 15 (fifteen) minutes prior to the schedule time of the meeting and window for joining shall be kept open till the expiry of 15 (fifteen) minutes after the schedule time. Participation is restricted upto 2500 members only.

   Shareholders/ Members will be provided with InstaMeet facility for attending the AGM through VC/OAVM wherein Shareholders/ Member shall register their details and attend the Annual General Meeting as under:

   1. Open the internet browser and launch the URL for InstaMeet <<https://instameet.linkintime.co.in>> and register with your following details:

      a. DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio No.: Enter your 16 digit DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio Number registered with the Bank

      b. PAN: Enter your 10 digit Permanent Account Number (PAN)

      c. Mobile No.

      d. Email ID

   2. Click "Go to Meeting"

Note:

Shareholders/ Members are encouraged to join the Meeting through Tablets/ Laptops connected through broadband for better experience.

Shareholders/ Members are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

Please note that Shareholders/Members connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Visual loss due to fluctuation in their network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6175.

Instructions for Shareholders/Members to register themselves as Speakers during Annual General Meeting:

Shareholders/ Members who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail: smmbd@centralbank.co.in from 05.08.2021 at 10.00 am to 07.08.2021 at 5.00 pm.

The Speakers on first come basis will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

Shareholders will receive "speaking serial number" once they mark attendance for the meeting. Other shareholder may ask questions to the panelist, via active chat-board during the meeting. Shareholders are requested to remember speaking serial number and start conversation with panellist by switching on video mode and audio of the device. Shareholders are requested to speak only when moderator of the meeting/ management will announce the name and serial number for speaking.

Shareholders/ Members, who would like to ask questions, may send their questions in advance mentioning their name demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail : smmbd@centralbank.co.in . The same will be replied by the Bank suitably.

Note:

Those shareholders/members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the Annual General Meeting.

Shareholders/ Members should allow to use camera and are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

Instructions for Shareholders/Members to Vote during the Annual General Meeting through InstaMeet:

Once the electronic voting is activated by the scrutiniser during the meeting, shareholders/ members who have not exercised their vote through the remote e-voting can cast the vote as under:

1. On the Shareholders VC page, click on the link for e-Voting "Cast your vote".
2. Enter Demat Account No. / Folio No. and OTP (received on the registered mobile number/ registered email Id) received during registration for InstaMeet and click on 'Submit'.
3. After successful login, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting.
4. Cast your vote by selecting appropriate option i.e. "Favour/Against" as desired.

   Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/Against'.
5. After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on "Save". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "Confirm", else to change your vote, click on "Back" and accordingly modify your vote.
6. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.

Note:

Shareholders/ Members, who will be present in the Annual General Meeting through VC/OAVM by InstaMeet facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting facility during the meeting.

Shareholders/ Members who have voted through Remote e-Voting prior to the Annual General Meeting will be eligible to attend/participate in the Annual General Meeting through InstaMeet. However, they will not be eligible to vote again during the meeting.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6175.

3. REMOTE E-VOTING

In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and in compliance with SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Link Intime India Pvt. Limited, Registrar and Share Transfer agent of the Bank to facilitate remote e-voting.

The remote e-voting period begins on Saturday, 7th August 2021 at 10.00 AM and ends on Monday, 9th August 2021 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Tuesday, 3rd August 2021, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Pvt. Limited for voting thereafter.

I. The process and instructions for remote e-voting and login method for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given below: :

Login for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given below :-

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	• If shareholder is already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. Shareholder will have to enter your User ID and Password.
	• After successful authentication, Shareholder will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or Link Intime name and shareholder will be re-directed to e-Voting service provider i.e. Link Intime website for casting of the vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
	• If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp
	• Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/ Member' section. A new screen will open. Shareholder will have to enter their User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, shareholder will be redirected to NSDL Depository site wherein he/she can see e-Voting page. Click on Bank name or Link Intime name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website i.e. https://instavote.linkintime.co.in for casting his/her vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	• Existing user of who have opted for Easi / Easiest, they can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi.
	• After successful login of Easi / Easiest the user will be also able to see the E Voting Menu. The Menu will have links of e-Voting service provider i.e. Link Intime. Click on Link Intime name to cast your vote.
	• If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi./Registration/EasiRegistration
	• Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the E Voting is in progress.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) & login through their depository participants	• Shareholder can also login using the login credentials of his/her demat account through their Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility.

<table>
<tr><th>Type of shareholders</th><th>Login Method</th></tr>
<tr><td></td><td>● Once login, shareholder will be able to see e-Voting option. Once he/she click on e-Voting option, he/she will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein he/she can see e-Voting feature. Click on Bank name or Link Intime name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</td></tr>
<tr><td>Individual Shareholders holding securities in Physical mode.</td><td>1. Open the internet browser and launch the URL: https://instavote.linkintime.co.in
▶ Click on "Sign Up" under 'SHARE HOLDER' tab and register with your following details: -
A. User ID: Shareholders/ members holding shares in physical form shall provide Event No + Folio Number registered with the Company.
B. PAN: Enter your 10-digit Permanent Account Number (PAN) (Members who have not updated their PAN with the Depository Participant (DP)/ Company shall use the sequence number provided to you, if applicable.
C. DOB/DOI: Enter the Date of Birth (DOB) / Date of Incorporation (DOI) (As recorded with your DP / Company - in DD/MM/YYYY format)
D. Bank Account Number: Enter your Bank Account Number (last four digits), as recorded with your DP/Company.
● Shareholders/ members holding shares in physical form but have not recorded 'C' and 'D', shall provide their Folio number in 'D' above
▶ Set the password of your choice (The password should contain minimum 8 characters, at least one special Character (@!#$&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter).
▶ Click "confirm" (Your password is now generated).
2. Click on 'Login' under 'SHARE HOLDER' tab.
3. Enter your User ID, Password and Image Verification (CAPTCHA) Code and click on 'Submit'.
4. After successful login, you will be able to see the notification for e-voting. Select 'View' icon.
5. E-voting page will appear.
6. Refer the Resolution description and cast your vote by selecting your desired option 'Favour / Against' (If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolution' file link).
7. After selecting the desired option i.e. Favour / Against, click on 'Submit'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on 'Yes', else to change your vote, click on 'No' and accordingly modify your vote.</td></tr>
</table>

If Shareholders holding shares in Physical Form have forgotten password:

- Click on 'Login' under 'SHARE HOLDER' tab and further Click 'forgot password?'
- Enter User ID, select Mode and Enter Image Verification code (CAPTCHA). Click on "SUBMIT".

Incase shareholder is having valid email address, Password will be sent to the shareholder's registered e-mail address. Else, shareholder can set the password of his/her choice by providing the information about the particulars of the Security Question & Answer, PAN, DOB/ DOI, Dividend Bank Details etc. and confirm. (The password should contain minimum 8 characters, at least one special character (@!#$&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter)

NOTE:

For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for voting on the resolutions contained in this Notice.

It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL/ CDSL have forgotten the password:

Shareholders/ members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned depository/ depository participants website.

- Cast your vote electronically

1. After successful redirecting, you will be able to see the notification for e-voting on the home page of INSTA Vote. Select/ View "Event No" of the Bank, you choose to vote.
2. On the voting page, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting.

   Cast your vote by selecting appropriate option i.e. Favour/Against as desired.

   Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/Against'. You may also choose the option 'Abstain' and the shares held will not be counted under 'Favour/Against'.
3. If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolutions' File Link.
4. After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "YES", else to change your vote, click on "NO" and accordingly modify your vote.
5. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on "Print" option on the Voting page.

- Guidelines for Institutional shareholders:

  - Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to e-Voting system of LIIPL: https://instavote.linkintime.co.in and register themselves as 'Custodian / Mutual Fund / Corporate Body'.

    They are also required to upload a scanned certified true copy of the board resolution / authority letter/power of attorney etc. together with attested specimen signature of the duly authorised representative(s) in PDF format in the 'Custodian / Mutual Fund / Corporate Body' login for the Scrutinizer to verify the same.

- General Guidelines for all shareholders:

  - During the voting period, shareholders can login any number of time till they have voted on the resolution(s) for a particular "Event".
  - Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each of the folios/demat account.

- Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode:

  In case shareholders/ members holding securities in demat mode have any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL/ CDSL, they may contact the respective helpdesk given below:

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 22-23058542-43.

- In case the shareholders/ members holding securities in physical mode/ Institutional shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel : 022 - 49186000.

II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. Tuesday, 3rd August 2021. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Tuesday, 3rd August 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at AGM.

IV. Any person who becomes a member of the Bank after sending of the Notice of the Meeting vide e-mail and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 3rd August 2021, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.

V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and also on the website of Link Intime India Pvt. Limited.

VI. S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding two (2) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.

VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of Link Intime India Pvt. Limited within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 07th August, 2021 (Saturday) to 10th August, 2021 (Tuesday) (both days inclusive).

5. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

6. **Outcome of Meeting:**

   The resolution shall be deemed to be passed at the Head Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolutions.

7. **Recorded Transcript/Proceeding of the Meeting:**

   Proceeding of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank www.centralbankofindia.co.in under Investor Relations section as soon as possible.

8. **EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS**

   As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote in the meeting.

9. **Shareholders may also access the Annual Report from the Bank's website for the Meeting.**

10. **Intimation to shareholders holding shares in physical form:**

    As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

11. **UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY**

    The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend declared are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank.

    As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

EXPLANATORY STATEMENT

Appropriation of accumulated losses of the Bank as on 31.03.2021 towards Share Premium

(i) The Bank proposes to set off the accumulated losses of ₹ 1,87,24,21,73,828.20 (Eighteen Thousand Seven Hundred Twenty Four Crore Twenty One Lakh Seventy Three Thousand Eight Hundred Twenty Eight and Paise Twenty only) as at 31.03.2021 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and the share premium account will accordingly stand reduced during the current financial year 2021-22.

(ii) The effect of the aforesaid proposed Share Premium Reduction, if approved and finalised, would be that the accumulated losses, which as on 31.03.2021 stood at ₹ 1,87,24,21,73,828.20, will accordingly be set off.

(iii) The Bank is of the view that this is the most practical and economically efficient option available to the Bank in the present scenario so as to present a true and fair view of the financial position of the Bank.

(iv) The Bank will be able to represent its true financial position which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also put the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plans in a time-bound manner.

(v) The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 provides for reducing its paidup capital by cancelling any paid-up capital which is lost, or is unrepresented by available assets and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 as amended by (Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020) allows a nationalized bank to appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

(vi) As the proposed utilization of Share Premium account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Section 3(2BBA) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

(vii) Section 17(2) of The Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period.

(viii) The reduction of Share Premium account which involves set off of debit balance in P&L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Share Premium account will remain unchanged. The Book Value of the shares will also remain unchanged. With this appropriation there will not be any changes in net worth of the Bank.

(ix) The rights of the shareholders and creditors are not prejudicially affected. The Board of Directors at its meeting held on 15.07.2021 have approved the above proposal of utilization of Share Premium account in the best interests of the Bank and its Shareholders.

Your Directors recommend passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice for these agenda.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
Anand Kumar Das
Deputy General Manager
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 15.07.2021

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

(₹ in Crores)

PARAMETERS	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR.15	MAR.16	MAR.17	MAR.18	MAR.19	MAR.20	MAR.21
Total Business	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,336	4,49,679	4,72,323	4,67,584	4,86,007	5,06,886
YoY Growth	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%	(1.46%)	5.04%	(1.00%)	3.94%	4.30%
Total Deposits	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184	2,96,671	2,94,839	2,99,855	3,13,763	329973
YoY Growth	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%	11.45%	(0.62%)	1.70%	4.63%	5.17%
Total Loans & Advances	1,07,118	1,31,407	1,50,725	176234	1,83,321	1,94,967	1,90,152	1,53,008	1,77,484	1,67,729	1,72,244	1,76,913
YoY Growth	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)	(19.53%)	16.00%	(5.50%)	2.69%	2.71%
Investments	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895	93,792	1,05,295	1,29,219	1,47,358	1,53,820
YoY Growth	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)	4.34%	12.26%	22.72%	14.04%	4.39%
CD Ratio	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29%	71.44%	51.57%	60.20%	55.94%	54.90%	53.61%
Return on Assets	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)	(0.80%)	(1.61%)	(1.70%)	(0.35%)	(0.26%)

PROFITABILITY

(₹ in Crores)

PARAMETERS	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR.15	MAR.16	MAR.17	MAR.18	MAR.19	MAR.20	MAR.21
Gross Income	13,799	16,486	20,454	23,528	26,350	28,303	27,825	27,537	26,659	25,052	27,200	25,897
YoY Growth	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)	(1.03%)	(3.19%)	(6.03%)	8.57%	(4.79)%
Gross Expenses	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183	24,448	23,926	21,925	22,856	21,267
YoY Growth	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%	(2.92%)	(2.14%)	(8.36%)	4.25%	(6.95)%
Operating Profit	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,642	3,089	2,733	3,127	4,344	4,630
YoY Growth	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.77%)	16.92%	(11.52%)	14.42%	38.92%	6.58%
Net Profit/Loss	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)	(2,439)	(5,105)	(5,641)	(1,121)	(888)
YoY Growth	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98%	(333.99%)	(72.00%)	(109.31%)	(10.50%)	80.13%	(20.79%)
NIM (%)	1.86%	3.31%	2.78%	2.65%	2.73%	2.79%	2.78%	2.51%	2.47%	2.54%	2.78%	2.78%
Net Interest Income	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,065	6,574	6,517	6,773	7,629	8,245
YoY Growth	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.51%)	(6.95%)	(0.88%)	3.93%	12.64%	8.07%
Non Interest Income	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,938	2,876	2,623	2,413	3,637	3,167
YoY Growth	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.32%	48.40%	(8.80%)	(8.01%)	50.73%	(12.92)%

*Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year

DIRECTORS' REPORT 2020-21

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited Statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2021.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Total Business of the Bank stood at ₹ 506886 crore as at March 31, 2021 compared to ₹ 486007 crore as at March 31, 2020.
- Total Deposits stood at ₹ 329973 crore as against ₹ 313763 crore in March 31, 2020.
- Total Advances of the Bank stood at ₹ 176913 crore as against ₹ 172244 crore in March 31, 2020.
- Total Income for the financial year ended March 31, 2021 was ₹ 25897 crore as compared to ₹ 27200 crore for the financial year ended March 31, 2020.
- Non-Interest Income of the Bank stood at ₹ 3167 crore for the financial year ended March 31, 2021 compared to ₹ 3637 crore for the financial year ended March 31, 2020.
- Operating Profit of the Bank increased to ₹ 4630 crore for the financial year ended March 31, 2021 as compared to ₹ 4344 crore for the corresponding previous financial year ended March 31, 2020 showing increase of 6.58%.
- The Bank has incurred Net Loss of ₹ 888 crore for the financial year ended March 31, 2021 as compared to Net Loss of ₹ 1121 crore during previous financial year ended March 31, 2020.
- Business per employee increased to ₹ 15.60 crore during the financial year ended March 31, 2021 from ₹ 14.06 crore in the previous financial year ended March 31, 2020.
- Capital Adequacy Ratio (as per Basel-II) stood at 14.27 with Tier I at 10.73% and Tier II at 3.54% for the financial year ended March 31, 2021. Capital Adequacy Ratio (as per Basel-III) stood at 14.81% with Tier I at 12.82% and Tier II at 1.99% for the financial year ended March 31, 2021.
- Net worth stood at ₹ 22,702.90 crore as on March 31, 2021.
- Cash Recovery (including sale of NPA) reduced to ₹ 2963 crore in the financial year ended March 31, 2021 as compared to ₹ 3326 crore in the previous financial year ended March 31, 2020.
- Gross NPA to Gross Advances improved to 16.55% as on March 31, 2021 from 18.92% as on March 31, 2020.
- Net NPA to Net Advances reduced to 5.77% as on March 31, 2021 as against 7.63% as on March 31, 2020.
- Provision Coverage Ratio improved to 82.54% as on March 31, 2021 from 77.29% as on March 31, 2020.
- Net Interest Margin (NIM) remained at constant level of 2.78% in the financial year ended March 31, 2021 as compared to the Financial Year ended March 31, 2020.
- Return on Assets (ROA) is -0.26% for the Financial Year ended March 31, 2021.
- The credit deployment under priority sector stood at ₹ 88222 crore during FY 2020-21. However, to take an advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale/purchase transactions in PSLCs. During the year Bank sold PSLCs worth ₹ 22050 crore under PS Advances.
- Agriculture Advance of the Bank stood at ₹ 36207 crore for the financial year ended March 31, 2021 as against ₹ 34419 crore for the previous financial year ended March 31, 2020.
- MSME Advances for the Financial Year ended March 31, 2021 stood at ₹ 32356 crore without PSLC and Investment in SIDBI is ₹ 355.81 crore and Mudra Ltd. is ₹ 133.63 crore.
- Retail Loans increased to ₹ 49468 crore in financial year ended March 31, 2021 from ₹ 46106 crore in financial year ended March 31, 2020.
- Housing Loan portfolio of the Bank stood at ₹ 27969 crore for the financial year ended March 31, 2021 registering y-o-y growth of 8.44%. Housing Loan Portfolio constitutes 56.54% of the total Retail Portfolio as on March 31, 2021.

- There are 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Odissa(1) and Assam(1). During the year 2020-21, the RSETIs conducted 573 training programmes and imparted training to 15343 candidates. Out of this, 12384 (i.e. 81%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance. Credit linkage of settled candidates achieved is 6513 i.e. 43%.
- Bank has 2 RRBs as on 31st March 2021 in 2 states covering 23 districts with a network of 1174 branches.
- Under Financial Inclusion, Bank has covered 24311 villages by deploying 6532 BC Agents. Bank has opened 155 Urban Financial Inclusion centres. Bank has further opened 145 lakh Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) through its BCs and Branches.
- Total earning from Bancassurance business is ₹ 62.37 crore for the financial year ended March 31, 2021.
- As on 31st March 2021, Bank has network of 4608 branches, spanning 63.69% branches in rural & semi-urban areas, 3644 ATMs, 10 satellite offices and 1 Extension Counter across the country.

2. INCOME & EXPENDITURE

Details of income and expenditure for the financial year 2020-21 are given hereunder:

(₹ in Crores)

	31.03.2021	**31.03.2020**	**variation**	**%**
1 **INTEREST INCOME**	22730	23563	(833)	(3.54)
– Advances	11638	12506	(868)	(6.94)
– Investments	10009	9916	93	0.94
– Others	1083	1141	(58)	(5.08)
2 **NON INTEREST INCOME**	3167	3637	(470)	(12.92)
3 **TOTAL INCOME (1+2)**	25897	27200	(1303)	(4.79)
4 **INTEREST EXPENDED**	14485	15934	(1449)	(9.09)
– Deposits	13994	15402	(1408)	(9.14)
– Others	491	532	(41)	(7.71)
5 **OPERATING EXPENSES**	6782	6922	(140)	(2.02)
– Establishment	4141	4217	(76)	(1.80)
– Others	2641	2705	(64)	(2.37)
6 **TOTAL EXPENSES (4+5)**	21267	22856	(1589)	(6.95)
7 **SPREAD (1-4)**	8245	7629	616	8.07
8 **OPERATING PROFIT (3-6)**	4630	4344	286	6.58
9 **PROVISIONS**	5518	5465	53	0.97
10 **PROVISIONS FOR TAX**	(436)	212	(648)	(305.66)
11 **NET PROFIT/(LOSS) (8-9)**	(888)	(1121)	233	20.79

3. PROVISIONS

Details of Total Provisions of ₹ 5518 crore charged to the Profit and Loss Account during the financial year 2020-21 vis-a-vis previous financial year are detailed as under:

(₹ in Crores)

	31.03.2021 (FY)	31.03.2020 (FY)	Variation
Provisions for Standard Assets	263	172	91
Provisions for NPAs	5129	4230	899
Provisions for Restructured Accounts	76	(159)	235
Provision on Investments	399	1065	(666)
Provisions for Taxes	(436)	212	(648)
Others	87	(55)	142
TOTAL	**5518**	**5465**	**53**

4. PROFITABILITY RATIOS

(In percentage)

	31.03.2021 (FY)	31.03.2020 (FY)
Cost of Deposits	4.35	5.11
Cost of Funds	4.43	5.18
Yield on Advances	6.63	7.53
Yield on Investments	6.62	7.01
Net Interest Margin	2.78	2.78*
Cost to Income Ratio	59.43	61.44

*Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

5. BUSINESS RATIOS

(In percentage)

	31.03.2021 (FY)	31.03.2020 (FY)
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	6.67	7.26*
Non-Interest Income to AWF	0.93	1.12*
Operating Profit to AWF	1.36	1.34*
Return on Average Assets	(0.26)	(0.35)
Business Per Employee (₹ in crore)	15.60	14.06
Net Profit per Employee (₹ in lakh)	(2.74)	(3.27)

*Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

6. CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2021 (FY)		31.03.2020 (FY)	
	Basel-II	Basel-III	Basel-II	Basel-III
Tier-I	10.73	12.82	7.57	9.33
Tier-II	3.54	1.99	4.38	2.39
Capital Adequacy Ratio	14.27	14.81	11.95	11.72

7. NET PROFIT/LOSS

The Bank has incurred net loss amounting to ₹ 888 crore during the financial year ended March 31, 2021. Board of Directors has not recommended any dividend on equity shares for the Financial Year 2020-21.

8. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- Shri Thomas Mathew, RBI Nominee Director ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 28th September, 2020 in terms of Notification of Ministry of Finance, Government of India.
- Shri P. J. Thomas was appointed as RBI Nominee Director of the Bank in terms of Department of Financial Services, Government of India Notification, w.e.f. 28th September, 2020.
- Shri B. S. Shekhawat, Executive Director ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 8th October, 2020.
- Prof. (Dr.) Atmanand, part time non-official director ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 26th December, 2020.
- Shri Pallav Mohapatra, Managing Director & Chief Executive Officer ceased to be the Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 28th February, 2021.
- Shri M. V. Rao was appointed as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank in terms of Department of Financial Services, Government of India Notification, w.e.f. 01st March, 2021.
- Shri Vivek Wahi was appointed as Executive Director of the Bank in terms of Department of Financial Services, Government of India Notification, w.e.f. 10th March, 2021.
- Shri Rajeev Puri was appointed as Executive Director of the Bank in terms of Department of Financial Services, Government of India Notification, w.e.f. 10th March, 2021.

The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Shri B. S. Shekhawat, Shri Thomas Mathew, Prof. (Dr.) Atmanand and Shri Pallav Mohapatra who ceased to be the Directors of the Bank during the Financial Year 2020-21.

9. WHISTLE BLOWER POLICY

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has a web based portal in the name of "Cent e-Whistleblower" to facilitate reporting of malpractices by Employees and Directors without revealing their identities, which would be known to the General Manager – Central Audit and Inspection. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee of the Board directly. This may help to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.

10. PROMPT CORRECTIVE ACTION

Reserve Bank of India vide their letter dated June 13, 2017, has put the Bank under Prompt Corrective Action (PCA) in view of high net NPA and negative Return on Assets. Bank believes that corrective measures arising thereof will help in improving overall performance of the Bank.

11. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

Business Responsibility Report as stipulated under Regulation 34 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been annexed to this report and also hosted on the website of the Bank (www.centralbankofindia.co.in).

12. DIRECTORS' RESPONSIBILTY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2021:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;

- Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit/ loss of the Bank for the financial year ended March 31, 2021;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India;
- The accounts have been prepared on a going concern basis;
- Internal Financial Controls are adequate and were operating effectively; and
- Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems are adequate and operating effectively.

13. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of the Bank is committed to adopt best Corporate Governance practices in both letter and spirit. The Bank has a well-documented system and practice on Corporate Governance.

14. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its employees, customers and shareholders.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Place : Mumbai

Date : July 15, 2021

M V Rao

Managing Director & Chief Executive Officer

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

For The Financial Year Ended 31st March 2021.

[Pursuant to Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulation), 2015]

To,

The Members of Central Bank of India,

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Central Bank of India**, (hereinaftercalled the Bank). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Central Bank of India** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank officials during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2021 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2021 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013(the Act)and the rules made thereunder to the extent applicable to the Bank

(ii) The Securities Contracts(Regulation) Act, 1957('SCRA')and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act,1999and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **(Not Applicable to the Bank for the period under review)**

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Boardof India Act,1992 ('SEBI Act'):-

a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations,2018; **(Not Applicable during the year under review as there were no Buybacks)**

e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; **(Not Applicable to the Bank for the year under review)**

f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; **(Not Applicable to the Bank for the year under review)**

g) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non - Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations,2013; **(Not Applicable to the Bank for the year under review)**

h) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

i) The Following other Laws as applicable to the Bank:

(a) Banking Regulation Act 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI)from time to time.

(b) Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and its amendments thereof.

(c) Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

(d) Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

(ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Ltd (BSE) and the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above

We further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors including Independent Directors and Women Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Banking laws in consonance with SEBI (LODR).

In the wake of outbreak of Covid 19 pandemic and subject to relaxations issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI, Board meetings and General meetings were conducted via video or audio visual mode and notices of all the meetings were sent through e-mail and proper recordings are maintained for subsequent reference.

Decisions at the Meetings of the Board of Directors of the Bank, including the resolutions approved through circulations, were resolved unanimously. There were no dissenting views by any member of the Board of Directors during the period under review.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period:

1. The Bank in its Board meeting held on 20th May,2020 amended two codes namely:Code of Practices and Procedures for Fair Disclosure of Unpublished Price Sensitive Information (UPSI) and Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in terms of SEBI(Prohibition of Insider Trading) Regulation,2015.

2. The Bank in its Annual General Meeting held on 7th August,2020 passed Special resolution to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares upto the value of ₹ 5,000/-crore (Rupees Five Thousand Crore Only) (including premium, if any).

   Accordingly, In the Capital Raising Committee Meetingwhich was held on 28th September,2020 16,57,99,736 equity shares of the face value of ₹ 10 each at the issue price of ₹ 15.38 per equity share were allotted to Qualified Institutional Buyers.

3. Reserve Bank of India in exercise of powers conferred under section 47A (1) (C) read with sections 46(4)(i) and 51(1) of Banking Regulation Act 1949 vide order dated November 10, 2020 imposed a penalty of ₹ 50 lakh (Rupees Fifty Lakh only) for non -compliance with directions on 'Housing Sector-Innovative Housing Loan Products up front disbursal of housing loans dated September 03, 2013.

4. The Capital Raising Committee in its meeting held on 11thDecember, 2020 approved the proposal for raising capital funds upto ₹ 500 crore by issuance and allotment of Non-Convertible Redeemable Unsecured Basel III compliant Tier 2 Bonds in the nature of promissory notes.

5. Financial Intelligence Unit vide order in Original No. 14/DIR/Flu-IND/2020 dated 23rd December 2020 imposed fine of ₹ 2,00,000/- (Rupees Two Lakhs only) on the Bank for certain lapses observed under Prevention of Money Laundering Act, 2002. Fine was paid on 15th January, 2021.

6. The Bank entered into a binding agreement to divest its entire equity stake of 64.40% i.e 1,61,00,000 shares of ₹ 10 each in Cent Bank Home Finance Limited to M/s Centrum Housing Finance Limited.

   The Bank further informed that the said share purchase agreement lapsed on 31st March, 2021. Therefore, the said agreement stand rescinded with effect from 1st April, 2021.

7. The Bank informed that The President of India (Government of India) has sanctioned release of ₹ 4800.00 Crore (Rupees Four Thousand Eight Hundred Crore only) towards contribution in the Preferential allotment of equity shares

(Special Securities/Bonds) of the Bank during the financial year 2020-21. The said fund was received by the Bank on 31stMarch, 2021 and has been kept in the Share Application Money Account.

8. Bank has redeemed following debt instruments in terms of information memorandum and approval granted by Reserve Bank of India:

Date of Redemption	Nature of instrument	Amount of redemption (in `₹)	Purpose
11.06.2020	Upper Tier II Bonds Series V(ISIN : INE483A09229)	1000,00,00,000	As per clause of Information Memorandum
21.01.2021	Upper Tier II Bonds Series VI (ISIN : INE483A08015	300,00,00,000	As per clause of Information Memorandum

9. Pursuant to Regulation 57(1) of the SEBI(Listing Obligation and Disclosure Requirement), 2015 the Bank made payment of principle and interest for the following non-convertible debt securities and intimated the stock exchange on principle or interest or both becoming due.

Sr. No.	Particulars	Due Date	Amount	Amount
1.	Upper Tier II Bonds Series V (ISIN: INE483A09229) on exercise of call option.	11.06.2020	₹ 85,70,00,000/-	₹ 1000,00,00,000/-
2.	Perpetual Bonds Series II (ISIN : INE483A09252) of ₹ 139.10 crore at a coupon rate of 9.40% to the eligible bond-holders.	28.09.2020	₹ 13,07,54,000/-	NA
3.	Basel III Compliant Tier II Bonds Series IV (ISIN : INE483A08023) of ₹ 500.00 Crore at a coupon rate of 9.80% to the eligible bond-holders.	30.09.2020	₹ 49,00,00,000/-	NA
4.	Basel III Compliant Tier II Bonds Series I (ISIN : INE483A09260) of ₹1000.00 Crore at a coupon rate of 9.90% to the eligible bondholders	09.11.2020	₹ 99,00,00,000/-	NA
5.	Lower Tier II Bonds Series XIV (ISIN: INE483A09245) of ₹ 500 crore at a coupon rate of 9.33% to the eligible bond-holders.	21.12.2020	₹ 46,65,00,000/-	NA
6.	Upper Tier II Bonds Series VI (ISIN : INE483A08015) on exercise of call option.	21.01.2021	₹ 27,60,00,000/-	₹ 300,00,00,000/-
7.	Basel III Compliant Tier II Bonds Series II (ISIN : INE483A09278) of ₹ 500 crore at a coupon rate of 8.62% to the eligible bond-holders.	08.03.2021	₹ 43,21,80,822/-	NA
8.	Basel III Compliant Tier II Bonds Series V (ISIN : INE483A08031) of ₹ 500 crore at a coupon rate of 9.20% to the eligible bond-holders.	20.03.2021	₹ 46,00,00,000/-	NA
9.	Basel III Compliant Tier II Bonds Series III (ISIN : INE483A09286) of ₹ 500 crore at a coupon rate of 10.80% to the eligible bond-holders.	30.03.2021	₹ 54,00,00,000/-	NA

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Sd/-
Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488
UDIN: F006804C000380683

Date : 27.05.2021
Place: Mumbai

Note: In order to prevent and contain the spread of COVID 19, The Government of Maharashtra imposed lockdown like restrictions as a result of which it was not allowed to visit any Government Department/Organization.

Accordingly, Secretarial audit has been conducted based on the documents, records and information along with explanations provided through electronic mode.

Annexure-I to the Secretarial Audit Report

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

To,

The Members of Central Bank of India,

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The Compliances of provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to Central Bank of India (The Bank) is the responsibility of the Management of the Bank. Our Examination was limited to the verification of records and procedures on test check basis for the purpose of the issue of the Secretarial Audit report.
2. Maintenance of the secretarial and other records of the applicable laws is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to issue Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant records maintained and furnished to us by the Bank, along with the explanations where so required.
3. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts as reflected in secretarial and other records produced to us. We believe that the process and practices we followed, provides reasonable basis for our opinion for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
4. We have not verified the correctness and appropriateness of Financial Records and Books of Accounts of the Company.
5. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events during the Audit period.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Sd/-

Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488
UDIN: F006804C000380683

Date : 27. 05. 2021
Place: Mumbai

Note: In order to prevent and contain the spread of COVID 19, The Government of Maharashtra imposed lockdown like restrictions as a result of which it was not allowed to visit any Government Department/Organization.

Accordingly, Secretarial audit has been conducted based on the documents, records and information along with explanations provided through electronic mode.

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,

The Members of Central Bank of India

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Central Bank of India having its Head office at Chander mukhi, Nariman Point, Mumbai – 400021 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2021 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank / Companies by the Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs / Ministry of Finance / Reserve Bank of India or any such statutory authority.

S.No.	Name of the Director	Category	DIN	Date of Appointment
1	Tapan Ray	Non-Executive - Independent Director	00728682	23-05-2018
2	M V Rao	Managing Director and Chief Executive Officer	06930826	01-03-2021
3	Alok Srivastava	Executive Director	05123610	23-01-2019
4	Vivek Wahi	Executive Director	07490023	10-03-2021
5	Rajeev Puri	Executive Director	07330989	10-03-2021
6	Bhushan Kumar Sinha	Non-Executive - Nominee Director	08135512	14-05-2018
7	P J Thomas	Non-Executive - Independent Director	-	28-09-2020
8	Mini Ipe	Non-Executive - Independent Director	07791184	01-07-2018

Ensuring the eligibility of for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Sd/-

Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488
UDIN: F006804C000380848

Date : 27. 05. 2021
Place: Mumbai

Annual Secretarial Compliance Report of Central Bank of India

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

[Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 Dated 08.02.2019 as per Regulation 24A of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement, 2015]

To,

The Members of Central Bank of India,

1. We have examined:

   (a) All the documents and records made available to us and explanation provided by Central Bank of India ("the listed entity"), arising from the compliances of Specific Regulations listed under para 2 infra

   (b) the filings/ submissions made by the listed entity to the stock exchanges in connection with the above

   (c) website of the listed entity,

   (d) any other document/ filing, as may be relevant, which has been relied upon to make this certification,

   For the year ended 31st March 2021 ("Review Period") in respect of compliance with the provisions of :

   (a) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder; and

   (b) the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI");

2. The specific Regulations, whose provisions and the circulars/ guidelines issued thereunder, have been examined, include:-

   (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

   (b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

   (c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

   (d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;(Not applicable during the year under review)

   (e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (Not applicable during the year under review)

   (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; (Not applicable during the year under review)

   (g) Securities and Exchange Board of India(Issue and Listing of Non - Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations,2013; (Not applicable during the year under review)

   (h) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

   Based on my examination and verification of documents and records produced to me and according to the information and explanation given by the Bank , we report that:

   (a) The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder, except in respect of the regulations mentioned below.

Sr. No	Compliance Require-ment(Regulations/Circulars/ Guidelines including specific clause)	Deviations	Observations and Remarks of the Practicing Company Secretary
	Nil	Nil	Nil

(b) The listed entity has maintained proper records under the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder insofar as it appears from our examination of those records.

(c) The following are the details of actions taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ material subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars) under the aforesaid Acts/ Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder:

Sr No.	Action Taken by	Details of violations	Details of action taken E.g. fines, warning letter, debarment, etc.
	Nil	Nil	Nil

(d) The Company was not required to take any action with regard to compliance with the observations made in previous reports.

For **R.S. Padia & Associates**
Company Secretaries

Sd/-

Rajshree Padia
FCS: 6804; CP: 7488
UDIN: F006804C000380870

Date : 27. 05. 2021
Place: Mumbai

Note: In order to prevent and contain the spread of COVID 19, The Government of Maharashtra imposed lockdown like restrictions as a result of which it is not allowed to visit any Government Department/Organization.

Accordingly, Secretarial audit has been conducted based on the documents, records and information along with explanations provided through electronic mode.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Part A: Economic Outlook

Global Economy

After receiving major jolt from Covid-19 related surge in infections, the global economy started to show signs of recovery in recent times with phased opening up of economic activities in many countries as well as vaccination drive. Consequently, the CY2021 is expected to observe better global growth compared to CY2020 provided no further major surge in Covid-19 infections globally. Global commodity prices increased in recent months for energy, raw materials, a few metals, etc.

In USA, as per advance estimate released on 29th April 2021, the real GDP grew at an annual rate of 6.4% in March 2021 as compared to 4.3% in December 2020. Personal consumption expenditure, government purchase and investment, non-residential fixed investment increased in March 2021. On the other hand, private domestic investment decreased in March 2021. The US trade deficit stood at USD 74.4 billion in March 2021. US industrial production increased by 16.5% in April 2021 as compared to 1.04% in March 2021. The unemployment rate came in at 6.1% in April 2021. Inflation increased to 4.2% in April 2021.

For Euro Area, seasonally adjusted GDP contracted by (-) 0.6% in March 2021 compared with the previous quarter according to flash estimates. In December 2020, the GDP decreased by (-) 0.7% after a strong positive growth of 12.5% in September 2020. Spain, Italy, Germany witnessed de-growth in GDP for March 2021 as per the flash estimates. Unemployment rate in the Euro Area stood at 8.1% in March 2021 from 8.2% in February 2021 and 7.1% in March 2020. Unemployment rate in Germany came in at 4.5% in March 2021 and for Italy it stood at 10.1% in March 2021. For Spain and France, the unemployment rates in March 2021 were 15.3% and 7.9% respectively. The inflation rate in the Euro Area was 1.6% in April 2021 vis-à-vis 1.3% in March 2021 and 0.3% in April 2020. The composite PMI for Euro Area remained in expansion zone in both March 2021 and April 2021. Retail sales for the region grew by double digit in March 2021 after contracting in February 2021.

For Japan, as per the provisional data, the real GDP on quarter on quarter basis for March 2021 contracted after registering positive growth for two successive quarters of September 2020 and December 2020. Inflation continued to be in negative in last few months and stood at (-) 0.2% YoY in March 2021. Seasonally adjusted unemployment rate in March 2021 came down a little to 2.6% from 2.9% in February 2021. Industrial production grew by 3.4% YoY in March 2021 from (-) 2% in February 2021. Nikkei Japan Manufacturing PMI was 53.6 in April 2021 indicating expansion in activities. Both merchandise export and import expanded in March 2021 on year on year basis.

In Emerging economies; China registered a growth of 18.3% YoY in real GDP in March 2021 on a low base of (-) 6.8% contraction in March 2020. For December 2020, the real GDP growth stood at 6.5% YoY. Chinese inflation was 0.9% in April 2021 vis-à-vis 0.4% in March 2021. Industry value added increased by 9.8% YoY in April 2021 and manufacturing PMI remained in expansion zone in April 2021. Retail sales registered positive growth in April 2021. Some other economies such as Mexico, South Africa, Russia, Brazil, etc. showed sluggish output growth in recent quarters.

India

As per the provisional data released on 31st May, 2021 by National Statistical Office, the real GDP for 2020-21 contracted by (-) 7.3% vis-à-vis 4.0% growth in 2019-20. Gross Value Added at basic prices contracted by (-) 6.2% in 2020-21 compared to growth of 4.1% in 2019-20. Agriculture, forestry and fishing registered growth of 3.6% in 2020-21 compared to 4.3% in 2019-20. Mining and quarrying de-grew by (-) 8.5% in 2020-21 compared to (-) 2.5% in 2019-20. Manufacturing witnessed contraction by (-) 7.2% in 2020-21 vis-à-vis (-) 2.4% in 2019-20. Electricity, gas, water supply and other utility services registered growth of 1.9% in 2020-21 vis-à-vis 2.1% in 2019-20. Trade, hotels, transport, communication and other services related to broadcasting de-grew by (-) 18.2% in 2020-21 as compared to growth of 6.4% in 2019-20. Financial, real estate and professional services de-grew by (-) 1.5% in 2020-21 against 7.3% growth in 2019-20. Public administration, defence and other services declined by (-) 4.6% in 2020-21 compared to 8.3% growth in 2019-20.

As per the provisional data, the index of industrial production (IIP) had negative growth for few months in 2020-21 but in March 2021, the IIP registered positive growth of 22.4% YoY. For the financial year 2020-21, IIP contracted by (-) 8.7%. Production for mining and quarrying decreased to (-) 7.8% in 2020-21. Manufacturing production contracted by (-) 9.8% in 2020-21. Production for electricity contracted by (-) 0.5% in 2020-21. Nikkei Composite PMI for India remained in expansion zone from September 2020 onwards upto the release in April 2021. Both manufacturing PMI and service PMI reamined in expansion zone in April 2021.

Inflation measured by consumer price index (CPI) came down to 4.3% YoY in April 2021. In March 2021 inflation came in at 5.5% and in April 2020 it was 7.2%.

India's marchandise export during April-March 2020-21 stood at USD290.63 billion vis-à-vis USD313.36 billion in 2019-20 which is a de-growth of (-) 7.26%. The merchandise import during April-March 2020-21 stood at USD 389.18 billion vis-à-vis USD474.71 billion in 2019-20 which is a de-growth of (-) 18.02%. The trade deficit narrowed to USD98.56 billion in 2020-21 as compared to USD161.35 billion in 2019-20. Foreign portfolio investors made a net investment in India to the tune of USD 36180 million in 2020-21 as compared to net investment of USD (-) 3041 million in 2019-20.

Banking Industry

The Banking industry has been diligently doing its duty during the Covid-19 to foster economic momentum. The banking industry has been undertaking various schemes as required under "Aatmanirbhar Bharat" announced by the Government of India. As per the provisional data, the select scheduled commercial banks (SCBs) on year-on-year basis registered a non-food credit growth of 4.9% in March 2021 vis-à-vis 6.7% in March 2020. The gross bank credit growth of SCBs in March 2021 stood at 5% YoY as compared to 6.8% in March 2020. Bank credit growth to agriculture sector continued its uptick and grew by 12.3% YoY in March 2021 as against 4.2% in March 2020. SCBs' credit growth to industry stood at 0.4% YoY in March 2021 vis-à-vis 0.7% in March 2020. Service sector registered credit growth of 1.4% YoY in March 2021 as compared to 7.4% in March 2020. SCBs' credit growth to non-banking financial companies came in at 4.5% YoY in March 2021. Personal loan segment witnessed credit growth of 10.2% YoY in March 2021 as compared to 15% in March 2020.

PART- B- PERFORMANCE OF THE BANK BUSINESS

As on March 31, 2021, the Total Business of the Bank was ₹ 506886 crore compared to ₹ 4,86,007 crore as on March 31,2020. High Cost Deposits have been increased to ₹ 68 crore as on March 31, 2021 from ₹ 62 crore as on March 31, 2020.

Operating Profit of the Bank stood at ₹ 4,630 crore for the financial year ended March 31, 2021 as compared to ₹ 4344 crore for financial year ended March 31, 2020. The Bank posted a Net loss of ₹ 888 crore in financial year ended March 31, 2021 as against Net loss of ₹ 1121 crore in financial year ended March 31, 2020, on account of increased provisions.

RESOURCE MOBILISATION

The Total Deposits as on March 31, 2021 stood at ₹ 3,29,973 crore, after increase of High Cost Deposits to the extent of ₹ 6 crore. Saving Bank Deposits increased to ₹ 145667 crore with a growth of 11.88% in financial year ended March 31, 2021 from ₹ 1,30,200 crore in financial year ended March 31, 2020. Similarly, Current Deposits increased to ₹ 16,259 crore in financial year ended March 31, 2021 from ₹ 15,079 crore in financial year ended March 31, 2020, registering a growth of 7.83%. The share of CASA Deposits to Total Deposits has increased to 49.24 % as of March 31, 2021 as against 46.83% as of March 31, 2020. Core Term Deposits increased by 1.23 % and reached to the level of ₹ 1,66,883 crore as of March 31, 2021 from ₹ 1,64,858 crore as of March 31, 2020.

STRATEGY AND PROGRESS OF INDAS IMPLEMENTATION IN THE BANK

RBi vide its circular DBR.BP.BC. No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019 stated that the legislative amendments recommended by the RBI are under consideration of the Government of India and deferred the implementation of IndAS in Banks till further notice. However, as required by RBI, Bank submits the Proforma IndAS Financials to RBI every quarter since June 2018. RBI vide their email dated 27.07.2020, has informed that the date of transition for the performa to be submitted starting from quarter ended June 30, 2020 is April 1, 2020.

The Bank had engaged services of an IndAS consultant and constituted, and constituted a Core IndAS Team and commenced the process of IndAS implementation. Steering committee headed by Executive Director was formed to monitor the progress of implementation. The Board of Directors and Audit Committee of the Board periodically have been reviewing the progress of the same.

INITIATIVE DURING FY 2020-21

- End to end loan life cycle management system (LLMS) is introduced which has credit origination, monitoring and various API interface to improve credit underwriting, Turn Around Time (TAT) and monitoring including Early Warning Signals (EWS). LLMS has the facility of online tracking of loan application.

- Technological Initiatives taken, such as Loan Lifecycle Management System, Single Data Repository, Enterprisewide Fraud Risk Management System and Business Transformation through Data Analytics present opportunity to the bank to gain the lost market share in the business.
- Acquisition of new business through leveraging the work force, by forming Marketing vertical and collection of business leads with the assistance of technology
- Tie-up with Agencies for Specialized Monitoring (ASMs) for clean & effective post-sanction follow-up for accounts with exposure above ₹ 250.00 crore from the Banking system.
- Tie-up with NBFCs for co-lending under Retail and MSME sector with a view to improve the collections in Retail/ MSME Credit.
- Two new E-mail IDs (employeesfirst@centralbank.co.in, valuecreators@centralbank.co.in) have been developed which are accessed by the employees. All the issues received in these mail IDs are attended by the fastest possible mode.
- As a leap towards improving the learning and development function of the Bank, **"Navonmesh"** a survey on our Learning & development function was introduced to seek new ways of looking at reinventing, renewing ideas, strategies and re-invigorating the Learning and Development journeys for all our employees.
- For improving the Performance Management System which is built on the foundation of objectivity & fairness leading towards transparency and enhancing performance driven culture of the Bank modifications have been incorporated in the system including introduction of "Dashboard" in PMS which will showcase quarterly performance of officers.
- Induction Training is one of the important steps in life cycle of an employee, especially in carving out an engaged employee. Our bank has come out with the uniform training programme for directly recruited probationary officers.
- As a step towards creating Leadership Pipeline through Succession Planning Project to leverage our human resources potential for a successful future, bank had initiated the exercise of succession planning& Assessment Centre in our Bank under the Project "Cent Nurture" and exercise for GMs & DGMs have been completed under the same.
- HR Audit is comprehensive evaluation of HR Functions, policies, processes, structures & strategies in an effort to align it with Business goals & strategies. The project has been completed and the analysis of the same will be significant in finding the existing Gaps and determining the future course of actions.

NEW INITIATIVES

- Implementation of **'CPAC - Pre-disbursal Credit Review Mechtoanism- Credit Processing & Approval Centre'** for according pre-disbursement approval to branches shall help to improve credit quality and also help the field staff for undertaking credit decisions without fear.
- Management approach shall be in the form of Inverted Pyramid, where the top portion shall be the Branches, supported by Central Office/Zonal Offices and Regional Offices from the bottom, which means Central Office/ Zonal Offices and Regional Offices shall be supporting the existence and functioning of Branches and an enabling environment will be provided for business growth.
- Reward programs by way of forming of Top Management Clubs shall be introduced to recognize the performers
- Training Centre equipped to deliver-**"BRAND CENTRAL"**-i.e, an unique identity for the staff under all categories.
- Special campaigns with the theme- **"CENTRAL CONNECT"** by visiting existing loyal customers.

CREDIT

- Total Gross Advances of the Bank increased to ₹ 176913 crore as on 31.03.2021 against ₹ 172244 crore as on 31.03.2020 with a growth of 2.71% despite the fact that ₹ 4810 crore was technically written off from Gross Credit. Excluding additional Technical Write-Off, growth rate in Gross Advances was 5.50%.
- During the financial year, Fresh Corporate Credit of more than ₹ 12900 crore was sanctioned despite COVID related challenges. Out of fresh Corporate exposure, 98.84% were BBB and above rated.
- Loan Policy and Master Circulars were updated to improve asset quality, managing credit risks, making the systems and control more effective and speedier decision making.

- Rationalization of Interest Rates was done to make the Bank competitive in the market.
- All borrowal accounts brought under Large Exposure Framework regulatory limits.
- Unsecured Exposure of the Bank was substantially reduced and kept within the benchmark under PCA guidelines.
- CGECL in Corporate Credit was sanctioned to all eligible accounts who have opted in upto 31.03.2021.
- Regulatory Framework – OTR was invoked in all eligible corporate accounts.
- Repo Rate linked Loan product was introduced.
- Cut off for Exposure threshold for obtaining External Rating enhanced from ₹ 5 crore to ₹ 25 crore thereby facilitating increased flow of credit to Small and Medium Enterprises.
- Policy on Infrastructure Investment Trusts [InvITs] and its SOP introduced.
- SOP for TNW of borrower / guarantor, due diligence of vendors, TEV Study introduced to strengthen underwriting process.
- Revised Executive Brief introduced to capture additional information to assess risk.
- SOP for Restructuring of Accounts under Resolution Framework for Covid-19 related stress of Reserve Bank of India was introduced and implemented.
- Skill upgradation of Credit Officers / Analysts through online training from various Institutes.
- Risk Weight Asset as percentage of Gross Advances reduced from 70.20% to 66.71% i.e. by 349 bps showing lesser consumption of capital by canvassing better quality of advances including Government guaranteed advances.

CREDIT MONITORING DEPARTMENT

In order to improve the quality our Credit portfolio, a separate vertical for Credit Monitoring & Policy headed by General Manager is functioning. Major activities being undertaken by the department are enumerated below:

- Credit Monitoring Committee has been constituted at various controlling offices and large branches and it is being ensured that meetings of the committee are held periodically to deliberate all matters pertaining to Credit Monitoring including the following points:-
  - Evaluation of exercise of delegated lending powers at various levels during the month
  - Root-cause analysis of SMA accounts
  - Status of coverage & closure under Loan Review Mechanism
  - Status of conduct of Stock-Audit in borrowal accounts
  - Status of review renewal of accounts
  - Status of conduct of Periodical inspection of Securities
  - Status of Perfection of Securities
- Verification of Early Warning Signals (EWS) of borrowal accounts generated from the dedicated Portal to identify the sickness / criticalities of the account even before the financial default for early resolution
- Red-Flagging of borrowal accounts on observance of Early Warning Signals for further investigation as per RBI guidelines
- Agencies for Specialized Monitoring (ASM) are being engaged for accounts with exposure above ₹ 250 Crores from the banking system in order to monitor the operations and transactions of large value borrowal accounts on ongoing basis
- A system for Quarterly review of loan accounts of listed companies (₹ 1 crore and above) and others (working capital exposure of ₹ 5 crore & above) has been implemented in the Bank for monitoring the actual business performance viz a viz the estimates / projections

- Impact assessment of Early Warning Signals (EWS) on Risk Rating of loan accounts has been started through the process of Dynamic Review of Rating.
- The department is ensuring submission of loan account details to the Credit Information Companies & NeSL (Information Utility) periodically
- Department is ensuring timely submission of various regulatory returns / MIS pertaining to advances
- The department is monitoring registration of security interest with CERSAI
- The department is ensuring that the credit related policies are updated in line with the notifications made by RBI, Government of India, etc.
- Submission of default report and main report of borrowal accounts to CRILC
- Template review of SMA 1&2 accounts of above ₹ 5 crore and upto ₹ 25 crore to guide the branches for initiating proper and timely actions in defaulted accounts
- Calculation of additional provision related to restructured accounts, Unhedged Foreign Currency Exposures, extension in DCCO, market mechanism (ASCL), additional provision on stressed sectors such as Road, Telecom, Tourism & Hospitality and CRE.

PRIORITY SECTOR

As per RBI directives, 40% of Adjusted Net Bank Credit or Credit equivalent amount of off-balance sheet exposure, whichever is higher is to be lent to Priority Sector. Lending under this sector is therefore the thrust area of the Bank.

The performance of the Bank under various segments of priority sector as on 31.03.2021 (audited) is as under:

(₹ In crore)

S.No.	Particulars	March 2018	March 2019	March 2020	March 2021	Growth (%)
1.	Priority Sector Advance	82835	83201	79987.91	88222.47	10.29
	Percentage achievement of ANBC	49.74%	47.22%	45.07%	51.96%	
2.	Total Agriculture Advance	34192	35655	34419.40	36206.99	5.19
	Percentage achievement of ANBC	20.53%	20.24%	19.54%	21.32	
3.	MSME	32346	31036	29250.15	32356.43	10.61
4.	Education Loan	2773	2522	2341.42	2724.77	16.37
5.	Housing Loan (upto ₹ 25 Lakh)	13392	13956	13939.37	16744.07	20.12
6.	Other Priority Sector	107	20	17.51	24.77	41.46
7.	Renewal Energy	6	0	0	2.35	0.00
8.	Social Infrastructure	9	8	7.22	153.15	2021.19
9.	Export Credit	8	5	12.84	9.93	-22.66

The Credit deployment under priority sector increased to ₹ 88222.47 Crore during 2020-21, recording a increase of ₹ 8234.56 Crore over previous year. However, to take advantage of excessive lending over ANBC in Priority Sector credit, Bank undertook sale transactions in PSLCs. During the year Bank sold PSLCs worth ₹ 22050.00 crores under Priority Sector (14050 crores under General PS, 8000 crores under Small and Marginal Farmers). There is outstanding RIDF to the tune of ₹ 3316.03 crores under Priority Sector of which ₹ 2,405.07 crores under Agriculture as on 31.03.2021.

(Amount in Rupee crore)

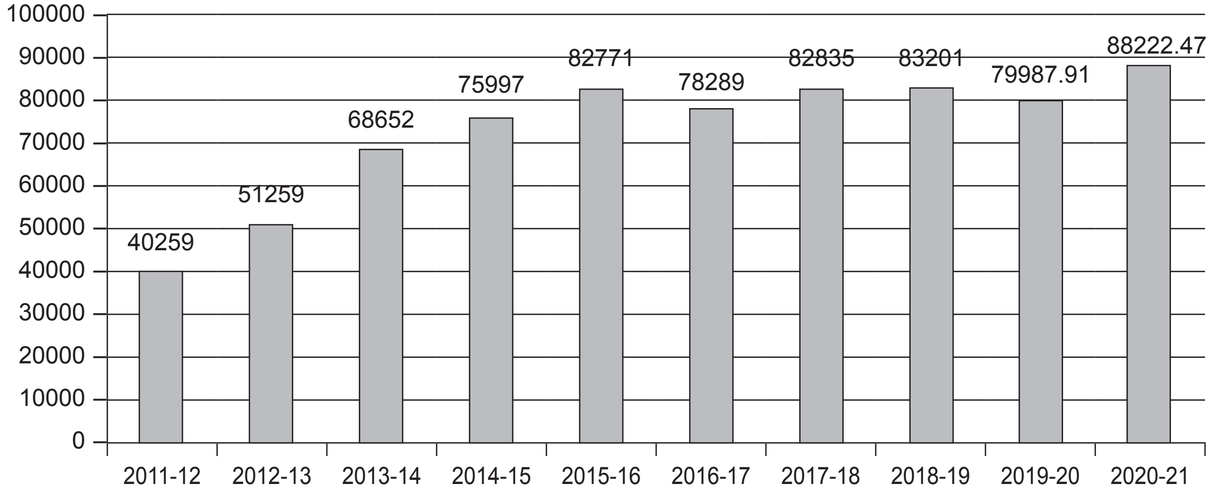

AGRICULTURE

During the year under review, total Agriculture credit increased by ₹ 1787.59 crores from the level of ₹ 34419.40 crores as on March 31, 2020 to ₹ 36206.99 crores as on March 31 2021. The net percent of agriculture credit to adjusted net bank credit (ANBC) is 18.03% against the stipulated target of 18% achieved.

(Amt. in Rupee crore)

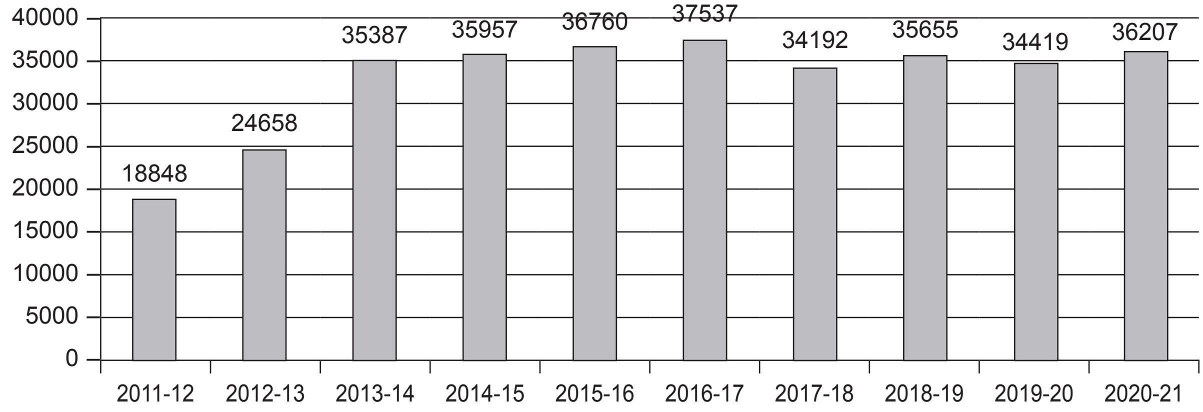

Following are the details of main products offered by the Bank in agriculture and rural development segment:-

S.No.	Scheme Name	Description
1.	Cent Kisan Credit Card	Single window Credit for Short Term Expenses cultivation of crops/Post-Harvest Expenses/Marketing of produce/consumption requirement/ Working capital for maintenance of farm assets & activities allied to agriculture/investment credit requirement for agri. & allied activities.
2.	Cent Agri Gold Loan	Quick Finance crop production and investment credit in agriculture & allied activities against pledge of gold ornaments & gold coin issued by our bank.
3.	Cent SHG Bank Linkage	Lending to SHGs –revolving Cash Credit/Term Loan.
4.	Cent SHG-PI Linkage	Promoting & financing of SHGs with the help of NGOs/Other Organizations.
5.	Cent Kisan Gold Card	To Provide single Term Loan limit for farmer's long term credit needs like farm mechanization, land development, MI, Horticulture etc.-

S.No.	Scheme Name	Description
6.	Cent AMI (Agriculture Marketing Infrastructure) Scheme	Finance for creation of marketing infrastructure with latest technology, facilities for grading, standardization, quality certification, creation of scientific storage facility for effectively managing marketable surplus of agri. & allied sector.
7.	Cent Poly House, Green House, Shade-Net House	Financial assistance for undertaking protecting farming of high quality commercial Horti--culture crop.
8.	Cent Dairy	Establishment of Dairy Units for milk production.
9.	Cent Agri Farm House	Finance for construction, repair, renovation& extension of agri farm house.
10.	Cent vermi Compost	Finance for setting of & running vermin-compost units
11.	Cent Agri Clinic /Agri Business	Financial assistance for setting up Agri. Clinics & Agri. Business Centers by candidates who have required qualification & trend as per the scheme.
12.	Cent Farm Machinery	Financing to tractors trailers & other agri. Implements.
13.	Cent Kisan Sathi	To help in-debted farmers to reduce their outstanding dues payable to money-lenders, brokers etc.
14.	Cent Scheduled Tribe	Financial assistance to weaker sections under Scheduled Tribe.
15.	DAY-NRLM	Scheme launched by MoRD for identified districts for financing Women SHGs under Mission Mode.
16.	Cent Poultry	Finance for Establishment & running of Poultry Farm units.
17.	Cent Fishery	Finance for Traditional & commercial fishing activity

Following are the details of New Agriculture products introduced during FY 2020-21:

S. No.	Scheme Name	Description
1.	Cent kisan vahan Loan	To provide finance for purchase of all types of vehicles i.e. Two/Four wheelers & transport vehicle to farmers & persons engaged in agri. allied activities.
2.	Cent Solar Scheme	To Provide finance to people engaged in agriculture & or ancillary activities for installation of solar lights/solar pump sets/solar water heaters.
3.	Cent Flexi Agri Business Loan	To provide finance upto ₹ 10 Cr. to individuals/firms engaged in Agri. Business-Food & Agro Processing/Agri. Infrastructure/Seed Production/Bio-Pesticides & Bio Fertilizers/Service Providers/Any other ancillary activities.
4.	Cent kisan Covid-19 CARE	To provide immediate finance upto ₹ 50000 to all existing kCC holders or Term Loan borrowers for Crop/fisheries/poultry/dairy/animal husbandry to overcome COvID-19.
5.	Special Loan Scheme for SHGs-COvID-19 CARE	To provide immediate financial support upto ₹ 1 Lakh to SHG members to over-come COvID-19.
6.	Cent Agri Infra	To provide a medium – long term debt finance facility for Investment in projects for post harvest management
7.	Cent Solar –PMKUSUM Scheme	To provide finance to Farmers/FPO/Co-operative of farmers for setting up Decentralized Ground/ Stilt Mounted Grid connected Solar or other Renewable energy based Power Plants of capacity 500KW to 2 MW
8.	Cent VISVAS	To provide finance at lower rate of interest to (i) Individual SC/OBC beneficiaries up to ₹ 2.00 Lac (II) SHGs of SC/OBC beneficiaries up to ₹ 4.00 Lacs

S. No.	Scheme Name	Description
9.	Cent Animal Husbandry Infra	To provide medium-long term finance for (i) Dairy Processing and value addition infrastructure (II) Meat Processing value addition infrastructure and (III) Animal Feed Plant
10.	Cent FPO	To provide finance to Farmer Producer Organizations(FPOs)/Farmer Producer Cooperatives (FPCs) up to ₹ 5.00 Crores
11.	Cent FIDF	To provide finance for creation and modernization of capture and culture fisheries infrastructure and reduce post harvest lossess
12.	Cent PMFME Scheme	To provide finance for setting up and modernization of Micro Food Processing Enterprises

Initiatives taken to accelerate flow of credit to Agriculture sector:

Special Credit Campaigns:

- All Rural and Semi urban branches have organized minimum one Mega Credit Camp in each month to canvass and sanction new Agricultural loans.
- All Rural and Semi Urban branches have organized special Credit Camps for SHGs Bank Linkage.
- Bank ensured crop Insurance coverage to eligible Loanee farmers under "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana" (PMFBY) and canvassed non-loanee farmers for coverage of crop insurance.
- During the financial year Bank have given thrust on Investment credit under Agriculture.
- Bank has focused on extending credit to small & marginal farmers.
- All Rural/Semi Urban Branches organised village level weekly Krishak Sandhya Camps observing COVID 19 Guidelines for creating awarness among farmers for improving credit flow as well as coverage under Social Security Schemes to the Farmers.

FINANCIAL INCLUSION (FI)

1. Bank has covered 24311 villages by deploying 6532 BC agents and we have opened 155 Urban Financial Inclusion centers also.
2. No. Of Transactions:

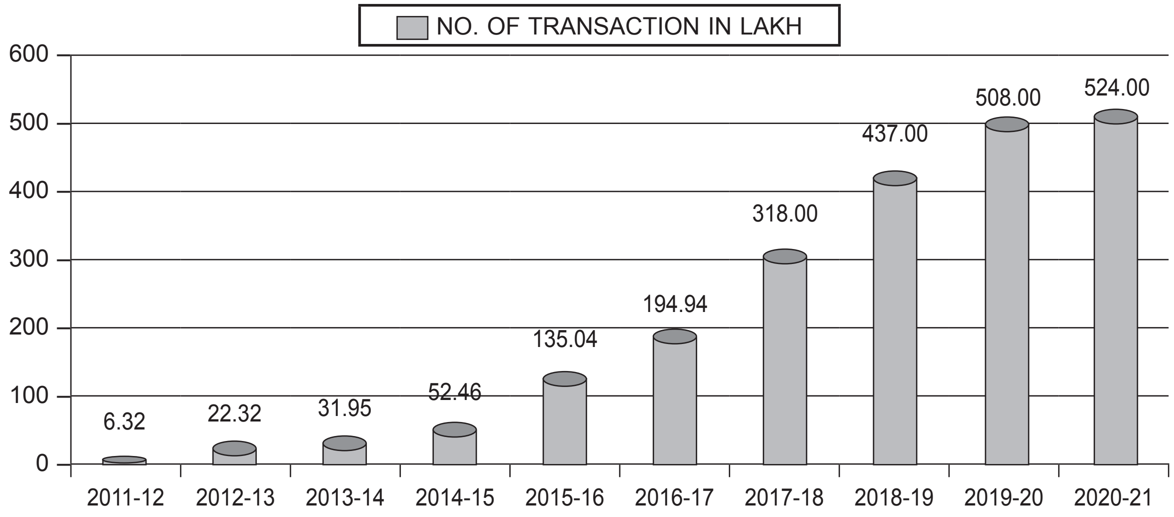

Transactions in FI Accounts opened through BCs have increased from 508.00 lacs in FY 2019-20 to 524.00 lacs in FY 2020-21. (YoY growth of 3.15 %).

3. Business through BC

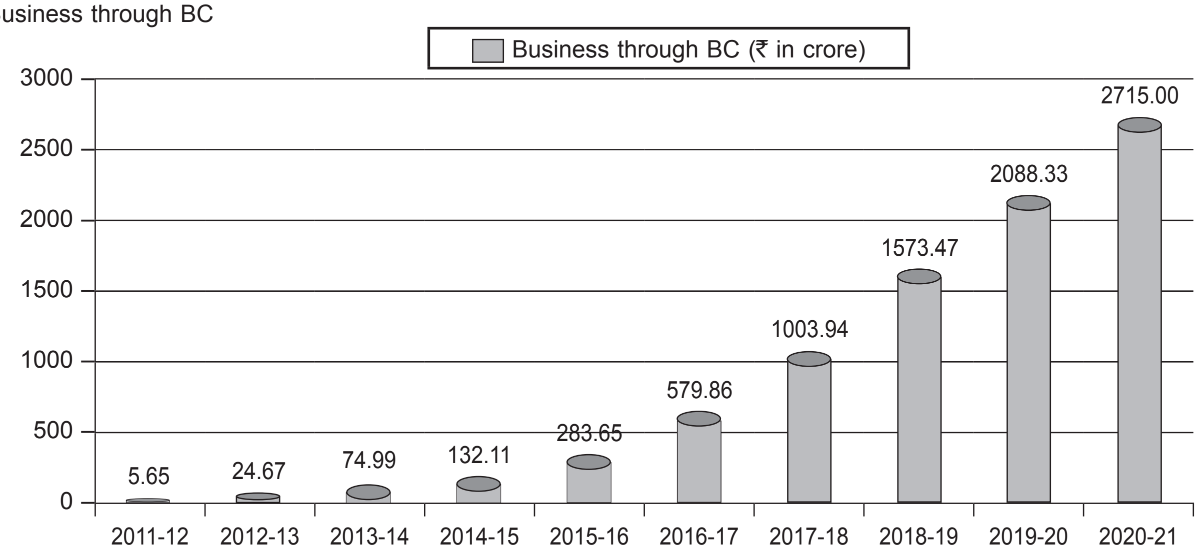

Business through BCs increased from ₹ 2088.33 Crores on 31 March 2020 to ₹ 2715 Crores on 31 March 2021. (YoY growth of 30.01 %).

4. Account Opening through BCs:

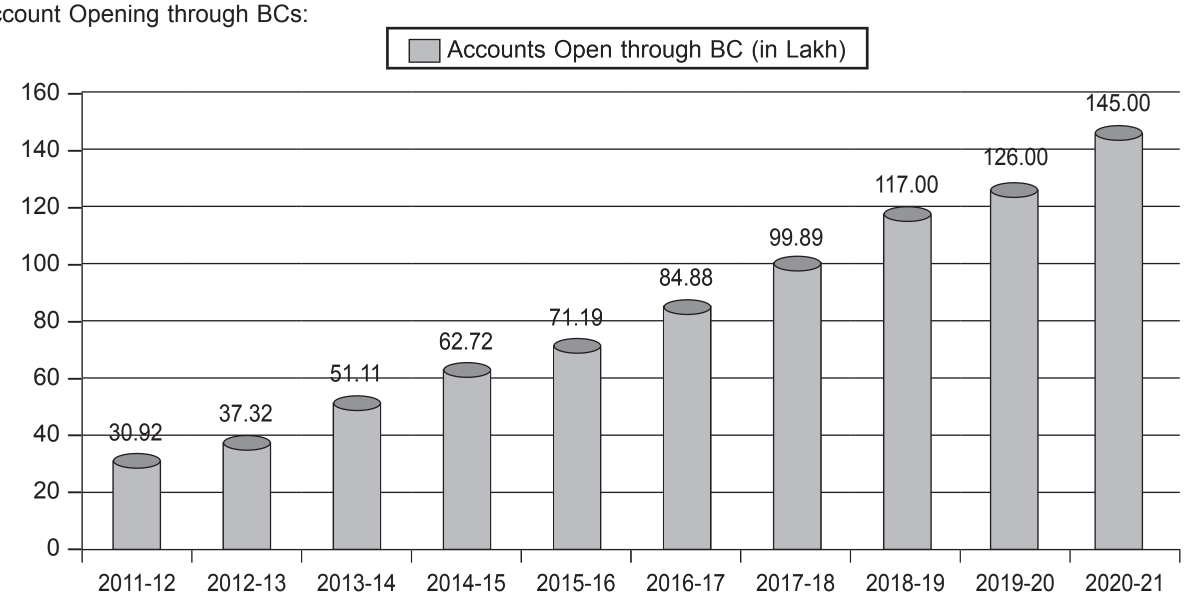

No. of accounts opened through BCs increased from 126.00 lacs on 31 March 2020 to 145.00 lacs as on 31st March 2021.(YoY growth of 15.08 %).

Major Achievements under FI-PMJDY during F.Y. 2020-21

- Business through BC Outlets increased by 30.01 %, from ₹ 2088.33 Crores to ₹ 2715.00 Crores.
- Total FI Business increased by 23.41%, from ₹ 4015.17 Crores to ₹ 4955.00 Crores.
- Percentage of Aadhaar seeding is increased to 83.97 % from 82.25 % in PMJDY accounts and increased to 88.30 % from 84.66 % in all operative CASA accounts.
- Number of Transactions through BC-Outlets increased by 3.15 % i.e. from 508.00 lacs to 524.00 lacs.
- Number of BC with business more than ₹ 10 lac is increased by 12.00 % i.e. from 3242 to 3631. Similarly No. of BC with business more than ₹ 1.00 Crore is increased by 45.12 % i.e. from 379 to 550.

- Total enrollment under Social Security Scheme as on 31.03.2021 with a growth achieved over march 2020 is as under

Social Security Scheme	FY 2019-20	FY 2020-21	Growth%
PMJJBY	15,59,877,14	17,49,860	12.18%
SBY	46,03,888	51,53,219	11.93%
APY	8,73,333	12,32,446	41.12%

Out of 9534 death claims under PMJJBY, 9086 claims are settled and out of 2801 death claims under PMSBY, 2253. claims are settled and other claims are under consideration with insurance companies.

Performance under Lead Bank.

- We have the Lead Bank responsibility in 51 districts spreading in seven States viz. Madhya Pradesh (18), Bihar (10), Maharashtra (7), Uttar Pradesh (5), West Bengal (4), Rajasthan (3) and Chhattisgarh (4). More than 50% of total business and about 25% of our total branches are located in these States and Lead Districts respectively.
- For effective implementation of Lead Bank Scheme, the office of Lead District Managers has been sufficiently equipped and empowered with right kind of staffing supplement and infrastructure like independent/good premises, vehicle, computers/laptops & printers, telephone, internet connections, e-mail id, mobile.
- To make the public/masses aware of various products of bank, we have displayed some products relating to Kisan Credit Card, Central Artisan Credit Card, Swabhiman / Aadhar etc. relevant to the rural masses on the vehicle provided to LDMs.
- All developmental activities like complete implementation of Financial Literacy / Financial Inclusion Programmes, Training unemployed rural youth in RSETIs, Formation of SHG/Farmers Club/JLG, Lending activities have been implemented to bring complete socio-economic change

Financial Literacy and Credit Counseling Centre (FLCC)

- We have opened 48 FLCCs in 7 States viz. Madhya Pradesh (18), Bihar(10), Maharashtra (7), Uttar Pradesh (5), West Bengal (3), Rajasthan (3) and Chhattisgarh (2) and 4 FLCCs at block level in the state of Kerala and 5 FLCCs at block level in the Darbhanga District of Bihar 85 new CFLs at block level are to be opened during F.Y 2021-22 as per the instruction of RBI and it will be operational from 01.12.2021.
- All these centres have conducted 41480 outdoor visits to the villages extending literacy / counseling to 542385 persons.
- Both mass campaigning and individual counseling are being done.
- Bank has provided them vehicle fitted with Public Address System and LCD for displaying various products/schemes being launched by banks for bringing awareness among the masses and opportunities to them for availing benefits to uplift their economic status and standard of living. Besides, we provide literacy material, kits, books etc while extending counselling as also visiting villages.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

- There are 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1).
- During the year 2020-21, the RSETIs conducted 573 training programmes and imparted training to 15343 candidates. Less no of programmes conducted during F.Y.2020-21 as training not conducted for almost 8 months due to outbreak of COVID-19 pandemic. Out of this, 12384 (i.e.81%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance.
- Credit linkage of settled candidates achieved 6513 i.e.43 %.

Other Initiatives:

- Our bank has established one Society/Trust in the name of "Central Bank of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan (CBI-SUAPS)" to control & supervise the operations and functioning of RSETIs and FLCCs.
- We have formed Governing Council at Apex Level with MD & CEO as Patron, Executive Director as President and General Managers as members for overall control and supervision of the affairs & functions of RSETIs and FLCCs.

- A new simplified credit product named "Cent Saral Business Loan" has been launched for providing micro credit upto ₹ 50,000/- to PMJDY customers.

MSME DEPARTMENT

MSME Department have following active products:

1. CENT TReDS (only through MMO Br.)
2. Cent Ware House
3. Cent-Kalyani (for Woman Entrepreneurs)
4. Cent-Ceramic (for specific area under Porbander & Rajkot Dist)
5. SRTO (small Road and Water Transport Operator)
6. Cent-Contractor
7. Cent-Construction Equipment Finance
8. Cent-Hosiery/textiles
9. Cent Mudra
10. Cent Stand Up India
11. Cent Weaver Mudra Scheme
12. Cent trade to Commission Agent/Arthias
13. National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM)
14. Cent-Business Gold Loan
15. Central LUCC (Laghu Udyami Credit card)
16. Cent-Custom Hiring Centre (for Bhopal zone only)
17. Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Cast (CEGSSC)
18. Mukhya Mantri Swarojgar Yojna (for state of Madhya Pradesh)
19. Mukhya Mantri Yuva Udhyami Yojna (for state of Madhya Pradesh)
20. Cent Mortgage Business Loans (TL ONLY)
21. Cent Business Loan

Following MSME products have been discontinued

1. Cent-Sahyog,
2. Cent-Protsahan
3. Cent-Prosperity (for minority community)
4. Cent-Matsya kanya (for fisher women)
5. Cent-Artisan Credit Card
6. Cent-Casting & Forging
7. Cent – Professional
8. Cent Gati Dhara (for State of West Bengal)
9. Cent Returned NRI Business Loan Scheme for financing returned Non- Resident Indians in kerala State
10. Cent GST Input Tax Credit.
11. Cent Doctor
12. Cent Dentist

PERFORMANCE :

(Amount in Crore)

Particulars	**31.03.2020 (audited) Without PSLC**	**31.03.2020 (audited) With PSLC***	**31.03.2021 (audited) Without PSLC**	**31.03.2021 (audited) With PSLC****	**Y-O-Y % Growth without PSLC**	**Y-O-Y % Growth with PSLC**
MICRO Enterprises	10597	13733	14109	14109	33.14%	2.73%
MSE	26717	29853	29963	29963	12.14%	0.36%
MSME (PS)	30233	33369	32845	32845	8.63%	-1.57%
TOTAL MSME	30233	33369	32845	32845	8.63%	-1.57%
% OF MSME ADVANCE TO TOTAL ADVANCE	17.55%	19.37%	18.27%	18.56%	1.01%	-0.81%
RBI MANDATES (PRIME MINISTER TASK FORCE)	31.03.2020 (audited)		31.03.2021 (audited)		TARGET MAR-21	
No. of Accounts in Micro Ent.	878407		925742		966248	
% Y-O-Y Growth in Number of Accounts under Micro Enterprises	8.04%		5.38%		10%	
RBI MANDATES (PRIME MINISTER TASK FORCE)	31.03.2020 (audited) Without PSLC	31.03.2020 (audited) With PSLC	31.03.2021 (audited) Without PSLC	31.03.2021 (audited) With PSLC	TARGET MAR-21	
MSE Portfolio (Amt.)	26717	29853	29963	29963	NA	
% Y-O-Y Credit Growth under MSE	-5.51%	-12.62%	12.14%	0.36%	20%	
% of Micro Credit to MSE Credit	37.48%	40.20%	52.80%	47.26%	60%	

(*) under PSLC Micro Enterprises Purchase is ₹ 3136/= Crore and investment in SIDBI is ₹ 740.49 Crore and Mudra is ₹ 243.09 Crore

(**) under PSLC Micro Enterprises Purchase is ₹ 0.00/= Crore and investment in SIDBI is ₹ 355.81 Crore and Mudra is ₹ 133.63 Crore

Performance under MICRO Enterprises:

MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.20 without PSLC	MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.20 With PSLC	MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.21 Without PSLC	MICRO ENT. O/S AS ON 31.03.21 With PSLC	ANBC As on March-21	STATUS ON 31.03.20 without PSLC	STATUS ON 31.03.20 with PSLC	STATUS ON 31.03.21 without PSLC	STATUS ON 31.03.21 with PSLC	TARGET MAR-21 (7.50% OF ANBC)
10597	13732	14109	14109	157598	6.71%	8.70%	8.41%	8.41%	12570

INDICATORS	**DETAILS**
PERFORMANCE HIGHLIGHTS	• % of Micro credit to MSE is 47.86% without PSLC • Bank achieved Y-o-Y growth in number of accounts under Micro is 5.38 %. • Under PMMY our Bank's achievement is 143% of Target given by DFS, M.O.F, Govt. of India. As against Target of ₹ 4400 Crore, our Bank could achieve ₹ 6328 crore under fresh sanction as of Mar-2021.

INDICATORS	DETAILS
INITITATIVES	❖ Bank has Tie-Up with Edelwiss retail Finance Ltd and India Bulls Consumer credit Ltd for Co-Lending ❖ Resolution frame work 2.0 Launched
WAY FORWARD	Thrust is on Micro Enterprises for maintaing Micro Enterprises target set by RBI and PMTF of 7.5% of ANBC. ❖ To Achieve this target, our thrust is on extending finance under MUDRA Scheme, Stand Up India Scheme, loans under KVIC/PMEGP Schemes, and Cent Weaver Mudra Scheme. ❖ Co-Lending Scheme to improve MSME Lending ❖ Focus on TReDS business ❖ One Time Restructuring of Stressed MSME Accounts under Framework 2.0 ❖ Aggressive follow up for upgrading the SMA-2 Accounts as well as for restructuring all Eligible accounts as per RBI guidelines is being done. ❖ Fintech activities will be strengthened by adopting digital documents and by introducing technology enabled products providing end to end solutions for Micro credit ❖ Extending GECL to all eligible MSME accounts

Retail Credit

Total Outstanding under Retail Lending Schemes was ₹ 49468 Crore as on 31.03.2021. The Retail portfolio of the Bank is 27.96% of its total advances.

₹ In crore

	31-03-2020	31 -03-2021
RETAIL CREDIT	46106	49468
TOTAL CREDIT	172244	176913
RETAIL TO TOTAL CREDIT (%)	26.76	27.96

	31-03-2020	31-03-21
HOUSING LOAN	25821	27969
RETAIL CREDIT	46106	49468
HOUSING LOAN TO TOTAL RETAIL CREDIT (%)	56.00	56.54

Note: Total Retail Credit as on 31.03.2020 includes IBPC of ₹ 1500 Crore. IBPC in Retail Loan as on 31.03.2021 is NIL.

Total Outstanding of Housing Loan Scheme was ₹ 27969 Crore as on 31.03.2021. The Housing Loan portfolio of the Bank is 56.54 % of its total Retail Advances. Housing Loan grew by 8.32% over previous year.

Product and services in Retail Credit:

The Bank has 20 retail loan products on offer to general public catering to the distinctive requirements of the potential customers with clear differentiation.

Sr. No.	Name of the scheme
1.	**Cent Home Loan Scheme –** Scheme for purchase/construction of House/Flat with best home loan features and low Rate of Interest.
2.	**Cent Home Double Plus Scheme –** A Home loan variant in which excess repayment fetches, interest benefit and also provides liquidity in the form of withdrawal of the excess amount paid in case of need.
3.	**Cent Home – CRGFTLIH Scheme –** Scheme of EWS & LIG with coverage under "Credit Risk Guarantee Fund Scheme".
4.	**Cent Home–Pradhan Mantri Awas Yojana –** Home loan variant with subsidy under PMAY.
5.	**Top up Term Loan Facility to Cent Home Loan Beneficiaries –** Top up loan for personal need.

Sr. No.	Name of the scheme
6.	**Cent Home Loan Scheme for purchasing 3rd or 4th House –** Housing loan for more than two houses.
7.	**Cent Mortgage-TL –** Loan against Properties on easy terms.
8.	**Cent Rental –** Loan against rent receivables on easy terms.
9.	**Cent Swabhiman Plus –** An annuity payment scheme for lifetime for senior citizens.
10.	**Cent Vidyarthi –** Education Loan scheme on easy terms for students.
11.	**Cent Vidyarthi – NCGTC Guarantee –** Education loan scheme up to ₹ 7.5 Lakh with subsidy.
12.	**Cent Skill Loan Scheme –** Education loan scheme for acquiring skills
13.	**Educational Loan for Executive MBA –** Education loan scheme for executives with experiences
14.	**Education Loan to the students of IIMs & other Reputed Institutions –** Education loan scheme for IIMs and other reputed Management Institutes.
15.	**Cent Tech Vidyarthi for IIT's students –** Education loan scheme for IIT students
16.	**Cent Vehicle Scheme –** For purchase of two/four wheelers on easy terms
17.	**Cent Personal Loan –** Personal loan scheme
18.	**Cent Personal Gold Loan Scheme –** Loan against gold
19.	**Cent Liquid –** Loan against shares
20.	**Pension Loan Scheme –** Loan to Pensioners

Initiative taken for growth of Retail Loans

- ➢ Implementation of CPAC Model for sanction of Loans by branches with increased lending powers.
- ➢ Lending powers of Branch Managers increased for all Retail Schemes to boost Retail lending.
- ➢ On boarding of DSA for promoting Retail loans.
- ➢ Marketing vertical set up at. RO to monitor the leads generation and conversion
- ➢ Tie up with Online PSB Loans in 59 Minutes Portal for Housing, vehicle & Personal Loans & Vidya Laxmi Portal (VLP) for education loan. Branches are encouraged to use PSB59/VLP portal.
- ➢ Rationalizations of CIC Scores for different retail loan schemes introduced.
- ➢ EASE guidelines are monitored periodically.
- ➢ Mass campaign through e-mail, SMS, Local Media, Hoarding, Banners, Standee's, Radio singles and Pamphlets to reach existing as well as new customers during campaign period.
- ➢ To increase retail loan portfolio, Retail Monsoon & Retail Mahotsava campaigns conducted successfully, in which concessions in processing charges was given.
- ➢ Optimizing business under the programme of Cent Connect.

Action taken for growth of housing Loans

- ➢ Co-Lending Model agreements with Housing Finance Companies for financing Priority Sector Housing Loans
- ➢ More Tie up with reputed RERA registered good Builders to reduce TAT and for growth in Housing Loan.
- ➢ Focus on takeover of Housing Loans from other Banks.
- ➢ Introduction of incentive to Real Estate agents to focus on Loans of Resale Houses.
- ➢ Focus on Tier-II, Tier- III & Tier- Iv cities.
- ➢ Focus on PMAY and affordable Housing.

Action taken for growth of vehicle Loans

- ➢ Regular visits to dealers for getting leads to convert it to business.
- ➢ Attractive Incentive to Dealer/Sub Dealer.

Action taken for growth of Personal Loans

- Continuing communication with salary and pension account holders.
- Visit to Corporates/Government Organizations for canvassing of Personal Loans to their employees.
- Instant personal loan to salary account holders of Govt. /PSUs through digital documentation.
- Special Personal loan (proposed) to our existing borrowers having Home loan or Mortgage Loan and to the Pensioner/ Salaried Customer who are getting pension/salary from our Bank to meet exigencies arising out of Covid-19 pandemic.

Action taken for growth of Gold Loans

- Cluster based approach to lending in prospective cities/towns. Proper provision of appraiser and safe keeping locker.
- Providing Gold Loan at Branch by display of banners, standee, and distribution of pamphlets.

Action taken for growth of Education Loans

- Focus on Education loan to students of IIMs, IITs and other Reputed Institutions.
- Reduction of ROI for getting new Business under the Education loan to IIM Students/other reputed Institutions and Executive MBA Schemes.
- Loans to student's perusing higher education aboard.
- Loans up to ₹ 7.50 lakh are being sanctioned under Cent Vidyarthi- NCGTC Guarantee Scheme.
- Tie up arrangements with identified Educational Institutions for lead generations.

INTERNATIONAL DIVISION

- Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 62 Authorized Dealer ('B" category) Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing Room at Mumbai for attainment of better funds management and operational convenience.
- As on 31.03.2021 the Export Credit portfolio of the Bank is ₹ 4446 crore in comparison to ₹ 4876 crore as on 31.03.2020, decrease of 8.82% over previous year.
- Merchant trade foreign exchange turnover was ₹ 27377 crore in FY 2020-21 as against ₹ 31367 crore in FY 2019-20.
- NRE Deposits increased from ₹ 5130 crore as on 31.03.2020 to ₹ 5416 crore as on 31.3.2021; an increase of 5.58% over the previous year.
- FCNR Deposits decreased from USD 230.66 million as on 31.3.2020 to USD 230.54 million as on 31.03.2021, a decrease of 0.05% over the previous year.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT

- The investment portfolio of the Bank has increased to ₹ 1,53,820 crore (Including Non-SLR, Non-Transferable Govt. of India Recapitalisation Bond ₹ 19580 crore) as on 31st March 2021 as against ₹ 1,47,358 crore as on 31st March 2020 thereby recording an increase of 4.39% over the previous year. The ten year benchmark yield closed at 6.18% as on 31st March 2021 vis-à-vis 6.14% on 31.03.2020.
- During the year RBI decreased the Repo rates on one occasion, effectively bringing the rate from 4.40% to 4%. Thus the Bank rate and Marginal Standing Facility rate stood reduced at 4.25%.
- As part of liquidity measure to small and mid-sized corporates, including non-banking financial companies (NBFCs) and micro finance institutions (MFI) impacted on account of COvID-19 disruptions, RBI has conducted Targeted Long Term Repo Operations (TLTRO) and Bank has availed ₹ 1764 crore for further deployment.
- Treasury recorded trading profit of ₹ 1380.64 crore in FY 2020-21 as compared to previous year trading profit of ₹ 1214.85 crore. The yield on investment (excluding trading profit) decreased from 7.01% during 2019-20 to 6.62 % during 2020-21.
- In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on shifting of securities, the Bank has transferred Central and State Govt. securities amounting to ₹ 5171 crore from AFS to HTM and ₹ 6913 crore from HTM to AFS during 2020-21.

➢ The composition of investment portfolio of the Bank as on 31st March 2021 is as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Composition	31.03.2021	31.03.2020
1	SLR	110,414.28	109,493.35
2	Non-SLR	43405.78	37,864.51
	TOTAL	**153820.06**	**147,357.86**

Risk Management

Risk Management System/Organizational Set Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks & Pillar II risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assess the risk models so as to remain in sync with to market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

Risk Management Structure

- At operational level, various Committees like Asset Liability Management Committee (ALCO) for Market Risk, Credit Risk Management Committee (CRMC) for Credit Risk and Operational Risk Management Committee (ORCO) for Operational Risk have been constituted comprising of members from the top management team.
- These Committees meet at regular intervals throughout the year to assess and monitor the level of risk under various Bank operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.
- The Bank has identified officers in the rank of Chief Manager/Senior Managers/Managers to act as 'Risk Managers' at all the Zonal Offices. The Risk Managers act as the 'Extended Arms' of the Risk Management Department of the Central Office at the Zonal Level.

Market Risk Management

- The Mid Office reviews the market position, funding patterns and ensures compliance in terms of exposure, duration, counter party limits and various sensitive parameters and the reports are presented at regular intervals to the top management.
- The tools such as VaR and Duration gap analysis are used as an ongoing basis to measure and manage the risk to Bank's Profit in the short run and equity value in the long run.
- A model to estimate Capital charge on trading portfolio as ongoing basis is developed and is implemented as per the Basel III guidelines in the Market Risk.
- The Bank has board approved Market Risk Management Policy to monitor the market risk in the portfolio. Counterparty limits for Treasury operation have been fixed / reviewed as per their latest standing risk associated with the counterparties.

Credit Risk Management

- Bank has a well-documented Integrated Risk Management Policy.
- The Bank has in place the Rating Module for rating of borrowers under different models viz. Large Corporate Model, Infrastructure Model, NBFC, SME, Agriculture etc.
- The Bank has also developed Rating Models (score card) for grading retail loans, and same is in use.
- The developments in credit risk management are being reported and monitored by the Credit Risk Management Committee headed by the MD & CEO.
- Bank has completed the implementation of advanced approaches of capital computation using SAS solution. The system is presently on parallel run with FIRB.

Operational Risk Management

- The Operational Risk Management in the Bank is guided by a well laid down Operational Risk Management Policy to develop comprehensive operational risk management and measurement framework commensurate to bank's risk profile and risk appetite.
- Operational Risk Management Committee (ORCO) ensures that appropriate Operational Risk Management Framework is in place and is monitored on a regular basis. ORCO also Reviews and approves the development and implementation of operational risk methodologies and tools, including risk identification, assessment and reporting methods. Analyzes of frauds, near miss events, non-compliances, breaches, systemic improvements etc. and recommend suitable controls/mitigations for managing operational risk are also presented to the Committee.
- New Product Approval Policy Framework is in place which guides the Bank in mitigating the risks associated with new products/processes or activities.
- Bank is having Business Continuity Plan which lays down the framework for Bank to continue delivery of products and services, within acceptable time frames at predefined capacity during disruption plan also guides the Bank to respond to disruption and resume, recover and restore the delivery of products and services consistent with its business continuity objectives.
- Bank has started collection of Loss Event Data and near miss events in the IMM module (Incident Management Module) under Integrated Risk Management Solution (IRMS) for Operational Risk.

Capital Planning

Bank has a robust ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) in place. Bank has framed its risk appetite framework and intends to maintain capital ratios over and above the minimum requirements as per Basel III norms. Review of the capital vis a vis the estimates are undertaken on a yearly basis.

Asset & Liability Management systems

- ALM mainly deals with measuring and managing the liquidity and Interest rate risk of the bank with an objective of profit maximization. ALCO (Asset & Liability Committee) meets regularly & during 2020-21 met 26 times to review the position of the bank with regard to liquidity and other related matters.
- Besides regulatory reporting, ALM is also engaged in Interest determination on Deposits as well as Base rate, MCLR, RBLR and BPLR fixation. During the year 2020-21, revision was made nine (9) times in deposit interest rates, Base rate was reviewed four (04) times and MCLR was reviewed Twelve (12) times.
- In terms of RBI guidelines Bank has been calculating LCR (Liquidity Coverage Ratio) effective from 1st Jan'2015 & the ratio remained above the threshold limit (i.e. 100% for 2020-21) fixed by RBI. The Bank had adequate liquidity with average LCR for FY 2020-21 at 386.91%.

Implementation of Basel III guidelines

- Reserve Bank of India has issued updated Master Circular on implementation of the New Capital Adequacy Framework in July 2015. As per the guidelines, the Bank has adopted Basel III norms and provided capital as per Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration method for Market Risk.
- All necessary policies such as Credit Risk Management Policy, Operational Risk Management policy, Market Risk Management Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, ICAAP etc are in place duly approved by the Board.
- Bank is taking necessary steps to graduate to Advanced IRB (Internal Rating Based) Approach for computation of capital charge under Credit Risk.

SAM AND RECOVERY DEPARTMENT

The Bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guideline for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Compromise settlements, Staff Accountability, SARFAESI Act, Appointment of Enforcement Agencies, Sale of assets to ARCs under Swiss Challenge Method, Wilful Defaulters, One Time settlement Schemes etc.

The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments in economy and trends in NPA Resolution/Management. The Bank has launched Recovery Campaigns during the financial year.

1. During the year 2020-21, Cash Recovery of ₹ 2963 Crore and Up gradation of ₹ 499 Crore is made in NPA accounts.
    - Gross NPA level has decreased from ₹32589 Crore to ₹29277 Crore, i.e. reduced by ₹3312 Crore
    - Net NPA level has decreased from ₹11534 Crore to ₹9036 Crore, i.e. reduced by ₹2498Crore.
    - Gross NPA vis-à-vis total advances have decreased from18.92% to 16.55% (237 Bps).
    - Net NPA vis-à-vis net advances have decreased from 7.63% to 5.77% (186 Bps).
    - Cash Recovery of ₹ 332 crore is made in Written off accounts .
2. Following One Time Settlement (OTS) Schemes were implemented for NPA resolution:
    a) Non-Discretionary/Non-Discriminatory (NDND) Special OTS Scheme 2020-21 for Sub Standard, DA1, DA2, DA3, Loss accounts & PWO/TWO A/Cs as on 31.03.2020 having Customer Exposure (O/s CIF wise) up to ₹10.00 Crore,

    b) OTS Scheme under Net Present value (NPV) Approach for all NPA accounts either with security or without security.

    OTS Proposals with ledger outstanding of ₹ 3576 Crore were settled for ₹2338 Crore under these Schemes during FY 2020-21.
3. During the year Bank has sold 9 NPA A/cs to ARCs under Swiss Challenge Method on 100% Cash Basis with Cash Recovery of ₹270 Crore thereby resulting in reduction in NPA to the extent of ₹726 Crore.
4. ICA were signed in accounts with banking exposure of ₹ 1500 crore and above in terms of RBI guidelines of circular dated 07.06.2019.

No of accounts	Amount Outstanding as on 31.03.2021	Total Provision held
20	₹ 8808.88 crore	₹ 6972.30 crore

5. Resolution Plans approved and implemented in accounts in compliance of RBI circular dated 07.06.2019.

No of accounts	Amount Outstanding	Total Provision held
4	₹ 1880.15 crore	₹ 839.07 crore

6. Recovery in NPA accounts was a major thrust area for the year 2020-21. The movement of NPA are being monitored closely on daily basis. The recovery in NPA accounts through legal actions and under SARFAESI are reviewed periodically and video conferences held with Field Functionaries on monthly basis.
7. NPA Borrowers with an outstanding of ₹ 10 lacs & above are being contacted individually by RO Recovery Team along with branch staff for its recovery.

Bancassurance

Bancassurance Cell deals with distribution of Life, Non-life and Health Insurance products and receives commission. Our bank is holding composite corporate agency license from IRDAI for a period of three years and is valid upto 31.03.2022. Bank under IRDAI regulations 2015 called "Open Architecture" has tied-up with following multi-insurance companies,in all three segments "Life,Non-Life and stand-alone health".

Sr. No.	Name of the Insurance Company	Category
1	Life Insurance Corporation of India Ltd.	Life Insurance
2	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.	Life Insurance
3	The New India Assurance Co. Ltd.	General Insurance
4	Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	General Insurance
5	HDFC ERGO Health Insurance Co.Ltd. (Terminated w.e.f. 01.10.2020)	Standalone Health Insurance

The performance highlights for the year ended on 31.03.2021:

- Bank has canvassed 69, 471 policies with commission of ₹ 49.66 Crores in Life Insurance Business.
- Under General Insurance business, Bank has mobilized 2,73,976 policies with premium collection of ₹11.59 Crores

- Under Standalone Health Insurance Bank has mobilized 8914 policies with premium collection of ₹1.12 Crores.
- Total commission from Bancassurance business is ₹62.37 crore.
- Bank has 1671 Specified Persons to source Bancassurance Business.

DEPOSITORY SERVICES

Bank is a Depository Participant with arrangement with Central Depository Services Limited (CDSL). All the operations are centralized and the services are offered through the nodal branch, Capital Market Services Branch located at Fort, Mumbai. The branches in major centres facilitate opening of the accounts, buying & selling, pledge of shares and dematerialization of physical securities. Bank is having around 29915 Demat account holders.

Capital Market Services Branch opened in Mumbai exclusively for offering capital market facilities such as ASBA, Demat, Clearing Bank, Payment of Dividend Warrants and Credit/Guarantee facilities to Brokers etc. and is the controlling branch for Demat and ASBA.

INFORMATION TECHNOLOGY

1. IT INFRASTRUCTURE

Bank has put in place state of the Art and ISO certified Data Centre along with a Disaster Recovery Centre and a Near Site to ensure Business continuity with Zero Data loss. Such a robust IT Infrastructure helps the Bank to ensure operational efficiency and promptness of the customer services. Bank had implemented many vital Projects like Core Banking Solution, Trade Finance Solution, Treasury Solution etc. Bank had also put in place Human Resources Management System to meet requirements of employees. During the current year, Bank has also rolled out an upgraded Loan Lifecycle Management Solution for faster processing and disbursal of loan requirements of customers.

In order to deal with travel and lockdown restrictions imposed owing to the outbreak of Covid-19 pandemic, Bank had initiated various Technology enabled measures like establishment of additional BCP locations, conducting business/ customer meetings and other internal interactions through video conferencing, Work from Home facility to employees etc.,to ensure Business Continuity as well as safety of Staff and vendor associates. Further, with help of an advanced networking setup and constant monitoring, Bank could emerge successful in containing branch isolations and network outages to the minimum level, even during natural calamities lashed across the country last year.

Bank is in the process of upgrading the existing Single Data Repository (SDR), Data Warehouse Solution, with a best in class SDR 2.0, which can handle the data growth and MIS/Analytical requirements of the Bank. Bank is also proposing to implement few ambitious Projects in the coming year.

2. INFORMATION SECURITY

Bank has taken all necessary steps to protect its information systems and customer data from cyber threats. Cyber Security Operation Centre (C-SOC) is functional on 24*7 basis and logs from the critical IT infrastructure of the Bank are monitored on continuous basis to identify and plug the threats if any. Various security tools like Advanced Threat Prevention, DDoS Mitigation Solution, Intrusion Prevention System, Data Leakage Prevention Solution etc. are also in place and integrated with the Cyber Security Operation Centre. Critical infrastructure and applications are subjected to periodical audits by internal team as well as third party and ensured that the vulnerabilities identified are addressed.

Bank's Data Centre and Disaster Recovery Centre have been certified for ISO 27001 and ISO 22301. Continuous compliance of these certification standards is ensured through regular audits. Compliance requirements of regulatory guidelines are also attended and closed in a timely manner.

Neccesary measures are in place to enhance the cyber awareness among employees/customers.

AUDIT AND INSPECTION

Branches of the Bank are subjected to Risk Based Internal Audit (RBIA) through Internal Auditors and Risk Rating is awarded to each branch as per Composite Risk Matrix. Accordingly out of total 4584 branches, 4482 Branches were subjected to RBIA & Branches were rated in FY 2020-21. Overall there were 3450 branches placed under Medium Risk Rating, 1091 branches with Low Risk Rating, 43 branches with High Risk Rating as on 31.03.2021. No branch of the Bank is rated under very High/ Extremely High Risk category.

During FY 2020-21, 31 Regional Offices, 10 Zonal Offices and 14 Central Office Departments were subjected to Management Audit.

As on 31.03.2021, 1004 General Branches/ 23 SSBs/49 CCPB's/ 5 CO Depts. totaling 1081 branches/depts. were covered under Concurrent Audit by the firms of Chartered Accountants/Bank officials. All 7 Corporate Finance branches and 5 SAM branches are under concurrent audit by Bank's own official of Senior Management Grade. Around 57.02% of total business of the Bank and 67.95% of aggregate advances as of 31.03.2021 are covered under Concurrent Audit. Concurrent audit assignment was awarded to 990 Chartered accountant Firms, out of which 532 firms are RBI Category I, 294 are category II, 99 are category III and 65 are RBI Category IV firms.

Bank conducts annual revenue checking exercise from 1st March to 10th March every year through firms of chartered Accountants, Internal Auditors and other officials to ensure booking of legitimate income in the books of Bank.

In compliance to RBI directives, Legal Audit in 390 eligible accounts has been carried out during 01.04.2020 to 31.03.2021 and re-verification of title deeds was done with relevant authorities.

Bank ensures strict compliance culture at branches through periodic inspections and audits. Bank also conducts Compliance Audit on random basis to ensure correctness of audit compliance submitted by auditee branches. During FY 2020-21, 803 branches were subjected to compliance audit.

Bank is also under Offsite Monitoring system to monitor the transactions at branches, above the threshold limits fixed under various scenarios. Presently alerts are generated on 90 scenarios.

Reconciliation of swift messages of AD branches is being done through Concurrent auditors.

Bank also conducts KYC compliance audits in addition to coverage in regular audits.

BRANCH NETWORK

POPULATION GROUP	NO OF BRANCHES
RURAL	1603
S.URBAN	1332
URBAN	810
METRO	863
Total Branches	**4608**

SIZE	NO OF BRANCHES
ELBs	40
VLB	415
LARGE	1274
MEDIUM	2490
SMALL	311
SPECIALISED	78
TOTAL Branches	**4608**

BANK'S STRUCTURAL/ORGANISATIONAL POSITION:

The position as on **31st Mar. 2021** is as under:

Sr. No.	Particulars	Number of Offices
1	Central Office	1
2	Zonal Offices	10
3	Regional Offices	90
4	Subsidiaries	2
5	Associates	1
6	RRBs	2
7	CIAs	13

BRANCH EXPANSION:

The quarter-wise details of branches opened/merged/closed (and change of classification as per branch master of RBI) during FY 2020-21 for the Quarter ended 31st March 21 is as under:

Sr. No.	Category	Position as on 31.03.20	Quarter-I (Apr'20 to Jun'20)		Quarter-II (July'20 to Sept'20)		Quarter-III (Oct'20 to Dec'20)		Quarter-IV (Jan'21 to Mar'21)		Position as on 31.03.21
			Branches opened	Branches Merged	Branches opened	Branches Merged	Branches Opened	Branches Merged	Branches Opened	Branches Merged	
1	**Rural**	**1605**	*1	0	0	0	0	2	0	*1(change of classification from Rural to Urban)	1603
2	**Semi-Urban**	**1340**	0	*4	0	0	0	4	0	0	1332
3	**Urban**	**817**	*2	0	0	1	0	7	*1(change of classification from Rural to Urban	2	810
4	**Metro**	**889**	*1	2	0	2	0	16	0	7	863
	TOTAL	**4651**	***4**	***6**	**0**	**3**	**0**	**29**	**0**	**9**	**4608**

- **Due to interchange in Area classification as per RBI-CISBI portal**
  Actual merger/closure of branches is 2. in June-20 Quarter
  Actual .No branch is opened in June-2020 quarter.
- **Branch Number 2835 Patuwa-Purab bazar changed to URBAN from RURAL in Mar-21 Quarter.**

OPERATIONS

- Bank's expanded modernized Call Centre is providing out bound call facility for promotion of products / reminders to customers regarding overdue in their loan accounts etc., (in addition to inbound call facility to resolve the enquiries / complaints of the customers)
- The Call Centre operations are upgraded to provide total of 16 services to the callers as against 19 bench marked services under EASE.3.0 guidelines.
- The upgraded call centre is now handling 11 out of 12 lead generation services marked under EASE 3.0 guidelines.
- Bank's IVR complied all 26 out of 26 features marked under EASE.3.0 guidelines.
- The Call centre is also providing services in 10 Regional Languages apart from Hindi & English.
- The Door step banking facility is available to Senior Citizens, visually impaired & differently abled customers through Call Centre.
- The customers can now request for Debit Freeze of their account through Call Centre on 24*7 basis.
- Proactive Outbound IVR blaster for calling to delinquent Agriculture Retail lending and MSME customers is deployed in 12 languages.
- Service for transferring funds through IVR to own account as well as other account within the Bank and loan accounts have been implemented.
- The Pensioners are followed up for submission of annual life certificate through Call Centre.
- As per Road Map for Banking Reforms of GOI, the revised simplified Account opening forms (CIF and AOF – Personal / Individual) have been introduced for the ease of customers.
- SMSs are being sent to customers prior to debit of clearing Cheques. In case of disputed Cheques, customer to contact Home- Branch or Call Centre on 1800221911.

- Positive Pay was introduced as advised by RBI from 01/01/2021 through which customers can furnish certain basic details of their cheques issued to avoid frauds by cheque cloning /alterations. The same is optional for cheques above ₹ 50,000/- and mandatory for above ₹ 5,00,000/-
- We have introduced Door Step Banking Services for physically challenged and Senior Citizens customers. To begin with we are extending following Services at reasonable service charges:-
  - Pick up of Cash and instrument against receipt for credit to account.
  - Delivery of Cash against withdrawal from the account.
  - Delivery of Demand Drafts.
  - Submission of Know Your Customer (KYC) documents and collection of life certificate from the premises/ residence of such customers.
  - Form no. 15 H / 15 G
  - Other Basic Banking Services e.g. delivery of cheque Book.
  - These services will be rendered within the radius from 3 KM area of the Home Branch at nominal Service charges.
- DSBS at 100 centers started under PSB Alliance Pvt. Ltd. under which customers located at 100 centers can avail the following services.
  - Pick up of Negotiable instruments (Cheques / Drafts / Pay Orders, etc).
  - Request Account Statement.
  - Pick up of new cheque book requisition slip.
  - Delivery of non-personalized Cheque Books, Drafts, Pay Orders, Term Deposit Receipt /Acknowledgement etc.
  - Acceptance of 15G / 15H forms.
  - Acceptance of IT Challan / Government Business / GST.
  - TDS / Form 16 Certificate issuance.
  - Issuing Standing Instructions.
  - Cash Withdrawal.(Upto Limit of ₹ 10,000/-)
- Customers can open accounts under Small Saving Schemes like PPF/Senior Citizen Saving Scheme/ Sukanya Samriddhi Accounts in any of the branch of their choice.
- The Customers can make online subscription for Sovereign Gold Bonds through Net Banking.
- Online PPF account opening facility provided to customers through net banking.

RAJBHASHA

The special achievements of Rajbhasha Deptt in the Financial Year 2020-21 are as under:

1. **All India Rajbhasha Sammelan**

   Every Year Bank is organizing an all India Rajbhasha Sammelan. Due to COVID - 19 in this financial year 2020-2021, Bank has organized All India (E) Rajbhasha Sammelan on 22nd February, 2021 at Mumbai, which was inaugurated by Honorable Secretary, Govt. of India, Ministry of Home affairs, Rajbhasha Vibhag, Dr. Sumeeth Jairath who was present in our Zonal Office, Delhi

2. **Besides, total 10 All India (E) Rajbhasha Sammelan organized by our BANK at various centres in the financial Year 2020-2021**

Delhi*	22.02.2021	Bhopal	19.03.2021	Honorable Secretary, Rajbhasha Vibhag, Joint Secretary, Rajbhasha Vibhag, Director, Rajbhasha Vibhag, Dy Directors, Rajbhasha Vibhag, Asstt Director HTS. Distinguished Writers, Tolic Secretaries & Members including our Top Executives were present in these Sammelans.
Ahmedabad	08.03.2021	Mumbai	22.03.2021	
Patna	10.03.2021	Lucknow	23.03.2021	
Chennai	11.03.2021	Kolkata	25.03.2021	
Pune	15.03.2021	Chandigarh	26.03.2021	

(* Jointly with Central Office)

3. **Total 151 Rajbhasha Exhibitions organized at various centers by our Bank.**

4. **AWARDS declared by Govt. of INDIA (Regional Implementation Office) in the financial Year 2020-21**
   1. TOLIC BANK GOA coordinated by our Bank declared FIRST Prize.
   2. TOLIC BANK BHOPAL coordinated by our Bank declared SECOND Prize.

5. **Total 24 AWARDS Received by our BANK from TOLICs in the financial Year 2020-2021**

Sr	Name of the TOLIC	AWARDS Received	Sr	Name of the TOLIC	AWARDS Received
1	JAIPUR Bank	FIRST	14	CHANDIGARH Bank	THIRD
2	GWALIOR Bank	FIRST	15	KOLKATA Bank	THIRD
3	MUZZAFFARPUR	FIRST	16	BAGHPAT	THIRD
4	VADODARA Bank	FIRST (VIP Road Br)	17	ROHTAK	THIRD
5	SILIGURI Bank	FIRST	18	BARIELLY	THIRD
6	PATNA Bank	SECOND	19	BHUBNESHWAR Bank	CONSOLATION
7	NOIDA Bank	SECOND	20	HYDERABAD Bank	CONSOLATION
8	DHAR	SECOND	21	KOCHIN Bank	CONSOLATION
9	MAHASAMUND,	SECOND	22	KARNAL	CONSOLATION
10	DELHI Bank	SECOND (House Magazine)	23	VADODARA Bank	CONSOLATION
11	MUMBAI Bank	SECOND	24	SURAT Bank	CONSOLATION
12	AHMEDABAD Bank	SECOND			
13	TIRUANANTPURAM Bank	SECOND			

6. **Total 10 Hindi Books on different Banking Topics were prepared by our BANK which were released by the Honourable Secretary, Rajbhasha Vibhag on 22.02.2021.**

7. **Total 53 E Hindi House Magazines are being published by different offices of our BANK**

8. **Inauguration of Rajbhasha Portal on the Bank's Website by the Honourable MD&CEO -14.09.2020**

9. **Vishv Hindi Divas Celebration on 11.01.2021**

10. **Our Bank had conducted 45 Rajbhasha PROGRAMMEs for various TOICs.**

    DELHI, ROHATAK (HARYANA), DEHRADUN (UTTRAKHAND), JAIPUR (RAJASTHAN), RATLAM (MP), JABALPUR (MP), KOTA (RAJASTHAN), RAIPUR (CHHATTISGARH), PATNA (BIHAR)-2, MUZZAFFARPUR (BIHAR)-2, CHHINDWADA (MP)-2, GWALIOR (MP)–3, BHOPAL (MP), AURANGABAD (MAHARASHTRA), SURAT (GUJRAT), JALANDHAR (PUNJAB), JALGAON (MAHARASHTRA)–2, AKOLA (MAHARASHTRA)–2, NASIK (MAHARASHTRA)–2, AMRAVATI (MAHARASHTRA)–2, AHMEDABAD (GUJRAT)– 2, NAGPUR (MAHARASHTRA)–3, PUNE (MAHARASHTRA)–3, ERNAKULAM (KERAL), TIRUANANTPURAM (KERAL), KRISHNA NAGAR (WEST BENGAL), DURGAAPUR (WEST BENGAL), BHUBNESHWAR (ODISHA) & SAMBALPUR (ODISHA).

11. **Dy Director, Rajbhasha Vibhag, Tolic Secretary & Members including our Executives were present in a Rajbhasha Sangoshthi held at MUMBAI on 30.12.2020.**

12. **A Hindi Sangoshthi held at AHMEDABAD on 30.12.2020 on the following TOPIC**

    "वर्तमान प्रतिस्पर्धा के बाढ़ते दौर में माता - पिता की बच्चों से अपेक्षा एवं बच्चों में बढ़ता तनाव"

13. **A Hindi Sangoshthi FOR our Internal AUDITORS held at MUMBAI on 15.10.2020.**

14. **TECHNICAL SEMINAR for Rajbhasha Adhikaree held on 11.12.2020**

    Guidance was provided by the Dy Director, Rajbhasha Vibhag and Asstt Director HTS.

15. **A Hindi Sangoshthi on the TOPIC "वर्तमान परिवेश में हिन्दी की दशा और दिशा" held at GWALIOR on 09.03.21.**

16. **Our Bank is the Convener for 11 TOICs i.e. BHOPAL BANK, (MP), GWALIOR BANK, (MP), RAIPUR BANK, (CHATTISGARH), & DEVARIYA (UP) THANE (MAHARASHTRA) & AKOLA (MAHARASHTRA), GOA BANK,**

MADURAI (TAMILNADU), UDALGUDI (ASSAM), GOLAGHAT (ASSAM), LAKHEEMPUR NORTH (ASSAM) and also the Member Secretary of CHHINDWARA (MP)

17. ALL INDIA Hindi Competitions

1. **ALL INDIA** Hindi E Mail Competition for a period of one month during February 2021
2. **ALL INDIA Hindi Geet Gayan Competition** during September 2020
3. **ALL INDIA Hindi Noting Competition for Senior Executives** during December 2020
4. **4th All India Inter Bank Hindi Essay Competition**
5. **41st All India Hindi Essay Competition**
6. **All India Online Hindi Prashna Manch** - 12.12.2020.

18. SPECIAL PUBLICATIONs by our BANK

1. A Compilation of Prize Winning Hindi Essays was released by the Honorable Secretary, Rajbhasha Vibhag on 22.02.2021
2. A Motivational Hindi Poster was released by the Honorable Secretary, Rajbhasha Vibhag on 22.02.21
3. Quotations (7) sent by Rajbhasha Vibhag was released by the Honourable MD & CEO on 14.09.2020
4. HINDI NOTINGs DESK BOOK
5. HINDI LANGUAGE PUBLICITY POSTER
6. INSPIRATIONAL QUOTES BY the LEGENDs

19. Our BANK organized Hindi Month from 14.08.2020 to 14.09.2020.

20. Total two Rajbhahsa Review Meetings held on 28.12.2021 / 25.02.2021

21. Regular publication of Bank's Hindi House Magazine CENTRAL MANTHAN

22. Regular publication of Bank's bilingual quarterly House Magazine CENTRALITE

MARKETING DEPARTMENT

- New vertical of Marketing Dept. has been set up at Regional and Central office level.
  At Central office level, Marketing vertical Consists of :

1) Marketing Dept.
2) Corporate Communication Dept.
3) Public Relation Dept.
4) Social Media

1. Marketing Department:

- Marketing Portal has been developed for the use of Marketing officer as well as Admin offices to Punch and monitoring of Leads.
- Marketing Team focuses mainly on CASA, MSME and RETAIL Loans.
- The department mobilized 19407 numbers of leads to the tune of ₹ 2663 crore of which 13025 leads were converted into business to the tune of ₹ 1351 crore as on March 2021.
- Imparted online training on Marketing Techniques to In charges of Retail Credit Processing Centers of all Regions.
- Published an article in Centralite Magazine on Marketing Activities undertaken by our Bank which included know-how on the Marketing Portal for the information and benefit of all employees.
- Enhancement in the functionality of Marketing Force Team Portal was done to make it more user friendly for the field functionaries.
- Letters of Appreciation were issued to top 10 performers (marketing officers) in terms of lead conversion on Pan India Basis.

Corporate Communication & Public relations :

2. Corporate Communication Department :

It continued to be our endeavor this year to make consistent efforts with thrust on Low cost advertising to generate public awareness about our products & services through print, electronic, outdoor and other mass communication vehicles, to sustain and enhance our brand image while adopting go green measures and to augment the business of our Bank with active engagement of field staff. For enhancement of visibility on pan India basis various publicity activities such as branding on Traffic Barricades, No Parking Boards, Police Booth, Wall Painting, Auto Rickshaw, Bus, Train, Local Cable, FM Radio etc. were done in addition to the sponsorship of Events/kisan Camps at the field level.

The following activities were carried out by CO and Zones for wide publicity and visibility of our Bank's product and services and create good image for our bank-

- 139th Birth anniversary of our beloved Founder Sir Sorabji Pochkhanawala was celebrated by all Centralites on 9th August 2020 and related Art work was uploaded on Bank's ftp for Branches/Offices.
- Ordinary Annual Report 2019-20 was printed in coordination with Board Secretariat and sent to zones, regions and other offices .
- Swachhata Pakhwara program was organized by zones and central office as per guidance of the Government of India.
- Bank's title sponsorship of IRIS-2020,Annual festival of IIM,Indore through Bhopal Zone.
- Bank's advertisement in Business Line-Special initiative on MSME through MMZO.
- Bank's advertisement in Dainik Saamana on the occasion of Ganesh Festival.
- Bank's advt. in "Feature on MSME" edition of Indian Express group through MMZO.
- Bank's advt. through display of Bank's logo(Aston and L Band) during FM speech on "**Aatmanirbhar Abhiyan**" on 14th & 15th May 2020 in Zee Business channel .
- Bank's advt. in Maharashtra Times special issue "Salam Corona Yoddhyana".
- Bank's participation as a partner for ensuing CII Annual session 2020 -"**Getting Growth Back**" through CO.
- Proposal from Zonal Office, Ahmedabad for Bank's ad on 5 Back Lit Bus Shelter in Ahmedabad city at various locations through HET Graphics.
- Outdoor Hoarding publicity at New Delhi railway station (Ajmeri Gate side) through Pioneer Outdoor Advertising through Delhi Zone.
- Airport Cabs branding for our Bank's Retail & MSME products through four Zones Chennai, Ahmedabad, MMZO & Pune by CASHurDRIVE Marketing Pvt. Ltd.
- Bank's Advertisement for Cabs branding through CITYSCAPES for 3 Zones Delhi, Kolkata & Lucknow.
- Advertisement at police chowky -Marine Drive Police Station through MMZO.
- Bank's sponsorship for Jeena Isee Ka Nam Hai, Musical Programme to inspire COVID Warriors-Exclusively for our Bank staff members and their families and esteemed customers on a Sunday 18th October, 2020 on You Tube under Electronic media.
- Bank's sponshorship through Banner for Plasma Donation Camp and free health checkup during Durga Puja organized by UBWT in Ulwe, Navi .
- Bank's Advertisement in "भाषा स्पंदन - राजभाषा विशेषांक" magazine by Karnataka Hindi Academy, Bangalore
- Airport Cab Branding through M/S CITYSCAPES in Kolkata, Patna, Bhubaneswar & Guwahati
- Bank's Advt on Diwali issue of Navabharat Mumbai Edition, Yeshobhumi Mumbai Edition, Janpath Samachar Siliguri Edition, Forever News Mumbai Edition on 14th November 2020
- Bank's Advt through display of banner at Global Cancer Mission Activity Centre in Borivali.
- Central Bank of India 110th Foundation Day Celebration Musical programme on Social media platform (i.e. YouTube, Face Book etc.) on 21st December 2020 under digital media

- 110th Foundation Day Ad on 21st December 2020 in Indian Express, Financial Express, Jansatta, Loksatta, Navbharat ,Navrashtra, Business Line - English All Editions,Yashobhumi (Hindi) and Punyanagari (Marathi)- Mumbai, Thane & Raigarh, edition,Forever News Mumbai Edition,Inquilab North Urdu Daily newspaper all editions
- Hamara Mahanagar Hindi daily newspaper in Mumbai, Pune & Nasik editions.
- Advertising through Exterior coach of One Full Suburban Local Train, Harbour line Mumbai through MMZO.
- Retail product advertisement on interior panels in Mumbai-Ahmedabad Double Decker train for 3 months at special rate for our Bank through Ahmedabad Zone under outdoor media.
- Auto Hood branding in Indore, Jaipur, Kolkata, Agra and Hyderabad cities in 6 regions and 5 zones for Bank's Retail products.
- Bank's Advertisement through Platform panel/hoarding at Rajiv Chowk Metro Station/Platform, Delhi for wide publicity of our housing loan & car loan.
- Display of Banks Advertisement on UBER cabs in the cities - Chennai, Hyderabad, Bangalore, Pune, Mumbai, Ahmedabad under outdoor media.
- Sponsorship for celebration of 130th Birth Anniversary of Bharatratna Dr. B. R. Ambedkar program on 14th April, 2021 at Zonal Centers .
- Advertising through HOHO buses at New Delhi & Goa under outdoor media.
- Sponsorship for "National Conference on "Global warming, Climate change and Pollution: Their Impact on biodiversity & Human welfare" at Ranchi College Branch through Patna Zone.
- Sponsorship proposal for Salami 2021- a Musical Tribute to BSF Personnel under outdoor media
- Bank's Advertisement in Jam-e-Jamshed Newspaper on 21.03.2021under print media.
- **Road show organized by MMZO for popularizing the retail schemes of the Bank** and adhering to COVID 19 safety measures. This rally also highlighted the importance of wearing masks properly as a safety measure from COVID 19. The rally started from Chandramukhi building and covered distance of 25 kilometers up to Vile Parle. **On the route of the rally 5000 masks were distributed to the citizens by MMZO**
- Activity at Chaitya Bhumi, Dadar – A tribute to Bharat Ratna Dr Baba Saheb Ambedkar by MMZO.
- Auto Branding at Connaught Circus, South Extension, Malviya Nagar, Kalkaji, Hoarding at Janakpuri, Teacher/ Student felicitation programme at PGDAV College- A Debate & Poster painting activity was organized in PGDAV College and Students were felicitated, Metro Branding at panels in Metro Stations Nehru Place, Kalkaji and Rajiv Chowk , Print Media Banks Advertisement in a popular Magazine "panchayat Ki Aawaz" , Sponsored Automatic Sanitary Pad Vending and Disposable Machines in the Press Club of India by **Delhi Zone**.
- Branch/ATM Branding at Ambikapur, Bhopal, Chindwara, Gwalior, Shahdol, Sagar, wall painting at Bhopal, Chindwara, Gwalior, Indore, Raipur, Sagar, Kisan pakhwada danglers at Ambikapur, Chindwara, Gwalior, Hoshangabad, Shahdol, Jabalpur, Raipur, Sagar, Ratlam, Indore, Bus branding at Bhopal Gwalior Raipur, FM radio at Bhopal, Jabalpur, Gwalior, Raipur and various publicity activities like arch gate, traffic barricade, bus branding, hoarding done by **Bhopal Zone**.
- Sponsorship of various publicity events were done by Regions Agra, Ayodhya, Deoria, Gorakhpur, Lucknow and Varanasi, Taxi /Cab Branding, Branch/ATM Branding, Local Cable by **Lucknow Zone**.
- Traffic Barricade deployed in the tourist places Dwarka, Jamnagar, Baroda, Taxi branding at Ahmedabad airport, Radio and local cable TV activity for promoting various banks products, Bus shelter branding in Baroda and Ahmedabad, hoarding at GSRTC bus stand done by **Ahmedabad Zone**.
- Ad in FM Radio, Traffic Sign, Arch gate, Print media ad in' Shilpa Vichitra ' magazine for publicity of our bank's retail products by **Kolkata Zone**.
- Sponsorship of events/cultural programmes at IIM Ranchi and Gaya college by Patna Zone apart from various publicity activities.
- Retail schemes publicity through Hoardings in Nashik and Nagpur, Retail publicity scheme through auto branding in 15 rural areas, Retail Schemes publicity through Bus stand, Audio VisuaL Display through LED Boards by **Pune Zone**.

- Indicative Board-Sign Board/No Parking Board/Traffic Barricades/ branding on Society Boards for wide publicity of our Bank's products by **Chandigarh Zone**.
- Mel Maruvathur Aadi parasakthi sponsorship programme at semi urban area Mel Maruvathur and Airport cab branding at Chennai, Hyderabad cities were done for wide publicity of retail and MSME products by **Chennai Zone**.
- Time to time CCD has been receiving proposals from the various depts. of Central Office for advertising in News papers as per statutory requirements viz. Tender Notices, Appointments, Publishing of Bank's Results and the same have been executed in time.

  Following Art works for different Products/Programmes/Campaigns were got prepared and uploaded in our Bank's FTP for the use of the field.
- Art Work to encourage for downloading "Aarogya Setu App" as per guidelines of Govt. of India.
- Art work for Cent COVID-19 Sahayata Scheme & Cent COVID-19 special scheme for displaying banner/poster in our branches for wide publicity.
- Art work for Cent Guaranteed Emergency Credit Line (CGECL) Scheme for wide publicity .
- MSME loan art work for displaying in branches for wide publicity and visibility.
- Art work of Retail Monsoon Campaign for displaying banner/poster/standee for wide publicity in the field and garner more business in this segment.
- Artwork for celebration for International Women's Day, Home loan and Car loan under Retail products promotion, Vigilance awareness week, Retail Mahotsav 2020, 'My Branch –My pride', Cent Connect, Credit outreach for agricultural loans, Bank's 110th Foundation Day, Diwali & New year 2021 E-Greeting card.
- Bank's quarterly result artwork
- As per direction of DFS, Govt. of India, Art work of National Water Mission campaign - "**Catch The Rain**" for displaying banner/poster in our branches/offices/social media platform.
- As per direction of DFS, Govt. of India, for creation of awareness among MSMEs through circulation of advertisements regarding availability of measures to address injury to domestic industry from imports or for defending against investigations conducted by other country, an art work was prepared for displaying banner in our branches.

3. PUBLIC RELATION DEPARTMENT

- Released Press Releases which are received from various departments.
- Arranged Press Meet and Analyst Meet at the time of announcing Quarterly Financial Result and different important occasions.
- Coordinated for protocol duties for our top management and various government/ RBI officials/ directors visiting Mumbai.
- Coordinated for Board cum managing committee meetings with our Board secretariat and Security / transport department.
- Coordinated for Annual general body meeting of our bank with MBD department.

4. Social Media :

- Central Bank of India is using Facebook and Twitter platform for marketing & branding, customer awareness and responding customer comments/queries.

VIGILANCE

1] Systemic Improvement:

During the year the following systemic improvements were undertaken:

a) Off site monitoring Alert- Generation of Alert with regard to Login in CBS Platform at unusual time.

b) Submission of Stock Statement and Book Debt Statement : Above a threshold limit the stock & book debt statement is to be signed by the Statutory Auditor of the Company, at least once in a quarter.

c) CERSAI security feeding against each collateral has been developed which will facilitate monitoring of registration of security interest with CERSAI.

2) Vigilance Awareness Week 2020:

As per the directives rceived from CVC, "Vigilance Awareness Week 2020" was observed by bank from 27.10.2020 to 02.11.2020 in the right spirit and in line with this years' theme "Vigilant India, Prosperous India". On 27.1O.2020 pledge was administered to the staff working at various departments of Central office. Similar functions were also arranged at all the 10 Zonal Offices, 90 Regional Offices and all 4638 Branches of the bank and 2 Regional Rural Banks sponsored by our Bank.

Our Bank provided hyperlink for the 'Integrity Pledge' to CVC'S website to enable customers and staff to take e-pledge.

The Commission had also advised that due to the existing pandemic situation in the country, all the activities to be conducted in-house through virtual / digital platform adhering to the extant Covid-19 prevention guidelines at all locations and events issued from time to time by the competent authority.

Accordingly, as desired by the Commission the area of focus was on Internal (Housekeeping) activities which were taken up in campaign mode as part of Vigilance Awareness Week.

Bank has conducted 391 workshops/sensitization programmes, for the employees, relatives and other stake holders on policies/procedures of the organization and preventive vigilance measures through Digital platform.

As per directives of CVC, Bank has also conducted 24 debates, quiz etc for employees and their families, Bank had organized 279 programmes / camps on customer grievance redressal all over India. Radio Jingles on FM Channels at five centers across were relayed throughout the Vigilance Awareness Week on anti corruption measures and aired alongwith advertisement of the Bank's Retail Products.

Bank had arranged 25 Guest lectures throughout the country wherein senior officials from Police, CBI etc- were invited to address the staff members. 4 lectures were also arranged from Corporate Office level wherein eminent speakers like Shri Mutta Ashok Jain, IPS, Dy. Director General, Narcotic Control Bureau, Mumbai, Shri D.C. Jain, IPS, Additional Director, CBI, New Delhi, Shri Suresh N. Patel, Vigilance Commissioner, CVC, New Delhi and Shri Pankaj Jain, IAS, Additional Secretary, DFS, Ministry of Finance, Government of India.

The lectures arranged from Corporate Office level were aired through webinar attended by staff members from all the zones and Regions.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

<table>
<tr><td>Employee Strength</td><td>At the end of March-2021, the staff strength of the Bank stood at 32335 as against 33481 in the previous year. The category-wise break-up of staff is given below:
<table>
<tr><th>Category</th><th>March-17</th><th>March-18</th><th>March-19</th><th>March-20</th><th>March-21</th></tr>
<tr><td>Officers</td><td>16247</td><td>17166</td><td>16868</td><td>16563</td><td>16565</td></tr>
<tr><td>Clerks</td><td>13001</td><td>12300</td><td>11766</td><td>10356</td><td>9761</td></tr>
<tr><td>Sub-staff</td><td>7796</td><td>7377</td><td>7041</td><td>6562</td><td>6009</td></tr>
<tr><td>Grand Total</td><td>37044</td><td>36843</td><td>35675</td><td>33481</td><td>32335</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Recruitment and Promotion</td><td><u>New Recruitment during the year 2020-21:-</u>
➢ Specialist Officers- 63
➢ Probationary Officers- 190
➢ Clerks- 660 clerks reported against allotment of 972 by IBPS.
➢ Appointment of 18 Sub-staff & 17 Clerks on compassionate grounds.

The promotional exercise has been made more motivating and as a corporate goal, it has been resolved to hold the promotion processes as far as possible for all scales/categories. Accordingly, during the year 2020-21 inter-scale and inter-cadre promotion processes were conducted and employees /officers were elevated to higher cadre/scale, out of which 123 sub-staff were promoted to clerical cadre, 667 clerks were promoted to Scale-I officers and 2007 officers were elevated to higher grade/scale. In the interest of staff members, the request transfers of 993 clerks & 1049 Officers were considered on pan India basis.</td></tr>
</table>

Employee Benefit	**STAFF WELFARE SCHEMES IN THE BANK:-** - Relief to the family of employees who die in harness - Holiday Homes and Transit Homes - Provision of Medical facilities to staff on premises – Salary to Doctors and Cost Of Medicines. - Canteen Subsidy facility for staff **PAYMENT OF BONUS FOR THE FINANCIAL YEAR 2019-20:-** Bonus for the year 2019-20 @ 8.33% of the 'Salary-Wage' to all eligible employees with the maximum of ₹7000/- has been paid. **GROUP MEDICAL INSURANCE COVERAGE FOR EMPLOYEES:-** Group Medical Insurance for employees has been renewed for the period 1st October 2020 up to 30th September 2021. Also the optional Super Top-up facility under the scheme has been extended to the employees, for the first time. **CORPORATE BUFFER:-** Bank has implemented **"CORPORATE BUFFER"** scheme under medical Insurance for serving employees for FY 2020-21 (effective from 01.10.2020 to 30.09.2021) for the expenses incurred in case of major ailments, for amount beyond basic sum insured and Super Top Up. **GROUP HEALTH INSURANCE POLICY FOR RETIREES:-** The Retirees' Group Health Insurance Policy has been renewed for the period 1st November, 2020 up-to 31st October, 2021. **STAFF LOANS:-** - Reduction in Rate of Interest and certain modifications were affected in the House Building Advance to Officers /Award Staff. - Reduction in rate of interest in Overdraft - Cent Convenient Scheme **IT SECURITY CERTIFICATION – INCENTIVE SCHEME:-** Bank has approved the reimbursement of enhanced fees for IT Certifications and has also approved reimbursement of fees for two additional IT Certifications. **EMPOWERMENT OF WOMEN EMPLOYEE:** In keeping with CVC guidelines on women empowerment, Bank has instructed that wherever possible at least one lady member should be a part of every committee formed at Branch /RO/ZO level. **11th BIPARTITE SETTLEMENT / 8th JOINT NOTE DATED 11.11.2020:-** The payment of revised Salary, Allowances and Arrears to employees (Officers & Award Staff) as per provisions of 11th Bipartite Settlement / 8th Joint Note dated 11th November 2020, has been implemented. **JOINT DISCUSSION & BUSINESS DEVELOPMEMT:-** - Business Development meeting with majority unions was held on 4th September 2020 and on 19th November 2020 - Joint Discussion with AICBOC (Majority Officers' Union was held on 18/9/2020 - Joint Discussion with AICBEF (Majority employees' Union) was held on 4/9/2020 & 28/12/2020

<table>
<tr><td>COVID- 19 Relief Steps</td><td>

<u>COVID 19- PANDEMIC FACILITIES TO STAFF AND OTHER MEASURES UNDERTAKEN</u>:-

Management had extended the under mentioned facilities to staff members to face the challenges of the COVID-19 Pandemic:-

- One month Gross Salary, as interest free loan, subject to Maximum ₹1 lakh.
- One day Special Leave (PL) to staff members, for every six days that they have attended office/ branch during the Lockdown period (1st Wave)
- During lockdown, Work from home facility to pregnant women staff members/ staff members suffering from cancer and Special leave without loss of pay to staff members who are visually impaired and staff members with disabilities.
- Financial Assistance in the form of compensation to the tune of ₹20.00 lakhs to the legal heir of the staff member who expired due to Corona Virus (COVID-19).

<u>DONATION TO PM CARES FUND:-</u>

To aid India's war against COVID-19 pandemic, our staff members have donated, by way of encashment Privilege Leave to the tune of ₹ 11.90 Crores, towards PM-CARES Fund.

<u>COVID -19 VACCINATION:-</u>

Reimbursement of cost of COVID-19, vaccination to Employees and their dependents has been provided by the Bank.
</td></tr>
<tr><td>Employee Development</td><td>

<u>PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS): -</u>

- On addition of new business units the Revised Work Flow of Reporting, Reviewing & accepting Authorities for PMS FY 2020-21 was approved.
- Dashboard has been introduced in PMS planning which will show quarterly performance of Officer
- PMS Module has been rolled out for the year 2020-21

<u>LEARNING AND DEVELOPMENT: -</u>

As per the approved Training Plan, Training Calendar was prepared for the year 2020-21 and priority was given to training on Credit (Retail, MSME and Agriculture), Recovery, Forex, Risk Management and Behavioral aspects. All Training Colleges and CLDs have conducted Training Programme as per the Training calendar. In the wake of the Pandemic COVID 2019, during the year, the conventional training method of Class room Training was substituted by Online training Styles, like webinars, virtual training and e-learning. The trend of delivering training virtually continued through the year, barring a few training programs such as Pre Promotion Training for SC/ST/OBC/PH, Induction program for Newly recruited Clerks, Induction program for POs, Induction program for Specialist Officers, and a few special training programs. Details of training activities at our Training Colleges and CLDs as well as External Institutes are given hereunder:-

Status of Staff Trained during the Financial Year (as on 31.03.2021):

<table>
<tr><th></th><th>Total Strength</th><th>Trained till March-2021</th><th>% Covered till March-2021</th></tr>
<tr><td>Officers</td><td>16565</td><td>24188</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>Award Staff</td><td>15770</td><td>9609</td><td>60.93</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>32335</td><td>33797</td><td></td></tr>
</table>

Special training initiatives taken during the year 2020-21 are as under:-

- 50 Executives have attended "Certified program on IT and Cyber Security" conducted virtually by NIBM-Pune.
</td></tr>
</table>

	- 18 Officers have attended on-line Summits/Conferences/Seminars programs conducted by External Institutes viz. ICSI, SHRM, NHRD. - 22 running modules on E-learning are available in E-learning portal managed by SPBT College. - The position of E-learning content available with us as on 31.03.2021 is of 104.50 hours which includes topics from Banking operations, Government Business, MSME financing, Retail lending products, Financial Inclusion, Agricultural loan products, Basic Credit, Basic Forex, Credit Monitoring, Recovery, Information Technology, HR, Information Technology and Soft skills. - The number of employees who have completed at least one module is 20074. Increase in adoption rate for E-learning of the employees has been observed during the period. - During the year 2020-21, 1650 Programs including Class room, Locational, Special Training were conducted covering 33797 participants and 58920 man days by three training colleges and 15 Centers of Learning & Development. Apart from these 118 Officers in various scales were nominated for specialized training programme conducted by external training agencies like NIBM, CAB, FEDAI, IIBF, CORDEX and FIMMDA etc. - Uniform Induction Training Structure for Probationary Officers was adopted & implemented. - As a leap towards improving the learning and development function of the Bank, **"Navonmesh"** a survey on our Learning & development function has been completed. **CAPACITY BUILDING:-** - In order to improve the Capacity Building Exercise for staffs in our Bank Certifications from Professional Risk Managers' International Association (PRMIA) were included in the list of Certifications under capacity building for Risk Management Department (RMD). - HR Certification (CP/SCP) from SHRM was further extended for Two Years under Capacity Building for HR Professionals. **CAREER PLANNING (SUCCESSION PLANNING):-** The Project 'Cent Nurture" for exercise of succession planning & Assessment Centre in our Bank as a step towards creating Leadership Pipeline through Succession Planning Project has been completed for eligible employees in Scale IV and above. The implementation of Individual Development Plans (IDPs) is in progress.
Policies	**POLICIES REVIEWED:-** **Norms for Transfer of Officers (Mainstream / Specialist) AND Career Path- Cum-Promotion Policy for Officers (Mainstream / Specialist)** Staff friendly Norms for Transfer of Officers (Mainstream/Specialist) in scale I to III AND the Career Path-cum -Promotion Policy for officers, was reviewed and approved by the Board. **Recruitment Policy:** The Recruitment Policy along with few amendments/additions and with the motto to recruit right Personnel possessing right capabilities, skills and expertise at the right time was reviewed and approved by the Board. **Training Policy for 2020-21:** The training policy for 2020-21 with special focus on Virtual mode & E-Learning, was reviewed and approved by the Board **FRESH POLICIES: -** **Uniform Guidelines on Identification of NON-PERFORMERS:** It is essential on the part of the field functionaries to achieve the targets allotted to them so that the zones as well as the Bank as a whole achieve the corporate goals. As such uniform guidelines in

	this regard were issued so that uniformity could be maintained in taking needful action against Non-Performing Officials to inculcate performance culture in the Bank. Accordingly a Policy on Uniform Guidelines on Identification of NON-PERFORMERS was placed and was duly approved by the Board. **SOP for conducting Disciplinary Action & Timeline for Departmental Actions:** For Bringing Uniformity in terms of the Disciplinary Actions taken against erring staffs a Policy on Standing Operating Procedure for conducting Disciplinary Action & Timeline for Departmental Actions was placed and was duly approved by the Board. **Policy on Code of Eithcs, Business Conduct & Conflict of Interest:** In recent past the Banking Industry has witnessed various incidents of frauds, greed, insider abuse, poor ethical values and internal control, increase in non-performing assets etc. Although, our Bank has defined policies/regulations on Conduct of Officers Employees', Sexual Harassment guidelines, Dress Code guidelines, Whistleblower policy etc.,a need was felt to prepare a set of ethical codes and business conduct guidelines which can help an employee in the event of any sort of ethical dilemma. Accordingly a Policy on Policy on Code of Eithcs, Business Conduct & Conflict of Interest was placed and was duly approved by the Board. **Policy on Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace:** The guidelines on Sexual Harassment has been implemented in terms of Act "The Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013." As per the Act, Bank has constituted Internal Complaint Committees at all administrative offices by nominating Presiding Officer and other members to the committee. Accordingly a Policy on Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace was placed and was duly approved by the Board. **Policy on Internship:** The policy aims to provide Internship to students (future professionals) from recognized institutes in a structured manner wherein they will be trained on the Banking functions/Projects under the mentorship of a senior Official available at the place of Internship. Accordingly a Policy on Internship was placed and was duly approved by the Board. **Policy on Mentorship:** Bank is working to create a formal structure of Mentorship program which would support the employee's continuous growth and development, the transfer of knowledge, and the building of capability in our Staff (mentees) and mentors as well. Mentoring will enhance understanding of areas of the Bank's operations, opportunities for extended networking, a better understanding of own practices, and development of personal skills and satisfaction. Accordingly a Policy on Mentorship was placed and was duly approved by the Board.
Industrial Relations	The industrial Relations during the year remained cordial.
Staff Administration	**Armed Force Flag Day Fund-** In a way of expressing our concern to participate in such noble purposes as part of our duty towards the Nation. We had collected ₹ 788204.00 on behalf of Centralities for donation to Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF). For welfare of Ex-Servicemen/ War Widows etc. and the same was paid to Armed Forces Flag Day Fund account, New Delhi. **Financial Assistance of ₹ 20.00 Lakh –** In view of outbreak of COVID-19 pandemic as a human gesture, financial assistance in the form of compensation to the tune of ₹ 20.00 Lakh per employee in case of unfortunate death of staff members has been approved. Under the said scheme 34 cases has been settled in favor of legal heirs.

<table>
<tr><td></td><td>

Compassionate Appointment and Payment of Ex-gratia-

Payment of Ex-Gratia in lieu of Compassionate Appointment	
No. of cases settled	Amount
6	₹ 3856164.00

Compassionate Appointment on Compassionate Ground		
Clerk	Sub Staff	Total
17	18	35

Prevention of Sexual Harassment (POSH) of Women at Workplace-

The Bank prohibits Sexual Harassment at work place. The guidelines on Sexual Harassment has been implemented in terms of Act "The Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013." As per the Act, Bank has constituted Internal Complaint Committees at all administrative offices by nominating Presiding Officer and other members to the committee.

</td></tr>
<tr><td>Statutory and Regulatory Compliance</td><td>

IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY:

- The Bank meticulously follows the Reservation Policy for SCs/STs/OBCs/EWSs/PWDs as prescribed by Government of India from time to time. The Bank has representation of SCs, STs, OBCs and differently abled persons among all the cadres of its workforce. The Bank has implemented reservation applicable to "Economically Weaker Sections" in Direct Recruitment w. e. f., 01st February 2019 in terms of GOI guidelines.
- SC/ST Cell implement, monitor continuously and evaluate the reservation policy in Bank and plan measures for ensuring effective implementation of the policy and programmes of the Government of India.
- SC/ST cell employ all steps required to safeguard the interest of SC/ST employees.
- SC/ST Cells at Central Office under the control of Chief Liaison Officer redress all the grievances relating to SC/ST/OBC Employees.
- Reservation Rosters are maintained as per Government guidelines and the same are uploaded on Banks Website as per GOI guidelines.
- Bank conducts Periodical Meeting with Welfare Association/Federation.
- Constituted In-house Committee for Identification of Backlog Reserved Vacancies as per DFS, GOI guidelines.
- Shri Kaushalendra Singh Patel, Hon'ble Member, National Commission for Other Backward Classes, New Delhi visited Zonal Office Delhi on 19.02.2021 to review the implementation of Reservation policy for OBC in our Bank.
- Meeting with Parliamentary Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on 18.03.2021 attended by Our worthy MD & CEO at New Delhi.

Representation of SC/ST/OBC as on 31.03.2021:-

Sr. No.	CADRE	TOTAL	SC	ST	OBC
1	OFFICER	16565	2990	1436	4429
2	CLERICAL	9761	1797	904	2379
3	SUB-STAFF	6009	2056	548	1541
	GRAND TOTAL	**32335**	**6843**	**2888**	**8349**

</td></tr>
</table>

DIGITAL PAYMENT & TRANSACTION BANKING –

- Bank is having total 4321 POS/m-POS Terminal Installed as March 31, 2021.
- Cumulative Registered users for Net Banking, Mobile Banking and UPI as on March 31, 2021 are 81.16 Lakhs, 32.83 Lakhs and 11.95 Lakhs respectively.
- POS/E-Com transactions during FY2020-21 are on an average of 1.80 lakhs per day.
- Mobile Banking transactions during FY2020-21are on average of 0.28 lakhs per day
- UPI transactions during FY2020-21 are on average of 21.62 lakhs per day
- IMPS transactions during FY2020-21 are on average2.38 lakhs per day.
- Internet Banking transactions during FY2020-21 are on average of 2.72 lakhs per day

ATM /DEBIT CARD OPERATIONS:

- Total number of ATMs as on 31st March 2021 is 3644.
- Cash Replenishment by Bank staff is being done for 1851 ATMs.
- 3333 Branches have been linked with ATM as on 31st March 2021.
- 63.72% of the Bank's ATMs are located in Rural & Semi-Urban areas.
- Average ATM Uptime during the year is around 89.35%.
- Active debit cards as on 31.03.2020 is 2.65 Crore.
- Implementation of Green PIN generation through ATM, Mobile and Internet Banking to do away with physical printing of ATM PIN has been the most important eco-friendly and tech-friendly step.

CREDIT CARD OPERATIONS-

- Bank has discontinued issuance of our Bank Credit Card and tied up with SBI Card for issuance of Co-Branded Credit Card to our customers.
- Bank has collaborated with SBI card for issuance of Co-Branded Credit Cards for delightful Credit Card experience for our customers. Management and Operational issue of Co-branded Card is done by SBI Card.Co-branded Card issuance has started since October 2019 and issuance of Standalone cards is discontinued.
- The Bank has Central Bank Credit Card base of 13463 & balance is outstanding/due recoverable in 13463 inactivated Credit Cards of our Bank as on 31.03.2021 Prepaid Card base of 397957 on 31st March 2021.
- 129591 Co-branded Cards were issued till March 31st 2021.
- Dedicated Web Portal is available for its existing Credit card as well as weblink is provided for co-branded Credit Card.
- Credit Card functionality is also available on Mobile Banking App of Bank.

Way forward – Initiatives under Implementation which will increase the digital footprints.

- Online Mandate implementation on NACH platform using Net banking / Debit Cards.
- Revamped Look and Feel of Net Banking.
- Utility payments under Mobile Banking.
- Debit card EMI facility to our customers at certain highly reputed merchant outlets.
- Enablement of Debit card payment option for Online Payment for Govt. Undertaking / Organizations such as CBDT, IRCTC etc in addition to existing Net Banking payment option.
- Implementation of Interoperable Card less cash withdrawal (ICCW) from ATM using UPI.
- Implementation of Standing Instruction (SI) Hub for our customers to manage (create, modify, change) their mandates through cards (Credit / Debit).
- Issuance of UPI QR code to MSME borrowers.

SUBSIDARIES AND JOINT VENTURES

i. CENT BANK HOME FINANCE LIMITED:

- * Net Owned funds stood at ₹138.35 Crore as on 31st March 2021. During the year the total advances of the Company stood at ₹1129.93 Crore in 31st March, 2021 as against ₹ 1228.19 Crore as on 31st March, 2020

- The retails deposits and institutional deposits stood at ₹ 412.25 Crore in 31st March 2021 as against ₹ 475.53 Crore in 31st March 2020.
- The Net Profit of the Company stood at ₹ 14.67 Crore for full year 2020-21 as against ₹10.23 Crore, for full year 2019-20.
- Earnings per Share are ₹ 5.87 (₹10 per share) [Previous Year ₹ 4.09].
- Gross NPA stands at ₹ 62.01 Crore in 31st March 2021 as against ₹47.46 Crore in 31st March 2020
- Net NPA to Net Advances is at 3.16% as on 31st March 2021.
- Return on Assets is 1.16% [Previous year 0.78%].
- CAR works out at 21.93% as on 31st March 2021.

Note :* The total advances taken in the last year was including unrealized interest. However as per the Auditor Instructions, the loans should be net of URI. Therefore we have taken the figures net of URI in the current year as the as well as previous year. Kindly take note of it.

The gross NPA was also taken including URI in the previous year. However as per the Auditor Instructions, the NPA should be net of URI Therefore we have taken the figures net of URI in the current year as as well as previous year.Kindly take a note of it.

BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH, 2021

Particulars	Note No.	As at 31st March 2021	As at 31st March 2020
		₹ In Lakhs	₹ In Lakhs
A EQUITY AND LIABILITIES			
1 Shareholders' funds			
(a) Share capital	2	2,500.00	2,500.00
(b) Reserves	3	11,696.72	10,229.75
		14,196.72	**12,729.75**
2 Non-current liabilities			
(a) Long-term borrowings	4	55,399.87	60,951.30
(b) Deferred tax liabilities	3a	641.48	1,047.50
(c) Long-term provisions	5	3,045.07	2,415.25
		59,086.42	**64,414.05**
3 Current liabilities			
(a) Short-term borrowings	6	30,686.98	36,906.49
(b) Other current liabilities	7	14,647.48	14,840.31
(c) Short-term provisions	8	60.37	99.52
		45,394.83	**51,846.32**
TOTAL		**1,18,677.97**	**1,28,990.12**
B ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment			
(i) Tangible assets	9	42.29	58.07
(b) Non-current investments	10	4,224.19	3,724.05
(c) Long-term loans and advances	11	1,02,723.32	1,05,086.44
(d) Other Non-current assets	12	189.97	272.91
		1,07,179.77	**1,09,141.47**
2 Current assets			
(a) Cash and cash equivalents	13	689.19	1,277.00
(b) Short-term loans and advances	14	10,464.98	18,042.51
(c) Other current assets	15	344.03	529.14
		11,498.20	**19,848.65**
TOTAL		**1,18,677.97**	**1,28,990.12**

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2021

	Particulars	Note No.	For the year ended 31st March 2021	For the year ended 31st March 2020
			₹ In Lakhs	₹ In Lakhs
A	**INCOME**			
1	Revenue from operations	16	12,734.94	14,184.58
2	Other income	17	44.02	24.13
3	**Total revenue (1+2)**		**12,778.96**	**14,208.71**
B	**Expenses**			
4	(a) Employee benefits expense	18	809.45	839.32
5	(b) Finance costs	19	8,622.67	9,896.84
6	(c) Depreciation and amortisation expense	9	19.74	20.35
7	(d) Other expenses	20	804.06	880.43
8	(e) Provision for Standard Assets (including special provision on COVID19- refer note No 5)	21	-153.45	175.26
9	(f) Provisons for Non-Performing & Doubtful Debts		711.19	840.21
10	(g) Writen off		0.00	0.00
11	Total expenses (4+5+6+7+8+9+10)		**10,813.66**	**12,652.41**
C	**Profit before tax and extraordinary items (3-11)**		**1,965.30**	**1,556.30**
D	**Extraordinary items**			
	Add:- Extraordinary Item	22	0	0
	Less:-Prior period adjustements		1.45	21.79
E	**Profit / (Loss) before tax (C-D)**		**1,963.85**	**1,534.51**
F	**Tax expense:**			
	(a) Current year tax expense		539.43	655.67
	(b) Provision for tax of previous years		363.47	59.55
	(c) Deferred tax Liabilities/ (Assets) of current year other than d below		-84.61	-322.53
	(d) Deferred tax liability on special reserves		-321.41	119.15
			496.88	**511.84**
G	**Profit from continuing operations (E-F)**		**1,466.97**	**1,022.67**

ii. CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED

- Centbank Financial Services Limited is essentially providing Trusteeship Services including Debenture/Security Trustee, Executor Trustee and Managing Charitable Trusts etc.
- The Company is registered with SEBI to undertake Debenture Trusteeship activities.

Financial Update:

- The company earned a Net Profit after Tax of ₹ 0.91 crore for the year ended 31st March 2021 against Net Profit of ₹ 1.45 crore for the previous year ended 31st March, 2020.
- Segment-wise earnings:

(Amounts in Rupees)

Particulars	FY 2020-21	FY 2019-20
Fees from Executor Trusteeship	33,06,890	49,37,199
Fees from Debenture & Security Trusteeship	83,52,902	1,07,89,735
Other income (Interest, Dividend, etc)	2,22,91,172	2,43,05,867
Total	**3,39,50,964**	**4,00,32,801**

- EPS is ₹ 181.34 for FY 2020-21 as against ₹ 290.03 for the FY 2019-20.

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2021

(Amounts in Rupees)

Particulars	Note No.	As at 31st March 2021	As at 31st March 2020
I. EQUITY AND LIABILITIES			
(1) Shareholders' Funds			
(a) Share Capital	1	5,00,00,000	5,00,00,000
(b) Reserves and Surplus	2	30,81,86,723	31,75,16,192
(2) Non-Current Liabilities			
(a) Other long term liabilities	3	60,35,188	60,35,188
(b) Long-term provisions	4	3,16,967	3,83,250
(3) Current Liabilities			
(a) Other current liabilities	5	5,89,99,332	5,16,34,346
(b) Short-term Provisions	6	1,22,223	1,52,679
TOTAL		**42,36,60,433**	**42,57,21,655**
II. ASSETS			
(1) Non-Current Assets			
(a) Fixed Assets	7		
(i) Tangible Assets		1,45,826	1,64,848
(ii) Intangible Assets		1,04,487	2,08,975
(iii) Capital work-in-progress		1,36,800	-
(b) Non-current Investments	8	3,000	1,50,03,000
(c) Deferred tax assets (net)	9	1,68,247	56,15,818
(d) Other non-current assets	10	1,99,38,747	6,05,41,365
(2) Current Assets			
Current Investments	11	1,50,00,000	_
(a) Trade Receivables	12	8,86,980	17,19,851
(b) Cash and cash equivalents	13	35,55,60,938	32,03,92,686
(c) Short-term loans and advances	14	3,17,15,408	2,20,75,112
TOTAL		**42,36,60,433**	**42,57,21,655**

PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2021

(Amounts in Rupees)

Particulars	Note No.	for the year ended 31st March 2021	for the year ended 31st March 2020
Income:			
Revenue from Operations	15	1,16,59,792	1,57,26,934
Other Income	16	2,22,91,172	2,43,05,867
I. Total Income		**3,39,50,964**	**4,00,32,801**
Expenses:			
Operating & Administrative Expenses	17	75,99,989	79,75,749
Employee Benefit Expenses	18	1,17,64,847	1,07,91,886
Depreciation and Amortisation Expenses	19	1,26,913	22,460
II. Total Expenses		**1,94,91,749**	**1,87,90,095**
III. Profit / (Loss) before tax	(I- II)	**1,44,59,216**	**2,12,42,706**
IV. Tax expense:			
(1) Current tax		–	55,04,300
(2) Deferred tax		54,47,571	4,07,186
(3) Prior year tax expense		(55,483)	8,29,813
		53,92,088	**67,41,299**
V. Profit(Loss) for the period	(III-IV)	**90,67,128**	**1,45,01,407**
VI. Earnings per share			
Equity shares of par value of ₹ 1000/- each			
(a) Basic		181.34	290.03
(b) Diluted		181.34	290.03

iii. INDO-ZAMBIA BANK LTD

- The Bank's Joint venture in Zambia is promoted jointly by Government of Republic of Zambia and three Indian banks viz. Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. While each of the 3 Indian banks holds 20% equity, Industrial Development Corporation (IDC) (Investment Company wholly owned by Government of Republic of Zambia) is holding balance 40% equity on behalf of Government of Republic of Zambia.
- Bank's financial year is calendar year.
- The Bank has been performing well in all parameters and is presently the sixth largest bank in Zambia.
- As at the end of December 2020, our Bank is holding total 8,32,00,000 shares of kwacha 1 each value.
- Deposits of the Bank have increased by 48.70% in Kwacha (1.35%* in INR) and advances have increased by 26.03% in Kwacha (- 14.10%* in INR)over the previous year.
- Bank has made net profit of kwacha 209.72 million (INR 71.65 Crore) for the calendar year 2020.

  We have received dividend of INR 4.64 Crore from Indo Zambia Bank for the Year 2020

  * The growth in INR in percentage term is less due to depreciation of Kwacha currency.

iv. REGIONAL RURAL BANKS :

We have 2 RRBs as on 31st March 2021 in 2 states covering 23 districts with a network of 1174 branches.

unaudited as on 31st March, 2021

(Amount in crore)

Name of RRBs with its HO & State	No. of Dist. & Branches	Total Deposits	Total Advance	Gross NPA	Net Profit
Uttar Bihar GB. Muzaffarpur (Bihar)	18/1032	16308.10	9474.08	2804.78	-380.01
Uttarbanga Kshetriya GB. Coochbehar (WB)	5/142	3518.91	2378.37	233.99	2.08
Total	**23/1174**	**19827.01**	**11852.45**	**3038.77**	**-377.93**

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- CSR is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large.
- It is our continuing commitment to donate under CSR through the organization/Trust working for poor, downtrodden people of society for their upliftment for education, health, natural calamities and overall social welfare of the society.
- CSR Budget for the financial year 2020-21 was NIL as the Bank had incurred loss during the financial year 2019-20.

AWARDS & ACCOLADES

- Hon'ble Governor of Maharashtra Shri Bhagat Singh Koshiyari felicitated Shri Pallav Mohapatra, Managing Director & Chief Executive Officer of Central Bank of India for the commendable work done by the Bank during the COVID 19 period in a function organized at Rajbhavan Mumbai. During the pandemic period Bank ensured smooth banking operations so that public at large is not affected. Bank employees donated their two days' salary to Prime Minister Relief Fund. Bank also donated PPE kits, masks, face-shields, water dispensers, sanitizers and other related materials to various hospitals, Organizations, NGOs etc. Bank employees helped their customers by providing medical aids as and when required through the designated Hospitals. Awareness about the COVID 19 was also made through digital and outdoor media.

CORPORATE GOVERNANCE

1) BANK'S PHILOSOPHY OF CORPORATE GOVERNANCE

- Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standards of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices and standards of governance that are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.

- The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. The Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

2) BOARD OF DIRECTORS

A) COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman.

- The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

- During the year under review i.e. 2020-21, the composition of the Board was as under:

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2021	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2021		Directorship of other Companies as on 31.03.2021	Whether attended last AGM held on 07.08.2020
						Member	Chairman		
1.	Shri Tapan Ray	Non-Executive Independent Chairman (ceased to be the Director on 22.05.2021)	From 23.05.2018 to 22.05.2021	NIL	Finance, Economics, Technology, Law, Capital Markets, Management, Foreign Trade, Public Policy and Administration	RMC, LVFC, SRC, HR, PE, N&RC,	RMC, LVFC, SRC, HR, PE	1. Gujarat International Finance Tec-City Company Ltd. 2. GIFT SEZ Limited 3. GIFT Power Company Limited 4. GSPC LNG Limited 5. GVFL Limited 6. Gujarat Alkalies and Chemicals Limited – Listed Company (Non-Executive – Independent Director) 7. Gujarat State Fertilizers and Chemical Limited – Listed Company (Non-Executive – Independent Director)	Yes

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2021	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2021		Directorship of other Companies as on 31.03.2021	Whether attended last AGM held on 07.08.2020
						Member	Chairman		
2.	Shri M V Rao	Managing Director and Chief Executive Officer (Whole Time Director)	From 01.03.2021	Not Applicable	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	MCB, CSC, VIG, CAC, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	NIL	No
3.	Shri Pallav Mohapatra	Managing Director and Chief Executive Officer (Whole Time Director)	From 21.09.2018 To 28.02.2021	-	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, VIG, CAC, HR, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	MCB, CSC, VIG, CAC, MRC, CRC, RCNCB, CRIWD	Not Applicable	Yes
4.	Shri B S Shekhawat	Executive Director (Whole Time Director)	From 09.10.2017 To 08.10.2020	-	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	Not Applicable	Yes
5.	Shri Alok Srivastava	Executive Director (Whole Time Director)	From 23.01.2019	12,000	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	Cent Bank Home Finance Ltd.	Yes

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2021	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2021		Directorship of other Companies as on 31.03.2021	Whether attended last AGM held on 07.08.2020
						Member	Chairman		
6.	Shri Vivek Wahi	Executive Director (Whole Time Director)	From 10.03.2021	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	NIL	No
7.	Shri Rajeev Puri	Executive Director (Whole Time Director)	From 10.03.2021	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	NIL	No
8.	Dr. Bhushan Kumar Sinha	Government of India Nominee Director (Non-Executive Director)	From 14.05.2018	NIL	Finance and Economics	ACB, RMC, LVFC, ITS, VC, MRC, HR, PE	NIL	IFCI Ltd. – Listed Company (Non – Executive - Nominee Director)	No
9.	Shri Thomas Mathew	RBI Nominee Director (Non-Executive Independent Director)	From 26.04.2019 To 28.09.2020	NIL	Economics	MCB, ACB, VC	NIL	Not Applicable	No
10.	Shri P. J. Thomas	RBI Nominee Director (Non-Executive Independent Director)	From 28.09.2020	NIL	Banking and Finance	MCB, ACB, VC	NIL	NIL	No

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2021	Area of Expertise	Membership/ Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India during the Financial year ended 31.03.2021		Directorship of other Companies as on 31.03.2021	Whether attended last AGM held on 07.08.2020
						Member	Chairman		
11.	Prof.(Dr.) Atmanand	Part Time Non-official Director (Non-Executive Independent Director)	From 27.12.2017 To 26.12.2020	NIL	Economics	ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, MRC, N&RC, RCNCB, CRIWD	ACB, ITS, N&RC	Not Applicable	Yes
12.	Smt. Mini Ipe	Shareholder Director (Non-Executive Independent Director)	From 01.07.2018	100	Finance	ACB, RMC, CSC, ITS, SRC, MRC, PE, RCNCB, N&RC, CRIWD	ACB, ITS, N&RC	NIL	No

The Managing Director and Chief Executive Officer and the Executive Directors are whole time Directors of the Bank.

ACB	-	Audit Committee of the Board
CAC	-	Credit Approval Committee
CRC	-	Capital Raising Committee
CRIWD	-	Committee to review the Identification of Wilful Defaulter
CSC	-	Customer Service Committee
HR	-	Human Resources Committee
ITS	-	Information Technology Strategy Committee
LVFC	-	Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds
MCB	-	Management Committee of the Board
MRC	-	Committee of the Board for Monitoring of Recovery
N&RC	-	Nomination and Remuneration Committee
PE	-	Performance Evaluation Committee
RCNCB	-	Review Committee for Declaring Non Co-operative Borrower
RMC	-	Risk Management Committee
SRC	-	Stakeholders Relationship Committee
VIG	-	Vigilance Committee

Brief Profile of the Directors (as on 31.03.2021)

1. **Shri Tapan Ray, Non-Executive Chairman – (D.O.B. 09.09.1957)**

   Shri Tapan Ray was appointed as Non-Executive Chairman in Central Bank of India by Government of India with effect from 23.05.2018. Shri Tapan Ray, IAS (Retd.) is enriched with extensive knowledge and experience in the field of Finance, Economics, Technology, Law, Capital Markets, Management, Foreign Trade, Public Policy and Administration. Before joining Central Bank of India as Non-Executive Chairman, Shri Tapan Ray acted as Secretary to Government of India, Ministry of Corporate Affairs after having served 35 years in the Gujarat cadre of the Indian Administrative Service (IAS). He has a Degree in Mechanical Engineering from the Indian Institute of Technology, Delhi. He is also a Post Graduate in Public Policy from the Woodrow Wilson School, Princeton University, USA and a Master of Public Administration from the Maxwell School, Syracuse University, USA. Shri Ray also has Executive Masters in Foreign Trade from Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi. He also holds degrees in Law and International Trade. He has served in the Ministries of Defence, Textiles, Power, Science & Technology, Information Technology and Planning in the Government of India. He has been Principal Secretary in the Finance Department in Gujarat. Shri Ray was also the Managing Director of Gujarat State Petroleum Corporation Ltd. (GSPC) & Gujarat State Petronet Ltd. (GSPL). He was also on the Board of other GSPC/GSPL Group of Companies. As Secretary (Ministry of Corporate Affairs), he has served on the Board of Securities and Exchange Board of India. Shri Ray is also the Member of Dispute Resolution Panel constituted by PSU Oil Distribution Companies. Shri Tapan Ray is also the Managing Director & Group Chief Executive Officer of Gujarat International Finance Tec City Company Ltd., Gandhinagar, Gujarat. His tenure ended on 22.05.2021.

2. **Shri M V Rao, Managing Director and Chief Executive Officer (D.O.B. 03.07.1965)**

   Mr. M V Rao has taken over charge as Managing Director & CEO of Central Bank of India with effect from 1st March, 2021. Prior to joining the current assignment, Shri Rao was Executive Director, Canara Bank for more than three years where he played a pivotal role in the Bank's progress. Shri M V Rao is a Post Graduate in Agriculture from Sri Venkateshwara Agriculture College, Tirupati, Andhra Pradesh. He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. A seasoned banker with varied experience, Shri M V Rao joined Allahabad Bank as Agricultural Field Officer in 1988 and worked in various capacities in different geographical areas of the country. As General Manager of Allahabad Bank, he headed Bank's important verticals like Wholesale & Retail Banking. He was also instrumental in launching a transformative project in Allahabad Bank to bring focus on Asset-centric banking.

3. **Shri Alok Srivastava (D.O.B. 22.11.1962)**

   Shri Alok Srivastava holds Masters degree in Economics and MBA (Finance). He started his career as Management Trainee in Punjab National Bank in the year 1985. He has more than 34 years of experience in banking, having worked in almost all key segments of banking, in various capacities at Branches, Administrative Offices, etc.

4. **Shri Vivek Wahi (D.O.B. 15.09.1965)**

   Shri Vivek Wahi has taken over charge as Executive Director of Central Bank of India with effect from 10th March, 2021. He possesses rich Banking experience having worked in all important verticals of the bank like Branch Banking, Overseas Dealing Room, Heading Large Corporates Credit Branch, Zonal Manager, Treasury Head, Field GM etc. He was posted as Zonal Manager of Bank's Mumbai South Zone, the Largest Zone on Business Mix parameters. He has also headed Bank of India's Treasury at Mumbai for more than 2 years. He has also worked as Field GM of Northern Territory of the Bank comprising 6 states having headquarter at New Delhi. He joined Banking Industry (Bank of India) as Probationary Officer in 1990, after completing his B.Tech from NIT, Kurukshetra.

5. **Shri Rajeev Puri (D.O.B. 14.06.1963)**

   Shri Rajeev Puri is a Masters in Commerce and MBA (Finance). He also holds a Diploma in Rural Banking from IIB. He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He is also an Alumni for IIM-B (BBB-LDB training 9 months). Prior to joining Central Bank of India as Executive Director w.e.f. 10th March 2021, Shri Rajeev Puri was Chief General Manager, Punjab National Bank. He is a seasoned banker with varied experience and has worked in various capacities in different geographical areas of the country. He has received many awards during his stint as Branch Head, Circle Head & Zonal Manager of Punjab National Bank. As Chief General Manager of Punjab National Bank, he headed Bank's important verticals like MSME & Mid Corporate, Agriculture, Retail Lending and Financial Inclusion Division.

6. **Dr. Bhushan Kumar Sinha, Government of India Nominee Director (D.O.B. 20.07.1964)**

   Dr. Bhushan Kumar Sinha was appointed as Government of India Nominee Director in Central Bank of India with effect from 14.05.2018. Dr. Sinha is Ph.D. in Financial Economics from the Department of Financial Studies, University of Delhi, MBA from the National Graduate School of Management (NGSM), Australian National University (ANU), Canberra, Australia. Dr. Sinha belongs to the 1993 batch of the Indian Economic Service and is presently working as Joint Secretary in Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India. Prior to his present assignment as Joint Secretary, he was Economic Adviser in DFS. Before joining DFS in May 2018, Dr. Sinha had a three years stint as Economic Adviser in the Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM). Dr. Sinha is also the Director on the Board of IFCI Ltd.

7. **Shri P J Thomas (D.O.B. 02.01.1959)**

   Shri P J Thomas was nominated as Director on the Board of Central Bank of India on September 28, 2020 by Government of India. He is a graduate in Science with B.Sc (Hons) and a Master in Business Administration in Banking and Finance. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers.

   He started his career as a bank officer with a public sector bank, before moving to Reserve Bank of India (RBI) as an officer and served in different capacities including as Regional Director, RBI, Bangalore. During his tenure of more than 36 years in RBI, he had long exposure to Banking Regulation at Central Office and Banking Supervision at Regional Offices. He had attended overseas training in Regulation and Supervision at the Federal Reserve of New York and Florida besides at other international bodies at Kuala Lumpur, Manila, Frankfurt and Basel. He was earlier on the Boards of a private sector bank and also a public sector bank.

8. **Smt. Mini Ipe (D.O.B. 19.08.1963)**

   Smt. Mini Ipe was elected as Shareholder Director in Central Bank of India with effect from 01.07.2018, she has varied experience in the field of Finance, Marketing and Human Resources. She has also held the post of Executive Director (SBU-International operations) in LIC. She was also Director & CEO – LIC HFL Housing Financial Services Ltd. Smt. Mini Ipe has also worked as Regional Manager, Estates and P & IR and Secretary, ER & Marketing in LIC. Smt. Mini Ipe ceased to be director of the Bank on 30.06.2021.

9. **Shri Dinesh Pangtey (D.O.B. 27.02.1962) – w.e.f. 01.07.2021**

   Shri Dinesh Pangtey was elected as Shareholder Director in Central Bank of India with effect from 01.07.2021. He has experience in the field of Finance. He is presently Wholetime Director and CEO of LIC Mutual Fund Asset Management Limited. He has also held the post of Chief Executive Officer of LICHFL AMC Limited. He also had more than 3 decades of experience in Life insurance business in different positions.

B) <u>CONDUCT OF BOARD MEETINGS</u>

During the year, 16 Board Meetings were held on the following dates:

17.04.2020	27.07.2020	26.10.2020	09.02.2021
20.05.2020	11.08.2020	06.11.2020	24.02.2021
22.06.2020	02.09.2020	08.12.2020	10.03.2021
29.06.2020	29.09.2020	19.01.2021	26.03.2021

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Tapan Ray	16	16	01.04.2020-31.03.2021
Shri M. V. Rao	2	2	01.03.2021-31.03.2021
Shri Pallav Mohapatra	14	14	01.04.2020–28.02.2021
Shri Alok Srivastava	16	16	01.04.2020–31.03.2021
Shri Vivek Wahi	1	2	10.03.2021-31.03.2021
Shri Rajeev Puri	1	2	10.03.2021-31.03.2021
Shri B. S. Shekhawat	8	8	01.04.2020-08.10.2020

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Dr. B.K. Sinha	15	16	01.04.2020-31.03.2021
Thomas Mathew	6	7	01.04.2020-28.09.2020
Shri P J Thomas	8	9	28.09.2020-31.03.2021
Prof. (Dr.) Atmanand	11	11	01.04.2020–26.12.2020
Smt. Mini Ipe	8	16	01.04.2020-31.03.2021

C) DETAILS OF COMMITTEES OF THE BOARD

As on date, there are total 16 Committees of the Board constituted under the prescribed rules/regulations and directives issued by Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India and by the Board itself. Details of these Committees are as under:-

i) Management Committee of the Board
ii) Credit Approval Committee
iii) Audit Committee of the Board
iv) Risk Management Committee
v) Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds
vi) Customer Service Committee
vii) Information Technology Strategy Committee
viii) Stakeholders Relationship Committee
ix) Nomination and Remuneration Committee
x) Vigilance Committee
xi) Performance Evaluation Committee
xii) Human Resource Committee
xiii) Committee of the Board for Monitoring of Recovery
xiv) Capital Raising Committee
xv) Review committee for declaring Non Co-operative Borrower
xvi) Committee to review the Identification of willful defaulters

The Govt. of India vide notification dated 25th January, 2021, amended the Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 by inserting a special provision (Clause 14A) which states:

"Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing."

In terms of the above the Board of Directors of a Nationalised Bank are empowered to exercise the powers of a Committee of the Board to do any act or thing, or for resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review, which it is required to do by law provided the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof.

i) Management Committee of the Board:

- The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The committee considers various business matters of material significance like sanction of high value credit proposal, compromise/write off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments etc. As on 31.03.2021, it comprised of 5 members, consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer, 3 Executive Directors and Reserve Bank of India Nominee Director.

- The Management Committee of the Board met 23 times during the year on the following dates:

20.04.2020	20.07.2020	01.10.2020	15.12.2020	06.02.2021
11.05.2020	24.08.2020	20.10.2020	23.12.2020	19.03.2021
01.06.2020	31.08.2020	31.10.2020	06.01.2021	31.03.2021
12.06.2020	11.09.2020	12.11.2020	18.01.2021	
30.06.2020	28.09.2020	25.11.2020	28.01.2021	

Attendance record of the members was shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	2	2	01.03.2021-31.03.2021
Shri Pallav Mohapatra	21	21	01.04.2020–28.02.2021
Shri Alok Srivastava	23	23	01.04.2020–31.03.2021
Shri Vivek Wahi	2	2	10.03.2021-31.03.2021
Shri Rajeev Puri	2	2	10.03.2021-31.03.2021
Shri B. S. Shekhawat	11	11	01.04.2020-08.10.2020
Shri P J Thomas	13	13	28.09.2020-31.03.2021
Shri Thomas Mathew	9	10	01.04.2020-28.09.2020
Smt. Mini Ipe	16	21	01.04.2020–06.02.2021

ii) Credit Approval Committee:

- Pursuant to clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercised the powers of the Board with regards to credit proposals from above ₹ 100 crore upto ₹ 400.00 crore for individual borrower and for group companies/borrowers, credit proposals from above ₹ 200 Crore upto ₹ 800 crore, compromise/ write off proposals involving sacrifice above ₹ 10 crore and upto ₹ 50 crore etc. The Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and General Managers in charge of Risk Management, Credit, Accounts/Finance and Credit Monitoring & Policy.

  The Credit Approval Committee met 25 times during the year on the following dates:

18.04.2020	30.06.2020	11.09.2020	21.11.2020	29.01.2021
29.04.2020	18.07.2020	25.09.2020	15.12.2020	16.02.2021
01.06.2020	31.07.2020	06.10.2020	24.12.2020	06.03.2021
15.06.2020	19.08.2020	19.10.2020	05.01.2021	23.03.2021
25.06.2020	01.09.2020	07.11.2020	18.01.2021	31.03.2021

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From – To)
Shri M V Rao	3	3	01.03.2021-31.03.2021
Shri Pallav Mohapatra	22	22	01.04.2020-28.02.2021
Shri Alok Srivastava	25	25	01.04.2020–31.03.2021
Shri B. S. Shekhawat	13	13	01.04.2020–08.10.2020
Shri Vivek Wahi	2	2	10.03.2021-31.03.2021
Shri Rajeev Puri	2	2	10.03.2021-31.03.2021

iii) Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections conducted by RBI. The terms of reference to the Audit Committee are:

- Reviewing, in respect of Internal Audit, the Internal Inspection/ Audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, unreconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books, frauds and all other major areas of house-keeping;
- Obtaining and reviewing half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of the instructions of the RBI;
- Reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and reviewing the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- Following up in respect of Statutory Audits, on all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacting with the External Auditors before finalization of the quarterly/ half yearly/ annual financial accounts and reports;
- Reviewing regularly the accounts, accounting policies and disclosures;
- Reviewing the major accounting entries based on exercise of judgment by management and reviewing any significant adjustments arising out of the audit;
- Qualifications in the Draft Audit Report;
- To have post-audit discussions with the Auditors to ascertain any area of concern;
- Establishing the scope and frequency of Internal Audit, reviewing the findings of the Internal Auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
- Compliance with the Stock Exchanges' legal requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or regulatory requirements to be attended to, by the Audit Committee.

The Audit Committee of the Board comprise of Executive Director in charge of Central Audit and Inspection, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two non-official non-executive directors, at least one of them should be a Chartered Accountant. Directors from staff will not be included in the ACB. As on 31.03.2021, one position remains vacant in the ACB as there is no eligible member to be nominated in the Committee.

Composition of the Audit committee as on 31.03.2021 was as under:

1	Smt. Mini Ipe	Chairperson
2	Shri Alok Srivastava	Member
3	Dr. B. K. Sinha	Member
4	Shri P. J. Thomas	Member

During the year, the Audit Committee met 13 times on the following dates:

28.05.2020	10.08.2020	25.11.2020	08.02.2021	31.03.2021
17.06.2020	23.09.2020	09.12.2020	18.03.2021	
29.06.2020	05.11.2020	10.12.2020	23.03.2021	

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period on the Audit Committee (From – To)
Smt. Mini Ipe	4	4	07.02.2021-31.03.2021
Shri Alok Srivastava	13 (8 as Member and 5 as Invitee)	13	01.04.2020–31.03.2021
Dr. B.K. Sinha	8	13	01.04.2020-31.03.2021
Shri P. J. Thomas	8	8	28.09.2020-31.03.2021
Prof. (Dr.) Atmanand	9	9	01.04.2020–26.12.2020
Shri B.S. Shekhawat	5	5	01.04.2020-08.10.2020
Shri Thomas Mathew	4	5	01.04.2020-28.09.2020
Shri Vivek Wahi (Invitee)	3	3	10.03.2021-31.03.2021
Shri Rajeev Puri (Invitee)	3	3	10.03.2021-31.03.2021

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board and placed before the Board of Directors for approval.

iv) Risk Management Committee

Risk Management Committee was constituted by the Board vide Reserve Bank of India circular DBOD NO.DP(SC) BC/98/21.04.103/39 dated 7th October, 1999 and vide Board Agenda No. BM/01/2002-03/3.2 of meeting dated 20.04.2002 and based on the suggestions of Dr. Ganguly Group report set up by the Reserve Bank of India.

The objective of Risk Management Committee :-

- The Committee will take both long term and short term view of the risks faced by the Bank.
- Keeping the long term interest and implications in mind, it will articulate and proactively update the risk philosophy of the Bank.
- From a more operational perspective, it will review the risk profile of the Bank and issue instructions/guidelines to the appropriate entities to better manage the risk.
- The Committee would be apex committee for convergence of various risk management efforts and policy guidelines. It would facilitate providing board direction on articulating the risk management philosophy of the Bank and also the risk profile of the Bank und providing guidelines. It would take a integrated view of risk the Bank is willing to take and provide broad directions for indicating the risk appetite for the Bank.
- It would also review the credit risk management policies to ensure that they are compatible with the risk philosophies and risk preferences. It would also create and build organisational wide awareness and appreciation of risk management policies. It would be reviewing periodically the policies and guiding principles for managing the Bank's operational risk. Also the Committee would review periodically information to monitor the compliance with the policies,
- Creating awareness and appreciation of ALM issues throughout the Bank. Using appropriate guidelines in the areas of Balance Sheet structure, funding structure pricing and corporate planning so as to maintain the Bank's desired risk preferences and Balance Sheet profile.
- Reviewing periodically the instructional mechanism that is put in place for ending the functions of risk management and based supervision.
- The Committee will devise the policy and strategy for integrated risk management containing various exposure of the Bank including credit risk.

The Committee met 5 times during the year on the following dates:

20.05.2020	02.09.2020	29.09.2020	23.12.2020	26.03.2021

Composition of the Risk Management Committee as on 31.03.2021 was as under:

1.	Shri Tapan Ray	Chairman
2.	Shri M. V. Rao	Member
3.	Shri Alok Srivastava	Member
4.	Shri Vivek Wahi	Member
5.	Shri Rajeev Puri	Member
6.	Dr. Bhushan Kumar Sinha	Member
7.	Smt. Mini Ipe	Member

The attendance recorded of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Tapan Ray	5	5	01.04.2020-31.03.2021
Shri M. V. Rao	1	1	01.03.2021-31.03.2021
Shri Pallav Mohapatra	4	4	01.04.2020-28.02.2021
Shri Alok Srivastava	5	5	01.04.2020-31.03.2021
Shri Vivek Wahi	1	1	10.03.2021-31.03.2021
Shri Rajeev Puri	1	1	10.03.2021-31.03.2021
Dr. B.K. Sinha	4	5	01.04.2020-31.03.2021
Smt. Mini Ipe	1	5	01.04.2020-31.03.2021
Shri B. S. Shekhawat	3	3	01.04.2020-08.10.2020
Prof. (Dr.) Atmanand	4	4	01.04.2020–26.12.2020

v) The Special Committee of the Board For Monitoring of Large Value Frauds

The Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds was constituted vide Reserve Bank of India circular RBI 2004.15 DBS.FGV No. 1004/23.04.01A/2003-04 dated January 14, 2004 for monitoring and follow up of cases of frauds involving amount of ₹ 1 crore and above exclusively, while Audit Committee may continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the committee is to monitor and review all the frauds of ₹ 1 crore and above so as to-

(1) Identify the systemic lacunae, if any, that facilitated perpetuation of the fraud and put in place measures to plug the same.

(2) Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to Top Management of the Bank and RBI.

(3) Monitor progress of CBI/Police Investigation, and recovery position and

(4) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds und staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.

(5) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of fraud such as strengthening of internal control.

(6) Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

22.06.2020	02.09.2020	23.12.2020	26.03.2021

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Tapan Ray	4	4	01.04.2020-31.03.2021
Shri M. V. Rao	1	1	01.03.2021-31.03.2021
Shri Pallav Mohapatra	3	3	01.04.2020-28.02.2021
Shri Alok Srivastava	4	4	01.04.2020-31.03.2021
Shri Vivek Wahi	1	1	10.03.2021-31.03.2021
Shri Rajeev Puri	1	1	10.03.2021-31.03.2021
Dr. B.K. Sinha	3	4	01.04.2020-31.03.2021
Shri B. S. Shekhawat	2	2	01.04.2020-08.10.2020
Prof. (Dr.) Atmanand	3	3	01.04.2020–26.12.2020

vi) Customer Service Committee of the Board

Customer Service Committee of the Board was constituted as per the advice of the RBI letter dated August 14, 2004 read with Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services set up by Reserve Bank of India under the Chairmanship of Dr. S. S. Tarapore with a view to support broad based improvement in customer services in relation to various banking services.

Role of the Committee:

i) To bring about ongoing improvements in the quality of customer service provided by the Bank.

ii) Ensure the compliance with the recommendations of the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services in Banks.

iii) Initiate innovative measures for enhancing the quality of customer service und improving the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all levels.

The Committee met 5 times during the year on the following dates:

11.05.2020	17.06.2020	11.09.2020	30.12.2020	23.03.2021

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	1	1	01.03.2021-31.03.2021
Shri Pallav Mohapatra	4	4	01.04.2020-28.02.2021
Shri Alok Srivastava	5	5	01.04.2020-31.03.2021
Shri Vivek Wahi	1	1	10.03.2021-31.03.2021
Shri Rajeev Puri	1	1	10.03.2021-31.03.2021
Shri B. S. Shekhawat	3	3	01.04.2020-08.10.2020
Prof. (Dr.) Atmanand	3	3	01.04.2020–26.12.2020
Smt. Mini Ipe	3	5	01.04.2020-31.03.2021

vii) IT Strategy Committee of the Board

As part of IT Governance, RBI directed that the Banks need to formulate a Board approved IT Strategy/plan document and also ensure creation of an exclusive Board Strategy Committee with a minimum of two Directors as members,

one whom should be an independent Director. All members of the IT Strategy Committee would need to be technically competent while at least one member would need to have substantial expertise in managing guiding technology initiates. The scope of the Committee was later on broad based by the Board of Directors.

Roles & objectives

i) Approving IT strategy and policy documents.

ii) Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.

iii) Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.

iv) Ensuring that the organizational structure complements the business model and its direction.

v) Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.

vi) Ensuring Investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable.

vii) Monitoring the method that management use to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high-level direction for sourcing and use of IT resources.

viii) Ensuring proper balance of IT investments for sustaining Bank's growth.

ix) Becoming aware about exposure towards IT risks and controls and evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risks.

x) Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies Issuing high-level policy guidance (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks).

xi) Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive the maximum business value from IT.

xii) Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks.

xiii) Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value).

The Committee met 5 times during the year on the following dates:

17.06.2020	20.07.2020	08.10.2020	10.12.2020	06.02.2021

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Pallav Mohapatra	5	5	01.04.2020-28.02.2021
Shri Alok Srivastava	5	5	01.04.2020-31.03.2021
Dr. B.K. Sinha	1	5	01.04.2020-31.03.2021
Shri B. S. Shekhawat	2	3	01.04.2020-08.10.2020
Prof. (Dr.) Atmanand	4	4	01.04.2020–26.12.2020
Smt. Mini Ipe	2	5	01.04.2020-31.03.2021
Prof. N. Balakrishnan (Invitee)	5	5	01.04.2020-31.03.2021

viii) Stakeholders' Relationship Committee

In compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreements entered into with stock exchanges, the Bank is having Stakeholders' Relationship Committee to specifically look into the mechanism of redressal of grievances of the shareholders, debenture holders and other security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the

relevant information. The Committee comprises of Chairman, Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and two Independent Directors. Shri Tapan Ray, Non-Executive Chairman was the Chairperson of Stakeholders' Relationship Committee (SRC).

The Committee met 4 times during the year 2020-21 on the following dates:

22.06.2020	27.07.2020	26.10.2020	19.01.2021

The attendance record of the members is shown below:

Name of Directors	Attendance Record	Meetings held during their tenure	Period on the Committee (From - To)
Shri Tapan Ray	4	4	01.04.2020-31.03.2021
Shri Pallav Mohapatra	4	4	01.04.2020-28.02.2021
Shri Alok Srivastava	4	4	01.04.2020-31.03.2021
Shri B.S. Shekhawat	2	2	01.04.2020-08.10.2020
Prof. (Dr.) Atmanand	3	3	01.04.2020-26.12.2020
Smt. Mini Ipe	1	3	01.04.2020-26.10.2020

The details of Investor Grievances for the year 2020-21 (from 01.04.2020 to 31.03.2021) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	Nil
2	Letters for Non Receipt of Share Certificate(s)/Non receipt of shares	Nil
3	Non Receipt of Dividend Warrants	Nil
4	Non Receipt of Annual Report/EGM Notice	Nil
5	Non Receipt of Refund Order	Nil
6	Non Receipt of Rejected DRF's	Nil
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	2
8	Total Grievances received	2
9	Total Grievances attended/resolved	2
10	Total complaints pending at the end of the year	Nil

We confirm that no investors' complaints remained un-attended/pending for more than 30 days

ix) Nomination and Remuneration Committee

In terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (DFS) communication no. F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019 on PSB Governance Reforms on strengthening the Board committee system read with Reserve Bank of India letter No. RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR.Appt. No.9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019, Bank on 30.09.2019 constituted a Nomination and Remuneration Committee by merging Nomination Committee and Remuneration Committee, consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors, out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Undertakings) Act, 1970 and to consider performance linked incentive to whole time directors. Nomination and Remuneration Committee was comprised of Smt. Mini Ipe, chairperson, Shri Tapan Ray and Prof. (Dr.) Atmanand, as members. However on 31.03.2021, one position of the member was vacant consequent upon completion of tenure. During the year, no meeting of Nomination and Remuneration Committee was held.

x) Vigilance Committee of the Board

The Bank is having Vigilance Committee to review vigilance disciplinary cases and departmental queries to be met on a quarterly basis. The Committee consists of Managing Director & Chief Executive Officer as Chairman of the Committee and Nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India as members of the committee.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

28.05.2020	17.09.2020	25.11.2020	24.02.2021

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Pallav Mohapatra	4	4	01.04.2020-28.02.2021
Shri B K Sinha	4	4	01.04.2020-31.03.2021
Shri Thomas Mathew	2	2	01.04.2020-28.09.2020
Shri P J Thomas	2	2	28.09.2020-31.03.2021

xi) HR Committee of the Board

HR Committee of the Board was constituted on 30.10.2013 vide Communication F.No.9/18/2009-IR dated March 2012 of the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India to consider various HR related issues.

Scope of the Committee

Scope of the Committee will include the following areas:

1. Five year Manpower Planning & its Annual Review.
2. Quarterly Review of the key critical and leadership positions for Succession Planning.
3. Quarterly monitoring exercise of grooming identified potential successors through variety of mechanisms to prepare them for the identified potential successors through variety of mechanisms to prepare them for the identified key critical positions.
4. Any other HR issue which is considered critical and crucial, not being HR Policies, individual issues or bilateral issues relating to Award Staff involving Settlements under Industrial Disputes Act, 1947 with Majority Union with Award Staff, Policy issues relating to Officers which are bilateral etc. thereby required to be referred to the Committee.

The Committee met 5 times during the year on the following dates:

20.05.2020	27.07.2020	07.08.2020	26.10.2020	17.02.2021

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Tapan Ray	5	5	01.04.2020-31.03.2021
Shri Pallav Mohapatra	5	5	01.04.2020-28.02.2021
Shri Alok Srivastava	5	5	01.04.2020-31.03.2021
Dr. B.K. Sinha	5	5	01.04.2020-31.03.2021
Shri B. S. Shekhawat	3	3	01.04.2020-08.10.2020
Prof. C. P. Shrimali (Invitee)	5	5	01.04.2020-31.03.2021
Shri S. Sengupta (Invitee)	5	5	01.04.2020-31.03.2021

xii) COMMITTEE OF THE BOARD FOR MONITORING OF RECOVERY

Committee of the board for monitoring of recovery was constituted as a sub-committee of the Board to monitor stressed assets of the Bank and recovery in NPA accounts.

Roles & objectives

1. To monitor the progress in Recovery on regular basis examine all possible options of Recovery and implement the same.
2. To analyze the position of Special Mention Accounts and to chalk out strategy to arrest slippage.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

28.05.2020	11.09.2020	25.11.2020	23.03.2021

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri M. V. Rao	1	1	01.03.2021-31.03.2021
Shri Pallav Mohapatra	3	3	01.04.2020-28.02.2021
Shri Alok Srivastava	4	4	01.04.2020-31.03.2021
Shri Vivek Wahi	1	1	10.03.2021-31.03.2021
Shri Rajeev Puri	1	1	10.03.2021-31.03.2021
Dr. B. K. Sinha	0	4	01.04.2020-31.03.2021
Shri B. S. Shekhawat	2	2	01.04.2020-08.10.2020
Prof. (Dr.) Atmanand	3	3	01.04.2020–26.12.2020
Smt. Mini Ipe	1	4	01.04.2020-31.03.2021

xiii) CAPITAL RAISING COMMITTEE

Bank is having Capital Raising Committee of the Board to decide and raise both Tier 1 and Tier 2 capital for the Bank and takes all operative steps in connection therewith.

The Committee met 4 times during the year on the following dates:

22.09.2020	25.09.2020	28.09.2020	11.12.2020

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Pallav Mohapatra	04	04	01.04.2020-28.02.2021
Shri Alok Srivastava	04	04	01.04.2020-31.03.2021
Shri B. S. Shekhawat	03	03	01.04.2020-08.10.2020

xiv) REVIEW COMMITTEE FOR DECLARING OF NON CO-OPERATIVE BORROWER

In terms of the RBI Circular no RBI/2014-15/362 DBR NO.CID BC 54/ 20.16.064/2014-15 dated December 22, 2014. Review Committee for Declaring of Non Co-operative Borrower was constituted. The Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer as Chairman of the Committee and two independent Directors Members.

The Role of the Committee is to review the order of the Internal Committee headed by an Executive Director and consisting of General Managers-Credit Monitoring and Recovery as Members for classification of an account as Non-Cooperative Borrower or not as per RBI Guidelines. During the year, no meeting of the Committee was held.

xv) COMMITTEE TO REVIEW THE ORDER OF COMMITTEE FOR IDENTIFICATION OF WILFUL DEFAULTERS

In terms of the RBI Notification RBI/2015-16/100 dated July 1, 2015, Review Committee for Identification of Wilful Defaulters was constituted. The Committee comprises of Managing Director and Chief Executive Officer as Chairman of the Committee and two Independent Directors as Members. The Role of the Committees to review the order of the Internal Committee headed by an Executive Director and consisting of General Managers-Credit Credit Monitoring and Recovery as Members for identification of wilful Defaulters.

The Committee met 3 times during the year on the following dates:

20.07.2020	07.09.2020	08.12.2020

The attendance record of the members is shown below:

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Pallav Mohapatra	03	03	01.04.2020-28.02.2021
Prof. Atmanand	03	03	01.04.2020–26.12.2020
Smt. Mini Ipe	03	03	01.04.2020-31.03.2021

xvi) PERFORMANCE EVALUATION COMMITTEE OF THE BOARD

Performance Evaluation Committee was constituted to undertake performance evaluation of Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director & General Managers in-charge of Internal control functions. During the year, the committee comprised of Chairman of the Bank as Chairman of the committee, and Government of India Nominee Director and Shareholder Director as members of the committee. During the Financial Year 2020-21, the committee met once on 20.05.2020.

Name of the Director	Attendance Recorded	Meetings held during their tenure	Period (From - To)
Shri Tapan Ray	1	1	01.04.2020-31.03.2021
Dr. B.K. Sinha	1	1	01.04.2020-31.03.2021
Smt. Mini Ipe	1	1	01.04.2020-31.03.2021

In terms of communication F. No. 6/20/2019-BO.I dated 30th August, 2019 the Board of Directors conducted performance evaluation of non-official directors upon completion of every period of one year. Performance evaluation of non-official directors namely – Shri Tapan Ray, Non-Executive Chairman and Prof. (Dr.) Atmanand was conducted by the Board of Directors in their meetings held on 22.06.2020 and 19.01.2021, respectively.

Board applauded performances of both non-official directors and was of unanimous opinion that they always observed professional and ethical conduct and maintained highest standards at all times. Board was also of the unanimous opinion that the contribution of both non-official directors has been commendable and the Board got benefitted by their rich experiences. The Board placed on record the valuable contribution made by them towards the overall improvement in performance, governance, risk management, human resources, information technology, investor relations, etc. of the Bank.

Following are the criteria of performance evaluation of non-official directors:-

i) Professional and ethical conduct

   a. Acting in accordance with provisions of law, rules and regulations

   b. Acting in the best interest of the Bank

   c. Exercise of due and reasonable care, skill, diligence and independent judgement

   d. Avoidance of direct or indirect conflicts of interest

   e. Avoidance of undue gain or advantage either to self or relative, partners or associates

   f. Maintaining confidentiality of information, including commercial secrets and unpublished market sensitive information

ii) Contributions to the Bank

   a. Striving to attend all Board and committee meetings

   b. Seeking appropriate clarification or amplification of information where necessary

   c. Display of requisite knowledge and expected level of awareness of the bank and external environment in meetings and comments

d. Contribution in terms of constructive ideas, guidance and knowledge for better decision making and management of bank's affairs

e. Timeline of feedback on decision being taken by the Bank

3. **REMUNERATION OF DIRECTORS**

- The Non Official (Independent) Directors / Non-Executive Directors were paid sitting fees of ₹ 40,000 for attending every meeting of the Board of Directors and ₹ 20,000 for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board. Sitting fees is not being paid to the Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India/ Reserve Bank of India. For Chairing the meetings of Board of Directors and Committees thereof, an additional sitting fee of ₹ 10,000 and ₹ 5,000 respectively were paid.

- During the year under review, the Bank has paid ₹ 15,80,000/- (Rupees Fifteen Lakh Eighty Thousand only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and ₹ 26,05,000/- (Rupees Twenty Six Lakh Five Thousand only) towards attending meetings of the Sub-Committee of the Board.

  Details of sitting fee paid during the Year 2020-21 are as under:

Directors	Sitting Fees paid for FY 2020-21 (Amount in ₹)
Smt. Mini Ipe (Sitting fees was paid to LIC of India on advise of the Director)	9,85,000
Shri Tapan Ray	12,75,000
Prof. (Dr.) Atmanand*	11,45,000
Shri P. J. Thomas	7,80,000

  * ceased during the year on completion of tenor

  Besides this during the financial year, sitting fees of ₹ 1,00,000/- each were paid to Shri C. P. Shrimali and Shri S. Sengupta for attending the meetings of HR Committee of Board and to Prof. N. Balakrishnan for attending meetings of IT Strategy Committee of the Board.

- During the financial year 2020-21, the following amounts have been paid to the Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors as total salary, allowances and perks:

  Details of sitting fee paid during the Year 2020-21 are as under:

Sr.	Name	Rupees in lakh
1.	Shri M V Rao (w.e.f. 01.03.2021), Managing Director & CEO	2.40
2.	Shri Pallav Mohapatra (upto 28.02.2021), Managing Director & CEO	94.44
3.	Shri B.S.Shekhawat (upto 08.10.2020), Executive Director	129.57
4.	Shri Alok Srivastava, Executive Director	26.55
5.	Shri Vivek Wahi (w.e.f. 10.03.2021), Executive Director	1.47
6.	Shri Rajeev Puri (w.e.f. 10.03.2021), Executive Director	1.47
	Total	**255.90**

4. **Compliance Officer**

Shri Anand Kumar Das, Deputy General Manager/Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank in terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Equity Shares and Non-convertible Debt Securities issued by the Bank and listed at Stock Exchanges.

5. **Secretarial Audit**

Bank has appointed M/s. R.S. Padia & Associates, Company Secretaries for Annual Secretarial Audit Report and Annual Secretarial Compliance Report for the year ended 31.03.2021. Annual Secretarial Audit Report has been annexed herewith.

6. **Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc during the financial year 2020-21**

Bank raised ₹ 255.00 crore equity capital on 28.09.2020 under QIP. Bank also received ₹ 4800.00 crore from Central

Government towards preferential allotment of equity shares on 31.03.2021. The said funds were kept in Share Application Money account on 31.03.2021. The resultant 280,53,76,972 equity shares of face value of ₹ 10 each has issued and allotted to President of India (Government of India) at an issue price of ₹ 17.11 per equity share including premium of ₹ 7.11 per equity share on preferential basis on 29.05.2021.

The funds are raised with the primary objective of augmenting and strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.

7. Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi and Marathi newspapers, such as, Business Standard, Financial Express, Tarun Bharat, Jansatta, Loksatta etc. The results alongwith presentation to analysts and press release on financial performance were also uploaded on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

8. Code of Conduct

- The Bank has adopted a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management has been approved by the Board of Directors. Text of the same is available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations". All the Directors and Senior Management have affirmed their Compliance of code of conduct during the year under review and a certificate affirming the compliance is given in Annexure I.
- The Bank has also framed a Code of Conduct for its Directors and designated employees for prevention of insider trading in Bank's security, copy of the same is also available on website of the Bank i.e. www.centralbankofindia.co.in under the link "Investor Relations".

9. Other Disclosures

- Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the year.
- It is an established practice in the Bank that the Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed. During the year, there was no materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- The Bank has complied with applicable rules and regulations prescribed by RBI, SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authority relating to Capital Market. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any statutory Authority on any matter relating to capital markets during the last 3 years.
- The Bank has not traded in commodities during the F.Y. 2020-21 and hence the information on "Commodity price risks and commodity hedging activities" is NIL.
- Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has a web based portal in the name of "Cent e-Whistleblower" to facilitate reporting of malpractices by Employees and Directors without revealing their identities, which would be known to the General Manager – Central Audit and Inspection. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee of the Board directly. This may help to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees. No personnel has been denied access to the audit committee.
- The Bank has complied with the stipulated requirement of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Listing Agreement to the extent that the requirements of these regulations and agreements do not violate the provision of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.
- Outstanding Global Depository Receipts or American Depository Receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity - NIL.
- Where the Board had not accepted any recommendation of any committee of the Board which is mandatorily

required in the FY2020-21 – Nil

- We confirm the compliances of the requirement of Corporate Governance Report of sub-paras (2) to (10) of Schedule V of SEBI Listing Regulations.
- None of the directors is having any relationship with any other existing directors of the bank.
- In opinion of the Board of Directors, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and are independent of the management.
- Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) – The funds are raised with the primary objective of augmenting and strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose.
- Policy for determining 'material' subsidiaries is available on website of the Bank at https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/PolicyonSubsidiary.pdf.
- Policy on dealing with related party transactions is available on website of the Bank at https://www.centralbankofindia.co.in/sites/default/files/documents/PolicyonRelatedPartyTransactions.pdf.
- During the Financial Year 2020-21 total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part,was ₹ 28.44 crore (excluding GST).
- Details of familiarization programs imparted to independent directors is uploaded on Bank's website under tab of Details of "Familiarization Programmes imparted to Directors" under the link https://www.centralbankofindia.co.in/en/node/1753.
- Certificate from a company secretary in practice has been obtained that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.
- List of all credit ratings obtained by the Bank along with any revisions thereto during the relevant financial year i.e. 2020-21, for all debt instruments of Bank or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the Bank involving mobilization of funds, whether in India or abroad :-

Rating Agency	**Lower Tier II**	**IPDI**	**BASEL III COMPLIANT Tier II Bonds**
CRISIL	CRISIL A+/Stable (Reaffirmed)	CRISIL A/Stable (Reaffirmed)	CRISIL A+/Stable (Reaffirmed)
ICRA	ICRA A+/Negative (Reaffirmed)	N.A.	ICRA]A+(hyb)/Negative (Reaffirmed)
BRICKWORK	N.A.	"BWR A" /Stable (Reaffirmed)	BWR A+/Stable (Reaffirmed)
INDIA RATINGS	N.A.	N.A.	IND AA-/Stable (Reaffirmed)
ACUITE RATINGS	N.A.	N.A.	ACUITE AA-" /Stable (Issued on 18.02.2021)

- The Bank has complied with the Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C, D and E of Schedule V to the extent that the requirements of the Clause do not violate the provisions of Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and guidelines, provisions, regulations or directives issued by Reserve Bank of India.
- Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013: Position for the year 2020-2021

No. of complaints pending at the beginning of the year	1
No. of complaints received during the year	3

Total No. of cases	4
No. of complaints disposed of during the year	2
No. of cases pending at the end of the year	2

10. Discretionary Requirements (Part E of Schedule II of SEBI Listing Regulations)

Sr. No.	Non-mandatory	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at entity's expense.	Yes, implemented
2.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	The Bank has sent financial results for the half year ended 30.09.2020 and the financial year ended 31.03.2021 to Stock Exchanges & published in Newspapers. Besides this, the financial results were also posted on Bank's website i.e. www.centralbankofindia.co.in Also Financial results for the year ended 31.03.2021 was also emailed to shareholders.
3.	Company may move towards regime of unqualified financial statements	The Bank is having unqualified financial statements
4.	Reporting of Internal Auditor	Internal Auditor is accountable to the Audit Committee of the Board.

11. General Shareholder Information

14th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Tuesday, 10th August, 2021 at 11:00 AM at head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM).

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2020-21.
2. Date of Book Closure: 07th August, 2021 to 10th August, 2021 (Both days inclusive).
3. No dividend was recommended for the financial year 2020-21.

12. Details of General Body Meetings held during the last three years are given herein below:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
1.	Thirteenth Annual General Meeting	7th August, 2020 11:00 AM	Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 (deemed venue of the meeting) through Video Conference(VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)	1. Approved and adopted the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2020, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2020, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2. Approved raising of Capital of ₹ 5000 crore through FPO/Rights Issue/QIP etc. – Special Resolution
2.	Extra-ordinary General Meeting	26th November, 2019 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021	Issue of 158,38,45,063 Equity Shares of face value of ₹ 10 at an issue price of ₹ 21.17 aggregating ₹ 3353 crore on Preferential Basis to President of India (Government of India) – Special Resolution

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Business Performed
3.	Twelfth Annual General Meeting	28th June, 2019 12:00 Noon	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021	1. Approved and adopted the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2019, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2019, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2. Approved raising of Capital of ₹ 5000 crore through FPO/Rights Issue/QIP etc. – Special Resolution
4.	Extra-ordinary General Meeting	28th March, 2019 11.00 A.M	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021	Issue of 68,72,48,322 Equity Shares of face value of ₹ 10 at an issue price of ₹ 37.25 aggregating ₹ 2560 crore on Preferential Basis to President of India (Government of India) – Special Resolution
5.	Extra-ordinary General Meeting	28th February, 2019 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021	1. Issue of 38,74,39,390 Equity Shares of face value of ₹ 10 at an issue price of ₹ 43.31 aggregating ₹1678 crore on Preferential Basis to President of India (Government of India) – Special Resolution 2. Issue of 10,00,00,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 to Employees and Whole Time Directors of the Bank – Special Resolution
6.	Extra-ordinary General Meeting	13th November, 2018 11.00 A.M.	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021	1. Issue of 35,43,57,970 Equity Shares of face value of ₹ 10 at an issue price of ₹ 66.43 aggregating ₹ 2354 crore on Preferential Basis to President of India (Government of India) – Special Resolution
7.	Eleventh Annual General Meeting	30th June, 2018 11:00 AM	9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021	1. Approved and adopted the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2018, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. 2. Approved raising of Capital of ₹ 8000 crore through FPO/Rights Issue/QIP etc. – Special Resolution

No special resolution was passed in last year through postal ballot and no special resolution is proposed to be conducted through postal ballet.

13. Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

BSE Ltd. (BSE) Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) "Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra,(East), Mumbai - 400 051	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2021-22 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Tier-II Bonds - Capital position as on 31.03.2021

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crore)	ISIN
Lower Tier II-Series XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
Basel III Complaint Sr I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
Basel III Complaint Sr II	07.03.2017	500.00	INE483A09278
Basel III Complaint Sr III	29.03.2019	500.00	INE483A09286
Basel III Complaint Sr IV	30.09.2019	500.00	INE483A08023
Basel III Complaint Sr V	20.03.2020	500.00	INE483A08031
Total		**3500.00**	

All these bonds are listed on BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2021-22 to the Exchange.

Market Price Data:

The monthly high and low quotation and the volume of shares traded on NSE (with comparison of share price of Bank with NSE Nifty) are as under:

NSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	NSE Nifty	
				High	Low
April 2020	18.50	12.00	22767590	9889.05	8055.80
May 2020	15.65	13.00	11763817	9598.85	8806.75
June 2020	21.60	13.55	75015398	10553.15	9544.35
July 2020	19.90	16.05	48802206	11341.40	10299.60
August 2020	19.00	17.15	33877800	11794.25	10882.25
September 2020	17.85	14.20	35346662	11618.10	10790.20
October 2020	14.65	10.10	97932758	12025.45	11347.05
November 2020	12.90	10.85	83738765	13145.85	11557.40
December 2020	16.95	12.20	204710370	14024.85	12962.80
January 2021	14.75	12.50	111349139	14753.55	13596.75
February 2021	26.40	13.65	942609219	15431.75	13661.75
March 2021	20.00	15.80	251634998	15336.30	14264.40

The monthly high and low quotation and the no. of shares traded on BSE (with comparison of share price of Bank with Sensex) are as under:

BSE					
Month	High Price (₹)	Low Price (₹)	No. of Shares	SENSEX	
				High	Low
April 2020	18.70	12.01	1647237	33887.25	27500.79
May 2020	15.70	13.00	599313	32845.48	29968.45
June 2020	21.60	13.55	5880773	35706.55	32348.10
July 2020	19.70	15.90	5626462	38617.03	34927.20
August 2020	19.00	17.10	3662164	40010.17	36911.23
September 2020	17.80	14.25	319357	39359.51	36495.98
October 2020	14.66	10.04	18404751	41048.05	38410.20
November 2020	12.90	10.87	18967485	44825.37	39334.92
December 2020	16.96	12.21	40101072	47896.97	44118.10
January 2021	14.70	12.48	16167908	50184.01	46160.46
February 2021	26.40	13.55	114583680	52516.76	46433.65
March 2021	20.00	15.80	37689782	51821.84	48236.35

14. Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/ complaints/ grievances, shareholders/ investors are requested to contact the Registrar at the following address:

Registrar and Transfer Agent for Equity Shares:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-101, 247 Park,
LBS Marg, Vikhroli (West),
Mumbai – 400 083
Tel: 022-4918 6270
Fax: 022-4918 6060
Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Registrar and Transfer Agent for listed non-convertible debt securities:

MCS Share Transfer Agent Limited,
201, D-Wing, 2nd Floor, Gokul Industrial Estate,
Sagbaug, Marol Co-op Industrial Area, Behind Times Square,
Andheri (E), Mumbai - 400059
Tel: 022-28516020/023
Fax: 022-28516021
Email Id: helpdeskmum@mcsregistrars.com

Debenture Trustee for listed non-convertible debt securities:

IDBI Trusteeship Services Limited
Asian Building, Ground Floor, 17,
R. Khemani Marg, Ballard Estate,
Mumbai – 400 001
Tel : 022-4080 7000
Fax :022-66311776
E-mail ID :itsl@idbitrustee.com

Address for correspondence with the Bank:

DGM / Company Secretary and Compliance officer
Central Bank of India,
9th Floor, Chandermukhi,
Nariman Point, Mumbai 400 021
Contact No. 022- 6638 7575/7818
Fax No.: 022- 2283 5198
Email id: dgmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in

15. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

i) Distribution of shareholdings as on 31.03.2021(Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.)

DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING (SHARES)				
Shareholding of Shares	Number of shareholders	Percentage of Total	Shares	Percentage of Total
1-500	251732	74.5212	35828136	0.6098
501-1000	35945	10.6409	30921173	0.5263
1001-2000	19782	5.8561	31590627	0.5377
2001-3000	8749	2.5900	23349374	0.3974
3001-4000	4259	1.2608	15447531	0.2629
4001-5000	5106	1.5115	24791121	0.4219
5001-10000	8781	2.5995	63047309	1.0730
10001 and above	3445	1.0198	5650587189	96.1710
Total	**337799**	**100.0000**	**5875562460**	**100.0000**

ii) Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 1% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Life Insurance Corporation of India	227021558	3.8638

iii) Share Holding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 5% of the total number of shares

STATEMENT SHOWING SHAREHOLDING OF PERSONS BELONGING TO THE CATEGORY "PUBLIC" AND HOLDING MORE THAN 5% OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES		
Name of the Shareholder	No. of Shares	%
Nil	Nil	Nil

iv) Shareholding pattern as on 31.03.2021

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2021						
Category of Shareholders	No. of Shares		No. of Shareholders		Total Shares	% of holding
	Demat	Physical	Demat	Physical		
Central Government (President of India)	5275014715	0	1	0	5275014715	89.7789
Clearing Member	7009743	0	274	0	7009743	0.1193
Other Bodies Corporate	17293825	90	650	1	17293915	0.2943
Financial Institutions	227021558	0	1	0	227021558	3.8638
Foreign Inst. Investors	236758	0	1	0	236758	0.0040
Government Companies	700	0	1	0	700	0.0000
Hindu Undivided Family	6936548	0	4795	0	6936548	0.1181
Mutual Funds	3736955	0	6	0	3736955	0.0636
Nationalized Banks	32876	0	2	0	32876	0.0006

SHAREHOLDING PATTERN AS ON 31.03.2021						
Category of Shareholders	**No. of Shares**		**No. of Shareholders**		**Total Shares**	**% of holding**
	Demat	**Physical**	**Demat**	**Physical**		
Non Nationalized Banks	29051	0	3	0	29051	0.0005
Non Resident Indians (Repatriable)	2751450	121600	1081	1	2873050	0.0489
Non Resident Indians (Non Repatriable)	1160628	0	620	0	1160628	0.0198
Public	311659595	5075	330242	90	311664670	5.3044
Trusts	102232	0	12	0	102232	0.0017
G I C & Its Subsidiaries	6531875	0	4	0	6531875	0.1112
Insurance Companies	12525659	0	1	0	12525659	0.2132
Foreign Portfolio Investor (Corporate)	3331793	0	10	0	3331793	0.0567
NBFCs registered with RBI	6464	0	2	0	6464	0.0001
Trust(Employees)	53270	0	1	0	53270	0.0009
Total	**5875435695**	**126765**	**337707**	**92**	**5875562460**	**100**

v) Statement showing details of locked-in shares

Sr. No.	Name of the Shareholder	Number of locked-in shares	Locked-in shares as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C)
1.	President Of India	3663297044	69.4462
2.	Public	0	0
	Total	**3663297044**	**69.4462**

vi) Statement showing details of Depository Receipts (DRs)

Sr. No.	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of outstanding DRs	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C)
	NIL	NIL	NIL	NIL

vii) Statement showing holding of Depository Receipts (DRs) where underlying shares are in excess of 1% of the total number of shares.

Sr. No.	Name of the DR holder	Type of outstanding DR (ADRs, GDRs, SDRs, etc)	Number of shares underlying outstanding DRs	Shares underlying outstanding DRs as a percentage of total number of shares (i.e. Grand Total of (A) + (B) + (C)
	NIL	NIL	NIL	NIL

viii) Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders(Based on DP ID/Client ID and Folio Nos.) as on 31.03.2021 are as under:

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	92	126765	0.0022
NSDL	126306	395329499	6.7284
CDSL	211401	5480106196	93.2694
Total	**337799**	**5875562460**	**100.0000**

ix) Dematerialization of physical holdings – a special request

We request the shareholders to demat their physical holding. For dematerialization, shareholders may contact their respective Depository Participants, where they maintain demat accounts. Benefits of dematerialization are as follows:

i) Hassle free transfer

ii) No threat of loss of share certificate

iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits

iv) Nomination facility

v) Direct application through ASBA/IPO, etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository Participant to support the green initiatives.

x) Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in "Unclaimed Suspense Account" as on 31st March, 2021 are as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	233	32,853
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	NIL	NIL
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	233	32,853

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with the Stock Exchange is attached.

ANNEXURE I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members and Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2020-21.

Place : Mumbai

Date : July 15, 2021

Sd/-

[M V Rao]

Managing Director and Chief Executive Officer

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2020-21

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE BANK

1.	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	Not Applicable
2.	Name of the Company	Central Bank of India
3.	Registered address	Chandermukhi Building, Nariman Point, Mumbai – 400 021
4.	Website	www.centralbankofindia.co.in
5.	E-mail id	investors@centralbank.co.in
6.	Financial Year reported	2020-21
7.	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Finance
8.	List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	a) Wholesale Banking b) Retail Banking c) International Banking
9.	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company i. Number of International Locations (Provide details of major 5) ii. Number of National Locations	 i. NIL ii. 15451
10.	Markets served by the Company – Local/State/National/International/	National and International

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE BANK

1.	Paid up Capital (INR)	₹ 5875.56 crore
2.	Total Turnover (INR) (Total Business i.e. Total Deposits + Total Advances)	₹ 506886 crore
2.a	Total Income	₹ 25897 crore
3.	Total profit/loss after taxes (INR)	(₹ 888 crore).
4.	Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	CSR is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large. It is our continuing commitment to donate under CSR through the organization/ Trust working for poor, downtrodden people of society for their upliftment for education, health, natural calamities and overall social welfare of the society CSR Budget for the financial year 2020-21 was NIL as the Bank had incurred loss during the financial year 2019-20.
5.	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-	Not Applicable

SECTION C: OTHER DETAILS

1.	Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	Yes (The Bank has two subsidiaries)
2.	Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	No
3.	Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]	No

SECTION D: BR INFORMATION

1. **Details of Director/Directors responsible for BR**

a) Details of the Director/Director responsible for implementation of the BR policy/policies

S. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	Shri Rajeev Puri
3.	Designation	Executive Director

b) Details of the BR head

S. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	Shri Shishram Tundwal
3.	Designation	Dy. General Manager (Incharge Operations Dept)
4.	Telephone number	022-61648703
5.	e-mail id	gmoper@centralbank.co.in

2. **Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)**

S. No.	Particulars	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	Do you have a policy/policies for principles/s	Yes								
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Yes								
3.	Does the policy conform to any national /international standards? If yes, specify? (50 words)	Yes All the policies being followed by the Bank are in conformity with the guidelines issued by various regulators and statutory bodies such as Reserve Bank of India, Ministry of Finance, Securities & Exchange Board of India, and Constitution of India, various Central and State Acts etc.								
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/owner/CEO/appropriate Board Director?	Yes								
5.	Does the Bank have a specified committee of the Board/ Director/Official to oversee the implementation of the policy?	Yes								
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	www.centralbankofindia.co.in								
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Yes								
8.	Does the Bank have in-house structure to implement the policy/policies.	Yes								
9.	Does the Bank have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Yes								
10.	Has the Bank carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Yes								

NOTE : There are several policies formally put in place by the Bank that govern various functions in the bank directly

or indirectly. However, at the same time, there are various guidelines, issued by the Bank from time to time, that are followed by the branches as well as the policies formally put in place. Similarly Bank also implements the policies framed by regulators, affiliates, associates and other statutes while carrying out banking function.

Under Principle 1, Bank follows primarily CVC guidelines as contained in the Vigilance manual issued by the Central Vigilance Commission (Link: http://cvc.nic.in)

Various activities under Principle 2 are governed by the Bank's Loan Policy which is meant for internal use only and, therefore, cannot be viewed online.

2a. If answer to S. No. 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

S. No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1.	The company has not understood the Principles	**Not Applicable**								
2.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3.	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4.	It is planned to be done within next 6 months									
5.	It is planned to be done within the next 1 year									
6.	Any other reason (please specify)									

3. Governance related to BR

1.	Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year	Annually
2.	Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	It is published annually. The hyperlink for viewing the report is https://www.centralbankofindia.co.in/en/investor-relation.aspx

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1

1.	Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No.	**Yes, it covers the Bank only.** The Bank is committed to the best practices in the area of Corporate Governance in letter and in spirit and believes that good corporate governance is much more than complying with legal and regulatory requirements. Good governance facilitates effective management and enables the Bank to maintain a high level of business ethics and to optimize the value for all its stakeholders. The objectives can be summarized as: a) To protect and enhance shareholder's value. b) To protect the interest of all other stakeholders such as customers, employees, Government and society at large. c) To ensure transparency and integrity in communication and to make available full, accurate and clear information to all concerned. d) To ensure accountability for performance and customer service and to achieve excellence at all levels. e) To provide corporate leadership of highest standard for others to emulate.

	Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/ NGOs /Others?	The Bank has laid down a well-defined Code of Conduct for its Directors and Senior Management. Yes, as per prescribed parameters.
2.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	The number of complaints received from shareholders in the financial year 2020-21 was 02 and all the complaints have been resolved.

Principle 2

1.	List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.	The Bank provides sustainable banking products to cater to different classes of customers through an expansive network of branches, Loan processing centres, ATMs, mobile, phone and internet. Customized products include personal loans, home loans, loans for asset purchases and a wide range of savings products. The Bank also offers a selection of cards for convenience to complement the distinct lifestyle needs of customers. In addition, the Bank's Rural & Inclusive Banking Group focuses on rural and below poverty line customers. **Financial Literacy and Credit Counseling Centre (FLCC)** • We have opened 48 FLCCs in 7 States viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(10), Maharashtra(7), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Rajasthan(3) and Chhattisgarh (2). • All these centres have conducted 41480 outdoor visits to the villages extending literacy/counselling to 542385 persons. Both mass campaigning and individual counselling are being done. • Bank has provided them vehicle fitted with Public Address System and LCD for displaying various products/schemes being launched by banks for bringing awareness among the masses and opportunities to them for availing benefits to uplift their economic status and standard of living. Besides, we provide literacy material, kits, books etc while extending counselling as also visiting villages. **Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)** • Bank has established 46 RSETIs in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1). • During the year 2020-21, the RSETIs conducted 573 training programmes and imparted training to 15343 candidates. Out of this, 12384(i.e. 81%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance. • Credit Linkage of settled candidates achieved 6513 i.e. 43%. • Bank has established one society/Trust in the name of "Central Bank Of India Samajik Utthan Avam Prashikshan Sansthan (CBI-SUAPS)" to control & supervise the operations and functioning of RSETIs and FLCC.

		❖ Bank have formed governing council at apex level with MD & CEO as patron, Executive Director as President and General Managers as members for overall control and supervision of the affairs & functions of RSETIs and FLCCs. ❖ A new simplified credit product named "Cent Saral Business Loan" has been launched for providing micro credit upto ₹ 50,000/- to PMJDY customers.
2.	For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional): i. Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?	**Not Applicable**
3.	Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	**Not Applicable**
4.	Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	**Not Applicable**
5.	Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	**Not Applicable**

Principle 3

1.	Please indicate the Total number of employees.	**32335**
2.	Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/casual basis.	2
3.	Please indicate the Number of permanent women employees.	7744
4.	Please indicate the Number of permanent employees with disabilities	798
5.	Do you have an employee association that is recognized by management?	YES
6.	What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?	87.16%

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

S.No.	**Category**	**No. of complaints filed during the financial year**	**No. of complaints pending as on end of the financial year**
1.	Child labour/forced labour/involuntary labour	None	None
2.	Sexual harassment	3	2
3.	Discriminatory employment	None	None

8.	What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year? • Permanent Employees • Permanent Women Employees • Casual/Temporary/Contractual Employees • Employees with Disabilities	89.66 % of our total staff has been trained in FY 2020-21 at our training colleges/training centers and at External Training Institutes.

Principle 4

1.	Has the Bank mapped its internal and external stakeholders? Yes/No	**YES**
2.	Out of the above, has the Bank identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders.	**YES** The Bank is guided by Reserve Bank of India (RBI) prescribed guidelines on priority sector lending, lending to small and marginal farmers, lending to weaker section etc., and government-led initiatives to improve access to financial services, and insurance and pension cover for reaching out to disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders.
3.	Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	The Bank communicates with the stakeholders through a variety of channels, such as e-mails, website, press release, advertising, meeting etc. Stakeholder engagement is embedded in all areas of the Bank. The Bank seeks feedback through its customer-facing channels, listens to all shareholders' concerns and from its employees through specifically provided channels.

Principle 5

1.	Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors / NGOs / Others?	It covers the Bank only.
2.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	The number of complaints received from shareholders in the financial year 2020-21 was 02 and all the complaints have been resolved.

Principle 6

1.	Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers /Contractors /NGOs/others.	The policy covers Central Bank of India only.
2.	Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.	The Bank is striving to reduce its operational footprints on the environment by adopting clean technology, wherever applicable. Following measures were adopted to reduce consumption of paper. • Holding meetings of Board of Directors and Committees thereof through I-Pad. No physical copies of agendas are circulated to Directors. • Sending communication by e-mail to Zones/Regions. • Promoting use of Debit cards in SB accounts • Promoting use of POS machines • Promoting use of M-Passbooks. • Increasing share of e-transactions.
3.	Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	**YES** The Bank complies with applicable environmental regulations in respect of its premises and operations. The Bank also requires the borrowers of project/infrastructure loans to adhere to all applicable statutory norms including norms relating to environment protection.
4.	Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?	Bank has taken various initiatives for Clean Development Mechanism – Payment to various vendors through E-payment mode (RTGS/ NEFT/NECS or credit to beneficiary account) to save paper consumption.
5.	Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.	Bank has taken number of initiatives for Clean Technology, Energy Efficiency, Renewable Energy etc. Some of them are as under: • Banking operations are being undertaken through State of the Art IT Infrastructure. • While procuring hardware and peripherals, it is ensured that all such items fulfill the globally approved energy norms • Disposal of obsolete hardware is done through e-waste disposal method

		❖ Wherever possible, tender process are being done through e-tender mode to avoid submission of physical documents ❖ To encourage usage of transactions through digital mode, alternate delivery channels are enabled for making payment of Taxes, Utility bills, Fees etc. ❖ Internal communications of the Bank are done through e-mail, wherever possible ❖ Providing Statement of account to customers through mailing system. Mobile application is also made operational for this purpose so that printing of the same can be reduced ❖ Bank has undertaken optimum technology utilization such as server virtualization, backup consolidation etc. thus reducing server footprint, power and cooling requirement.
6.	Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	**Not Applicable**
7.	Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	**Not Applicable**

Principle 7

1.	Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:	**YES** 1) Indian Banks Association (IBA) 2) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) 3) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) 4) National Institute of Bank Management (NIBM) 5) National Payment Corporation of India (NPCI) 6) International Chamber of Commerce (ICC)
2.	Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)	Yes, The Bank has actively participated towards public good.

Principle 8

1.	Does the company have specified programmes / initiatives / projects in pursuit of the policy related to Principle 8 ? If yes details thereof.	Bank has taken several initiatives/programmes/projects in pursuit of the Principle 8, such as Financial inclusion initiatives: **Financial Inclusion:** Bank has implemented Financial Inclusion project to provide banking service in un-banked rural areas with affordable cost to the rural masses and covered them in main economical stream for inclusive growth. Bank has covered 24311 villages through 6,532 BC Agents. Considering the need of the segment, bank has devised special products with low cost premium to cater to the needs of rural masses. Various models have been implemented for providing the banking services in rural and urban areas such as POS based BC model, Kiosk Banking model etc. **Progress so far:** • Business through BC Outlets increased by 30.01%, from ₹ 2088.33 Crores to ₹ 2715.00 Crores. • Total FI Business increased by 23.41%, from ₹ 4015.17 Crores to ₹ 4955.00 Crores. • Percentage of Aadhaar seeding is increased to 83.97% from 82.25 % in PMJDY operative accounts increased to 88.30% from 84.66% in all operative CASA accounts. • No. of BSBD Accounts increased by 9.05%; from 210.08 lacs to 229.10 lakhs. • No. of BC with business more than ₹ 10 lakhs is increased by 12.00 % i.e. from 3242 to 3631. Similarly No. of BC with business more than ₹ 1.00 Crore is increased by 45.12% i.e. from 379 to 550. • Total enrollment under Social Security Scheme during 2020-21 is PMJJBY-17,49,860, PMSBY—51,53,219 and APY—12,32,446. • Out of 9534 death claims, 9086 claims are settled in PMJJBY and out of 2801 death claims, 2253 claims are settled in PMSBY.
2.	Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/ external NGO/government structures/any other organization?	The financial inclusion project have been undertaken through in-house team.
3.	Have you done any impact assessment of your initiative?	Periodic reviews are undertaken on various projects. The Bank's initiatives in the area of rural development, particularly with regard to progress made in providing access to banking and financial services to underprivileged customers are reviewed regularly.

4.	What is your company's direct contribution to community development projects-Amount in INR and the details of the projects undertaken.	CSR is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large. It is our continuing commitment to donate under CSR through the organization/Trust working for poor, downtrodden people of society for their upliftment for education, health, natural calamities and overall social welfare of the society CSR Budget for the financial year 2020-21 was NIL as the Bank had incurred loss during the financial year 2019-20.
5.	Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Community development forms the core for all initiatives undertaken by the Bank. The Bank's initiatives in the area of rural development are focused on providing opportunities to target customers to improve their livelihood.

Principle 9

1.	What percentage of customer complaints/ consumer cases are pending as on the end of financial year.	2.43%
2.	Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. / Remarks(additional information)	Not Applicable
3.	Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	Nil
4.	Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?	Yes.

DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

I. DEFINITIONS :

(a) Dividend: Dividend includes interim dividend. In common parlance, 'Dividend' means the profit of the Bank, which is not retained in the business and is distributed among the shareholders in proportion to the amount paid up on the shares held by them.

(b) CRAR: It is the ratio of the Bank's capital to its risk weighted assets.

(c) Dividend Payout Ratio: 'Dividend payout ratio' is calculated as a percentage of dividend payable in a year' (excluding dividend tax) to 'net profit during the year'.

(d) Board: Board means Board of Directors of the Bank constituted in terms of Section 9 (3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

II. Policy:

(a) The Policy will be called as 'Central Bank of India Dividend Distribution Policy.'

(b) General Principles of the Bank regarding distribution of dividend:

Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standard of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices, and standards of governance are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the Corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value. The dividend for each year would be recommended by the Board at its discretion as per the Policy guidelines, after taking into account the financial performance of the Bank, its future plans, internal and external factors, statutory restrictions, etc., for declaration by the shareholders in General Meeting. The Board may also declare interim dividend at its discretion.

III. Eligibility Criteria for declaration of dividend:

i. Bank will be eligible to declare dividends only when it complies with the following minimum prudential requirements;

The Bank should have :

- CRAR of at least 9% for preceding two completed years and the accounting year for which it proposes to declare dividend
- Net NPA less than 7%.

In case the Bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of at least 9% for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA is less than 5%.

ii. The Bank shall comply with the provisions of Sections 15 (which prohibits payment of dividend until all capitalized expenses have been written off) and Section 17 (which stipulates transfer of specified portion of profit to statutory reserve fund) of the Banking Regulation Act, 1949.

iii. The Bank shall comply with the prevailing regulations / guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets and staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves etc.

iv The proposed dividend should be payable out of the current year's Net Profit.

v. The Reserve Bank of India should not have placed any explicit restrictions on the Bank for declaration of dividends.

IV. Quantum of dividend payable :

A. In terms of Government of India guidelines, the Bank shall pay a minimum dividend of 20% of its equity (i.e. paid up capital) or 20% of its post-tax profits, whichever is higher. In case, Bank decides to pay interim dividend, the total dividend to be paid by the bank based on the annual results should be as per the guidelines.

Further, any relaxation from the provisions of these instructions requires specific prior permission from the Government of India.

B. However in terms of the guidelines prescribed by Reserve Bank of India, the Bank, if it fulfills the eligibility criteria set out at Clause II Point No.3 above, may declare and pay dividends subject to the following:

i. The dividend payout ratio shall not exceed 40% and shall be as per the matrix furnished in Annexure.

ii. In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits/ income, the payout ratio shall be computed after excluding such extraordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.

iii. The financial statements pertaining to the financial year for which the bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.

iv. In case of non payment of interest on Basel-III Compliant bonds or non achievement of the Basel-III CRAR ratios including CCB, RBI puts restrictions on the dividend in their master circular issued for this purpose.

V. Internal and External Factors:

The dividend payout decision of the Bank will also depend on certain external factors such as the state of the economy of the country, statutory and regulatory provisions, tax regulations including the treatment of deferred tax assets etc., as may be applicable at the time of declaration of the dividend.

Apart from the aforesaid external factors, Board will also take into account various internal factors, such as business growth plans, future capital requirements, replacement of capital assets, etc. The decision of the Board regarding dividend shall be final.

VI. Provisions with regard to various classes of shares:

The Bank currently has only one class of shares, namely Equity Shares. In case of issuance of any other class of shares in future, the parameters shall be decided suitably by the Bank at appropriate time. However, Bank shall follow the guidelines as applicable for preference shares, if raised.

VII. Manner of Payment of dividend:

As per Regulation 12 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank shall use any of the electronic mode of payment facility approved by the Reserve Bank of India for the payment of the dividends. Where it is not possible to use electronic mode of payment, 'payable-at-par' warrants or Demand drafts will be issued to the eligible shareholders.

VIII. Disclosure and Reporting:

a. The Policy will be disclosed on the website of the Bank and a web link shall be provided in the Annual Report.

b. The Bank shall report the details of dividend declared during the accounting year to RBI as per the proforma and timeline specified by RBI.

c. The Bank shall declare and disclose the dividend on per share basis only as specified under SEBI (LODR) Regulations.

IX. Tenure

This Policy will be in force till the time it is not amended or revoked by the Board. In the event of variance on any matters, between the Policy and Regulatory changes made after approval of the current policy, the Regulatory Changes will be effective till the Policy is amended in line with the these changes.

Annexure

Matrix of Criteria for maximum permissible range of Dividend Payout Ratio (As per RBI Circular No.RBI/2004-05/451; DBOD.NO.BP.BC. 88 / 21.02.067 / 2004-05 dated May 04, 2005)

Category	CRAR	Net NPA Ratio			
		Zero	More than Zero but <3%	From 3% to <5%	From 5% to <7%
		Range of Dividend Payout Ratio			
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10
C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more In the current year		Upto 10	Up to 5	NIL

CERTIFICATE UNDER REGULATION 17(8) OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

The Board of Directors
Central Bank of India

This is to certify that:

a. We have reviewed Financial Statements and the Cash Flow Statement of Central Bank of India for the year 2020-21 and to the best of our knowledge and belief:

   I. These Statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading

   II. These Statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable law and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2020-21, which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for the financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee:

   I. Significant changes in internal control over financial reporting during the year 2020-21.

   II. There is no significant changes in accounting policies during the year 2020-21 and the same have been disclosed in the notes to the financial statement and,

   III. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the Management or any employee having a significant role in the Bank's Internal Control System over financial reporting.

(MUKUL DANDIGE)
General Manager-F&A & CFO

(M V RAO)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : June 7, 2021

Independent Auditor's Certificate on Compliance with Corporate Governance Requirements under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

To the Members of
Central Bank of India

1. This Certificate is issued in accordance with the terms of our engagement letter dated 22nd December 2020.

2. This report contains details of compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India ('the Bank') for the year ended 31 March 2021, as stipulated provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, amended from time to time as referred to in Regulation 15 (2) of the Listing Regulations for the year April 1, 2020 to March 31, 2021.

Management's Responsibility for compliance with the conditions of Listing Regulations

3. The preparation of the Corporate Governance Report is the responsibility of the Management of the Bank along with the maintenance of all its relevant supporting records and documents.

Auditors' Responsibility

4. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Regulations. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

5. Pursuant to the requirements of the Listing Regulations, it is our responsibility to provide a reasonable assurance whether the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Listing Regulations for the year ended 31 March 2021.

6. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes [Revised 2016] ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.

7. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

8. In our opinion, and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Regulations.

9. We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Restriction on use

10. The certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the requirement of the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For AAJV AND ASSOCIATES Chartered Accountants F.R. No.007739N	**For S. JAYKISHAN** Chartered Accountants F.R. No.309005E	**For CHHAJED & DOSHI** Chartered Accountants F.R. No.101794W	**For AMBEKAR SHELAR KARVE** Chartered Accountants F.R. No.122063W
(CA J.P. BAJAJ) Partner M.No.086390 UDIN: 21086390AAAACP3733	**(CA VIVEK NEWATIA)** Partner M.No.062636 UDIN: 21062636AAAAGC2151	**(CA NITESH JAIN)** Partner M.No.136169 UDIN: 21136169AAAADL8283	**(CA SACHIN AMBEKAR)** Partner M.N.No.108911 UDIN: 21108911AAAADO6418

Place: Mumbai
Date: June 30, 2021

AAJV AND ASSOCIATES Chartered Accountants, LGF-C73, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024	**S JAYKISHAN** Chartered Accountants, 12 Ho Chi Minh Sarani Suite No.2D 2E & 2F 2nd Floor, Kolkata - 700071
CHHAJED & DOSHI Chartered Accountants, 101, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg, Andheri (East), Mumbai - 400063	**AMBEKAR SHELAR KARVE & AMBARDEKAR** Chartered Accountants, 501, Mirage Arcade, Opp Ganesh Mandir, Off. Phadke Road, Dombivli (East) - 421201

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members
Central Bank of India

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **Central Bank of India** ('the Bank') which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2021, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement for the year then ended and notes to the Standalone Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 Branches audited by us and 2682 branches audited by respective Statutory Branch Auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India ("RBI"). Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 2000 branches, which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.84 per cent of advances, 27.08 per cent of deposits, 5.40 per cent of interest income and 25.94 per cent of interest expense.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Act") in the manner so required for the Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give:

a. a true and fair view in case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2021;

b. a true balance of loss in case of Profit and Loss Account for the year ended on that date; and

c. a true and fair view of the cash flows in case of the Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

4. We draw attention to Note No 28 of Schedule 18 of the standalone financial statements, which describes the uncertainties due to the COVID-19 Pandemic and managements evaluation of impact on the Bank's financial performance which will depend on future developments, which are highly uncertain.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the year ended March 31, 2021. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters	Auditors' Response
1. **Identification and provisioning of non-performing advances made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances. (refer Schedule 9 read with Note 5 of Schedule 17 to the financial statements)** Advances comprise a substantial portion of the Bank's total assets. Identification of non-performing advances (NPAs) is carried out, based on system identification, by the Core Banking Solution (CBS) software in operation based on the various controls and logic embedded therein. Provisions in respect of such NPAs and restructured advances are made based on management's assessment of the degree of impairment of the advances subject to and guided by the minimum provisioning levels prescribed under RBI guidelines, prescribed from time to time. The provision on NPAs are also based on the valuation of the security available. In case of restructured accounts, provision is made in accordance with the RBI guidelines. We identified NPA identification and provision on loans and advances as a key audit matter because of the significant efforts involved by the management in identifying NPAs based on the RBI Guidelines, the level of management judgement involved in determining the provision (including the provisions on assets which are not classified as NPAs), the valuation of security of the NPAs and on account of the significance of these estimates to the financial statements of the Bank.	Our audit approach included assessment of the design, operating effectiveness of key internal controls over approval, recording and monitoring of loans and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. In particular: • We have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances; • We have analyzed and understood key IT systems/ applications used operational effectiveness of relevant controls, including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. In order to ensure the effectiveness of the operation of the key controls and compliance to the directions of the RBI, we have verified whether both CBS system and the management have, o timely recognized the depletion in the value of available security; o made adequate provisioning based on such time to time monitoring and identification of asset classification including accounts which meet the criteria for asset classification benefit in accordance with the Reserve Bank of India COVID-19 Regulatory Package. • We placed reliance upon the Independent Auditors' Report of the respective Branch Auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning as well as Memorandum of changes suggested both at the branches and at Head Office.
2. **Investments** Investment portfolio of the Bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other approved securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade. Investments comprise a substantial portion of the Bank's total assets. Valuation of Investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. (refer Schedule 8 read with Note 3 of Schedule 17 to the Standalone financial statements)	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments. In particular, • We assessed and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provisioning and depreciation on Investments.

The valuation of each type of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in the circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc. As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. The price discovered for the valuation of these Investments is only a fair assessment of the Investments. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	• Tested accuracy and compliance for selected sample of investments with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI guidelines. • We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. • We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created and depreciation to be provided. • We assessed that the financial statement disclosures appropriately reflected the Bank's exposure to investments valuation risks with reference to the requirements of the prevailing accounting standards and the RBI guidelines.
3. **Information technology (IT) systems used in financial reporting process** The Bank's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions. The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use. The Bank has an in house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services. Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive impact on the financial statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular: • We obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. • We tested the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner. • We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the financial statements, information other than the Financial Statements and Auditors' Report thereon.

4. Provisions, Contingent Liabilities and Claims: Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 11 of Schedule 17 and Note No. 11.h of Schedule 18). There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability. However, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported financial result which is uncertain/unascertainable at this stage. Considering the uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law, this has been determined as a key Audit Matter.	We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances. we broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for provisioning but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank. We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current status, sustainability, examining recent orders and/ or communication received from various tax authorities/ judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.
5. **Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak:** Due to COVID-19 pandemic, lockdown declared by some of the State Governments and travel restrictions imposed by State Government/ Local Authorities during the period of audit and the RBI directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the premises of certain Branches/ Departments in the Central Office of the Bank. As the auditors could not gather audit evidence in person/ physically/ through discussions and personal interactions with the officials at the Branches / Regional Offices / Zonal Offices / Departments, auditors have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter. Accordingly, the audit procedures were modified to carry out the audit remotely.	Due to the outbreak of COVID-19 pandemic that caused lockdown by some of the state governments and other travel restrictions imposed by the State Governments/ local administration during the period of the audit, the auditors (including branch auditors) could not travel to certain Branches / Regional Offices / Zonal Offices / Departments and carry out the audit processes physically at the respective offices. Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to the auditors by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS and other relevant application software. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to the auditors which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Accordingly, the audit procedures were modified as follows: • Conducted verification of necessary records/ documents/ Form 111/ CBS and other Application software electronically through remote access/ emails in respect of some of the Branches / Departments of the Bank wherever physical access was not possible.

	• Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates and the related records made available to the auditors through emails and remote access over secure network of the Bank. • Making enquiries and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls/conference calls, emails and similar communication channels. • Resolution of audit observations telephonically/ through email instead of face-to-face interaction with the designated officials of the Bank.

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report, which we obtained at the time of issuance of this auditors' report, and the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis which is expected to be made available to us after that date but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

   Our opinion on the Standalone financial statements does not cover the other information and the Pillar 3 disclosures under the New Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures) and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

   When we read the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibility of Management and those charged with governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") and judicial pronouncements. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

   In preparing the Standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibility for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than that for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentation, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosure in the Standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone financial statements, including the disclosures, and whether the Standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charge with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charge with governance with the statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguard.

From the matters communicated with those charge with governance, we determine those matters that were of most significance in audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that matters should not be communicated in our report because of the adverse consequences of doing so would reasonably are expected to outweigh the public interest benefit of such communication.

Other Matters

9. We did not audit the financial statements/ information of 2682 branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements/ financial information reflect total advances of ₹ 1,00,956.54 crore as at March 31, 2021, and total interest income of ₹ 6,413.17 crore for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. These financial statements/ information of these branches have been audited by branch auditors whose reports have been furnished to us and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Standalone Balance sheet and the standalone Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 7 to 9 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosures required therein, we report that:
    a. we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory:

b. the transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c. the returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

12. We further report that:

a. in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.

b. the standalone Balance Sheet, the standalone Profit and Loss Account, and the standalone Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.

c. the reports on the accounts of 2682 branches of the bank audited by branch auditors under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been forwarded to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d. in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

13. As required by letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a. in our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b. there are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

c. on the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2021, none of the directors is disqualified as on March 31, 2021, from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d. There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e. Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting as required by the RBI Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) is given in ANNEXURE A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at 31st March 2021.

For AAJV AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.007739N

J. P. BAJAJ
PARTNER
M. NO. 086390
UDIN: 21086390AAAACO4044

For S JAYKISHAN
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 309005E

VIVEK NEWATIA
PARTNER
M. NO. 062636
UDIN: 21062636AAAAFV1675

For CHHAJED & DOSHI
Chartered Accountants
F.R.NO.101794W

NITESH JAIN
PARTNER
M.NO. 136169
UDIN: 21136169AAAACU7337

For AMBEKAR SHELAR KARVE & AMBARDEKAR
Chartered Accountants
F.R.NO.122063W

SACHIN AMBEKAR
PARTNER
M.NO. 108911
UDIN: 21108911AAAACZ8254

Place : Mumbai
Date : June 7, 2021

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 13 (e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **Central Bank of India** ("the Bank") as of March 31, 2021 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject

to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 60 branches is based on the corresponding reports of the respective Central Statutory Auditors / Statutory Branch Auditors of those branches.

During our testing of the internal financial controls over financial reporting and based on the report of the branch auditors, certain matters were noticed by us. Bank needs to further strengthen the process including alteration of the existing Risk Control Matrix (RCM) and designing a few more RCMs. Our suggestions in this regard have been submitted to the Management to further strengthen the internal financial controls over financial reporting of the Bank.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For AAJV AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.007739N

J. P. BAJAJ
PARTNER
M. NO. 086390
UDIN: 21086390AAAACO4044

For S JAYKISHAN
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 309005E

VIVEK NEWATIA
PARTNER
M. NO. 062636
UDIN: 21062636AAAAFV1675

For CHHAJED & DOSHI
Chartered Accountants
F.R.NO.101794W

NITESH JAIN
PARTNER
M.NO. 136169
UDIN: 21136169AAAACU7337

For AMBEKAR SHELAR KARVE & AMBARDEKAR
Chartered Accountants
F.R.NO.122063W

SACHIN AMBEKAR
PARTNER
M.NO. 108911
UDIN: 21108911AAAACZ8254

Place : Mumbai
Date : June 7, 2021

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2021

(000's Omitted)

PARTICULARS	SCHEDULE NO.	As at 31-Mar-21 ₹	As at 31-Mar-20 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	5,87,55,625	5,70,97,627
Share Application Money Pending Allotment	1a	4,80,00,000	-
Reserves and Surplus	2	15,82,95,276	15,71,97,102
Deposits	3	3,29,97,29,496	3,13,76,31,641
Borrowings	4	5,46,86,391	5,78,71,971
Other Liabilities and Provisions	5	7,26,83,150	15,26,92,632
TOTAL		**3,69,21,49,938**	**3,56,24,90,973**
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	32,18,78,420	30,05,98,189
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	6,76,34,665	6,01,72,948
Investments	8	1,48,58,24,347	1,42,51,75,354
Advances	9	1,56,57,86,472	1,51,10,08,778
Fixed Assets	10	5,13,24,206	4,33,61,846
Other Assets	11	19,97,01,828	22,21,73,858
TOTAL		**3,69,21,49,938**	**3,56,24,90,973**
Contingent Liabilities	12	92,13,90,013	56,18,46,938
Bills for Collection	-	11,89,87,673	14,27,67,407
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

MATAM VENKATA RAO
Managing Director & CEO

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHRI P.J. THOMAS
Director

MRS. MINI IPE
Director

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA J.P. BAJAJ)
Partner
M.No.086390
UDIN: 21086390AAAACO4044

For S. JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

(CA VIVEK NEWATIA)
Partner
M.No.062636
UDIN: 21062636AAAAFV1675

For CHHAJED & DOSHI
Chartered Accountants
F.R. No.101794W

(CA NITESH JAIN)
Partner
M.No.136169
UDIN: 21136169AAAACU7337

For AMBEKAR SHELAR KARVE
Chartered Accountants
F.R. No.122063W

(CA SACHIN AMBEKAR)
Partner
M.N.No.108911
UDIN: 21108911AAAACZ8254

Place: Mumbai
Date: June 7, 2021

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(000's Omitted)

	PARTICULARS	Schedule No.	Year Ended 31-Mar-21 ₹	Year Ended 31-Mar-20 ₹
I.	**INCOME**			
	Interest Earned	13	**22,73,02,329**	23,56,24,655
	Other Income	14	**3,16,72,142**	3,63,68,216
	TOTAL		**25,89,74,471**	**27,19,92,871**
II.	**EXPENDITURE**			
	Interest Expended	15	**14,48,51,898**	15,93,36,197
	Operating Expenses	16	**6,78,22,330**	6,92,15,209
	Provisions and Contingencies		**5,51,76,089**	5,46,54,988
	TOTAL		**26,78,50,317**	**28,32,06,394**
III.	**PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR BEFORE PRIOR PERIOD ITEM**		**(88,75,846)**	**(1,12,13,523)**
	Less: Prior period Item		**-**	-
	Net Profit /(Loss) for the year after Prior period item		**(88,75,846)**	(1,12,13,523)
	Profit / (loss) brought forward		**(17,52,93,938)**	(16,25,10,138)
	TOTAL		**(18,41,69,784)**	**(17,37,23,661)**
IV.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to :			
	Statutory Reserve		**-**	-
	Investment Reserve		**30,72,389**	15,70,277
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		**-**	-
	Staff Welfare Fund		**-**	-
	Revenue Reserve		**-**	-
	Fund in lieu of Insurance			
	Proposed Dividend - Preference Capital		**-**	-
	Proposed Dividend - Equity Capital		**-**	-
	Dividend Tax		**-**	-
	Balance Carried Over to Balance Sheet		**(18,72,42,173)**	**(17,52,93,938)**
	TOTAL		**(18,41,69,784)**	**(17,37,23,661)**
EPS (Basic & Diluted) in ₹ (nominal value ₹ 10/- per share)			**(1.53)**	(2.40)
Significant Accounting Policies		17		
Notes to Accounts		18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

MATAM VENKATA RAO
Managing Director & CEO

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHRI P.J. THOMAS
Director

MRS. MINI IPE
Director

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA J.P. BAJAJ)
Partner
M.No.086390
UDIN: 21086390AAAACO4044

For S. JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

(CA VIVEK NEWATIA)
Partner
M.No.062636
UDIN: 21062636AAAAFV1675

For CHHAJED & DOSHI
Chartered Accountants
F.R. No.101794W

(CA NITESH JAIN)
Partner
M.No.136169
UDIN: 21136169AAAACU7337

For AMBEKAR SHELAR KARVE
Chartered Accountants
F.R. No.122063W

(CA SACHIN AMBEKAR)
Partner
M.N.No.108911
UDIN: 21108911AAAACZ8254

Place: Mumbai
Date: June 7, 2021

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2021

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		**10,00,00,000**		**10,00,00,000**
1000,00,00,000 shares of ₹ 10/- each (previous year 1000,00,00,000 shares) of ₹ 10/- each				
Issued, Subscribed and Paid up Capital :				
Equity Shares	5,87,55,625		5,70,97,627	
5875562460 Equity Shares (previous year 5709762724 Equity shares) of ₹ 10/- each (includes 5275014715 Equity shares (previous year 5275014715 Equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Govt.)				
TOTAL		**5,87,55,625**		5,70,97,627
1.a. Share Application money pending Allotment		**4,80,00,000**		-
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	2,06,35,979		2,06,35,979	
Additions during the year	-		-	
		2,06,35,979		2,06,35,979
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	2,96,25,988		3,07,45,958	
Additions - during the year	88,19,556		-	
Less : Transfer to Revenue and Other Reserves	5,09,495		5,68,075	
Deductions during the year	13,235		5,51,895	
		3,79,22,814		2,96,25,988
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	1,32,25,424		1,16,55,147	
Additions during the year	30,72,389		15,70,277	
		1,62,97,813		1,32,25,424
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	24,10,70,269		22,15,38,334	
Additions/ Adjustments during the year	8,92,002		1,95,31,935	
		24,19,62,271		24,10,70,269
IV. Revenue and Other Reserves				
i) Revenue Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	2,69,33,380		2,58,11,273	
Add : Transfer from Capital Reserves	5,09,495		5,68,075	
Additions/Adjustment during the year (Refer Note 2a of schedule 18)	2,75,697		5,51,895	
Less: Deductions during the year	-		2,137	
		2,77,18,572		2,69,33,380
V. Special Reserve U/s 36(1)(viii) of Income Tax Act		**10,00,000**		10,00,000
VI. Balance in Profit and Loss Account		**(18,72,42,173)**		(17,52,93,938)
TOTAL		**15,82,95,276**		15,71,97,102

Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	65,67,481		33,48,395	
ii) From Others	16,25,93,515		15,07,96,890	
		16,91,60,996		**15,41,45,285**
II. Savings Bank Deposits		**1,45,66,70,191**		**1,30,19,99,950**
III. Term Deposits				
i) From Banks	43,92,999		3,22,89,481	
ii) From Others	1,66,95,05,310		1,64,91,96,925	
		1,67,38,98,309		**1,68,14,86,406**
TOTAL		**3,29,97,29,496**		**3,13,76,31,641**
B. i) Deposits of Branches in India		**3,29,97,29,496**		**3,13,76,31,641**
ii) Deposits of Branches outside India		**-**		-

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	1,76,40,000		66,90,000	
ii) Other Banks	20,042		17,964	
iii) Other Institutions & Agencies	6,35,349		17,73,007	
iv) Unsecured Redeemable Bonds(Subordinated Debt)	50,00,000		50,00,000	
v) Upper Tier II bonds	-		1,30,00,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	13,91,000		13,91,000	
vii) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	3,00,00,000		3,00,00,000	
		5,46,86,391		**5,78,71,971**
II. Borrowings outside India		**–**		–
TOTAL		**5,46,86,391**		**5,78,71,971**
Secured Borrowings included in I & II above		**Nil**		Nil

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021	As at 31-Mar-2020
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. Bills Payable	78,43,261	62,03,584
II. Inter Office Adjustments (Net)	1,02,978	8,77,45,538
III. Interest Accrued	74,69,906	80,63,393
IV. Deferred Tax Liability	-	-
V. Others (including provisions)	5,72,67,005	5,06,80,117
TOTAL	**7,26,83,150**	**15,26,92,632**

Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in Hand (including foreign currency notes)		**1,47,51,586**		**1,66,73,282**
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	14,71,26,834		17,99,24,907	
In Other Accounts	16,00,00,000		10,40,00,000	
		30,71,26,834		**28,39,24,907**
TOTAL		**32,18,78,420**		**30,05,98,189**
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	5,07,341		7,92,279	
b) In Other Deposit Accounts	13,815		1,278	
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	20,00,000		1,93,50,000	
b) With Other Institutions	-		-	
		25,21,156		**2,01,43,557**
II. Outside India				
a) In Current Accounts	6,51,13,509		4,00,29,391	
b) In Other Deposit Accounts	-		-	
c) Money at Call & Short Notice	-		-	
		6,51,13,509		**4,00,29,391**
TOTAL		**6,76,34,665**		**6,01,72,948**
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	1,10,35,84,201		1,09,49,33,558	
ii) Other approved Securities	-		-	
iii) Shares	79,19,176		54,38,140	
iv) Debentures and Bonds	35,39,72,427		27,66,12,442	
v) Subsidiaries and Sponsored Institutions	25,79,832		21,77,632	
vi) Others (Commercial Papers,Mutual Fund Units etc.)	1,72,93,826		4,55,38,697	
		1,48,53,49,462		**1,42,47,00,469**
II. Investments outside India in **				
Subsidiaries and / or Associates abroad		**4,74,885**		**4,74,885**
TOTAL		**1,48,58,24,347**		**1,42,51,75,354**
* Investments in India				
Gross Value	1,53,77,25,730		1,47,31,03,771	
Less:Provision for Depreciation	5,23,76,268		4,84,03,302	
Net Value		**1,48,53,49,462**		**1,42,47,00,469**
** Investments outside India				
Gross Value	4,74,885		4,74,885	
Less:Provision for Depreciation	-		-	
Net Value		**4,74,885**		**4,74,885**

Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 9 : ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	89,00,535		87,07,602	
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	70,35,42,501		71,56,97,210	
iii) Term Loans	85,33,43,436		78,66,03,966	
TOTAL		**1,56,57,86,472**		**1,51,10,08,778**
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by Tangible Assets (including advances against Book Debts)	1,52,34,13,189		1,46,01,38,716	
ii) Covered by Bank / Government Guarantees	3,66,01,365		24,80,671	
iii) Unsecured	57,71,918		4,83,89,391	
TOTAL		**1,56,57,86,472**		**1,51,10,08,778**
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sectors	80,84,25,818		73,49,15,379	
ii) Public Sector	5,09,87,479		3,52,55,809	
iii) Banks	4,926		4,684	
iv) Others	70,63,68,249		74,08,32,906	
TOTAL		**1,56,57,86,472**		**1,51,10,08,778**
(II) Advances outside India		-		-

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	4,02,25,174		4,02,29,395	
Additions during the year	88,89,449		44,780	
Total	**4,91,14,623**		**4,02,74,175**	
Deductions / Adjustments during the year	13,354		49,009	
Depreciation to date	85,28,592		79,40,090	
Total		**4,05,72,677**		**3,22,85,076**
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as at 31st March of the preceding year	3,41,66,836		3,12,10,539	
Additions / Adjustments during the year	31,41,004		37,42,293	
Total	**3,73,07,840**		**3,49,52,832**	
Deductions / Adjustments during the year	20,01,861		7,85,996	
Total	**3,53,05,979**		**3,41,66,836**	
Depreciation to Date	2,45,54,450		2,30,90,066	
Total		**1,07,51,529**		**1,10,76,770**
TOTAL (I & II)		**5,13,24,206**		**4,33,61,846**

Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	2,25,48,629		1,99,12,752	
II. Tax paid in advance / Tax deducted at source (Net of Provisions)	4,23,72,140		5,37,20,014	
III. Stationery and Stamps	2,05,552		2,09,837	
IV. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-		-	
V. Deferred Tax Assets	7,54,56,800		7,61,68,000	
VI. Inter Office Adjustments (Net)	-		-	
VII. Others	5,91,18,707		7,21,63,255	
TOTAL		**19,97,01,828**		**22,21,73,858**

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		**13,83,689**		**10,14,448**
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions, etc		**1,77,15,073**		**1,73,50,729**
II. Liability for partly paid Investments		**35,59,282**		**40,10,248**
III. Liability on account of outstanding forward Exchange Contracts		**73,37,62,848**		**35,02,01,250**
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	10,69,33,332		11,88,38,461	
b) Outside India	63,28,682		74,99,916	
		11,32,62,014		**12,63,38,377**
V. Acceptances, Endorsements and Other Obligations		**2,64,31,675**		**4,27,13,097**
VI. Other item for which the bank is contingently liable		**2,52,75,432**		**2,02,18,789**
TOTAL		**92,13,90,013**		**56,18,46,938**

Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-21 ₹	YEAR ENDED 31-Mar-20 ₹
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED		
I. Interest / Discount on Advances / Bills	11,63,83,361	12,50,54,586
II. Income on Investments	10,00,89,617	9,91,56,372
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Funds	67,60,466	48,08,903
IV. Others	40,68,885	66,04,794
TOTAL	**22,73,02,329**	**23,56,24,655**
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	1,11,47,850	1,13,62,724
II. Profit on Sale of Investments (Net)	1,38,05,508	1,21,49,423
III. Profit / (Loss) on Revaluation of Investments	-	-
IV. Profit / (Loss) on Sale of Land, Buildings and other Assets (Net)	(2,09,975)	(2,24,145)
V. Profit on Exchange Transactions (Net)	8,66,918	23,03,830
VI. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries and Associates abroad / in India	64,778	1,76,364
VII. Miscellaneous Income	59,97,063	1,06,00,020
TOTAL	**3,16,72,142**	**3,63,68,216**
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	13,99,40,735	15,40,18,417
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	32,564	87,769
III. Others	48,78,599	52,30,011
TOTAL	**14,48,51,898**	**15,93,36,197**
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	4,14,13,063	4,21,67,195
II. Rent, Taxes and Lighting	49,40,807	49,36,401
III. Printing and Stationery	2,65,400	3,09,282
IV. Advertisement and Publicity	47,864	1,08,755
V. Depreciation on Bank's property	29,23,187	28,52,754
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	5,379	12,886
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	2,84,431	2,81,709
VIII. Law Charges	1,52,867	3,35,104
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	9,69,949	9,05,745
X. Repairs and Maintenance	11,66,162	10,44,343
XI. Insurance	43,80,795	37,86,167
XII. Other Expenditure	1,12,72,426	1,24,74,868
TOTAL	**6,78,22,330**	**6,92,15,209**

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. a) Basis of Preparation:

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the Revaluation of Premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting year. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Actual results could differ from these estimates. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/materialised.

2. Transactions involving Foreign Exchange:

2.1 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency.

2.2 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.

2.3 Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

2.4 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at the year end rates as notified by FEDAI.

2.5 Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates as notified by FIBIL and the resultant profit/ loss is recognized in Profit and Loss Account.

2.6 Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting Profit or Loss is recognised in the Profit and Loss Account.

3. Investments:

Investments The transactions in all securities are recorded on "Settlement Date".

3.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are categorised into "Held to Maturity (HTM)", "Held for Trading(HFT)" and "Available for Sale (AFS)". However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified in the Balance Sheet in Schedule 8, under the following heads :

i) Government Securities
ii) Other Approved Securities
iii) Shares
iv) Debentures and Bonds
v) Subsidiaries and sponsored institutions and
vi) Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

3.2 **Basis of Classification:**

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories in conformity with regulatory guidelines:

i) Held to Maturity: Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)". Investments in subsidiaries and associates are also categorised under Held to Maturity.

ii) Held for Trading: Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading (HFT)".

iii) Available for Sale: Investments, which are not classified in above two categories, are classified as "Available for Sale (AFS).

iv) Investments are classified as performing and non-performing, based on the IRAC norms and ''Prudential norms for classifications, valuations and operation of investment portfolio by banks" issued by RBI.

3.3 i) Transfer of Securities between categories: The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

ii) Investments in subsidiaries and joint ventures are classified as HTM except in respect of those investments which are acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal. These investments are classified as AFS.

3.4 **Valuation:**

a) Held to Maturity: The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries and associates are valued at carrying cost less diminution, other than temporary in nature, for each investment individually.

b) Available for sale:

Investments under this category are marked to market, scrip-wise as under:

i) Central Government Securities at market price as per quotation put out by FIBIL.

ii) State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government on appropriate yield to maturity basis.

iii) Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper at carrying cost.

iv) **Equity Shares**

a) Quoted : At market price.

b) Unquoted: At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or Re.1/- per company if latest Balance Sheet is not available.

v) **Preference Shares**

a) Quoted : At market price.

b) Unquoted: On appropriate yield to maturity.

vi) **Debentures and Bonds**

a) Quoted : (Traded in last 15 days) at last Trade Price.

b) Unquoted: On appropriate yield to maturity.

vii) **Mutual Fund**

a) Quoted : At market price.

b) Unquoted: At repurchase price or Net Asset Value

(where repurchase price is not available).

viii) **Venture Capital Fund (VCF)**

Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF.

ix) **Security Receipts (SR) At Net Asset Value (NAV) advised by SC/ARC.**

The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) **Held for Trading:**

Investments under this category are valued at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIBIL.

The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

3.5 **Determination of Cost:**

i) Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

ii) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.

iii) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to profit & loss account as revenue expenses.

3.6 **Income Recognition:**

i) The Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account. However, profit on sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, is appropriated (Net of applicable taxes and amount required to be transferred to "Statutory Reserve Account") to the "Capital Reserve Account".

ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and classified as Substandard/Doubtful/Loss as the case may be and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances or otherwise required as per RBI directives issued from time to time. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.

iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms or as otherwise required as per the RBI directions issued from time to time.

iv) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

v) Market repurchase and reverse repurchase transactions as well as the transactions with RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF) are accounted for as Borrowings and Lending transactions in accordance with the extant RBI guidelines.

vi) Accounting for Repo/ Reverse Repo transactions (other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI):

a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions.

b) However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and contra entries.

c) The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/ income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at call & short notice).

d) Interest expended/ earned on Securities purchased/ sold under LAF with RBI is accounted for as expenditure/ revenue.

vii) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity (HTM)" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

a. on interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

b. on zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

viii) Commission on LC/ BG, Deferred Payment Guarantee, are recognised on accrual basis proportionately over the period. All other commission and fee income are recognised on their realisation.

4. Derivatives:

The Bank enters into derivative contracts, such as interest rate swaps, currency swaps and cross currency swaps in order to hedge on balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes.

4.1 Derivatives used for hedging are accounted as under :

i) In cases where the underlying Assets/Liabilities are marked to market, resultant gain/loss is recognised in the Profit & Loss Account.

ii) Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying assets/ liabilities are also marked to market.

iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swaps or the remaining life of the assets/liabilities.

4.2 Derivatives used for Trading are accounted as under:

i) Currency future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.

ii) MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in bank's profit & loss account on final settlement.

iii) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains, if any are ignored on net basis.

iv) Gains or losses on termination of swaps are recorded immediately as income/expense under the above head.

5. Advances:

5.1 Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or otherwise required in terms of RBI directions issued from time to time.

5.2 Partial Recovery in Non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

However, where any borrower account is required to be classified as Non-Performing from back date, any recovery till the account was classified as Standard is first credited to Interest on Loans and Advances [viz. Scheme for sustainable Structuring of Stressed assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long Term Project Loan (5/25), Change of Ownership of Borrowing Entities (outside Strategic Debt Restructuring Scheme)].

5.3 Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.

5.4 Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions-Others.

5.5 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery.

5.6 **Financial Assets sold are recognized as under:**

5.6.1 In case the sale to SC/ARC is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is either charged to the Profit and Loss Account or such shortfall on assets sold on or after 26.02.2014 is spread over a period of two/one year in line with RBI guidelines subject to necessary disclosures.

5.6.2 The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI:

i) When the Bank sells its financial assets to Securitisation Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.

ii) In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

iii) In case of sale to SC/ARC is for a value higher than the NBV the excess provision to the extent of cash

recovery is credited to the Profit and Loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

iv) If the sale is at a price below the Net Book Value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss Account in the year of sale.

6 **Provision for Country Exposure:** In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others".

7. **Fixed Assets/Depreciation:**

7.1 Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortisation.

Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, taxes and professional fees incurred on the asset before it is put to use.

7.2 Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

7.3 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

i) Premises At varying rates based on estimated life

ii) Furniture, Lifts, Safe Vaults 10%

iii) Vehicles, Plant & Machinery 20%

iv) Air conditioners, Coolers, Typewriters etc. 15%

v) Computers including Systems Software 33.33%
(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

7.4 Other fixed assets Straight Line Method on the basis of estimated useful life of the assets.

7.5 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over a period of lease.

7.6 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

7.7 In case of assets, which have been revalued, the depreciation / amortization is provided on the revalued amount is charged to Profit & Loss Account. Amount of incremental depreciation / amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

7.8 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year.

No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.

7.9 The Bank considers only immovable assets for revaluation. Properties acquired during the last three years are not revalued.

Valuation of the revalued assets is done at every three years thereafter.

7.10 The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account.

Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

7.11 The Revalued Asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

8. Employee Benefits:

- Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees.
- Short term employee benefits are recognised as an expense in the profit and loss account for the year in which the related service is rendered.
- Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique.
- Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise. Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates.
- The obligation of the bank is limited to such fixed contribution.
- The contributions are charged to Profit and Loss account.
- National Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at pre-determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amounts of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognised during the period when the employee renders the service.

9. Recognition of Income and Expenditure:

9.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.

9.2 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.

9.3 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guideline.

10. Accounting for Taxes on Income:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively.

The deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization.

Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment / appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

11 Provisions, Contingencies and Contingent assets:

11.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

11.2 **No provision is recognised for:**

i) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the

Bank; or

ii) any present obligation that arises from past events but is not recognised because:

a. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

b. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

11.3 Provision for reward points in relation to the debit card holders of the Bank is being provided for on actuarial estimates.

11.4 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.

12. Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

13. Earnings per Share:

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 –"Earnings per Share" issued by the ICAI. Basic Earnings per Share are computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue Equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per Equity share is calculated by using the weighted average number of Equity shares and dilutive potential Equity shares outstanding as at the year-end.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

MATAM VENKATA RAO
Managing Director & CEO

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHRI P.J. THOMAS
Director

MRS. MINI IPE
Director

For AAJV AND ASSOCIATES	**For S. JAYKISHAN**	**For CHHAJED & DOSHI**	**For AMBEKAR SHELAR KARVE**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
F.R. No.007739N	F.R. No.309005E	F.R. No.101794W	F.R. No.122063W
(CA J.P. BAJAJ)	**(CA VIVEK NEWATIA)**	**(CA NITESH JAIN)**	**(CA SACHIN AMBEKAR)**
Partner	Partner	Partner	Partner
M.No.086390	M.No.062636	M.No.136169	M.N.No.108911
UDIN: 21086390AAAACO4044	UDIN: 21062636AAAAFV1675	UDIN: 21136169AAAACU7337	UDIN: 21108911AAAACZ8254

Place: Mumbai
Date: June 7, 2021

SCHEDULE-18 : NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. Capital:

Paid up Equity Share Capital of the Bank as on 31.03.2021 is ₹ 5875.56 crore increased from ₹ 5709.76 crore of previous year by issue of fresh 16,57,99,736 equity shares of ₹ 10 each in one allotment.

a. 16,57,99,736 equity shares of ₹ 10.00 each allotted to eligible institutional investors of Central Bank of India under Qualified Institutional Placement process at an issue price of ₹15.38 per share including premium of ₹5.38 per equity share on 28.09.2020 aggregating to ₹ 255 crores.

b. Government of India has infused ₹4800 crore towards preferential allotment of equity shares on March 31, 2021. The same is kept in Share Application Money account, pending allotment and considered as part of CET 1 Capital in terms of RBI communication reference no.DOR.CAP.S83/21/01/002/2021-22 dated April 30, 2021. The resultant 280,53,76,972 equity shares of ₹10 each was allotted to President of India (Government of India) at an issue price of ₹17.11 per equity share including premium of ₹7.11 per equity share on May 29, 2021.

2. Balancing of Books / Reconciliation:

a) Bank is under process of reconciling the outstanding balances/entries in various heads of accounts included in Inter office adjustment (IBR) account. During the year, the bank has identified and transferred 27.57 Crore to "Revenue and other Reserves account" pertaining to earlier years.

The balance of IBR account as at 31st March, 2021 is ₹10.30 Crore (net credit) and as at 31st March, 2020 is ₹ 8774.55 Crore (net credit).

b) The reconciliation of the following items are in process :

– Inter Branch Office Balance

– Inter Bank Accounts

– Suspense Accounts

– Clearing & other Adjustment Accounts

– Certain balances in nominal account

– NOSTRO Accounts

– Balances related to ATM Department

– Mirror Accounts maintained by Central Card Department and other balances

– Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances

– GST

– Other Assets

– Other Liabilities

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3. Income Tax

3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 1771.51 crore (previous year ₹ 1735.07 crore) towards disputed Income Tax paid by the Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case.

3.3 Government of India has inserted Section 115BAA in the Income Tax Act 1961 ("Act") vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019 which provides a non-reversible option to domestic companies to pay corporate tax at a reduced rate effective from April 01, 2019 subject to certain conditions. The Bank has assessed the applicability of the act and opted to continue the existing tax rate (i.e. 34.944%) for the financial year ended March 31st, 2021.

4 **Premises:**

4.1 Premises obtained on Lease by the Bank includes properties costing ₹ 1.45 Crore (previous year ₹ 0.75 Crore) for which registration formalities are still under progress.

4.2 The premises of the Bank were revalued to reflect the market value as on 31.03.2021 based on valuation reports of external independent valuers and approved by the Board of Director and ₹ 881.96 Crore increases in value thereof have been credited to Revaluation Reserve Account.

4.3 In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 58.85 Crore (previous year ₹ 112.00 Crore) is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

5. **Advances / Provisions**

5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the Bank and other data available with the Bank.

5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has netted the balance Floating Provision amount of ₹ 100.56 crores (previous year ₹100.56 crore) and Countercyclical Provision amount of ₹47.34 Crore (previous year. ₹47.34 Crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.

6. **The following information is disclosed in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India :**

a. **Capital Ratio (As Per Basel III)**

(₹ in crore)

Sl. No	Items	31.03.2021	31.03.2020
1	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	12.82%	9.33%
2	Tier 1 capital ratio (%)	12.82%	9.33%
3	Tier 2 capital ratio (%)	1.99%	2.39%
4	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	14.81%	11.72%
5	Percentage of the shareholding of the Government of India	89.78%	92.39%
6	Amount of equity capital raised	5055*	3565.54
7	Amount of Additional Tier 1 capital raised; *of which* *Perpetual Non Cumulative Preference Share (PNCPS):* *Perpetual Debt Instruments (PDI):*	NIL	NIL
8	Amount of Tier 2 capital raised; *Of which*		
	– Debt capital instruments:	NIL	NIL
	– *Preference Share Capital Instruments:[Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS) / Redeemable Non Cumulative Preference Share (RNCPS) /Redeemable Cumulative Preference Share (RCPS)]*	NIL	NIL
	– Amount of Sub-ordinate debts raised during the year	NIL	1000.00

On 28.09.2020, bank also allotted 16,57,99,736 equity shares to Qualified Institutional Buyers of face value of ₹ 10 each at issue price of ₹15.38 including premium of ₹ 5.38 per share, aggregating to ₹ 255 crore under Qualified Institutional Placement (QIP).

*Government of India has infused ₹ 4800 crore towards preferential allotment of equity shares on March 31, 2021. The same is kept in Share Application Money account, pending allotment and considered as part of CET 1 Capital in terms of RBI communication reference no.DOR.CAP.S83/21/01/002/2021-22 dated April 30, 2021. The resultant 280, 53,76,972 equity shares of ₹ 10 each was allotted to President of India (Government of India) at an issue price of ₹ 17.11 per equity share including premium of ₹ 7.11 per equity share on May 29, 2021. With this allotment, shareholding of President of India (Government of India) in the bank has increased from 89.78% to 93.08%.

b. (i) Investments

(₹ in crore)

Items			31.03.2021	31.03.2020
1)	**Value of Investments**			
	i)	Gross Value of Investments	153,820.06	147,357.87
		a) In India	153,772.57	147,310.38
		b) Outside India	47.49	47.49
	ii)	Provisions for Depreciation	5,237.63	4,840.32
		a) In India	5,237.63	4,840.32
		Excess provision for depreciation (held at shifting) over current valuation	0.00	0.00
		b) Outside India	0.00	0.00
	iii)	Net Value of Investments	148,582.44	142,517.55
		a) In India	148,534.95	142,470.06
		b) Outside India	47.49	47.49
2)	**Movement of Provisions held towards depreciation on Investments**			
	i)	Opening Balance	4840.33	3921.24
	ii)	Add: Provisions made during the year	1314.43	1413.82
	iii)	Less: Write Back/Utilized during the year	917.13	494.73
	iv)	Closing Balance	5237.63	4840.33

Note: Above amount includes securities aggregating to Face Value of ₹ 8550 crore as collateral with CCIL, securities of ₹ 1665 crore as Margin & Default Fund with CCIL, securities of ₹ 6360 crore with RBI for REPO & RTGS, securities of ₹ 71 crore and ₹ 40 crore with NSE Clearing and MCX Clearing respectively as on March 31st, 2021.

(ii)) Repo Transactions (in face value terms)

The details of face value of securities Purchased/Sold under Repo Agreement for the year ended March 31, 2021 are as follows:

(₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2021
Securities sold under Repo				
I. Government Securities	669.00 (0.00)	2683.00 (1499.00)	2241.31 (73.08)	1764.00 (669.00)
II. Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities purchased under Reverse Repo				
I. Government Securities	9050.00 (0.00)	24933.14 (26186.19)	16997.56 (7685.78)	16000.00 (10399.00)
II. Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

Previous year figures are shown in Brackets.

(iii) Non SLR Investment Portfolio

Issuer wise composition of Non SLR Investments: 31st March 2021

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	Central Govt Recap Bonds	19580 (14780)	0 (0)	0 (0)	19580 (14780)	19580 (14780)
ii)	State Govt Special Bond	2011 (2259)	0 (0)	0 (0)	2011 (2259)	0 (0)
iii)	PSUs	5534 (5977)	300 (3130)	22 (762)	22 (22)	1769 (1777)
iv)	FIs	2072 (1834)	0 (135)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
v)	Banks	261 (276)	5 (1)	69 (64)	69 (69)	69 (69)
vi)	Private Corporates	6925 (3180)	2970 (964)	870 (410)	27 (624)	801 (673)
vii)	Subsidiaries/ Joint Ventures/RRB/ Indo-Zambia	305 (265)	305 (265)	0 (0)	305 (265)	305 (265)
viii)	Others	6717 (9293)	2324 (3296)	5757 (648)	5434 (4976)	3633 (6924)
	TOTAL	**43406 (37864)**	**5904 (7791)**	**6718 (1884)**	**27448 (22995)**	**26157 (24488)**
	Provision held towards depreciation	5182 (4840)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	NET	**38224 (33024)**	**5904 (7791)**	**6718 (1884)**	**27448 (22995)**	**26157 (24488)**

Previous year figures are shown in Brackets

Note: Amounts reported under Columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive

(iv) Non Performing Non-SLR Investments

(₹ in crore)

PARTICULARS	31.03.2021	31.03.2020
Opening Balance	2153.39	1546.86
Additions during the year	401.08	939.67
Reductions during the year	617.96	333.14
Closing balance	1936.51	2153.39
Total provisions held	**1887.01**	**1932.84**

c. Derivatives

(i) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ in crore)

	Items	31.03.2021	31.03.2020
i)	The Notional Principal of Swap agreements	1305.00	1125.00
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	0.00	11.57
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	Not Significant	Not Significant
v)	The fair value of the swap book	3.78	-1.15

(ii) Currency Rate Swap

(₹ in crore)

	Items	31.03.2021	31.03.2020
i)	The Notional Principal of Swap agreements	351.48	360.74
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements.	3.78	19.39
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	Not Significant	Not Significant
v)	The fair value of the swap book	Nil	Nil

(iii) Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
	Interest Rate Futures		
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective	NIL	NIL
iv)	Mark-to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	NIL	NIL

(iv) Exchange Traded Currency Derivatives:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
i)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives undertaken during the year		
	a) Currency Futures	8992.53	8259.04
	b) Currency Options	0.00	0.00
ii)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives outstanding		
	a) Currency Futures	65.80	1255.03
	b) Currency Options	0.00	0.00
iii)	Notional principal amount of exchange traded currency derivatives outstanding and not "highly effective"		
	a) Currency Futures	0.00	0.00
	b) Currency Options	0.00	0.00
iv)	Mark-to market value of exchange traded currency derivatives outstanding and not "highly effective"		
	a) Currency Futures	2.15	2.66
	b) Currency Options	0.00	0.00

Disclosures on risk exposure in Derivatives

(v) Qualitative Disclosures

- Risk Management Policy approved by the Board of Directors for the use of derivative instruments to hedge/trade is in place.
- Policy for forward rate agreement, interest rate swaps, currency futures and interest rate futures for hedging the interest rate risk in investment portfolio and also for market making is in place.

- The risk management policies and major control measures like stop loss limits, counterparty exposure limits etc. as approved by Board of directors are in place.

Hedge Positions

- Accrual on account of interest expenses/ income on the Interest Rate Swap (IRS) are accounted and recognized as income/expenses.
- If the swap is terminated before maturity, mark-to-market (MTM) loss/gain and accrual till such date are accounted as expenses/ income under interest paid/ received on I₹

Trading positions

- Currency futures and interest rate futures are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United stock exchange.
- MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in Bank's profit and loss account in final settlement.
- Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains, if any are ignored.
- Gains or losses on termination of Swaps are recorded as immediate income/expenses under the above head.

Outstanding Forward Contract of Merchant & Interbank as on 31.03.2021

(₹ in crore)

Outstanding as on 31.03.2021	**71135.50**
Hedging Position	**6596.27**
Trading position	**64539.23**

Quantitative Disclosures

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2021		31.03.2020	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
a)	For hedging	6596.27	0.00	10537.69	0.00
b)	For trading	64539.23	1305.00	22436.66	1125.00
ii)	Marked to Market Positions				
a)	Asset (+)	557.52	8.87	569.19	11.57
b)	Liability (-)	483.80	12.66	642.84	12.72
iii)	Credit Exposure [1]				
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	-	0.01	-	0.01
a)	On hedging derivatives	-	-	-	-
b)	On trading derivatives	-	0.01	-	0.01
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
a)	On hedging	-	Max-0.00 Min-0.00	-	Max-0.00 Min-0.00
b)	On trading	-	Max - 0.04 Min - 0.01	-	Max - 0.04 Min - 0.01

d. Asset Quality

(a) Non Performing Assets

(₹ in crore)

	Items	31.03.2021	31.03.2020
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	5.77	7.63
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
a)	Opening balance	32589.08	32356.04
b)	Additions during the year	6448.53	8150.61
c)	Reduction during the year	(9760.65)	(7917.57)
d)	Closing balance	29276.96	32589.08
iii)	Movement of Net NPAs		
a)	Opening balance	11534.46	11333.24
b)	Additions during the year	1883.82	3579.11
c)	Reduction during the year	4381.83	(3377.89)
d)	Closing balance	9036.45	11534.46
iv)	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on Standard Assets)		
a)	Opening balance	19872.08	19933.58
b)	Provisions made during the year	5656.01	4571.50
c)	Write off/ write back / Transfer	6378.60	(4633.00)
d)	Closing balance	19149.48	19872.08

Apart from above provisions for NPA, Bank is also holding amounts of ₹ 213.30 crore as Claim received from ECGC/CGTMSE, ₹ 730.11 crore as FITL for NPA accounts, ₹ 47.34 crore as Counter cyclical provision & ₹ 100.55 crore as Floating Provision, which are also considered for calculation of Net NPA.

(b) Particulars of Accounts Restructured :

(₹ in crore)

Sr No	Type of Restructuring → Asset Classification → Details ↓		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (opening figures)*#	No. of borrowers	2	0	10	0	12	19405	954	552	130	21041	9411	1091	3909	91	14502	28818	2045	4471	221	35555
		Amount outstanding	173.14	0.00	608.31	0.00	781.45	860.23	75.74	239.85	23.92	1199.74	1387.71	145.80	5442.07	1266.54	8242.12	2421.08	221.54	6290.23	1290.46	10223.31
		Provision thereon	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	31.40	3.05	0.62	0.00	35.07	56.84	1.69	30.03	0.00	88.56	88.25	4.74	30.65	0.00	123.64
2	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	0	0	0	0	0	11032	1003	34	95	12164	1058	155	31	5	1249	12090	1158	65	100	13413
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1014.28	59.70	15.23	3.09	1092.30	467.28	9.77	168.55	1.49	647.09	1481.56	69.47	183.78	4.58	1739.39
		Provision thereon	0.00	0.00		0.00	0.00	29.03	2.52	0.24	0.00	31.79	3.87	0.49	0.07	0	4.43	32.90	3.01	0.31	0.00	36.22
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	308	-283	-11	-14	0	108	-57	-48	-3	0	416	-340	-59	-17	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66	-35.07	-18.40	-0.19	0.00	10.11	-5.93	-4.14	-0.04	0.00	63.77	-41.00	-22.54	-0.23	-0.00
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	-1.65	-0.11	-0.01	-0.01	0.51	-0.30	-0.21	0.00	0.00	2.27	-1.95	-0.32	-0.01	-0.01
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY*	No. of borrowers	0				0	0				0	0				0	0				0
		Amount outstanding	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00
		Provision thereon	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-1	0	0	1	0	-2144	1409	441	294	0	-734	-26	726	34	0	-2879	1383	1167	329	0
		Amount outstanding	-186.26	0.00	29.41	156.85	0.00	-110.92	57.70	36.73	16.49	0.00	-30.60	-100.35	-812.41	943.36	0.00	-327.78	-42.65	-746.27	1116.70	0.00
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.97	1.90	1.07	0.00	0.00	-1.48	0.49	0.99	0.00	0.00	-4.45	2.39	2.06	0.00	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during the FY $	No. of borrowers	0	0	-2	0	-2	-3433	-117	-75	-34	-3659	-1569	-333	-573	-20	-2495	-5002	-450.00	-650.00	-54.00	-6156
		Amount outstanding	0.00	0.00	-157.97	0.00	-157.97	-104.32	-3.86	-43.20	-0.60	-151.98	-63.21	-5.70	-220.06	-0.38	-289.35	-167.53	-9.56	-421.23	-0.98	-599.30
7	Restructured Accounts as on 31.03.2020 (closing figures)	No. of borrowers	1	0	8	1	10	24569	2968	965	441	28943	8873	834	4079	73	13859	33443	3802	5052	515	42812
		Amount outstanding #	1.09	0.00	465.29	156.85	623.23	1722.76	150.80	277.06	41.06	2191.68	1753.84	38.86	4474.00	2068.64	8335.34	3477.69	189.66	5216.35	2266.55	11150.25
		Provision thereon **	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	53.78	5.52	1.68	0.00	60.98	40.03	1.95	8.28	0.00	50.26	93.82	7.47	9.96	0.00	111.25

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).
** provision held is figure of sacrifice provision.
$ Includes closed accounts and recovery during current Financial Year in restructured accounts.
# Closing oustading balance as on 31.03.2021 is after increase / recovery during the financial year

(c) Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

A. Details of Sales

(₹ in crore)

	Items	31.03.2021	31.03.2020
i)	No. of accounts	9	11
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	153.90	335.42
iii)	Aggregate consideration	270.11	387.74
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years.	8.97	87.23
v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	114.68	112.86

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

The details of the book value of investments in security receipts are as under:

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	2633.26	2689.51
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	1.88	2.28
	Total	**2635.14**	**2691.79**

C. Details of Investment in Security Receipts

(₹ in crore)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	185.84	2367.71	79.71
	Provision held against (i)	9.64	-1563.36	-79.71
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other Banks/financial institutions/non-banking financial companies as underlying	0.00	0.12	1.76
	Provision held against (ii)	0.00	0.49	-1.76
	Total Book Value (i) + (ii)	**185.84**	**2367.83**	**81.47**

(d) Details of Non Performing Financial Assets purchased/ sold from/to other Banks

a. Details of Non Performing Financial Assets purchased:

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1	a No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	b Aggregate outstanding	NIL	NIL
2	a Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	b Aggregate outstanding	NIL	NIL

b. Details of Non Performing Financial Assets sold:

(₹ in crore)

	Items	31.03.2021	31.03.2020
1	No. of accounts	NIL	NIL
2	Aggregate outstanding	NIL	NIL
3	Aggregate consideration received	NIL	NIL

(e) Provision on Standard Assets

(₹ in crore)

Items	31.03.2021	31.03.2020
Provisions towards Standard Assets held	491.65	611.95

(f) Business Ratios

Sr. No.	Items	31.03.2021	31.03.2020
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds *	6.67	7.26
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds*	0.93	1.12
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds *	1.36	1.34
(iv)	Return on Assets **	(0.26)	(0.35)
(v)	Business (Deposits plus advances) per employee*** (₹ in lacs)	1559.94	1405.98
(vi)	Profit/(Loss) per employee (₹ in lacs)	(2.74)	(3.27)

* Working Funds comprise average of Total Assets (excluding Revaluation Reserve) during the 12 months of the Financial Year. Figures have been regrouped wherever considered necessary to confirm the current year classification.

** Working Funds comprise average Total Assets (excluding Revaluation Reserve).

*** Based on aggregate Deposits (other than Inter Bank Deposits) plus Advances.

g. Asset Liability Management

The maturity pattern of Total Deposits, Borrowings, Advances, & Total Investments under various maturity buckets prescribed by Reserve Bank of India as of 31st March 2021 are as follows: -

(₹ in crore)

Period	Total Deposit	Total Advances	Total Investment	Total Domestic Borrowings *	Foreign Currency	
					Assets	Liabilities
Day 1	1,599.43	2,812.60	52,935.56	2.00	677.03	460.92
2 days to 7 days	2,454.36	1,150.90	998.40	23.85	1,786.09	1,425.51
8 days to 14 days	2,328.78	169.09	440.23	-	681.24	260.94
15 days to 30 days	4,728.05	7,826.81	1,407.93	-	8,734.59	9,071.23
31 days to 2 months	8,787.27	3,182.06	254.64	-	-	-
Above 2 months to 3 months	8,518.92	2,147.99	325.38	3.13	5,009.09	4,725.16
Above 3 months to 6 months	12,736.01	5,151.38	13,305.25	-	5,277.50	5,097.07
Above 6 months to 12 months	23,448.78	9,316.97	3,907.15	6.10	17,991.43	18,079.70
Above 1 years to 3 years	1,48,915.41	77,022.20	16,994.69	1,783.90	97.53	853.22
Above 3 years to 5 years	61,274.65	16,027.09	17,285.53	9.82	-	290.91
Over 5 years	55,181.28	31,771.56	40,727.67	0.73	0.07	1.42
Total	**3,29,972.95**	**1,56,578.64**	**1,48,582.43**	**1,829.54**	**40,254.58**	**40,266.10**

Note : -

* Excluding those considered under Tier II Capital.

The above data has been complied on the basis of the Guidelines of RBI and certain assumptions made by the Management and have been relied upon by the Auditors.

h. Exposures

(i) Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

	Category	31.03.2021	31.03.2020
a)	**Direct Exposure**		
	(i) Residential Mortgages -	30440.75	27903.39
	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented:		
	(individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances included above)	(17974.42)	(16822.40)
	(ii) Commercial Real Estate –	3197.55	2619.51
	Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings retail space multi-purpose commercial premises multi-family residential buildings multi-tenanted commercial premises industrial or warehouse space hotels land acquisition development and construction etc.)		
	Exposure includes non-fund based (NFB) limit:		
	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities		
	(MBS) and other securitized exposures –		
	- Residential	0.00	0.00
	- Commercial Real Estate.	112.83	68.18
b)	**Indirect Exposure**		
	(i) Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2644.62	2133.67
	TOTAL EXPOSURE TO REAL ESTATE SECTOR	**18421.33**	**15902.35**

(ii) Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

	Items	31.03.2021	31.03.2020
i)	Direct Investment in equity shares convertible bonds convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	444.81	446.55
ii)	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs) convertible bonds convertible debentures and units of equities-oriented mutual funds	1.63	2.18
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equities-oriented mutual funds are taken as primary security.	0.00	50.23
(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral securities of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds ie where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	0.00	0.00
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	218.02	77.15
vi)	Loans sanctioned to corporates against the securities of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contributions to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	0.00
vii)	Bridge Loans to the companies against expected equity flows/ issues.	0.00	0.00
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds	0.00	0.00
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	0.00	0.00
x)	All exposures to Venture Capital funds (both registered and unregistered)	490.17	496.65
Total Exposure to Capital Market		**1154.63**	**1072.76**

(iii) Risk Category-wise Country Exposure : (₹ in crore)

Risk Category	Funded Exposure (net) As at 31.03.2021	Provision held as at 31.03.2021	Funded Exposure (net) As at 31.03.2020	Provision held as at 31.03.2020
Insignificant	550.74	Nil	671.99	Nil
Low	725.76	Nil	627.47	Nil
Moderate	178.83	Nil	27.36	Nil
High	3.40	Nil	7.68	Nil
Very High	1.61	Nil	1.09	Nil
Restricted	0.00	Nil	0.00	Nil
Off-credit	0.00	Nil	0.00	Nil
Total	**1460.34**	**Nil**	**1335.59**	**Nil**

As the Bank's Net Funded exposure for the year in respect of Foreign Exchange Transaction is less than 1% of total assets of the Bank, no provision is considered necessary.

(iv) Details of Accounts where bank has exceeded prudential exposure ceilings as per Large Exposure (LE) Framework in respect of any Individual and Group Account based on Tier-1 capital, are as below:-

Large Exposures to counterparties (Single as well as group of connected counterparties) bank's eligible capital base. (Tier I Capital as of 31.03.2020 ₹ 14021.20 Crores)

(₹ in crore)

Sr. No.	Borrower / Customers Name	Whether single(s) or group of connected counter parties	Exposure Amount	Exposure as % of Tier I Capital ₹ 14021.20 Cr
NIL				

(v) Statement of Loans and Advances secured by Intangible Assets viz. Rights Licenses Authorizations etc. which is shown as unsecured in Schedule-9.

Advances amounting to ₹ Nil (previous year ₹ Nil) against charge over intangible security such as Rights Licenses Authorization etc. are considered as unsecured.

The value of intangible security is ₹ Nil (previous year ₹ Nil)

(vi) In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) are ₹ NIL (Previous year ₹ 1500 Crore). Interest income of ₹ 45.48 crore has been recognized during the year.

(vii) During the year ended March 31, 2021, the value of sales and transfers of securities to/from HTM category (excluding one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval; of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year, sale to RBI under pre-announced Open Market Operation auctions and repurchase of Government securities by the Government of India did not exceed 5% of the book value of the investments held. in the HTM category at the beginning of the year. The market value of investments held in the HTM category was ₹ 96250 crore whose book value is ₹ 93417 crore as on March 31, 2021 which includes investments in subsidiaries/joint ventures carried at cost. The book value of such investments being lower than market value, no provision is required to be made.

(viii) Amount lying in Blocked accounts pertaining to old NOSTRO Credit entries are carried at historical cost using the exchange rate on the date of the crystallization.

i. Sale and transfer to / from HTM category

The Value of Sales & Transfers to/from HTM category does not exceed 5% of the Book Value of the Investment held in HTM category at the beginning of the year.

j. Investment Fluctuation Reserve

The Bank has not created Investment Fluctuation Reserve (IFR) due to losses incurred by the Bank during the year.

7. Disclosure of penalties imposed by RBI

7.1 Penalties imposed by RBI

RBI has imposed a penalty of ₹ 0.50 crore (previous year ₹ NIL crore) to our bank due to non- compliance of RBI Circular dated 03.09.2013 on few housing loan accounts.

RBI has imposed a penalty of ₹ 0.31 crore (previous year ₹ 0.27 crore) in terms of Section 47A(1)(a) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms on currency chest operation.*

*As compiled by the Management and relied by the Auditors.

7.2 Penalties imposed by Financial Intelligence Unit - India

FIU-India imposed penalty of ₹0.02 Crore for delay in submission of Report – 1 & non-submission of Report-2 under Alert No.5, General Election (Lok Sabha)-2019 as per FIU-India order dated 23-12-2020. The said penalty was paid by Bank on 15th January 2021.

8. I. Disclosure regarding concentration of Deposits Advances Exposures and NPAs:

8.1 Concentration of Deposits: (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
(a) Total Deposits of twenty largest depositors	9631.66	14136.35
(b) Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	2.92%	4.51%

8.2 Concentration of Advances* (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
(a) Total Advances (Credit Exposure) to Top 20 largest borrowers	26799.69	28127.76
(b) Total Advances (Credit Exposure)	239395.06	236554.33
(c) Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	11.19%	11.89%

*Represents credit exposure as per RBI norms

8.3 Concentration of Exposures** (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
(a) Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	29346.87	30096.58
(b) Total Exposure	261162.02	257390.02
(c) Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	11.24%	11.69%

**Represent credit and investment exposure

8.4 Concentration of NPAs (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Exposure to top four NPA accounts	6355.65	6355.09

II. Sector wise advances: (₹ in Crore)

S.No	Sector	31.03.2021			31.03.2020		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	36206.99	5349.43	14.77	34419.40	5054.21	14.68
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	11748.97	2551.80	21.72	10672.00	2449.27	22.95
3	Services	20797.66	3138.39	15.09	18578.16	2952.44	15.89
4	Personal loans	19468.85	1369.77	7.04	16318.38	1197.93	7.34
	Sub-total (A)	**88222.47**	**12409.39**	**14.07**	**79987.94**	**11653.85**	**14.57**
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Industry	19304.03	8379.49	43.41	52952.66	18930.02	35.75
3	Services	39309.32	7315.77	18.61	14964.92	1193.37	7.97
4	Personal loans	30077.15	1172.31	3.90	24338.23	811.84	3.34
	Sub-total (B)	**88690.50**	**16867.57**	**19.02**	**92255.81**	**20935.23**	**22.69**
	Total (A+B)	**176912.97**	**29276.96**	**16.55**	**172243.75**	**32589.08**	**18.92**

III. A. Movement of NPAs (₹ in crore)

Particulars	31.03.2021		31.03.2020	
Gross NPAs *as on 1st April (opening Balance)	32589.08		32356.04	
Additions (Fresh NPAs) during the year	6142.34		8150.61	
Sub Total (A)		**38731.42**		**40506.65**
Less:-				
(i) Upgradation	498.63		422.53	
(ii) Recovery (excluding recoveries made from upgraded accounts)* Sale of NPA	2963.39		3325.85	
(iii) Technical/Prudential Write-Offs	4809.62		3388.95	
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	1182.82		780.24	
Sub-total (B)		**9454.46**		**7917.57**
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)		**29276.96**		**32589.08**

B. Technical write-off and the recoveries:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts as at April 1	18204.84	16077.80
Add: Technical/Prudential write-offs during the year	4809.62	3388.95
Sub-total (A)	**23014.46**	**19466.75**
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B) *	536.10	1261.91
Closing balance as at March 31 (A-B)	**22478.36**	**18204.84**

*includes conversion to Regular write off of ₹ 128.70 crore (Previous year ₹ 602.27 crore (Previous), ECGC claims appropriation amounting to ₹ 35.53 crores & upgradation to performing asset ₹ 103.58 crore.

IV. Overseas Assets NPAs and Revenue (₹ in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Total Assets	NIL	NIL
Total NPAs	NIL	NIL
Total Revenue	NIL	NIL

V. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

VI. Disclosures relating to Securitization:

(₹ in crore)

S. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1.	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions*	NIL	NIL
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	NIL	NIL
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
4	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	NIL	NIL
	a) Off-balance sheet exposures	NIL	NIL
	i) Exposure to own securitizations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Loss	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitisations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
	b) On-balance sheet exposures	NIL	NIL
	i) Exposure to own securitisations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL
	ii) Exposure to third party securitisations	NIL	NIL
	First loss	NIL	NIL
	Others	NIL	NIL

*Only the SPVs relating to outstanding securitization transactions may be reported here

VII. Intra-Group Exposures: (₹ in crore)

	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
(a)	Total amount of intra-group exposures	761.28	785.34
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures (there are only 5 entities in this category)	761.28	785.34
(c)	Percentage of intra-group- exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.29%	0.30%
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon if any	Nil	Nil

VIII. Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF):

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Opening balance of amounts transferred to DEAF	536.14	251.15
Add: Amount transferred to DEAF during the year	304.16	289.93
Less: Amount reimbursement by DEAF towards claims	2.95	4.94
Closing balance of amounts transferred to DEAF	837.35	536.14

Pending reconciliation of Inter Branch reconciliation & other reconciliation, certain short/excess amounts has been transferred and certain eligible credit balances are also not yet remitted.

9. Liquidity Cover

LCR Disclosure

(₹ in crore)

		31.03.2021		31.03.2020	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		127723		105871.78
Cash Outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:				
(i)	Stable deposits	155504.74	7775.24	75907.10	3795.46
(ii)	Less stable deposits	136269.59	13626.96	193480.79	19348.25
3	Unsecured wholesale funding of which:				
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	29448.04	12746.65	32079.03	15371.13
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding				0.00
5	Additional requirements of which				
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	4560.93	4560.93	5365.36	5413.51
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	14381.12	2095.55	18715.68	2137.63
6	Other contractual funding obligations	2422.70	2422.70	1803.78	1822.30
7	Other contingent funding obligations	45067.76	1361.37	19589.34	655.41
8	**Total Cash Outflows**		**44589.39**		**48553.68**
Cash Inflows					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	16428.28	0.00	7653.67	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	2470.64	2470.64	2287.16	2287.16
11	Other cash inflows	10973.25	9107.67	17853.64	13450.31
12	**Total Cash Inflows**	**29872.17**	**11578.30**	**27794.46**	**15737.46**
		Total Adjusted Value		**Total Adjusted Value**	
13	**TOTAL HQLA**	**127723.11**		**105871.78**	
14	**Total Net Cash Outflows**	**33011.09**		**32816.22**	
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**	**386.91**		**322.62**	

LCR Qualitative Disclosures:

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) is one of the Basel Committee's key reforms to develop a more resilient banking sector. The LCR is expected to improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, thus reducing the risk of spill over from the financial sector to the real economy. The Liquidity Risk Management of the Bank is governed by the Asset Liability Management (ALM) Policy approved by the Board. Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard has been introduced with the objective that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario.

The LCR is calculated by dividing a Bank's stock of HQLA by its total net cash outflows over a 30-day stress period. The line items significant to LCR are:

Liquidity Coverage Ratio (LCR) Qualitative Disclosures		
Line items significant to LCR		**Explanatory Notes**
a	The main drivers of the LCR results and the evolution of the contribution of inputs to the LCR's calculation	The main drivers of LCR results are : 1) High Quality Liquid Asset (HQLA) is one of the major drivers of LCR; the major portion of HQLA consists of facility to avail liquidity under Marginal Standing Facility (MSF), FALLCR & excess SLR investments. 2) Cash Outflow is another major driver of LCR. The main components of cash outflows are less stable retail deposit, funding from other legal entity and net derivative cash outflow. 3) Another major driver of LCR is Cash Inflow. The main components of cash inflows are inflows by counterparty and net derivative cash inflow.
b	Intra-period changes as well as changes over time	Not Applicable
c	The composition of HQLA	The HQLA comprises of the following: 1. Level 1 assets comprises of surplus SLR investments (net of encumbered against REPO, CBLO, MSF, CROMS, other securities pledged for RTGS, SGF, MCX, NSCCL etc) and 2% of NDTL applicable for MSF and 15.00% of NDTL (FALLCR) as per RBI circular no. RBI/2018-19/164 DBR.BP.BC.No.34/ 21.04.098/2018-19 dated 04/04/2019. 2. Level 2A assets comprises of Special (Discom) Bonds issued by State Government, Bonds issued by State Power Distribution Companies, Central Government PSUs excluding the finance companies and bonds of private corporates having rating of AA- and above excluding the finance companies. 3. Level 2B assets comprises of bonds of corporates having rating of BBB- to A+ excluding the finance companies. 4. Level 2B assets also comprises of NIFTY/SENSEX shares excluding the finance companies.
d	Concentration of funding sources	Bank addresses the funding concentration by monitoring their funding from each significant counterparty, each significant product / instrument and each significant currency ('significant' is defined as aggregate amount is more than 1% of the bank's liabilities).
e	Derivative exposures and potential collateral calls	Derivative exposure of the bank consists of the following: 1. OTC Derivatives a) Forwards b) Currency Swaps c) Interest Rate Swap

		2. Exchange Traded Derivatives a) Currency Futures b) Interest Rate Futures Potential collateral call comes into question if the trades take place on the Exchange or the settlement takes place through Central Counterparty and is guaranteed and also if the Credit Support Annex(CSA) which is an attachment to the ISDA Master Agreement is signed with the counterparties. For exposure of trades under Currency Futures and Interest Rate Futures bank is maintaining margins in the form of collaterals (G-Secs) and the same is being maintained depending on the amount of exposure and the volatility in the market. All Interbank USD/INR Swaps and forwards are being settled through CCIL which is a Central Counterparty (CCP). Bank is maintaining margins in the form of collaterals (G-Secs) with CCIL for guaranteed settlement of Interbank USD/INR Swaps and Forwards. The amount of margin depends on the amount of exposure and the volatility in the respective markets. The additional margin is being maintained with the Exchange/ CCP as and when the call is made for the same. At present, bank does not have in place the Credit Support Annex with any counterparty. As such, no potential collateral call will arise.
f	Currency mismatch in the LCR	To capture potential currency mismatches, the LCR in each significant currency is monitored. A currency is considered as "significant" if the aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. Bank doesn't have currency mismatch in LCR as bank does not have exposure in 'significant' currency.
g	Degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units	Liquidity management in the bank is centralized and monitored by ALM & Treasury team. Interaction between treasury, CBS, ALM team & other functional units are seamless.
h	Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile.	None
i	Other Information	None

The average LCR for the quarter ended March 31, 2021 was at 417.10% as against 312.43% for the quarter ended March 31, 2020 and well above the present prescribed minimum requirement of 100%. The average HQLA for the quarter ended March 31, 2021 was 129693 crore as against was 110509 crore for the quarter ended March 31, 2020.

The average LCR for the year ended March 31, 2021 was at 386.91 % as against 322.62 % for the year ended March 31, 2020.

10. Other Disclosures

Insurance Business :

Fees/ remunerations received in respect of the Bancassurance Business during the current year is as under :

Particulars	31.03.2021		31.03.2020	
	No. of policies	Amount (₹ in crore)	No. of policies	Amount (₹ in crore)
Life	78385	50.78	74447	31.22
Non Life	273976	11.59	223167	8.32
Total	**352361**	**62.37**	**297614**	**39.54**

11. The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India:

a) Accounting Standard - 9

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy No. 8. However the said income is not considered to be material.

b) Accounting Standard-15 "Employee Benefits":

i. Defined Benefit Plans

As furnished by the management & relied by the auditors

Employee's Pension Plans and Gratuity Plans

The following table sets out the status of the Defined Benefit Pension Plans and Gratuity Plan as per Actuarial Valuation by the independent Actuary appointed by the bank -:

(₹ in crore)

	Pension Plan		Gratuity Plan	
Particulas	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
Change in the Present Value of the Defined Benefit Obligation	**FY(20-21)**	**FY(19-20)**	**FY(20-21)**	**FY(19-20)**
Opening Defined Benefit Obligation 1st April ,2020	**15,421.82**	**14,245.10**	**1,623.23**	**1,648.13**
Current Service Cost	78.11	71.81	82.84	64.61
Interest Cost	1,000.65	1,108.27	101.61	128.39
Past Service Cost (Vested Benefit)	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial Losses (gains)	598.99	1,187.72	244.23	82.98
Benefits Paid	(1,541.90)	(1,191.08)	(325.24)	(300.88)
Direct Payment by Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
Closing Defined Benefit Obligation at 31st March ,2021	**15,557.68**	**15,421.82**	**1,726.67**	**1,623.23**

(₹ in crore)

Change in Plan Assets	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
	FY(20-21)	**FY(19-20)**	**FY(20-21)**	**FY(19-20)**
Opening Fair Value of Plan Assets as at 1st April,2020	14,939.64	14,645.14	1,720.32	1,878.26
Expected Return on Plan Assets	1,037.01	1,139.39	106.55	146.32
Contributions by Employer	487.00	0.00	0.00	0.00
Expected Contributions by the employees	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits Paid	(1,541.90)	(1,191.08)	(325.24)	(300.88)
Actuarial Gains /(Loss)on Plan Assets	276.30	346.19	32.99	(3.38)
Closing Fair Value of Plan Assets as at 31st March,2021	**15,198.05**	**14,939.64**	**1,534.62**	**1,720.32**

(₹ in crore)

Amount Recognized in the Balance Sheet	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
	FY(20-21)	**FY(19-20)**	**FY(20-21)**	**FY(19-20)**
Present Value of Funded obligation at 31st March,2021	15,557.68	15,421.82	1,726.67	1,623.23
Fair Value of Plan Assets at 31st March,2021	(15,198.05)	(14,939.64)	(1,534.62)	(1,720.32)
Deficit/(Surplus)	359.63	482.18	192.05	(97.09)
Net Liability/(Asset)	359.63	482.18	**192.05**	**(97.09)**

(₹ in crore)

Net Cost Recognized in the Profit And Loss Account	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
	FY(20-21)	**FY(19-20)**	**FY(20-21)**	**FY(19-20)**
Current Service Cost	78.11	71.81	82.84	64.61
Interest Cost	1,000.65	1,108.27	101.61	128.39
Expected Return on Plan Assets	(1,037.01)	(1,139.39)	(106.55)	(146.32)
Net Actuarial Losses/(Gain) Recognized During the Year	322.69	841.53	211.24	86.36
Total Cost of Defined Benefit Plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for Employees"	**364.45**	**882.22**	**289.14**	**133.04**

(₹ in crore)

Reconciliation of Expected Return And Actual Return on Plan Assets	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
	FY(20-21)	**FY(19-20)**	**FY(20-21)**	**FY(19-20)**
Expected Return on Plan Assets	1,037.01	1,139.39	106.55	146.32
Actuarial Gain/(loss)on Plan Assets	276.30	346.19	32.99	(3.38)
Actual Return on Plan Assets	**1,313.31**	**1,485.58**	**139.54**	**142.94**

(₹ in crore)

Reconciliation of Opening And Closing Net Liability /(Asset) Recognized in Balance Sheet	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
	FY(20-21)	**FY(19-20)**	**FY(20-21)**	**FY(19-20)**
Opening Net Liability /(Asset) as at 1st April, 2020	482.18	(400.04)	(97.09)	(230.13)
Expenses as Recognizedin Profit And Loss Account	364.45	882.22	289.14	133.04
Employer's Contribution	(487.00)	0.00	0.00	0.00
Net Liability/(Assets) Recognized in Balance Sheet	**359.63**	**482.18**	**192.05**	**(97.09)**

Investment under Plan Assets of Pension Funds& Gratuity Fund as on 31st March,2021 are as follows-

CATEGORY OF ASSETS	PENSION FUND	GRATUITY FUND
	% OF PLAN ASSETS	% OF PLAN ASSETS
Central Govt. Securities	0.83	2.81
State Govt. Securities	17.75	31.23
Debt Securities, Money Market Securities and Bank Deposits	23.31	42.90
Mutual Funds	2.30	4.43
Insurer Managed Funds	55.81	18.63
Others	0	0
Total	**100**	**100**

Principal Actuarial Assumptions	PENSION PLANS	
	Current Year	Previous Year
	FY(20-21)	FY(19-20)
Discount Rate	6.85	6.83
Expected Rate of Return on Plan Assets	6.85	6.83
Salary Escalation Rate	5.00	5.00
Pension Escalation Rate	4.00	0.00
Attrition Rate	2.50	0.50
Mortality Table	**IALM (2012-14)**	**IALM(2006-08)**

Principal Actuarial Assumptions	GRATUITY PLANS	
PARTICULARS	Current Year	Previous Year
	FY(20-21)	FY(19-20)
Discount Rate	6.55	6.84
Expected Rate of Return on Plan Assets	6.55	6.84
Salary Escalation Rate	5.00	5.00
Attrition Rate	2.50	0.50
Mortality Table	**IALM (2012-14)**	**IALM(2006-08)**

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN

(₹ in crore)

GRATUITY PLAN	YEAR ENDED				
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	**31-03-2017**	**31-03-2018**	**31-03-2019**	**31-03-2020**	**31-03-2021**
Liability at the end of the year	1,847.13	1,741.56	1,648.13	1,623.23	1,726.66
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,656.73	2,124.94	1,878.26	1,720.32	1,534.62
Difference	190.40	(383.38)	(230.13)	(97.09)	192.04
Amount Recognized in the Balance Sheet	**190.40**	**(383.38)**	**(230.13)**	**(97.09)**	**192.04**

(₹ in crore)

EXPERIENCE ADJUSTMENT	YEAR ENDED				
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	**31-03-2017**	**31-03-2018**	**31-03-2019**	**31-03-2020**	**31-03-2021**
On Plan Liability (Gain)/ Loss	318.59	(511.99)	(29.08)	(6.34)	249.60
On Plan Asset (Loss) / Gain	9.91	14.57	(42.56)	(3.38)	32.99

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN

(₹ in crore)

PENSION PLAN	YEAR ENDED				
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	**31-03-2017**	**31-03-2018**	**31-03-2019**	**31-03-2020**	**31-03-2021**
Liability at the end of the year	12,484.08	13,821.17	14,245.10	15,421.82	15,557.67
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	12,420.00	13,515.58	14,645.14	14,939.64	15,198.04
Difference	64.08	305.59	(400.04)	482.18	359.63
Amount Recognized in the Balance Sheet	**64.08**	**305.59**	**(400.04)**	**482.18**	**359.63**

(₹ in crore)

EXPERIENCE ADJUSTMENT	YEAR ENDED				
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	**31-03-2017**	**31-03-2018**	**31-03-2019**	**31-03-2020**	**31-03-2021**
On Plan Liability (Gain)/ Loss	1,053.22	1,029.93	422.24	12.65	2,279.00
On Plan Asset (Loss) / Gain	25.11	263.51	(72.66)	346.19	276.30

The expected contribution to the Pension and Gratuity fund for next year is ₹359.63 Crore and ₹105.80 Crore respectively.

ii) Defined Contribution Plan:

The bank has a defined contribution pension scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining bank on or after 01/04/2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depositary Limited (NSDL) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During 2020-21, the bank has contributed ₹103.67 Crores (Previous year ₹91.85 Crore).

iii) Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

During the year bank has recognized expenses of ₹131.20Crores (Previous Year ₹99.27) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.

c) Accounting Standard 17 – Segment Reporting

As per the revised guidelines of Reserve Bank of India the Bank has recognised Treasury Operations Corporate/ Wholesale Banking Retail Banking and other Banking business as primary reporting segments. There are no secondary reporting segments.

BUSINESS SEGMENTS

(₹ In Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
Revenue	12,601.19	12,252.52	6,596.13	7,212.85	6,700.12	7,733.92	-	-	25,897.44	27,199.29
Result	4,004.01	2,380.29	(3,825.59)	(2,802.95)	(1,295.31)	(333.55)	-	-	(1,116.89)	(756.22)
Unallocated Expenses									206.72	153.27
Operating Profit									(1,323.61)	(909.48)
Income Taxes									(436.03)	211.86
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Profit									(887.58)	(1,121.34)
Other Information:										
Segment Assets	1,92,414.73	1,76,075.99	80,425.43	82,540.75	80,102.83	82,542.57	-	-	3,52,942.98	3,41,159.31
Unallocated Assets									16,272.00	15,276.55
Total Assets									3,69,214.99	3,56,435.86
Segment Liabilities	1,97,847.44	1,81,122.41	72,576.79	77,633.98	72,285.67	76,250.00	-	-	3,42,709.90	3,35,006.39
Unallocated Liabilities									-	-
Total Liabilities									3,42,709.90	3,35,006.39
Capital Employed	(5,432.71)	(5,046.42)	7,848.64	4,906.78	7,817.16	6,292.56	-	-	10,233.09	6,152.92
Unallocated									16,272.00	15,276.55
Total Capital Employed									26,505.09	21,429.47
* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets wherever direct allocation is not possible. Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification										

ii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities Money Market operations and Forex operations.

iii) The Retail Banking Segment consists of all exposures up to a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation product granularity criteria and individual exposures.

iv) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts/ Partnership Firms Companies and statutory bodies which are not included under Retail Banking.

v) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.

vi) Retail Banking Segment is the Primary resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the Retail Banking Segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

d) Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party

1 List of Related Parties:

(a) **Key Managerial Personal–**

	Name	Designation
i)	Mr. Matam Venkata Rao (w.e.f. 01.03.2021)	Managing Director & CEO
ii)	Mr. Pallav Mohapatra (up to 28.02.2021)	Managing Director & CEO
iii)	Mr. Alok Srivastava	Executive Director
iv)	Mr. Vivek Wahi (w.e.f. 10.03.2021)	Executive Director
v)	Mr. Rajeev Puri (w.e.f. 10.03.2021)	Executive Director
vi)	Mr. B.S. Shekhawat (up to 08.10.2020)	Executive Director

(b) **Subsidiaries –**

i)	Cent Bank Home Finance Ltd.
ii)	Cent Bank Financial & Custodial Services Ltd.

(c) **Associates**

(i)	**Regional Rural Banks –**
i)	Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Bihar)
ii)	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (West Bengal)
(ii)	Indo – Zambia Bank Ltd., Zambia

2. **Transactions with Related Parties:**

Remuneration paid to key managerial persons: (₹ In Crores)

Name	Designation	Key Management Personnel	
		31.03.2021	**31.03.2020**
Mr. Matam Venkata Rao (w.e.f. 01.03.2021)	Managing Director & CEO	0.02	-
Mr. Pallav Mohapatra (up to 28.02.2021)	Managing Director & CEO	0.94	0.32
Mr. Alok Srivastava	Executive Director	0.27	0.26
Mr. Vivek Wahi (w.e.f. 10.03.2021)	Executive Director	0.01	-
Mr. Rajeev Puri (w.e.f. 10.03.2021)	Executive Director	0.01	-
Mr. B.S. Shekhawat (up to 08.10.2020)	Executive Director	1.30	0.28
Mr. P.R. Murthy (up to 16.02.2020)	Executive Director	-	0.83
TOTAL		**2.55**	**1.69**

Note: Keeping in line with para 9 of the AS – 18 – "Related Party Disclosure" issued by ICAI, the transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.

Further, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with KMP and relatives of KMP have not been disclosed in terms of Para 5 of AS-18.

e) **Accounting Standard 20 – Earnings per Share**

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

Particulars	**31.03.2021**	**31.03.2020**
Net Loss after Tax available for Equity Share Holder (₹in Crore)	(887.58)	(1121.35)
Weighted Average number of Equity Share (No.)	5793798207	4666040090
Basic Earnings per Share (₹)	(1.53)	(2.40)
Diluted Earnings per Share (₹)	(1.53)	(2.40)
Nominal Value per Share (₹)	10	10

*Figures have been restated wherever considered necessary to confirm the current year classification

f) **Accounting Standard 22 –Accounting for Taxes on Income**

Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹7545.68 Crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2021. Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2021 are as under:

(₹ in crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2021	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**
Business Loss	2278.67	1591.74	0.00	0.00
Provision for Leave Encashment	331.41	285.56	0.00	0.00
Provision for Loans and Advances	5810.18	6579.73	0.00	0.00
Terminal Benefits	0.00	0.00	0.00	33.93
Interest accrued but not due on investments	0.00	0.00	787.93	695.83
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	0.00	0.00	34.94	34.94
Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00	51.71	75.53
TOTAL	**8420.26**	**8457.03**	**874.58**	**840.23**
Net Deferred Tax Asset/Liability	**7545.68**	**7616.80**		

Net decrease in Deferred Tax Assets for the year 2020-21 is ₹71.12 crore (Previous year ₹277.21 crore) has been recognized in profit & loss account.

g) Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets is not applicable. In the opinion of the Management there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2021 requiring recognition in terms of the Standard.

h) Accounting Standard – 29 on Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets

(i) Provisions and Contingencies

(₹ in crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.03.2021	31.03.2020
Provisions/Depreciation on Investment(Net)	398.66	1065.54
Provision towards NPA	5128.99	4229.40
Provision towards Standard Asset	263.16	172.35
Provision made for Taxes	(436.03)	211.86
Provision for Restructured Advances	76.49	(158.82)
Other Provisions	86.33	(54.83)
TOTAL	**5517.61**	**5465.50**

(ii) Floating Provisions (₹ in crore)

	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
A	Opening balance in the Floating Provisions account	100.56	100.56
B	The quantum of Floating Provisions made in the Accounting Year	-	-
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.	-	-
D	Closing balance in the Floating Provisions account	100.56	100.56

(iii) Countercyclical Provisioning Buffer: (₹ in crore)

	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
A	Opening balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34
B	The quantum of Countercyclical Provisions made in the Accounting Year	-	-
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.	-	-
D	Closing balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34

12. Details of Complaints:

As compiled by the Management and relied by the Auditors.

Complaints received by the Bank from customers (Excluding ATM & Central Card):

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1	Number of complaints pending at the beginning of the year	425	321
2	Number of complaints received during the year	23812	15208
3	Number of complaints disposed during the year	24075	15104
3.1	Of which, number of complaints rejected by the Bank	-	-
4	Number of complaints pending at the end of the year	162	425

Complaints received by the Bank from customers pertaining to ATM transactions:

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1	Number of complaints pending at the beginning of the year	9865	2656
2	Number of complaints received during the year	190146	288818
3	Number of complaints disposed during the year	195792	281609
3.1	Of which, number of complaints rejected by the Bank	21442	13934
4	Number of complaints pending at the end of the year	4219	9865

Complaints received by the Bank pertaining to Central Card transactions

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1	Number of complaints pending at the beginning of the year	0	0
2	Number of complaints received during the year	2354	2166
3	Number of complaints redressed during the year	2354	2166
4	Number of complaints pending at the end of the year	0	0

Investors' Complaints

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1	Pending at the beginning of the year	0	0
2	Received during the year	2	65
3	Redressed during the year	2	65
4	Pending at the end of the year	0	0

Maintainable complaints received by the Bank from OBOs:

Sr. No.	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
1	Number of maintainable complaints received by the Bank from OBOs	5383	3460
1.1	Of 1, number of complaints resolved in favour of the bank buy BOs	4017	2687
1.2	Of 1, number of complaints resolved through conciliation/mediation/ advisories issued by BOs	1021	560
1.3	Of 1, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against the Bank	2	2
2	Number of Award unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

Top five Grounds of Complaints received by the bank from customers: Current Year (2020-21)

Grounds of complaints (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	No. of complaints pending at the end of the year	Of 5, No. of complaints beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
ATM Transactions	9865	190146	(-) 34.16%	4219	0
Internet/Mobile/E-banking/	25	2485	(+) 113.85%	3	0
Facilities for customers visiting the branch etc	17	2145	(+) 64.49%	3	0
A/C Opening/ difficulty in operation of account-General Banking	17	1769	(+) 94.61%	2	0
Loans & Advances	8	551	(+)89.34%	2	0
Others	358	16862	(+) 46.09%	152	0

Top five Grounds of Complaints received by the bank from customers :Previous Year (2019-20)

Grounds of complaints (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	No. of complaints pending at the end of the year	Of 5, No. of complaints beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
ATM Transactions	2656	288818	(-)7.00%	9865	0
Internet/Mobile/E-banking/	16	1162	(+)10.46 %	25	0
Facilities for customers visiting the branch etc	19	1304	(+)9.30%	17	0
A/C Opening/ difficulty in operation of account-General Banking	21	909	(+)21.36%	17	0
Loans & Advances	2	291	(+)40.57%	8	0
Others	263	11542	(+)45.54%	358	0

13. Details of Letter of Comfort issued by banks and outstanding as on 31.03.2021

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2021	31.03.2020
Letter of Comforts issued during the year	0.00	0.00
Letter of Comforts matured/cancelled during the year	0.00	0.00
Letter of Comforts outstanding as at the end of year	0.00	0.00

The above mentioned Letters of Comfort are issued within the sanctioned Trade Credit Limits.

14. Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The PCR with Technical Write Off (ratio of Provisioning to Gross NPA) stood at 82.54 % (Previous Year 77.29%).

The PCR without Technical Write Off (ratio of Provisioning to Gross NPA) stood at 69.13% (Previous Year 64.61%).

15. The vendors whose services are utilized are selected in compliance with Government of India guidelines regarding MSME sector and Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.

16. Unhedged Foreign Currency exposure:

Unhedged Foreign Currency exposure as on 31.03.2021: ₹ 9340.99 crore (As on 31.03.2020 ₹ 6736.39 crore)

Bank has taken into consideration the exchange risks arising out of volatility in the forex market and accordingly has made suitable provisions to reduce the risks. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of Unhedged foreign currency exposure and accordingly Bank has put in place risk mitigation measures. Total Provision made for exposures to entities with UFCE for the year ended March 31, 2021 is ₹ 3.53 crore (Previous Year: ₹ 0.99 crore).

17. Provision for Frauds:

In terms of RBI circular RBI/2015-16/376/DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2016-16 dated 18.04.2016 details of Fraud and Provision are as below:-

Out of the total frauds of ₹ 4518.31crore in 1026 cases (Previous year ₹ 3993.76 crore in 900 cases) reported during the year, an amount of ₹ 4495.19 Crore in 131 cases represents advances declared as frauds. Full provision has been made for the outstanding balance as on 31st March, 2021 in respect of frauds reported during the year.

18. Credit Default Swaps

Bank has not taken any position in Credit Default Swap in the financial year 2020-21 (Previous Year-Nil).

19. Implementation of the Guidelines on Information Security Electronic Banking Technology Risk Management and Cyber Frauds

The bank has formulated policies as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No. 6/31. 02.008/2010-11dated April 29 2011. These policies are being reviewed by the management of the bank on periodical basis. The policies were last reviewed by the Board of Directors in the meeting held on 26.03.2021.

20. Disclosure with respect to NCLT provisions:-

As per RBI circular No. DBR No. BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR No. BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank is holding total provision of ₹ 6317.12 crores (including FITL of ₹ 127.90 crore) @ (97.67 % of total outstanding including Investment) as on March 31, 2021.

21. Resolution of Stressed Assets

RBI vide their circular no. RBI/2018-19/203 DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7,2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Asset issued guidelines for implementation of Resolution Plan, also containing requirements of additional provision as per Para 17 of the RBI circular. As per the circular, the Bank has implemented Resolution Plans for its 4 borrowers having exposure of ₹ 1880.15 crore as on 31st March 2021. In cases requiring additional provision, the outstanding in such cases as on March 31, 2021 is ₹ 2753.53 crore and in compliance of the above RBI circular, the Bank has made additional provision of ₹ 406.39 crore during the quarter ended March 31,2021 and hold total provision of ₹1923.16 crore as on March 31, 2021.

22. Disclosure of Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

As the additional provisioning requirements assessed by RBI for FY 2019-20 exceeded threshold limit of 10% of the reported profit before provisions and contingencies, the following disclosure is made pursuant to RBI circular no. DBR. BP.BC.No. 32/21.04.018/2018-19 dated 01.04.2019 regarding Divergence in Asset Classification and Provisioning:

Sr. No.	Particulars	Amount (₹ in crore)
1.	Gross NPAs as on March 31, 2020 as reported by the Bank	32589.08
2.	Gross NPAs as on March 31, 2020 as assessed by RBI	32678.08
3.	Divergence in Gross NPAs (2 – 1)	89.00
4.	Net NPAs as on March 31, 2020 as reported by the Bank	11534.46
5.	Net NPAs as on March 31, 2020 as assessed by RBI	11104.46
6.	Divergence in Net NPAs (5 – 4)	(430.00)
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2020 as reported by the Bank	19872.08
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2020 as assessed by RBI	20391.08
9.	Divergence in provisioning (8 – 7)	519.00
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2020	(1121.35)
11.	Adjusted (Notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2020 after taking into account the divergence in provisioning	(1640.35)

The Bank has made required provision against the said diversions as at March 31, 2021.

23. In accordance with RBI circular no. DBR No. BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01,2019, DOR No. BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020 and RBI/2020-21/17 DOR No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Services Tax(GST), the details of MSME restructured accounts as on 31st March, 2021 are as under:

No of Accounts Restructured	Amount in Crore
24569	1722.76

24. DISCLOSURE IN RESPECT OF COVID19 REGULATORY PACKAGE – ASSET CLASSIFICATION AND PROVISIONING IN TERMS OF RBI CIRCULAR DATED 17.04.2020

RBI vide Notification No. RBI/2019-20/186 DOR.No.BP.BC.47/21.04.048/2019-20 dated March 27, 2020, has announced measures to mitigate the burden of debt servicing brought about by disruptions on account of COVID-19 pandemic and to ensure the continuity of viable businesses. The measures include Rescheduling of Payments – Term Loans and Working Capital Facilities, Easing of Working Capital Financing, Classification as Special Mention Accounts (SMA) and Non- Performing Asset (NPA) etc.

In accordance with the RBI guidelines relating to COVID-19 as conveyed vide their circular no.DOR No.BP. BC.63/21.04.048/2019-20 dated 17.04.2020 and DOR No.BP.BC.71/21.04.048/2019-20 dated 23.05.2020, the Bank has granted a moratorium on the payment of all installments and / or interest, as applicable, falling due between March 1, 2020 and August 31, 2020 to all eligible borrowers classified as Standard, even if overdue, as on February 29, 2020. For all such accounts where the moratorium is granted, the asset classification shall remain stand still during the moratorium period (i.e. the number of day's past-due shall exclude the moratorium period for the purposes of asset classification under the Income Recognition, Asset Classification and Provisioning norms). The disclosure requirements as required by RBI circular dated April 17, 2020 is given below:

Sr. No.	Particulars	Amount (₹ in crore)
1	Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/ deferment was extended (Position as on March 31, 2020)	33577.18
2	Respective amount where asset classification benefits is extended	3030.94
3	Provisions made during the Q4 FY 2020	143.25
4	Provisions made during the Q1, FY 2021	161.75
5	Provisions adjusted against slippages (NPA and Restructuring) in terms of para 6 of above circular	305.00
6	Residual provisions held as on 31.03.2021 in terms of para 6 of above circular	NIL

25. In Accordance with the instructions of RBI circular dated 07.04.2021 on "Asset Classification and Income Recognition following the expiry of Covid 19 regulatory package", the Bank shall refund / adjust 'interest on interest' charged to all borrowers including those who had availed of working capital facilities during moratorium period i.e. 01.03.2020 to 31.08.2020, irrespective of whether moratorium had been fully or partially availed, or not availed. Pursuant to these instructions, the methodology for calculation of the amount to be refunded / adjusted for different facilities shall be finalized by the Indian Bank Association (IBA) in consultation with other industry participants/bodies, which shall be adopted by all the lending institution. Accordingly, IBA vide its letter dated 19.04.2021 has informed methodology finalised for refund/adjustment as per Supreme Court Judgement.

Accordingly, the Bank has created an estimated liability of ₹50.34 crore towards the same and has reduced the same from interest income for the year ended on 31.03.2021.

26. The details of PSLC sold/purchased and income/expenditure generated during the year are as under:

(₹ in crore)

SECTOR	Agri		General		Micro		S & M Farmer		Total Quantity (₹ Cr.)	Total PROFIT / LOSS
MONTHS	Quantity (₹ Cr.)	PROFIT / LOSS	Quantity (₹ Cr.)	PROFIT / LOSS	Quantity (₹ Cr.)	PROFIT / LOSS	Quantity (₹ Cr.)	PROFIT / LOSS		
May-20			(5,050.00)	22.69	-	-	(350.00)	6.34	(350.00)	6.34
Jun-20			(9,000.00)	14.90	-	-	(4,650.00)	83.06	(9,700.00)	105.74
Mar-21							(3,000.00)	39.35	(12,000.00)	54.25
Grand Total			**(14,050.00)**	**37.59**	**-**	**-**	**8,000.00**	**128.75**	(22,050.00)	**166.33**

Note:- ve indicates sale of PSLC and +ve indicates purchase of PSLC.

Commision Rate for the above PSLC's ranges from 0.43% to 1.98%.

27. Disclosure regarding accounts restructured under resolution framework 1.0 for Covid 19 related stresses asset for the quarter ending March 31, 2021

Format – A

Type of borrower	(A) Number of accounts where resolution plan has been implemented under this window	(B) exposure to accounts mentioned at (A) before implementation of the plan	(C) Of (B), aggregate amount of debt that was converted into other securities	(D) Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation	(E) Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan
Personal Loans	872	99.85	NIL	NIL	9.18
Corporate persons*	1	100.00	NIL	NIL	10.00
Of which, MSMEs	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Others	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total	**873**	**199.85**	**NIL**	**NIL**	**19.18**

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

28. The outbreak of Corona virus (COVID-19) pandemic globally including India has resulted in slowdown of economic activities and increased volatility in financial markets. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Bank's financial results will depend on future developments, which are highly uncertain. Given the uncertainty, because of COVID-19 pandemic, the Group is continuously monitoring any material change in future economic condition which may impact the Group's operations and its financial results in future depending on the developments which may differ from that estimated as at the date of approval of the financial statements. Looking to the present scenario and COVID-19 situation, Bank as a onetime measure, made a provision of ₹1049.84 crore in identified NPA accounts as a matter of prudence.

29. Draw Down from Reserves

During the Financial Year 2020-21, there has been no draw down from the reserves (Previous Year – NIL).

30. Reserve Bank of India vide their letter dated June 13, 2017, has put the Bank under Prompt (PCA) Corrective Action in view of high net NPA and negative Return on Assets. Bank is complying the PCA framework norms meticulously. Bank has prepared an action plan and also taken various steps to reduce NPA and improve the profitability.

31. Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm current year's classification.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

MATAM VENKATA RAO
Managing Director & CEO

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHRI P.J. THOMAS
Director

MRS. MINI IPE
Director

For AAJV AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.007739N

For S JAYKISHAN
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 309005E

J. P. BAJAJ
PARTNER
M. NO. 086390
UDIN: 21086390AAAACO4044

VIVEK NEWATIA
PARTNER
M. NO. 062636
UDIN: 21062636AAAAFV1675

For CHHAJED & DOSHI
Chartered Accountants
F.R.NO.101794W

For AMBEKAR SHELAR KARVE & AMBARDEKAR
Chartered Accountants
F.R.NO.122063W

NITESH JAIN
PARTNER
M.NO. 136169
UDIN: 21136169AAAACU7337

SACHIN AMBEKAR
PARTNER
M.NO. 108911
UDIN: 21108911AAAACZ8254

Place : Mumbai
Date : 7th June 2021

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2021	31- 03- 2020
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit/(Loss) before taxes	**(1,323.61)**	**(909.49)**
I	**Adjustments for:**		
	Depreciation on fixed assets	292.32	285.28
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	398.67	1,065.54
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	5,205.48	4,070.58
	Provision for Standard Assets	263.15	172.35
	Provision for Other items (Net)	86.34	(54.83)
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	21.00	22.41
	Dividend Received from Subsidiaries	(6.48)	(17.64)
	Sub total	**4,936.87**	**4,634.20**
II	Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	16,209.78	13,907.72
	Increase / (Decrease) in Borrowings	(318.57)	548.14
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(8,264.10)	8,826.87
	(Increase) / Decrease in Advances	(10,683.25)	(8,646.10)
	(Increase) / Decrease in Investments	(6,464.03)	(18,285.01)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	954.48	928.02
	Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	1,641.94	(143.20)
	Sub total	**(6,923.76)**	**(2,863.56)**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**(1,986.89)**	**1,770.64**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	2.71	7.18
	Purchase of Fixed Assets	(203.11)	(321.51)
	Dividend Received from Associates/Subsidiaries	6.48	17.64
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(193.92)**	**(296.69)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Share Capital (Including Share Premium)	255.00	3,403.22
	Share Application Money	4,800.00	-
	Dividend - Equity shares Inculding Interim Dividend	-	-
	Dividend Tax	-	-
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**5,055.00**	**3,403.22**
D	**Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)**	**2,874.19**	**4,877.17**

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(₹ In Crore)

Sn	Particulars	31- 03- 2021	31- 03- 2020
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	30,059.82	20,779.09
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	6,017.29	10,420.85
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	**36,077.11**	**31,199.94**
F	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE HALF YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	32,187.84	30,059.82
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	6,763.46	6,017.29
	Net cash and cash equivalents at the end of the half year (F)	**38,951.30**	**36,077.11**

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

MATAM VENKATA RAO
Managing Director & CEO

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHRI P.J. THOMAS
Director

MRS. MINI IPE
Director

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

For S. JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

For CHHAJED & DOSHI
Chartered Accountants
F.R. No.101794W

For AMBEKAR SHELAR KARVE
Chartered Accountants
F.R. No.122063W

(CA J.P. BAJAJ)
Partner
M.No.086390
UDIN: 21086390AAAACO4044

(CA VIVEK NEWATIA)
Partner
M.No.062636
UDIN: 21062636AAAAFV1675

(CA NITESH JAIN)
Partner
M.No.136169
UDIN: 21136169AAAACU7337

(CA SACHIN AMBEKAR)
Partner
M.N.No.108911
UDIN: 21108911AAAACZ8254

Place: Mumbai
Date: June 7, 2021

PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES AS ON 31.03.2021

Table DF-1: Scope of Application

(i) Qualitative Disclosures:

The disclosure in this sheet pertains to Central Bank of India on solo basis.

In the consolidated accounts (disclosed annually), Bank's subsidiaries/associates are treated as under

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21.	Yes	NA	NA	NA
Cent Bank Financial Services Ltd./India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 21	Yes	NA	NA	NA
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Associate: Not under scope of regulatory Consolidation
Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar/ India	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Associate: Not under scope of regulatory Consolidation
Indo-Zambia Bank Ltd. /Zambia.	Yes	Consolidation of the financial statements of subsidiaries in accordance with AS- 23	No	NA	NA	Joint Venture: Not under scope of regulatory Consolidation

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principal activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NO SUCH ENTITY					

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) ₹ in Crore	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) ₹ in Crore
Cent Bank Home Finance Ltd./ India	The main objective of the Company is to provide housing finance and mortgage loan	25	1187
Cent Bank Financial Services Ltd./India	Providing investment banking products / services to corporate clients	5	42
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur/ India*	Regional Rural Bank	569	18049
Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar/ India	Regional Rural Bank	91	4017

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted: NIL

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted: NIL

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group: NIL

Table DF-2: Capital Adequacy

Qualitative disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assess the adequacy of its capital to support current and future activities:

The Bank carries out regular assessment of its capital requirement from time to time to maintain the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) at desired level. The capital plan is reviewed on annual basis to take care of business growth and CRAR.

The Bank has adopted standardized approach for credit risk, basic indicator approach for operational risk and standardized duration approach for market risk for computation of risk weight.

The Bank has put in place a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process to enable the Bank to plan its capital requirements in relation to its business projections and to meet the risks inherent in the business. The main objective of ICAAP exercise is to identify and measure the risks that are not fully captured by the minimum capital ratio prescribed under Pillar I; the risks that are not at all taken into account by the pillar I; and the factors external to the Bank and to provide capital for such additional risks and to measure an appropriate level of internal capital as per the risk appetite. The Bank has also put in place the stress testing policy to measure impact of adverse stress scenario on its CRAR.

The Bank reviews the ICAAP on quarterly basis.

The Bank has taken initiatives to migrate to advanced approaches for Capital Adequacy

Computation, and has implemented SAS solution for computation of risk weight under Advanced Approach.

Quantitative disclosures **(b) Capital requirements for credit risk:**	
• Portfolios subject to standardized approach @9%	₹ 10622 Crore
• Securitization exposures :	NIL
(c) Capital requirements for market risk:	
• Standardized duration approach;	
– Interest rate risk	₹ 1147 Crore
– Foreign exchange risk (including gold)	₹ 4 Crore
– Equity risk	₹ 357 Crore
(d) Capital requirements for operational risk:	
• Basic Indicator Approach	₹ 964 Crore
(e) Common Equity Tier 1, Tier 1and Total Capital ratios:	
• Common Equity Tier 1	12.82%
• Tier 1	12.82%
• Total Capital ratio	14.81%

General qualitative disclosure requirement

A committee of Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under various risks viz. credit, operational, market, etc. The Bank also has separate committees comprising of top executives of Bank, headed by Managing Director & CEO and Executive Directors, such as Asset Liability Management Committee, Credit Risk Management Committee and Operational Risk Management Committee. These committees meet at regular intervals to assess and monitor the level of risk under various operations and initiate appropriate mitigation measures wherever necessary.

The Risk Management Department at Central Office headed by the Chief Risk Officer measures controls and manages risk within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by the committees. The Chief Risk Officer is assisted by a team of Deputy General Managers, Assistant General Managers, Chief Managers, Senior Managers and Managers.

Risk Managers are posted at all Zonal offices who act as extended arms of Risk Management Department of Central Office. Risk Managers have also been identified at Regional Offices.

The Bank has in place detailed policies such as Credit Risk Policy, Model Risk Policy, Credit Rating Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Enterprise Risk Management Policy, Operational Risk Management Policies, ALM Policy, Market Risk Management Policy, etc.

Besides these, the Loan Policy prescribe the parameters governing loan sourcing, guidelines on appraisal and evaluation of credit proposals, lending powers of delegated authorities, exposure norms and prudential limits.

Credit Monitoring Department headed by a General Manager monitors the loan portfolio, identifies Special Mention Accounts and takes corrective measures. Loan Review Mechanism is implemented by the department apart from managing of accounts under CDR mechanism.

Dynamic Review of all account with exposure above Rs 300 Crore is also under taken at specified frequency. Further, Dynamic Review of accounts with exposure above Rs 25 crore is under taken as and when any trigger/event takes place. Credit monitoring policy prescribes the methodology for monitoring and supervising the credit portfolio.

The Bank has introduced rating models for different segments of borrowers including retail lending schemes which measure the risks associated with counterparties and helps in making lending and pricing decisions. In case of large borrowers, credit risk assessment models evaluate Financial risk, Industry risk, Management risk and Business risk of the counter party. Conduct of account is also factored in for arriving at an overall rating of the counter party. If parental support as corporate guarantee is available, it is also factored in. To assess the risk return trade off, RAROC is computed and used in decision making.

Table DF-3 : Credit risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures

Credit risk

Impaired :

The Working Group to review the existing prudential guidelines on restructuring of advances by banks/financial institutions in its report dated 20.07.2012 observed that as per international accounting standards, accounts are generally treated as impaired on restructuring and recommended that similar practice should be followed in India. Ind AS 109 contains guidance on the recognition, derecognition, classification and measurement of financial instruments including impairment and hedge accounting

A Non-Performing Asset shall be a loan or an advance where-

(i) Interest and/or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan;

(ii) The account remains out of order for 90 days

(iii) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted

(iv) In case of advances granted for Agricultural purposes

a) The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops

b) The instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops

(v) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.

(vi) in respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark to- market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.

Out of Order:

An account should be treated as "Out of Order" if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power, or in cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credits are not enough to cover the interest debited in the account during the same period.

Overdue:

Any amount due to a bank under any credit facility is overdue if it is not paid on due date fixed by the bank.

Credit Risk Management Policy

The Bank has put in place a well-articulated Board approved Credit Risk Policy which is reviewed annually. The policy deals with the following areas:

- Credit risk- definition, Policy and strategy
- Risk identification & measurement,
- Risk grading and aggregation,
- Credit risk rating framework and reporting,
- Risk control and portfolio management,
- Mitigation techniques,
- Target markets and type of economic activity,
- Credit approval authority,
- Country and currency exposure,
- Maturity patterns, level of diversification,
- Cyclical aspect of the economy,
- Credit risk in off balance sheet exposure,
- Credit risk monitoring procedures
- Managing of credit risk in interbank exposure,
- Country risk and other operational matters

Quantitative Disclosures:	₹ in Crore
(a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based*:	316862
Non-fund based:	32482
*includes cash, balances with banks, investments,etc	
(b) Geographic distribution of exposures:	
• Overseas	6511
• Domestic	342833

	₹ in Crore	₹ in Crore	₹ in Crore
(c) Industry Name	**Funded**	**Non-Funded**	**Investment**
A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)	518	633	49
A.1 Coal	231	302	0
A.2 Others	287	332	49
B. Food Processing (B.1 to B.5)	6731	1116	495
B.1 Sugar	1824	22	434
B.2 Edible Oils and Vanaspati	965	871	0
B.3 Tea	14	2	0
B.4 Coffee	26	0	0
B.5 Others	3902	222	61
C. Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco	184	16	0
C.1 Tobacco and tobacco products	48	0	0
C.2 Others	137	15	0
D. Textiles	6067	366	336
D.1 Cotton	2215	264	184
D.2 Jute	240	23	0
D.3 Man-made, of which	532	8	0
D.4 Others	3080	72	152
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	547	12	0
E. Leather and Leather products	206	6	0
F. Wood and Wood Products	212	44	0
G. Paper and Paper Products	795	94	45
H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	2548	108	1012
I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)	2879	829	12
I.1 Fertilizers	583	53	0
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	1107	683	10
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	296	58	0
I.4 Others	893	34	2
J. Rubber, Plastic and their Products	1280	149	0

	₹ in Crore	₹ in Crore	₹ in Crore
(c) Industry Name	**Funded**	**Non-Funded**	**Investment**
K. Glass & Glassware	86	6	0
L. Cement and Cement Products	1645	127	0
M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)	6932	1721	233
M.1 Iron and Steel	4337	549	53
M.2 Other Metal and Metal Products	2595	1171	180
N. All Engineering (N.1 + N.2)	6354	2791	64
N.1 Electronics	3371	253	20
N.2 Others	2983	2538	44
O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment's	1332	428	274
P. Gems and Jewellery	3366	66	0
Q. Construction	2517	2315	294
R. Infrastructure (a to d)	25313	6986	7613
R.a Transport (a.1 to a.8)	7236	1452	1083
R.a.1 Roads and Bridges	5973	691	1083
R.a.2 Ports	69	0	0
R.a.3 Inland Waterways	0	0	0
R.a.4 Airport	78	8	0
R.a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	646	48	0
R.a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)	433	698	0
R.a.7 Shipyards	26	0	0
R.a.8 Logistics Infrastructure	12	8	0
b. Energy (b.1 to b.6)	8587	1332	5882
b.1 Electricity (Generation)	6386	434	5882
b.1.1 Central Govt PSUs	2182	4	1000
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	971	82	3861
b.1.3 Private Sector	3234	348	1021
b.2 Electricity (Transmission)	301	176	0
b.2.1 Central Govt PSUs	0	0	0
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	104	124	0
b.2.3 Private Sector	197	51	0
b.3 Electricity (Distribution)	1409	709	0
b.3.1 Central Govt PSUs	0	0	0
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	1403	372	0
b.3.3 Private Sector	6	337	0
R.b.4 Oil Pipelines	116	0	0
R.b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	374	10	0
R.b.6 Gas Pipelines	0	3	0

	₹ in Crore	₹ in Crore	₹ in Crore
(c) Industry Name	**Funded**	**Non-Funded**	**Investment**
R.c. Water and Sanitation (c.1 to c.7)	320	8	0
R.c.1 Solid Waste Management	10	0	0
R.c.2 Water supply pipelines	1	0	0
R.c.3 Water treatment plants	8	4	0
R.c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	19	1	0
R.c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	282	3	0
R.c.6 Storm Water Drainage System	0	0	0
R.c.7 Slurry Pipelines	0	0	0
R.d. Communication (d.1 to d.3)	832	2208	39
R.d.1 Telecommunication (Fixed network)	335	3	0
R.d.2 Telecommunication towers	1	0	0
R.d.3 Telecommunication and Telecom Services	496	2205	39
R.e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.12)	2256	116	0
R.e.1 Education Institutions (capital stock)	642	14	0
R.e.2 Hospitals (capital stock)	523	75	0
R.e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	313	18	0
R.e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	272	4	0
R.e.5 Fertilizer (Capital investment)	0	0	0
R.e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	253	6	0
R.e.7 Terminal markets	3	0	0
R.e.8 Soil-testing laboratories	0	0	0
R.e.9 Cold Chain	0	0	0
R.e.10 Sports Infrastructure	200	0	0
R.e.11 Tourism - Ropeways and Cable Cars	46	0	0
R.e.12 Affordable Housing	3	0	0
R.f. Others, if any, please specify	6083	1870	610
S. Other Industries, pl. specify	16847	2450	38
All Industries (A to S)	85813	20249	10465
Residuary other advances (to tally with gross advances)	132496	837	11302
Total	**218309**	**21087**	**21767**
Industry exposure is more than 5% of gross exposure (Amt. in ₹ cr)			
	Funded	**Non-Funded**	**Investment**
Infrastructure (Including Energy)	25313	6986	7613
Energy	8587	1332	5882

(d)	**Residual maturity breakdown of Performing Assets:**	**(Amt. in ₹ cr)**
	Day 1	55748
	02 days to 07 days:	2149
	08 days to 14 days:	609
	15 days to 30 days:	9235
	31days to 2 months:	3437
	Above 2 months to 3 months:	2473
	Above 3 months to 6 months	18457
	Above 6 months to 12 months:	13224
	Above 1 year to 3 year	94017
	Above 3 years to 5 years	28889
	Over 5 years	67836
	Total	**296075**
(e)	**Amount of NPAs (Gross) (₹ in cr)**	
	• Substandard	5275
	• Doubtful 1	3540
	• Doubtful 2	10795
	• Doubtful 3	6131
	• Loss	3536
(f)	**Net NPAs (₹ in cr)**	**9036**
(g)	**NPA Ratios**	
	• Gross NPAs to gross advances	16.55%
	• Net NPAs to net advances	5.77%
(h)	**Movement of NPAs (Gross) (₹ in cr)**	
	• Opening balance	29486
	• Additions	5919
	• Reductions	6128
	• NPA (Gross)	29277
(i)	**Movement of provisions for NPAs (₹ in cr)**	
	• Opening balance	19872
	• Provisions made during the period	5656
	• Write-off/Write-back of excess provisions	6379
	• Closing balance	19149
(j)	**Amount of Non-Performing Investments (₹ in cr)**	1937
(k)	**Amount of provisions held for non-performing investments (₹ in cr)**	1887
(l)	**Movement of provisions/depreciation on investments: (₹ in cr)**	
	• Opening balance	5234
	• Provisions made during the period	558
	• Write-off	NIL
	• Write back of excess provision	554
	• Closing balance	5238

(n) Amount of NPA by 5 major industry (₹ in cr)

Industry Name	Gross NPAs
Infrastructure	4,182
All Engineering	3,378
Basic Metal and Metal Products	1,663
Textiles	1,108
Food Processing	1,012

(o) Amount of NPA by geographic areas (₹ in cr)

Overseas	Domestic
0	29,277

Table DF-4 : Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach

Qualitative Disclosures

a. The Bank has adopted Standardized approach for computation of capital charge for Credit risk as per RBI guidelines. These guidelines envisage different risk weights for different asset classes, which have been duly applied.

b. The Bank has recognized the ratings issued by seven External Credit Rating Agencies identified by RBI viz., CRISIL Ratings Ltd., CARE Rating, ICRA Ltd., India Ratings and Research Pvt. ltd, ACUITE (SMERA) Ratings, BRICKWORK and INFOMERICS to rate the exposures of borrowers.

c. These agencies rate all fund and non-fund based exposures. The ratings awarded by these agencies to the Bank's borrowers are adopted for assigning risk-weights.

d. In case of Bank's investment in particular issues of Corporates, the issue specific rating of the rating agency is reckoned to assign the risk weight

Quantitative Disclosures:	₹ in Crore
(b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach	
• Below 100 % risk weight:	284745
• 100 % risk weight	43955
• More than 100 % risk weight	20644
• Amount Deducted-CRM	14713

Table DF-5 : Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

Qualitative Disclosures

- **Policies and processes for collateral valuation and management;**

  Bank has a well-defined credit risk mitigation and collateral management policy. The main types of collaterals accepted by the Bank are cash and near cash securities, land and building, plant, machinery and stocks etc.

- **A description of the main types of collateral taken by the Bank;**

  Bank accepts personal guarantees, corporate guarantees and guarantees issued by sovereigns and banks. Collaterals are valued at fair market value and at regular intervals as per the policy guidelines.

  RBI guidelines recognize various types of financial collaterals for the purpose of credit risk mitigation. The guidelines further provide recognition of guarantees as one of the credit risk mitigants. Bank has put in place suitable policy measures to capture these elements.

Quantitative Disclosures:	₹ in Crore
(b) For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by:	
• eligible financial collateral;	
• Fund based	13365
Non fund based	1349

Table DF-6 : Securitization: Disclosure for Standardized Approach

Qualitative Disclosures	
NIL	
Quantitative Disclosures:	**₹ in Crore**
Banking Book	
(d) The total amount of exposures securitized by the bank	
(e) For exposures securitized losses recognized by the bank during the current period broken down by the exposure type (eg. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)	NIL
(f) Amount of assets intended to be securitized within a year	NIL
(g) Of (f), the amount of assets originated within a year before securitization	NIL
(h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type	NIL
(i) Aggregate amount of :	
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	NIL
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(j) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	NIL
Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	NIL
Quantitative Disclosures	
Trading Book:	
(k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach by exposure type	NIL
(l) Aggregate amount of :	
- On balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and-	NIL
- Off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type	NIL
(m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for :	
- securitization exposures retained or purchased subject to comprehensive risk measure for specific risk: and	NIL
- securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands	NIL
(n) Aggregate amount of :	
- The capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands	NIL
- Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/O deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type)	NIL

Table DF-7 : Market Risk in Trading Book

Qualitative disclosures

The Bank has a well-defined Market Risk Management Policy. This policy covers all important areas of market risk measurement.

Bank defines Market Risk as the risk of loss in on-balance sheet and off-balance sheet positions arising from movements in market rates, in particular, changes in interest rates, exchange rates and equity and commodity prices.

The Bank has adopted Standardized Duration Approach for measuring the capital requirements for market risk as prescribed by RBI.

Policies for management of Market Risk:

The Bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy for effective management of Market Risk in the Bank. Other policies which also deal with Market Risk Management are Integrated Treasury Policy and Asset Liability Management Policy.

The policies set various prudential exposure limits and risk limits for ensuring that the operations are in line with Bank's expectations of return through proper Market Risk Management and Asset Liability Management.

Asset-Liability Management

The ALM Policy is the framework of the ALM process. Bank's balance sheet has mixed exposure to different levels of financial risk. The goal of the Bank is to maximize its profitability, but do so in a manner that does not expose the Bank to excessive levels of risk which will ultimately affect the profitability. The Policy defines the limits for key measure of risk limits that have been established to specifically accommodate the Bank's unique balance complexion, strategic direction, and appetite for risk.

Liquidity Risk

Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavior pattern of assets and liabilities. Bank is regularly submitting LCR returns and has also put in place contingency funding plan. Prudential limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management. Liquidity profile of the bank is also evaluated through various liquidity ratios.

Interest rate risk

Interest rate risk is managed through Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and is monitored through prudential limits. Bank also estimates risk periodically against adverse movements in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity.

Quantitative disclosures

Capital Requirement for Market Risk	Capital Charge (₹ in Crore)
Interest Rate Risk	1147
Equity Position Risk	357
Foreign Exchange Risk	4
TOTAL	**1508**

Table DF-8 : Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks. Operational Risk Management in the Bank is guided by a well-defined Operational Risk Management Policy which is reviewed every year. The Bank has initiated pro-active steps to equip itself to migrate to advanced approaches under Operational Risk and has started collation of data pertaining to loss events including near miss event through Loss Data Management, Risk & Control Self-Assessment (RCSA), Key Risk Indicators (KRI). Bank is also a member of loss data consortium 'CORDEx' from where external loss data is obtained.

The Bank has put in place SAS system for moving to Advanced Measurement Approach.

The Bank has provided capital for operational risk as per Basic Indicator Approach. Accordingly the capital requirement for operational risk as on 31.03.2021 is ₹ 964 Crore.

Table DF-9 : Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosure:

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

1) Earning at risk (Traditional Gap Analysis)

   The impact of change in interest rates on net interest income is analyzed under this approach and calculated under yield curve approach. Under this approach a parallel shift of 1% is assumed both in assets and liabilities.

2) Economic Value of Equity:

   Modified duration of assets and liabilities is computed separately to arrive at modified duration of equity. A parallel shift in yield curve by 200 basis point is assumed for calculating the economic value of equity.

Quantitative Disclosure

Parameter of Change	**₹ in Crore**
1. Impact on Earnings at 100 bps increase in interest rate across assets and liability	401
2. Market value of Equity: 200 bps change	2422

Table DF-10 : General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

(a) The Bank assigns credit limits for counterparty exposure on the basis of capital adequacy, asset quality, earnings, liquidity and management quality.

The Bank has a well defined market risk management policy.

The Bank deals in various derivative products and interest Rate Swaps. The Bank used derivative products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes.

Quantitative Disclosures: (b)	**₹ in Crore**
Particulars	**Amount**
Gross positive value of contracts	93
Netting Benefits	0
Netted current credit exposure	93
Collateral held	0
Net Derivative Credit Exposure	**260**

(c)		**₹ in Crore**
Item	**Notional Amount**	**Current credit Exposure**
Forward Forex contracts	5882	187
Currency futures and Cross Currency Swaps including cross currency interest rate swaps	417	51
Interest rate Contracts	1305	22

Table DF-11: Composition of Capital

Basel III common disclosure template as on March 31st, 2021

	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves	₹ in Crore	Ref. No.
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	5876	
2	Retained earnings	-18417	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	36939	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**24398**	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	
9	Intangibles (net of related tax liability)	0	
10	Deferred tax assets (Business Loss)	1956	
11	Cash-flow hedge reserve	0	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0	
13	Securitisation gain on sale	0	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	0	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0	
20	Mortgage servicing rights(amount above 10% threshold)	0	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	3345	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0	
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0	
24	of which: mortgage servicing rights	0	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0	
26	National specific regulatory adjustments7 (26a+26b+26c+26d)	0	

	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves	₹ in Crore	Ref. No.
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**5301**	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**19097**	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**0**	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**0**	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**19097**	

	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves	₹ in Crore	Ref. No.
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	2400	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	50	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	
50	Provisions (Revaluation reserves, Provision on Standard assets, sale of NPAetc)	516	
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**2966**	
52	Investments in own Tier 2 instruments	0	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**0**	
58a	**Tier 2 capital**	**2966**	
58b	**Tier 2 capital (T2) admissible for regulatory capital purposes**	**2966**	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)**	**22063**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**148917**	
60a	**of which: total credit risk weighted assets**	**118019**	
60b	**of which: total market risk weighted assets**	**18852**	
60c	**of which: total operational risk weighted assets**	**12045**	
	Capital ratios		
61	**Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)**	**12.82%**	
62	**Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)**	**12.82%**	
63	**Total capital (as a percentage of risk weighted assets)**	**14.81%**	
64	**Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)**	**7.375%**	
65	**of which: capital conservation buffer requirement**	**1.875%**	
66	**of which: bank specific countercyclical buffer requirement**	**0.00%**	
67	**of which: G-SIB buffer requirement**	**0.00%**	
68	**Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)**	**0.00%**	

Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		₹ in Crore	Ref. No.
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.375%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.875%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.875%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	NA	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	NA	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	NA	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	NA	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	NA	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	NA	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	500	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	450	

Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

(₹ in Crore)

		Balance sheet as in financial statements	Reference
		As on 31.03.2021	
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	5876	
	of which: Amount eligible for CET 1	5876	
	of which: Amount eligible for AT 1	0	
	Reserves & Surplus	15830	
	Share application Money pending allotment	4800	
	Minority Interest	0	
	Total Capital	**26506**	
ii	**Deposits**	**329973**	
	of which: Deposits from banks	1096	
	of which: Customer deposits	328877	
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	
iii	**Borrowings**	**5469**	
	of which: From RBI	1764	
	of which: From banks	2	
	of which: From other institutions & agencies	64	
	of which: Others (Outside India)	0	
	of which: Subordinated Debt	500	
	of which: Upper Tier 2	0	
	of which: Unsecured. reedem NC Basel III Bonds (Tier 2)	3000	
	of which: Innovative Perpetual Debt Instrument	139	
iv	**Other liabilities & provisions**	**7268**	
	Total	**369215**	
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	32188	
	Balance with banks and money at call and short notice	6763	
ii	Investments:	148582	
iii	Loans and advances	156579	
	of which: Loans and advances to banks	0	
	of which: Loans and advances to customers	156579	
iv	Fixed assets	5132	
v	Other assets	19970	
	of which: Goodwill and intangible assets	0	
	of which: Deferred tax assets	7546	
vi	Goodwill on consolidation	0	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0	
	Total Assets	**369215**	

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

The main features of Tier - 1 capital instruments are given below:

Details	Equity
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A01010
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Common Shares
Amount recognised in regulatory capital (₹ in Crore, as of most recent reporting date)	₹ 5876
Par value of instrument	₹ 10 per share
Accounting classification	Shareholder's Equity
Original date of issuance	Various
Perpetual or dated	Perpetual
Original maturity date	N.A.
Issuer call subject to prior supervisory approval	No
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Floating
Coupon rate and any related index	N.A.
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	N.A.
Convertible or non-convertible	N.A.
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	N.A.
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and others Creditors, bonds, and PNCPS
Non-compliant transitioned features	No
If yes, specify non-compliant features	N.A.

SERIES DETAILS	Sr. II PDI
Issuer	CENTRAL BANK OF INDIA
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09252
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Ineligible
Post-transitional Basel III rules	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Perpetual Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (₹ in Crore, as of most recent reporting date)	0
Par value of instrument	₹10 lakhs
Accounting classification	LIABILITY
Original date of issuance	28.09.2012
Perpetual or dated	Perpetual
Original maturity date	N.A
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	28.09.2022
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
Coupon rate and any related index	9.40% p.a.
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors
Non-compliant transitioned features	Yes
If yes, specify non-compliant features	Fully derecognized, No Basel III Loss absorbency features

The main features of Subordinated Debt capital instruments are given below:

SERIES DETAILS	Lower Tier II Sr XIV
Issuer	
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09245
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
Regulatory treatment	
Transitional Basel III rules	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	Ineligible
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognized in regulatory capital (₹ in Crore, as of most recent reporting date)	50
Par value of instrument	₹ 10 Lakhs
Accounting classification	LIABILITY
Original date of issuance	21.12.2011
Perpetual or dated	DATED
Original maturity date	21.12.2026
Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	21.12.2021
Subsequent call dates, if applicable	N.A.
Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
Coupon rate and any related index	9.33%
Existence of a dividend stopper	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.
Write-down feature	Not Applicable
If write-down, write-down trigger(s)	N.A.
If write-down, full or partial	N.A.
If write-down, permanent or temporary	N.A.
If temporary write-down, description of write-up mechanism	N.A.
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	YES
If yes, specify non-compliant features	No Basel III Loss absorbency features

The main features of BASEL III compliant Tier 2 Bonds are given below:

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS				
	SR I	**SR II**	**SR III**	**SR IV**	**SR V**
Issuer					
Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE483A09260	INE483A09278	INE483A09286	INE483A08023	INE483A08031
Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
Regulatory treatment					
Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
Post-transitional Basel III rules	ELIGIBLE	ELIGIBLE	ELIGIBLE	ELIGIBLE	ELIGIBLE
Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
Amount recognised in regulatory capital (₹ in Crore, as of most recent reporting date)	400	500	500	500	500
Par value of instrument	₹ 10 Lakhs	₹ 10 Lakhs	₹ 10 Lakhs	₹ 10 Lakhs	₹ 10 Lakhs
Accounting classification	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY	LIABILITY
Original date of issuance	08.11.2013	07.03.2017	29.03.2019	30.09.2019	20.03.2020
Perpetual or dated	DATED	DATED	DATED	DATED	DATED
Original maturity date	08.11.2023	07.05.2027	29.05.2029	30.11.2029	20.05.2030
Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Optional call date, contingent call dates and redemption amount	N.A.	07.05.2022	29.05.2024	30.11.2024	20.05.2025
Subsequent call dates, if applicable	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Coupons / dividends					
Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Coupon rate and any related index	9.90%	8.62%	10.80%	9.80%	9.20%
Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No
Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No
Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
If convertible, conversion trigger(s)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, fully or partially	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, conversion rate	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, mandatory or optional conversion	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify instrument type convertible into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Write-down feature	YES	YES	YES	YES	YES

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS				
	SR I	SR II	SR III	SR IV	SR V
If write-down, write-down trigger(s)	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger'("ponv trigger")	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger'("ponv trigger")	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger'("ponv trigger")	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger'("ponv trigger")	These bonds, at the option of the Reserve Bank of India, can be temporarily written down or permanently written off upon occurrence of the trigger event, called the 'point of non-viability trigger'("ponv trigger")
If write-down, full or partial	Partial	Partial	Partial	Partial	Partial
If write-down, permanent or temporary	Temporary	Temporary	Temporary	Temporary	Temporary
If temporary write-down, description of write-up mechanism	It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger. Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'. Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.	It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger. Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'. Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.	It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger. Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'. Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.	It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger. Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'. Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.	It should be done at least one year after the bank makes the first payment of dividend to its common shareholders after breaching the pre-specified trigger. Aggregate write-up in a year should be restricted to a percentage of dividends declared during a year, the percentage being the ratio of the 'equity created by written-down bonds' to 'the total equity minus the equity created by written-down bonds'. Aggregate write-up in a year, should also not exceed 25% of the amount paid as dividend to the common shareholders in a particular year.

	BASEL III COMPLIANT TIER II BONDS				
	SR I	SR II	SR III	SR IV	SR V
Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors	All depositors and other creditors
Non-compliant transitioned features	NO	NO	NO	NO	NO
If yes, specify non-compliant features	–	–	–	–	–

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Sr. No.	Capital type	Instruments	Full Terms and Conditions
1.	Equity	Equity	As disclosed in Main features section
2.	TIER1	PDI	As disclosed in Main features section
3.	TIER 2	SUBORDINATE BONDS	As disclosed in Main features section
4.	TIER 2	BASEL III COMPLIANT BOND	As disclosed in Main features section

Table DF-16: Equities – Disclosure for Banking Book Positions As on 31.03.2021

Qualitative Disclosures		
1	The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including: • differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and • Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	• Investments in equity of subsidiaries and joint ventures (a Joint Venture would be one in which the bank, along with its subsidiaries, holds more than 25 percent of the equity) are required to classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes. • In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories (hereinafter called "categories"). Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose. Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

Quantitative Disclosures		₹ in Crore	
		BOOK VALUE 31.03.2021	FAIR VALUE 31.03.2021
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments	313	313
	Publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	-	-
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:	-	-
	Publicly traded	-	-
	Privately held.	313	313
	JV In India (Cent Bank Home Finance)	22	22
	Associate Outside India (JV in Indo Zambia Bank Ltd)	47	47
	RRBs	231	231
	Subsidiaries(Cent Bank Financial Services Ltd)	5	5
	Strategic Investments - Central Ware housing Corporation	2	2
	Strategic Investments-IFCI	3	3
	Strategic Investments-Other FIs (GSFC, JKFC, WBFC)	2	2
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	NIL	NIL
4	Total unrealised gains (losses)	-	-
5	Total latent revaluation gains (losses)	NIL	NIL
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	-	-
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	NA	NA

LEVERAGE RATIO DISCLOSURES AS ON 31.03.2021

LEVERAGE RATIO

The minimum risk-based capital requirements under Basel III will be supplemented by non-risk-based Tier 1 leverage ratio.

Table DF 17- Summary Comparison of Accounting Assets Vs. Leverage Ratio Exposure Measure

	Item	(₹ in Crore)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	369974
2	Less: Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	0
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	1193
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	391
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	15941
7	Other adjustments	(5303)
8	Leverage ratio exposure	382196

DF-18: Leverage Ratio Common Disclosure Template

		(₹ in Crore)
	On-balance sheet exposures	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	353974
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(5303)
3	**Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)**	**348671**
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	202
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	991
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**1193**

		(₹ in Crore)
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	16320
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0
14	CCR exposure for SFT assets	71
15	Agent transaction exposures	0
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**16391**
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	51618
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(35677)
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**15941**
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	19117
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	382196
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio (per cent)**	**5.00%**

RAJ KOKIL SINGH
ASST. GENERAL MANAGER-RMD

ASHWINI KUMAR SHUKLA
CHIEF RISK OFFICER

RAJEEV PURI
EXECUTIVE DIRECTOR

VIVEK WAHI
EXECUTIVE DIRECTOR

ALOK SRIVASTAVA
EXECUTIVE DIRECTOR

M. V. RAO
MANAGING DIRECTOR & CEO

AAJV AND ASSOCIATES Chartered Accountants LGF-C73, Lajpat Nagar-II, **NEW DELHI-110024**	**S JAYKISHAN** Chartered Accountants 12 Ho Chi Minh Sarani Suite No.2D 2E & 2F 2nd Floor, **KOLKATA – 700071**
CHHAJED & DOSHI Chartered Accountants, 101, Hubtown Solaris, N.S. Phadke Marg, Andheri (East), **MUMBAI – 400063**	**AMBEKAR SHELAR KARVE & AMBARDEKAR** Chartered Accountants, 501, Mirage Arcade, Opp Ganesh Mandir, Off. Phadke Road, **DOMBIVLI (EAST) - 421201**

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Central Bank of India

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **Central Bank of India** ('the Parent Bank'), its subsidiaries and its associates (collectively referred to as the "Group") comprising of the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2021, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "Consolidated Financial Statements"), in which are incorporated financial statements of the Parent Bank audited by us, audited accounts of 2 subsidiaries and unaudited accounts of 3 associates.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of the reports of the other auditor on separate financial statements and on other financial information of the subsidiaries and associate, the unaudited financial statements and the other financial information of associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Act"), in the manner so required and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

   a. a true and fair view in case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at 31st March 2021;

   b. a true balance of loss in Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and

   c. a true and fair view in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated financial statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the consolidated financial statements.

Emphasis of Matter

4. We draw attention to Note No 5.14 of Schedule 18 of the consolidated financial statements, which describes the uncertainties due to the COVID-19 Pandemic and managements evaluation of impact on the Bank's financial performance which will depend on future developments, which are highly uncertain.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2021. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters of the Parent Bank to be communicated in our report.

Key Audit Matters	Auditors' Response
1. Identification and provisioning of non-performing advances made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances. (refer Schedule 9 read with Note 6 of Schedule 17 to the financial statements) Advances comprise a substantial portion of the Group's total assets. Identification of non-performing advances (NPAs) is carried out, based on system identification, by the Core Banking Solution (CBS) software in operation based on the various controls and logic embedded therein. Provisions in respect of such NPAs and restructured advances are made based on management's assessment of the degree of impairment of the advances subject to and guided by the minimum provisioning levels prescribed under RBI guidelines, prescribed from time to time. The provision on NPAs are also based on the valuation of the security available. In case of restructured accounts, provision is made in accordance with the RBI guidelines. We identified NPA identification and provision on loans and advances as a key audit matter because of the significant efforts involved by the management in identifying NPAs based on the RBI Guidelines, the level of management judgement involved in determining the provision (including the provisions on assets which are not classified as NPAs), the valuation of security of the NPAs and on account of the significance of these estimates to the financial statements of the Group.	Our audit approach included assessment of the design, operating effectiveness of key internal controls over approval, recording and monitoring of loans and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. In particular: ● We have evaluated and understood the Parent Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances; ● We have analyzed and understood key IT systems/ applications used operational effectiveness of relevant controls, including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances. ● In order to ensure the effectiveness of the operation of the key controls and compliance to the directions of the RBI, we have verified whether both CBS system and the management have, o timely recognized the depletion in the value of available security; o made adequate provisioning based on such time to time monitoring and identification of asset classification including accounts which meet the criteria for asset classification benefit in accordance with the Reserve Bank of India COVID-19 Regulatory Package. ● We placed reliance upon the Independent Auditors' Report of the respective Branch Auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning as well as Memorandum of changes suggested both at the branches and at Head Office.
2. Investments Investment portfolio of the Group comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other approved securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trade. Investments comprise a substantial portion of the Bank's total assets. Valuation of Investments, identification of Non-performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI. (refer Schedule 8 read with Note 4 of Schedule 17 to the financial statements)	Our audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars / directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments. In particular, ● We assessed and understood the system and internal control as laid down by the Parent Bank to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non-performing Investments, Provisioning and depreciation on Investments.

Key Audit Matters	Auditors' Response
The valuation of each type of aforesaid security is to be carried out as per the methodology prescribed in the circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FBIL rates, rates quoted on BSE/ NSE, financial statements of unlisted companies, NAV in case of security receipts etc. As per the RBI directions, there are certain investments that are valued at market price however certain investments are based on the valuation methodologies that include statistical models with inherent assumptions, assessment of price for valuation based on financial statements etc. The price discovered for the valuation of these Investments is only a fair assessment of the Investments. Hence the valuation of Investments requires special attention and further in view of the significance of the amount of Investments in the financial statements, the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	• Tested accuracy and compliance for selected sample of investments with the RBI Master circulars and directions by re-performing valuation for each category of security in accordance with the RBI guidelines. • We assessed and evaluated the process of identification of NPIs, and corresponding reversal of income and creation of provision. • We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created and depreciation to be provided. • We assessed that the financial statement disclosures appropriately reflected the Bank's exposure to investments valuation risks with reference to the requirements of the prevailing accounting standards and the RBI guidelines.
3. Information technology (IT) systems used in financial reporting process The Group's operational and financial reporting processes are dependent on IT systems run through Core Banking Solutions (CBS) and other integrated software with automated processes and controls large volume of transactions. The process and controls are to ensure appropriate user access and management processes in use. The Bank has an in house Department of Information & technology (DIT) run under the supervision of the top management and with the support of expert consulting agencies, for maintaining IT services. Accordingly, our audit was focused on key IT systems and controls due to the pervasive impact on the financial statements and the same has been considered as Key Audit Matter in our audit.	We conducted an assessment and identified key IT applications, database and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. For the key IT systems pertaining to CBS and treasury operations used to prepare accounting and financial information, our areas of audit focus included Access Security (including controls over privileged access), application change controls, database management and network operations. In particular: • We obtained an understanding of the Parent Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit. • We tested the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's General IT controls over the key IT systems that are critical to financial reporting. This included evaluation of Bank's controls to evaluate segregation of duties and access rights being provisioned / modified based on duly approved requests, access for exit cases being revoked in a timely manner. • We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the financial statements, information other than the Financial Statements and Auditors' Report thereon.

Key Audit Matters	Auditors' Response
4. Provisions, Contingent Liabilities and Claims: Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 12 of Schedule 17 and Note No. 4.8 of Schedule 18). There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability. However, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported financial results which is uncertain/unascertainable at this stage. Considering the uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law, this has been determined as a key Audit Matter.	We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances. we broadly reviewed the underlying assumptions and estimates used by the management for provisioning but as the extent of impact is dependent on future developments which are highly uncertain, we primarily relied on those assumptions and estimates, which are subject matter of periodic review by the Bank. We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current status, sustainability, examining recent orders and/or communication received from various tax authorities/ judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.
5. Modified Audit Procedures carried out in light of COVID-19 outbreak: Due to COVID-19 pandemic, lockdown declared by some of the State Governments and travel restrictions imposed by State Government/ Local Authorities during the period of audit and the RBI directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the premises of certain Branches / Regional Offices / Zonal Offices / Departments in the Central Office of the Bank. As the auditors could not gather audit evidence in person/ physically/ through discussions and personal interactions with the officials at the Branches/ Departments, auditors have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter. Accordingly, the audit procedures were modified to carry out the audit remotely.	Due to the outbreak of COVID-19 pandemic that caused lockdown by some of the state governments and other travel restrictions imposed by the State Governments/ local administration during the period of the audit, the auditors (including branch auditors) could not travel to certain Branches / Regional Offices / Zonal Offices / Departments and carry out the audit processes physically at the respective offices. Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports/ documents/ certificates were made available to the auditors by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS and other relevant application software. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made available to the auditors which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Accordingly, the audit procedures were modified as follows: ● Conducted verification of necessary records/ documents/ Form 111/ CBS and other Application software electronically through remote access/ emails in respect of some of the Branches / Departments of the Parent Bank wherever physical access was not possible.

Key Audit Matters	Auditors' Response
	• Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates and the related records made available to the auditors through emails and remote access over secure network of the Bank. • Making enquiries and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls/conference calls, emails and similar communication channels. • Resolution of audit observations telephonically/ through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials of the Parent Bank.

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon

6) The Parent Bank's management and Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report, which we obtained at the time of issuance of this auditors' report, and the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis which is expected to be made available to us after that date but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the New Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures) and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Directors' Report including annexures, and Management Discussion and Analysis, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

Responsibility of Management and those charged with governance for the Consolidated

Financial Statements

7) The Parent Bank's management and Board of Directors are responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated state of affairs, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") and judicial pronouncements. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the Group is responsible

for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The respective Board of Directors of the Group are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8) Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than that for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentation, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,

  we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosure in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

  Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated financial statements.

  We communicate with those charged with governance of the Parent Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

  We also provide those charged with governance with the statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguard.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that matters should not be communicated in our report because of the adverse consequences of doing so would reasonably are expected to outweigh the public interest benefit of such communication.

Other Matter

9) (i) We did not audit the financial statements of 2 subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹ 1229.14 crore as at March 31, 2021, total revenues of ₹ 131.18 crore and net cash inflows of ₹ 2.64 crore for the year ended March 31, 2021 as considered in the consolidated financial statements. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our report on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associate, is based solely on the reports of the other auditors.

(ii) The consolidated financial statements also include the Group's share of net loss of ₹ 119.15 crore for the year ended March 31, 2021, as considered in the consolidated financial statements, in respect of 3 associates, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associates, is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10) The consolidated Balance sheet and the consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11) Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 7 to 9 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosures required therein, we report that:

a. we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory:

b. the transactions, which have come to our notice, have been within the power of the Group; and

c. the returns received from the offices and branches of the Group have been found adequate for the purpose of our audit.

12) We further report that:

a. in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Group so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.

b. the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account, and Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from the branches not visited by us.

c. the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Group under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been forwarded to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d. in our opinion, the Consolidated Balance sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards; to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For AAJV AND ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.007739N

J. P. BAJAJ
PARTNER
M. NO. 086390
UDIN: 21086390AAAACE3901

For S JAYKISHAN
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No. 309005E

VIVEK NEWATIA
PARTNER
M. NO. 062636
UDIN: 21062636AAAAFW4855

For CHHAJED & DOSHI
Chartered Accountants
F.R.NO.101794W

NITESH JAIN
PARTNER
M.NO. 136169
UDIN: 21136169AAAACV1662

For AMBEKAR SHELAR KARVE & AMBARDEKAR
Chartered Accountants
F.R.NO.122063W

SACHIN AMBEKAR
PARTNER
M.NO. 108911
UDIN: 21108911AAAADA9312

Place : Mumbai
Date : June 7, 2021

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2021

(000's Omitted)

7PARTICULARS	Schedule No.	As at 31-Mar-2021 ₹	As at 31-Mar-2020 ₹
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	**5,87,55,625**	5,70,97,627
Reserves and Surplus	2	**15,82,12,804**	15,82,67,393
Minorities Interest	2A	**5,05,403**	4,53,179
Share Application Money Pending Allotment		**4,80,00,000**	-
Deposits	3	**3,30,32,83,137**	3,14,20,11,415
Borrowings	4	**5,75,96,647**	6,07,60,328
Other Liabilities and Provisions	5	**7,33,91,205**	15,29,16,925
TOTAL		**3,69,97,44,821**	**3,57,15,06,867**
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**32,18,81,038**	30,05,99,916
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**6,76,56,661**	6,04,45,599
Investments	8	**1,48,51,80,075**	1,42,52,56,688
Loans & Advances	9	**1,57,38,90,795**	1,51,95,23,754
Fixed Assets	10	**5,13,28,977**	4,33,68,183
Other Assets	11	**19,97,18,379**	22,22,23,831
Goodwill on Consolidation		**88,896**	88,896
TOTAL		**3,69,97,44,821**	**3,57,15,06,867**
Contingent Liabilities	12	**92,13,92,979**	56,18,70,308
Bills for Collection		**11,89,87,674**	14,27,67,407
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet.

Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

MATAM VENKATA RAO
Managing Director & CEO

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHRI P.J. THOMAS
Director

MRS. MINI IPE
Director

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

For S. JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

For CHHAJED & DOSHI
Chartered Accountants
F.R. No.101794W

For AMBEKAR SHELAR KARVE
Chartered Accountants
F.R. No.122063W

(CA J.P. BAJAJ)
Partner
M.No.086390
UDIN: 21086390AAAACE3901

(CA VIVEK NEWATIA)
Partner
M.No.062636
UDIN: 21062636AAAAFW4855

(CA NITESH JAIN)
Partner
M.No.136169
UDIN: 21136169AAAACV1662

(CA SACHIN AMBEKAR)
Partner
M.N.No.108911
UDIN: 21108911AAAADA9312

Place: Mumbai
Date: June 7, 2021

CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	Year Ended 31-Mar-2021 ₹	Year Ended 31-Mar-2021 ₹
I. INCOME			
Interest and Dividend Earned	13	**22,82,95,277**	23,67,55,902
Other Income	14	**3,16,23,085**	3,62,23,979
TOTAL		**25,99,18,362**	**27,29,79,881**
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	**14,54,29,610**	16,00,45,607
Operating Expenses	16	**6,79,86,091**	6,93,89,948
Provisions and Contingencies		**5,52,87,517**	5,48,17,444
TOTAL		**26,87,03,218**	**28,42,52,999**
III. PROFIT/(LOSS)			
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before Minority Interest		**(87,84,856)**	(1,12,73,118)
Less: Prior Period Item		**-**	-
Less: Minority Interest		**52,225**	36,407
Less: Profit pre Acquisition of additional shares in CBHF		**-**	-
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year after deducting Minority Interest		**(88,37,081)**	(1,13,09,525)
Add: Share of earnings/(loss) in Associates		**(11,64,019)**	(12,47,709)
Consolidated Profit/(Loss) for the year attributable to the Group		**(1,00,01,100)**	**(1,25,57,234)**
Add: Brought forward consolidated Profit/(Loss) attributable to the Group		**(17,42,86,952)**	(16,01,01,106)
Profit Available for Appropriation		**(18,42,88,052)**	**(17,26,58,340)**
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		**-**	-
Investment Reserve		**30,72,389**	15,70,277
Revenue Reserve		**12,521**	13,304
Tax on Dividend		**-**	4,111
Special Reserve U/S 36 (1) (viii)		**36,113**	40,920
Balance Carried over to the Balance Sheet		**(18,74,09,075)**	**(17,42,86,952)**
TOTAL		**(18,42,88,052)**	**(17,26,58,340)**
Earnings Per Share (In ₹)- Basic (Nominal Value ₹ 10/- per share)		**(1.73)**	**(2.69)**
Earnings Per Share (In ₹)- Diluted (Nominal Value ₹ 10/- per share)		**(1.73)**	**(2.69)**
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit and Loss Account

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

MATAM VENKATA RAO
Managing Director & CEO

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHRI P.J. THOMAS
Director

MRS. MINI IPE
Director

For AAJV AND ASSOCIATES	For S. JAYKISHAN	For CHHAJED & DOSHI	For AMBEKAR SHELAR KARVE
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
F.R. No.007739N	F.R. No.309005E	F.R. No.101794W	F.R. No.122063W
(CA J.P. BAJAJ)	**(CA VIVEK NEWATIA)**	**(CA NITESH JAIN)**	**(CA SACHIN AMBEKAR)**
Partner	Partner	Partner	Partner
M.No.086390	M.No.062636	M.No.136169	M.N.No.108911
UDIN: 21086390AAAACE3901	UDIN: 21062636AAAAFW4855	UDIN: 21136169AAAACV1662	UDIN: 21108911AAAADA9312

Place: Mumbai
Date: June 7, 2021

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2021

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 1 : CAPITAL				
Authorised Capital		**10,00,00,000**		10,00,00,000
10,00,00,00,000 shares of ₹ 10/- each				
Issued Subscribed and Paid up Capital :	**5,87,55,625**		5,70,97,627	
5875562460 Equity Shares (previous year 5709762724 Equity shares) of ₹ 10/- each (includes 5275014715 Equity shares (previous year 5275014715 Equity shares) of ₹ 10/- each held by Central Govt.)				
TOTAL		**5,87,55,625**		**5,70,97,627**

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
SCHEDULE 2 : RESERVES AND SURPLUS				
I. Statutory Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	**2,07,59,131**		2,07,59,131	
Additions during the year	**-**		-	
		2,07,59,131		**2,07,59,131**
II. Capital Reserves				
i) Revaluation Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	**2,96,25,989**		3,07,45,959	
Additions - Adjustments during the year	**88,19,556.00**		-	
Less: Transfer to Revenue and Other Reserves	**(5,09,495)**		(5,68,075)	
Deductions during the year	**(13,235)**		-5,51,895.00	
		3,79,22,815		**2,96,25,989**
ii) Investment Reserve				
Balance as per last Balance Sheet	**1,32,25,422**		1,16,55,145	
Additions during the year	**30,72,389**		15,70,277	
		1,62,97,811		1,32,25,422
III. Share Premium				
Balance as per last Balance Sheet	**24,10,70,269**		22,15,38,334	
Additions/Adjustments during the year	**8,92,002**		1,95,31,935	
		24,19,62,271		24,10,70,269
IV. Revenue and Other Reserves				
Balance as per last Balance Sheet	**2,65,48,101**		2,54,80,952	
Add: Transfer from Capital Reserves	**5,09,495**		5,68,075	
Addition during the year	**2,88,218**		11,64,129	
(*) Add: Opening Balance Adjustments	**(27,509)**		(6,67,192)	
Add/Less: Adjustments during the year			2,137	
		2,73,18,305		2,65,48,101
V. Special Reserve U/S 36 (1)(viii)		**13,61,546**		13,25,433
VI. Balance in Profit and Loss Account		**(18,74,09,075)**		(17,42,86,952)
TOTAL		**15,82,12,804**		**15,82,67,393**

(*) The adjustment is on account of change in results of RRBs post audit. The consolidated financial statements of previous year was compiled based on unaudited financial statements of such RRBs.

Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 2 A : MINORITIES INTEREST				
Minority Interest at the date on which the parent/ subsidiary relationship came into existence	24,500		24,500	
Subsequent increase / decrease	4,80,903		4,28,679	
Minority interest on the date of Balance-Sheet		**5,05,403**		**4,53,179**
SCHEDULE 3 : DEPOSITS				
A. I. Demand Deposits				
i) From Banks	**65,67,481**		33,48,395	
ii) From Others	**16,25,14,897**		15,07,26,625	
		16,90,82,378		15,40,75,020
II. Savings Bank Deposits		**1,45,66,70,191**		1,30,19,99,950
III. Term Deposits				
i) From Banks	**54,32,722**		3,69,89,420	
ii) From Others	**1,67,20,97,846**		1,64,89,47,025	
		1,67,75,30,568		**1,68,59,36,445**
TOTAL		**3,30,32,83,137**		**3,14,20,11,415**
B. i) Deposits of Branches in India		**3,30,32,83,137**		**3,14,20,11,415**
ii) Deposits of Branches outside India		**-**		-
SCHEDULE 4 : BORROWINGS				
I. Borrowings in India				
i) Reserve Bank of India	**1,76,40,000**		66,90,000.00	
ii) Other Banks	**26,30,298**		26,06,321	
iii) Other Institutions & Agencies	**6,35,349**		17,73,007	
iv) Unsecured Reedeemable Bonds (Subordinated Debt)	**53,00,000**		53,00,000	
v) Upper Tier II Bonds	**-**		1,30,00,000	
vi) Innovative Perpetual Debt Instrument	**13,91,000**		13,91,000	
vi) Unsecured Redeemable NC Basel III Bonds(Tier II)	**3,00,00,000**		3,00,00,000	
		5,75,96,647		6,07,60,328
II. Borrowings outside India		**-**		-
TOTAL		**5,75,96,647**		**6,07,60,328**
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I. Bills Payable	**78,43,261**		62,03,584	
II. Inter Office Adjustments (Net)	**1,02,978**		8,77,45,538.00	
III. Interest Accrued	**74,43,934**		80,63,393	
IV. Deferred Tax Liailities (Net)	**-**		-	
V. Others(including provisions)	**5,80,01,032**	**7,33,91,205**	5,09,04,410	15,29,16,925
TOTAL		**7,33,91,205**		**15,29,16,925**

Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I. Cash in hand (including foreign currency notes)		**1,47,54,204**		1,66,75,009
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Accounts	14,71,26,834		17,99,24,907	
In Other Accounts	16,00,00,000		10,40,00,000	
		30,71,26,834		28,39,24,907
TOTAL		**32,18,81,038**		**30,05,99,916**
SCHEDULE 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I. In India				
i) Balances with Banks				
a) In Current Accounts	5,10,385		8,05,530	
b) In Other Deposit Accounts	32,767		2,60,678	
		5,43,152		**10,66,208**
ii) Money at Call and Short Notice				
a) With Banks	20,00,000		1,93,50,000	
b) With Other Institutions	-		-	
		20,00,000		**1,93,50,000**
TOTAL.... I		**25,43,152**		**2,04,16,208**
II. Outside India				
a) In Current Accounts	6,51,13,509		4,00,29,391	
b) In Other Deposit Accounts	-		-	
c) Money at Call & Short Notice	-		-	
TOTAL.... II		**6,51,13,509**		4,00,29,391
TOTAL.... (I + II)		**6,76,56,661**		**6,04,45,599**
SCHEDULE 8 : INVESTMENTS				
I. Investments in India in : *				
i) Government Securities	**1,10,38,56,620**		1,09,52,05,963	
ii) Other approved Securities	-		-	
iii) Shares	**79,19,176**		54,38,140	
iv) Debentures and Bonds	**35,39,72,427**		27,66,12,442	
v) Investment in Associates	**4,82,119**		9,17,892	
vi) Others (UTI Shares & Commercial Papers Mutual Fund Units etc.)	**1,73,08,826**		4,55,53,697	
		1,48,35,39,168		**1,42,37,28,134**
II. Investments outside India in **				
i) Government Securities	**-**		-	
ii) Associates	**16,40,907**		15,28,554	
		16,40,907		**15,28,554**
TOTAL		**1,48,51,80,075**		**1,42,52,56,688**
* Investments in India :				
Gross Value of Investments	**1,53,59,15,436**		1,47,21,31,436	
LESS: Provision for Depreciation	**5,23,76,268**		4,84,03,302	
Net Investments		**1,48,35,39,168**		**1,42,37,28,134**
** Investments outside India :				
Gross Value of Investments	**16,40,907**		15,28,554	
LESS: Provision for Depreciation	**-**		-	
Net Investments		**16,40,907**		**15,28,554**
TOTAL		**1,48,51,80,075**		**1,42,52,56,688**

Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 9 : LOANS AND ADVANCES				
A. i) Bills Purchased and Discounted	**89,00,535**		87,07,602	
ii) Cash Credits Overdrafts & Loans repayable on demand	**70,45,31,176**		71,74,91,219	
iii) Term Loans	**86,04,59,084**	**1,57,38,90,795**	79,33,24,933	1,51,95,23,754
TOTAL		**1,57,38,90,795**		**1,51,95,23,754**
B. Particulars of Advances :				
i) Secured by tangible assets (including advances against Book Debts)	**1,53,15,17,512**		1,46,86,53,692	
ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	**3,66,01,365**		24,80,671	
iii) Unsecured	**57,71,918**	**1,57,38,90,795**	4,83,89,391	1,51,95,23,754
TOTAL		**1,57,38,90,795**		**1,51,95,23,754**
C. Sectoral Classification of Advances				
(I) Advances in India				
i) Priority Sector	**80,54,49,608**		73,90,82,594	
ii) Public Sector	**5,09,87,479**		3,52,55,809	
iii) Banks	**4,926**		4,684	
iv) Others	**70,63,68,249**	**1,56,28,10,262**	74,51,80,667	1,51,95,23,754
TOTAL		**1,56,28,10,262**		**1,51,95,23,754**
(II) Advances outside India		**-**		-

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
SCHEDULE 10 : FIXED ASSETS				
I. Premises				
(At cost / revalued cost)				
Balance as at 31st March of the preceding year	**4,02,25,174**		4,02,29,395	
Additions during the year	**88,89,449**		44,780	
Total	**4,91,14,623**		**4,02,74,175**	
Deduction/Adjustments during the year	**13,354**		49,009	
Total	**4,91,01,269**		**4,02,25,166**	
Depreciation to date	**85,28,592**		79,40,090	
TOTAL.... I		**4,05,72,677**		**3,22,85,076**
II. Other Fixed Assets				
(Including furniture and fixtures)				
At cost as on 31st March of the preceding year	**3,42,01,799**		3,12,44,089	
Additions/Adjustments during the year	**31,41,536**		37,43,980	
Total	**3,73,43,335**		**3,49,88,069**	
Deductions/Adjustments during the year	**20,01,934**		7,86,270	
Total	**3,53,41,401**		**3,42,01,799**	
Depreciation to date	**2,45,85,101**		2,31,18,692	
TOTAL.... II		**1,07,56,300**		**1,10,83,107**
TOTAL.... (I + II)		**5,13,28,977**		**4,33,68,183**

Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

(000's Omitted)

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
	₹	₹	₹	₹
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS				
I. Interest accrued	**2,25,54,880**		1,99,53,120	
II. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net of Provisions)	**4,23,83,268**		5,37,37,981	
III. Stationery and Stamps	**2,05,553**		2,09,837	
IV. Deferred Tax Assets	**7,53,92,820**		7,60,68,866	
V. Inter office adjutments (Net).	**-**		-	
VI. Others	**5,91,81,858**		7,22,54,027	
TOTAL		**19,97,18,379**		**22,22,23,831**

PARTICULARS	As at 31-Mar-2021		As at 31-Mar-2020	
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES				
I. (a) Claims against the Bank not acknowledged as Debts		**13,83,689**		10,14,448
(b) Disputed income tax demands under appeals, revisions etc		**1,77,15,073**		1,73,71,599
II. Liability for partly paid Investments		**35,59,281**		40,10,248
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts		**73,37,62,848**		35,02,01,250
IV. Guarantees given on behalf of constituents				
a) In India	**10,69,33,332**		11,88,38,461	
b) Outside India	**63,28,682**		74,99,916	
		11,32,62,014		12,63,38,377
V. Acceptances Endorsements and Other Obligations		**2,64,31,675**		4,27,13,097
VI. Other items for which the bank is contingently liable		**2,52,78,399**		2,02,21,289
TOTAL		**92,13,92,979**		**56,18,70,308**

Figures have been recalculated/ regrouped wherever necessary to confirm the current year classification.

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(000's Omitted)

PARTICULARS	YEAR ENDED 31-Mar-2021 ₹	YEAR ENDED 31-Mar-2020 ₹
SCHEDULE 13 : INTEREST AND DIVIDEND EARNED		
I. Interest/Discount on Advances / Bills	**11,73,26,965**	12,60,92,661
II. Income on Investments	**10,01,38,785**	9,92,49,408
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	**67,60,466**	48,08,903
IV. Others	**40,69,061**	66,04,930
TOTAL	**22,82,95,277**	**23,67,55,902**
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME		
I. Commission, Exchange and Brokerage	**1,11,59,510**	1,13,78,451
II. Profit/ (Loss) on sale of Investments (Net)	**1,38,05,508**	1,21,49,423
III. Profit / (Loss) on Exchange transactions (Net)	**8,66,918**	23,03,830
IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and Other Assets	**(2,09,964)**	(2,24,129)
V. Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries and Associates abroad/ in India	**-**	-
VI. Miscellaneous Income	**60,01,113**	1,06,16,404
TOTAL	**3,16,23,085**	**3,62,23,979**
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED		
I. Interest on Deposits	**13,99,17,399**	15,40,00,683
II. Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank borrowings	**6,20,931**	8,04,915
III. Others	**48,91,280**	52,40,009
TOTAL	**14,54,29,610**	**16,00,45,607**
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES		
I. Payments to and Provisions for employees	**4,15,02,341**	4,22,58,653
II. Rent, Taxes and Lighting	**49,54,177**	49,53,346
III. Printing and Stationery	**2,66,222**	3,10,361
IV. Advertisement and Publicity	**48,055**	1,09,291
V. Depreciation on Bank's property	**29,25,288**	28,54,811
VI. Directors' Fees, Allowances and Expenses	**9,952**	17,073
VII. Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors', Fees & expenses)	**3,87,069**	2,82,930
VIII. Law Charges	**1,63,217**	3,46,065
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	**9,71,751**	9,07,565
X. Repairs and Maintenance	**11,67,395**	10,45,430
XI. Bad Debts Written Off	**-**	-
XII. Insurance	**43,80,824**	37,86,203
XIII. Other Expenditure	**1,12,09,800**	1,25,18,220
TOTAL	**6,79,86,091**	**6,93,89,948**

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1 a) **Basis of Preparation:**

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on the historical cost basis except in respect of the Revaluation of Premises and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI) including those prescribed by the Banking Regulation Act 1949, National Housing Bank Act 1987, The Housing Finance Companies (NHB) Directions 2010, Companies Act 2013, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevailing practices within the Banking industry in India.

b) **Use of Estimates:**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting year. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Actual results could differ from these estimates. Differences between the actual results and estimates are recognised in the year in which the results are known/materialised.

2 **Basis of Consolidation**

2.1 Consolidated financial statements of the Group (comprising of 2 Subsidiaries and 3 Associates [including 2 RRBs]) have been prepared on the basis of:

a. Audited financial statements of Central Bank of India (Parent)

b. Line by line aggregation of like items of assets, liabilities, income and expenses of the subsidiaries with the respective item of Parent and after eliminating all material intra-group balances/transactions, unrealized profit/ losses as per Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statement" issued by the ICAI.

c. Investments in associates, where the group holds 20% or more of the voting power has been accounted by using the equity method in terms of Accounting Standard – 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The financial statements of the Indo Zambia Bank Limited, an Associate, have been prepared in accordance with the local regulatory requirements/ International Financial Reporting Standards. Financial statements received from these associates form the sole basis for their incorporation in these consolidated financial statements.

d. The Accounting year of the Associate, viz. Indo Zambia Bank Ltd. is calendar year. In case accounting year of Associates are different than that of Parent Bank, proportionate share of profit/loss is taken based on audited figures of audited period and for unaudited period proportionate share of profit is taken based on unaudited figures.

e. The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transaction and other events in similar circumstances and are presented to the extent possible, in the same manner as the Company's separate Financial Statements except as otherwise stated.

2.2 Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consist of:

i. The amount of equity attributable to the minority at the date on which investments in a subsidiary is made, and

ii. The minority share of movements in equity since date of parent – subsidiary relationship came into existence.

3. **Transactions involving Foreign Exchange:**

3.1 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency.

3.2 Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies are translated at the Exchange Rates prevailing at the year end as notified by FEDAI and the resultant Profit/ Loss is recognised in Profit and Loss Account.

3.3 Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

3.4 Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements, and other obligations in Foreign Currencies are translated at the year end rates as notified by FEDAI.

3.5 Outstanding Forward Contracts are translated at the year end rates as notified by FIBIL and the resultant profit/ loss is recognized in Profit and Loss Account.

3.6 Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting Profit or Loss is recognised in the Profit and Loss Account.

4. Investments:

Investments The transactions in all securities are recorded on "Settlement Date".

A. PARENT BANK

4.1 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, Investments are categorised into "Held to Maturity (HTM)", "Held for Trading(HFT)" and "Available for Sale (AFS)". However, for disclosure in the Balance Sheet, investments are classified in the Balance Sheet in Schedule 8, under the following heads :

i) Government Securities

ii) Other Approved Securities

iii) Shares

iv) Debentures and Bonds

v) Subsidiaries and sponsored institutions

vi Others (Commercial Papers and units of Mutual Funds etc.)

4.2 Basis of Classification:

Classification of an Investment is done at the time of purchase into the following categories in conformity with regulatory guidelines.:

i) Held to Maturity:

Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)". Investments in subsidiaries and associates are also categorised under Held to Maturity.

ii) Held for Trading:

Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading (HFT)".

iii) Available for Sale:

Investments, which are not classified in above two categories, are classified as "Available for Sale (AFS).

iv) Investments are classified as performing and non-performing, based on the IRAC norms and " Prudential norms for classifications, valuations and operation of investment portfolio by banks" issued by RBI.

4.3 i) Transfer of Securities between categories: The transfer/ shifting of securities between the three categories of investments is accounted at the lower of acquisition cost/ book value or market value on the date of the transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

ii) Investments in subsidiaries and joint ventures are classified as HTM except in respect of those investments which are acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal. These investments are classified as AFS.

4.4 Valuation:

a) Held to Maturity:

The investments classified under this category are valued at acquisition cost. The excess of acquisition cost / book value over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries and associates are valued at carrying cost less diminution, other than temporary in nature, for each investment individually.

b) Available for sale:

Investments under this category are marked to market, scrip-wise as under:

i) Central Government Securities at market price as per quotation put out by Stock Exchange / FIBIL.

ii) State Government Securities, Securities Guaranteed by Central / State Government on appropriate yield to maturity basis.

iii) Treasury Bills/ Certificates of Deposits/ Commercial Paper at carrying cost.

iv) Equity Shares

a) Quoted : At market price.

b) Unquoted: At book value per share, if latest (Not more than one year old) Balance Sheet is available, or Re.1/- per company if latest Balance Sheet is not available.

v) Preference Shares

a) Quoted : At market price.

b) Unquoted: On appropriate yield to maturity.

vi) Debentures and Bonds

a) Quoted : (Traded in last 15 days) at last Trade Price.

b) Unquoted: On appropriate yield to maturity.

vii) Mutual Fund

a) Quoted : At market price.

b) Unquoted: At repurchase price or Net Asset Value

(where repurchase price is not available).

viii) Venture Capital Fund (VCF)

Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re.1/- per VCF.

ix) Security Receipts (SR) At Net Asset Value (NAV) advised by SC/ARC.

The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

c) Held for Trading:

Investments under this category are valued at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIBIL.

The net depreciation under each category is provided for, without adjusting the book value of the securities and net appreciation, if any, is ignored.

4.5 Determination of Cost:

i) Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Cost method.

ii) Brokerage, incentive, front-end fees etc., received on purchase of securities are reduced from the cost of investments.

iii) Expenses such as brokerage, fees, commission or taxes incurred at the time of acquisition of securities is charged to profit & loss account as revenue expenses.

4.6 Income Recognition:

A PARENT BANK

i) The Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account. However, profit on

sale/ redemption of investments from 'Held to Maturity' category, is appropriated (Net of applicable taxes and amount required to be transferred to "Statutory Reserve Account") to the "Capital Reserve Account".

ii) In respect of securities included in any of the three categories of investments where interest/ principal is in arrears, for more than 90 days, income is not reckoned and classified as Substandard/Doubtful/Loss as the case may be and appropriate provision for the depreciation in the value of the investments is made, as per prudential norms applicable to non-performing advances or otherwise required as per RBI directives issued from time to time. Debentures/ Bonds in the nature of advances are subjected to usual prudential norms applicable to advances.

iii) State Government guaranteed exposures is classified as Sub Standard/ Doubtful/ Loss, as the case may be if interest and/ or principal or any other amount due to the Bank remains overdue for more than 90 days and necessary provisions are made as per Prudential Norms or as otherwise required as per the RBI directions issued from time to time.

iv) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

v) Market repurchase and reverse repurchase transactions as well as the transactions with RBI under Liquidity Adjustment Facility (LAF) are accounted for as Borrowings and Lending transactions in accordance with the extant RBI guidelines.

vi) Accounting for Repo/ Reverse Repo transactions (other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI):

a) The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions.

b) However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and contra entries.

c) The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/ income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at call & short notice).

d) Interest expended/ earned on Securities purchased/ sold under LAF with RBI is accounted for as expenditure/ revenue.

vii) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity (HTM)" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

a. on interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

b. on zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

viii) Commission on LC/ BG, Deferred Payment Guarantee, are recognised on accrual basis proportionately over the period. All other commission and fee income are recognised on their realisation.

B SUBSIDIARIES

i) In case of Subsidiaries, the Investments are classified as current and non-current Investments. Current Investments are carried at lower of cost or market value and non-current investments are carried at cost. Provision for diminution, if any, in the value of the non-current investment is made only, if the diminution in the value is of permanent nature.

5. Derivatives:

The Bank enters into derivative contracts, such as interest rate swaps, currency swaps and cross currency swaps in order to hedge on balance sheet/ off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes.

5.1 Derivatives used for hedging are accounted as under :

i) In cases where the underlying Assets/Liabilities are marked to market, resultant gain/loss is recognised in the Profit & Loss Account.

ii) Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying assets/ liabilities are also marked to market.

iii) Gain or losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swaps or the remaining life of the assets/liabilities.

5.2 Derivatives used for Trading are accounted as under:

i) Currency future and Interest Rate Future are marked to market on daily basis as per exchange guidelines of MCX-SX, NSE and United Stock Exchange.

ii) MTM profit/loss is accounted by credit/debit to the margin account on daily basis and the same is accounted in bank's profit & loss account on final settlement.

iii) Trading swaps are marked to market at frequent intervals. Any MTM losses are booked and gains, if any are ignored on net basis.

iv) Gains or losses on termination of swaps are recorded immediately as income/expense under the above head

6. Advances:

A PARENT BANK

i) Advances are classified as Standard, Sub-Standard, Doubtful or Loss Assets and Provisions required in respect thereof are made as per the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or otherwise required in terms of RBI directions issued from time to time.

ii) Partial Recovery in Non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

However, where any borrower account is required to be classified as Non-Performing from back date, any recovery till the account was classified as Standard is first credited to Interest on Loans and Advances [viz. Scheme for sustainable Structuring of Stressed assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long Term Project Loan (5/25), Change of Ownership of Borrowing Entities (outside Strategic Debt Restructuring Scheme)].

iii) Advances are shown net of provisions (in case of NPA), Unrealised Interest, amount recovered from borrowers held in Sundries and amount recovered from CGTSI/ ECGC.

iv) Provision for Standard Assets is included in Other Liabilities and Provisions- Others.

v) Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery.

vi) Financial Assets sold are recognized as under:

a) In case the sale to SC/ARC is at a price lower than the Net Book Value (NBV) the shortfall is either charged to the Profit and Loss Account or such shortfall on assets sold on or after 26.02.2014 is spread over a period of two/one year in line with RBI guidelines subject to necessary disclosures.

b) The sale of NPA is accounted as per guidelines prescribed by RBI:

i) When the Bank sells its financial assets to Securitisation Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.

ii) In case the sale is at a price higher than the NBV on cash basis, the surplus is taken to the credit of Profit and Loss Account.

iii) In case of sale to SC/ARC is for a value higher than the NBV the excess provision to the extent of cash recovery is credited to the Profit and Loss Account and balance excess provision is retained to be utilised to meet shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC.

iv) If the sale is at a price below the Net Book Value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to the Profit and Loss Account in the year of sale.

B SUBSIDIARIES

i) In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, provisions on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank.

ii) In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, Interest income is recognized on accrual basis except in case of Non-Performing Assets (NPA) where interest is accounted on realization. In loans, the repayment is received by the way of Equated Monthly Installments (EMIs) comprising principal and interest. Interest is calculated on the outstanding balance at the beginning of the month. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI monthly interest is charged. Recovery in case of NPA is appropriated first towards interest portion of overdue EMIs and thereafter towards principal portion of overdue EMIs.

7 Provision for Country Exposure: In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others".

8. Fixed Assets/Depreciation:

A. PARENT BANK

8.1 Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortisation.

Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, taxes and professional fees incurred on the asset before it is put to use.

8.2 Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

8.3 Fixed Assets are depreciated under 'Written Down Value Method' at the following rates (other than computers which are depreciated on Straight Line Method):

i) Premises At varying rates based on estimated life

ii) Furniture, Lifts, Safe Vaults 10%

iii) Vehicles, Plant & Machinery 20%

iv) Air conditioners, Coolers, Typewriters etc. 15%

v) Computers including Systems Software 33.33%

(Application Software is charged to the Revenue during the year of acquisition.)

8.4 Other fixed assets Straight Line Method On the basis of estimated useful life of the assets.

8.5 Land acquired on lease for over 99 years is treated as freehold land and those for 99 years or less is treated as leasehold land. Cost of leasehold land is amortized over a period of lease.

8.6 Where it is not possible to segregate the cost of Land and Premises, Depreciation is charged on the composite cost.

8.7 In case of assets, which have been revalued, the depreciation / amortization is provided on the revalued amount is charged to Profit & Loss Account. Amount of incremental depreciation / amortization attributable to the revalued amount is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

8.8 Depreciation on additions to assets, made upto 30th September is provided for the full year and on additions made thereafter, is provided for the half year.

No depreciation is provided on assets sold before 30th September and depreciation is provided for the half year for assets sold after 30th September.

8.9 The Bank considers only immovable assets for revaluation. Properties acquired during the last three years are not revalued.

Valuation of the revalued assets is done at every three years thereafter.

8.10 The increase in Net Book Value of the asset due to revaluation is credited to the Revaluation Reserve Account without routing through the Profit and Loss Account.

Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve.

8.11 The Revalued Asset is depreciated over the balance useful life of the asset as assessed at the time of revaluation.

B SUBSIDIARIES

i) Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation. Cost includes all expenses incidental to expenses to the acquisition of fixed assets.

ii) Depreciation on fixed assets has been provided on straight line method at the rates specified in Schedule II to the Companies Act, 2013 except in case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, intangible assets have been amortized considering the economic life of the asset to be 5 years by the Management and amortized accordingly.

9. Employee Benefits:

A PARENT BANK

i) Employee benefits are accrued in the year services are rendered by the employees.

ii) Short term employee benefits are recognised as an expense in the profit and loss account for the year in which the related service is rendered.

iii) Liability for long term employee benefit under defined benefit scheme such as contribution to gratuity, pension fund and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial valuation technique.

iv) Actuarial gain/losses are recognised in the year when they arise. Provident fund is a defined contribution as the bank pays fixed contribution at predetermined rates.

v) The obligation of the bank is limited to such fixed contribution.

vi) The contributions are charged to Profit and Loss account.

vii) National Pension Scheme which is applicable to employees who have joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at pre-determined rate. The obligation of the bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

Short Term Employee Benefits:

viii) The undiscounted amounts of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees, are recognised during the period when the employee renders the service.

B SUBSIDIARIES

i) In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, the Gratuity amount has been provided on actuarial basis and invested in group maturity scheme administered by the Life Insurance Corporation of India. Company's contribution in respect of Employees' Provident Fund is made to Government Provident Fund and is charged to the Statement of Profit and Loss. The provision of leave encashment liability is calculated on the balance privilege leave of the employees as at the year end.

10. Recognition of Income and Expenditure:

A PARENT BANK

10.1 Income/ Expenditure is generally accounted for on accrual basis except for income to be accounted for on cash basis as per regulatory provisions.

10.2 In accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, prior period disclosures are made in respect of any item which exceeds one percent of the total income/total expenditure.

10.3 Provision for interest payable on overdue deposits is made as per Reserve Bank of India guideline

B SUBSIDIRIES

i) In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income recognition on Loans and Advances are made on the basis of Prudential norms laid down by National Housing Bank (NHB).

ii) In case of Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, income from fee and other charges viz. login fee, penal interest on overdue, prepayment charges, interest on income tax refunds and other income etc. are recognized on receipt basis.

iii) In case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, income in relation to Executor Trusteeship business is accrued on occurrence of transactions relating to trust account. Revenue from Debenture and Security Trusteeship services is recognized on period basis and accounted on accrual basis except the income from Debenture Trusteeship business of suit filed and/or BIFR companies, which is accounted on receipt basis.

11. Accounting for Taxes on Income:

The provision for tax for the year comprises of current tax liability computed in accordance with the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 – "Accounting for Taxes on Income" respectively. The deferred tax which recognizes, timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and is capable of reversal in one or more subsequent periods.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date to reassess its realization.

Disputed tax liabilities are accounted for in the year of finality of assessment / appellate proceedings and till such times they are shown as contingent liability.

The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

12 Provisions, Contingencies and Contingent assets:

12.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

12.2 No provision is recognised for:

i) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

ii) any present obligation that arises from past events but is not recognised because:

a. it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

b. a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

12.3 Provision for reward points in relation to the debit card holders of the Bank is being provided for on actuarial estimates.

12.4 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.

13. Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

14. Earnings per Share:

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 –"Earnings per Share" issued by the ICAI. Basic Earnings per Share are computed by dividing the Net Profit after Tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue Equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per Equity share is calculated by using the weighted average number of Equity shares and dilutive potential Equity shares outstanding as at the year-end.

15 Sundry Unallocated Income and Proceeds

In case of Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, the amounts received on behalf of beneficiaries of whom details about the beneficiaries can not be ascertained, have been accounted in nominal account "Sundry Party Unclaimed Dividend / Interest" and "Unallocated / Unclaimed Proceeds on Redemption of Securities".

As and when the details are received from the payer about the beneficiaries, the amount is transferred to the respective beneficiary account.

16 Provisions, Contingencies and Contingent assets

Provisions are recognized for present obligations, of uncertain timing or amount, arising as a result of a past event where a reliable estimate can be made and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required or the amount cannot be estimated reliably, the obligation is disclosed as a contingent liability unless the possibility of outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

MATAM VENKATA RAO
Managing Director & CEO

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHRI P.J. THOMAS
Director

MRS. MINI IPE
Director

For AAJV AND ASSOCIATES	**For S. JAYKISHAN**	**For CHHAJED & DOSHI**	**For AMBEKAR SHELAR KARVE**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
F.R. No.007739N	F.R. No.309005E	F.R. No.101794W	F.R. No.122063W
(CA J.P. BAJAJ)	**(CA VIVEK NEWATIA)**	**(CA NITESH JAIN)**	**(CA SACHIN AMBEKAR)**
Partner	Partner	Partner	Partner
M.No.086390	M.No.062636	M.No.136169	M.N.No.108911
UDIN: 21086390AAAACE3901	UDIN: 21062636AAAAFW4855	UDIN: 21136169AAAACV1662	UDIN: 21108911AAAADA9312

Place: Mumbai
Date: June 7, 2021

SCHEDULE-18: NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:

1 Subsidiaries and Associates considered in the preparation of the Consolidated Financial Statements

1.1 The Consolidated Financial Statements comprise the financial statements of Central Bank of India (Parent Bank), its two Subsidiaries (collectively referred to as "the Group") and share of Profit / Loss in three Associates consisting of two Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Parent Bank and Indo Zambia Bank Limited as per details given below :

Name of the Subsidiary/Associate	Country of Incorporation	Ownership interest as at March 31, 2021	Ownership interest as at March 31, 2020
Cent Bank Home Finance Limited (Subsidiary)	India	64.40%	64.40%
Centbank Financial Services Limited (Subsidiary)	India	100.00%	100.00%
Uttar Bihar Gramin Bank, Muzzaffarpur (Associate)	India	35.00%	35.00%
Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar (Associate)	India	35.00%	35.00%
Indo Zambia Bank Limited (Associate)	Zambia	20.00%	20.00%

1.2 The financial statements of the Subsidiaries and Associates which are used in the consolidation have been drawn up to the same reporting date as that of Parent Bank i.e. March 31, 2021, except Indo Zambia Bank Ltd., whose reporting period is calendar year and share in profit has been taken on unaudited figures for the financial year ended 31.03.2021. Financial Statement of Indo Zambia Bank is prepared as per the accounting policies adopted under local laws. In the opinion of the Management the impact is not material.

1.3 The accumulated share of profit/loss of the Parent Bank in the associates has been added / reduced to/from the carrying cost of Investments with corresponding adjustments in accumulated Reserves of the Group.

1.4 Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, like other Housing Finance Institutions grant loans for longer tenure, while deposits received / liabilities are for shorter tenure, resulting in mismatch of Assets and Liabilities. The same is being addressed by sufficient credit lines available.

1.5 Financial Statements of Subsidiaries are audited by other Auditor's. Financial Statements of Associates are unaudited and certified by the Management.

2 In the preparation of consolidated financial statements, wherever, different accounting policies for similar transactions have been followed by subsidiaries and associates, adjustments have not been made as in the opinion of Management of the Bank the same are not material.

3. PARENT BANK

3.1 Capital:

Paid up Equity Share Capital of the Parent Bank as on 31.03.2021 is ₹ 5875.56 crore increased from ₹ 5709.76 crore of previous year by issue of fresh 165799736 equity shares of ₹ 10 each in one allotment.

165799736 equity shares of ₹ 10.00 each allotted to eligible institutional investors of Central Bank of India under Qualified Institutional Placement process at an issue price of ₹15.38 per share including of premium of ₹ 5.38 per equity share on 28.09.2020 aggregating to ₹ 255 crores.

Government of India has infused ₹ 4800 crore towards preferential allotment of equity shares on March 31, 2021. The same is kept in Share Application Money account, pending allotment and considered as part of CET 1 Capital in terms of RBI communication reference no.DOR.CAP.S83/21/01/002/2021-22 dated April 30, 2021. The resultant 280,53,76,972 equity shares of ₹ 10 each was allotted to President of India (Government of India) at an issue price of ₹ 17.11 per equity share including premium of ₹ 7.11 per equity share on May 29, 2021.

3.2 Balancing of Books / Reconciliation:

3.2.1 The parent Bank is under process of reconciling the outstanding balances/entries in various heads of accounts included in Inter office adjustment (IBR) account. During the year, the bank has identified and transferred ₹ 27.57 Crore to "Revenue and other Reserves account" pertaining to earlier years.

The balance of IBR account as at 31st March, 2021 is ₹10.30 Crore (net credit) and as at 31st March, 2020 is ₹ 8774.55 Crore (net credit).

3.2.2 The reconciliation of the following items are in progress :

- Inter Branch Office Balance
- Inter Bank Accounts
- Suspense Accounts
- Clearing & other Adjustment Accounts
- Certain balances in nominal account
- NOSTRO Accounts
- Balances related to ATM Department
- Mirror Accounts maintained by Central Card Department and other balances
- Data/System updation of Agricultural and Priority Sector Advances
- GST
- Other Assets
- Other Liabilities

The management is of the opinion that the overall impact, if any, on the accounts will not be significant.

3.3 Income Tax:

3.3.1 Provision for Income Tax for the year is arrived at after due consideration of relevant statutory provisions and judicial decisions on disputed issues.

3.3.2 Other Assets [Schedule 11 (ii)] includes ₹ 1771.51 crore (previous year ₹ 1735.07 crore) towards disputed Income Tax paid by the parent Bank or adjusted by the Income Tax department. Provision for disputed amount of taxation is not considered necessary by the Bank on the basis of various judicial pronouncements and favorable decisions in Bank's own case.

3.3.3 Government of India has inserted Section 115BAA in the Income Tax Act 1961 ("Act") vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019 which provides a non-reversible option to domestic companies to pay corporate tax at a reduced rate effective from April 01, 2019 subject to certain conditions. The Bank has assessed the applicability of the act and opted to continue the existing tax rate (i.e. 34.944%) for the financial year ended March 31st, 2021.

3.4 Premises:

Premises obtained on Lease by the Parent Bank includes properties costing ₹ 1.45 Crore (previous year ₹ 0.75 Crore) for which registration formalities are still under progress.

The premises of the Bank were revalued to reflect the market value as on 31.03.2021 based on valuation reports of external independent valuers and approved by the Board of Director and ₹ 881.96 crore increases in value thereof have been credited to Revaluation Reserve Account.

In the case of assets, which have been revalued, the depreciation is provided on the revalued amount charged to Profit & Loss Account and the amount of incremental depreciation attributable to the revalued amount ₹ 58.85 Crore (previous year ₹ 112.00 Crore) is transferred from 'Revaluation Reserve' and credited to "Revenue and Other Reserves".

3.5 Advances / Provisions:

3.5.1 Advances to units which have become sick including those under nursing/ rehabilitation/ restructuring programme and other advances classified as doubtful/ loss assets have been considered secured/ recoverable to the extent of estimated realizable value of securities carrying first or second charge based on valuers' assessment of properties/ assets mortgaged to the parent Bank and other data available with the Bank.

3.5.2 In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Parent Bank has netted the balance Floating Provision amount of ₹ 100.56 crores (previous year ₹ 100.56 crore) and Countercyclical Provision amount of ₹ 47.34 Crore (previous year. ₹ 47.34 Crore) from gross NPAs to arrive at net NPAs.

3.5.3 Disclosure of Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

As the additional provisioning requirements assessed by RBI for FY 2019-20 exceeded threshold limit of 10% of the reported profit before provisions and contingencies, the following disclosure is made pursuant to RBI circular no. DBR. BP. BC. No. 32/21.04.018/2018-19 dated 01.04.2019 regarding Divergence in Asset Classification and Provisioning:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
1.	Gross NPAs as on March 31, 2020 as reported by the parent Bank	32589.08
2.	Gross NPAs as on March 31, 2020 as assessed by RBI	32678.08
3.	Divergence in Gross NPAs (2 – 1)	89.00
4.	Net NPAs as on March 31, 2020 as reported by the Bank	11534.46
5.	Net NPAs as on March 31, 2020 as assessed by RBI	11104.46
6.	Divergence in Net NPAs (5 – 4)	(430.00)
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2020 as reported by the Bank	19872.08
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2020 as assessed by RBI	20391.08
9.	Divergence in provisioning (8 – 7)	519.00
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2020	(1121.35)
11.	Adjusted (Notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2020 after taking into account the divergence in provisioning	(1640.35)

The parent Bank has made required provision against the said diversions as at March 31, 2021.

3.6 a. Disclosure of Penalties imposed by RBI

RBI has imposed a penalty of ₹ 0.50 crore (previous year ₹ NIL crore) to our bank due to non- compliance of RBI Circular dated 03.09.2013 on few housing loan accounts.

RBI has imposed a penalty of ₹ 0.31 crore (previous year ₹ 0.27 crore) in terms of Section 47A(1)(a) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act 1949 for non-compliance of RBI norms on currency chest operation.*

*As compiled by the Management and relied by the Auditors.

b. Penalties imposed by Financial Intelligence Unit – India

FIU-India imposed penalty of ₹ 0.02 Crore for delay in submission of Report – 1 & non-submission of Report-2 under Alert No.5, General Election (Lok Sabha)-2019 as per FIU-India order dated 23-12-2020. The said penalty was paid by Bank on 15th January 2021.

4. Compliance with Accounting Standards

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India

4.1 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Certain items of income are recognized on realization basis as per significant accounting policy no.9. However, the said income is not considered to be material.

4.2.1 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

i. Defined Benefit Plans

As furnished by the management and relied by the auditors.

Employee's pension plan and Gratuity plan

The following tables sets out the status of the defined benefit pension plans and gratuity plan as per actuarial valuation by the independent actuary appointed by the parent bank:

(₹ in crore)

Particulars	**Pension Plan**		**Gratuity Plan**	
	Current Year	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
Change in the Present Value of the Defined Benefit Obligation	**FY(20-21)**	**FY(19-20)**	**FY(20-21)**	**FY(19-20)**
Opening Defined Benefit Obligation 1st April, 2020	15,421.82	14,245.10	1,623.23	1,648.13
Current Service Cost	78.11	71.81	82.84	64.61
Interest Cost	1,000.65	1,108.27	101.61	128.39
Past Service Cost (Vested Benefit)	0.00	0.00	0.00	0.00
Actuarial Losses (gains)	598.99	1,187.72	244.23	82.98
Benefits Paid	(1,541.90)	(1,191.08)	(325.24)	(300.88)
Direct Payment by Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
Closing Defined Benefit Obligation at 31st March ,2021	15,557.68	15,421.82	1,726.67	1,623.23

(₹ in crore)

Change in Plan Assets	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
	FY(20-21)	**FY(19-20)**	**FY(20-21)**	**FY(19-20)**
Opening Fair Value of Plan Assets as at 1st April, 2020	14,939.64	14,645.14	1,720.32	1,878.26
Expected Return on Plan Assets	1,037.01	1,139.39	106.55	146.32
Contributions by Employer	487.00	0.00	0.00	0.00
Expected Contributions by the employees	0.00	0.00	0.00	0.00
Benefits Paid	(1,541.90)	(1,191.08)	(325.24)	(300.88)
Actuarial Gains /(Loss)on Plan Assets	276.30	346.19	32.99	(3.38)
Closing Fair Value of Plan Assets as at 31st March, 2021	**15,198.05**	**14,939.64**	**1,534.62**	**1,720.32**

(₹ in crore)

Amount Recognized in the Balance Sheet	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
	FY(20-21)	**FY(19-20)**	**FY(20-21)**	**FY(19-20)**
Present Value of Funded obligation at 31st March,2021	15,557.68	15,421.82	1,726.67	1,623.23
Fair Value of Plan Assets at 31st March,2021	(15,198.05)	(14,939.64)	(1,534.62)	(1,720.32)
Deficit/(Surplus)	359.63	482.18	192.05	(97.09)
Net Liability/(Asset)	**359.63**	**482.18**	**192.05**	**(97.09)**

(₹ in crore)

Net Cost Recognized in the Profit and Loss Account	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(20-21)	FY(19-20)	FY(20-21)	FY(19-20)
Current Service Cost	78.11	71.81	82.84	64.61
Interest Cost	1,000.65	1,108.27	101.61	128.39
Expected Return on Plan Assets	(1,037.01)	(1,139.39)	(106.55)	(146.32)
Net Actuarial Losses/(Gain) Recognized During the Year	322.69	841.53	211.24	86.36
Total Cost of Defined Benefit Plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for Employees"	**364.45**	**882.22**	**289.14**	**133.04**

(₹ in crore)

Reconciliation of Expected Return and Actual Return on Plan Assets	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(20-21)	FY(19-20)	FY(20-21)	FY(19-20)
Expected Return on Plan Assets	1,037.01	1,139.39	106.55	146.32
Actuarial Gain/(loss)on Plan Assets	276.30	346.19	32.99	(3.38)
Actual Return on Plan Assets	**1,313.31**	**1,485.58**	**139.54**	**142.94**

(₹ in crore)

Reconciliation of Opening and Closing Net Liability /(Asset) Recognized in Balance Sheet	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	FY(20-21)	FY(19-20)	FY(20-21)	FY(19-20)
Opening Net Liability /(Asset) as at 1st April, 2020	482.18	(400.04)	(97.09)	(230.13)
Expenses as Recognized in Profit And Loss Account	364.45	882.22	289.14	133.04
Employer's Contribution	(487.00)	0.00	0.00	0.00
Net Liability/(Assets) Recognized in Balance Sheet	**359.63**	**482.18**	**192.05**	**(97.09)**

Investment under Plan Assets of Pension Funds & Gratuity Fund as on 31st March, 2021 are as follows-		
CATEGORY OF ASSETS	**PENSION FUND**	**GRATUITY FUND**
	% OF PLAN ASSETS	**% OF PLAN ASSETS**
Central Govt. Securities	0.83	2.81
State Govt. Securities	17.75	31.23
Debt Securities, Money Market Securities and Bank Deposits	23.31	42.90
Mutual Funds	2.30	4.43
Insurer Managed Funds	55.81	18.63
Others	0	0
Total	**100**	**100**

Principal Actuarial Assumptions	PENSION PLANS	
	Current Year	Previous Year
	FY (20-21)	FY (19-20)
Discount Rate	6.85	6.83
Expected Rate of Return on Plan Assets	6.85	6.83
Salary Escalation Rate	5.00	5.00
Pension Escalation Rate	4.00	0.00
Attrition Rate	2.50	0.50
Mortality Table	IALM (2012-14)	IALM (2006-08)

Principal Actuarial Assumptions	GRATUITY PLANS	
	Current Year	Previous Year
	FY(20-21)	FY(19-20)
Discount Rate	6.55	6.84
Expected Rate of Return on Plan Assets	6.55	6.84
Salary Escalation Rate	5.00	5.00
Attrition Rate	2.50	0.50
Mortality Table	**IALM (2012-14)**	**IALM(2006-08)**

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN

(₹ in crore

GRATUITY PLAN	YEAR ENDED				
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2017	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021
Liability at the end of the year	1,847.13	1,741.56	1,648.13	1,623.23	1,726.66
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,656.73	2,124.94	1,878.26	1,720.32	1,534.62
Difference	190.40	(383.38)	(230.13)	(97.09)	192.04
Amount Recognized in the Balance Sheet	**190.40**	**(383.38)**	**(230.13)**	**(97.09)**	**192.04**

(₹ in crore)

EXPERIENCE ADJUSTMENT	YEAR ENDED				
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	31-03-2017	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021
On Plan Liability (Gain)/ Loss	318.59	(511.99)	(29.08)	(6.34)	249.60
On Plan Asset (Loss) / Gain	9.91	14.57	(42.56)	(3.38)	32.99

SURPLUS/DEFICIT IN THE PLAN

(₹ in crore)

PENSION PLAN	YEAR ENDED				
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	**31-03-2017**	**31-03-2018**	**31-03-2019**	**31-03-2020**	**31-03-2021**
Liability at the end of the year	12,484.08	13,821.17	14,245.10	15,421.82	15,557.67
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	12,420.00	13,515.58	14,645.14	14,939.64	15,198.04
Difference	64.08	305.59	(400.04)	482.18	359.63
Amount Recognized in the Balance Sheet	**64.08**	**305.59**	**(400.04)**	**482.18**	**359.63**

(₹ in crore)

EXPERIENCE ADJUSTMENT	YEAR ENDED				
AMOUNT RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	**31-03-2017**	**31-03-2018**	**31-03-2019**	**31-03-2020**	**31-03-2021**
On Plan Liability (Gain)/ Loss	1,053.22	1,029.93	422.24	12.65	2,279.00
On Plan Asset (Loss) / Gain	25.11	263.51	(72.66)	346.19	276.30

The expected contribution to the Pension and Gratuity fund for next year is ₹359.63 Crore and ₹105.80 Crore respectively.

Defined Contribution Plan:

The bank has a defined contribution pension scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining bank on or after 01/04/2010. The scheme is managed by NPS trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depositary Limited (NSDL) has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During 2020-21, the bank has contributed ₹103.67 Crores (Previous year ₹91.85 Crore).

Long Term Employee Benefits (Unfunded Obligation):

During the year bank has recognized expenses of ₹131.20Crores (Previous Year ₹99.27) towards leave encashment expenses based on actuarial valuation.

4.2.2 The Cent Bank Home Finance Ltd, the subsidiary, provides for Gratuity covering eligible employees. To fund its liability, the Company has taken a Policy with Life Insurance Corporation of India, to cover the accumulated Gratuity Liability of its employees and the premium paid on this policy has been charged to Profit and Loss Account and the Provision for Leave Encashment Liability is calculated on the balance of privilege leave of the employees as on March 31, 2021. The same has been provided for the year ended 31.03.2021.

4.3 Accounting Standard 17 – Segment Report of the Group

CONSOLIDATED SEGMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED 31, 2021

(₹ In Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**
Revenue	12,601.19	12,252.52	6,596.13	7,212.85	6,792.99	7,830.39	1.53	2.23	25,991.84	27.297.99
Result	4,004.01	2,380.29	-3,825.59	-2,802.95	-1,397.14	-459.30	0.03	0.80	-1,218.69	-881.16
Unallocated Expenses									211.95	156.91
Operating Profit									-1,430.64	-1,038.07
Income Taxes									-430.53	217.65
Extraordinary profit/loss										
Net Profit									-1,000.10	-1,255.72
Other Information:										
Segment Assets	1,92,414.73	1,76,075.99	80,425.43	82,540.75	80,861.29	83,441.22	6.31	11.05	3,53,707.76	3,42,069.01
Unallocated Assets									16,266.72	15,268.43
Total Assets									3,69,974.48	3,57,337.45
Segment Liabilities	1,97,847.44	1,81,122.41	72,576.79	77,633.98	73,046.86	77,038.73	6.55	5.82	3,43,477.64	3,35,800.94
Unallocated Liabilities										
Total Liabilities									3,43,477.64	3,35,800.94
Capital Employed	-5,432.71	-5,046.42	7,848.64	4,906.77	7,814.43	6,402.49	(0.23)	5.23	10,230.12	6,268.07
Unallocated									16,266.72	15,268.43
Total Capital Employed									26,496.48	21,536.49

* Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets, wherever direct allocation is not possible. Figures have been regrouped wherever considered necessary to conform to current year classification.

i) Segment Revenue and Expenses have been apportioned on the basis of the segment assets wherever direct allocation is not possible.

ii) As per the revised guidelines of Reserve Bank of India, the group has recognized Treasury Operations, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Business as Primary Reporting Segments. There are no Secondary Reporting Segments.

iii) Treasury Operations include dealing in Government and Other Securities, Money Market operations and Forex operations.

iv) The Retail Banking Segment consists of all exposures up to a limit of ₹ 5 crore (including Fund Based and Non Fund Based exposures) subject to orientation, product, granularity criteria and individual exposures.

v) The Corporate/ Wholesale Segment consist of all advances to Trusts / Partnership Firms, Companies and Statutory bodies, which are not included under Retail Banking.

vi) The other Banking Segment includes all other Banking operations not covered under the above three categories.

vii) Retail Banking Segment is the Primary resource mobilizing unit and Treasury Segment compensates the Retail Banking Segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

viii) **Allocation of cost:**

a. Expenses directly attributable to a particular segment are allocated to the relative segment.

b. Expenses not directly attributable to a specific segment are allocated on rational basis.

4.4 Related Party disclosures as per Accounting Standard 18 – Related Party (of Parent Bank)

1 List of Related Parties:

a. Key Managerial Personnel as on 31.03.2021

S. No	Name	Designation
	PARENT BANK	
i.	Mr. Matam Venkata Rao (w.e.f. 01.03.2021)	Managing Director & CEO
ii.	Mr. Pallav Mohapatra (up to 28.02.2021)	Managing Director & CEO
iii.	Mr. Alok Srivastava	Executive Director
iv.	Mr. Vivek Wahi (w.e.f. 10.03.2021)	Executive Director
v.	Mr. Rajeev Puri (w.e.f. 10.03.2021)	Executive Director
vi.	Mr. B.S. Shekhawat (up to 08.10.2020)	Executive Director
	SUBSIDIARIES	
	CENT BANK HOME FINANCE LTD.	
i)	Mr. Shishram Tundwal	Managing Director
ii)	Mr. Manish Singh Payal	Company Secretary
iii)	Mr. Ashish Mittal	Ex-Chief Financial Officer
iv)	Mr. Vijay Kumar Singh	Ex-Chief Financial Officer

2. Transactions with Related Parties:

Remuneration paid to key managerial persons: (₹ in Lakh)

Name	Designation	Key Management Personnel	
PARENT BANK		**31.03.2021**	**31.03.2020**
Mr. Matam Venkata Rao (w.e.f. 01.03.2021)	Managing Director & CEO	0.02	-
Mr. Pallav Mohapatra (up to 28.02.2021)	Managing Director & CEO	0.94	0.32
Mr. Alok Srivastava	Executive Director	0.27	0.26
Mr. Vivek Wahi (w.e.f. 10.03.2021)	Executive Director	0.01	-
Mr. Rajeev Puri (w.e.f. 10.03.2021)	Executive Director	0.01	-
Mr. B.S. Shekhawat (up to 08.10.2020)	Executive Director	1.30	0.28
Mr. P.R. Murthy (up to 16.02.2020)	Executive Director	-	0.83
TOTAL		**2.55**	**1.69**
CBHFL			
Mr. Shishram Tundwal	Managing Director	0.20	0.19
Mr. Manish Singh Payal	Company Secretary	0.14	0.08
Mr. Ashish Mittal	Ex-Chief Financial Officer	0.10	-
Mr. Vijay Kumar Singh	Ex-Chief Financial Officer	-	0.28

Note: Keeping in line with para 9 of the AS – 18 – "Related Party Disclosure" issued by ICAI, the transactions with the Subsidiaries and Associates Enterprises have not been disclosed which exempts the State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to transactions with other related State Controlled Enterprises.

Further, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with KMP and relatives of KMP have not been disclosed in terms of Para 5 of AS-18.

4.5 Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows:

Earnings per share as per AS 20 has been arrived at as follows: (₹ in Lakh)

	31.03.2021	31.03.2020
Net Profit / (Loss) after Tax available for Equity Share Holder (₹in Crore)	(1000.11)	(1255.72)
Weighted Average number of Equity Share (No.)	5793798207	4666040090
Basic Earnings per Share (₹)	(1.73)	(2.69)
Diluted Earnings per Share (₹)	(1.73)	(2.69)
Nominal Value per Share (₹)	10	10

4.6 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income (of the Group)

Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹7539.27 Crore has been recognized as Deferred Tax Assets as at 31st March 2021.

Component of deferred tax assets/ liabilities as on 31st March 2021 are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred tax Liability	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
Parent Bank:-				
Business Loss	2278.67	1591.74	0.00	0.00
Provision for Leave Encashment	331.41	285.56	0.00	0.00
Provision for Loans and Advances	5810.18	6579.73	0.00	0.00
Retiral Benefits	0.00	0.00	0.00	33.93
Interest accrued but not due on investments	0.00	0.00	787.93	695.83
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	0.00	0.00	34.94	34.94
Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00	51.71	75.53
Cent Bank Home Finance Ltd.				
Provision on Advances	7.57	7.14	0.00	0.00
Depreciation on Fixed Assets	0.02	0.02	0.00	0.00
Others	0.05	0.10	0.91	1.37
Special Reserve u/s36(1)(viii) of I.T. Act 1961	0.00	0.00	13.16	16.37
CentBank Financial Services Ltd. (Net)	**0.02**	**0.56**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**8427.92**	**8464.85**	**888.65**	**857.97**
Net Deferred Tax Asset/Liability	**7539.27**	**7606.88**		

Net decrease in Deferred Tax Assets for the year 2020-21 is ₹ 67.61 crore (Previous year decrease of ₹ 275.23 crore) has been recognized in profit & loss account.

4.7 Accounting Standard – 28 –Impairment of Assets

A substantial portion of Bank's assets comprise financial assets to which Accounting Standard-28 on impairment of assets of the Bank is not applicable. In the opinion of the Management, there is no material impairment on Other Assets other than financial assets as at March 31, 2021, requiring recognition in terms of the Standard.

4.8 Accounting Standard – 29 on Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets (of Parent Bank)

i) Provisions and Contingencies

(₹ in Crore)

Break-up of Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in P&L Account	31.03.2021	31.03.2020
Provisions/Depreciation on Investment(Net)	398.67	1065.54
Provision towards NPA	5128.99	4229.40
Provision towards Standard Asset	263.15	172.34
Provision made for Taxes	(436.03)	211.86
Provision for Restructured Advances	76.49	(158.82)
Other Provisions	86.34	(54.83)
TOTAL	**5517.61**	**5465.49**

ii) Floating Provisions

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
A	Opening balance in the Floating Provisions account	100.56	100.56
B	The quantum of Floating Provisions made in the Accounting Year	-	-
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.	-	-
D	Closing balance in the Floating Provisions account	100.56	100.56

iii) Countercyclical Provisioning Buffer:

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2021	31.03.2020
A	Opening balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34
B	The quantum of Countercyclical Provisions made in the Accounting Year	-	-
C	Amount of draw down made during the Accounting Year.	-	-
D	Closing balance in the Countercyclical Provisions account	47.34	47.34

5 Other Disclosures:-

5.1 Corporate Social Responsibility:

During the year Cent Bank Home Finance Ltd., the subsidiary, has spent ₹ 0.42 crore (Previous year ₹ 0.42 crore) towards Corporate Social Responsibility under section 135 of Companies Act 2013 and rules thereon.

5.2 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The PCR (inclusive of Technical write off) stood at 82.54 % (Previous Year 77.29%) – Parent Bank.

The PCR (exclusive of Technical write off) stood at 69.13 % (Previous Year 64.61%) – Parent Bank.

5.3 Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, holds investments in the nature of shares, securities and immovable properties on behalf of its clients in a fiduciary capacity on a Trustee-Beneficiary relationships, which in the opinion of the Board of Directors are adequately safeguarded and properly recorded and all duties arising from such fiduciary relationships are adequately fulfilled.

5.4 Centbank Financial Services Ltd., the subsidiary, has not transferred or allocated dividend, interest and other corporate benefits received over a period of time from various companies / undertakings, amounting to ₹1.66 crore to the trusts / beneficiaries, on whose behalf the investment portfolios are held under Trusteeship Services. The said amount stood at ₹1.59 crore as at 31.03.2020 and has increased to ₹ 1.66 crore as at 31.03.2021. Similarly, it has not transferred or allocated sales / redemption proceeds of shares / debentures amounting to ₹ 0.16 crore to the respective trust / beneficiary. The same is outstanding since 2005-06. It has kept the above funds in current account with its bank.

5.5 In terms of RBI guidelines DBOD No.BP.BC.57/62-88 dated December 31, 1988, Inter-Bank Participation Certificates (IBPC) are ₹ NIL (Previous year ₹1500 Crore). Interest income of ₹45.48 crore has been recognized during the year.

5.6 The vendors whose services are utilized are selected in compliance with Government of India guidelines regarding MSME sector and Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. This is relied upon by the Auditors.

5.7 Implementation of the Guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds

The Parent Bank has formulated policies as per RBI circular RBI/2010-11/494 DBS. CO. ITC. BC. No. 6/31.02.008/2010-11dated April 29, 2011. These policies are being reviewed by the management of the Parent Bank on periodical basis. The policies were last reviewed by the Board of Directors in the meeting held on 26.03.2021.

5.8 Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

5.9 **Disclosure with respect to NCLT provisions:-**

As per RBI circular No. DBR No. BP.15199/21.04.048/2016-17 and DBR No. BP.1906/21.04.048/2017-18 dated June 23, 2017 and August 28, 2017 respectively, for the accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the parent Bank is holding total provision of Rs 6317.12 crores (including FITL of ₹127.90 crore) @(97.67 % of total outstanding including Investment) as on March 31, 2021

5.10 In accordance with, RBI circular no. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018 -19 dated January 01, 2019 & DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020 and RBI/2020-21/17 DOR no. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 06, 2020, on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Services Tax (GST), the details of MSME restructured accounts as on 31.03.2021 are as under:

No of Accounts Restructured	Amount in Crore
24569	1722.76

5.11 DISCLOSURE IN RESPECT OF COVID19 REGULATORY PACKAGE – ASSET CLASSIFICATION AND PROVISIONING IN TERMS OF RBI CIRCULAR DATED 17.04.2020

RBI vide Notification No. RBI/2019-20/186 DOR.No.BP.BC.47/21.04.048/2019-20 dated March 27, 2020, has announced measures to mitigate the burden of debt servicing brought about by disruptions on account of COVID-19 pandemic and to ensure the continuity of viable businesses. The measures include Rescheduling of Payments – Term Loans and Working Capital Facilities, Easing of Working Capital Financing, Classification as Special Mention Accounts (SMA) and Non- Performing Asset (NPA) etc.

In accordance with the RBI guidelines relating to COVID-19 as conveyed vide their circular no.DOR No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated 17.04.2020 and DOR No.BP.BC.71/21.04.048/2019-20 dated 23.05.2020, the Bank has granted a moratorium on the payment of all installments and / or interest, as applicable, falling due between March 1, 2020 and August 31, 2020 to all eligible borrowers classified as Standard, even if overdue, as on February 29, 2020. For all such accounts where the moratorium is granted, the asset classification shall remain stand still during the moratorium period (i.e. the number of day's past-due shall exclude the moratorium period for the purposes of asset classification under the Income Recognition, Asset Classification and Provisioning norms). The disclosure requirements as required by RBI circular dated April 17, 2020 is given below:

Sr. No.	Particulars	Amount (₹ in crore)
1	Respective amounts in SMA/overdue categories, where the moratorium/ deferment was extended (Position as on March 31, 2020)	33577.18
2	Respective amount where asset classification benefits is extended	3030.94
3	Provisions made during the Q1 FY 2021	161.75
4	Provisions made during the Q4 FY 2020	143.25
5	Provisions adjusted against slippages (NPA and Restructuring) in terms of above circular	305.00
6	Residual provisions held as on 31.03.2021 in terms of above circular	Nil

5.12 In Accordance with the instructions of RBI circular dated 07.04.2021 on "Asset Classification and Income Recognition following the expiry of Covid 19 regulatory package", the Bank shall refund/adjust 'interest on interest' charged to all borrowers including those who had availed of working capital facilities during moratorium period i.e. 01.03.2020 to 31.08.2020, irrespective of whether moratorium had been fully or partially availed, or not availed. Pursuant to these instructions, the methodology for calculation of the amount to be refunded / adjusted for different facilities shall be finalized by the Indian Bank Association (IBA) in consultation with other industry participants/bodies, which shall be adopted by all the lending institution. Accordingly, IBA vide its letter dated 19.04.2021 has informed methodology finalised for refund/adjustment as per Supreme Court Judgement.

Accordingly, the Parent Bank has created an estimated liability of ₹ 50.34 crore towards the same and has reduced the same from interest income for the year ended on 31.03.2021

5.13 Reserve Bank of India vide their letter dated June 13, 2017, has put the Parent Bank under Prompt (PCA) Corrective Action in view of high net NPA and negative Return on Assets. Bank is complying the PCA framework norms meticulously. Bank has prepared an action plan and also taken various steps to reduce NPA and improve the profitability.

5.14 The outbreak of Corona virus (COVID-19) pandemic globally including India has resulted in slowdown of economic activities and increased volatility in financial markets. The extent to which the COVID-19 pandemic will impact the Group's financial results will depend on future developments, which are highly uncertain. Given the uncertainty, because of COVID-19 pandemic, the Group is continuously monitoring any material change in future economic condition which may impact the Group's operations and its financial results in future depending on the developments which may differ from that estimated as at the date of approval of the financial statements. Looking to the present scenario and COVID-19 situation, as a one time measure, Bank has made a provision of ₹ 1049.84 crore in certain NPA accounts as a matter of prudence.

5.15 Previous year figures have been re-grouped / re-classified wherever considered necessary to confirm to current year's classification.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

MATAM VENKATA RAO
Managing Director & CEO

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHRI P.J. THOMAS
Director

MRS. MINI IPE
Director

For AAJV AND ASSOCIATES Chartered Accountants F.R. No.007739N	**For S. JAYKISHAN** Chartered Accountants F.R. No.309005E	**For CHHAJED & DOSHI** Chartered Accountants F.R. No.101794W	**For AMBEKAR SHELAR KARVE** Chartered Accountants F.R. No.122063W
(CA J.P. BAJAJ) Partner M.No.086390 UDIN: 21086390AAAACE3901	**(CA VIVEK NEWATIA)** Partner M.No.062636 UDIN: 21062636AAAAFW4855	**(CA NITESH JAIN)** Partner M.No.136169 UDIN: 21136169AAAACV1662	**(CA SACHIN AMBEKAR)** Partner M.N.No.108911 UDIN: 21108911AAAADA9312

Place: Mumbai
Date: June 7, 2021

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	31-03-2021	31-03-2020
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit/(Loss) before Taxes & Minority Interest	**(1,425.41)**	(1,034.43)
	I Adjustments for:		
	Depreciation on fixed assets	**292.53**	285.48
	Depreciation on investments (including on matured debentures)	**399.68**	1,065.54
	Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	**5,212.63**	4,079.06
	Provision for Standard Assets	**261.62**	174.10
	Provision for Other items (Net)	**85.35**	(54.61)
	(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	**21.00**	22.41
	Sub total	**4,847.39**	**4,537.56**
	II Adjustments for :		
	Increase / (Decrease) in Deposits	**16,127.17**	13,889.76
	Increase / (Decrease) in Borrowings	**(316.37)**	436.37
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	**(8,215.90)**	8,827.95
	(Increase) / Decrease in Advances	**(10,649.33)**	(8,605.96)
	(Increase) / Decrease in Investments	**(6,392.02)**	(18,138.47)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	**962.13**	927.96
	Direct Taxes Paid (Net of Refund etc)	**1,633.60**	(149.18)
	Sub total	**(6,850.72)**	**(2,811.59)**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**(2,003.33)**	**1,725.97**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale / Disposal of Fixed Assets	**2.72**	7.18
	Purchase of Fixed Assets	**(205.17)**	(321.96)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(202.45)**	**(314.78)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Share Capital (Including Share Premium)	**255.00**	3,403.22
	Share Application Money	**4,800.00**	-
	Dividend - Equity shares Inculding Interim Dividend	**-**	(7.00)
	Dividend Tax	**-**	(0.44)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**5,055.00**	**3,395.78**
D	**Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)**	**2,849.22**	**4,806.97**

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	31-03-2021	31-03-2020
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	**30,059.99**	20,779.45
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**6,044.56**	10,518.14
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year (E)	**36,104.55**	**31,297.59**
F	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Bank Balance with RBI	**32,188.10**	30,059.99
	Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	**6,765.67**	6,044.56
	Net cash and cash equivalents at the end of the year (F)	**38,953.77**	**36,104.55**

Notes:

1) The above Consolidated Cash Flow Statement has been prepared under the 'Indirect Method' as set out in the Accounting Standard -3 on Cash Flow Statement issued by ICAI.

2) Previous year figures have been regrouped/rearranged to conform to those of current years.

ALOK SRIVASTAVA
Executive Director

VIVEK WAHI
Executive Director

RAJEEV PURI
Executive Director

MATAM VENKATA RAO
Managing Director & CEO

DR. BHUSHAN KUMAR SINHA
Director

SHRI P.J. THOMAS
Director

MRS. MINI IPE
Director

For AAJV AND ASSOCIATES
Chartered Accountants
F.R. No.007739N

(CA J.P. BAJAJ)
Partner
M.No.086390

For S. JAYKISHAN
Chartered Accountants
F.R. No.309005E

(CA VIVEK NEWATIA)
Partner
M.No.062636

For CHHAJED & DOSHI
Chartered Accountants
F.R. No.101794W

(CA NITESH JAIN)
Partner
M.No.136169

For AMBEKAR SHELAR KARVE
Chartered Accountants
F.R. No.122063W

(CA SACHIN AMBEKAR)
Partner
M.N.No.108911

Place: Mumbai
Date: June 7, 2021

सफलता के सोपान / The Mark of Success

'लोगो' किसी भी संगठन के वैशिष्ट्य को समाहित करता है और बाहरी दुनिया के समक्ष इसे प्रतिबिम्बित करता है. उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तित प्रतिमानों के परिप्रेक्ष्य में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का समग्र स्वरुप भी वर्ष-दर-वर्ष रूपांतरित होता रहा है, जो समय के साथ सामंजस्य बनाये रखने की इसकी क्षमता का सूचक है.

The logo captures the personality of an organisation and projects it to the outside world. In keeping with the shifting paradigms and the evolving Indian economy, Central Bank Of India's personality has also morphed through the years to represent the Bank's ability to keep up with the times.

1911

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग का शानदार बाह्य स्वरूप दर्शाने वाला यह 'लोगो' विश्वसनीयता और मजबूती को चित्रित करता है.

Logo in the form of magnificent Central Bank Of India building structure depicted dependability and solidity.

1956

बैंक की पहचान दर्शाने वाले आद्याक्षरों को चित्रित करने के लिए 'लोगो' को संशोधित किया गया.

Logo was revised to depict its intials identifiable with the Bank.

1973

'लोगो' को नया बनाया गया, जिससे और अधिक कॉर्पोरेट एवं सम-सामायिक छवि प्रस्तुत की जा सके.

Logo was given a make-over to give it a more corporate and contemporary look.

1982

'लोगो' में पट्टियों सहित चार वर्ग व्यक्ति, वित्त, उद्योग एवं राष्ट्र के बीच परस्पर प्रभावी अंतर संबंधों को उजागर करते हुए बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा देश की अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका को प्रतिबिंबित करता है.

The four Squares in the logo with the bars that represent the Man, Finance, Industry and Nation evolving their two way effective interrelationship reflects the services rendered by the bank and its role in the economy.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

www.centralbankofindia.co.in

हमें लाइक करें
Like us on https://www.facebook.com/CentralBankofIndia

हमें फॉलो करें
Follow us on https://twitter.com/centralbank_in

केंद्रीय कार्यालय, चंदरमुखी बिल्डिंग, नरीमन पॉईंट, मुम्बई- 400 021
Central Office, Chander Mukhi Building, Nariman Point, Mumbai- 400 021